पावरग्रिड
POWERGRID

प्रथम एकीकृत
वार्षिक रिपोर्ट
(2022-23)

संधारणीय भविष्य के लिए ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी

धर्मपुरी उपकेंद्र

पावरग्रिड POWERGRID

विषय सूची

कॉर्पोरेट संबंधी सिंहावलोकन

- कॉर्पोरेट संबंधी सूचना 03
- सूचना –प्रेषण हेतु दृष्टिकोण 04
- शेयरधारकों को पत्र 06
- पावरग्रिड के बारे में 10
- संवहनीय भविष्य के लिए ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व 20
- पुरस्कार, सम्मान और प्रमाणपत्र 22
- रिपोर्ट एक नजर में 25

संधारणीयता रणनीति

- संधारणीयता– कल, आज और कल 32
- संधारणीयता विजन, ईएसजी शासन और ईएसजी लक्ष्य 38
- यूएन एसडीजी के साथ संरेखित पहलें 42
- हितधारक अनुबंध 47
- भौतिकत्व मूल्यांकन 52

व्यापार शासन

- कॉर्पोरेट शासन 54
- जोखिम प्रबंधन 58

बिजनेस मॉडल 60

मूल्य सृजन

- वित्तीय पूंजी 62
- विनिर्मित पूंजी 66
- प्रज्ञात्मक पूंजी 78
- प्राकृतिक पूंजी 86
- मानव पूंजी 98
- सामाजिक और संबंध पूंजी 108

जीआरआई सूचकांक 121

सांविधिक रिपोर्ट

- निदेशक की रिपोर्ट 126
- प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 150
- व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट 188
- कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी रिपोर्ट 238
- सीएसआर संबंधी रिपोर्ट 277

वित्तीय विवरण

- कंपनी का अपना वित्तीय कार्यनिष्पादन 281
- समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन 429

कॉर्पोरेट संबंधी सूचना

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सीआईएन: एल40101डीएल1989जीओआई038121

पंजीकृत कार्यालय बी.9ए कुतुब इंस्टीच्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली .110016 दूरभाष–011.26560112, 26560115 और 26560193	**कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी** श्री मृणाल श्रीवास्तव
कारपोरेट कार्यालय ''सौदामिनी'', प्लॉट सं.. 2, सेक्टर 29, गुड़गांव–122001 (हरियाणा) दूरभाष – 0124–2822999 और 2823999	**वेबसाइट: www.powergrid.in** **ईमेल आईडी: investors@powergrid.in**

सांविधिक लेखापरीक्षक 2022–23

सांविधिक लेखापरीक्षक

1. **मैसर्स रामानंद अय्यर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार**
   108, सूर्य किरण भवन, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
   नई दिल्ली.110001
   ईमेल : bala@sraco.in
2. **मैसर्स उमामहेश्वर राव एंड कंपनी, सनदी लेखाकार**
   कार्यालय संख्या 1205, 11वां तल, वसावी एमपीएम ग्रैंड, अमरप्रीत एक्स रोड, हैदराबाद, तेलंगाना.500073
   ईमेल: ucohyd@umrcas.com
3. **मैसर्स बीएम चटरथ एंड कंपनी, एलएलपी, सनदी लेखाकार**
   #सेंटर प्वाइंट#, 4था तल, कमरा सं. – 440
   21, हेमंता बासु सरानी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700001
   ईमेल: bmccal@bmchatrath.in
4. **मैसर्स पीएसडी एंडएसोसिएट, सनदी लेखाकार**
   808ए टॉवर–ए, ओमकार अल्टा मोंटे, पठानवाड़ी मलाड ईस्ट,
   मुम्बई–400097
   ईमेल: Prakash-psd@rediffmail.com

लागत लेखापरीक्षक

1. **मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट, लागत लेखापरीक्षक,**
   ''सीएमएप्राइड'', ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट सं. 6, क्र. सं. 16/6 इरेन्डवाना कंपनी, एचएसजी सोसाइटी के सामने, इरेन्डवाना, पुणे–411004
   ईमेल: dvjasso@dvjasso.com
2. **मैसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, लागत लेखापरीक्षक,**
   बी–125, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली–110019
   ईमेल: bbhco1994@gmail.com

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव
121, विनायक अपार्टमेंट, प्लॉट सं.: सी–58/19, सेक्टर–62, नोएडा . 201309 (उ.प्र.)
मोबाइल: 9868282032, 9810184269
ई–मेल : kumarnareshsinha@gmail.com

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट:

ईक्विटी शेयर:

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट 31–32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना– 500032
दूरभाष: 040–67162222, फैक्स: 040–23431551
टोल फ्री नम्बर 18003094001, ईमेल: einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट: www.kfintech.com

बांड्स:

बीटल फाइनेंसियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्रा. लि.
बीटल हाउस, 3सरा तल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे,
नई दिल्ली–110062, दूरभाष 011–29961281–283, 26051061, 26051064
टेलीफैक्स: 011–29961284
ईमेल: beetalrta@gmail.com,beetal@beetalfinancial.com

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
यूनियन बैंक आफ इंडिया
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
एक्सिस बैंक
इंडसइंड बैंक लिमिटेड
पंजाब नैशनल बैंक
केनरा बैंक
बैंक आफ बड़ौदा
बैंक आफ इंडिया

शेयर और बांड्स निम्नलिखित में सूचीबद्ध है:
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

निक्षेपागार:
नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिस्ट्री लिमिटेड
सेंट्रल डिपॉजिट्री सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

Debenture Trustees

For Bond Series XXVIII to XLI, XLIII to LVI and LVIII to LXXII Issue, GoI Bond
IDBI Trusteeship Services Ltd.
Universal Insurance Building, Ground Floor] Sir P.M. Road Fort, Mumbai - 400001
Phone: 022-40807000, Email: **itsl@idbitrustee.com**

सूचना-प्रेषण हेतु दृष्टिकोण

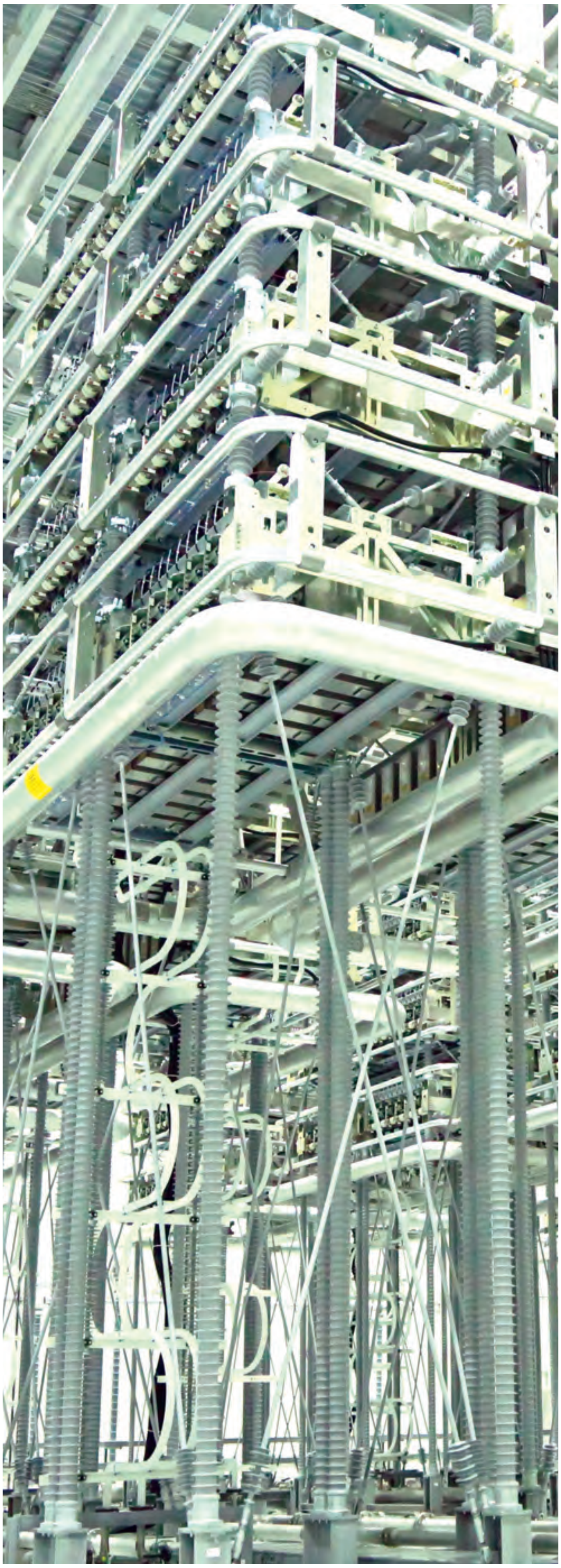

वित्त वर्ष 2022–23 की रिपोर्टिंग अवधि के लिए यह पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली एकीकृत रिपोर्ट है। इस यात्रा को शुरू करने में यह रिपोर्ट हमें अपनी वित्तीय और गैर–वित्तीय कार्यनिष्पादन का संक्षिप्त विवरण देती है जिसने हमारे संधारणीय कारोबारी रणनीति अर्थात् पर्यावरण, सामाजिक, शासन प्रणानी (ईएसजी) जैसे तीन प्रमुख मूलभूत पहलुओं का अनुपालन करने वाले हमारे हितधारकों के लिए लघु और दीर्घकालिक मूल्य दोनों के निर्माण में योगदान दिया है, जो हमारी सतत व्यापार रणनीति के 3 प्रमुख मौलिक पहलुओं, अर्थात पर्यावरण, सामाजिक शासन (ईएसजी) का पालन करते हैं। हम अपनी पहली एकीकृत रिपोर्ट को अपने ठोस प्रयासों को प्रतिबिंबित करने और संचारित करने के लिए एक प्रतिमान के रूप में मानते हैं जिसके लिए हम पिछले कई वर्षों से प्रभावी और सुसंगत तरीके से कर रहे हैं और हम दृढ़तापूर्वक विश्वास करते हैं कि यह एक ज्ञानवर्धक यात्रा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद (आईआईआरसी) द्वारा तैयार अंतरराष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग <आईआर> कार्यढांचा के साथ संरेखित है। इसके अतिरिक्त यह रिपोर्ट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित जीआरआई मानकों (2021) और व्यापार उत्तरदायित्व और संधारणीय रिपोर्ट (बीआरएसआर) आवश्यकताओं के संदर्भ में संरेखित है। हमारी एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट वास्तविक विषयों और हमारे हितधारकों के साथ हमारे संबंधों पर मात्रात्मक और गुणात्मक प्रकटीकरण प्रदान करती है।

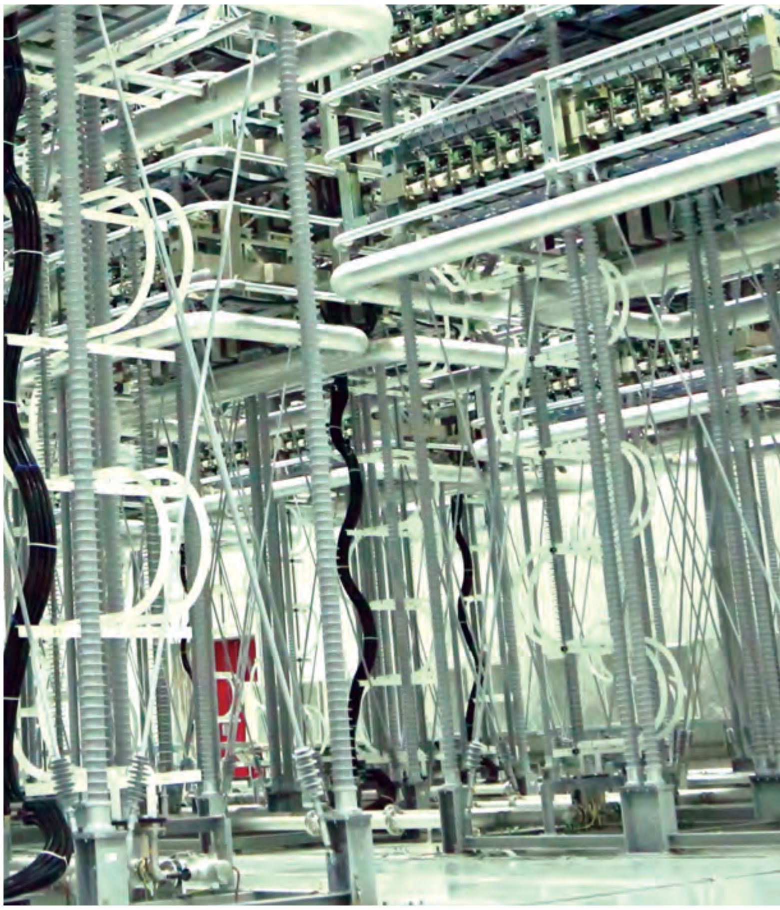

दायरा और सीमा संबंधी रिपोर्टिंग

दायरा और सीमाः इस कंपनी के वित्तीय विवरण और प्रकटीकरण, जिसमें निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, और कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट शामिल हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों, भारतीय लेखा मानकों और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 का अनुपालन करते हैं। गैर–वित्तीय अनुभाग अंतरराष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद (अब मूल्य रिपोर्टिंग फाउंडेशन) के मार्गदर्शन के साथ अंतरराष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग ढांचे द्वारा निर्देशित है। प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) मानकों के संदर्भ में तैयार किए जाते हैं। कारोबार उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के जिम्मेदार व्यवसायिक आचरण संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को संदर्भित करती है, जो व्यवसायों की पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन उत्तरदायित्वों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास लक्ष्यों (यूएनएसडीजी) के साथ संरेखित है।

इस रिपोर्टिंग अवधि के लिए पावरग्रिड के सभी गैर–वित्तीय पहलुओं में समेकित आधार पर पावरग्रिड की व्यावसायिक कार्यकलापों को शामिल किया गया है। (इस रिपोर्टिंग अवधि के लिए केवल पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को शामिल किया गया है और संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है)। तथापि, किसी गणना/रिपोर्टिंग के लिए जहां कहीं भी वित्तीय निष्पादन पर विचार किया जाता है, समेकित आधार पर किया गया है जिसमें सभी संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनियां और सहयोगी शामिल हैं।

रिपोर्टिंग अवधि

इस एकीकृत रिपोर्ट में 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय और गैर–वित्तीय कार्यनिष्पादन को शामिल किया गया है। कतिपय प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के लिए पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है ताकि निष्पादन रुझान प्राप्त हो सके।

भावी परिदृश्य संबंधी विवरण

इस रिपोर्ट में कुछ भावी परिदृश्य संबंधी टिप्पणियां हो सकती हैं। ये अनुमान भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों, किए जाने वाले कार्यों और घटनाओं के बारे में हमारी वर्तमान अपेक्षाओं, इरादों और विश्वासों पर आधारित हैं। "विश्वास," "योजना," "पूर्वानुमान" "जारी रखें," "अनुमान," "अपेक्षा," "हो सकता है," "इच्छा," या इसी तरह के अन्य शब्दों जैसे अग्रगामी शब्दों का उपयोग आमतौर पर ऐसे बयानों की पहचान करने के लिए किया जाता है। मान्यताओं या अन्य सहायक जानकारी का प्रकटीकरण एक अग्रगामी वक्तव्य में शामिल किया जा सकता है। इन अनुमानों या आधारों को हमारे द्वारा विश्वास के साथ चुना गया, और हमें लगता है कि वे सभी प्रासंगिक तरीकों से उचित हैं।

हालांकि, हम आपको सावधान करते हैं कि भावी परिदृश्य संबंधी विवरण और अनुमानित तथ्यों या आधारों और वास्तविक परिणामों द्वारा निहित परिणाम लगभग हमेशा भिन्न होते हैं, तथा भावी परिदृश्य संबंधी विवरण और अनुमानित तथ्यों या आधारों और वास्तविक परिणामों द्वारा निहित परिणामों के बीच अंतर, परिस्थितियों के आधार परए वास्तविक हो सकते हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हम जो भी भावी परिदृश्य संबंधी विवरण देते हैं, चाहे वह इस रिपोर्ट में हो या कहीं और, केवल उसी समय लागू होता है जब इसे दिया गया था। हम भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं या वे हमें कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इस प्रकार हमेशा नई चुनौतियां और अनिश्चितताएं होती हैं। इस रिपोर्ट की तारीख के बाद हम किसी भी भावी परिदृश्य संबंधी विवरण को अद्यतन या संशोधित करने के लिए बाध्य नहीं हैं, और ऐसा करने की हमारी कोई योजना नहीं है। इस रिपोर्ट या अन्य जगहों पर दिए किसी भी भावी परिदृश्य संबंधी विवरण को एक अतिरिक्त प्रकटीकरण के साथ समझा और व्याख्या किया जाना चाहिए, क्योंकि यह इन जोखिमों और अनिश्चितताओं को देखते हुए हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है।

समीक्षाधीन वर्ष

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की ओर से शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारक,

आप सभी को मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं।

मुझे आप तक पहुंचने तथा एक और वर्ष के लिए आपकी कंपनी द्वारा शानदार सर्वोन्मुखी कार्यनिष्पादन संबंधी जानकारी साझा करने में खुशी हो रही है।

2022–23 के दौरान, पावरग्रिड ने 2,972 सर्किट किमी अतिरिक्त हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें, 28,990 मेगा वोल्ट एम्पीयर ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता और 9 नए उपकेंद्र जोड़े। कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें अंतर–राज्यीय खंड में 400 केवी डी/सी जीराट (नई)–सुभाषग्राम लाइन 400 केवी डी/सी लोअर सुभानश्री–विश्वनाथ चरियाली लाइन–1, 400 केवी डी/सी मोहिंदरगढ़–भिवानी लाइन आदि और मध्य प्रदेश में भिंड–गुना ट्रांसमिशन सिस्टम, इंट्रास्टेट सेगमेंट में यूपी में रामपुर–संभल ट्रांसमिशन सिस्टम शामिल हैं। देश में पहली बार आपकी कंपनी ने 2022. 23 के दौरान चंडीगढ़ में एक ग्रीन फील्ड डिजिटल 220/66 केवी उपकेंद्र शुरू किया। कंपनी ने वर्ष के दौरान समेकित आधार पर 9,212 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया और 7,413 करोड़ रुपये की आस्तियों का पूंजीकरण किया।

परिचालन के मोर्चे पर 99.82% की ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता हासिल की गई थी और वर्ष के दौरान प्रति लाइन ट्रिपिंग घटकर 0.27 हो गई थी। ये उपलब्धियां परिचालन प्रदर्शन के उच्च स्तर पर लगातार एक बड़े और जटिल ट्रांसमिशन नेटवर्क को बना, रखने के लिए आपकी कंपनी की क्षमताओं को प्रदर्शित करती हैं। फरवरी 2023 में प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय ट्रांसमिशन ऑपरेशन और रखरखाव अध्ययन में, आपकी कंपनी को ट्रांसमिशन लाइन और उपकेंद्र रख–रखाव दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ निष्पादक (उच्च प्रदर्शन और कम लागत) और ट्रांसफार्मर रखरखाव में सर्वश्रेष्ठ के रूप में मान्यता दी गई है। बढ़ती साइबर सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, नेटवर्क यातायात की निगरानी के लिए एक साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित किया गया है।

वर्ष 2022–23 के लिए आपकी कंपनी की समेकित आय ₹46,605 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% अधिक थी। वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ ₹15,417 करोड़ था, जो कि असाधारण मदों को छोड़कर, पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। हमने ₹10 प्रति

शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है और भुगतान किया है तथा ₹4.75 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, जिसका भुगतान आपके अनुमोदन पर किया जाएगा। कुल लाभांश भुगतान पिछले वर्ष के 60% से बढ़कर 67% हो गया है, जो लाभांश भुगतान को संतुलित करने और विकास के लिए आय को बना, रखने की हमारी नीति के साथ संरेखित है।

विकास के लिए हमारे प्रयास पारंपरिक ट्रांसमिशन व्यवसाय के साथ–साथ नए क्षेत्रों में भी सफल रहे हैं। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी 11 अंतर–राज्य परियोजनाओं को हासिल करने में सफल रही है और द्विपक्षीय आधार पर एक समर्पित ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास के लिए एक बड़े उद्योग के साथ एक समझौता किया है। स्मार्ट मीटरिंग खंड में, आपकी कंपनी डीबीएफओओटी मॉडल के तहत 67 लाख मीटर से अधिक की स्थापना के लिए गुजरात डिस्कॉम (एमवीवीएनएल और यूजीवीएनएल) से अधिदेश प्राप्त करने में सफल रही है। आपकी कंपनी ने नागदा, मध्य प्रदेश में 85 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए निवेश को भी मंजूरी दे दी है, जो हमारी कैप्टिव जरूरतों के साथ–साथ एक्सचेंजों के माध्यम से बिक्री के लिए बिजली प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त, 2030 तक गैर–जीवाश्म स्रोतों के माध्यम से 50% बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए हमारे देश की प्रतिबद्धता और समग्र ऊर्जा मिश्रण में बिजली की बढ़ती हिस्सेदारी के लिए अंतर–राज्य और अंतर–राज्य दोनों स्तरों पर ट्रांसमिशन नेटवर्क में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी। ग्रीन हाइड्रोजन में बढ़ती रुचि और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का एक प्रमुख निर्यातक बनाने की योजना से इसे और बल मिलेगा। अगले 12 महीनों में बोली के लिए कई ट्रांसमिशन परियोजनाओं की पेशकश किए जाने की उम्मीद है और आपकी कंपनी इस खंड में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देशों के साथ सीमा–पार अंतर–संबंध तथा आसियान देशों के साथ अंतःसंपर्क में सुधार होगा और विकास के अवसर प्रदान करेगा। आपकी कंपनी ने गोरखपुर–न्यू बुटवल ट्रांसमिशन लिंक के भारतीय हिस्से को स्थापित करने के लिए नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस परियोजना की आधारशिला भारत और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा रखी गई थी। अफ्रीका और अन्य उभरते देशों में पारेषण अवसंरचना के विकास में निवेश किया जा रहा है और इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है, विशेष रूप से केन्या में जहां आपकी कंपनी ने अफ्रीका 50 के साथ भागीदारी की है।

नेटवर्क पहुंच और राजस्व दोनों के मामले में आपकी कंपनी का टेलीसर्विसेज व्यवसाय भी बढ़ रहा है। आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पावरग्रिड टेली सर्विसेज लिमिटेड (पावरटेल) ने अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) सेवाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया है और दूरसंचार कारोबार को पावरटेल में अलग करने के लिए व्यापार अंतरण करार भी निष्पादित कर दिया गया है।

आपकी कंपनी को हमारे देश की ऊर्जा संक्रमण यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण के लिए एक मजबूत, और लचीले ग्रिड की आवश्यकता होगी। मुझे विश्वास है कि अपने विशाल अनुभव, प्रतिबद्ध और कुशल जनशक्ति और वित्तीय ताकत के साथ, आपकी कंपनी भारतीय ट्रांसमिशन क्षेत्र में अग्रणी बनी रहेगी और भारत के ऊर्जा संक्रमण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। **कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, आपकी कंपनी 2025 तक नवीकरणीय स्रोतों से अपनी ऊर्जा का 50% सोर्सिंग करने, 2030 तक जल का प्रभावी उपयोग करने और 2047 तक निवल शून्य कंपनी बनने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2022–23 के लिए अपनी पहली एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट (आईएआर) प्रकाशित की है और रिपोर्टिंग प्रकटीकरण को वैश्विक कार्यढांचे के समान संरेखित किया है।**

पावरग्रिड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं प्रबंधन पर विश्वास जताने और निरंतर समर्थन देने के लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

अपने सम्मानित शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन उत्पन्न करने और सेवाएं देने हेतु आभार व्यक्त करता हूँ।

भवदीय,

(के. श्रीकांत)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 6 अगस्तः 2023
स्थानरू गुरुग्राम

आकांक्षी

हमारा विजन

विश्वसनीयता, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उभरते विद्युत बाजारों में प्रमुख नेतृत्व सहित विश्वस्तरीय, एकीकृत, वैश्विक ट्रांसमिशन कंपनी बनना।

हमारा मिशन

हम विश्व स्तरीय क्षमताओं के साथ उभरते विद्युत बाजारों में प्रमुख नेतृत्व के साथ एक वैश्विक ट्रांसमिशन कंपनी बन जाएंगे:

- **विश्व स्तरीय:** पूंजी प्रबंधन और स्वयं के लिए संचालन में बेहतर मानकों की स्थापना द्वारा।
- **वैश्विक:** भारत और उभरती और बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सभी हितधारकों के लिए लगातार अधिकतम मूल्य उत्पन्न करने के लिए क्षमताओं का लाभ उठा कर।
- अगली पीढ़ी के पेशेवरों का पोषण और सशक्तिकरण कर
- **नवाचार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी** के माध्यम से निरंतर सुधार प्राप्त कर
- **स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण** में उच्चतम मानकों को स्थापित कर

हमारा महत्व

- बेहतर करने का उत्साह और परिवर्तन के प्रति अभिरुचि
- सभी मामलों में निष्ठा और निष्पक्षता
- लोगों की गरिमा और क्षमता का सम्मान
- प्रतिबद्धता के प्रति कठोर अनुपालन
- त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना
- अधिगत, रचनात्मकता और टीमवर्क को बढ़ावा देना
- पावरग्रिड में निष्ठा और गौरव

प्रस्तावना

पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में

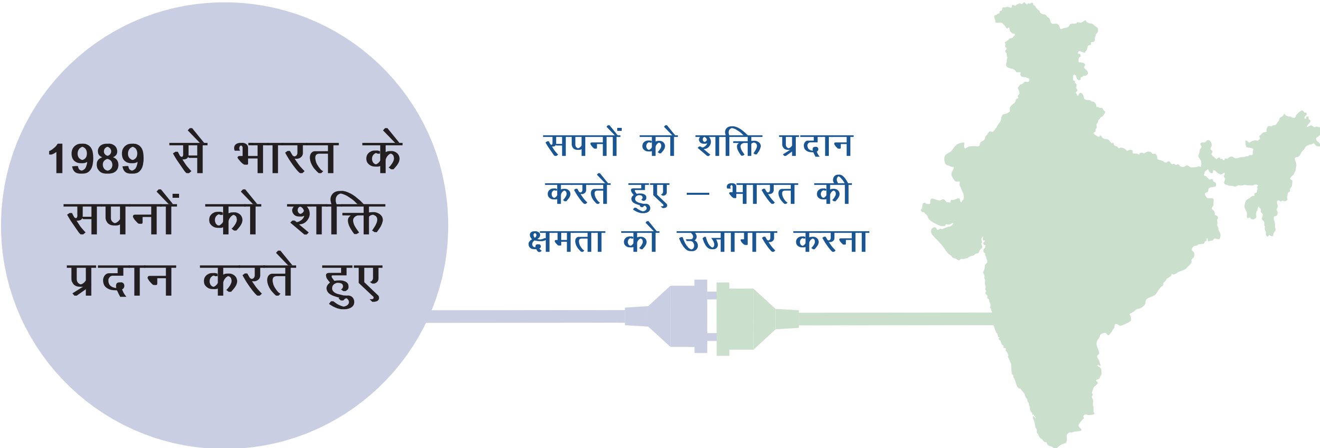

"भारतीय सपनों को शक्ति प्रदान करना" एक दूरदर्शी अवतार है, जो विद्युत के प्रावधान के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति और व्यापक विकास प्राप्त करने के लिए भारत के अटूट दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। यह राष्ट्र की आकांक्षाओं को समाहित करता है, सशक्तिकरण के विचार का प्रतीक है और भारत की पूरी क्षमता का उपयोग करता है।

1989 में 5000 करोड़ रूपए की अधिकृत पूंजी के साथ स्थापित' पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड), जिसे पहले नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (एनपीटीसी) के नाम से जाना जाता था, भारतीय विद्युत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में उभरा है। अपनी स्थापना के बाद से, पावरग्रिड एक परिवर्तनकारी बल के रूप में विकसित हुआ है, जो प्रगति और कनेक्टिविटी के परिदृश्य को आकार दे रहा है। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित अपने मुख्यालय के साथ, पावरग्रिड एक प्रेरणादायक प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो पूरे देश में अपने परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रसारित करता है। परिचालन उत्कृष्टता की अपनी खोज में निगम ने रणनीतिक रूप से कई क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है, जो अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध संचालन को सक्षम करते हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय पावरग्रिड के परिचालन कौशल की नींव के रूप में काम करते हैं, और कुशल बिजली ट्रांसमिशन की सुविधा प्रदान करते हैं और एक मजबूत बिजली पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देते हैं।

भारत की उभरती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित, पावरग्रिड ने एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है जो पूरे देश में गुंजायमान है। विद्युत ग्रिड के सावधानीपूर्वक एकीकरण और ट्रांसमिशन अवसंरचना के विस्तार के माध्यम से, पावरग्रिड ने ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों का एक दुर्जेय टेपेस्ट्री बनाया है। यह परस्पर जुड़ा हुआ ग्रिड उद्योगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परिवारों को सशक्त बनाता है, और भारत की दूरगामी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। पावरग्रिड के दृष्टिकोण के मूल में एक समृद्ध भविष्य का वादा निहित है। यह एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता है जहां उद्योग फलते–फूलते हैं, ग्रामीण समुदाय फलते–फूलते हैं, और संधारणीय कार्यप्रणाली अत्याधुनिक नवाचार के साथ सहज रूप से जुड़ी होती हैं। विश्वसनीय और सुलभ बिजली प्रदान करके, पावरग्रिड हर भारतीय को सशक्त बनाता है, एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जहां आकांक्षाएं बढ़ती हैं और राष्ट्र की वास्तविक क्षमता सामने आती है।

पावरग्रिड की यात्रा 1989 में एक दृढ़ लक्ष्य के साथ शुरू हुई – बिजली क्षेत्र में विशेषज्ञता को इकटठा करना, ईएचवी लाइन डिजाइन, निर्माण, रखरखाव और संचालन में बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ प्राप्त करना, और ट्रांसमिशन लाइन निर्माण कार्यक्रमों के समय पर और लागत प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। इन वर्षों में, निगम ने इन उद्देश्यों को पूरा करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। तकनीकी प्रगति को अपनाते हुए और बिजली क्षेत्र के गतिशील विकास को हासिल करते हुए, पावरग्रिड ने अपने परिचालन का विस्तार किया है, आर्थिक बिजली विनिमय की सुविधा प्रदान की है और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास का समर्थन किया है। लोड डिस्पैच और स्वचालित उत्पादन नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकियों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपनाने के माध्यम से, पावरग्रिड ने अपने संचालन की दक्षता में काफी वृद्धि की है।

पावरग्रिड की यात्रा कम असाधारण नहीं रही है। उच्च वोल्टेज

ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रबंधन करने के लिए एक पहल के रूप 1989 में जो शुरू हुआ, वह अब भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी में बदल गया है, जिसे गर्व से भारत सरकार द्वारा ''महारत्न'' की उपाधि प्रदान की गयी है। इस अभूतपूर्व विकास को अटूट दृढ़ता, लचीलापन और निरंतर सुधार के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता से बढ़ावा मिला है। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, पावरग्रिड अपार वादे और अवसर के लिए तैयार है। विद्युत क्षेत्र का विकास जारी है और पावरग्रिड समय पर विद्युत वितरण और उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। पावरग्रिड भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने, लाखों लोगों के सपनों को सशक्त बनाने और राष्ट्र को एक उज्ज्वल और अधिक समृद्ध कल की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पावरग्रिड की प्रेरक गाथा में आपका स्वागत है, जहां सपने सीमाएं लांघते हैं, और बिजली की शक्ति एक परिवर्तित भारत की यात्रा को बढ़ावा देती है। आइए हम सब मिलकर इस असाधारण यात्रा की शुरुआत करें, क्योंकि हम अपने राष्ट्र की वास्तविक क्षमता का दोहन करते हैं और प्रगति के पटल पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं।

मूल्य सृजन का हमारा इतिहास – शक्तियां सृजित करना

पावरग्रिड ने भारतीय विद्युत क्षेत्र में मूल्य सृजन की उल्लेखनीय यात्रा शुरू की है। पावरग्रिड अपने कुशल और विश्वसनीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से, बिजली की सुचारू और निर्बाध आपूर्ति की सुविधा प्रदान कर रहा है, आर्थिक विकास को शक्ति प्रदान कर रहा है और लाखों भारतीयों के जीवन में सुधार कर रहा है। अपने मुख्य ट्रांसमिशन व्यवसाय के साथ, इसने दूरसंचार और परामर्श सेवाओं में विविधता लाई है, जिससे इसके मूल्य प्रस्ताव का विस्तार हुआ है।

यहां 3 दशकों के दौरान हमारी यात्रा के मुख्य तीन उपलब्धियों का अवलोकन

2008

नवरत्न का दर्जा मिला

2010

प्रथम फॉलो–ऑन पब्लिक आफर

वर्ष 2008–09 के लिए प्रथम स्टैंडअलोन संधारणीय रिपोर्ट

2012

टेस्ट चार्जज्ड पायलट 1200केवी लाइन

2013

''एक राष्ट्र–एक ग्रिड–एक आवृत्ति'' का लक्ष्य हासिल हुआ

दूसरा फॉलो ऑन पब्लिक आफर

2014

विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती ऊर्जा उपयोगिता का दर्जा प्राप्त हुआ (शीर्ष 250 ऊर्जा कंपनियों में स्थान प्राप्त हुआ)

2007

प्रथम 765केवी लाइन और प्रथम जीआईएस

शुरूआती पब्लिक आफरिंग

एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध

1998

मिनीरत्न का दर्जा हासिल हुआ

पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रिया (ईएसपीपी) को अपनाया गया।

1989

कंपनी को निगमित किया गया

2015

राष्ट्रीय ट्रांसमिशन आस्ति प्रबंधन केंद्र (एनटीएएमसी)

भारत में 800 केवी एचवीडीसी को शुरू किया गया।

2019

महारत्न का दर्जा हासिल हुआ

2020

परंपरागत उपकेंद्र के रेट्रो फिटिंग द्वारा प्रथम 400केवी डिजिटल उपकेंद्र शुरू किया गया।

2021

सीपीएसई द्वारा प्रथम अवसंरचना निवेश न्यास

भारत में वीएससी आधारित एचवीडीसी प्रौद्योगिकी को अपनाया गया।

2022

नियमित सिंथेटिक मिनरल ऑयल के बदले सुरक्षित और हरित प्राकृतिक ईस्टर ऑयल के साथ विश्व का पहला 400केवी रियेक्टर

निर्बाध बिजली आपूर्ति भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो एक मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क द्वारा समर्थित है। हमारे कठोर प्रयासों के माध्यम से, हम एक ऐसी दृष्टि को बढ़ावा देने में सक्षम हुए हैं जो राष्ट्र–निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। **हम 174, 113 सर्किट किलोमीटर (सीकेएमएस) के नेटवर्क के साथ भारत की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी हैं,** जो लगभग 4,99,362 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमवीए) की विद्युत ट्रांसमिशन क्षमता और संपूर्ण देश में 272 सबस्टेशनों के साथ फैले हुए हैं।

पावरग्रिड में हमने ''एक राष्ट्र–एक ग्रिड–एक आवृत्ति'' के राष्ट्र के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण सभी वितरित क्षेत्रीय ग्रिडों का सिंक्रनाइज़ेशन हुआ है। हमारे प्रयास स्थिरता के लक्ष्य के साथ संरेखित हैं क्योंकि यह संसाधन–केंद्रित क्षेत्रों से लोड–केंद्रित क्षेत्रों में बिजली स्थानांतरित करके सीमित प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग को सक्षम बनाता है।

हम भारतीय बिजली उद्योग की संधारणीय उन्नति और परिवर्तन के लिए समर्पित हैं और राष्ट्रीय ग्रिड में सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण का हिस्सा रहे हैं। नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, हमने इसके समग्र पारिस्थितिक प्रभाव को कम करते हुए पारेषण प्रणाली की दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास में अपने निवेश को भी बढ़ाया है।

सबसे आगे से नेतृत्व करते हुए और अपने दशकों के अनुभव का लाभ उठाते हुए, हमने एक अनूठी तकनीकी विशेषज्ञता का निर्माण किया है और यह देश के सबसे कठिन इलाकों में चुनौतीपूर्ण ट्रांसमिशन परियोजनाओं को लागू करने में हमारी क्षमता में प्रदर्शित है। **हमारा व्यापार संचालन तीन खंडों में वितरित है, पारेषण दूरसंचार और परामर्श। पारेषण संबंधी व्यापार खंड मुख्य रूप से परिचालन से होने वाले कुल राजस्व का 97% से अधिक है।**

765केवी बरेली उपकेंद्र

हमारा व्यापार

पारेषण

दूरसंचार

परामर्श कार्य

नया व्यापार

पारेषण संबंधी व्यापार

हमारे प्रचालनों के मूल में विद्युत पारेषण प्रणाली की महत्वपूर्णता निहित है, जो उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदान करने और उत्पादन स्टेशनों तथा वितरण नेटवर्क के बीच की खाई को पाटने के लिए महत्वपूर्ण पुल के रूप में कार्य करती है। अपनी स्थापना के बाद से, हमने एक मजबूत पारेषण प्रणाली को विकसित करने और मजबूत करने के लिए एक दृढ़ मिशन शुरू किया है, जो एक एकीकृत ग्रिड की विशेषता है जो ''एक राष्ट्र–एक ग्रिड–एक आवृत्ति'' की एक दूरदर्शी अवधारणा एक विलक्षण आवृत्ति का दावा करता है। यह क्रांतिकारी दृष्टिकोण देश के किसी भी कोने से दूर–दूर के उपभोक्ताओं को उत्पादित बिजली के निर्बाध संचरण की सुविधा प्रदान करता है।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारी पारेषण प्रणाली की मजबूती और हमारे राष्ट्रीय ग्रिड का एकीकरण देश को उसके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और ऐतिहासिक पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। **स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को गले लगाते हुए, हम वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता को एकीकृत करने के भारत के कार्य में योगदान देकर प्रसन्न हैं।** इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने अंतर–राज्य और राज्य के भीतर पारेषण परिचालनों के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) ढांचे द्वारा प्रस्तुत असीम अवसरों का उत्साहपूर्वक पता लगाते हैं।

राष्ट्रीय उद्देश्य के प्रति हमारे अटूट समर्पण में, हम लगातार कुशल और आगे की सोच वाले व्यावसायिक विकल्प बनाने का प्रयास करते हैं, रणनीतिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटर के लिए पारेषण प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ाने की दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इस क्षेत्र में उभरती व्यावसायिक संभावनाओं को स्वीकार करते हुए, हम मजबूत इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों (ट्रांसको) के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए हैं।

उद्देश्य और प्रतिबद्धता की गहरी भावना से प्रेरित, हम राष्ट्र को संधारणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित भविष्य की ओर ले जाने की अपनी खोज में दृढ़ हैं। हमारे द्वारा उठा, गए प्रत्येक कदम के साथ, हम एक लचीला और गतिशील ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ हैं, जो राष्ट्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने और नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती में भारत की दुर्जेय प्रगति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।

दूरसंचार व्यापार

चूंकि भारतीय परिदृश्य में एक शानदार परिवर्तन हो रहा है, जो डिजिटल–फर्स्ट अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के लिए तैयार है, इसलिए दूरसंचार सेवाओं की मांग अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई है। इस महत्वपूर्ण बदलाव को स्वीकार करते हुए पावरग्रिड में हमने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को मजबूत करते हुए और पर्याप्त आर्थिक महत्व को सृजित करते हुए कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरूआत करने के लिए अपने सुनियोजित ट्रांसमिशन अवसंरचना की क्षमता का उपयोग किया है।

दूरसंचार कारोबार में पावरग्रिड अपने ब्रांड नाम ''पावरटेल'' के साथ पावर ट्रांसमिशन लाइनों पर ऑप्टिकल ग्राउंड वायर का उपयोग करके पूरे भारत में ओवरहेड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क संचालित कर रहा है और मोबाइल संचार के लिए ट्रांसमिशन टावरों की पेशकश कर रहा है। अद्वितीय दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता के साथ, हमने एक अत्याधुनिक फाइबर ऑप्टिक–आधारित संचार नेटवर्क को निपुण रूप से तैनात किया है, जो **पूरे देश में 82,294 किलोमीटर, जिसमें 3000 से अधिक स्थान पर निर्बाध रूप से फैला हुआ है।** हमारे दृढ़ प्रयासों ने भौगोलिक बाधाओं को पार कर लिया है, यहां तक कि लेह, लद्दाख के ऊबड़–खावड़ और मनोहारी उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों के ऊबड़–खाबड़ इलाकों सहित अपनी प्यारी भूमि के दूरदराज के कोनों तक भी पहुंच गए हैं।

यह व्यापक और विश्वसनीय दूरसंचार नेटवर्क हमारे सम्मानित हितधारकों के लिए विश्वसनीयता और दक्षता का एक प्रकाश स्तंभ रहा है, जो उनके संचालन और उनके विकास को आगे बढ़ा रहा है।

अपनी मजबूत अवसंरचना के कारण, हमने गर्व से सरकारी विभागों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और सम्मानित वैश्विक उद्यमों सहित उपभोक्ताओं की विविध दूरसंचार सेवा आवश्यकताओं को पूरा किया है। प्रगति के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ अपनी अमूल्य साझेदारी, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) और अग्रणी भारत नेट परियोजनाओं जैसे परिवर्तनकारी प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेकर और अधिक बढ़ाया है।

अपने अटूट समर्पण से उत्साहित, हम लगातार विकसित हो रहे दूरसंचार खंड के भीतर विविध व्यावसायिक अवसरों का लगातार पता लगा रहे हैं। हमारे दृष्टिकोण में अत्याधुनिक डेटा केंद्रों की स्थापना शामिल है, जो डिजिटल अवसंरचना के दायरे को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। इसके अलावा, हम अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) बैंडविड्थ कारोबार के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, ताकि नई सीमाओं का निर्माण किया जा सके और वैश्विक मंच पर अपने छाप का विस्तार कर सकें। इस प्रगतिशील प्रक्षेपवक्र के संरेखण में, हमने मानेसर, गुरुग्राम में एक पायलट डेटा सेंटर की स्थापना शुरू की है, जो हमारी शानदार यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

दूरसंचार उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, हमने स्थापित मार्गों के साथ इसकी बैंडविड्थ क्षमता को बढ़ाते हुए अपने भारत–व्यापी दूरसंचार नेटवर्क को मजबूत किया है, और इस प्रकार अद्वितीय संपर्क की क्षमता को बढ़ाया है।

हर कदम के साथ, हम भारत की डिजिटल क्रांति, प्रगति और सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

परामर्शदात्री कारोबार

डोमेन–विशिष्ट ज्ञान में गहराई से निहित, हमने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों के भीतर एक नई सीमा – परामर्श कार्य शुरू किया है। **हमारे अत्यधिक निपुण पेशेवरों के सामूहिक ज्ञान और अद्वितीय कौशल का उपयोग करते हुए, हमने 23 देशों तक अपनी पहुंच का विस्तार किया है, साथ ही साथ उत्कृष्ट सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) ढांचे के तहत विद्युत ट्रांसमिशन के अवसरचना के विकास सहित अभिनव समाधान प्रदान करते हुए अपने वैश्विक फुटप्रिंट का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है।** अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हम पीपीपी मॉडल पर अफ्रीका–50 के साथ संयुक्त रूप से केन्या और तंजानिया में ट्रांसमिशन परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं।

पारेषण और वितरण के सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय प्रदर्शन प्राप्त करने के अभियान द्वारा निर्देशित, हमने अपनी विशेषज्ञता को अन्य हितधारकों जैसे राज्य उपयोगिताओं, सीपीएसईए निजी डेवलपर्स आदि तक बढ़ाया है, जिससे उन्हें परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद मिली है।

हम दुनिया भर में उपलब्ध तकनीकी समाधानों को जल्द से जल्द अपनाने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से ट्रांसमिशन में, और सफलतापूर्वक परिचालन और वाणिज्यिक दक्षता के सर्वोत्तम प्रचलन को उनके वाणिज्यिक रोल आउट का प्रदर्शन किया है। इन प्रयासों से भारतीय ट्रांसमिशन क्षेत्र के विकास में आमूल–चूल परिवर्तन करने में मदद मिली है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय ग्रिड का एकीकरण हुआ है। हम वितरण स्मार्ट मीटरिंग के अवसंरचना के निर्माण के साथ–साथ अंतर–राज्य प्रणाली के विकास के लिए विभिन्न राज्य ट्रांसकौ, बिजली उपयोगिताओं और डिस्कॉम के साथ जुड़ रहे हैं।

बड़ी और जटिल ट्रांसमिशन अवसंरचना परियोजनाओं के प्रबंधन की हमारी क्षमता को पहचाना गया है और हम देश भर में लचीली ट्रांसमिशन अवसंरचना के सृजन में भारत सरकार और राज्य सरकारों की प्रमुख योजनाओं को तकनीकी प्रबंधकीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस तरह के सहयोग को आगे भी जारी रखा जाएगा क्योंकि राष्ट्र वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर–जीवाश्म आधारित उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

केन्या में अफ्रीका की प्रथम पारेषण पीपीपी परियोजना का संचालन करने के लिए पावरग्रिड और अफ्रीका 50 का संयुक्त विकास समझौता

नए कारोबारी क्षेत्र

पावरग्रिड में, हम अपने दरवाजे खोलने और जुनूनए नवाचार और उत्कृष्टता के साथ अपने समुदाय की सेवा करने के लिए रोमांचित हैं। हम असाधारण सेवाएं प्रदान करने और अपने प्रत्येक मूल्यवान उपभोक्ता के लिए एक यादगार अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्मार्ट ग्रिड एक मंच प्रदान करता है जहां प्रौद्योगिकी संधारणीय ऊर्जा प्रबंधन को पूरा करती है। यह एक बुद्धिमान और परस्पर विद्युत प्रणाली है जो ऊर्जा दक्षता, विश्वसनीयता और लागत प्रभावशीलता को अनुकूलित करने के लिए डिजिटल संचारए स्वचालन और डिजिटल विश्लेषण का लाभ उठाती है। स्मार्ट ग्रिड बिजली आउटेज को जल्दी से पहचानने और हल करने, ऊर्जा वितरण को अनुकूलित करने और डाउनटाइम को कम करके ग्रिड विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) एक स्वचालन है जहां अत्याधुनिक तकनीक ऊर्जा कुशल प्रबंधन को पूरा करती है। ये सिस्टम कम मांग के समय अतिरिक्त ऊर्जा को स्टोर करने के लिए रिचार्जेबल बैटरी का उपयोग करते हैं और मांग अधिक होने पर इसे डिस्चार्ज करते हैं, जिससे ग्रिडए व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। सौर विद्युत उत्पादन में सूर्य की प्रचुर ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है ताकि स्वच्छ और नवीकरणीय विद्युत प्रदान की जा सके। यह परंपरागत जीवाश्म ईंधन स्रोतों के विकल्प के रूप में संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल विकल्प देते हुए ऊर्जा उत्पादन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में मुख्य बदलाव को प्रस्तुत करता है और जो हमारे कार्बन छाप को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है।

सौर ऊर्जा परियोजना का एकीकरण व्यापक ऊर्जा परिदृश्य में सौर ऊर्जा को शामिल करने, इसकी क्षमता को अधिकतम करने और इसके लाभों को अनुकूलित करने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रिड स्थिरता और विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है। समर्पित ट्रांसमिशन प्रणाली विशेष रूप से सरकारी, निजी उपयोगिताओं और अन्य थोक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वसनीय और कुशल बिजली आपूर्ति प्रदान करती है। इन प्रणालियों को उच्च भार और विशेष वोल्टेज आवश्यकताओं को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि उनके संचालन का समर्थन करने के लिए एक विश्वसनीय और स्थिर रूप में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

हम अपनी घरेलू परामर्श के भाग के रूप में निजी कंपनियों के लिए पारेषण प्रणाली का निर्माण भी कर रहे हैं। पावरग्रिड डिजाइनए निर्माण, वित्त, स्वामित्वए प्रचालनए हस्तांतरण (डीबीएफओटी) मॉडल के तहत स्मार्ट मीटरों की स्थापना के लिए संभावित डिस्कॉम के साथ भी बातचीत कर रहा है।

व्यापार की अपनी नई लाइनों के माध्यम से, हम लगातार अपने ग्राहकों की आने वाली जरूरतों को पूरा करने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं।

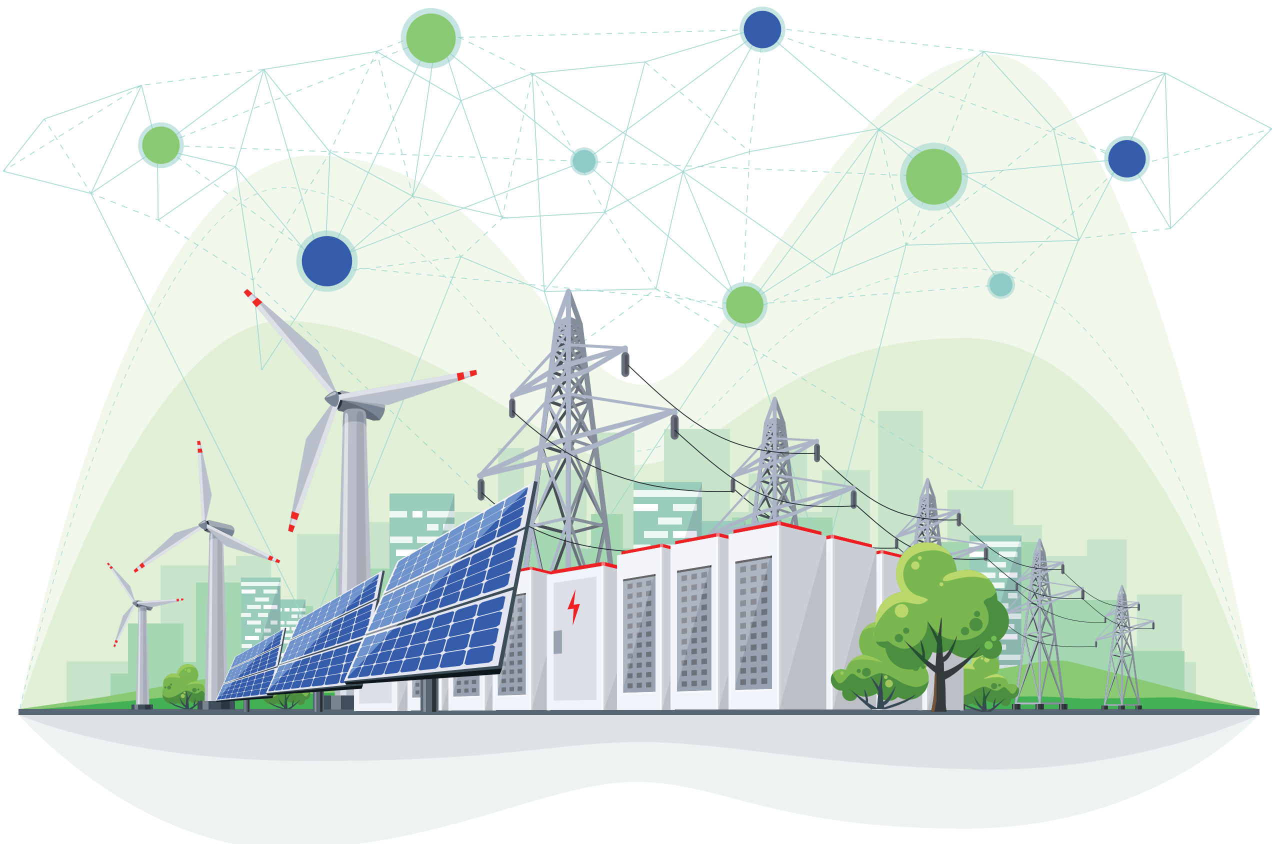

संवहनीय भविष्य के लिए ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व

इतिहास के इस निर्णायक क्षण में, एक संधारणीय ऊर्जा भविष्य की दिशा में यात्रा हमारी पीढ़ी के लिए निर्णायक मिशन बन गई है। पावरग्रिड में, हम इस परिवर्तनकारी प्रयास में सबसे आगे खड़े हैं, यह मानते हुए कि आज हमारे कार्य आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को आकार देंगे। जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ, हम अपने प्यारे देश के लिए एक स्वच्छ, हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य की शुरुआत करने के लिए एक दृढ़ मार्ग पर अग्रसर हैं।

हमारे द्वारा उठा, गए हर कदम के साथ, हम जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। जैसे–जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हैं, अनिश्चितताओं और कमजोरियों से स्वयं को बचाते हैं। फिर भी, हमारा अनुसरण केवल जीवित रहने से परे है; यह हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता का पोषण करना चाहता है।

चूंकि हम इस असाधारण संक्रमण का मार्गनिर्देशन करते हैं, इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि समनुदेशित कार्य एक व्यापक, समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करता है। हमारी दृष्टि किसी भी इकाई की सीमाओं से परे फैली हुई है; इसके लिए सरकारों,

व्यवसायों, समुदायों और व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है, जो सभी एक सामान्य लक्ष्य की खोज में एकजुट हों। साथ में, हम परिवर्तन की एक संध्वानिका का आयोजन कर रहे हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को सुसंगत बनाता है, ऊर्जा दक्षता को आगे बढ़ाता है, और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाता है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं और सतत विकास को बढ़ावा देते हैं।

दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा निर्देशित और मजबूत नीतिगत ढांचे द्वारा निर्देशित, हम महसूस करते हैं कि पर्याप्त निवेश अपरिहार्य हैं। यह वित्तीय प्रतिबद्धता केवल एक व्यय नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह और उसके निवासियों की भलाई में एक निवेश है। इसके अलावा, अनुसंधान और विकास के लिए हमारा अटल समर्पण हमें अभिनव समाधानों का पता लगाने के लिए सशक्त बनाता है जो हमारे ऊर्जा परिदृश्य के ताने–बाने को फिर से परिभाषित करेंगे।

हमारे मिशन के केंद्र में जुड़ाव का सार निहित है – हितधारकों के साथ जुड़ाव जनता के साथ जुड़ाव और एक उज्जवल कल की क्षमता के साथ जुड़ाव। क्योंकि विचारों, दृष्टिकोणों और आकांक्षाओं के तालमेल में ही बदलाव लाने की सच्ची शक्ति निवास करती है। व्यापक जन जागरूकता और जुड़ाव के माध्यम से, हम परिवर्तन की ज्योति जलाते हैं जो एक स्थायी भविष्य के मार्ग को रोशन करते हैं।

इस डिजिटल युग में, हम अपने प्रयासों को उत्प्रेरित करने के लिए प्रौद्योगिकी की जबरदस्त क्षमता को गले लगाते हैं। डिजिटलीकरण एक परस्पर जुड़े, बुद्धिमान ऊर्जा ग्रिड के पीछे प्रेरणा शक्ति बन जाता है – एक जो दक्षता को अधिकतम करता है, अपशिष्ट को कम करता है और उपभोक्ताओं को अपने ऊर्जा विकल्पों को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है।

ऊर्जा संक्रमण का नेतृत्व करना सिर्फ एक आवश्यकता से अधिक हैय यह लचीलापन, समृद्धि और सद्भाव के समामेलन का निर्माण करने का एक बड़ा अवसर है। यह कार्रवाई का आह्वान है जो हमें अपनी ऊर्जा प्रणालियों को अधिक से अधिक भलाई के लिए बदलने के हमारे सामूहिक दृढ़ संकल्प में एकजुट होने का संकेत देता है।

पावरग्रिड में, हम स्थिरता के मार्ग पर चलने के लिए कृत संकल्प हैं। हम अटूट समर्पण के साथ इन रणनीतियों को लागू करने की प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि यह केवल कार्रवाई के माध्यम से है कि सपने वास्तविकता में बदल जाते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें जो न केवल पर्यावरणीय रूप से संधारणीय हो, बल्कि आर्थिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से न्यायसंगत भी हो। आइए हम एक उज्ज्वल, स्वच्छ और अधिक लचीला कल के वास्तुकार बनें।

तूतीकोरिन जीआईएस

पुरस्कार, सम्मान और प्रमाणपत्र

प्लेट ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार

ब्ैं वतसक स्ंकमत 2022

- 24वें प्लैट्स ग्लोबल एनर्जी अवार्ड्स – कॉर्पोरेट इम्पैक्ट अवार्ड – क्रिटिकल रिस्पांस श्रेणी। पावरग्रिड को सांप्रदायिक, जातिगत, जातीय और आतंकवादी हिंसा के कारण अपने माता–पिता या देखभाल करने वाले मुख्य लोगों को खोने वाले संकटग्रस्त बच्चों को तत्काल सहायता प्रदान करने में उनके योगदान के लिए मान्यता दी गई है।
- सीएसआर वर्ल्ड लीडर 2022 और द ग्रीन ऑर्गनाइजेशनए लंदन, यूके द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार 2022।
- पावर ट्रांसमिशन (केंद्रीय पीएसयू) श्रेणी में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू और सरकारी सम्मेलन 2022।
- 2022 में पावर ट्रांसमिशन और वितरण क्षेत्र में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट भारत की शीर्ष 500 कंपनियां।
- एमएसएमई मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021.22 के दौरान महारत्न सीपीएसई में से पावरग्रिड को महिला एमएसई से उच्चतम खरीद (% वार) के लिए मान्यता दी ।
- सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021.2022 में सकल ब्लॉक, मूल्य संवर्धन, निवल लाभ, निवल मूल्य, लाभांश घोषणा और केंद्रीय राजकोष में योगदान श्रेणियों में सेवा क्षेत्रों में पहला स्थान प्राप्त किया गया।
- जीपीटीडब्ल्यू इंडिया द्वारा शीर्ष 100 में एकमात्र पीएसयू के रूप में अद्वितीय विशिष्टता के साथ इंडिया 2022 में काम करने के लिए शीर्ष 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त ।
- इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा 'महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन–2023' में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ट्रांसमिशन लाइन निरीक्षण के दौरान ली गई टॉवर तस्वीरों से दोष रिपोर्ट की स्वचालित पहचान और तैयारी संबंधी परियोजना को इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम (आईएसजीएफ) द्वारा डायमंड (प्रथम) श्रेणी में दिया गया है।
- 9वें पीएसयू पुरस्कार समारोह में पांच पुरस्कारों यथा सीएसआर लीडर आफ द ईयर, पर्यावरण और स्थिरता, राष्ट्र निर्माण, अनुसंधान और नवाचार तथा गवर्नेंस नाउ द्वारा डिजिटल पीएसयूसे सम्मानित किया गया।
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा "अवसंरचना और निर्माण क्षेत्र" की श्रेणी में वर्ष 2021–22 के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार "सिल्वर शील्ड – वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।
- सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से व्यापक खरीद के लिए सम्मानित किया गया।
- 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली बिजली ट्रांसमिशन उपयोगिता – केंद्रीय क्षेत्र' के लिए सीबीआईपी पुरस्कार।

सीबीआईपी पुरस्कार

डीएंडबी पीएसयू पुरस्कार

डी एंड बी शीर्ष 500 कंपनियां (टीएंडडी)

व्यापक खरीद जैम पोर्टल

गवर्नेंस नॉव

जीपीटीडब्ल्यू इंडिया

भारतीय स्मार्ट ग्रिड फोरम

महिलाओं हेतु ईटी सर्वश्रेष्ठ संगठन.2023

सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

प्रमाणपत्र

- आईएसओ 50001 : 2018
  ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली
- एसए 8000 : 2014
  सामाजिक उत्तरदायित्व प्रणाली
- पीएएस 99 : 2012
  समेकित प्रबंधन प्रणाली
- आईएसओ 9001 : 2015
  गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली
- आईएसओ 27001: 2013
  सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
- आईएसओ 14001 : 2015
  पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली
- आईएसओ 45001:2018
  पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

रिपोर्ट एक नजर में

वित्तीय	परिचालन से राजस्व	₹ 45,581 करोड़
	ईबीआईटीडीए	₹ 40,434 करोड़
	पीएटी	₹ 15,417 करोड़
	ईपीएस	₹ 22.10
	सकल नियत आस्तियां	₹ 2,70,108 करोड़
	पीएटी का प्रतिशत के रूप में लाभांश पे–आउट अनुपात	67%
परिचालन	जोड़े गए ट्रांसमिशन लाइन	2,972 सीकेएमएस
	जोड़े गए नए उपकेंद्र	9
	जोड़े गए ट्रांसफार्मेशन क्षमता	28,990 एमवीए
	उपलब्धता	99.82%
	ट्रिपिंग प्रति लाइन	0.27
पर्यावरण	सृजित नवीकरणीय ऊर्जा	8567 एमडब्लूएच (8.03% विगत रिपोर्टिंग वर्ष से हुई वृद्धि)
	गत वर्ष की तुलना में उत्र्सजन ऑफसेट में वृद्धि	6.10%
	अपशिष्ट पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग	91.92%
	गत वर्ष की तुलना में भूजल पुनर्भरन में वृद्धि	25%
	ऊर्जा बचत	12248 मेगावाट
	गत वर्ष की तुलना में ऊर्जा तीव्रता में कमी	8.74%
	गत वर्ष की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता में कमी	8.63%
सामाजिक	सीएसआर व्यय	₹ 321.66 करोड़
	पूर्ण परियोजना (संख्या)	135
	कुल कर्मचारी (संख्या)	8342
	प्रति कर्मचारी औसतन प्रशिक्षण मानव दिवस	7.40
	कार्यबल में महिलाएं	8.15%

ऐतिहासिक वित्तीय विवरण

(स्टैंडअलोन)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
(क) कुल आय:					
परिचालन से राजस्व					
ट्रांसमिशन से राजस्व	40,619.30	37,812.44	36,120.92	33932.94	32616.99
अन्य परिचालन राजस्व – ट्रांसमिशन	1,485.48	787.27	336.00	943.41	227.95
परामर्शी राजस्व	509.29	753.34	501.28	610.98	610.93
दूरसंचार राजस्व	728.98	580.34	707.45	698.21	663.25
परिचालन से राजस्व	**43,343.05**	**39,933.39**	**37,665.65**	**36,185.54**	**34,119.12**
अन्य आय	2,625.02	2,402.48	2,861.46	2132.43	1498.95
कुल आय	**45,968.07**	**42,335.87**	**40,527.11**	**38,317.97**	**35,618.07**
(ख) व्यय :					
कर्मचारी लाभ व्यय	2,504.96	2,234.76	2,110.74	1959.47	1783.57
वित्तीय लागत	9,744.25	8,210.94	8,501.01	9813.62	9091.42
अवमूल्यन और परिशोधन व्यय	12,939.88	12,550.58	11,711.68	11073.18	10200.67
अन्य व्यय	3,564.29	2,771.62	2,498.97	2824.35	3053.43
कुल व्यय	**28,753.38**	**25,767.90**	**24,822.40**	**25670.62**	**24129.09**
अपवाद वस्तुओं के पूर्व लाभ, कर और विनियामक आस्थगित	**17,214.69**	**16,567.97**	**15,704.71**	**12647.35**	**11488.98**
विशिष्ट मदें	-	(3,759.51)	1,078.64	-	-
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगित खाता अधिशेष	**17,214.69**	**20,327.48**	**14,626.07**	**12647.35**	**11488.98**
कर व्यय:					
चालू कर	2,913.67	3,282.06	2,529.11	2230.74	2489.43
आस्थगित कर	(775.57)	(571.00)	560.03	1288.83	(3465.87)
	2,138.10	**2,711.06**	**3,089.14**	**3519.57**	**(976.44)**
विनियामक आस्थगित खाता शेष के पूर्व अवधि के लिए	**15,076.59**	**17,616.42**	**11,536.93**	**9127.78**	**12465.42**
विनियामक आस्थगित खाता शेष–आय /(व्यय) में निवल लेन–देन (निवल कर)	256.43	(522.66)	398.85	1683.40	(2526.87)
कर पश्चात लाभ	**15,333.02**	**17,093.76**	**11,935.78**	**10811.18**	**9938.55**
अन्य वृहत आय	(106.70)	290.93	25.36	(104.02)	(16.30)
इस अवधि के लिए कुल वृहत आय	**15,226.32**	**17,384.69**	**11,961.14**	**10707.16**	**9922.25**
लाभांश	8,544.93	10,811.96	6,821.99	4425.92	4514.87
लाभांश कर	-	-	-	858.69	909.57

ऐतिहासिक वित्तीय संक्षिप्ति
(स्टैंडअलोन)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
वित्तीय स्थिति					
(क) आस्तियाँ					
सकल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	253484.72	247661.53	232130.94	213210.18	195833.62
सकल अमूर्त आस्तियां	2339.08	2292.17	2153.38	1980.66	1959.07
	255823.80	249953.70	234284.32	215190.84	197792.69
घटाएं: संचित ह्रास	83546.25	70221.94	57340.82	45354.41	33932.71
निवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त आस्तियां	172277.55	179731.76	176943.50	169836.43	163859.98
निवेश संपत्ति	-	-	0.03	0.03	0.03
पूंजी कार्य प्रगति	7,668.13	7,344.46	17896.67	30180.08	33364.02
विकासाधीन अमूर्त आस्तियां	31.08	31.53	74.86	219.55	214.06
गैर चालू वित्तीय आस्तियां					
निवेश	7414.95	7228.53	4265.36	3763.66	2756.53
व्यापार प्राप्य राशियां	695.57	-	-	-	-
ऋण	16897.29	14269.78	10474.09	12783.75	10708.99
अन्य गैर–चालू वित्तीय आस्तियां	4170.04	(*) 4389.46	(*) 4574.48	4106.80	4548.37
अन्य गैर – चालू आस्तियां	4912.17	4797.73	4744.56	6127.18	5065.44
चालू आस्तियां	(*) 21943.02	(*) 20111.35	(*) 24692.38	18,409.12	17872.31
विनियामक आस्थगित खाता शेष	10283.76	9973.04	10606.35	10123.06	8083.27
कुल आस्तियां	**246293.56**	**247877.64**	**254272.28**	**255549.66**	**246473.00**
(ख) देयताएं					
उधार					
गैर–चालू उधार	113891.29	114199.40	129080.07	135421.11	131039.51
गैर चालू उधार की चालू परिपक्वता	12003.61	15165.87	12171.41	9558.53	10746.85
	125894.90	129365.27	141251.48	144979.64	141786.36
अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं (**)	3626.30	3550.04	3714.05	3515.63	3897.44
गैर चालू प्रावधान	577.61	517.05	461.93	424.71	368.15
आस्थगित कर दयेताएं (निवल)	10631.12	11424.78	11941.88	11381.85	10093.02
अन्य गैर चालू देयताएं	197.10	240.89	218.06	361.04	486.57
चालू देयताएं (**)	24373.66	32279.37	29523.30	29089.61	32114.14
घटाएं : गैर चालू उधार की चालू परिपक्वता	12003.61	15165.87	12171.41	9558.53	10746.85
निवल चालू देयताएं	12370.05	17113.50	17351.89	19531.08	21367.29
आस्थगित राजस्व	10163.52	9514.54	9754.15	10916.02	9457.03
कुल देयताएं	**163460.60**	**171726.07**	**184693.44**	**191109.97**	**187455.86**
(ग) निवल मूल्य					
ईक्विटी शेयर पंजी	6975.45	6975.45	5231.59	5231.59	5231.59
अन्य ईक्विटी	75857.51	69176.12	64347.25	59208.10	53785.55
निवल मूल्य	**82832.96**	**76151.57**	**69578.84**	**64439.69**	**59017.14**
नियोजित पूंजी (निवल नियत आस्तिनिवल चालू आस्ति)	169846.91	167563.74	172112.58	159155.94	149618.15

ऐतिहासिक वित्तीय संक्षिप्ति

(स्टैंडअलोन)

विवरण	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
(घ) अनुपात					
नियोजित पूंजी में निवल लाभ (%)	9.03	10.20	6.93	6.79	6.64
निवल मूल्य में निवल लाभ (%)	18.51	22.45	17.15	16.78	16.84
चूकता पूंजी का प्रति रूपए निवल मूल्य (₹)	11.87	10.92	(##) 9.97	12.32	11.28
उधार/ ईक्विटी अनुपात (#)	60:40	63:37	67:33	69:31	71:29
चालू अनुपात	0.90:1	0.62:1	0.84:1	0.63:1	0.56:1
प्रति शेयर अर्जन (मूलभूत और तनुकृत इपीएस) (₹)	21.98	24.51	(##) 17.11	20.67	19.00
प्रति शेयर खाता मूल्य (₹)	118.75	109.17	(##) 99.75	123.17	112.81
लाभांश प्रति शेयर (₹)	12.25	15.50	13.04	8.46	8.63
पूंजी आधार पर पूंजी व्यय (टीबीसीबी सहित) (करोड़ रूपए में)	8850	9426	11150	15313	25807
(ङ.) अन्य महत्वपूर्ण सूचना					
ट्रांसमिशन लाइनों की लंबाई (सीकेट)	166,310	165,951	162,565	156884	153075
उपकेंद्रों की संख्या	259	257	250	244	242
ट्रांसफार्मेशन क्षमता (एमवीए)	469,187	456,237	421,173	400269	365282
कर्मचारियों की संख्या ($)	8,710	8,970	9,258	9583	9886
ट्रांसमिशन नेटवर्क उपलब्धता (%)	99.82%	99.83%	99.82%	99.82%	99.71%

(*) में वर्गीकृत आस्तियां शामिल है जो बिक्री के लिए धारित है।

(**) में पट्टा देयताएं शामिल हैं।

(#) ऋण ईक्विटी अनुपात, ऋण देयता की गणना के लिए और साथ ही दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता शामिल है।

(##) बोनस शेयर के लिए समायोजित

($) एफटीटी कर्मचारियों सहित

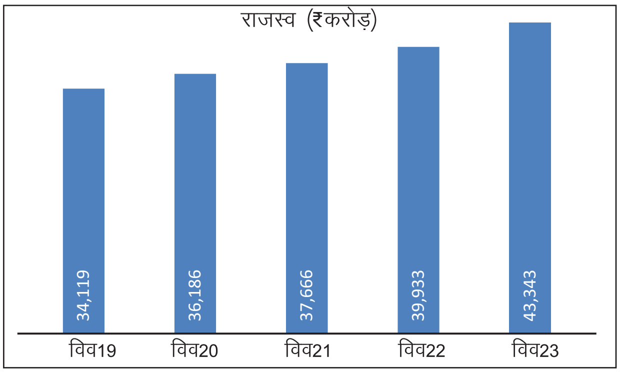
राजस्व (₹करोड़)
34,119
36,186
37,666
39,933
43,343
विव19
विव20
विव21
विव22
विव23

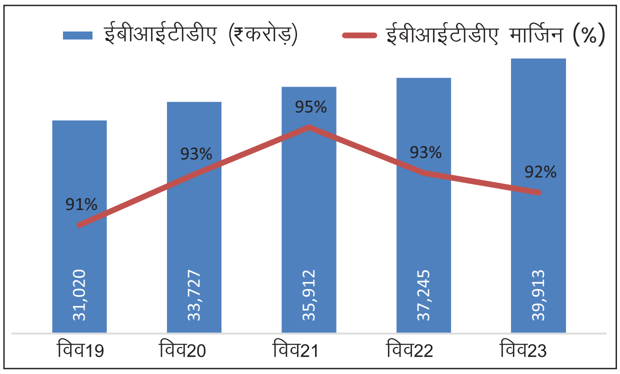
ईबीआईटीडीए (₹करोड़)
ईबीआईटीडीए मार्जिन (%)
91%
93%
95%
93%
92%
31,020
33,727
35,912
37,245
39,913
विव19
विव20
विव21
विव22
विव23

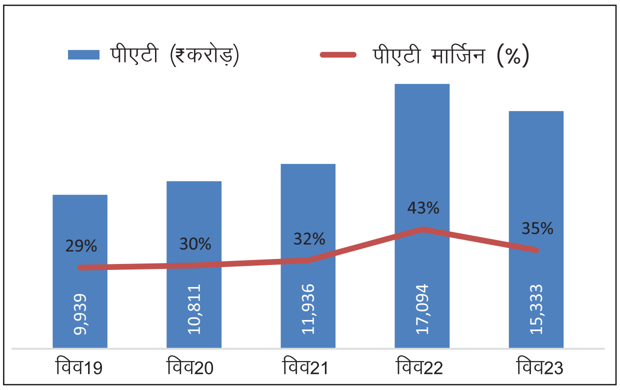
पीएटी (₹करोड़)
पीएटी मार्जिन (%)
29%
30%
32%
43%
35%
9,939
10,811
11,936
17,094
15,333
विव19
विव20
विव21
विव22
विव23

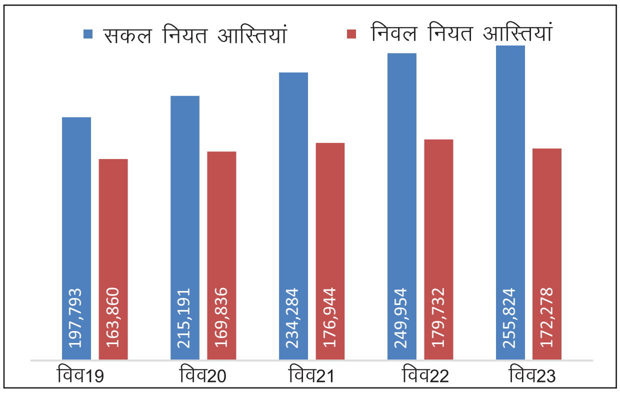
सकल नियत आस्तियां
निवल नियत आस्तियां
197,793
163,860
215,191
169,836
234,284
176,944
249,954
179,732
255,824
172,278
विव19
विव20
विव21
विव22
विव23

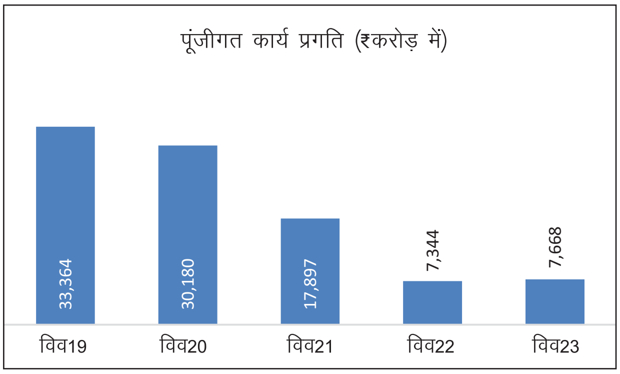
पूंजीगत कार्य प्रगति (₹करोड़ में)
33,364
30,180
17,897
7,344
7,668
विव19
विव20
विव21
विव22
विव23

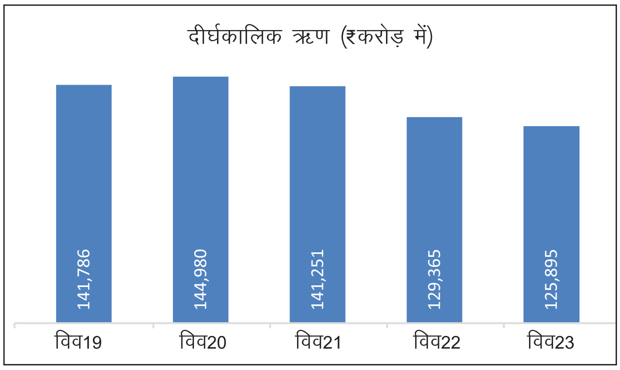
दीर्घकालिक ऋण (₹करोड़ में)
141,786
144,980
141,251
129,365
125,895
विव19
विव20
विव21
विव22
विव23

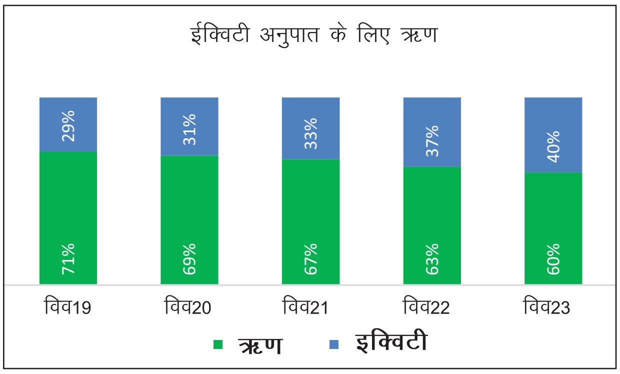
ईक्विटी अनुपात के लिए ऋण
29%
71%
31%
69%
33%
67%
37%
63%
40%
60%
विव19
विव20
विव21
विव22
विव23
ऋण
इक्विटी

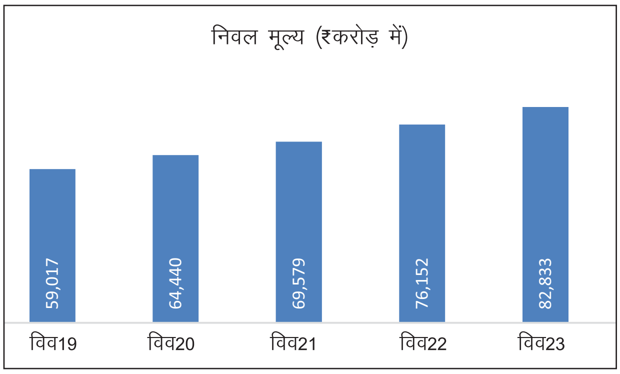
निवल मूल्य (₹करोड़ में)
59,017
64,440
69,579
76,152
82,833
विव19
विव20
विव21
विव22
विव23

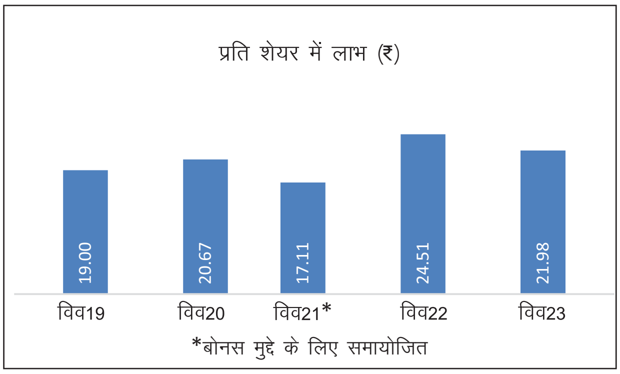
प्रति शेयर में लाभ (₹)
19.00
20.67
17.11
24.51
21.98
वित्19
वित्20
वित्21*
वित्22
वित्23
*बोनस मुद्दे के लिए समायोजित

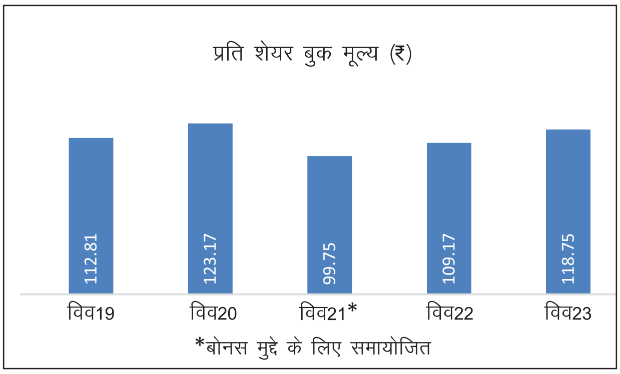
प्रति शेयर बुक मूल्य (₹)
112.81
123.17
99.75
109.17
118.75
वित्19
वित्20
वित्21*
वित्22
वित्23
*बोनस मुद्दे के लिए समायोजित

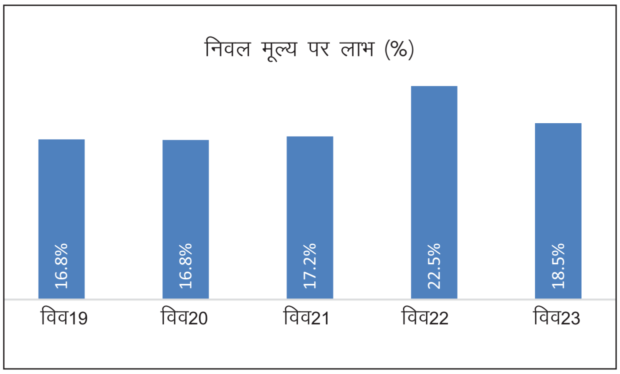
निवल मूल्य पर लाभ (%)
16.8%
16.8%
17.2%
22.5%
18.5%
वित्19
वित्20
वित्21
वित्22
वित्23

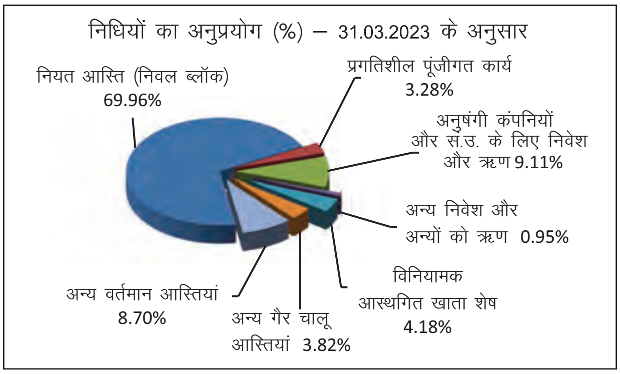
निधियों का अनुप्रयोग (%) – 31.03.2023 के अनुसार
नियत आस्ति (निवल ब्लॉक) 69.96%
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य 3.28%
अनुषंगी कंपनियों और सं.उ. के लिए निवेश और ऋण 9.11%
अन्य निवेश और अन्यों को ऋण 0.95%
विनियामक आस्थगित खाता शेष 4.18%
अन्य वर्तमान आस्तियां 8.70%
अन्य गैर चालू आस्तियां 3.82%

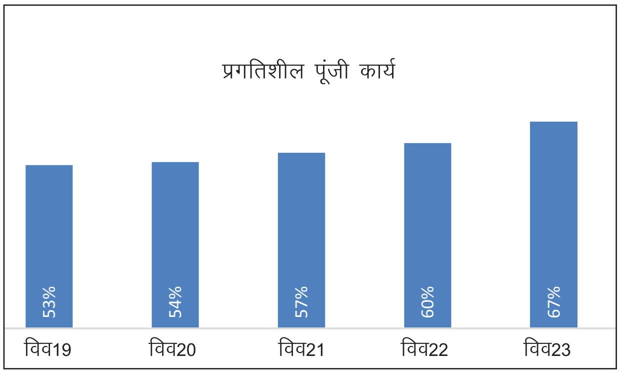
प्रगतिशील पूंजी कार्य
53%
54%
57%
60%
67%
वित्19
वित्20
वित्21
वित्22
वित्23

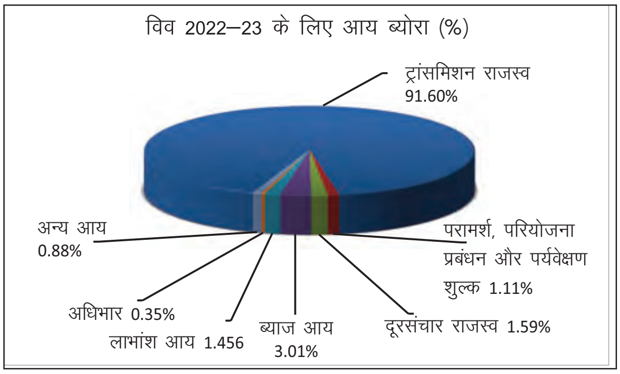
वित्त 2022–23 के लिए आय ब्योरा (%)
ट्रांसमिशन राजस्व 91.60%
अन्य आय 0.88%
परामर्श, परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण शुल्क 1.11%
अधिभार 0.35%
लाभांश आय 1.456
ब्याज आय 3.01%
दूरसंचार राजस्व 1.59%

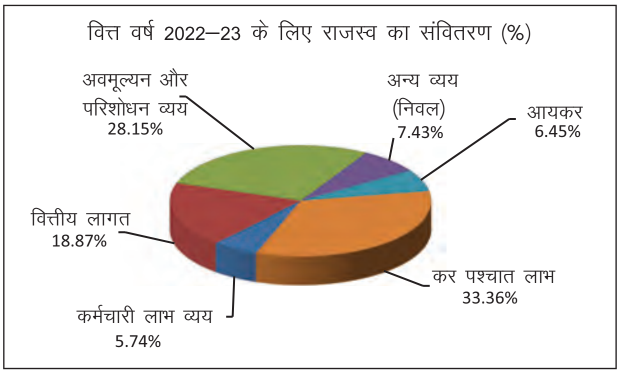
वित्त वर्ष 2022–23 के लिए राजस्व का संवितरण (%)
अवमूल्यन और परिशोधन व्यय 28.15%
अन्य व्यय (निवल) 7.43%
आयकर 6.45%
वित्तीय लागत 18.87%
कर पश्चात लाभ 33.36%
कर्मचारी लाभ व्यय 5.74%

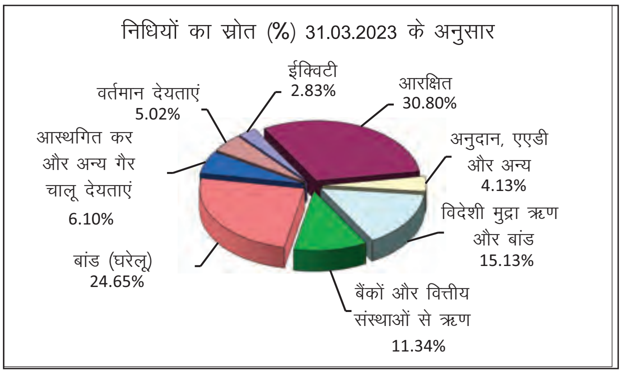
निधियों का स्रोत (%) 31.03.2023 के अनुसार
ईक्विटी 2.83%
वर्तमान देयताएं 5.02%
आरक्षित 30.80%
आस्थगित कर और अन्य गैर चालू देयताएं 6.10%
अनुदान, एएडी और अन्य 4.13%
विदेशी मुद्रा ऋण और बांड 15.13%
बांड (घरेलू) 24.65%
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण 11.34%

संधारणीयता रणनीति

संधारणीयता– कल, आज और कल

पावरग्रिड की उल्लेखनीय यात्रा देश के हर कोने में बिजली प्रदान करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू हुई। हालांकि, राष्ट्रीय विकास में हमारा योगदान हमारी पारेषण क्षमताओं से कहीं आगे तक है। हमने भारत के संधारणीयता दृष्टिकोण को जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एक स्थायी विश्व को सक्षम बनाने में भारत का अटूट विश्वास "वसुधैव कुटुम्बकम" (दुनिया एक परिवार है) के अपने सदियों पुराने दर्शन में गहराई से निहित है। इस गहन परंपरा से प्रेरित होकर, **पावरग्रिड ने हमेशा व्यापार, पर्यावरण और समाज को अविभाज्य संस्थाओं के रूप में देखा है, जो एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं के लिए इस दृढ़ प्रतिबद्धता को 1998 में औपचारिक रूप दिया गया था जब हमने अपनी व्यापक पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाओं (ईएसपीपी) को पेश किया था। विशेष रूप से, पावरग्रिड इस तरह के एक व्यापक नीति दस्तावेज को विकसित करने और प्रकट करने के लिए एशिया में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम बन गया, जो सभी प्रासंगिक स्थिरता पहलुओं का समाधान करता है और हमारी व्यावसायिक प्रक्रियाओं से जुड़ी संभावित बाह्यताओं को आंतरिक बनाने और समाधान करने की मांग करता है।**

ईएसपीपी एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करता है, जो जिम्मेदार व्यावसायिक संचालन के लिए पावरग्रिड के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। हमारी स्थापना के बाद से स्थिरता हमारे लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता रही है। हम अपने पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के प्रति सचेत हैं और हमारे ईएसपीपी में अंतर्निहित किसी भी संभावित या वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव से बचने, कम करने और कम करने के महत्व को पहचानते हैं, जो हमारे व्यवसाय का पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर हो सकता है।

हम अपनी समग्र रणनीति में स्थिरता लाते हुए और व्यावसायिक संचालन के माध्यम से हितधारक मूल्य निर्माण और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए सक्रिय दृष्टिकोण लेने में विश्वास करते हैं।

हमारा ईएसपीपी व्यापक रूप से हमारी ट्रांसमिशन परियोजनाओं से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला का समाधान करता है। यह प्रासंगिक नियमों के साथ संरेखित है और स्थिरता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को शामिल करता है। हमारे ईएसपीपी का व्यापक कवरेज विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) सहित प्रसिद्ध बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों से प्राप्त प्रमाणपत्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इन एजेंसियों ने कठोर और गहन समीक्षा प्रक्रिया के बाद क्रमशः अपने यूज ऑफ कंट्री सिस्टम (यूसीएस) और कंट्री सेफगार्ड सिस्टम (सीएसएस) के तहत हमारे ईएसपीपी को मान्यता और प्रमाणित किया है।

हमारे संधारणीय प्रयासों की मान्यता में, विश्व बैंक ने पावरग्रिड को 2006 में ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया, जो हमारे ईएसपीपी के प्रावधानों को लागू करने की हमारी प्रतिबद्धता को और मान्यता

मोनोपोल टावर

प्रदान करता है। अपनी नीति का सही भावना से पालन करके, हमने परियोजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाई है, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी दायित्व कम हो गया है और हमारे संगठन के लिए एक मजबूत सार्वजनिक छवि बन गई है।

अपने घरेलू परिचालनों से परे, हमने स्थिरता की अवधारणा को आंतरिक रूप दिया है और भारतीय सीमाओं से परे अपने प्रभाव का विस्तार किया है। राष्ट्रीय सीमाओं से परे एक दृष्टिकोण के साथ, हमने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में अपनी पहुंच का विस्तार किया है, अपनी विशेषज्ञता साझा की है और क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग और आर्थिक विस्तार में योगदान दिया है।

पावरग्रिड में, हम भारत में सबसे कुशल पावर ट्रांसमिशन कंपनी के रूप में पहचान बनाने पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। स्थिरता को आगे बढ़ाने में हमारी उल्लेखनीय उपलब्धियों में से दुनियां की पहली मल्टी–टर्मिनल अल्ट्रा–हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (यूएचवीडीसी) ट्रांसमिशन परियोजना का कार्यान्वयन है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग परियोजना ने विशाल दूरी पर थोक बिजली ट्रांसमिशन के दौरान नुकसान को काफी कम कर दिया है, जिससे ग्रिड की समग्र दक्षता और निर्भरता बढ़ गई है। इसकी सफलता से व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है और हमें उद्योग में अग्रणी के रूप में स्थान दिया है।

इसके अलावा, हमने स्मार्ट ग्रिड की अवधारणा को अपनाया है, जो संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने और अपशिष्ट को कम करने के दौरान उपभोक्ताओं के लिए एक उत्तरदायी और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है। भारत–बांग्लादेश इंटरकनेक्शन और भारत–नेपाल ट्रांसमिशन लाइन जैसे हमारे सीमा–पार इंटरकनेक्शन ने निर्बाध बिजली हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है, क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा दिया है और द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग के लिए दरवाजे खोले हैं। हमारे ईएसपीपी में सूचीबद्ध इन मौलिक सिद्धांतों के आधार परए हमने कुछ बुनियादी कार्य पद्धतियां तैयार की हैं, जो स्थिरता की दिशा में हमारे प्रयासों का

मल्टीसर्किट टावर

संवहनीयता की ओर हमारे प्रयासों के मार्गनिर्देशक सिद्धांत

मार्गदर्शन करती हैं। इनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं–

1. **परियोजनाओं का अनिवार्य पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकनः**

हालांकि, देश के कानून द्वारा अधिदेशित नहीं है और इस तथ्य के बावजूद कि पारेषण परियोजनाओं का न्यूनतम पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव पड़ता है, पावरग्रिड कम से कम 3 वैकल्पिक मार्गों/स्थलों का अध्ययन करके अपनी सभी आगामी परियोजनाओं का ईएंडएस मूल्यांकन करता है और निर्माण/कार्यान्वयन के लिए कम से कम ईएंडएस प्रभाव वाले सबसे इष्टतम मार्ग/स्थल की सिफारिश की जाती है। इस दृष्टिकोण ने पारिस्थितिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे वनों, संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों की भागीदारी से बचने/कम करने में हमारी अच्छी सेवा की है। और हमारी परियोजनाओं में वन्यजीव अभयारण्य, महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि, टाइगर रिजर्व, ऐतिहासिक और पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र, मानव बस्तियां, धार्मिक स्थल आदि काफी हद तक शामिल हैं।

2. **आंतरिक खपत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना और उसके समेकन के लिए अनुदेशक के रूप में कार्य करनाः**

पावरग्रिड पहले ही 2025 तक अक्षय स्रोतों से अपनी आंतरिक ऊर्जा जरूरतों का 50% पूरा करने और 2047 तक नेट शून्य की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अपनाने की राह पर हैं। मार्च, 2023 तक, हमने पहले ही सौर क्षमता का 8.2 एमडब्ल्यूपी स्थापित कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप 8567 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। इसके अतिरिक्तए हमारे संगठन में डीजल के उपयोग को कम करने के लिए, हमने 92 डीजल वाहनों को विद्युत वाहनों के साथ बदल दिया है।

इसके अलावा, 2030 तक 500 गीगावॉट गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करने के भारत सरकार के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में, पावरग्रिड उच्च क्षमता वाले हरित ऊर्जा राजमार्ग गलियारों के कार्यान्वयन के माध्यम से देश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के ग्रिड एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ताकि प्रत्येक परिवार के लिए स्वच्छ और किफायती ऊर्जा तक पहुंच को सुगम बन सके।

3. **हमारे वाटर फुटप्रिंट का ध्यान रखनाः**

हमारे प्रतिष्ठानों में, हमारे एचवीडीसी सबस्टेशनों में ठंडा करने के लिए मेकअप वाटर के रूप में पानी की थोड़ी मात्रा को छोड़करए पानी का उपयोग काफी हद तक घरेलू उद्देश्य और बागवानी तक ही सीमित है, इस तथ्य के बावजूद कि पानी का उपयोग किसी भी औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए नहीं किया जाता है। पावरग्रिड ने एक सुविचारित जल प्रबंधन नीति अपनाई है, जिसमें 2030 तक संगठन के लिए निवल जल सकारात्मक स्थिति की परिकल्पना की गई है। वित्त वर्ष 2022.23 में हमारे संगठन में कुल 27,77,668 किलोलीटर पानी का उपयोग किया गया, जिसका एक अच्छा हिस्सा वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के रूप में पर्यावरण को वापस दिया गया। गुणात्मक मोर्चे पर, हमारा अपशिष्ट जल (> 99%), जो मूल रूप से घरेलू सीवेज है, को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या सोख्ता गड्ढों के माध्यम से शोधन किया जाता है और शोधित पानी का आंतरिक रूप से पुनः उपयोग किया जाता है और घरेलू सीवेज का केवल एक छोटा सा हिस्सा सार्वजनिक सीवरेज प्रणाली में छोड़ दिया जाता है।

4. **प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग और उत्तरदायित्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधनः**

देश की अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए पावरग्रिड डिजाइनों के अनुकूलन, डिजिटल सबस्टेशनों को अपनाने, उच्च वर्तमान वहन क्षमता वाले बेहतर और कुशल कंडक्टरों का उपयोग करने जैसे अनेक नवाचारों को अपनाकर अपने प्रचालनों में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की तीव्रता को कम करने का निरंतर प्रयास कर रहा है।

हमारी अपशिष्ट प्रबंधन नीति और 2030 तक शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल संगठन बनने के हमारे लक्ष्य के अनुरूप, हम पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के माध्यम से अपने प्रतिष्ठानों में उत्पन्न 90% से अधिक अपशिष्ट का निपटान करने में सक्षम थे, जबकि केवल 8.08% अपशिष्ट (बड़े पैमाने पर घरेलू/आवासीय) को पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित निपटान के लिए स्थानीय नगर निकायों/अधिकृत तीसरे पक्ष को सौंप दिया गया था।

5. **कार्बन सिंक की रक्षा करना और सृजित करना:**

पावरग्रिड इस तथ्य से अवगत है कि जहां एक ओर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से बचा जाना चाहिए/उसे कम किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर वनों और पेड़ों के रूप में नए कार्बन सिंक का संरक्षण और निर्माण किया जाना चाहिए। मार्ग चयन के कड़े मानदंडों को लागू करके और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर, पावरग्रिड वनों की भागीदारी को उत्तरोत्तर कम करने में सक्षम रहा है, जो 1998 में हमारी लाइनों में 6% था, वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह 60% से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 26693 हेक्टेयर बहुमूल्य वन संसाधनों की बचत हुई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022.23 के अंत तक पावरग्रिड ने लगभग 656702 पेड़ लगा, हैं जो सालाना 14296 टन सीओ 2 के अवशोषण की सुविधा प्रदान करते हैं।

6. **प्रभावपूर्ण सीएसआर परियोजनाओं शुरू करना:**

सीएसआर गतिविधियां हमारे सामुदायिक संबंधों की रीढ़ हैं। पावरग्रिड ग्रामीण आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कौशल विकास आदि जैसे सामाजिक रूप से प्रासंगिक फोकस क्षेत्रों पर व्यय करता है। सीएसआर परियोजनाएं परामर्श प्रक्रिया के आधार पर जनसंख्या के आवश्यकता विश्लेषण अध्ययन के आधार पर शुरू की जाती हैं और परियोजनाओं के पूरा होने के बादए समाज को उपार्जित लाभों का विश्लेषण करने के लिए एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी किया जाता है। वित्त वर्ष 2022–23 में ऐसी योजनाओं पर 311.97 करोड़ रुपये के आवंटित बजट की तुलना में 321.66 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

7. **संवहनीयता हेतु प्रौद्योगिकी का अग्रसक्रिय अंगीकरण:**

पावरग्रिड मल्टी–सर्किट टावर, संकीर्ण बेस टावर, बेहतर और अधिक कुशल कंडक्टर, शहरी क्षेत्रों में एआईएस के स्थान पर जीआईएस की प्राथमिकता, ट्रांसफार्मर के लिए एस्टर तेल के साथ सिंथेटिक तेल के प्रतिस्थापन, दूरसंचार एंटेना को शक्ति देने के लिए पृथ्वी के तार में प्रेरक शक्ति का उपयोग, उच्च एसएफ 6 गैस के प्रतिस्थापन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों को नवाचार और अपनाने में सबसे आगे है। जिसमें उच्च वैश्विक तापन संभावना (जीडब्लूपी) है और जिसमें पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों को और कम करने के उद्देश्य से अधिक पर्यावरण अनुकूल गैसों आदि के साथ।

तीन दशकों से अधिक समय से चल रही हमारी संधारणीयता यात्रा

2022 & 23

7वीं संवहनीयता रिपोर्ट जिसमें ईएसजी नीति, जल और अपशिष्ट प्रबंधन नीति का खुलासा किया गया

2021

लगातार 7 वर्ष तक एशिया प्रशांत में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली विद्युत उपयोगिता

ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, भारत द्वारा औद्योगिक सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में से एक

2020

6ठी संधारणीयता रिपोर्ट का खुलासा

भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार

2019

लगातार पांच वर्षों के लिए एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक उपयोगिता वाली तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक उपयोगिता

2018

सीएसएस का सफल कार्यान्वयन

चौथी और पांचवीं संधारणीयता रिपोर्ट का खुलासा

2017

एडीबी ने देश सुरक्षा प्रणाली (सीएसएसद्ध के तहत एशिया में पहले दस्तावेज के रूप में पावरग्रिड के इएसपीपी को मंजूरी दी

एआई ग्लोबल यूके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी कंपनी–इंडिया के लिए "क्लीन एनर्जी अवार्ड, 2016

2016

मैसर्स प्लेट्स द्वारा सबसे तेज गति से बढ़ने वाली विद्युत उपयोगिता

संधारणीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छह पूर्वोत्तर राज्यों हेतु विकसित ईएसपीपीएफ

2015

मैसर्स प्लेट द्वारा सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इलेक्ट्रिक उपयोगिता

संधारणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छह पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विकसित ईएसपीपीएफ

2014

अनिच्छुक भूमि अधिग्रहण से बचते हुए इच्छुक खरीददार – इच्छुक विक्रेता संबंधी भूमि प्राप्ति की प्रथा अपनायी गयी

2013

अपशिष्ट कागज रीसाइक्लिंग संयंत्र की स्थापना, वर्षा जल संचयन प्रणाली का कार्यान्वयन और एसडी योजना के तहत ग्रीन बिल्डिंग

दूसरी द्विवार्षिक और बाह्य रूप से सुनिश्चित स्थिरता रिपोर्ट 2009–11 का खुलासा किया

2012

सीएसआर–कार्पोरेट शासन पुरस्कार

पावरलाइन पुरस्कार

2011

सीएसआर में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए विद्युत क्षेत्र में स्वर्ण पुरस्कार

2010

2008–09 के लिए अपनी पहली स्टैंडअलोन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का खुलासा करने वाला बिजली क्षेत्र का पहला भारतीय पीएसयू

2009

ईएसपीपी को दूसरा अपडेट विश्व बैंक की देश प्रणाली के उपयोग (यूसीएस) नीति के अनुरूप बनाने में है। यूसीएस के तहत विश्व बैंक द्वारा स्वीकार किया जाने वाला पहला ऐसा दस्तावेज

सीएसआर नीति का विकास/कार्यान्वयन

2007

पीएएस 99–आधारित आईएमएस के साथ प्रमाणित जिसमें आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 (अब आईएसओ 450001) शामिल हैं

सामाजिक दायित्व मानक (एसए 8000) के साथ प्रमाणीकृत

2006

दक्षिण–पूर्व एशिया में संधारणीय नेतृत्व के लिए विश्व बैंक द्वारा ग्रीन अवार्ड

2005

ईएसपीपी का पहला अद्यतन

2004

आईएमएस के साथ प्रमाणित आईएसओ 9001, जिसमें आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 शामिल हैं

2002

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001 सहित प्रमाणित

2000

जेनेनटेक पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित

1998

पर्यावरण और सामाजिक नीति एवं प्रक्रिया (ईएसपीपी) का विकास और कार्यान्वयन

भविष्य हेतु संधारणीयता विजन

अपनी पिछली उपलब्धियों से प्रेरित होकरए पावरग्रिड में हम जिम्मेदारी से अधिक संधारणीय और हरित विश्व में संक्रमण करने के नए और अभिनव तरीके खोज रहे हैं। हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर एक लचीला अवसंरचना प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं जो देश के नेट जीरो के लक्ष्य का समर्थन करता है। इसलिए, हम अपनी प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सेवा पेशकशों को अधिक कुशल, पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से समावेशी बनाने के तरीकों की लगातार खोज और कार्यान्वयन कर रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण पर्यावरण, सामाजिक और शासन मापदंडों के डोमेन में फैले दीर्घकालिक लक्ष्यों और नियमित कार्यों का गठन करता है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ढांचे जैसे जीआरआई, संयुक्त राष्ट्र एसडीजी आदि के साथ संरेखित है।

E

निम्न कार्बन परिचालन के लिए परिवर्तन:

हमारे परिचालन और मूल्य श्रृंखला में कार्बन प्रबलता को कम करना

सचेत खपत:

प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग

S

पोषण कार्यस्थल:

समावेशी और सकारात्मक कार्य वातावरण के माध्यम से कर्मचारी की कुशलता को प्राथमिकता प्राप्त करना

विश्वसनीय संबंध:

अपने हितधारकों के साथ संबंध मजबूत करना

G

सुदृढ़ शासन:

नैतिक व्यापार संबंधी आचरण का अनुपालन और पारदर्शिता एवं निष्ठा पर अधिक ध्यान केन्द्रित होना

आज को बेहतर बनाना

भविष्य की रक्षा और वर्तमान के प्रति हमारी जवाबदेही के लिए हमारी प्रतिबद्धता के साथ, हमारे स्थिरता कार्य मुख्य रूप से ईएसपीपी नीति द्वारा संचालित हैं। यह नीति ई, एस और जी मुद्दों से बचने, न्यूनीकरण और शमन के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके बाद जहां आवश्यक हो वहां बहाली और वृद्धि की जाती है। दशकों से नीति का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उभरते पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक जोखिमों और अवसरों के साथ नवाचार करने के लिए अद्यतन किया गया है। हमारे ईएसपीपी के मौलिक सिद्धांतों की प्रभावशीलता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वन भागीदारी, जो 1998 में हमारी ट्रांसमिशन लाइनों में 6% थी, वित्त वर्ष 2022–23 में लगभग 60% कम हो गई है।

हमारा ईएसजी शासन

संधारणीय आकांक्षा को कार्यों में बदलना

पावरग्रिड ने जिम्मेदार संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें हमारे महत्वपूर्ण पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) मुद्दों को रणनीतिक रूप से प्राथमिकता देना और उन्हें कम करने के लिए चुस्त कार्रवाई करना शामिल है। इन मुद्दों का प्रबंधन एक कठोर ईएसजी शासन तंत्र द्वारा अभिशासित है।

हम इस तथ्य से अवगत हैं कि ऊर्जा की मांग जल्द ही कई गुना बढ़ने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार की रूपरेखा विकसित हो रही है, यह हमारे दृष्टिकोण को फिर से शुरू करने और अधिक जिम्मेदार और उन्नत प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए हमारे लिए कई अनिश्चित चुनौतियां और अवसर पैदा करेगा।

सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक संगठन संरचना सहित जिम्मेदारी और संसाधन आवंट

निगरानी रिपोर्टिंग, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया, प्रबंधन समीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाई

जोखिमों (वैकल्पिक पथनिर्धारण के लिए मानदंड और प्रक्रिया सहित) से बचना

जोखिमों की जांच और पहचान के माध्यम से न्यूनीकरण (पर्यावरण रिसेप्टर्स, सोशल रिसेप्टर्स और हितधारकों से)।

प्रभाव प्रबंधन के माध्यम से जोखिम का शमन, अच्छी अंतरराष्ट्रीय उद्योग कार्यप्रणालियों का कार्यान्वयन, प्रभावित हितधारकों को पर्याप्त मुआवजा, सार्वजनिक परामर्श और प्रकटीकरण, और शिकायत निवारण

निदेशक मंडल	निदेशक मंडल (बीओडी) कंपनी के ईएसजी विजन की निगरानी रखता है।
ईडी (ईएसएमडी और सीएसआर)	ईएसपीपी, ईएसजी और संगठन की अन्य संधारणीयता संबंधी नीतियों के समग्र कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार और ईएसजी पर बीओडी का मूल्यांकन करना
क्षेत्र प्रमुख और विभाग प्रमुख	क्षेत्रीय/विभाग स्तर पर ईएसजी मुद्दों का कार्यान्वयन और निगरानी हेतु उत्तरदायित्व
उपकेंद्र/कार्यालय प्रभारी	साइट स्तर पर ईएसजी मुद्दों का कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी

ईएसजी लक्ष्य

जैसा कि हम अपनी विकास यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं, हमने पर्यावरण के क्षेत्र में ठोस लक्ष्य स्थापित किए हैं। जैसा कि हम आगे देखते हैं, हम सामाजिक और शासन क्षेत्रों में भी लक्ष्यों को शामिल करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं।

पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है और हम मापनीय और मूर्त परिणाम प्राप्त करने के लिए समर्पित हैं। ये लक्ष्य ग्रह पर एक स्थायी और जिम्मेदार प्रभाव डालने के लिए हमारे मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।

जैसे–जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी रणनीति में सामाजिक और शासन कारकों को शामिल करने के महत्व को समझते हैं। ऐसा करके, हम अपने समग्र संधारणीयता प्रयासों को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कार्य समाज और संगठन दोनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करें।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन के इन तीन परस्पर जुड़े क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित करके हम मानते हैं कि हम अधिक संतुलित और संधारणीय भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमारे मूल्यों और हितधारकों की अपेक्षाओं के साथ संरेखित होता है, जो हमें उद्देश्य और उपलब्धि की अधिक भावना की ओर मार्गदर्शन करता है।

मेहनती योजना, सहयोग और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के अनुपालन के माध्यम से, हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने और दुनिया में एक सार्थक अंतर बनाने की हमारी क्षमता के प्रति आश्वस्त हैं। जैसा कि हम इस यात्रा को जारी रखते हैं, हम सीखने और अनुकूलन के लिए खुले रहते हैं, हमारे संचालन के हर पहलू में जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनने का प्रयास करते हैं।

हरित भविष्य की ओर

2047 तक नेट जीरो संगठन बनने के दृढ़ राह पर

• • •

2025 तक नवीकरणीय ईंधन स्रोतों से 50% आंतरिक ऊर्जा उपयोग

• • •

2030 तक निवल जल सकारात्मक संगठन बनना

• • •

2030 तक ''लैंडफिल्ड में शून्य अपशिष्ट'' का दर्जा हासिल करना

अधिक समावेशी समाज की ओर

विभिन्न सीएसआर पहलों के माध्यम से दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए समुदायों के साथ कार्य करना

• • •

क्षेत्रीय और कर्मचारी सशक्तिकरण दोनों हेतु समग्र पुनर्कौशल और कौशल प्रदान करना

• • •

शिकायत निवारण को बढ़ावा देना

• • •

वेंडर को तैयार करने का कार्यक्रम

शासन को बढ़ावा देना

उत्तरदायी व्यापार संबंधी कार्यप्रणालियों को उत्प्रेरक बनाना

• • •

हितधारकों के लिए प्रकटन में प्रभाविता

• • •

ह्विसलब्लोइंग और धोखाधड़ी रोकथाम

• • •

परस्पर हितों के टकराव से बचना

यूएन एसडीजी के साथ संरेखित पहलें

संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) के साथ संरेखण

जैसा कि हम संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रतिबिंबित करते हैं, यह हमें अत्यधिक संतुष्टि और गर्व की भावना से भर देता है। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में इन लक्ष्यों को आधिकारिक रूप से अपनाने से पहले ही, हमने उनकी दूरदर्शी आकांक्षाओं को अपना लिया था और एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर दी थी। हमारी पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रिया (ईएसपीपी) में निहित परिहार, न्यूनीकरण और शमन के सिद्धांतों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता ने एसडीजी के साथ हमारे संरेखण की नींव रखी।

समाज के प्रति एक दृढ़ समर्पण द्वारा निर्देशित, हमने हमेशा पर्यावरण उत्कृष्टता, सामाजिक कल्याण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों पर एक सक्रिय रुख अपनाया है। इसी भावना के साथ हम संधारणीय विकास लक्ष्यों के सिद्धांतों को अपनी व्यावसायिक कार्यकलापों के ताने–बाने में पिरोते हुए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हमने नए प्रयासों को शुरू करते हुए अपनी पिछली पहलों को दृढ़ता से बरकरार रखा, जिसने हमें संधारणीय प्रगति के अपने मार्ग पर आगे बढ़ाया।

आइए हम अपनी कुछ पहलों की एक झलक प्रस्तुत करें, जिनमें से प्रत्येक एसडीजी के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता और एक ऐसे भविष्य को आकार देने के हमारे अटूट दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में कार्य कर रही है जो सभी को साथ लेकर चलती हैः

एसडीजी लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2022–23
1 NO POVERTY	4.47 लाख रूपए की लागत से वंचित लोगों के लिए 625 गर्म कंबलों का संवितरण
	नाडिया जिले में संवितरण के लिए 4.97 लाख रूपए मूल्य के 2850 कंबल की खरीद।
2 ZERO HUNGER	4.63 लाख रूपए की लागत से आगरा के 2 आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी में उन्नयन किया जाना।
	10.25 लाख रूपए की लागत से फल बागान सइब्लूए मणिपुर का विकास।
	1.77 लाख रूपए की लागत से गुवाहाटी और रांगिया सर्किल के बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री का वितरण।
	8.4 लाख रूपए की लागत से नए वर्ष 2023 के अवसर पर गुरुग्राम में सामाजिक–आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सीएसआर के अंतर्गत 600 स्टेनलेस स्टील कुकवेयर सेट
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	2000.00 लाख रूपए की लागत से क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, तिरूवनंतपुरम, केरल में रेडियोथेरेपी उपचार के लिए रिंग जेन्ट्री लिनियर एक्सिलेरेटर।
	612.09 लाख रूपए की लागत से वीएमआई, पालमपुर के लिए एक्सेसरीज की स्थापना सहित एमआरआई मशीन।
	440.13 लाख रूपए की लागत से डीएमसीएच, दरभंगा में विश्राम सदन का निर्माण।
	जीएसवीएम चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर, उ.प्र. में 350.13 लाख रूपए की लागत से 100 बेड वाला पेडिएट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीआईसीयू) की स्थापना।
	156.00 लाख रूपए की लागत से असम के सिलचर में असम सरकार के एनचएम के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी युक्त एंबुलेंस, चिकित्सा उपकरण और ब्लड बैंक वाहन।
	150.00 लाख रूपए की लागत से ईएसआई अस्पताल, फरीदाबाद में चिकित्सा उपकरण प्रदान किया गया।
	135.79 लाख रूपए की लागत से फिरोजपुर जिला, पंजाब में मलानवाला और केसेवाना में पीएचसी भवन का निर्माण और 03 एंबुलेंस की खरीद की गई।
	57.12 लाख रूपए की लागत से बेयतु, बारमेर, राजस्थान में सरकारी सीएचसी को चिकित्सा उपकरण।
	रेस्परेटरी मेडिसिन, इंस्टीच्युट आफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एडुकेशन एंड रिसर्च (एसएसकेएम अस्पताल) कोलकाता के लिए 52.84 लाख रूपए का चिकित्सा उपकरण।
	सरकारी स्वास्थ्य सुविधा सिक्किम को 25.90 लाख रूपए चिकित्सा उपकरण और औजार प्रदान किए गए।

एसडीजी लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2022–23
4 QUALITY EDUCATION	11.20 लाख रूपए की लागत से गरबेटा, पश्चिम मेदिनीपुर में विद्यमान नेपुरा बिजली रानी उच्च विद्यालय का विकास।
	200.00 लाख रूपए की लागत से राजस्थान के सरकारी विद्यालयों को 200 प्रोजेक्टर प्रदान करना।
	167.92 लाख रूपए की लागत से सरकारी उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, मोगा के लिए 16 दो मंजिले कक्षाएं और बेंच प्रदान किया गया।
	36.61 लाख रूपए की लागत से बालिका उत्कृष्टता विद्यालय, मांडला में स्मार्ट क्लास शिक्षा।
	62.17 लाख की लागत से जोरहट इंजीनियरिंग महाविद्यालय, असम में शोधार्थियों हेतु छात्रावास का निर्माण।
	11.58 लाख रूपए की लागत से इटारसी आईटीआई को यूपीएस के साथ 25 कंप्युटर सेट प्रदान किया गया।
	1797.60 लाख रूपए की लागत से आईआईटियों में बीटेक छात्रों के लिए मेरिट–सह–संसाधन (एमसीएम) छात्रवृत्तियों हेतु आईआईटी चेन्नई को योगदान।
5 GENDER EQUALITY	25.11 लाख रूपए की लागत से नूह में कार्यरत महिलाओं हेतु आवास की सुविधा।
	0.15 लाख की लागत से कोटेश्वर में सिलाई मशीन के लिए प्रशिक्षण।
	3.57 लाख रूपए की लागत से मेवात में कार्यरत महिलाओं हेतु आवास के लिए फर्नीचर।
6 CLEAN WATER AND SANITATION	रेलवे स्टेशनों पर 250.70 लाख रुपये की लागत से पूर्व निर्मित शौचालय।
	इटावा में 47.14 लाख रूपए की लागत से वाटर टैंक के साथ 30 समर्सिबल पंप की स्थापना।
	20.89 लाख रूपए की लागत से प्रतापगढ़ जिले के धाक्वा बाजार में गंदे पानी का नाला।
	20.75 लाख रूपए की लागत से उ.प्र. राज्य के देवरिया जिले में 250 हैंड पंपों की स्थापना।
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY	तुमकुर, कर्नाटक में 02 हाई मास्ट लाइटिंग सिस्टम और स्वच्छ पेयजल इकाई की आपूर्ति और स्थापना
	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा स्कूल, राज्य और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता–2022 के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान।
	डायमंड पार्क, दमोह में पैनल के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट (एलईडी)।

एसडीजी लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2022–23
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	129.31 लाख रूपए की लागत से सिपेट, मुरथल, सोनीपत, हरियाणा में वंचित/बेरोजगार युवाओं हेतु प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 160 युवाओं हेतु रोजगोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना।
	487.16 लाख रूपए की लागत से प्रशिक्षुओं को शामिल किया जाना।
10 REDUCED INEQUALITIES	पोलेरहाट–2 ग्राम पंचायत, भंगोर–2, विकास खण्ड के अंतर्गत ग्राम सड़कों में 10.61 लाख रुपये की लागत से एलईडी स्ट्रीट लाइट की स्थापना।
	"सरद सम्मान 2022" के दौरान शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को वितरण के लिए चार व्हील चेयर के लिए 0.60 लाख रुपये की राशि प्रदान की गयी।
	9.59 लाख रूपए की लागत से बलरामपुर में जनजातीय छात्रावास की स्थापना की गई।
	तेलंगाना के नलगोंडा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिलों में पीडब्ल्यूडी को 169.19 लाख रुपये के सहायक उपकरण प्रदान किया गया।
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE; 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION	पारेषण लाइनों के मार्ग चयन में आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के उपयोग के कारण 26693 हेक्टेयर वन की बचत हुई है।
	सिंथेटिक खनिज तेल के स्थान पर प्राकृतिक एस्टर तेल के साथ दुनिया का पहला रिएक्टर चालू किया।
	डिजिटल सबस्टेशन के विकास के परिणामस्वरूप तांबे जैसे प्राकृतिक संसाधन खपत में कमी आई है।
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	ओडिशा में कालाहांडी जिले के जयपटना ब्लॉक में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से आईसीआरआईएसएटी के माध्यम से 91.61 लाख रुपये की लागत से ग्रामीण आजीविका में सुधार।
	वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के माध्यम से 1637872 किलोलीटर बहुमूल्य जल संसाधन का संरक्षण।
	सीएसआर के तहत बिहार के भोजपुर जिले में 11.75 लाख रुपये की लागत से ग्रामीण विकास किया गया है।
	पश्चिम मेदिनीपुर में 6.09 लाख रुपये की लागत से रेस्ट शेड, पहुंच मार्ग, जैव–शौचालय, ट्रेक्टर, स्टील वाटर टैंक आदि का निर्माण।
	गांव पंचगांवए तहसील– मानेसर, गुरुग्राम (हरियाणा) में 196.79 लाख रुपये की लागत से सड़क की मरम्मत।
	संत कबीर नगर में 22.56 लाख रुपये की लागत से आरसीसी पुलिया स्पैन का निर्माण।
	12.19 लाख रूपए की लागत से जबलपुर के सरकारी आईटीआई, बारगी में आरसीसी सड़क और चारदिवारी का निर्माण।

एसडीजी लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2022–23
13 CLIMATE ACTION 15 LIFE ON LAND	हमारे प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के परिणामस्वरूप सालाना 14,296 टन कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के बराबर 6,56,702 पेड़ हैं।
	ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करना तथा श्रेणी–क और ख के लिए राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागी के ठहरने की व्यवस्था 159.48 लाख रुपये की लागत से आयोजित करना।
	4.99 लाख रुपये की लागत से स्मृतिवन भूकंप स्मारक और संग्रहालय भुज, कच्छ के लिए सीएसआर के तहत वृक्षारोपण परियोजना।
	22 अप्रैल 2022 को "राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस" पर 0.37 लाख रुपये की लागत से टाइगर आर्मी प्री–प्राइमरी स्कूल (टीएपीपीएस), सतवारी में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया।
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	वडोदरा शहर से समाज के वंचित वर्गों के छात्रों के लिए 0.72 लाख रुपये की लागत से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया, वडोदरा, गुजरात के लिए शैक्षिक अध्ययन यात्रा।
	सीएसआर के तहत असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के 1600 हिंसा प्रभावित छात्रों की शिक्षा के लिए नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी (एनएफसीएच) को 251.40 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना।
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	तकनीकी और नीतिगत नवाचारों तथा मानव संसाधन विकास के लिए आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, एमडीआई आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग।
	ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण, विचारों के आदान–प्रदान और सर्वोत्तम कार्यप्रणाली आदि के माध्यम से विकास और वृद्धि के संधारणीय पथ को प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न रूपों में विश्व बैंकए एडीबी, पीडब्ल्यूसी जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के साथ सहयोग।

हितधारक सहभागिता तथा भौतिकत्व आकलन

हितधारक सहभागिता

हितधारको से जुड़ाव हमारे उद्देश्य को परिभाषित करता है और प्रभाव निर्माण के लिए हमारी क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हम उन सभी हितधारकों के जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम होते हैं जो हमें वहन करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा लक्ष्य अपने हितधारकों के हितों की रक्षा करना और उनमें से प्रत्येक को लघु, मध्यम और दीर्घकालिक अवधि में प्रदान किए जाने वाले मूल्य को भविष्य में सुरक्षित करना है। इसलिए, शुरू से ही हम अपने सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक और पारदर्शी संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

फीडबैक के आधार पर ये रिश्ते लगातार और मजबूत होते हैं, जो परिचालन प्रक्रियाओं और उसके बाद के प्रदर्शन में सुधार को सक्षम बनाता है। हमारा मानना है कि हमारे हितधारकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने से विश्वास, लचीलापन, अनुकूलनशीलता और जिम्मेदार विकास पर आधारित ठोस रिश्ते बनेंगे।

- हितधारक समूहों/टीमों की पहचान करना
- प्रत्येक समूह/टीम से प्रतिनिधि व्यक्तियों की पहचान करना
- एक हितधारक सूची बनाना

- यक्तिगत हितधारकों का विश्लेषण और मूल्यांकन करें और क्यों, क्या भूमिका, धारणा आदि के संदर्भ में उनकी हिस्सेदारी का विश्लेषण करें।
- धारकों को प्राथमिकता दें

- योजना के अनुसार हितधारकों को शामिल करना
- योजना के अनुसार हितधारकों से संवाद करना
- योजना को आवश्यकतानुसार संशोधित करना

- हितधारकों की भागीदारी के अवसरों की पहचान करना
- हितधारक संचार योजना विकसित करना
- कार्यकलापों के संबंध में हितधारकों का मानचित्रण करना

हितधारकों की पहचान एवं विश्लेषण

हमारा हितधारक पहचान अभ्यास स्पष्ट रूप से विभिन्न प्रकार के हितधारकों की पहचान करता है और उनके बीच अंतर करता है जिनके साथ हम जुड़ते हैं, व्यवसाय करते हैं और हमारे संचालन और कार्यकलापों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। इससे न केवल हमें उनकी चिंताओं को अलग करने और बेहतर ढंग से समझने और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलती है, बल्कि उनके साथ हमारे रिश्ते को भी मजबूत बनाने में मदद मिलती है। पिछले दिनों मे एक औपचारिक और विस्तृत हितधारक मूल्यांकन अभ्यास आयोजित किया गया था और प्रमुख भौतिक पहलुओं की पहचान की गई थी।

विविधता के बावजूद, हितधारकों (सामान्य हित वाले) के समरूप उप–वर्गों को एक साथ समूहित करने का प्रयास किया गया और फिर एक प्रभावी सहभागिता योजना तैयार की गई। विभिन्न परियोजनाओं के लिए विशिष्ट हितधारकों की पहचान तीन प्रमुख श्रेणियों के तहत प्रभाव, साझेदारी और हित के आधार पर की गई थी, अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परियोजना से प्रभावित व्यक्ति जिनमें उनके वैध प्रतिनिधि, परियोजना में रुचि रखने वाले या उस पर प्रभाव रखने वाले हितधारक और व्यक्ति और संस्थान शामिल हैं जो परियोजना के कार्यान्वयन में भाग लें सकेंगे।

उपरोक्त के आधार पर, इन हितधारकों को परियोजना विकास प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में ही परियोजना में उनकी हिस्सेदारी के अनुसार मानचित्रण किया गया था, इस रिपोर्टिंग वर्ष के लिए ''रुचि और प्रभाव मैट्रिक्स'' का उपयोग करते हुए भी हितधारकों की हमारी सूची वही बनी हुई है, जिसमें विभिन्न विशेषताओं जैसे जुड़ाव का तरीका, जुड़ाव की आवृत्ति और उनके महत्व के संबंध में विवरण अद्यतन किया गया है।

हितधारक सहभागिता मैट्रिक्स

हितधारक समूह	ये हितधारक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं	क्या कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के तरीके (ई–मेल, एसएमएसए समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट)	अनुबंध की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	रणनीतिक प्राथमिकताएँ (इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा)।
शेयरधारक/निवेशक (वित्तीय एवं सामाजिक पूंजी)	हमारे शेयरधारक हमारे व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनका मूल्य शेयरों के मालिक होने से वित्तीय निवेश के रूप में आता है। हम लंबी अवधि में शेयरधारक मूल्य बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि उन्हें उच्च मूल्य और संभावित रूप से उच्च लाभांश प्रदान किया जा सके।	नहीं	वार्षिक सामान्य बैठक बोर्ड बैठक वार्षिक रिपोर्ट/वेबसाइट विश्लेषक बैठकें निवेशक बातचीत	एक वर्ष में एक बार साल में कम से कम 4 बार वर्ष में एक बार/जब भी आवश्यक हो साल में कम से कम 4 बार नियमित आधार पर	धन सृजन एवं लाभांश भुगतान प्रदर्शन एवं परिणामों की समीक्षा क्षेत्र–विशिष्ट व्यापक–आर्थिक रुझान और निवेशकों की रुचि दीर्घकालिक साझेदारी
ग्राहक राज्य विद्युत बोर्ड दूरसंचार–निजी कंपनियाँ कंसल्टेंसी (राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय)	हमारे ग्राहक हमारी दीर्घकालिक सफलता की नींव हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में ग्राहक प्रसन्नता रहती है।	नहीं	समझौतों पर हस्ताक्षर के दौरान और आवश्यकता के आधार पर शारीरिक बैठक मीटिंग/ईमेल/कॉल	प्रत्येक परियोजना के साथ जब भी आवश्यकता हो	बिलिंग संग्रहण एवं संवितरण बैठकें उच्च अपटाइम सेवा ख़राब होने की स्थिति में तत्काल सेवा पुनः प्रारंभ करना प्रश्नों का त्वरित समाधान अभिनव उपाय
बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियां (विश्व बैंक, एडीबीए आईएफएससीए के, फडब्ल्यूए आदि)	प्रमुख समर्थक जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अर्थव्यवस्थाओं/क्षेत्रों के लिए विभिन्न विकासात्मक और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय रूप से हमारे साथ अपना विश्वास सुनिश्चित करते हैं।	नहीं	भौतिक/आभासी बैठकें, प्रशिक्षण/कार्यशाला/ईमेल कार्यान्वयन सहायता/समीक्षा मिशन/ऑडिट/निगरानी प्रगति रिपोर्ट परियोजना समापन रिपोर्ट (पीसीआर)	जब भी आवश्यकता हो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद	वित्त से जुड़ी पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन/चर्चा मुद्दों का तेजी से समाधान और परियोजना प्रतिक्रिया स्थिति चर्चाएँ जेसें समय–समय पर नियामक ढाँचे में बदलाव
कर्मचारी	हमारे कर्मचारी अमूल्य संपत्ति हैं और हमारे निरंतर विकास के लिए मौलिक हैं। वे हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने और हमारे बाजार नेतृत्व की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं	हाँ (महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)	कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण खुला घर प्रदर्शन मूल्यांकन पत्रिकाएँ क्यू और क्षेत्रीय पत्रिकाएँ एचआर कॉन्क्लेव और विभाग विशिष्ट विज्ञप्ति से मिलता है ग्रिड दर्पण (राजभाषा) स्पस्पष्टवादिता (सतर्कता) पीपीएनबीसी बैठकें एचआर मीटिंग/ ईमेल/टेलीफोनिक कॉल/ नोटिस बोर्ड	सालाना त्रैमासिक साल में दो बार त्रैमासिक जब भी आवश्यकता हो साप्ताहिक अर्धवार्षिक सालाना आवश्यकता के अनुसार जब भी आवश्यकता हो	कर्मचारी लाभ एवं कल्याण सुरक्षित कार्य वातावरण कैरिअर की प्रगति समान अवसर और उपचार कौशल उन्नयन के अवसर आवधिक प्रदर्शन एवं फीडबैक नियमित अपडेट साझा करने के लिए मीटअप/टाउनहॉल/रणनीति एवं प्रदर्शन बैठकें

हितधारक समूह	ये हितधारक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं	क्या कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के तरीके (ई–मेल, एसएमएसए समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट)	अनुबंध की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	रणनीतिक प्राथमिकताएँ (इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा)।
समुदाय/पीएपी	जिन समुदायों में हम काम करते हैं, वहां के लोगों के जीवन को सशक्त बनाना हमारे व्यवसाय की स्थिरता के लिए मौलिक है। हम विभिन्न उत्थान कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से समुदायों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना और उनके जीवन में बदलाव लाना जारी रखते हैं।	हाँ	सार्वजनिक परामर्श/समाचार पत्र प्रभावित क्षेत्र का भौतिक दौरा/फोकस समूह चर्चा सीएसआर पहल और सामुदायिक बैठकें	परियोजना के प्रत्येक चरण में संकल्पना से लेकर संचालन एवं रखरखाव तक परियोजनाओं की आवश्यकता के अनुसार आवधिक समय अंतराल आवश्यकता आधारित (समुदायों के परामर्श से)	समाज में योगदान पुनर्स्थापन और पुनर्वास का अनुपालन आवश्यकताएँ/ प्रावधान आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करें आजीविका को सशक्त बनाएं सामाजिक प्रभाव आकलन एवं परियोजना निगरानी
सरकारी नियामक (सेबी/सीईआरसी/बीएसई/एनएसई) विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सरकार के साथ रचनात्मक संबंध हमारे व्यापार की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम नियामक विकास और नीतियों की बारीकी से निगरानी करते हैं, जिससे प्रगतिशील चर्चाओं में भाग लेते हैं।	नहीं	अनुपालन रिपोर्ट/प्रपत्र/शारीरिक बैठकें/ वेबसाइट/ईमेल ईमेल/बैठकें/उद्योग संघ की बैठकें आरपीसी (क्षेत्रीय विद्युत समिति) की बैठकें प्रदर्शन निगरानी चर्चा/रिपोर्ट/आकलन अनुदान के लिए चर्चाएँ एवं बैठकें/ईमेल सीएजी लेखा–परीक्षा	निरंतर आधार पर जब भी कोई नया कानून/पुनर्विनियमन/नियम प्रस्तावित किया जाता है महीने मे जब भी आवश्यकता हो जब भी आवश्यकता हो विनियमों के अनुसार	विभिन्न वैधानिक नियमों के तहत अनुपालन आवश्यकताओं का पालन प्रस्तावित विधानों पर टिप्पणियाँ/टिप्पणियाँ पूँजी का बँटवारा उन्हें सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए पारदर्शी प्रकटीकरण कार्यप्रणाली पर्यावरण और अन्य लागू कानूनों का अनुपालन अल्पांश शेयरधारकों का हित विभिन्न हकदार अनुदानों के लिए समन्वय
आपूर्तिकर्ता एवं संविदाकार	हमारे आपूर्तिकर्ता और संविदाकार हमारी मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। निर्बाध व्यावसायिक संचालन के लिए एक प्रभावी और कुशल खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हम अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी करते हैं।	हां (एमएसएमई/एससी/एसटी /महिला विक्रेता)	बोली पूर्व चर्चा (पीबीडी)/वेबसाइट/जीईएम पोर्टल/समाचार पत्र विभिन्न प्रबंधन स्तरों पर समीक्षा बैठक एमपीआर आवश्यकताओं के लिए बैठकें/संचार अनुसंधान एवं विकास संस्थानों सहित तकनीकी प्रगति पर संयुक्त चर्चा फीडबैक सत्र क्षमता निर्माण सत्र/कार्यशालाएं/कक्षा प्रशिक्षण	प्रत्येक पुरस्कार के साथ महीने में महीने में नियमित आधार पर एक वर्ष में एक बार जब भी आवश्यक हो	परियोजना और समय–सीमा आदि के बारे में बोलियां और स्पष्टीकरण के लिए कॉल करें। विश्वसनीय भुगतान कार्यक्रम किसी भी प्रश्न का समय पर निवारण दीर्घकालिक साझेदारी और क्षमता निर्माण प्रत्येक निविदाकार और आपूर्तिकर्ताओं के एमपीआर के लिए चर्चा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं आदि के साथ निरंतर जुड़ाव और संवाद। एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं का विकास

हितधारक समूह	ये हितधारक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं	क्या कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के तरीके (ई–मेल, एसएमएसए समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट)	अनुबंध की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	रणनीतिक प्राथमिकताएँ (इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा)।
मीडिया	हमारे व्यवसाय की कुंजी का समय पर और पारदर्शी संचार, जहां हमारे प्रमुख हितधारक इस बात पर अपना विश्वास और विश्वसनीयता रखते हैं कि हम उनके साथ क्या और कैसे संवाद करते हैं, जिसमें मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।	नहीं	प्रेस वार्ता/कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण	1000 से अधिक मीडिया कवरेज/प्रेस वार्ता एवं प्रदर्शनियाँ	सभी प्रासंगिक हितधारकों के लिए पारदर्शी और रणनीतिक संचार सभी हितधारकों और उनकी मांगों के लिए निरंतर फीडबैक चैनल
तकनीकी संस्थान (आईआईटी) आआईआईएससी)	शिक्षा जगत और उद्योग संबंधों को बढ़ावा देना नवोन्मेष और तकनीकी समाधान की संस्कृति व्यवसाय और समाज।	नहीं	एमओयू/शारीरिक बैठकें/सहयोग/वेबिनार/प्रशिक्षण सत्र	जब भी आवश्यकता हो	उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के साथ उभरती प्रौद्योगिकियों की खोज करना और उन्हें अपनाना क्षेत्र–विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास के लिए शिक्षा जगत को अनुसंधान वित्तपोषण

भौतिक विषयों की पहचान करने वाला भौतिकत्व मूल्यांकन

अपने हितधारक जुड़ाव अभ्यास के माध्यम से, हमने इस बात पर करीब से नज़र डाली कि हमारे संचालन से प्रभावित होने वाले लोगों और संगठनों के लिए सबसे अधिक क्या मायने रखता है। हमने उन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भौतिक पहलुओं की एक सूची की सावधानीपूर्वक पहचान की, जिनका हमारे हितधारकों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट समझ हासिल करने के लिए, हमने इन मुद्दों को उनके महत्व के आधार पर एक साथ समूहित करते हुए एक भौतिकत्व मानचित्र बनाया।

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, हमने इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोबारा गौर किया और अपने आंतरिक हितधारकों के साथ चर्चा की। इससे हमें उनके महत्व के स्तर को निर्धारित करने और तदनुसार उन्हें प्राथमिकता देने में मदद मिली। **हमने समान मुद्दों को समेकित किया, जिसके परिणामस्वरूप 19 प्रमुख भौतिक मुद्दे सामने आए। इसके अलावा, हमने अपनी स्थिरता यात्रा में उनके महत्व को स्वीकार करते हुए दो नए भौतिक मुद्दों–साइबर सुरक्षा और सामुदायिक संबंध–की पहचान की।** ये भौतिक मुद्दे हमारे दिशा सूचक यंत्र के रूप में काम करते हैं, जो हमें जिम्मेदार निर्णय लेने और रणनीतिक कार्यों की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। हम अपने परिचालन की लचीलापन और अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करते हुए इन मुद्दों को सीधे संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देकर और सकारात्मक सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा देकर, हम एक ऐसा स्थायी भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं जिससे सभी को लाभ हो।

जैसे–जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने हितधारकों के साझा दृष्टिकोण, जिम्मेदार व्यवसाय के सिद्धांतों और एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। साथ मिलकर, हम इस परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल रहे हैं, हर भौतिक मुद्दे को सभी के लिए एक उज्ज्वल और अधिक समावेशी भविष्य को आकार देने के अवसर के रूप में अपना रहे हैं।

अपने हितधारकों की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ऐसे अभ्यास समग्र व्यावसायिक रणनीति का बड़ा हिस्सा हैं जिन्हें हम भविष्य में आवश्यकता के आधार पर आवधिक समय अंतराल पर जारी रखने की योजना बना रहे हैं। इस मूल्यांकन ने हमें जोखिमों को कम करने और सभी के लिए व्यापार की निरंतरता और समृद्धि सुनिश्चित करने

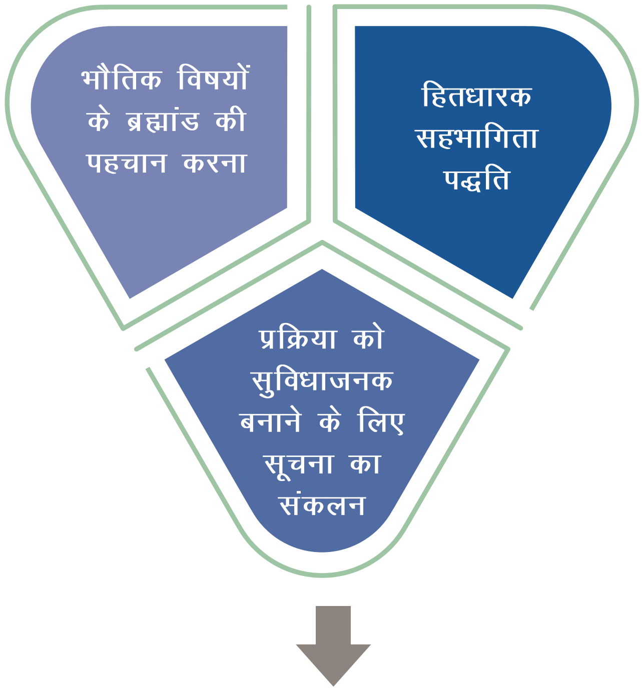

हितधारक सहभागिता द्वारा समर्थित भौतिकत्व मूल्यांकन पद्धति

सामग्री विषय

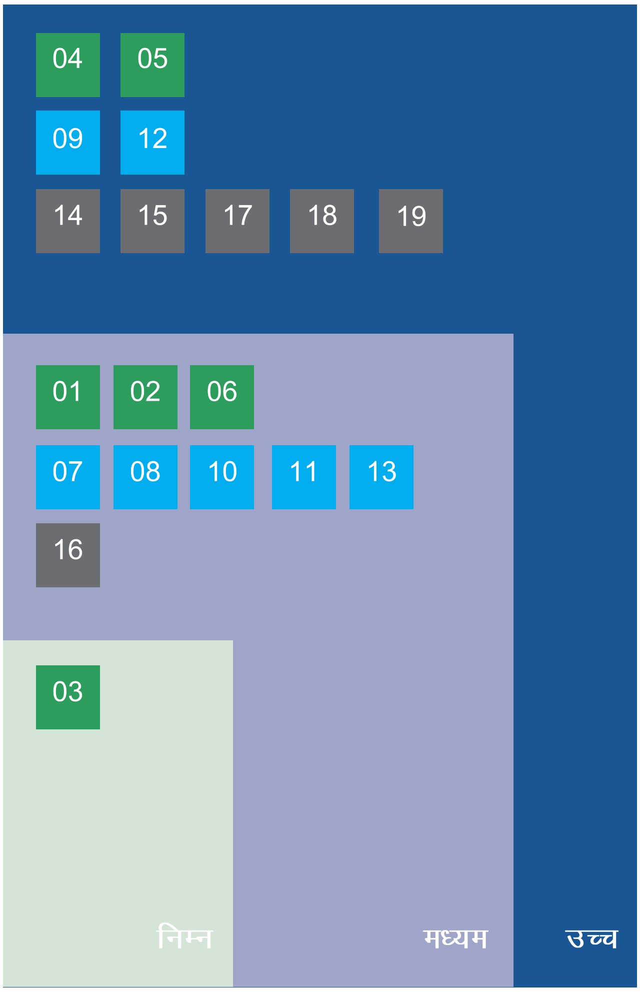

पर्यावरण

01 जलवायु परिवर्तन
02 जैव विविधता/पर्यावरण संरक्षण
03 जल प्रबंधन
04 ऊर्जा प्रबंधन
05 जीएचजी उत्सर्जन
06 अपशिष्ट का प्रबंधन

सामाजिक

07 संघ एवं सामूहिकता की स्वतंत्रता सौदा
08 कर्मचारी लाभ योजना
09 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
10 मानव अधिकार
11 विविधता, गैर–भेदभाव और समानता अवसर
12 मानव पूंजी विकास
13 समुदाय संबंध

शासन

14 नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा
15 विनियामक अनुपालन
16 संधारणीय सोर्सिंग
17 पारदर्शिता
18 प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष
19 साइबर सुरक्षा

हमारा मजबूत शासन

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

जिम्मेदार व्यावसायिक कार्यप्रणालियों को उत्प्रेरित करना

पावरग्रिड जिम्मेदार और नैतिक व्यावसायिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे व्यवसाय संचालन में निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता के प्रति हमारा अडिग पालन हमारे मजबूत शासन ढांचे द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें विनियमों, नीतियों, कार्यप्रणालियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है – प्रेरक समितियों और एक मजबूत नेतृत्व द्वारा शासित, जो हमारे द्वारा संचालित समाज में स्थायी संबंधों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकारए एक विवेकपूर्णए उद्देश्यपूर्ण और समृद्ध पावरग्रिड को सक्षम करना है।

निदेशक मंडल

पावरग्रिड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं का नेतृत्व हमारे निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है और बड़े पैमाने पर हमारे कर्मचारियों द्वारा विकसित किया जाता है। बोर्ड कंपनी के समग्र दृष्टिकोण पर निगरानी रखता है और महत्वपूर्ण मामलों में सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, इस प्रकार सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करता है। निवेश, विविधीकरण, खरीद, वाणिज्यिक और वित्त से संबंधित प्रमुख रणनीतिक निर्णय बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद लागू किए जाते हैं। बोर्ड में कई समितियाँ हैं – जिन्हें पूरे संगठन में जिम्मेदार आचरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियाँ, कर्तव्य, अधिकार और शक्तियाँ सौंपी गई हैं। संगठन और हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर पारदर्शी और सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए इन समितियों की अध्यक्षता स्वतंत्र बोर्ड सदस्यों द्वारा भी की जाती है।

पावरग्रिड का बोर्ड भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित "महारत्न" दर्जे के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण निवेश और परिचालन निर्णय लेने में अपनी स्वायत्तता से अवगत है और अपने संसाधनों का जिम्मेदार और नैतिक उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री के. श्रीकांत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री के. श्रीकांत (59 वर्ष), (डीआईएनः 06615674) हमारी कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। वह प्रबंधन विकास संस्थान, गुड़गांव से सीएमए और पीजीडीएम (वित्त) हैं। उनके पास बिजली उत्पादन और पारेषण क्षेत्र में वित्त, वाणिज्यिक, नियामक मामलों और उद्यम संसाधन योजना, परियोजना निर्माण और प्रबंधन में 37 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्हें अगस्त, 2019 में सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया था।

C C C C C C C

श्री अभय चौधरी
निदेशक (परियोजना)

श्री अभय चौधरी (59 वर्ष), (डीआईएनः 07388432) हमारी कंपनी के निदेशक (परियोजना) हैं। इस कार्यभार को संभालने से पहले, वह कंपनी में सीएमडी समन्वय सेल के प्रभारी के साथ–साथ कार्यकारी निदेशक (वाणिज्यिक और नियामक) थे। उन्होंने एनआईटी दुर्गापुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है और आईएमटी गाजियाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। पावर सेक्टर में लगभग 37 वर्षों के अपने करियर के दौरान, उन्होंने ईएचवी सब स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों में एक संचालन और रखरखाव कार्यकारी के साथ–साथ एक निर्माण इंजीनियर के रूप में विभिन्न पदों पर काम किया है। उन्होंने 2015–17 तक उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया। 1991 में पावरग्रिड में शामिल होने से पहले, वह लगभग 6 वर्षों तक एनटीपीसी में थे। उन्हें नवंबर, 2020 में हमारे बोर्ड में निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया था।

M M C M M M M M

श्री आर के त्यागी
निदेशक (प्रचालन)

श्री आर.के. त्यागी (57 वर्ष), (डीआईएन:09632316) हमारी कंपनी के निदेशक (प्रचालन) हैं। वह पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पी.ई.सी.), चंडीगढ़ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली से एनर्जी स्टडीज में एम.(टेक) पूरा किया है। श्री त्यागी कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया, यूएसए से फुलब्राइट स्कॉलर हैं। उनके पास पावर सेक्टर में पावरग्रिड और एनटीपीसी जैसे प्रमुख सीपीएसयू में विभिन्न प्रमुख पदों पर 33 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। उन्होंने परिसंपत्ति प्रबंधनए परियोजना निष्पादन और निगरानी, इंजीनियरिंग, व्यवसाय विकास, दूरसंचार, लोड डिस्पैच और संचार, एनटीएएमसी, वित्त, वाणिज्यिक, मानव संसाधन संपदा प्रबंधन, सुरक्षा, डीएमएस आदि जैसे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में बहु–विषयक कार्यों को संभाला है। श्री आर.के. त्यागी तकनीकी मानक तैयार करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी समितियों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे है। वह 50 से अधिक तकनीकी पत्रों के लेखक हैं जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स और पावर ट्रांसमिशन में बैंबू नेलिंग और सेंड पाइलिंग तकनीक पर हैंडबुक भी प्रकाशित की हैं।

M M M M

श्री जी रविशंकर
निदेशक (वित्त)

जी रविशंकर (57 वर्ष) (डीआईएनः 08816101) मद्रास विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक हैं और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान से लागत लेखाकार हैं। उन्होंने अन्नामलाई विश्वविद्यालय से कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है। एक कुशल टेक्नोक्रेट, उनके पास योग्यता के बाद 32 वर्षों का अनुभव है, उन्होंने मुख्य रूप से पावरग्रिड (एनएलसी इंडिया लिमिटेड में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद) में भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित निर्माण कार्यालय, उप–स्टेशनों, क्षेत्रीय मुख्यालयों और कॉर्पोरेट सेंटर में सेवा की है। उनके पास प्रमुख वित्त कार्यों में व्यापक अनुभव है। संसाधन जुटाना, बजट बनाना, वित्तीय रिपोर्टिंग, वाणिज्यिक और सेवानिवृत्ति लाभ निधि प्रबंधन। उन्होंने वित्त कार्यों के डिजिटलीकरण, बिल प्रोसेसिंग हब की स्थापना और ईआरपी कार्यान्वयन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बिजनेस सिमुलेशन प्रतियोगिताओं में भी अपनी टीम का नेतृत्व किया और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक प्रबंधन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एशियाई चैम्पियनशिप में क्वालीफाई करने के अलावा राष्ट्रीय प्रबंधन खेल चैम्पियनशिप में भी प्रशंसा हासिल की। उन्हें सितंबर, 2022 में हमारे बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था।

M M M M C M M M M M M

डॉ. साई बाबा दर्भमुल
सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. साईबाबा दरबामुल्ला (डीआईएनः 10167281) काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, लंदन, यूके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली से परिवहन सुरक्षा क्षेत्र में डॉक्टरेट और प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), गुड़गांव से सूचना प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं। वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैडर की भारतीय रेलवे सेवा से संबंधित हैं और वर्ष 1993 में शामिल हुए थे। अपने अब तक के 30 वर्षों से अधिक के करियर के दौरान, वह भारतीय रेलवे में डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनियर, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उप निदेशक सहित विभिन्न पदों पर रहे हैं। (रोलिंग स्टॉक) मोज़ाम्बिक में विश्व बैंक सहायता प्राप्त रेलवे पुनर्वास परियोजना में, निदेशक (आईपीएमडी), निदेशक (आईएसएस), निदेशक (सतर्कता), निदेशक (एमपीएलएडीएस) आदि। उनकी विशेषज्ञता में अन्य बातों के अलावा, परियोजना योजना और कार्यान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय निविदा और खरीद, सूचना प्रबंधन प्रणाली और डेटा विश्लेषण, परिवहन सुरक्षा और प्रबंधन, गुणवत्ता प्रणालियों के प्रमाणित प्रमुख मूल्यांकनकर्ता, केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी आदि शामिल है। उनके पास विभिन्न क्षमताओं में मुख्य अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों में सेवा करने का अनुभव है। डॉ. साई बाबा दर्भमुल वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

M M M M M

श्री दिलीप निगम
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री दिलीप निगम (डीआईएनः 02990661) एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकॉक, थाईलैंड से ऊर्जा प्रौद्योगिकी में एम.टेक हैं। उनकी विशेषज्ञता सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में है। शुरुआत में कुछ वर्षों तक निजी क्षेत्र में काम करने के बादए वह 1987 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में शामिल हो गए। उन्होंने 16 वर्षों तक मंत्रालय के पवन ऊर्जा कार्यक्रम में काम किया, जब देश में पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां शुरू की गईं। पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र (सी–डब्ल्यूईटी) अब एनआईडब्ल्यूई की स्थापना उनके मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत की गई थी। मंत्रालय में उन्होंने सौर ऊर्जा कार्यक्रमों पर 21 वर्षों तक काम किया है। श्री निगम वर्तमान में मंत्रालय में सलाहकार/वैज्ञानिक "जी" (राष्ट्रीय सौर मिशन) के रूप में कार्यरत हैं और देश में सौर ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं से निपट रहे हैं। उन्हें जून, 2022 में हमारे बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया
स्वतंत्र निदेशक

श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया (47 वर्ष) (डीआईएनः 09402860) पुणे विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। वह भूमि विकास और भवन निर्माण के व्यवसाय में हैं और उनके पास संबंधित क्षेत्र में 25 वर्षों का कार्य अनुभव है। वह प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के माध्यम से नदी संरक्षण के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों और नगर निगम के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं। उनकी रुचि के क्षेत्र में प्रबंधन और संगठन, वित्तीय प्रबंधन, सीएसआर कार्यकलाप आदि शामिल हैं। उन्हें नवंबरए 2021 में हमारे बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

C M M M C M M

श्री ओंकारप्पा के एन
स्वतंत्र निदेशक

श्री ओंकारप्पा के एन (61 वर्ष) (डीआईएनः 09403906) मैसूर विश्वविद्यालयए मैसूर से स्नातक हैं। वह पेशे से एक शिक्षाविद् हैं जिनके पास शिक्षा और विभिन्न संबंधित क्षेत्रों में 37 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह कुवेम्पु विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेट सदस्य, बागवानी विश्वविद्यालय, बगलकोट, कर्नाटक के पूर्व–बोर्ड सदस्य और कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग के पूर्व–सतर्कता समिति के सदस्य हैं। वह चेतना विद्या समस्त, दावणगेरे के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। उन्हें नवंबर, 2021 में हमारे बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

M M C M M

श्री रामनरेश तिवारी
स्वतंत्र निदेशक

श्री राम नरेश तिवारी (43 वर्ष) (डीआईएनः 09405377) के पास बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी से इतिहास और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में दोहरी मास्टर डिग्री है। वह पेशे से कृषक हैं। उनकी रुचि के क्षेत्र में कृषि, मिश्रित खेती, व्यावसायिक सहकारी कार्यकलाप, सामाजिक और कृषि कल्याण प्रबंधन आदि के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी अपनाने का कार्यान्वयन शामिल है। उन्हें नवंबर, 2021 में हमारे बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

M M M M M M

बोर्ड समितियाँ

- अंकेक्षण
- परियोजनाओं पर निवेश
- संविदा प्रदान करना
- हितधारकों का संबंध
- सीएसआर
- जोखिम प्रबंधन
- बांड
- स्थानांतरण/विभाजन/रीमटेरियलाइजेशन
- नामांकन और पारिश्रमिक
- नया व्यवसाय
- विनिमय जोखिम प्रबंधन
- InvIT के माध्यम से आस्तियों का मुद्रीकरण
- टीबीसीबी परियोजनाएं
- खरीद और राष्ट्रीय मिशनों पर भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन

सीः अध्यक्ष
एमः सदस्य

निदेशक मंडल की संरचना

पावरग्रिड अपनी स्थापना के बाद से ही विविधता, सक्षमता और स्वतंत्रता पर जोर देता रहा है। हम आश्वस्त हैं कि एक विविध बोर्ड संगठन में नवाचार को बढ़ावा देता है। इसे हमारी बोर्ड विविधता नीति के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। कंपनी के बोर्ड में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन है। कंपनी के बोर्ड में 4 पूर्णकालिक निदेशक (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक), निदेशक (परियोजना), निदेशक (संचालन) और निदेशक (वित्त), 2 सरकारी नामित–अंशकालिक निदेशक और 3 स्वतंत्र निदेशक (गैर–आधिकारिक अंशकालिक) शामिल हैं।)

निदेशक मंडल का नामांकन एवं चयन

पावरग्रिड एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और इसलिए कंपनी के बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कार्यात्मक निदेशकों का चयन सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा किया जाता है और भारत सरकार को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया जाता है। सूचीबद्ध इकाई और सीपीएसई होने के नाते, कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 और स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी सरकारी दिशानिर्देशों, उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करती है।

पावरग्रिड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा की जाती है। डीपीई ने इस संबंध में प्रक्रिया, अनुभव, योग्यता और आयु से संबंधित मानदंड सहित विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। कार्यात्मक और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है।

पावरग्रिड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति भी विद्युत मंत्रालय द्वारा की जाती है।

शासन व्यवस्था को सही करना

हमारे शासन कार्यढांचा के निर्माण खंड

भारत सुशासन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यह जनता के विश्वास और हमारे हितधारकों के साथ मजबूत संबंधों का आधार है। इस उद्देश्य से, हमने मानकीकृत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेंचमार्क प्रक्रियाओं और प्रथाओं को सामने रखा है – जिन्हें नीतियों के माध्यम से लागू किया गया है। हम इन नीतियों और प्रणालियों का संगठन–व्यापी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हैं।

आचार संहिता

संगठन के मिशन और उद्देश्यों के अनुरूप संगठन में पारदर्शिता और नैतिकता को बढ़ाने के उद्देश्य से, पावरग्रिड का दो अलग–अलग आचार संहिता हैं – पहला बोर्ड के सदस्यों के लिए और दूसरा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए। सभी नीतियां अपने अधिकार के भीतर कार्य करने और कंपनी के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। कंपनी का आचरण, अनुशासन और अपील नियम भी हैं जो अपने लोगों से अपेक्षित नैतिक व्यवहार को रेखांकित करते हुए पूर्णकालिक निदेशकों सहित सभी स्थायी कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करते हैं।

मुखबिर और धोखाधड़ी की रोकथाम

पावरग्रिड के कर्मचारियों के साथ–साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, सेवा प्रदाताओं या कोई बाहरी एजेंसी जो कोई कार्य कर रही हो के प्रतिनिधि से जुड़े किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित प्रकटीकरण से निपटने के लिए कंपनी ने मुखबिर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति बनाई है। यह नीति इन प्रकटीकरणों को करने के लिए निरापद और सुरक्षित तरीका प्रदान करती है और किसी भी धोखाधड़ी गतिविधियों का प्रकटीकरण करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करती है। समुचित सावधानी सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने इस तरह के प्रकटीकरण की जांच हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति और सतर्कता विभाग का गठन किया है।

हितों के टकराव से बचना

कंपनी ने वैधानिक नियमनों के अनुपालन में संभावित या वास्तविक हितों के टकराव से बचने के लिए "संबंधित पक्षकार लेनदेन नीति" के माध्यम से शासन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है। इस नीति में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय–समय समीक्षा, अनुमोदन और संशोधन किया जा सकता है।

अन्य शासन संबंधी नीतियां

हमारी नीतियों को https://www.powergrid.in/code-conductpolicies पर देख सकते हैं।

पावरग्रिड का जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन के लिए सक्रिय दृष्टिकोण

हमारा व्यवसाय अत्यधिक गतिशील, अनिश्चित और जटिल प्रकृति का है जहां हमेशा व्यावसायिक जोखिम बना रहता हैं। इस प्रकार, हमारे लिए यह अपरिहार्य हो गया है कि हम अपने सामने आने वाले जोखिमों की प्रकृति और परिमाण का सक्रिय रूप से मूल्यांकन कर सके और उन्हें प्रबंधित करने और कम करने के उपाय करने के हेतु व्यवस्थित प्रक्रिया विकसित करें। पावरग्रिड में हम संभावित उपायों और तेजी से उभरते जोखिमों और हमारे दिन–प्रतिदिन के व्यवसाय पर उनके प्रभाव की पहचान करने के लिए अपने बाहरी वातावरण की लगातार निगरानी करते हैं। हम अपने व्यावसायिक प्रक्रियाओं में विस्तृत और समग्र जोखिम प्रबंधन क्षमता बना, रखने के लिए समर्पित हैं।

इन संभावित जोखिमों का समाधान करने के लिए, हम समाधान–केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हैं और हमारे जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी, प्रबंधन और शमन के लिए अच्छी तरह से स्थापित, व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) कार्यढांचे पर विश्वास करते हैं।

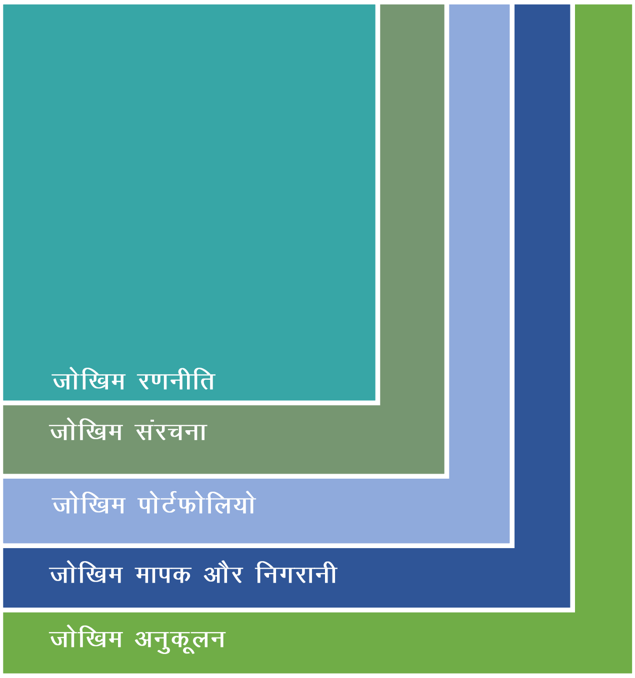

हमारा ईआरएम कार्यढांचा हमारे व्यवसाय संचालन और विकास उद्देश्यों से जुड़े अन्य जोखिमों के साथ–साथ रणनीतिक, क्रियाशील, संधारणीय, शासन और साइबर सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए तैयार किया गया है।

हम अपने व्यवसाय के अन्य पहलुओं पर एकल जोखिम के गतिशील बहुआयामी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सभी जोखिमों पर समग्र रूप से विचार करते हैं और विभिन्न प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से ऐसे जोखिमों की निगरानी और नियंत्रण करते हैं।

पहचाने गए जोखिमों और शमन उपायों की समय–समय पर समीक्षा और निगरानी करने के लिए, पावरग्रिड की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को समर्पित बोर्ड–स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिसमें न्यूनतम तीन सदस्य होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से निदेशक मंडल के सदस्य और स्वतंत्र निदेशक शामिल होते हैं। समिति तिमाही में एक बार या आवश्यकता के आधार पर बैठक करती है और केपीआई और प्रमुख व्यावसायिक जोखिमों की समीक्षा करती है, और व्यावसायिक दक्षता में सुधार के लिए सुधारात्मक मार्गदर्शन करती है। हमारी जोखिम प्रबंधन प्रणाली सटीक जोखिम पहचान की गारंटी देने के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ है और बिखरी हुई जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूलनीय है।

हमारे पास कंपनी की ओर से नामित मुख्य जोखिम अधिकारी है जिसे सभी पहचाने गए जोखिमों की निगरानी, प्रबंधन और सूचना प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पावरग्रिड वर्षों से हमारे सभी व्यावसायिक निर्णयों में जोखिम प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों को एकीकृत करने में सक्षम रहा है। हमारा उद्यम जोखिम प्रबंधन कार्यढ़ाचा लगातार हमारे व्यापार संचालन से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करने और विकास प्रक्षेप पथ पर हमारी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक आर्थिक प्रवृत्ति की निगरानी करता है। यह कार्यढांचा कंपनी को न केवल विभिन्न आंतरिक और बाह्य जोखिमों को पहचानने और उन्हें कम करने में मदद करता है, बल्कि उन जोखिमों से जुड़े उभरते अवसरों को भुनाने में भी मदद करता है। हम सक्रिय रूप से अपने सभी हितधारकों को वार्ता में भाग लेने और दीर्घकालिक संधारणीयता और पारस्परिक मूल्य सृजन में हमारे साथ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमें आने वाले दशक में संधारणीय और जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ने में मदद करेगा।

पावरग्रिड के जोखिम प्रबंधन संगठन की संरचना

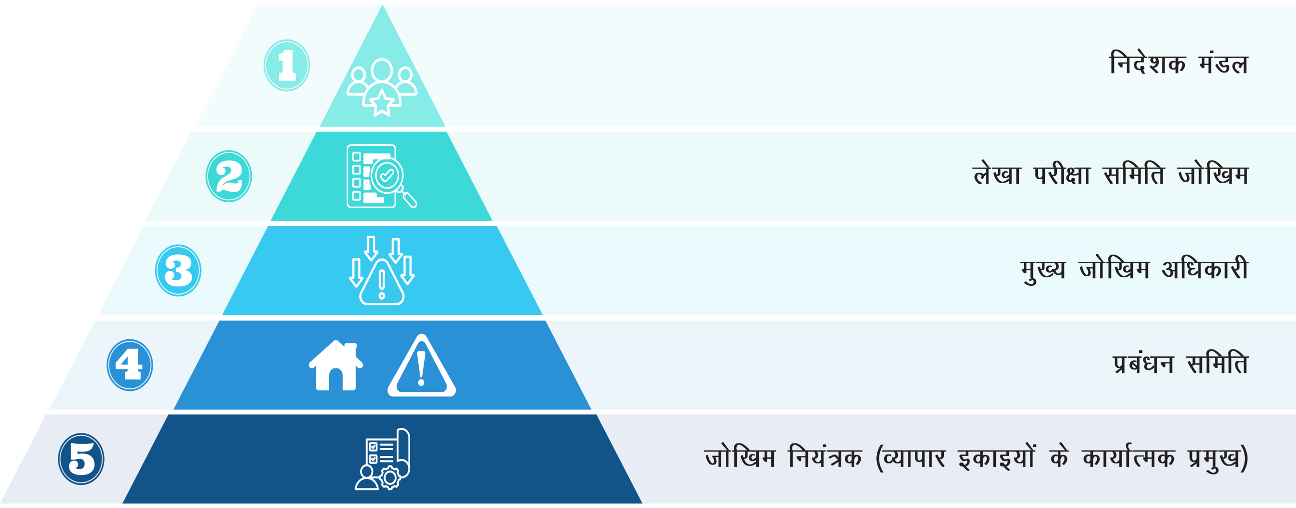

पावरग्रिड मूल्य सृजन संबंधी रूपरेखा

निविष्टि

दृढ़ निर्णय

इक्विटी	: 83015 करोड़ रु
ऋण	: 125895 करोड़ रु
वि.व. 23 में पूंजीगत व्यय	: 9212 करोड़ रु.

प्रचालन क्षमता

प्रचालनात्मक पारेषण सीमा (सीकेएम)	: 174113
उप– केन्द्र की संख्या	: 272
दूरसंचार नेटवर्क (किमी)	: 82294
वैश्विक छाप	: 23 देश

नवोन्मेष एवं अनुसंधान और विकास

पारटेक की स्थापना

आस्ति प्रबंधन के लिए डिजिटल अनुप्रयोग – पीजीदर्पण, उड़ान, पाल्मस 2.0

ज्ञान प्रबंधन और ई–शिक्षण पोर्टल – प्रज्ञान

विविध मानव संसाधन

कुल कर्मचारी	: 8342
कुल कर्मचारी प्रशिक्षण घंटे	: 494144
पितृत्व/मातृत्व अवकाश के बाद ड्यूटी पर वापस लौटना	: 100%

सामाजिक समावेशिता

सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी	: 168
सीएसआर व्यय	: ₹ 321.66 करोड़
स्थानीय खरीद	: >90%

जलवायु संबंधी सतर्कता

नवीकरणीय ऊर्जा सृजन	रू 8567 मेगावाट
जल की खपत	रू 2777668 केएल

हमारी प्रक्रिया

हमारी व्यावसायिक सेवा की पेशकश

- पारेषण
- दूरसंचार
- परामर्श
- अन्य व्यावसायिक अवसर

विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में पावरग्रिड

सृजन | पारेषण | वितरण

हमारा विजन

विश्वसनीयता, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उभरते बिजली बाजारों में प्रमुख नेतृत्व करने वाले विश्व स्तरीय, एकीकृत, वैश्विक पारेषण कंपनी

आउटपुट	परिणाम	
4,99,362 एमवीए परिवर्तन क्षमता	**सृजित वित्तीय मूल्य**	
	संचालन से राजस्व	₹ 45581 करोड़
	पीएटी	₹ 15417 करोड़
	आरओएनडब्ल्यू	18.57%
97,290 एमडब्ल्यू अंतर क्षेत्रीय क्षमता	**उत्कृष्टता प्रदान करना**	
	संचालित अतिरिक्त पारेषण सीमा (सीकेएम)	2972
	जोड़े गए उप–केन्द्रों की संख्या	9
	उपलब्ध पारेषण नेटवर्क	99.82%
	उपलब्ध दूरसंचार	99.99%
आस्ति प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का अनुकूलन	**परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी**	
	धारित पेटेंट की संख्या	2
	डिजिटल उप–केन्द्र	1
	विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल	100
99.82% प्रणाली की उपलब्धता	**एकजुटता को अपनाना**	
	नौकरी छोड़ने की दर	5.37%
	समय नष्ट चोट दर	0.1
	व्यावसायिक मृत्यु दर	0
संधारणीय और उत्तरदायी व्यवसाय प्रणाली	**सद्भाव हेतु प्रसन्नता**	
	पूर्ण सीएसआर परियोजनाएं (नग)	135
	(परियोजना की संख्या) परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन किया गया।	67
	एमएसएमई खरीद (%)	53.34:
	प्लैनेट फॉर्स्ट	
	ऊर्जा बचत	1224824 एमड्ब्ल्यूएच
	जलपुनर्भर (वर्षा जल संचयन के माध्यम से)	347724 केएल

वित्तीय पूंजी

आर्थिक विस्तार और निवेश संभावनाओं का प्रमुख संचालन

आर्थिक विस्तार और निवेश संभावनाओं का प्रमुख संचालक

हम दुनिया की सबसे बड़ी पारेषण कंपनियों में से एक हैं और मुख्य रूप से अंतर–राज्यिक पारेषण क्षेत्र में हमारा कार्य चल रहा है। हमारे वित्तीय विवेक और दीर्घकालिक व्यावसायिक कौशल की शक्ति हमारे व्यवसाय के लिए मूल्य–सृजन इंजन रही है। अपनी भविष्य की व्यावसायिक आकांक्षाओं का निर्माण करते समय, हम यह भी समझते हैं कि हमारे विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और हमारे सभी हितधारकों के लिए मूल्य जुटाने के लिए हमारी वित्तीय नींव की अखंडता को बनाए रखना अत्यावश्यक है।

हमारी वित्तीय पूंजी ने हमें अपने दीर्घकालिक निरंतर विकास को मजबूती प्रदान किया है। हमारे मजबूत वित्तीय प्रबंधन में जो दृष्टिकोण निहित है वह हमें व्यावसायिक संधारणीयता और विकास की संभावनाओं में हमारे संधारणीय संचालन और निवेश हेतु आवश्यक निधि निर्धारित करने में मदद करता है।

पावरग्रिड में, हम जैविक और अजैव दोनों तरह के नए विकास के अवसरों का पता लगाने और उन्हें भविष्य के व्यवसायों में पूंजीकृत करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चाहे स्मार्ट–ग्रिड/स्मार्ट–मीटरिंग समाधानों की बात हो या हरित गलियारा स्थापित करना हो, हमने हमेशा अनछुए क्षेत्रों में कदम रखा है और स्वयं को भारत के संपूर्ण पारेषण क्षेत्र के लिए उत्प्रेरक के रूप में स्थापित किया है।

दीर्घकालिक मूल्य सृजन हेतु प्रतिबद्ध भावी सोच रखने वाली सार्वजनिक उपयोगिता कंपनी के रूप में, हम मानते हैं कि हमारा सफल वित्तीय प्रबंधन हमारे संचालन की रीढ़ है, जो हमें नवोन्मेष में निवेश करने, हमारी पहुंच का विस्तार करने और उच्च गुणवत्ता प्रदान करने, हमारे हितधारकों के लिए नए युग की सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। हमने अपने पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) जिम्मेदारियों को बनाए रखते हुए अधिकतम आय प्राप्त करने के लिए रणनीतिक रूप से प्रबंधित और आवंटित करने के उद्देश्य से अपने सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में मजबूत गति से आगे बढ़ना जारी रखा।

हमारे समग्र व्यापारिक निर्णय लेने के कार्यढांचे के माध्यम से, हमने अपनी व्यावसायिक दक्षता, अपनी मानव पूंजी के विकास या अपने सामुदायिक संबंधों के पोषण के लिए प्राप्त परिणामों में सामंजस्य लाने के लिए अपनी वित्तीय पूंजी को अन्य सभी पूंजियों के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया है।

हम निम्न कारणों से वित्तीय पूंजी में निवेश करते हैं

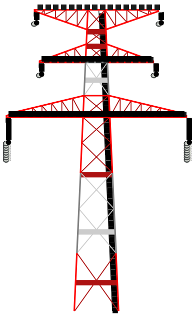

कम से कम डाउन–टाइम सहित अवसंरचना का विकास

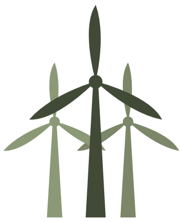

ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करना

हमारे संचालनों में निरंतर प्रगति के लिए अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी नवोन्मेष जिससे हमारी व्यावसायिक प्रक्रियाओं का अद्यतन किया जा सके।

अपने मानव पूंजी की भलाई और उन्नयन

सामुदायिक संबंधों का पोषण

वर्ष 2022–23 की प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

सृजित कुल आर्थिक मूल्य
(रुपये करोड़ में)

संचालन से राजस्व
(रुपये करोड़ में)

ईबीआईटीडीए
(रुपये करोड़ में)

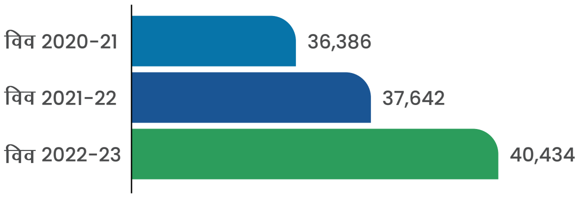

परिचालन लाभ
(रुपये करोड़ में)

परिचालन व्यय
(रुपये करोड़ में)

बाजार पूंजी
(रुपये करोड़ में)

नियोजित पूंजी पर आय
(रुपये करोड़ में)

विकास के लिए वित्तीय शक्ति

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, परिचालन से हमारा राजस्व 10% बढ़कर 45,581 करोड़ रुपये हो गया (वित्त वर्ष 2021–22 में 41,622 करोड़ रुपये की तुलना में)। इस कुल वृद्धि में से, अधिकतम वृद्धि इंटर और इंट्रा राज्य पारेषण प्रणाली के विकास की ओर आगे बढ़ने और प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत विभिन्न अवसरों का पता लगाने की हमारी रणनीति के कारण हुई है। यह अवसंरचना विकास में निवेश करने, हमारे ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने और हमारे संचालन में तकनीकी नवोन्मेष को संचलान करने के लिए हमारी रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमने न केवल पारेषण संबंधी व्यापार में, बल्कि हमने अपने दूरसंचार व्यापार में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

पावरग्रिड में, हम अपने वित्तीय संसाधनों और निवेशों पर आय को और अधिक करने का प्रयास करते हुए परिचालन परिदृश्यों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

हमारे व्यवसाय रूपरेखा की शक्ति और ऊर्जा उद्योग की उभरती गतिशीलता के प्रत्युत्तर में हमने जो लघु और मध्यम अवधि की पहल विकसित की है, वह वर्ष 2022–23 की वित्तीय निष्पादन में झलकता है।

हमारे वाणिज्यिक संचालन और वित्तपोषण कार्यकलाप निधि जुटाती हैं जो हमारी वित्तीय पूंजी के रूप में काम करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने दृढ़ कार्यान्वयन के दम पर अपने शानदार निष्पादन के परिणामस्वरूप एक ठोस तुलन पत्र बनाई है, जो द्रुत विकास और लाभप्रदता के संयोजन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। स्थायी और आकर्षक वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हमारे हितधारक यह चाहते है कि हम उन्हें बड़ी व्यावसायिक योजना से समर्थित दीर्घकालिक विकास की पेशकश करें।

मूर्त आस्तियां जो अर्थव्यवस्था के उत्प

विनिर्मित पूंजी

ादन और विकास को बढ़ावा देती हैं

हमारी प्राथमिकताएं

अवसंरचना सुरक्षा और आस्ति प्रबंधन

• • •

दक्षतापूर्ण परियोजना प्रबंधन और संचालन

• • •

उत्तरदायी स्रोत की और बढ़ते कदम

• • •

हितधारकों की बातें सुनना

• • •

बेहतर व्यापारिक उत्पादकता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

परिचालन कौशल की विरासत

दुनिया की सबसे बड़ी पारेषण उपयोगिताओं में से अग्रणी होने के नाते पावरग्रिड भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और वर्षों से बड़ी और महत्वपूर्ण पारेषण परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर रहा है। **हमारे 33 वर्षों की विकास गाथा में हमारे ठोस प्रयासों के माध्यम से हमने भारत में पारेषण क्षेत्र के विकास को गति देते हुए एक अतुलनीय पारेषण कौशल का निर्माण किया है।**

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में, हम समझते हैं कि हमें अपने संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने, हमारे संचालन के लचीलेपन को बढ़ाने और निरंतर विकसित उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले 33 वर्षों से, हमने हमेशा अपनी आस्तियों की दक्षता, और निष्पादन में सुधार और ट्रिपिंग से जुड़े रुकावटों को कम करके समग्र इष्टतमीकरण और अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया है।

एक कंपनी के रूप में, हम **प्रति दिन बेहतर करने में विश्वास** करते हैं और हमारे इसी विश्वास ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी पारेषण लाइनें और उप–केन्द्र आदि तकनीकी रूप से उन्नत, समुत्थानशील हैं और हमारे पर्यावरणीय फुटप्रिंट को अधिक गहरा नहीं करते हैं।

हम सभी के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे संरचित दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जो सुधार के निम्नलिखित मुख्य स्तंभों पर केंद्रित हैं:

पारेषण आस्तियां

ट्रांसफार्मर और रिएक्टर
>3,600

पारेषण लाइनें
174,113 सीकेएम

पारेषण टावर
>290,000

प्रणाली की उपलब्धता
99.82%

उप–केन्द्र
272

परिवर्तन क्षमता
499,362 एमवीए

परिणाम–परियोजना के लिए प्रतिज्ञाबद्ध

अपने अनुभवों से जो हमने सीखा है उसे अतीक के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है लेकिन उनका उपयोग निश्चित तौर पर भविष्य के लिए किया जाना चाहिए। यही हमारी संगठन का मुख्य विषय रहा है। संचालन के लिए हमारे रणनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि हमने अपनी नई और सतत परियोजनाओं की योजना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अपने पिछले सबक और अनुभवों को सफलतापूर्वक भुनाया है। इसके परिणामस्वरूप परिणाम–प्रतिज्ञाबद्ध में महत्वपूर्ण अंतर्निहित अनुप्रयोग हुआ है, जो हमें किसी भी परियोजना के मूर्त और अमूर्त परिणामों पर एक साथ विचार करने में सक्षम बनाता है।

अपनी योग्यता के माध्यम से, हमने स्वयं को विभिन्न राज्यों और उपयोगिताओं के लिए पसंदीदा भागीदार के रूप में स्थापित किया है और वैश्विक स्तर पर और साथ ही **घरेलू बाजारों में रोबस्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम आदि** जैसी भावी व्यावसायिक अवसरों के लिए प्रमुख परियोजना सलाहकार के रूप में कार्य किया है।

वर्ष 2025 तक हम 50% बिजली खपत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं

वर्षों से, अतीत से मिली सीख को अपनाते हुए हमने लागत, समय और गुणवत्ता संबंधी धारणाओं को कम करने के लिए प्रभावी परियोजना वितरण प्रणाली विकसित की है। हम हर परियोजना का आकलन न केवल उसकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर करते हैं, बल्कि हमारे हितधारकों के लिए इसके परिणाम का आकलन करने के ठोस मानदंडों पर भी करते हैं, और यह उनके और मानव जाति के लिए बड़े पैमाने पर कीमत अदा करेगा।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम बनाना

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है। ऐसा लगता है कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के तरीकों में परिवर्तन के चरम बिंदु तक पहुंच चुके हैं, जबकि यह सुनिश्चित है कि ऊर्जा सभी के लिए उपलब्ध है। देश के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भौगोलिक रूप से प्रतिभाशाली क्षेत्रों में गीगावॉट क्षमता वाले विशाल नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

अपनी प्रतिबद्धताओं को मूर्त कार्यों में बदलते हुए हम अपने विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध खाली भूमि पर बड़े पैमाने पर सौर पीवी संयंत्र स्थापित करने जा रहे हैं। **हमारा 85 मेगावाट क्षमता वाला पहला संयंत्र उज्जैन (म.प्र.) के नागदा, जिले में स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जबलपुर, वर्धा, औरंगाबाद और खम्मम में 82 मेगावाट की संचयी क्षमता वाले सौर पीवी ऊर्जा संयत्र की स्थापना योजनांतर्गत चरण में है। हमने 118 स्थानों पर 8.2 एमड्ब्ल्यूपी की छत सौर पीवी प्रणालियाँ भी स्थापित की हैं और इसके अतिरिक्त, 6.3 एमड्ब्ल्यूपी क्षमता की छत सौर पीवी प्रणालियाँ कार्यान्वयनाधीन हैं।**

वर्ष 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य गैर–जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक बढ़ाने का है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा की इस पर्याप्त मात्रा के परिवर्तन के लिए बड़ी मात्रा में मांगकर्ता सभी समूहों में इसे लगातार स्थानांतरित करने के लिए

भारत के माननीय राष्ट्रपति
श्रीमती द्रौपदी मुर्मु
सौर ऊर्जा की निकासी के लिए पावरग्रिड द्वारा निर्मित पारेषण प्रणाली को समर्पित किया।

अत्याधुनिक क्षमताओं और कुशल तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होगी।

हमने राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडुए महाराष्ट्र, कर्नाटकए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित भारत के कई राज्यों में भारत की बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादन क्षमता को एकीकृत करने के लिए कई अंतर–राज्य पारेषण सुविधाएं लागू की हैं।

राष्ट्रीय ग्रिड में सौर ऊर्जा का यह एकीकरण एक ऐसा अवसर है जिसमें निधि सृजन करने की अपार संभावनाएं हैं और इसके लिए हमें स्मार्ट निवेश विकल्पों की आवश्यकता होगी।

नए अवसरों की ओर अग्रसर

हम अपने हितधारकों को मूल्यवान मानते हुए अपने उद्योग में लगातार नए क्षेत्रों, तरीके और अवसरों की खोज कर रहे हैं। हमने डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व, संचालन और स्थानांतरण (डीबीएफओओटी) रूपरेखा के अंतर्गत राज्यिक उपयोगिताओं के लिए स्मार्ट मीटर की स्थापना के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं और एक करोड़ स्मार्ट मीटर के लिए एंड–टू–एंड स्मार्ट मीटरिंग समाधान हेतु खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, हमने भारत सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत लगभग 65–70 लाख स्मार्ट मीटर की स्थापना के लिए मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड और उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के साथ सफलतापूर्वक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

वित्त वर्ष 2022–23, के दौरान पावरग्रिड ने इंटर और इंट्रास्टेट पारेषण प्रणाली में 2,972 सीकेएमए 9 उप–केन्द्र और 28,990 एमवीए परिवर्तन क्षमता प्रभारित की है।

ये वे परिणाम हैं जो हमने कई चर्चाओं, अपने हितधारकों के साथ बातचीत, कई विभागों द्वारा किए गए प्रयासों, परियोजना की आवश्यकताओं का आकलन करने और परियोजना निष्पादन में चुस्त दृष्टिकोण का पालन करने के बाद प्राप्त किए हैं।

हम भविष्य के ग्रिड के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के अज्ञात अवसर का लाभ उठा रहे हैं। इस रणनीतिक व्यापार उद्यम की प्रचालन और आर्थिक मूल्य क्षमता को समझने के लिए हमने एक स्वतंत्र तृतीय–पक्षकार अध्ययन भी किया है।

सीमाओं से परे सेवा करना

हम अपने उद्योग संबंधी बाजार के अग्रणी हैं और हमने विभिन्न पड़ोसी देशों में अपने नेटवर्क का विस्तार किया है। हम जानते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा हमारे पड़ोसी देशों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारे देश के लिए और यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों और सार्क और बिम्सटेक जैसे अंतरराष्ट्रीय संघों में हमारी उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम दक्षिण–एशियाई क्षेत्र के उपयुक्त स्थान पर स्थित हैं और सार्क और बिम्सटेक सदस्य देशों के साथ हमारी भौगोलिक सीमाएँ साझा करते हैं।

सीमा पार अंतःसंबंध के माध्यम से भारत और पड़ोसी देशों के बीच वर्तमान संचयी विद्युत अंतरण क्षमता लगभग 4,433 मेगावाट है।

अंतःसंबंध	मौजूदा (एमड्ब्ल्यू)
भारत – बांगलादेश	1,160
भारत – भुटान	2,070
भारत – म्यानमार	3
भारत – नेपाल	1,200
कुल (लगभग...)	**4,433**

पावरग्रिड दक्षिण–एशियाई क्षेत्र में क्षेत्रीय ऊर्जा संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ सुदृढ़ सीमा पार संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष के दौरान, हमने गोरखपुर तक 400 केवी गोरखपुर (भारत) – बुटवल (नेपाल) पारेषण लाइन और बे के भारतीय भाग के विकास के क्रियान्वयन के लिए 50:50 इक्विटी पर एनईए (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) सहित एक संयुक्त उद्यम शुरू किया है।

जिम्मेदार स्रोत की दिशा में गर्व से मेड इन इंडिया...

जब हमारे उपकरण और प्रौद्योगिकी में स्रोत की बात आती है तो हमने हमेशा स्थानीय उपकरण पर ध्यान केंद्रित किया है और हमने अपने पारेषण प्रणाली की प्रगति और अनुरक्षण के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला के स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, हमने घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लगभग 90% से अधिक अर्थात 13740 करोड़ रुपये के उपकरण, सामान और सेवाओं की खरीद की है। इससे हमें कोविड, व्यापार–युद्ध आदि जैसी असाधारण परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं पर हमारी निर्भरता को कम करके लचीली मूल्य श्रृंखला तैयार करने में भी मदद मिली है।

सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के कार्यसूची को समझते हुए, हम अधिक से अधिक घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करके अपने स्थानीय विक्रेता और आपूर्तिकर्ता आधार को विकसित करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और उन्हें हमारी विकास की यात्रा में एक अनिवार्य हिस्सा बना रहे हैं। घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए, हमने अपने वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं को सुविधाएं भारत में स्थापित करने के लिए भी प्रेरित किया है, जिससे उन्हें अनुकूल वातावरण और व्यापारिक सुगमता प्रदान की जा सके। हमने हमेशा अपने मौजूदा साझेदारों को उनके उपकरणों को उच्च वोल्टेज स्तर पर अद्यतन करने के प्रयासों का समर्थन किया है, जहां भी आवश्यक हो, उन्हें क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की है, जिसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक व्यापार साझेदारी संभव हो पाई है।

एमएसएमई के विकास में योगदान

हमने एमएसएमई की खरीद सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा जारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2018 के अनुपालन की दिशा में प्रबुद्ध प्रयास किए हैं।

हम अपने एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने के लिए निर्बाध प्रक्रिया स्थापित करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वर्षों से हमने लगातार यह सुनिश्चित किया है कि हम मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद में से 25% की अनिवार्य खरीद की न्यूनतम सीमा पूरा किया हैं।

हमारे सभी विक्रेता भागीदारों (एमएसएमई भागीदारों सहित) के लिए, हमने लगातार विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि उन्हें उनकी मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिल सके और नए विक्रेताओं को हमारे मूल्यवान भागीदारों के रूप में भाग लेने की अनुमति मिल सके।

>90%

स्थानीय खरीद

एमएसई से खरीद

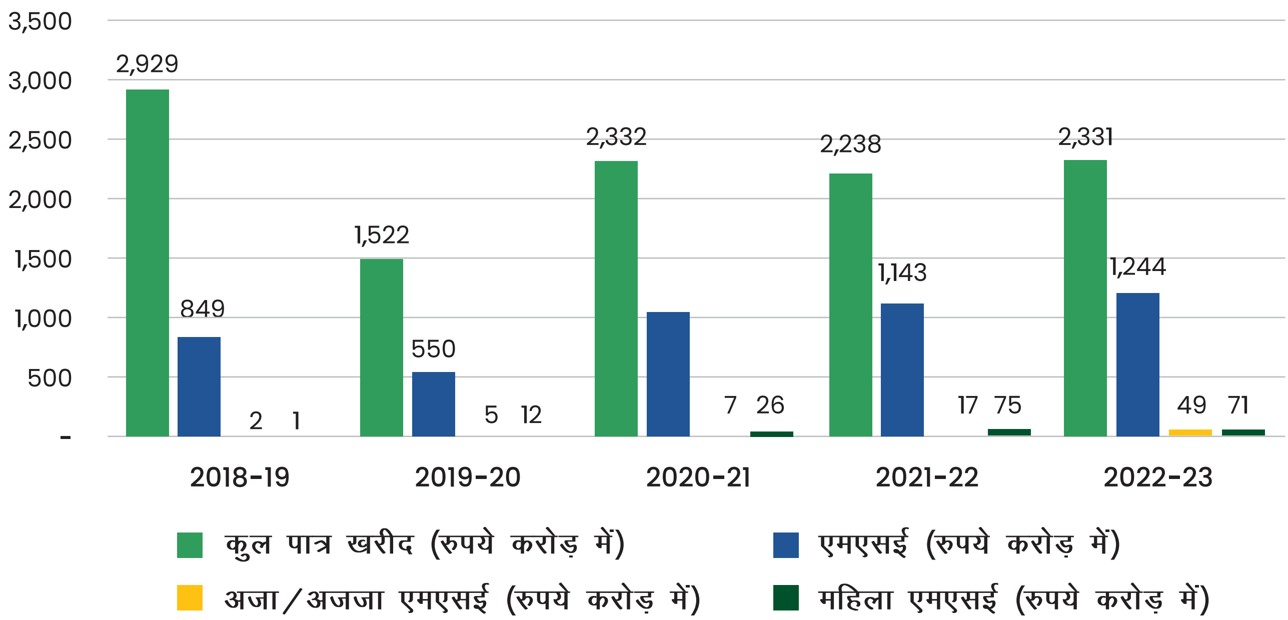

पावरग्रिड द्वारा आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रम

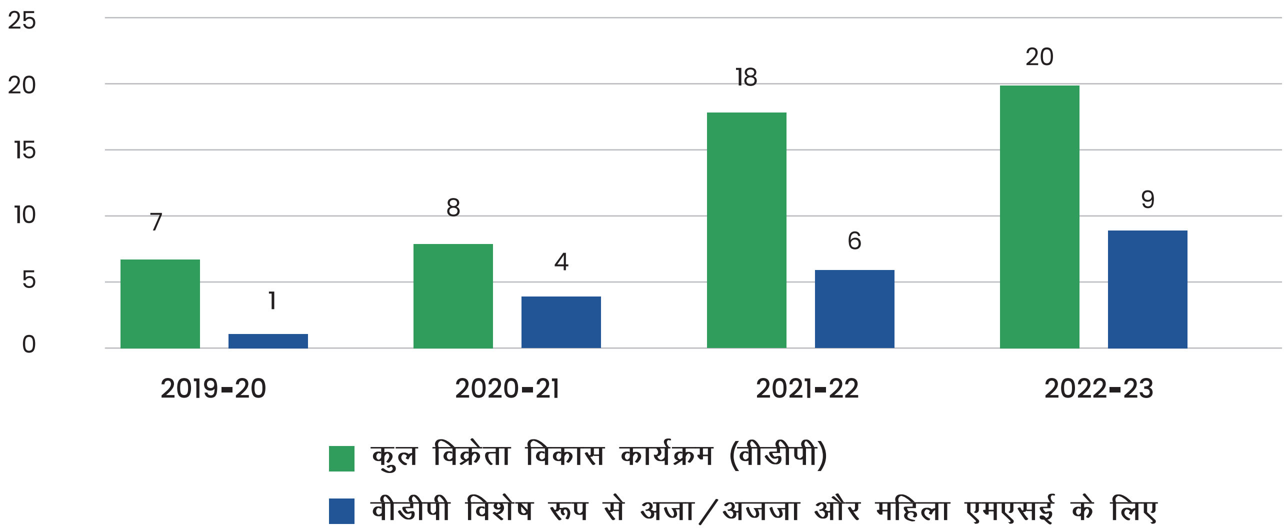

हमारे एमएसएमई भागीदारों के साथ मिलकर आगे बढ़ना

क्षमता निर्माण

नई उत्पाद श्रृंखला विकसित करना

व्यापारिक सुगमता

एमएसएमई के लिए क्षमता निर्माण

हमने अपने एमएसएमई विक्रेताओं को प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से उनकी उत्पादन और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद हेतु सहायक भूमिका निभाई है।

एमएसएमई की नई उत्पाद रेंज विकसित करना

नवोन्मेषी और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की अपनी श्रृंखला तैयार करने की उनकी कुशलता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एमएसएमई के लिए व्यापारिक सुगमता

हमारी संपूर्ण खरीद प्रक्रिया को पुनर्निमाण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खरीद में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हम एमएसई हेतु व्यापारिक सुगमता शुरू की है।

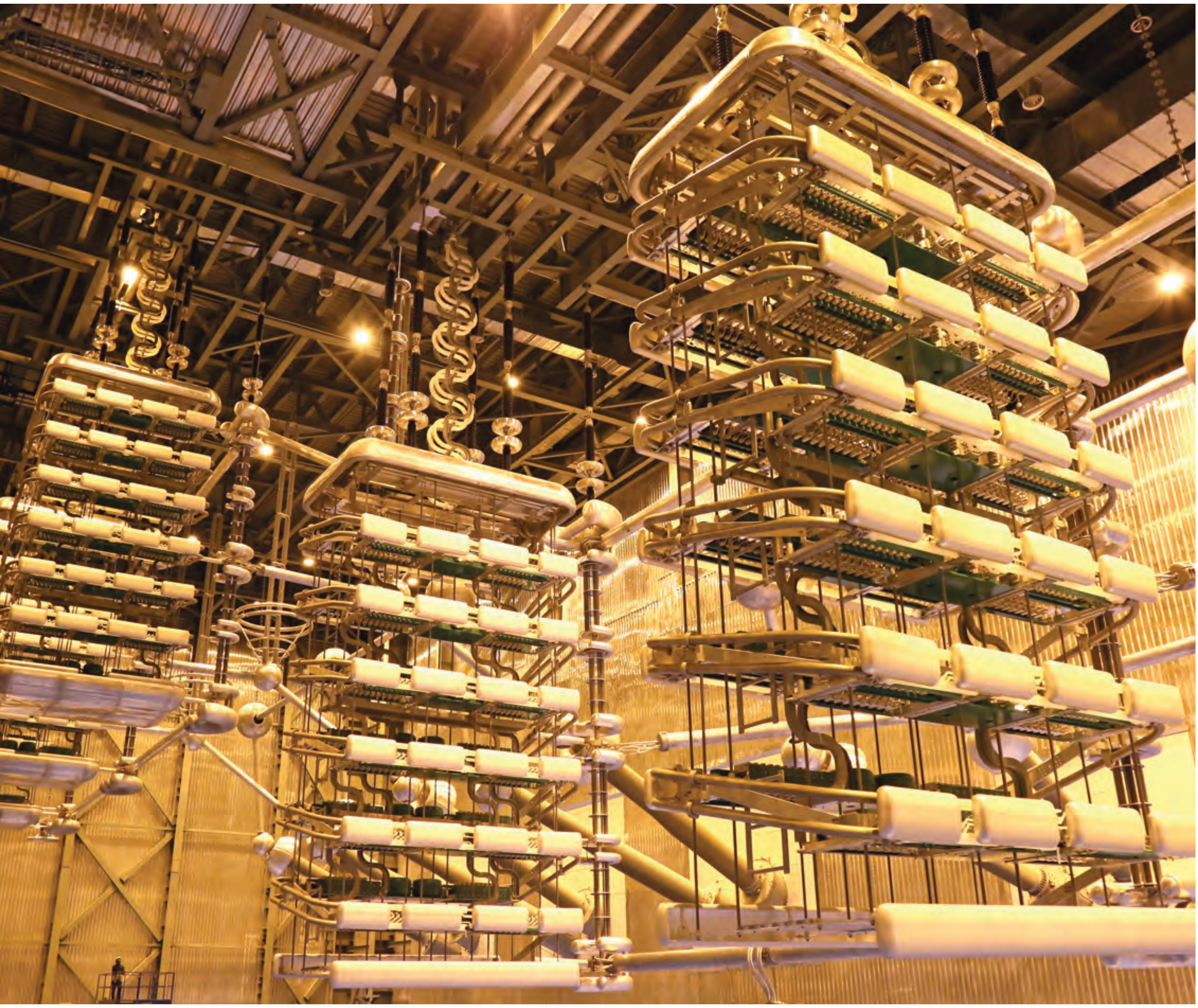

आस्ति प्रबंधन तथा अनुरक्षण

संपदा प्रबंधन

उच्च निष्पादन स्तर सहित लागत प्रभावी तरीका

पारेषण आस्तियाँ और अवसंरचना हमारे व्यावसायिक विकास के लिए मूलभूत तथ्य हैं और हमारी दक्षता और प्रतिस्पर्धी लाभ को बढ़ाने के लिए अत्यावश्यक हैं। हमारा व्यापक आस्ति प्रबंधन दर्शन न केवल हमारे व्यवसाय के विकास और संचालन के लिए हमारे अवसंरचना का कुशल और उत्पादक उपयोग सुनिश्चित करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हम अपने मूल्यवान कर्मचारियों के लिए केन्द्रस्थल और संभावित सुरक्षा खतरे जैसे जोखिमों को कम करें।

हमने वित्तीय वर्ष 2021–22 में 95.96 अंक सहित विद्युत मंत्रालय के समझौता ज्ञापन के संदर्भ में अपने निष्पादन पर "उत्कृष्ट" मूल्य निर्धारण प्राप्त करके लगातार अपनी योग्यता प्रमाणित की है।

हम अपने पुराने एसएफ6 सर्किट ब्रेकर (सीबी) को एआईएश में वैकल्पिक पर्यावरण संधारणीय गैस/स्वच्छ वायु–आधारित स्विचगियर से बदलने का प्रयास करके अपनी सहायता प्रबंधन कार्यप्रणाली से हरित होने की योजना बना रहे हैं। हमने पायलट आधार पर एसएफ6 मुक्त एआईएस सीबी के तीन सेट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इसी तरह जीआईएस के लिए, बदरपुर एआईएस में भारत का प्रथम मॉडल ग्रीन जीआईएस को अपग्रेड किया है।

आस्ति प्रबंधन में हरित पहलः

1. एसएफ6 गैस के लिए विकल्पः पुराने एसएफ6 सर्किट ब्रेकर (सीबी) को एआईएस में वैकल्पिक पर्यावरण संधारणीय गैस/स्वच्छ वायु–आधारित स्विचगियर के रूप में प्रतिस्थापित किया।

पावरग्रिड सर्किट ब्रेकर में एसएफ6 गैस और इंसुलेटिंग और आर्क बुझाने वाले माध्यम के रूप में गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) का उपयोग कर रहा है। एसएफ6 को 25,200 सीओ2 के समकक्ष मजबूत ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो आमतौर पर स्विचगियर उत्पादों में आइसोलेशन गैस के रूप में उपयोग किया जाता है।

पावरग्रिड सक्रिय रूप से एसएफ6 गैस का पर्यावरण अनुकूल विकल्प तलाश रहा हैः

- स्विचगियर के लिए, पावरग्रिड ने पुराने एसएफ6 सर्किट ब्रेकरों को वैकल्पिक पर्यावरण–अनुकूल गैसों या स्वच्छ वायु–आधारित स्विचगियर से बदलने की योजना बनाई है।
- जीआईएस (गैस–इंसुलेटेड स्विचगियर) के लिए, पावरग्रिड ने एक जीआईएस उप–केन्द्र को मॉडल ग्रीन उप–केन्द्र के रूप में अपग्रेड करने की योजना बनाई है। एक पायलट

कई वर्षों से निरंतर परिचालन सुधार की दिशा में हमारे प्रयास इंटरनेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टडी (आईटीओएमएस), एक वैश्विक संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) बेंचमार्किंग मंच में हमारे असाधारण निष्पादन के रूप में फलीभूत हुए हैं, जिसमें वैश्विक स्तर पर 32 प्रमुख विद्युत पारेषण उपयोगिताएं शामिल हैं।

परियोजना के रूप में, इम्फाल 400/132 केवी उप–केन्द्र (वर्ष 1995 में शुरू की गई थी) में एसएफ 6– मुक्त 145 केवी एआईएस सीबी के तीन सेट स्थापना के लिए प्रस्तावित किए गए हैं)।

- इसी प्रकार, 132 केवी बदरपुर एआईएस उप–केन्द्र को भारत का प्रथम मॉडल ग्रीन जीआईएस के रूप में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है।

2. पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में एस्टर ऑयल पहले भारत में वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल तरल पदार्थ (एस्टर) का उपयोग करने का अनुभव वितरण और उप–पारेषण वोल्टेज मूल्य–निर्धारण ट्रांसफार्मर तक ही सीमित था। पावरग्रिड ने इस प्रकार के उपकरणों का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए विश्व का प्रथम प्राकृतिक एस्टर से भरे 420केवी शंट रिएक्टर को शुरू करने के लिए एक पायलट परियोजना का सहारा लिया। रिएक्टर को 2021 में शुरू किया गया था और तब से यह संतोषजनक सेवा दे रही है। हरित पहल को और बढ़ावा देने के लिए पावरग्रिड आइजोल एस/एस में एक इन–सर्विस 132केवी रिएक्टर को प्राकृतिक एस्टर ऑयल से रेट्रो–फिलिंग हेतु एक पायलट परियोजना चला रहा है। इस कार्य को रिएक्टर के मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) की देखरेख में किया जा रहा है और वर्ष 2023 में इसका कार्य पूरा होने की उम्मीद है। भारत में यह पहली बार होगा कि 132केवी वोल्टेज श्रेणी के उपकरण को एस्टर ऑयल से भरा जाएगा। पावरग्रिड 420केवी 63एमवीएआर क्षमता रेटिंग वाली 02 नग सिंथेटिक एस्टर–आधारित रिएक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। ।

हमारे चयनित मार्ग में निरंतर सुधार

हमारा ध्यान हमेशा पारेषण व्यवसाय के लिए अधिक कुशल, लागत प्रभावी और विश्वसनीय रूपरेखा विकसित करना रहा है। हम अपनी निपुणता, मापनीयता, सुरक्षा और संधारणीयता पहलुओं के संबंध में अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहे हैं।

हमारा मानना है कि सही काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से भी करना है।

हमारी प्रक्रियाओं में तात्कालिक सेवा वितरण उत्कृष्टता पहल को एकीकृत करके, हम अपनी प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली दोनों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारी पहल का ऐसा उदाहरण जिसमें हमने नवोन्मेष सुझावों का केंद्रीकृत भंडार स्थापित करके अपने प्रतिभा पूल के माध्यम से सामूहिक ज्ञान तक पहुंच बनाई है, जिसमें कोई भी कर्मचारी अपना अभियांत्रिकी सुझाव साझा कर सकता है।

हमारी सृजित पूंजी के इष्टतम उपयोग पर हमारे अटूट ध्यान ने हमें अपने सभी व्यापार लाइनों में असाधारण परिचालन और वित्तीय निष्पादन सृजन करना संभव कार्य बनाया है।

अब हम अपने अगले सबसे बड़े मूल्य–संचालक इंजन की दिशा में काम कर रहे हैं – अर्थात हमारे संवर्धन आर एंड डी निवेश के माध्यम से हमारे व्यवसाय में प्रौद्योगिकी को सामंजस्यपूर्ण रूप से एकीकृत करना। हम अपने वर्षों के अनुभव को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे और 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था बनने में राष्ट्र की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

जबकि हमारी उम्मीदें भविष्य को देखने और उस दिशा में प्रगति करने पर केंद्रित हैं, हम प्रक्रिया को बढ़ाने और नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बहाल करने पर काम करना जारी रखेंगे, जबकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हम गुणवत्ता प्रदान करते हैं।

LVS
LVS
POWERGRID

प्रज्ञात्मक पूंजी

ज्ञान और विशेषता जो हमारे संगठन की सफलता को शक्ति प्रदान करती है

हमारी प्राथमिकताएँ

नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकी

आंकड़े संबंधी गोपनीयता और साइबर सुरक्षा

कुशल एवं सक्षम कर्मचारी

संधारणीय समाधानों का एकीकरण

डिजिटल परिवर्तन

हमारे सफल नवोन्मेष का सशक्त स्वरूप

पावरग्रिड में, हम पेशेवरों की लक्ष्य–संचालित समूह हैं जो लगातार महत्वपूर्ण नवोन्मेषों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अनुसंधान एवं विकास के लिए हमारे नवोन्मेष–संचालित दृष्टिकोण ने न केवल हमारी परिचालन दक्षता में सुधार किया है, बल्कि हमारे आंतरिक समकालिकता को भी बढ़ावा दिया है। हम निरंतर विश्वसनीय, परिणाम–आधारित, उद्देश्य हेतु उपयुक्त और ध्यान केंद्रित प्रौद्योगिकी परिनियोजन द्वारा प्रमुख व्यवसाय परिवर्तन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। हमारी अनुसंधान एवं विकास शक्तियों ने संगठन को मजबूत नींव दी है जिस पर हमारा पारेषण लाइनों का अत्यधिक कुशल नेटवर्क टिका हुआ है। अपने हितधारकों के लिए संधारणीय और दीर्घकालिक मूल्य सृजन करने के लिए, हम हमेशा रचनात्मक विचारों, अग्रणी प्रौद्योगिकियों के सुधार और एकीकरण को प्रोत्साहित करते हैं।

नवोन्मेष की भावना पावरग्रिड की विश्वास प्रणाली का मूल विषय–वस्तु है। इस प्रकार, नवोन्मेष को बढ़ावा देने, हमारे उत्पाद की पेशकश को बढ़ाने और अंततः हमारे ग्राहकों को अधिक मूल्य प्रदान करने के लिए अनुसंधान एवं विकास पहल में हमारा निवेश बढ़ा है। हम हमेशा विश्वसनीय बिजली वितरण प्रणाली के क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान करना, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों से परामर्श करना आदि जैसी किसी भी छोटे/बड़े बाजार संभावनाओं की तलाश में रहते हैं । अपनी प्रज्ञात्मक क्षमताओं के माध्यम से हमने हमेशा इन सभी पहलूओं में उत्कृष्टता हासिल की है।

भारत के अंतर–क्षेत्रीय नेटवर्क का 86% नेटवर्क पूर्णरूप से पावरग्रिड द्वारा संचालित की जाती है, जो हमें भारत के पारेषण क्षेत्र के अद्भुत विकास के प्रमुख समर्थकों में से एक समर्थक बनाता है। देश के हर कोने को रोशन करने और सबको जोड़ने के हमारे प्रयास को बरकरार रखते हुए हमने अपने पारेषण नेटवर्क को सबसे चुनौतीपूर्ण और उबड़–खाबड़ इलाकों तक विस्तार किया है। अपनी प्रज्ञात्मक पूंजी के बल पर **राष्ट्र के विजन– हम हर घर बिजली** के अनुरूप पारेषण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का नवोन्मेष और शुरुआत करना जारी रखेंगे।

अनुमोदित पेटेंट की संख्या **2**

आरएंडडी समूह **एम.टेक/पीएचडी** विविध पृष्ठभूमि और कार्य प्रासंगिक ज्ञान संबंधी समूह

पावरग्रिड उन्नत अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र (पीएआरटीईसी)

विद्युत प्रणाली में अग्रणी नवोन्मेष

हमारी अखिल भारतीय उपस्थिति, अंतर–विभागीय तालमेल का लाभ उठाकर, जो हमारे अवसंरचना के कुशल प्रबंधन और नए रास्ते तलाशने के हमारे उत्साह को सक्षम बनाता है और जो हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अनुसंधान और विकास द्वारा समर्थित नवोन्मेष प्रौद्योगिकी विकास, नवोन्मेष प्रक्रिया, सामग्री विज्ञान अध्ययन और आस्ति प्रबंधन सहित हमारे संचालन के सभी तत्वों में शामिल है।

हमारे पास समर्पित उन्नत अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र (पीएआरटीईसी) है। अनुसंधान और नवोन्मेष के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ने हमें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। पीएआरटीईसी को अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क (आईएसजीएन) द्वारा परीक्षण, सिमुलेशन अध्ययन और विविध अनुसंधान से संबंधित कार्यों का संचालन करने के लिए अनुसंधान और परीक्षण अवसंरचना सुविधा के रूप में स्वीकार किया गया है।

पीएआरटीईसी प्रयोगशालाओं को आईएसओ 9001 द्वारा मान्यता दी गई है, जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के लिए विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त मानकों के अनुपालन को प्रदर्शित करता है। यह मान्यता मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को बना, रखने और निरंतर सुधार के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पीएआरटीईसी में अंशांकन प्रयोगशाला को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा प्रतिष्ठित मान्यता प्रदान की गई है।

वास्तविक समय पर सिमुलेशन प्रयोगशाला

यह भारत की सबसे बड़ी वास्तविक समय पर सिम्युलेटर सुविधा है, जिसमें 2340 नोड्स हैं। यह व्यापक आवृत्ति बैंडविड्थ और उपयोगकर्ता–विशिष्ट आवश्यकताओं पर विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देता है

सुरक्षा स्वचालन और नियंत्रण प्रयोगशाला

डिजिटल उप–केन्द्रों के रूपरेखा और अभियांत्रिकी में मदद करता है जिसमें साइबर सुरक्षा भेद्यता मूल्यांकन और आईईसी 61850 प्रणाली की लेखा–परीक्षा शामिल हैं।

उन्नत नैदानिक केंद्र

वास्तविक परीक्षण के लिए अत्याधुनिक उपकरण, ईएचवीएसी/यूएचवीएसी उपकरण निदान और विफलता जांच के लिए विशेषज्ञ सेवाएँ

विस्तृत क्षेत्र मापन प्रणाली

तिव्र और स्वचालित अंशांकन सुविधा जो नवीनतम आईईईई मानक सी37.118, आईईईई सिंक्रो फेज़र मापन परीक्षण सूट विशिष्टता और अनुकूलित परीक्षण मामलों के अनुसार विभिन्न निर्माण/रुपरेखा के पीएमयूएस के अनुपालन परीक्षण की अनुमति देती है।

सामग्री विज्ञान प्रयोगशाला

यह प्रयोगशाला पावरग्रिड को संरचना विफलता और सामग्री के विश्लेषण, गुणवत्ता आश्वासन, सेवारत निष्पादन, नई और सामग्री के सत्यापन और परीक्षण में मदद करती है।

प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम सेवा वितरण

पावरग्रिड हमारी आपूर्ति श्रृंखला में उन्नत प्रौद्योगिकियों और सुव्यवस्थित सेवा वितरण प्रक्रियाओं को अपनाने में हमेशा सबसे अग्रणी रहा। हमारी आस्तियों के बेहतर विश्लेषण और निगरानी करने के लिए हमारे संचालन और अनुरक्षण प्रक्रियाओं में मशीनी शिक्षण–आधारित समाधानों का एकीकरण ऐसा ही एक पहल है। इससे हमें अपने आस्ति प्रबंधन के लिए त्वरित सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई करने में मदद मिली है।

हमारे बढ़ते आस्तियों को ध्यान में रखते हुए, उन्नत प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से हमें परिचालन और लागत दक्षता एक साथ प्राप्त करने में मदद मिली है।

पीजीदर्पण के माध्यम से परावर्ती

ऐसी ही एक प्रमुख पहल हमारी इन–हाउस अनुप्रयोग **पीजीदर्पण (नेटवर्क की नियमित गश्त और मूल्यांकन हेतु पावरग्रिड डिजिटल अनुप्रयोग)** है। यह अनुप्रयोग हमारे संचालन की सहायता के लिए तैयार किया गया है जिससे प्रबंधन समूह कहीं से भी किसी भी समय हमारी पारेषण लाइन की निगरानी और आकलन कर सकेगी, इस प्रकार यह हमारे आस्ति नियंत्रकों को निगरानी करने और तेजी से उपचारात्मक निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।

उड़ान के माध्यम से बड़ी उपलब्धि हासिल करना

हमने **आस्ति प्रबंधन डैशबोर्ड उड़ान (आस्ति और नेटवर्क का अद्वितीय डिजिटल विश्लेषण)** भी विकसित किया है। डैशबोर्ड सभी प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के लिए एकल विंडो के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार, यह डैशबोर्ड हमारे पूरे संगठन में अपनी आस्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए विहंगम भू–स्थानिक दृश्य प्रदान करता है।

डैशबोर्ड में सूची, ट्रांसफार्मर और रिएक्टरों की आस्ति संबंधी दैनिक परिचालन आंकड़े जैसे विवरण और ट्रिपिंग टूटने का समय, ट्रांसमिशन लाइनों में ओवरलोड और ट्रांसफार्मर के लिए चेतावनी संकेत के बारे में सटीक विवरण देने में मदद करता है और यह मौसम का पूर्वानुमान भी देता है। हमारे डैशबोर्ड द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर सही प्रश्न पूछने पर हमें आंतरिक रूप से बेंचमार्क केपीआई के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है और इसके अतिरिक्त यह हमें उच्च स्तरीय परिचालन निष्पादन के प्रति हमारे लक्ष्यों की तुलना में हुई कमी के बारे में भी सूचना प्रदान करने में मदद करता है।

पावरग्रिड आस्ति जीवन प्रबंधन प्रणाली (पाल्म्स 2.0)

हमने अपने मौजूदा आस्ति संबंधी सूचकांक सॉफ्टवेयर को अद्यतन किया है और इन–हाउस **एसेट हेल्थ इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर पाल्म्स**

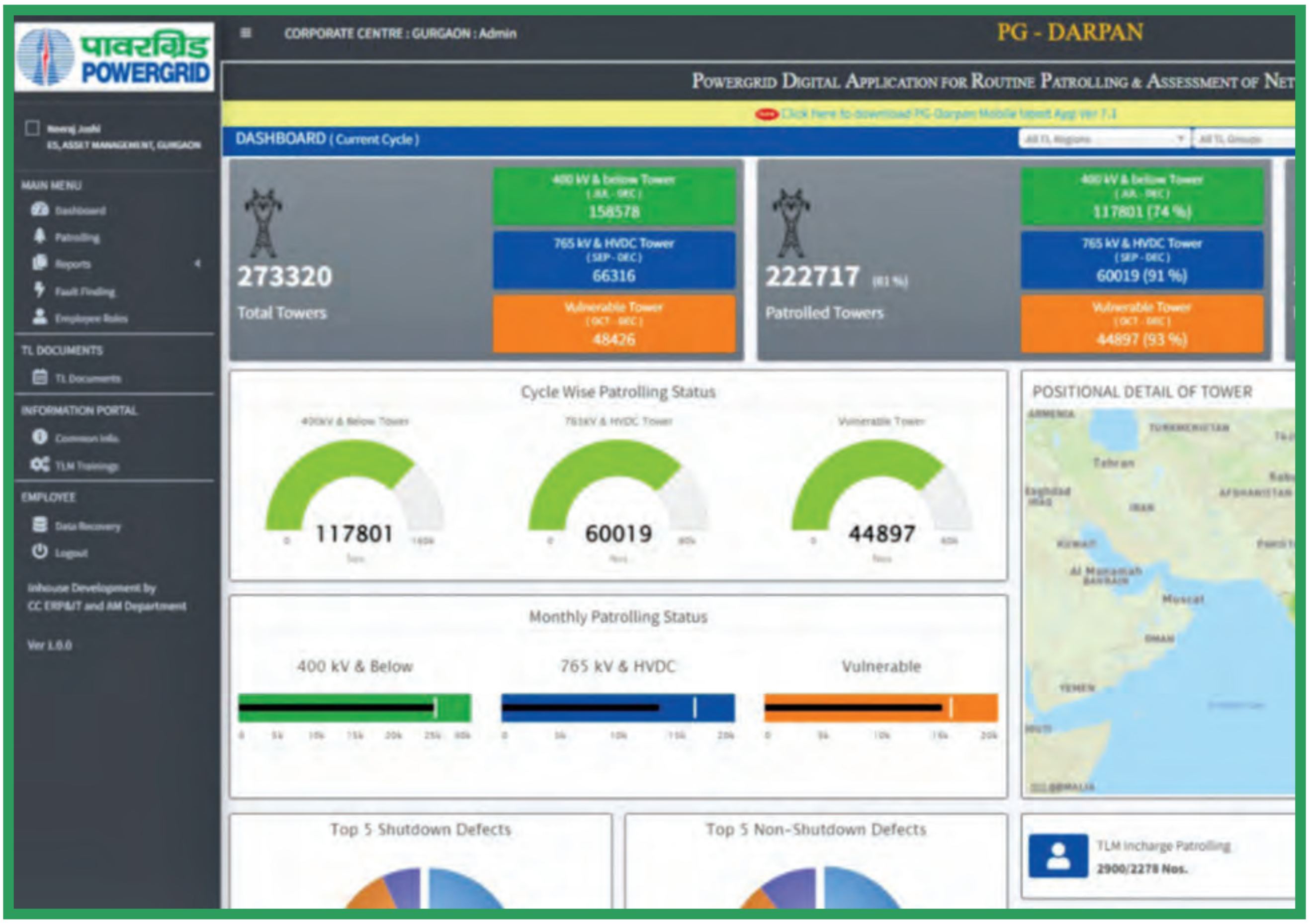

2.0 का प्रभावी संस्करण तैयार किया है।

सॉफ्टवेयर वास्तविक समय के आधार पर जुड़े विभिन्न जोखिम हेतु हमारे ट्रांसफार्मर और रिएक्टरों के स्थिति की निगरानी करता है। इस संवर्धन में परिणामों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानकों की व्याख्या करते समय हमारी शिक्षण से प्रेरित अत्यधिक परिष्कृत नैदानिक विधियां शामिल हैं। पाम्स प्रणाली में सर्किट ब्रेकर विवरण को भी शामिल करके हमने अपने सर्किट ब्रेकरों के स्थिति की निगरानी और उनका पता लगाने के लिए सुव्यवस्थित दृष्टिकोण स्थापित किया है, जिससे हमारी परिचालन दक्षता और अनुरक्षण प्रक्रियाओं में वृद्धि हुई है।

हमारे व्यवसायिक सूचना–संवेदनशील पहलू में एक और ऐसा डिजिटल मध्यवर्ती हमारी केंद्रीकृत रिले डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। इसे रिले सेटिंग्स प्रबंधन की निपुणता को बढ़ाने और आस्तियों के अनुरक्षण में मानव कार्य घंटों की बचत के लिए पेश किया गया है।

डिजिटल उप–केन्द्र

हम डिजिटल उप केन्द्र प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में अग्रणी हैं। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन से प्रेरित होकर, पावरग्रिड ने पंजाब राज्य के मलेरकोटला में एक पुराने उप केन्द्र को पुनः सुसज्जित किया है, जिससे यह दिसंबर 2020 में 400 केवी वोल्टेज की डिजिटल तकनीक सहित भारत का पहला उप केन्द्र बन गया है। इसके अतिरिक्त, हल्लोमाजरा (चंडीगढ़) में प्रथम हरीत क्षेत्र 220/66 केवी डिजिटल उप केन्द्र भी जनवरी 2023 में शुरू किया गया।

मलेरकोटला और हल्लोमाजरा डिजिटल उप केन्द्रों के शुरूआत के साथ–साथ, पावरग्रिड प्रक्रिया बस आधारित डिजिटल उप केन्द्र के वाणिज्यिक कार्यान्वयन के लिए विश्व में बहुत कम उपयोगिताओं के चुनिंदा क्लब में अपना स्थान बना लिया है।

उप–केन्द्र स्थापना में यह सफलता प्रौद्योगिकी को एकल स्थान के माध्यम से नियंत्रण और सुरक्षा प्रणाली के व्यापक, ऑनलाइन परीक्षण को सक्षम करके प्रणाली की समग्र उपलब्धता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। यह उन्नत निदान, अंतर्दृष्टि–सहायता प्राप्त निर्णय लेने के लिए सूचना का अधिक यथार्थ और सटीक प्रत्योक्षकरण, शुरूआत हेतु कम समय लगना, कम तांबे की आवश्यकता और विरल पारिस्थितिक छाप प्रदान करेगा।

केंद्रीकृत आस्ति प्रबंधन

मजबूत पारेषण प्रणाली स्थापित करना हमारे कारोबार का एकमात्र पहलू है। गुणवत्ता सेवा सुनिश्चित करने के साथ–साथ प्रबंधित आस्ति की दीर्घायु और निष्पादन के लिए अवसंरचना का अनुरक्षण महत्वपूर्ण है। हमने मानेसर में एक राष्ट्रीय पारेषण आस्ति प्रबंधन केंद्र (एनटीएएमसी) और कई क्षेत्रीय पारेषण आस्ति प्रबंधन केंद्र (आरटीएएमएस) भी स्थापित किए हैं जो वास्तविक समय के आधार पर हमारी पारेषण प्रणाली की दूरस्थ निगरानी और संचालन में हमारी मदद करता है।

ये अपनी तरह के अनूठे आस्ति प्रबंधन केंद्र हैं जो अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों से सुसज्जित हैं और विशेषज्ञों द्वारा चौबीसों घंटे निगरानी की जाती है।

वित्त वर्ष के दौरान, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धी एनटीएएमसी के साथ दस अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) उप–केन्द्रों को शामिल करना था, जिससे कुल उप केन्द्र की संख्या 271 हो गई जिन्हें हमारे आस्ति प्रबंधन केंद्रों से दूरस्थ रूप से निगरानी की जा रही है।

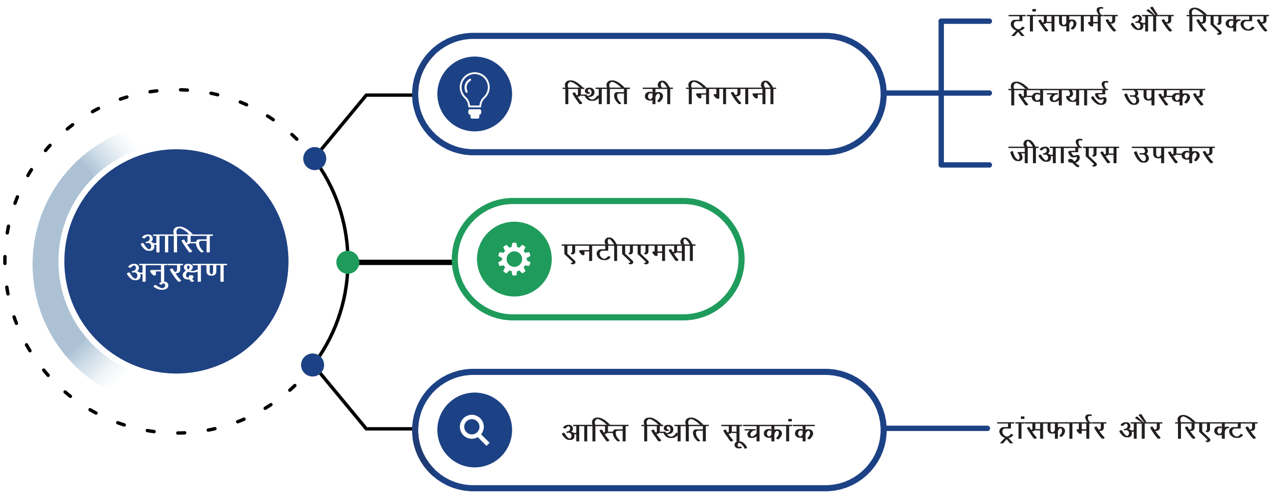

सभी प्रमुख आस्तियों के लिए वार्षिक अनुरक्षण योजना (एएमपी) के एक भाग के रूप में स्थिति निगरानी परीक्षण किए जाते हैं।

हमारी मुख्य व्यावसायिक कार्यकलापों में डिजिटल हस्तक्षेप के अतिरिक्त, हमने दृष्टि, एएम अनुपालन पोर्टल, प्रभा चैटबॉट, स्वच्छता पखवाड़ा पोर्टल, प्रशिक्षु पोर्टल, हर घर तिरंगा पोर्टल, आरक्षण पोर्टल, एनसीएसएएम पोर्टल, ईएसएमडी पोर्टल, एचआर–नीति पोर्टल – नीति संग्रह, परिवीक्षा पोर्टल, आदि जैसी अन्य कई पोर्टल / अनुप्रयोग बना, हैं, जिनका उपयोग हमारी मानव पूंजी के संचार, जुड़ाव और शिक्षण सुगमता के लिए किया जा रहा है।

हमारी बौद्धिक संपदा की नींव तैयार करना

अवसंरचना की निरंतर उपलब्धता और भार–प्रबंधन निष्पादन को बना, रखना अन्यतम है। प्रज्ञात्मक संपदा (आईपी) निर्माण पर हमारा ध्यान केंद्रित करने के लिए पावरग्रिड में निरंतर नवोन्मेष और अनुसंधान महत्वपूर्ण कड़ी है। हम हमेशा अत्याधुनिक पारेषण प्रौद्योगिकियों पर नए पेटेंट बनाने की संभावनाओं तलाशते रहे हैं, और उनमें से कई हमारे वाणिज्यिक लाभ और कुशल वितरण हेतु उपयोग में लाए जाते हैं।

सुव्यवस्थित सॉकेट किसी उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सुव्यवस्थित कार्यक्षमता जोड़ सकता है और सुव्यवस्थित गृह ऊर्जा प्रबंधक पूरे घर में ऊर्जा के उपयोग की निगरानी और प्रबंधन कर सकता है।

'स्मार्ट सॉकेट और स्मार्ट होम एनर्जी मैनेजर'

हमारा पहला पेटेंट आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से विकसित किया गया है

'हर मौसम ऊर्जा दक्षता वाले छत स्क्रीनिंग'

ऊर्जा दक्षता हर मौसम छत स्क्रीनिंग रहने वालों के आराम से समझौता किए बिना भवनों में ऊर्जा के उपयोग को कम करने के लिए एक नवोन्मेष प्रक्रिया/प्रणाली है। पावरग्रिड के प्रयोगशाला ढ़ाँचा में कठोर प्रयोगों और मूल्यांकन के बाद इसे स्वीकार किया गया है।

यह सम्मिश्रण न केवल हमारे लिए अलग–अलग आर एंड डी अवसरों का पता लगाने में महत्वपूर्ण रहा है, बल्कि उन शैक्षणिक संस्थानों के समग्र शिक्षण और अनुभव को भी बढ़ाता है जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं।

हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करके अपने नवोन्मेष छाप को बढ़ा रहे हैं। स्वदेशीकरण की दिशा में एक उपाय के रूप में आईआईटी कानपुर के सहयोग से एक स्वचालित उप–केन्द्र निरीक्षण रोबोट विकसित किया जा रहा है। यह हमें आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीनी शिक्षण (एआई / एमएल) तकनीक जैसी भावी सूचक और अनुदेशात्मक विश्लेषण का उपयोग करके आंकड़े–संचालित अधिनिर्णय प्रक्रियाओं में भी मदद करेगा।

यह सम्मिश्रण न केवल हमारे लिए अलग–अलग आर एंड डी अवसरों का पता लगाने में महत्वपूर्ण रहा है, बल्कि उन शैक्षणिक संस्थानों के समग्र शिक्षण और अनुभव को भी बढ़ाता है जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं।

पावरग्रिड में आंकड़े संबंधी गोपनीयता और सुरक्षा को प्राथमिकता देना

महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसियों और विभागों को पावरग्रिड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए, भरोसे लायक सुरक्षित अवसंरचना प्रदान करना हमारा प्रधान कर्तव्य है। हम हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि सभी गंभीर और महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित रहे। उस उद्देश्य के लिए, आंकड़े संबंधी गोपनीयता, आंकड़ा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को पावरग्रिड के संपूर्ण जीवनचक्र में सेवाओं के रूप में शामिल किया गया है।

यह सुनिश्चित करना कि हमने सभी आवश्यक नीतियां लागू कर ली हैं और यह सुनिश्चित करना कि हमारे सभी कार्यालय आईएसओः 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली द्वारा प्रमाणित हैं। हम कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करते हैं और कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया समूह (सीईआरटी–इन) और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सुरक्षा केन्द्र (एनसीआईआईपीसी) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और सिमुलेशन में भी नियमित रूप से भाग लेते हैं।

सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हुए, हम आईआईएससी बेंगलुरु में पारेषण और ग्रिड संचालन में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) भी स्थापित कर रहे हैं। हमारा दीर्घकालिक सहयोगात्मक प्रयास फलीभूत होगा। निरंतर नवोन्मेष अनुसंधान के संदर्भ में और शिक्षा जगत के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो साइबर–लचीली पारेषण प्रणाली की दिशा में हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। पारेषण क्षेत्र में महत्वपूर्ण संगठन होने के नाते, पावरग्रिड पूरे क्षेत्र में साइबर सुरक्षा स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए पारेषण क्षेत्र की उपयोगिताओं के साथ समन्वय भी करता है।

संस्कृति के रूप में नवोन्मेष

वर्षों से, जिज्ञासा, रचनात्मकता और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, हम अपनी निपुणता पर इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हमने राष्ट्र को नवोन्मेष समाधान प्रदान करते हुए अज्ञात व्यावसायिक पहलूओं का पता लगाने के लिए अपनी अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं का लाभ उठाया हैं। हम देश के गैर–जीवाश्म ईंधन–आधारित ऊर्जा में परिवर्तन के लक्ष्य में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपना ध्यान लागत प्रभावी समाधान विकसित करने पर केंद्रित कर रहे हैं जो संधारणीय विश्व की नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की अगुवाई को निष्पादित करने में योगदान करते हैं।

नेशनल ट्रांसमिशन एसेट मैनेजमेंट सेंटर (एनटीएएमसी), मानेसर

प्राकृतिक पूंजी

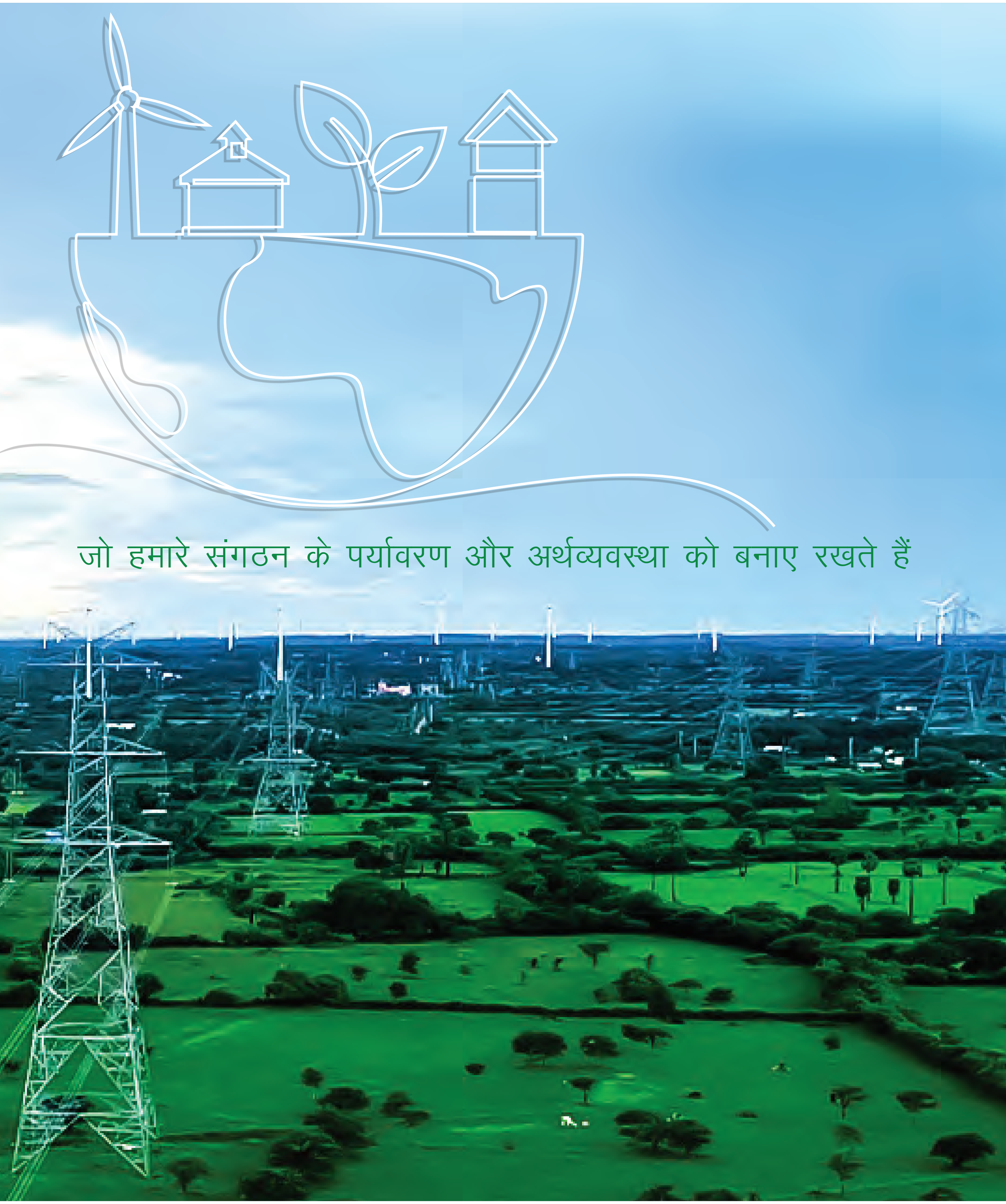
जो हमारे संगठन के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हैं

जलवायु परिवर्तन के लगातार बढ़ते खतरे के साथ–साथ, बढ़ते प्रदूषण के कारण पर्यावरणीय क्षरण, भूमि और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण हेतु उद्योगों और समाज के बीच बढ़ते संघर्ष, व्यवसायों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों की रूपरेखा तेजी से बदल रहे हैं। पावरग्रिड, एक जिम्मेदार निगमित संस्थान होने के नाते हमेशा अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं से जुड़ी नकारात्मक बाह्यताओं का समाधान करता है। हम ईमानदारी से मानते हैं और सराहना करते हैं कि व्यावसायिक संधारणीयता का अर्थ केवल वित्तीय संधारणीयता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आवश्यक रूप से पर्यावरणीय प्रभावों से बचने, उसे कम करने और उसका शमन करने, कर्मचारियों और संविदी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य करने की स्थिति सुनिश्चित करने, व्यावसायिक कार्यप्रणालियों से उत्पन्न होने वाले सामाजिक मुद्दों का समाधान करना और सामुदायिक विकास के उद्देश्य से प्रासंगिक सीएसआर परियोजनाओं और कार्यकलापों को शुरू करना शामिल हैं।

हमारे संचालन में किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के शामिल न होने के कारण पावरग्रिड के संचालन का पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण मैट्रिक्स में किसी भी वायु या जल प्रदूषक का उत्सर्जन न्यूनतम होता है। हमारे पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव काफी हद तक हमारी परियोजनाओं के निर्माण चरण तक ही सीमित हैं और जो कम प्रभाव वाले हैं, परियोजना क्षेत्रों तक ही सीमित हैं और जिसका प्रकृति काफी हद तक प्रतिवर्ती हैं।

तथापि, हम तेजी से बदलते जलवायु परिदृश्य से जुड़े खतरों से पूरी तरह अवगत हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह पूरी मानवता के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर रहा है। हालाँकि, हमारे व्यापारिक परिमाण की तुलना में, हमारी पारेषण परियोजनाओं में बहुत कम कार्बन संबंधी छाप मिलते हैं, जो हमारे संगठन की कम उत्सर्जन और ऊर्जा तीव्रता से निष्पादित होता है, फिर भी, हम मानते हैं कि इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्सर्जन जुड़े हुए हैं, जिनका शमन हमारा निरंतर और नियमित प्रयास है। हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम करने की दिशा में हमारे प्रयास हमारे बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी नीति (https://www.powergrid.in/sites/default/files/inline-files/ESG_Policy.pdf) द्वारा निर्देशित होते हैं, जो वर्ष 2047 तक निवल शून्य उत्सर्जन कंपनी बनने की स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है। संधारणीयता के प्रति हमारा समग्र दृष्टिकोण हमारे पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रिया (ईएसपीपी) से उत्पन्न होता है और बचाव, न्यूनीकरण और शमन के प्रमुख सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित है।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए हमारी पर्यावरणीय प्रगति संबंधी विकास यात्रा

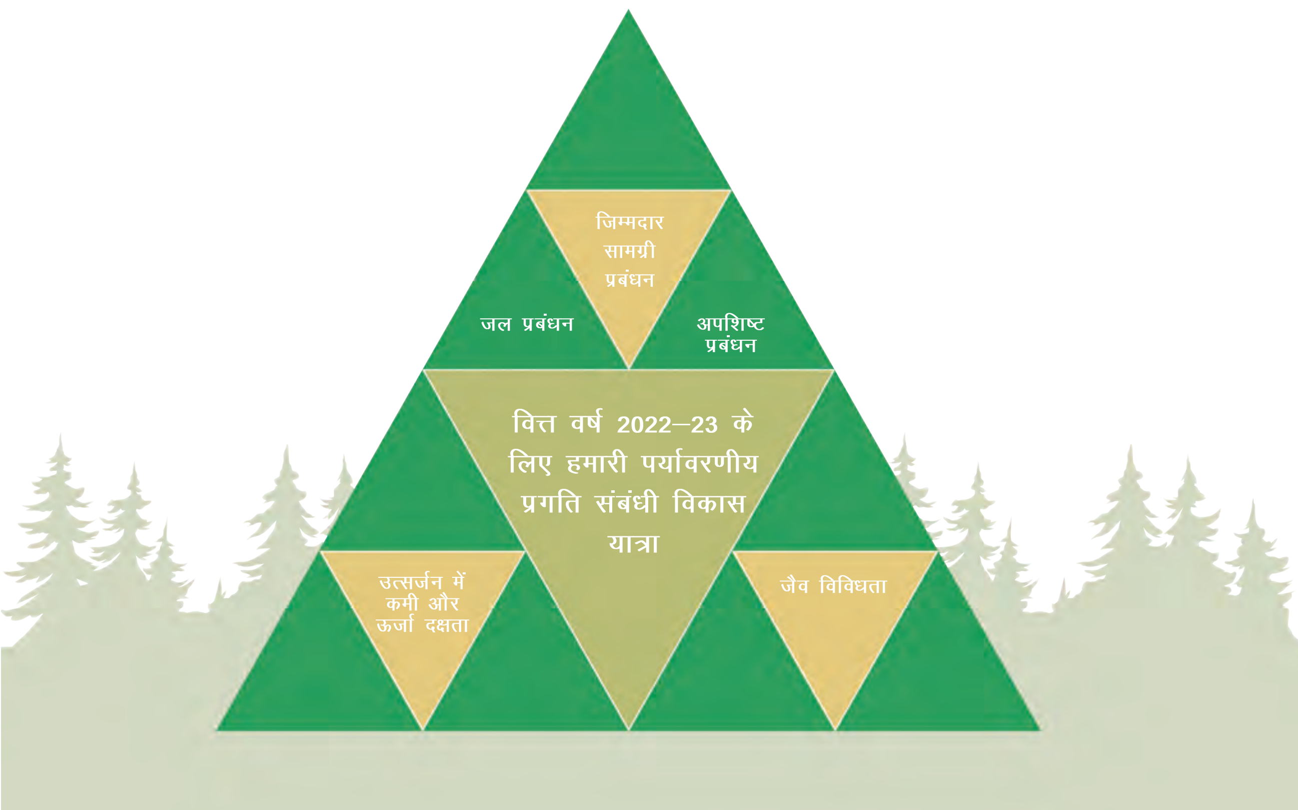

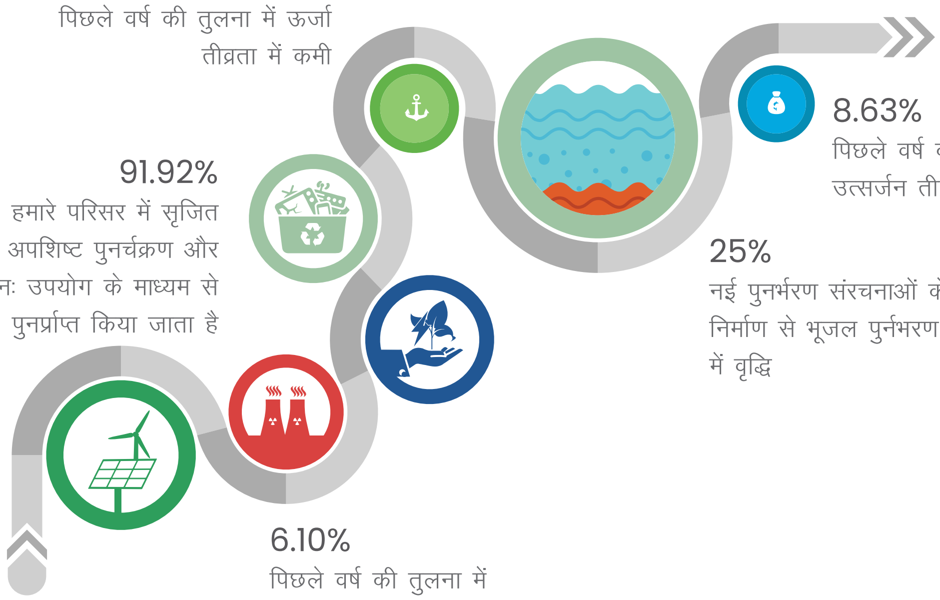

8.74%
पिछले वर्ष की तुलना में ऊर्जा तीव्रता में कमी

91.92%
हमारे परिसर में सृजित अपशिष्ट पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के माध्यम से पुनर्प्राप्त किया जाता है

8567 MWh
नवीकरणीय ऊर्जा आंतरिक रूप से सृजित की गई और हमारे संचालन में खपत हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.03% की वृद्धि को दर्शाता है

6.10%
पिछले वर्ष की तुलना में उत्सर्जन ऑफसेट में वृद्धि

8.63%
पिछले वर्ष की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता में कमी

25%
नई पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण से भूजल पुनर्भरण में वृद्धि

हमारी मजबूत पर्यावरणीय प्रतिबद्धता इस तथ्य में प्रदर्शित होती है कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लागू पर्यावरण संबंधी विधि और विनियमनों का कोई गैर–अनुपालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, हमने इस वित्त वर्ष में पर्यावरण संरक्षण पहलों में 68.38 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

सर्वोत्तम विकल्प के चयन हेतु परियोजनाओं का पर्यावरण एवं सामाजिक मूल्यांकन

पारेषण परियोजनाओं के नगण्य पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें ईआईए अधिसूचना 1994/2006 के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। तदनुसार, पारेषण परियोजनाओं के लिए किसी पर्यावरणीय मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, पावरग्रिड, एक जिम्मेदार निगमित नागरिक के रूप में, तकनीकी रूप से कम से कम 3 तकनीकी क्षेत्र अर्थात तकनीकी रूप से संभावित/व्यवहार्यता मार्ग/स्थल संबंधित विस्तृत विवरण सहित पर्यावरणीय/सामाजिक विशेषताओं का अध्ययन करके अनिवार्य रूप से अपनी सभी परियोजनाओं का पर्यावरणीय और सामाजिक (ई एंड एस) मूल्यांकन करता है। इस अध्ययन के आधार पर, कम से कम ई एंड एस प्रभावों सहित सबसे उपयुक्त मार्ग/स्थल को निर्माण के लिए संस्तुत किया जाता है, भले ही यह दूसरों की तुलना में महंगा पड़े। ई एंड एस मूल्यांकन अध्ययन हमें पर्यावरण और सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों अर्थात वन/वन्य जीवन, आर्द्रभूमि, पहचाने गए पक्षी उद्यान, पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्रों, मानव बस्तियों, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद और चर्च आदि स्थानों से बचने/न्यूनीकरण करने में मदद करता है।

उत्सर्जन कम करना, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को प्रगतिशील रूप से अपनाना

भारत के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा उद्यमों में से एक के रूप में, पावरग्रिड न केवल राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरण ऊर्जा के एकीकरण के लिए सहायक के रूप में कार्य करेंगे बल्कि अपने स्वयं के संचालन में उत्सर्जन को कम करके और ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करके कम कार्बन अर्थव्यवस्था हेतु भारत के बदलाव में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पावरग्रिड आईएसओ 50001: 2018 प्रमाणित संगठन है, जो ऊर्जा निष्पादन और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएनएमएस) के निरंतर सुधार को प्राप्त करने में व्यवस्थित दृष्टिकोण का अनुपालन करता है।

उत्सर्जन कम करना

हम अपने उत्सर्जन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मामूली रिसाव दर (0.14%) के बावजूद, एसएफ6 रिसाव के रूप में छूटा हुआ उत्सर्जन हमारे क्षेत्र– I उत्सर्जन का मुख्य स्रोत (86.97%) है, जिसका मुख्य कारण इसकी अत्यधिक उच्च वैश्विक तापन क्षमता (जीडब्ल्यूपी) है। इसके अतिरिक्त, हमारे क्षेत्र–I उत्सर्जन का एक छोटा हिस्सा डीजल के उपयोग (10.68%) के लिए भी जिम्मेदार है जिसे मुख्य रूप से वाहन चलाने, बूम/सिजर लिफ्टों और परीक्षण उद्देश्य के लिए डीजी सेट चलाने के लिए उपयोग किया जाता हैं। प्रशीतक गैसों का रिसाव (2.35%) भी हमारे क्षेत्र–I उत्सर्जन का एक छोटा सा हिस्सा है।

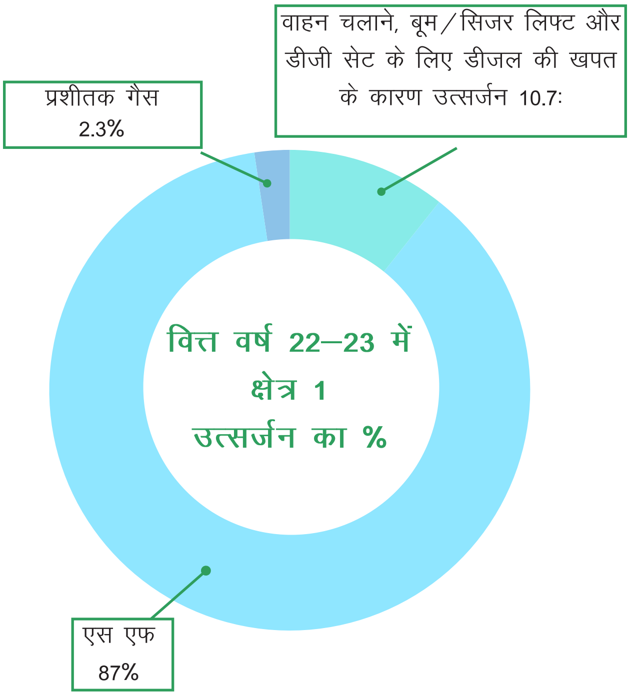

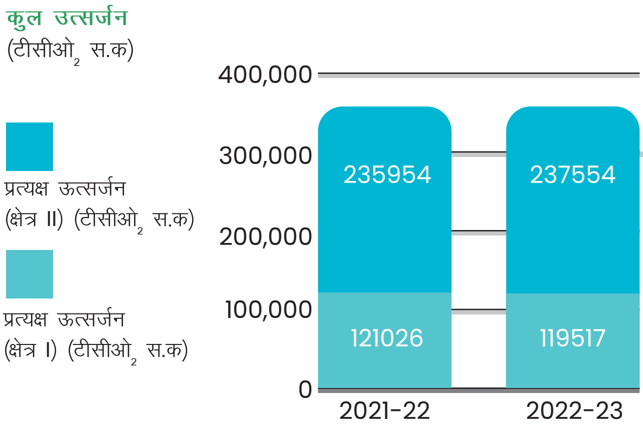

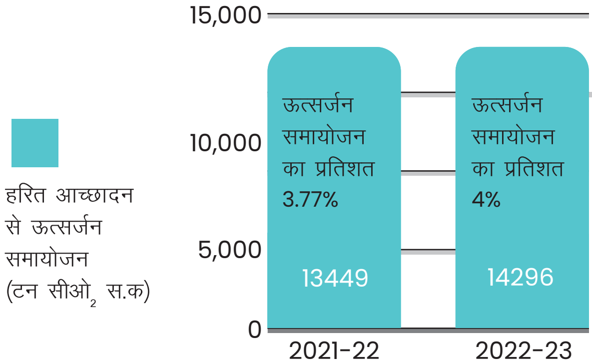

जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है, उप केन्द्रों की संख्या में 2.64% की वृद्धि की तुलना में, हमारे कुल उत्सर्जन में मात्र 0.02% की वृद्धि हुई है। साथ ही, इस अवधि के दौरान उत्सर्जन ऑफसेट में हमारी प्रतिशत वृद्धि 6.10% बढ़ गई है।

अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए हमने विभिन्न पहल की हैं जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक सुधार हुए हैं। इनमें से कुछ पहल निम्नानुसार हैं:

- संभावित रिसाव बिंदुओं की निगरानी के लिए हमारे सभी प्रमुख उपकरणों में चेतावनी प्रणाली के प्रावधान सहित अत्यधिक संवेदनशील एसएफ 6 रिसाव संसूचक स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, हमने आंतरिक रूप से एसएफ 6 रिसाव पर 0.5% की सीमा निर्धारित की है।
- एसएफ6 गैस के प्रबंधन, रिसाव का पता लगाने और इसके पर्यावरणीय प्रभावों पर जनशक्ति के प्रशिक्षण/संवेदीकरण के साथ–साथ एसएफ 6 गैस का दृढ़ सूची संबंधी नियंत्रण बना, रखना।
- हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और एसएफ 6 गैस के संभावित विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इस तरह के प्रयास के भाग के रूप में, हमने निकट भविष्य में पायलट आधार पर अपने कुछ उप केन्द्र में एसएफ 6 गैस को हरित विकल्प से बदलने की योजना बनाई है।
- अपनी डीजल खपत को कम करने के लिए, हम वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में स्थानांतरित करके अपने बेड़े को हरा–भरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। वि.व. 2022–23 के अंत तक हमने 92 डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में रूपांतरित किया है।
- अधिकांश नए और भावी उप केन्द्रों में आर –22, आर –410, आदि जैसे अधिक प्रदूषणकारी विकल्पों के स्थान पर आर –32 को प्रशीतक गैस के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है।
- ऊर्जा संरक्षण की दिशा में विभिन्न पहल करना और आंतरिक ऊर्जा उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रगतिशील कार्यान्वयन, ताकि हमारे क्षेत्र–II उत्सर्जन को नियंत्रित और कम किया जा सके।

हालांकि, हमारे उप केन्द्रों में मौजूद डीजी सेट मुख्य रूप से परीक्षण उद्देश्य के लिए छोटी अवधि हेतु चलाए जाते हैं, बिजली के दो बहुत ही विश्वसनीय और स्थिर स्रोतों (डिस्कॉम से समर्पित फीडर और ग्रिड से सीधे तृतीयक बिजली स्रोत) की उपस्थिति को देखते हुए यह निवारक अनुरक्षण प्रणाली (पीएमएस) के अनुसार व्यवस्थित और नियमित अनुरक्षण के अध्यधीन हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनसे न्यूनतम उत्सर्जन होता है।

वर्ष 2047 तक हम निवल शून्य उत्सर्जन कंपनी बनने का प्रयास करेंगे

ऊर्जा दक्षता

पावरग्रिड हमारे परिचालन के सभी पहलुओं में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने अपनी ऊर्जा खपत और संबंधित कार्बन छाप को कम करने के लिए कई उपायों को लागू किया है, जिसमें ऊर्जा–दक्षता प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल है।

- हम बीईई ग्रेड –1 ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) हैं, जो ऊर्जा–दक्षता परियोजनाओं में निवेश करने और निष्पादित करने की हमारी क्षमता का संकेत देते हैं।
- कम ऊर्जा–गहन उपकरणों जैसे एलईडी लैंप, डीजी सेट के लिए ईंधन उत्प्रेरक उपकरण, कार्यालय भवनों में सौर फोटोवोल्टिक आदि का उपयोग हमारे ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के भाग के रूप में शुरू किया गया है।
- पेट्रोल या डीजल वाहनों का उपयोग करने के बजाय , उप केन्द्रों के परिसर के भीतर इलेक्ट्रिक वाहन धीरे–धीरे शुरू की जा रही हैं।
- पावरग्रिड व्यावसायिक कार्यकलापों को पूरा करने और कार्यालयों, उप केन्द्र और हमारे टाउनशिप में चार्जिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को अपनाकर ऊर्जा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ई–गतिशीलता के लिए भी काम कर रहा है।

> पावरग्रिड वर्ष 2025 तक अपनी बिजली खपत का 50% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है

- पोस्टरों, नारों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से प्रशिक्षण और संवेदीकरण जैसी विभिन्न उपायों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए भी प्रेरित किया जाता है।

हमारे पूल में 9 नए उप केन्द्रों को जोड़ने के बावजूद हमारी कुल ऊर्जा खपत में 0.08% की कमी आई है। साथ ही, हमारे नवीकरणीय ऊर्जा सृजन और खपत में 8.03% की वृद्धि हुई है, जिसमें स्थापित सौर क्षमता में 12.20% की वृद्धि हुई है।

> विभिन्न ऊर्जा बचत पहलों के परिणामस्वरूप, पावरग्रिड ने पिछले वर्ष की तुलना में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपनी ऊर्जा तीव्रता को 8.74% तक कम किया है।

हरित ऊर्जा के एकीकरण के लिए सहायक के रूप में कार्य करना

जलवायु परिवर्तन से निपटने और हरित अर्थव्यवस्था से संबंधित बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा की ओर तेजी से परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पावरग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को अपने ग्रिड में शामिल करके और पूरे भारत में इसकी उपलब्धता को सुविधाजनक बनाकर नवीकरणीय संसाधनों द्वारा ऊर्जा सृजन के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

ऊर्जा खपत (जीजे)

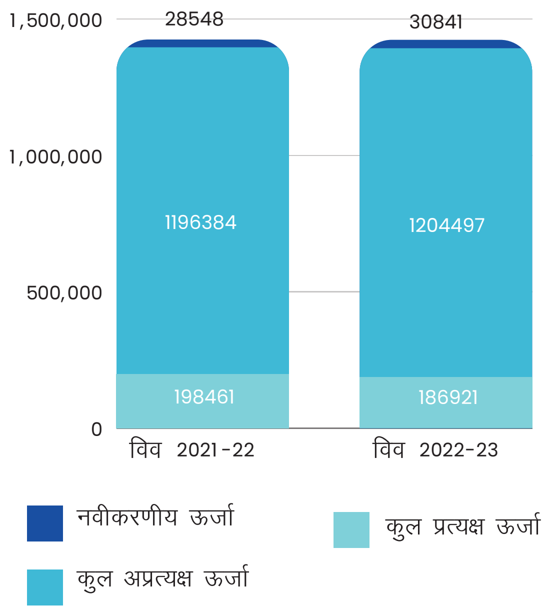

हमने 765 केवी और 400 केवी स्तर पर हरित ऊर्जा गलियारा (जीईसी) – अंतर–राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) भी लागू किया है और रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान तेलंगाना राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) की स्थापना की है, हरित ऊर्जा गलियारा (जीईसी) – अंतर–राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) भी लागू किया है और रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान तेलंगाना राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) की स्थापना की है, जिससे यह 12 केंद्र बन गए हैं, जो अब क्रियाशील हैं जिनके माध्यम से हम नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को समझने और उसका पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हैं।

जल प्रबंधन

एक देश के रूप में भारत दुनिया के लगभग 4% जल संसाधनों के साथ दुनिया की लगभग 18% आबादी का भरण–पोषण करता है। यह स्पष्ट द्वंद्व न केवल मात्रात्मक पहलुओं में बल्कि गुणात्मक पहलुओं में भी जल के मोर्चे पर एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करता है। इस बात पर व्यापक सहमति है कि किसानों, उद्योगों और परिवारों जैसे विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों सहित सभी हितधारकों को इस महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए ईमानदार प्रयास करने होंगे।

हालांकि, पावरग्रिड को उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, हमारे एचवीडीसी उप केन्द्रों में शीतलन उद्देश्य के लिए मेकअप जल के रूप में जल की थोड़ी मात्रा को छोड़कर हमारे प्रतिष्ठानों में जल का उपयोग किसी भी औद्योगिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। जल का उपयोग हमारे प्रतिष्ठानों में मुख्य रूप से कार्यालयों और कुछ आवासीय इकाइयों के लिए घरेलू उद्देश्य तक ही सीमित है। इस प्रकार, उपयोग किए गए जल की मात्रा और साथ ही उत्पन्न घरेलू अपशिष्ट जल दोनों की मात्रा सीमित है।

हमारे सीमित जल छाप के बावजूद, एक जागरूक संगठन होने के नाते, पावरग्रिड समुचित जल प्रबंधन कार्यप्रणाली के महत्व को पूरी तरह से समझता है और उसकी सराहना करता है। तदनुसार, हमने जल प्रबंधन नीति बनाई है। (https://www.powergrid.in/sites/default/files/inline-files/Water_Policy.pdf)

तैयार की है जिसे पहले ही हमारे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और वर्ष 2030 तक जल सकारात्मक बनने हेतु संगठन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारी जल प्रबंधन नीति के अनुसार, जल संरक्षण की दिशा में हमारे प्रयास एक ओर कम, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के माध्यम से जल के उपयोग को कम करने और दूसरी ओर वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को अधिकतम सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

जल संरक्षण की दिशा में हमारे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। समीक्षाधीन अवधि में, हमारी जल खपत 2777668 केएल है, जो पिछले वित्त वर्ष से 2.04% अधिक है। तथापि इसी अवधि के दौरान, भूजल पुनर्भरण की मात्रा में लगभग 316371 केएल की वृद्धि हुई है, जो लगभग 25% की वृद्धि को दर्शाता है।

जल खपत

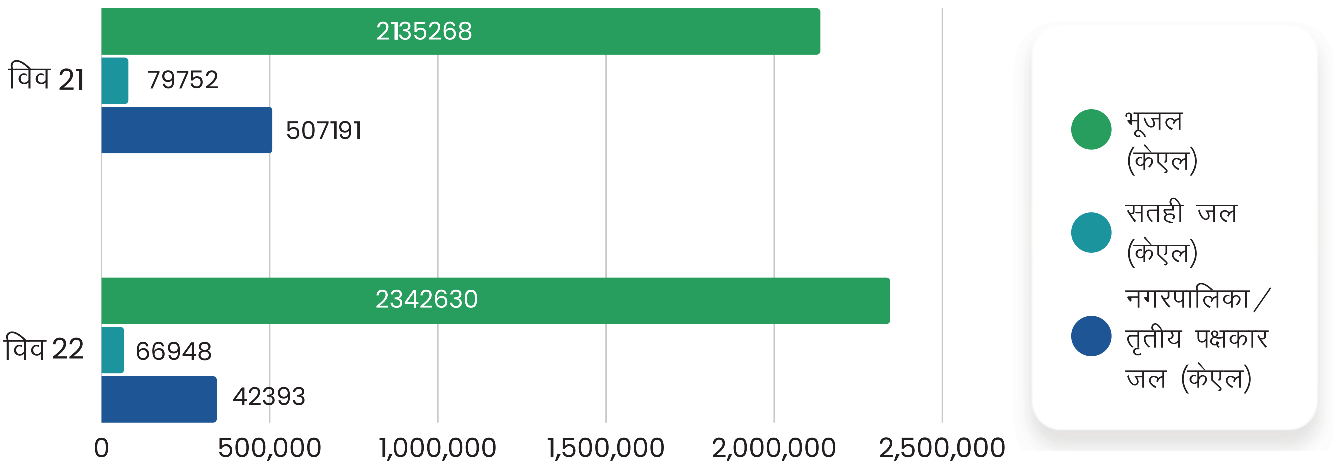

पावरग्रिड को पता है कि जल के गुणात्मक पहलुओं का ध्यान रखे बिना कोई भी जल प्रबंधन कार्यक्रम सफल नहीं होगा। तदनुसार, हमारे प्रतिष्ठानों में उत्पन्न अपशिष्ट जल, जो अनिवार्य रूप से घरेलू मलजल है, को या तो सोख गड्ढों के माध्यम से या एसटीपी के माध्यम से शोधित किया जाता है और परिशोधित जल का उपयोग परिसर में ही किया जाता है जिसमें शहरी क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों में बहुत कम मामलों में सार्वजनिक मलजल प्रणाली में छोड़े गए छोटे भाग शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप हमारे संचालन से आस–पास के समुदायों पर जल प्रदूषण का प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाता है, जैसा कि हमारी जल प्रबंधन नीति में परिकल्पना की गई है।

वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ जिसके परिणामस्वरूप भूजल पुनर्भरण होता है, हमारी जल प्रबंधन कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। हमारे परिसरों की पुनर्भरण क्षमता के आधार पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं बड़ी मात्रा में उप केन्द्रों में स्थापित की गई हैं और इसके अतिरिक्त, हमारे शेष सभी परिसरों में यह एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार, हम भूजल पुनर्भरण की कुल मात्रा के साथ–साथ कुल जल खपत के प्रतिशत के रूप में जल पुनर्भरण में निरंतर वृद्धि देख रहे हैं।

हम ईमानदारी से मानते हैं कि "जीवन के अमृत" से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में हमारे प्रयास केवल हमारे परिसरों तक ही सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि समग्र रूप से समुदाय को भी हमारे प्रयासों से लाभान्वित होना चाहिए। हमारी जल प्रबंधन नीति के अनुरूप, हम प्रति वर्ष सामुदायिक स्तर पर जल संरक्षण के साथ–साथ जल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई प्रभावशाली परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भी हमने अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व योजनाओं के अंतर्गत ऐसी योजनाओं पर 38.05 करोड़ रुपये की संचयी राशि व्यय की है।

विवेकाधारित खपत और सामग्री प्रबंधन

प्राकृतिक संसाधनों के विवेकाधारित उपभोग और जिम्मेदार सामग्री प्रबंधन के महत्व का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वे न केवल देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि उनके निष्कर्षण और उपयोग की पर्यावरणीय और सामाजिक लागत भी चुकानी पड़ती है। पारेषण परियोजनाओं में उपयोग की जाने वाली प्रमुख कच्ची सामग्री बजरी के अलावा स्टील और एल्युमीनियम जैसी धातुएँ हैं। पावरग्रिड कई तकनीकी और नीतिगत उपायों को अपनाकर अपनी परियोजनाओं और संचालन में उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और सामग्रियों को निरंतर रूप से संरक्षित कर रहे है, जिसमें रूपरेखा का अनुकूलन, डिजिटल उप–केन्द्र को अपनाना, उच्च मौजूदा वहन क्षमता वाले बेहतर कंडक्टरों का उपयोग करना, एचवीडीसी और एचवीएसी का विवेकपूर्ण मिश्रण, उच्च वोल्टेज स्तर पर बिजली संचारित करना तथा जहां भी संभव हो, मल्टी–सर्किट टावरों को प्राथमिकता देना आदि शामिल हैं।

अपशिष्ट प्रबंधन

पावरग्रिड ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाया है, जो 3 रूपरेखा अर्थात– कम करें, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, जैसा कि इसकी बोर्ड द्वारा अनुमोदित अपशिष्ट प्रबंधन नीति **(https://www.powergrid.in/sites/default/files/inline-files/Waste_Policy.pdf)** में दर्शाया गया है। यह नीति हमारे लिए वर्ष 2030 तक **'शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल कॉरपोरेट'** का दर्जा प्राप्त करने और बना, रखने का प्रेरणादायक लक्ष्य भी निर्धारित करती है। यहां, यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि पावरग्रिड के कार्यकलापों में कोई रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं है। इस प्रकार, इसके प्रतिष्ठानों में कोई भी प्रक्रिया अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है। अधिकांश औद्योगिक अपशिष्ट निर्माण से संबंधित हैं और कभी–कभी संचालन और अनुरक्षण कार्यकलापों से संबंधित अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। तदनुसार, उत्पादित विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट की मात्रा में कोई स्पष्ट रुझान मिल पाना संभव नहीं होगा। तथापि हमारे संचालन के दौरान जो भी अपशिष्ट उत्पन्न होता है, उस पर लागू नियमों के अनुसार और हमारी अपशिष्ट प्रबंधन नीति के अनुरूप ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

पावरग्रिड के संचालन और उनके प्रबंधन में उत्पन्न प्रमुख अपशिष्ट धाराएं निम्नानुसार हैं:

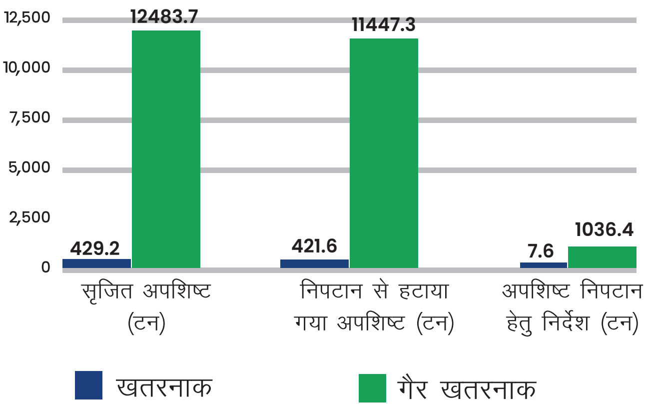

प्रयुक्त ट्रांसफार्मर तेल, जिसे लागू विनियमन अर्थात खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आंदोलन) नियमावली, 2016 द्वारा खतरनाक प्रकृति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे सावधानीपूर्वक संभाला और प्रबंधित किया जाता है। उपकरण की विफलता के कारण उपयोग की अनुपयुक्तता जैसे असाधारण परिदृश्यों में ही ट्रांसफार्मर का तेल कभी–कभार ही बदला जाता है। ऐसे मामलों में, इसे अन्य अपशिष्ट शाखाओं/सामग्रियों के साथ मिश्रित किए बिना अलग से एकत्र और संग्रहीत किया जाता है और प्रारूप –8 के अनुसार लेबल लगाया जाता है। संग्रहीत उपयोग किए गए ट्रांसफार्मर तेल को उसके ड्रमों के साथ वास्तविक उपयोगकर्ताओं या पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को बेचकर/भेजकर, उत्पादन के 90 दिनों के भीतर निपटाया जाता है और संबंधित एसपीसीबी ड्रमों को प्रारूप–4 के अनुसार वार्षिक आय में दर्ज किया जाता है। खाली किए गए ताजा ट्रांसफार्मर तेल को मेसर्स मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसीएल) नामक मिनीरत्न पीएसयू की वेबसाइट पर ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से निपटाया जाता है। किसी भी तेल रिसाव को मिट्टी या जल निकायों के साथ मिश्रित होने से रोकने के लिए, ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन में आवश्यक सुविधा के रूप में पर्याप्त मात्रा के तेल नाबदान/गड्ढों का प्रावधान शामिल है, जिसमें प्रत्येक गड्ढा प्राथमिक संग्रहण नाबदान से जुड़ा होता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई महत्वपूर्ण रिसाव की सूचना नहीं मिली है।

प्रयुक्त बैटरियाँ: बैटरियों का उपयोग पावरग्रिड के उप केन्द्रों में मुख्य रूप से रिले और सुरक्षा उपकरणों के लिए किया जाता है। उनका उपयोगी लाइफ पूरा होने के बाद, ये बैटरियाँ बैटरी अपशिष्ट बन जाती हैं। वर्ष 2022 में शुरू किए गए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, पावरग्रिड को बैटरी के उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत करते हैं और विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) की अवधारणा पेश करते हैं, इस प्रकार, उत्पादकों को बाजार में पेश की जाने वाली बैटरियों के नवीनीकरण या पुनर्चक्रण के लिए उत्तरदायी बनाते हैं। तदनुसार, पावरग्रिड अपने बैटरी अपशिष्ट को बैटरी के उत्पादकों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को सौंपकर इसका निपटान करता है।

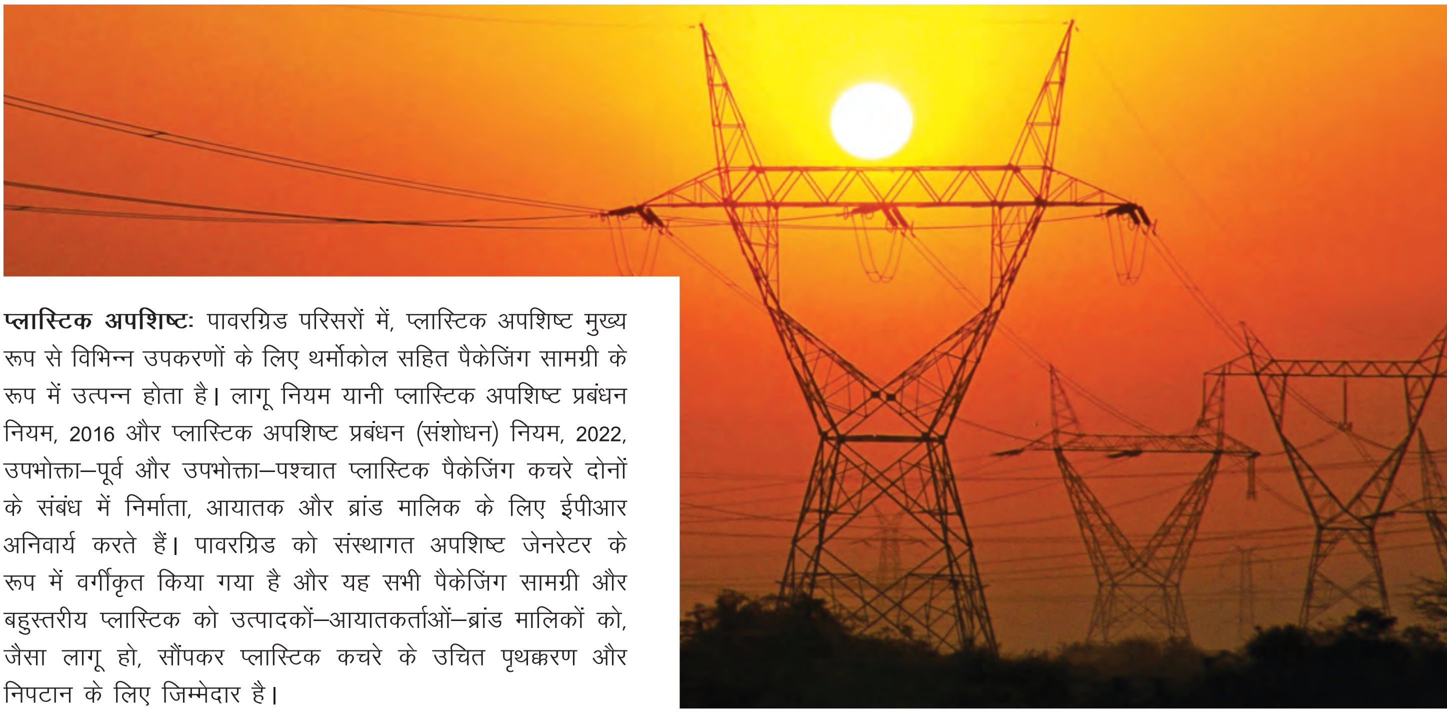

प्लास्टिक अपशिष्टः पावरग्रिड परिसरों में, प्लास्टिक अपशिष्ट मुख्य रूप से विभिन्न उपकरणों के लिए थर्मोकोल सहित पैकेजिंग सामग्री के रूप में उत्पन्न होता है। लागू नियम यानी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022, उपभोक्ता–पूर्व और उपभोक्ता–पश्चात प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे दोनों के संबंध में निर्माता, आयातक और ब्रांड मालिक के लिए ईपीआर अनिवार्य करते हैं। पावरग्रिड को संस्थागत अपशिष्ट जेनरेटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह सभी पैकेजिंग सामग्री और बहुस्तरीय प्लास्टिक को उत्पादकों–आयातकर्ताओं–ब्रांड मालिकों को, जैसा लागू हो, सौंपकर प्लास्टिक कचरे के उचित पृथक्करण और निपटान के लिए जिम्मेदार है।

निर्माण और तोड़फोड़ से संबंधित (सी एंड डी) अपशिष्टः हमारे परिसरों में उत्पन्न निर्माण और तोड़फोड़ से संबंधित (सी एंड डी) अपशिष्ट को बड़े पैमाने पर या तो परिसर या स्वामित्व की स्पष्ट अनुमति से तीसरे पक्षकार के परिसर में के भीतर भरने और समतलीकरण के उद्देश्य से पुनः उपयोग किया जाता है।

धातु स्क्रैप जो मुख्य रूप से टॉवर निर्माण और विद्युत सुचालक की स्ट्रिंगिंग संबंधी निर्माण कार्यकलापों के दौरान उत्पन्न होते हैं, उन्हें पुनर्नवीनीकरण किया जाता है और नीलामी के माध्यम से स्क्रैप विक्रेताओं को बेचा जाता है।

ई–अपशिष्ट जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, कारटेज आदि को अधिकृत संग्रह केंद्र या पंजीकृत डिस्मेंटलर या पुन–चक्रीकरण में भेज दिया जाता है या उत्पादक द्वारा प्रदान की जाने वाली वापस लेने वाले सेवाओं में वापस कर दिया जाता है।

जैव विविधता

जैव विविधता संरक्षण और कार्बन सिंक

वन, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अन्य पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्र पर्यावरण संतुलन बना, रखने में दोहरी भूमिका निभाते हैं। एक ओर, वे सबसे प्रासंगिक हरित गृह गैस (जीएचजी) कार्बन को डाइऑक्साइड अवशोषित करके कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, दूसरी ओर, वे जैव–विविधता के केन्द्र बिन्दु हैं। हमारे वनों और संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभयारण्य आदि) की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, पावरग्रिड उनकी सुरक्षा और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। हमारे ईएसपीपी (https://www.powergrid.in/sites/default/files/inline-files/ESPP.pdf) और हमारी ईएसजी नीति में सूचीबद्ध परिहार, न्यूनतमकरण और न्यूनीकरण के मूल सिद्धांतों के अनुरूप ऐसे पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्र से बचाव/न्यूनीकरण को मार्ग चयन मानदंड का अभिन्न अंग बना दिया गया है।

> पश्चिम बंगाल में स्थित मैथन उप केन्द्र में, हमने विश्व का पहला 400 केवी रिएक्टर प्रारंभ किया जो सिंथेटिक खनिज तेल के बजाय प्राकृतिक एस्टर तेल का उपयोग करता है।

हालांकि, लागू नियामक ढांचे द्वारा यह अधिदेशित नहीं है, सभी भावी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन (ईएसए) आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड के आधार पर कम से कम तीन व्यवहार्य मार्गों/स्थलों का विश्लेषण किया जाता है जिसमें मार्ग /स्थल में वन/वन्यजीव क्षेत्रों की भागीदारी शामिल हैं। इस विश्लेषण के आधार पर, निर्माण के लिए कम से कम ई एंड एस प्रभावों के साथ सबसे इष्टतम मार्ग /स्थल की सिफारिश की जाती है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के विश्लेषण करते समय, जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, क्यूजीआईएस आदि जैसी आधुनिक तकनीकी विशेषताओं का उपयोग सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस पद्धतिगत दृष्टिकोण ने न केवल वन और वन्यजीव जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से परिहार/ न्यूनीकरण में हमारी मदद की है, बल्कि आवासीय/आबादी वाले क्षेत्र, धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले स्थान जैसे सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को परिहार/न्यूनीकरण करते हुए हमारी परियोजनाओं के सामाजिक छाप को कम करने में भी मदद की है।

वैश्विक तापन और परिणामी जलवायु परिवर्तन में पावरग्रिड का योगदान समान वित्तीय आउटपुट वाले उद्योगों की तुलना में नगण्य है। हालाँकि, हम पूरी तरह से समझते हैं कि इस वैश्विक समस्या के कारण पूरी दुनिया अस्तित्व संबंधी खतरों का सामना कर रही है और तदनुसार हमारा मानना है कि सरकारों, नागरिक समाज, वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योगों, निवेशकों और नागरिकों सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए विश्व स्तर पर समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता

है। पावरग्रिड अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों में प्रगतिशील बदलाव, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन, बेहतर प्रौद्योगिकियों का उपयोग आदि जैसे सभी संभावित उपाय कर रहा है। साथ ही, हम कार्बन सिंक क्षमता को विकसित करने और इसे बढ़ाने के लिए भी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। वनीकरण अभियान के एक भाग के रूप में, हम राज्य वन विभागों के सहयोग से हर साल अपने प्रतिष्ठानों में और बाहर भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान

वन और वन्यजीव क्षेत्रों की सुरक्षा के प्रति हमारे निरंतर प्रयास के परिणामस्वरूप हमारी परियोजनाओं में ऐसे क्षेत्रों की भागीदारी में 1998 में 6% से रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 60% से अधिक की कमी आई, जिससे लगभग 26693 हेक्टेयर कीमती वन भूमि की बचत हुई।

भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के विशेषज्ञों के सहयोग से "पश्चिमी गुजरात के शुष्क तल में एविफौना पर बिजली लाइनों के प्रभावों का आकलन" शीर्षक पर एक अध्ययन किया

हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) सहित एविफौना पर ईएचवी पारेषण लाइन के प्रभाव पर विचार किया और विनिर्दिष्ट देश से संबंधित विश्वसनीय आंकड़ो की कमी पहचान की और इस प्रकार यह बात इस अध्ययन से सामने आई। उपर्युक्त अध्ययन के परिणाम से सभी पारेषण और वितरण उपयोगिताओं को विद्युत लाइनों के वास्तविक प्रभावों का विश्लेषण करने के साथ–साथ भविष्य में उनके संरक्षण के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

हरित आच्छादन विकास

लगभग 6.56 लाख खड़े पेड़ों के परिणामस्वरूप सालाना 14,296 टन सीओ2 का अवशोषण होता है।

चलाते हैं। वित्त वर्ष 2022–23 के अंत तक, पावरग्रिड के प्रतिष्ठानों में लगभग 6,56,702 पेड़ हैं, **जिसके परिणामस्वरूप सालाना 14,296 टन CO_2 का अवशोषण होता है, जो इसके कुल उत्सर्जन के 4% की भरपाई करता है।** इसके अतिरिक्त, वृक्षारोपण अभियान के परिणामस्वरूप बाहरी क्षेत्रों में भी हरित आवरण का विकास हुआ है।

संधारणीयता के लिए प्रौद्योगिकी

उद्योग क्षेत्र में पावरग्रिड राष्ट्र का अग्रणी उद्यमी है। यह नेतृत्व की स्थिति न केवल हमें नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रोत्साहित करती है बल्कि हमें सक्रिय रूप से आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। हमने अंतरिक रूप से नवोन्मेषी टावर रूपरेखा विकसित किए जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न बहु–सर्किट टावर, संकीर्ण बेस टावर, अतिरिक्त ऊंचे टावर, पोल प्रकार के टावरों के माध्यम से हमारी पारेषण लाइनों से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव कम हो गए हैं, जिसमें कुछ हद तक वन/वन्यजीव क्षेत्रों की भागीदारी भी शामिल हैं।

इसी प्रकार पारम्परिक एयर इंसुलेटर स्विचयार्ड (एआईएस के स्थान पर गैस इंसुलेटेड स्विचयार्ड (जीआईएस) को अपनाने से विशेष रूप से भूमि संसाधनों पर अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में न केवल हमारे उपकेन्द्रों और संवर्धित सामाजिक प्रभावों के लिए हमारी भूमि की आवश्यकता कम हो गई है बल्कि सुचारू परियोजना निष्पादन भी सुनिश्चित हुई है। हमारे सबसे महत्वपूर्ण घरेलू तकनीकी नवाचारों में "दूरसंचार एंटेना

वृक्षारोपण

सबस्टेशनों के परिसरों में व्यापक वृक्षारोपण किया गया

की शक्ति के लिए पारेषण लाइनों के अर्थ तारों में प्रेरित बिजली का उपयोग" अन्यतम है। डीजी सेट की आवश्यकता को समाप्त करते हुए इस नवोन्मेष में प्रत्येक स्थान पर 40–50 टीसीओ$_2$ स.क. उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है, इस प्रकार यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त, डीजी सेट के उपयोग से जुड़े प्रदूषक तत्वों जैसे पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के निकलने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। डिजिटल उप केन्द्रों का विकास हमारा अन्यतम आंतरिक नवोन्मेष है, जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन अर्थात कॉपर के उपयोग को काफी कम कर देगा। अपने अपशिष्ट छाप को कम करने के लिए, हमने सिंथेटिक तेल के स्थान पर प्राकृतिक एस्टर तेल के साथ दुनिया का पहला 400 केवी रिएक्टर शुरू किया है। चूंकि कंटेनर सहित प्रयुक्त सिंथेटिक तेल को मौजूदा भारतीय विनियमन द्वारा खतरनाक अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है अतः इस नवोन्मेष से भविष्य में हमारे प्रतिष्ठानों में उत्पन्न होने वाले खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा में काफी कमी आने की उम्मीद है।

एकध्रुवीय प्रकार के टावर

वनों की कटाई से बचने के लिए अतिरिक्त ऊंचा टॉवर

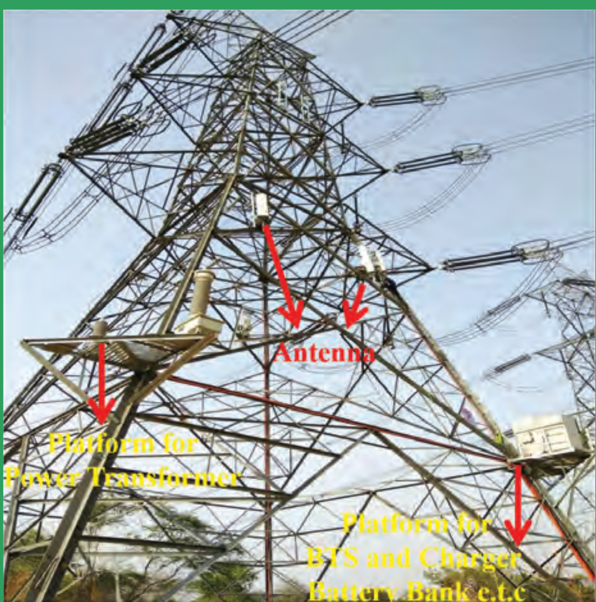

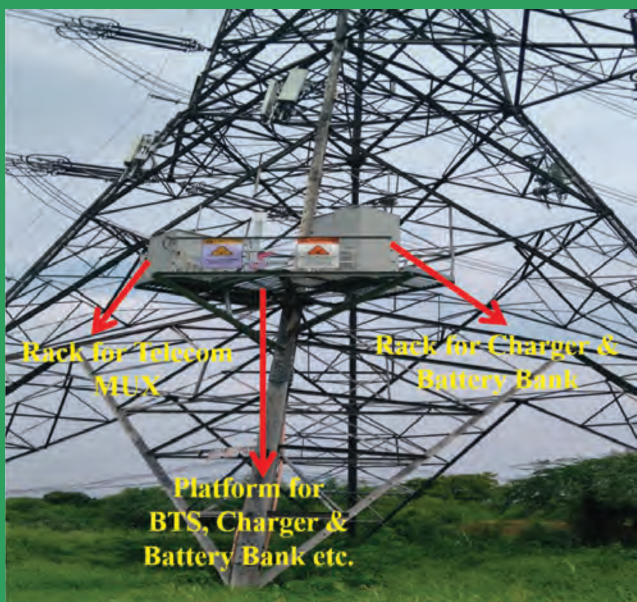

अर्थ वायर में प्रेरित विद्युत के दोहन के लिए तकनीकी व्यवस्था

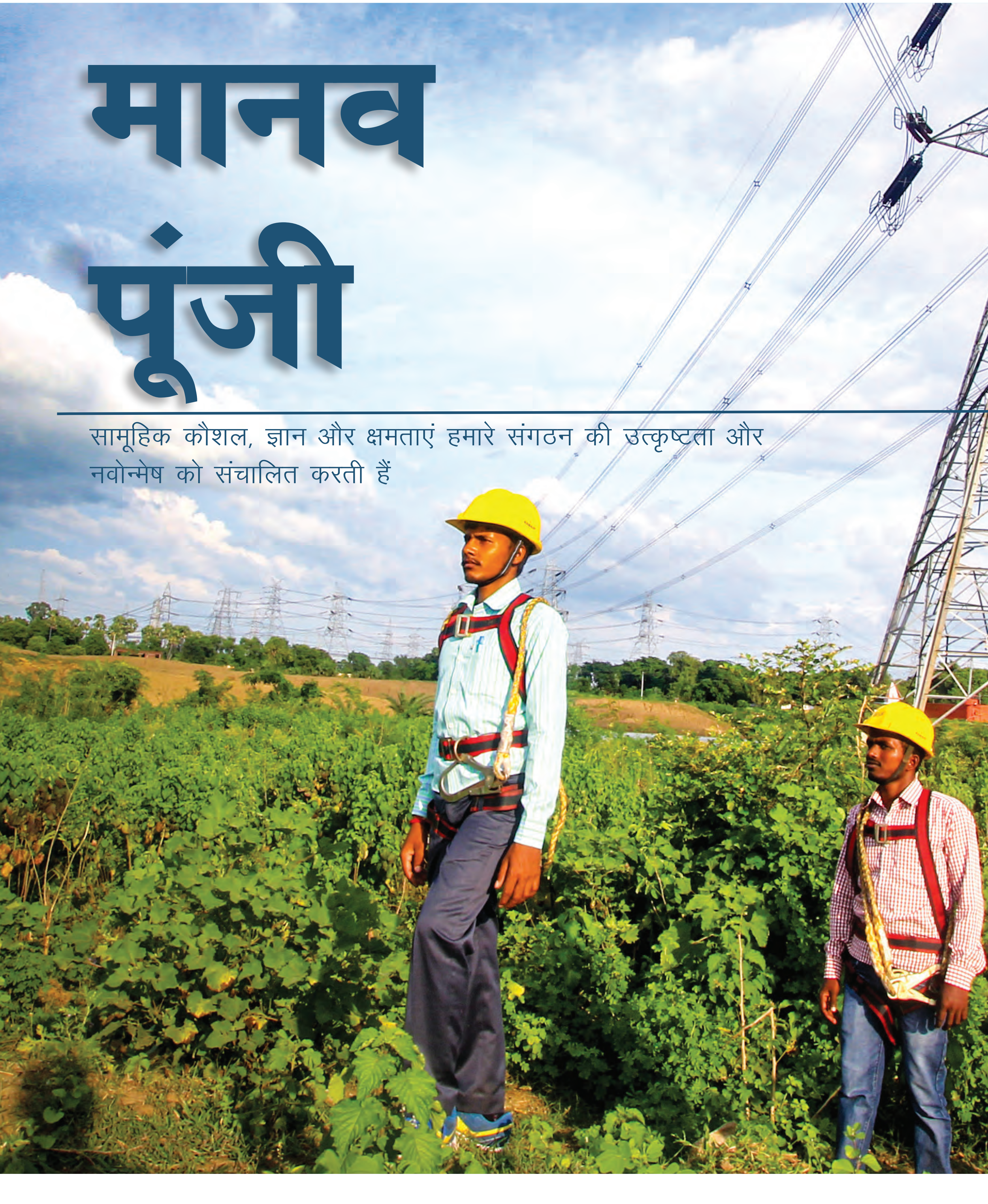

मानव पूंजी

सामूहिक कौशल, ज्ञान और क्षमताएं हमारे संगठन की उत्कृष्टता और नवोन्मेष को संचालित करती हैं

वि.व. 2022–23 में 8342

कार्यबल का पोषण

(स्थायी कर्मचारी)

वि.व. 2022–23 में

265 नई नियुक्तियों से नवोन्मेष को बढ़ावा मिला

(स्थायी कर्मचारी)

वित्त वर्ष 2022–23 में

कम से कम 5.37% की गिरावट दर से सकारात्मक कार्य वातावरण प्रतिपादित हुआ

वित्त वर्ष 2022–23 में

4,94,144 श्रम–घंटे के प्रशिक्षण के माध्यम से अपने लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना।

पावरग्रिड के लोगों को सशक्त बनाना

पावरग्रिड की असाधारण उत्कृष्टता जिसने हमें विश्व स्तरीय विद्युत पारेषण संगठन बनने हेतु प्रेरित किया है जो हमारे सक्षम, गतिशील और प्रेरित कार्यबल का प्रतिबिंब है और जिन्होंने हमारे निरंतर विकास और बेजोड़ परिचालनदक्षता के मुख्य समर्थक के रूप में कार्य किया है। हमारे लोग हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। यह राष्ट्र और संगठनके प्रति उनका दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता है जिसने भारत को अपनी विद्युत पारेषण संबंधी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने में मदद की है।

हम अपने लोगों की देखभाल करते हैं और हम उच्च–विश्वास, प्रभावोत्पादक और उद्देश्यपूर्ण कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं जिससे हमारे लोग जुड़े हुए हैं और अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं।

उद्योग की गतिशीलता और कौशल आवश्यकताओं के तेजी से बदलते परिस्थिति को देखते हुए, हमारा लक्ष्य है कि हमारे कर्मचारी बदलती वास्तविकताओं का सामना करते हुए चुनौतियों से आगे रहें। हमारी क्षमता–निर्माण रणनीतिक प्राथमिकताएं निम्नानुसार हैं – पहले आकर्षक कर्मचारी मूल्य प्रस्तावों को सामने रखकर उपयुक्त का चयन करें और फिर उन्हें बना, रखने और उनमें वृद्धि करने के लिए सशक्त बनाना। इस पद्धति से प्रेरित होकर, हमने मानव पूंजी वृद्धि के लिए समग्रिक रूप से एक दृष्टिकोण अपनाया है जो एक साथ प्रतिभा प्रबंधन के कई पैमाने पर ध्यान केंद्रित है।

शिक्षण और विकास के माध्यम से रचनात्मकता में संवर्धन

निरंतर शिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से पावरग्रिड बेजोड़ बाजार प्रतिस्पर्धा हेतु भविष्य के लिए तैयार कौशल वाली सर्वश्रेष्ठ–श्रेणी की संगठनात्मक क्षमताओं का निर्माण करने का प्रयास करता है। हमारे लिए, संगठन का विकास और हमारे लोगों का विकास पारस्परिक रूप से सुदृढ़ है। हम अपने लोगों को ऐसी क्षमताओं से सुसज्जित करने का प्रयास करते हैं जो उन्हें पावरग्रिड की परिधि के भीतर और बाहर उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। हमारी कौशल और उन्नयन पहल हमारे संगठनात्मक मूल्य में निहित हैं – उत्कृष्टता की उत्सुकता और परिवर्तन के लिए क्रियाशीलता। हम अपने कर्मचारियों को विस्तृत प्रशिक्षण श्रृंखला प्रदान करते हैं जिसमें प्रोत्साहन, व्यावहारिक व क्रियाशील, प्रबंधकीय और व्यवहार संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं।

पिछले 2 वर्षों में, हमने 9,31,672 से अधिक घंटों का प्रशिक्षण आयोजित किया है, जिसमें से 4,94,144 घंटों का प्रशिक्षण कार्यक्रम वित्त वर्ष 2022–23 में आयोजित किए गए। वि.व. 2021–22 और 2022–23 में, प्रति कर्मचारी औसतन प्रशिक्षण कार्य दिवस क्रमशः 6.41 और 7.40 थे। वि.व. 2021–22 और 2022–23 में प्रशिक्षण में (यात्रा व्यय को छोड़कर) क्रमशः 27.11 करोड़ रुपये और 35.39 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। इस रिपोर्टिंग वर्ष में 575 प्रशिक्षण आयोजित किए गए जिनमें 300 से अधिक प्रकार के प्रशिक्षण शामिल थे।

समग्र कौशल और उन्नयन पारिस्थितिकी तंत्र:

क्षेत्रीय सशक्तिकरण :

- पावरग्रिड एकेडमी ऑफ लीडरशिप (पीएएल) – अत्याधुनिक संस्थान है, जो भारत और विदेशों में पावरगिड के कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को विस्तृत प्रशिक्षण श्रृंखला प्रदान करता है।

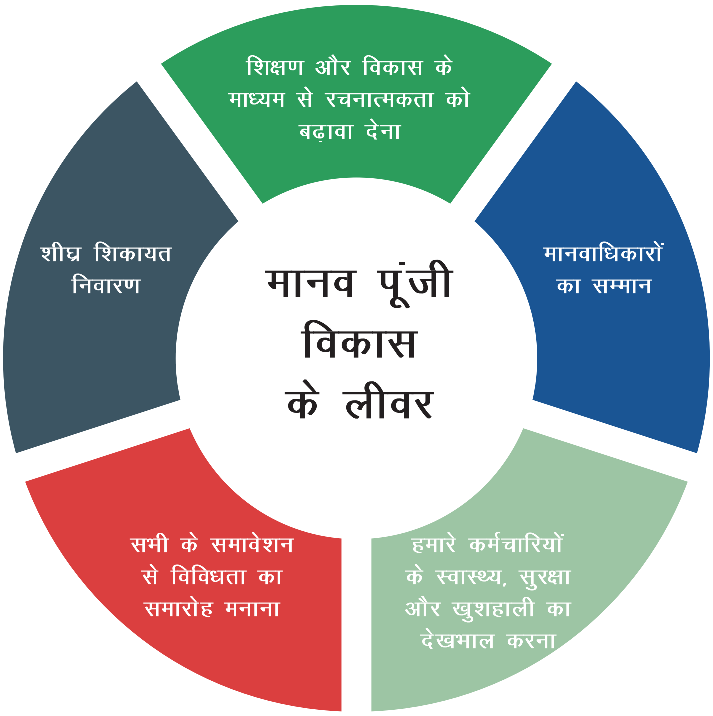

पीएएल को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पारेषण हेतु **प्रशिक्षण के लिए श्रेणी–I** संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है

वित्त वर्ष 2022–23 में भारत और विदेश में पीएएल, कर्मचारी विकास केंद्रों और संबद्ध प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में 570 से अधिक प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित किए।

- भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम "मिशन कर्मयोगी" के लिए विद्युत पारेषण से संबंधित सात मॉड्यूल की मेजबानी की।
- क्षमता निर्माण और संस्थानिक सुदृढ़ीकरण– पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (सीबीआईएस–एनईआरपीएसआईपी) के अंतर्गत, पावरग्रिड 6 (छह) राज्यों (असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा) में राज्यिक विद्युत उपयोगिताओं के लिए क्षमता निर्माण और संस्थानिक सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम चला रहा है और 2 (दो) राज्यों (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम) में व्यापक योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण कार्यक्रम चला रहा है।

युवा सशक्तिकरण:

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ), विद्युत क्षेत्र कौशल परिषद (पीएसएससी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके भारत में 22 स्थानों पर विद्युत क्षेत्र में 6000 बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्मिक सशक्तिकरण:

- हमारे कर्मचारियों के नेतृत्व पात्रता/तकनीकी क्षमता को बढ़ाने और सुदृढ़ करने के लिए भारत और विदेशों में प्रीमियम शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षण केंद्रों (आईआईटी–बैंगलोर, एनआईटी–जालंधर, एनटीपीसी व्यवसाय संस्थान, आईएसबी हैदराबाद) के साथ साझेदारी की गई है।
- आंकड़े विश्लेषण, मशीनी शिक्षण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित की गई।
- अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उनके कैरियर की प्रगति में सशक्त बनाने के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित की गई।
- "प्रज्ञान" – जोकि एक ई–शिक्षण पोर्टल है जो वीडियो/पाठ–आधारित ई–शिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के माध्यम से संगठन–विशिष्ट महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
- एचआरडी कार्य योजनाकार जो कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत प्रशिक्षण आवश्यकताओं और प्रशिक्षण योजना मैट्रिक्स के आधार पर संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाता है
- कर्मचारियों को सलाह और कोचिंग देने के लिए "संदर्शिका" नामक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई, जिससे 4700 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित हुए।
- वित्त वर्ष 2022–23 में विभिन्न ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 1,76,916 श्रम घंटे का प्रशिक्षण दिया गया।

विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों से संबंधित **100 से अधिक ई–शिक्षण मॉड्यूल** और विभिन्न कंपनी कार्यक्षेत्र से संबंधित 9 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम विकसित किए गए। जिससे लगभग **7450 कर्मचारी** लाभान्वित हुए

संदर्शिका के माध्यम से 4000 से अधिक कर्मचारी लाभांवित हुए

350 से अधिक संविदा कर्मचारियों को आरपीएल (पूर्व शिक्षा की मान्यता) प्रमाणन के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षु अधिनियम के अनुसार 950 से अधिक प्रशिक्षुओं को विभिन्न शाखाओं में नियुक्त किया गया।

पांच चरणीय योग्यता आधारित प्रशिक्षण हेतु आवश्यक मूल्यांकन प्रक्रिया

1 → संगठन के लिए आवश्यक मूल्यांकन

2 → अनुकूलित कार्यात्मक/क्षेत्रीय प्रशिक्षण सूचीपत्र को अंतिम रूप देने के लिए क्षेत्रीय/कार्यात्मक/उप–केन्द्र प्रमुखों के साथ ध्यान केन्द्रित समूह चर्चा

3 → कार्यात्मक और स्वभाव संबंधी योग्यता निर्देशिका अद्यतन करना

4 → ऑनलाइन योग्यता आधारित प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए मूल्यांकन और टीएनए पश्चात सत्यापन

5 → प्रशिक्षण कैलेंडर का मुद्रण, कार्यक्रमों का निष्पादन, प्रशिक्षण पश्चात फीडबैक और लेखा परीक्षा

- सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, भारत सरकार और आईटी उद्योग निकाय नैसकॉम के साथ उनके भावी कौशल संबंधी मूल पोर्टल के लिए गठजोड़ किया गया है जिसका लाभ पावरग्रिड के सभी कर्मचारी उठा सकते है

ये पहल मानव संसाधन विकास सौंध द्वारा एक अच्छी तरह से स्थापित आवश्यकता और कौशल अंतर मूल्यांकन प्रक्रिया – योग्यता आधारित प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से संचालित की जाती हैं। यह प्रक्रिया विशिष्ट कर्मचारी समूहों के लिए योग्यता–आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए आवश्यकता और कौशल अंतर मूल्यांकन के माध्यम से नई दक्षताओं की पहचान की सुविधा प्रदान करती है।

हमारे कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और खुशहाली का देखभाल करना

पावरग्रिड **में हमारे कर्मचारियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है।** स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा के उच्चतम मानकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे मिशन संबंधी विवरण के माध्यम से सुदृढ़ होती है। उद्योग में अग्रणी होने के नाते हमारा लक्ष्य अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने वाली सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को स्थापित करने के लिए निरंतर और ठोस प्रयास करना है।

कर्मचारियों की सुरक्षा

हमारे संचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पावरग्रिड को पता है कि हमारे कर्मचारियों को उप केन्द्रों और पारेषण लाइनों की मशीनरी और उपकरणों की रूपरेखा, निर्माण, संचालन और अनुरक्षण से जुड़ी घातक और गैर–घातक चोटों का खतरा अधिक है। इसके प्रत्युत्तर में, हमारे पास ठोस "सुरक्षा नीति" है जो उद्योग की सर्वोत्तम सुरक्षा

एपेक्स सुरक्षा बोर्ड द्वारा शासित हमारा त्रि-स्तरीय सुरक्षा मॉडल,

सीएमडी की अध्यक्षता में, बोर्ड में सदस्यों के रूप में कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं

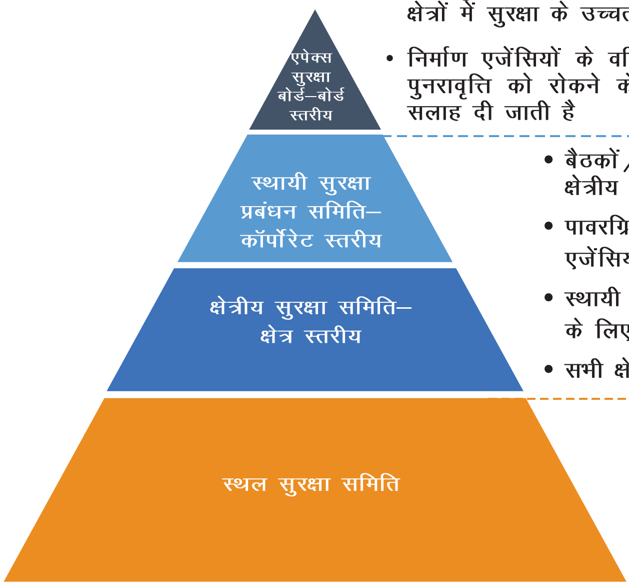

- बोर्ड दुर्घटनाओं की समय–समय पर और विस्तृत समीक्षा के माध्यम से सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करता है।
- निर्माण एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई/अतिरिक्त उपायों की सलाह दी जाती है

- बैठकों/सुरक्षा/विक्रेताओं के साथ बैठकों के माध्यम से कॉर्पोरेट/क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक समीक्षा
- पावरग्रिड के क्षेत्रीय/परियोजना प्रभारी/कार्यकारी, साथ ही निर्माण एजेंसियों को सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया
- स्थायी सुरक्षा समिति को भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निवारक/उपचारात्मक उपाय सुझाया गया
- सभी क्षेत्रों में सिफ़ारिशें परिचालित की गईं

- केन्द्र प्रभारी कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठक करते हैं जिसमें सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

संबंधी कार्यकलापों और उसके सख्तीपूर्वक अनुपालन की रूपरेखा तैयार करती है।

हम उच्चतम सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा से संबंधित सभी विनियामक आवश्यकताओं का निष्ठापूर्वक अनुपालन करते हैं।

शून्य दुर्घटनाओं को प्राप्त करने की हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, सुरक्षा नीति के संगठन–व्यापी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तीन–स्तरीय सुरक्षा–रूपरेखा स्थापित किया गया है। हमारे पास सुरक्षा प्रकोष्ठ भी है जो प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थल के कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

संगठन में सुरक्षा कार्यकलापों के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ नवीनतम पहल की है जो निम्नानुसार हैं:

- **कर्मचारियों और हितधारकों के साथ प्रभावी संचार, भागीदारी और परामर्श के माध्यम से सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना।**
- सुरक्षा समझौते के माध्यम से सभी संविदाकारों के लिए पावरग्रिड सुरक्षा नियमों और मौजूदा विधि का विस्तार करना। संविदाकारों द्वारा श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य और सुरक्षा शर्तों का गुणवत्ता मूल्यांकन संबंधित परियोजना प्रबंधक द्वारा किया जाता है।
- **स्थल पर निगरानी बढ़ाने, निवारक सुरक्षा उपायों के लिए सुरक्षा संबंधी कार्यों को डिजिटल बनाना।**
- दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निवारक उपायों के रूप में संविदाकारों पर मुआवजा और जुर्माना लगाना।

पावरग्रिड आईएसओ 45001:2018, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली द्वारा प्रमाणित है

- पाली शुरू होने से पहले सुरक्षा अधिकारी/स्थल पर्यवेक्षक द्वारा **दैनिक पत्रसार** देना, उन्हें आसन्न खतरों के बारे में चेतावनी देना और सावधानी बरतने का सुझाव देना।
- **श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण** आयोजित किए जाते हैं जिसमें लाइन और उप केन्द्र के निर्माण में सुरक्षा, पारेषण प्रणाली में सुरक्षा प्रबंधन, उप केन्द्र के ओ एंड एम में सुरक्षा कार्यप्रणाली, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य और सुरक्षा, तनाव और स्वास्थ्य प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक उपचार संबंधी पहलुओं को शामिल किया जाता है।
- **पावरग्रिड के कर्मचारियों और ठेकेदार के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण सुरक्षा अधिकारियों और अन्य बाहरी संकायों** द्वारा प्रदान किया जाता है ताकि कर्मचारियों को सुरक्षा से संबंधित पहलुओं से परिचित कराया जा सके। ओ एंड एम के अंतर्गत निर्माण स्थलों और पारेषण प्रणाली मेंर सुरक्षा संबंधी प्रदर्शन भी आयोजित किया जाता है।

कर्मचारी की खुशहाली

पावरग्रिड में, कर्मचारी कल्याण इसकी लोक संस्कृति का मूल स्तंभ है। हम अपने कर्मचारियों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ाने देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए, हम कर्मचारी कल्याण के कई पहलुओं को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं।

हमारी स्थल पर काम करने वाले हमारे 100% कर्मचारियों और संविदाकार के कर्मचारियों को नौकरी से संबंधित सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता हैं।

सामाजिक कल्याण:

स्वस्थ कार्य–जीवन संतुलन स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंश है। पावरग्रिड ने अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की है जो उन्हें पुनःसक्रिय करने के अवसरों की सुविधा प्रदान करती है और उन्हें अपने व्यक्तिगत / सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में मदद करती है। इनमें से कुछ पहल निम्नानुसार हैं:

- महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष माता–पिता के लिए विशेष शिशु–देखरेख अवकाश
- सभी पात्र पुरुष कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश
- अन्य नौकरी आकांक्षाओं या सामाजिक/पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के लिए विश्राम अवकाश

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, 1227 मॉक ड्रिल, 272 उप केन्द्र/टीएल लेखा परीक्षा, 235 निर्माण स्थल निरीक्षण, पावरग्रिड और एएमसी श्रमिकों को 1207 सुरक्षा–प्रशिक्षण और संविदात्मक निर्माण श्रमिकों को 5374 सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किए गए।

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य:

पावरग्रिड द्वारा स्वास्थ्य संबंधी कई कार्यक्रम आयोजित की जाती हैं जो या तो सभी कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने या उन्हें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए जोर देता हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

- कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए व्यापक चिकित्सा कवरेज
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
- पावरग्रिड कर्मचारी कल्याण संघ (पीईडब्ल्यूए), उप केन्द्र में महिला समितियां, क्षेत्रीय मुख्यालय और कॉर्पोरेट केंद्र।
- स्वस्थ सामुदायिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल संबंधी क्रियाकलाप और मनोरंजक क्रियाकलाप
- शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित विषय के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण और वेबिनार का आयोजन।

आर्थिक कल्याण:

हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को समुचित और समान वेतन दिया जाए और सभी को वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाए। हमने वैधानिक आवश्यकताओं से परे समूह बीमा योजना, मृत्यु राहत योजना (मृत कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कर्मचारी अंशदायी योजना), आर्थिक पुनर्वास योजना (कंपनी मृत

100%

पितृत्व/मातृत्व के बाद काम पर 100% वापसी

कर्मचारियों के परिवारों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है), सक्षम योजना (मृत कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए मौद्रिक सहायता, और शोक संतप्त परिवार को आर्थिक उपार्जन देना) जैसी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी लागू की हैं,

समानता और सभी के समावेशन से विविधता का समारोह मनाना

पावरग्रिड उन विविधतापूर्ण कार्यस्थल को प्रोत्साहित करता है जो नए दृष्टिकोण, अत्यधिक नवोन्मेष, विविध अभिव्यक्ति और विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। हम एक ऐसी संस्कृति विकसित करना चाहते हैं जहां किसी भी स्तर पर प्रत्येक कर्मचारी को सम्मानित किया जाए, उसका सुना जाए, उसे शामिल किया जाए, प्रोत्साहित किया जा, और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और अपने नौकरी में बढ़ोत्तरी करने के लिए समान अवसर दिया जाए।

समानता और समावेशिता हमारी कर्मचारी संबंधी कार्यकलापों में अंतर्निहित है जैसे कि नियुक्ति, मुआवजा तय करना, निष्पादन मूल्यांकन, नौकरी में उन्नति करना, शिक्षण और कौशल विकास, आदि। हम किसी भी प्रकार के भेदभाव – लिंग, आयु, धर्म, जाति, रंग, जातीय पृष्ठभूमि, शारीरिक क्षमता आदि के प्रति शून्य सहिष्णुता रखते हैं।

हम खुले विज्ञापन के माध्यम से अपनी भर्ती प्रक्रिया में समान अवसर प्रदान करके विभिन्न समुदायों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र, धर्म, लिंग, जाति, शारीरिक क्षमता आदि से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम क्षेत्रीय रिक्तियों के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालयों में विज्ञापन देते हैं। हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप पूरे भारत में 27 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्र में विविध कार्यबल नियुक्त किया गया है।

हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, बेंचमार्क दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पूर्व सैनिकों से संबंधित व्यक्तियों को हमारी भर्ती / पदोन्नति प्रक्रिया में छूट और रियायतें प्रदान करते हैं।

लैंगिक विविधता के संदर्भ में, हम अपने कार्यबल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए विशेष उपाय कर रहे हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

महिलाओं के लिए नौकरी की पेशकश को और अधिक आकर्षक बनाने के हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप, पावरग्रिड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वित्त वर्ष 2022 में 7.87% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 8.15% हुआ है।

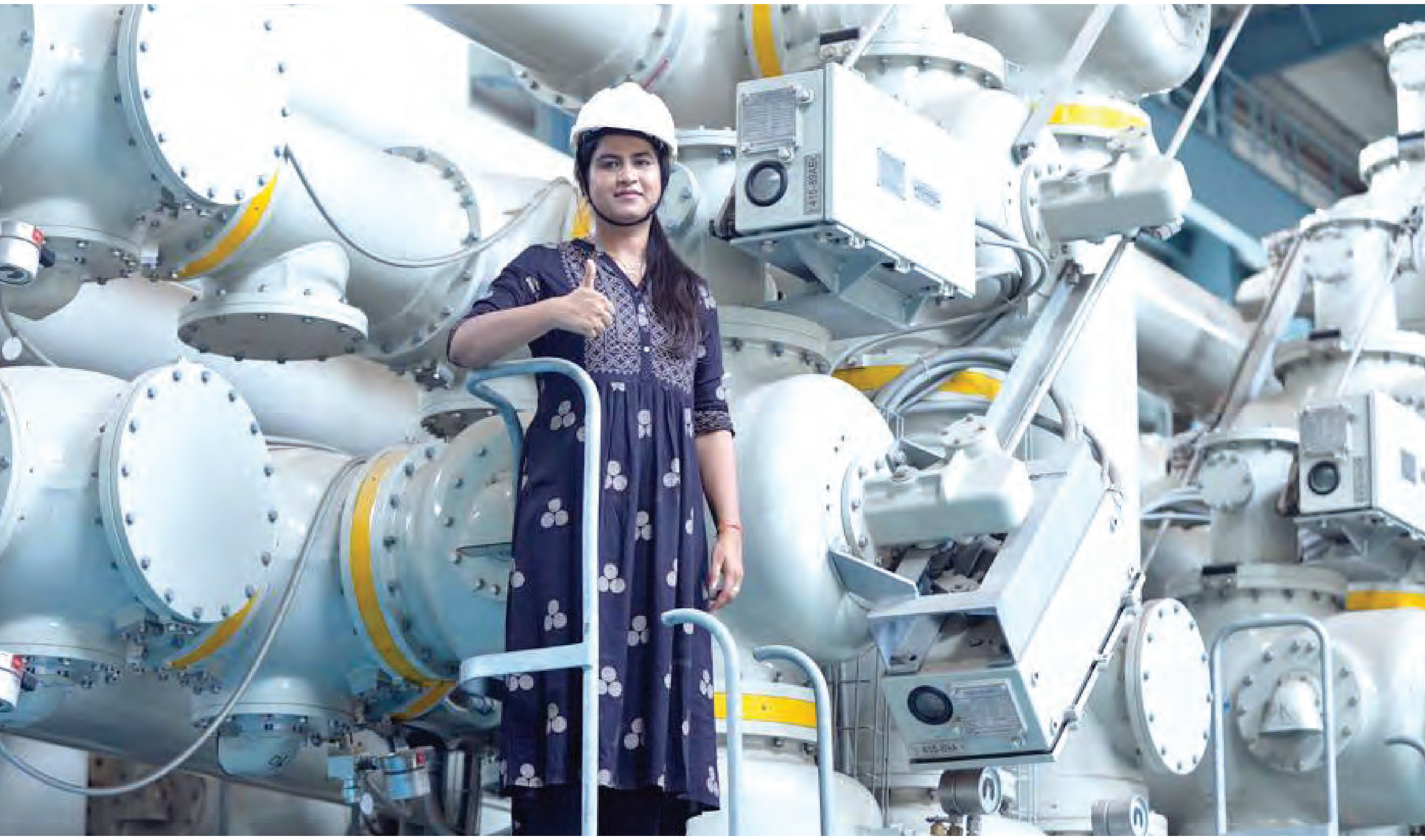

- चयन पैनलों में महिला प्रतिनिधि।
- महिला के बावजूद समान पारिश्रमिक।
- कार्य सौंपने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता।
- सांधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त और परे चलकर माँ बनने वाले और दत्तक माताओं के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करना।
- महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष माता–पिता के लिए शिशु देखरेख अवकाश (02 वर्ष तक) प्रदान करना।
- यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए शून्य सहिष्णुता नीति अपनाना जिसके अंतर्गत हमने महिला कार्यकारी की अध्यक्षता में एक आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की है।
- महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए संगोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- कल्याण पहल अर्थात शौचालय में सैनिटरी पैड डिस्पेंसर की स्थापना, गर्भवती माताओं के लिए निर्दिष्ट पार्किंग स्थान आवंटित करना आदि, ताकि एक अनुकूल वातावरण बनाया जा सके।

भारत में एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित) पाठ्यक्रमों का चयन करने वाली महिलाओं के अनुपात में क्रमिक वृद्धि को देखते हुए पावरग्रिड अपने कार्यबल में अधिक महिलाओं को शामिल करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए तत्पर है।

मानवाधिकारों का सम्मान

पावरग्रिड की सभी नीतियों और कार्यप्रणालियों में मानव अधिकार को शामिल किया गया है जो संविदा प्रावधानों / शर्तों के माध्यम से विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों से संबंधित हमारे सभी स्थायी और संविदात्मक कर्मचारियों और संबंधित पहलुओं तक विस्तारित होते हैं।

पावरग्रिड को अपनी मानव संसाधन और श्रम प्रबंधन नीतियों और कार्यप्रणालियों के लिए वर्ष 2007 से बीएसआई द्वारा सामाजिक जवाबदेही मानक एसए 8000 द्वारा प्रमाणित किया गया है। विक्रेताओं/आपूतकर्ताओं/संविदाकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे श्रम कानूनों/मानवाधिकारों आदि के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें। हमारे संविदा करार के अनुसार, संविदाकारों को अपने श्रमिकों को जबरन या अनिवार्य श्रम कराने से प्रतिबंधित किया गया है। सभी संविदाकारों को विभिन्न मुआवजे और विनियामक अधिनियमों का पालन करना आवश्यक है। सभी पावरग्रिड आपूतकर्ताओं को संविदा की सामान्य शर्तों और एसए 8000 खंडों के अनुरूप कार्य करना होगा। पावरग्रिड सामाजिक जवाबदेही मानकों अर्थात एसए 8000 की सभी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए बोलीदाताओं/संविदाकारों से सामाजिक जवाबदेही के संबंध में घोषणापत्र लेता है और यह घोषणापत्र संविदा दस्तावेजों का भाग है।

पावरग्रिड को इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा 'महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन–2023' में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।

इसका अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान भी संविदा शर्तों में शामिल किया गया है। पावरग्रिड अपनी मूल्य श्रृंखला के भीतर मानवाधिकारों का सम्मान करने के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है और दुरुपयोग के मामलों को प्रोत्साहित नहीं करता है। तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण आयोजित करने के अतिरिक्त, महिलाओं, दिव्यांगजनों और समाज के सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए मानवाधिकार के विषय पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। महिला कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, महिला संवेदीकरण पर कार्यक्रमों सहित यौन उत्पीड़न, महिला सशक्तिकरण और विकास से संबंधित कानून पर विशेष प्रशिक्षण /कार्यशालाएं आयोजित किए जाते हैं।

सहभागी निर्णय लेना और शिकायत निवारण में तत्परता

सहभागी अधिनिर्णय:

पावरग्रिड संयुक्त सलाहकार मंचों के माध्यम से सहभागी अधिनिर्णय लेने की संस्कृति को बढ़ावा देता है जहां प्रबंधन और श्रमिक प्रतिनिधि कर्मचारी/श्रमिक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आपसी समझौते के माध्यम से सक्रिय कार्रवाई करते हैं। हम अपने सलाहकार मंचों के लिए 03–स्तरीय संरचना का अनुपालन करते हैं।

कर्मचारियों की शिकायतें:

कर्मचारियों द्वारा शिकायत करने के लिए "कर्मचारी शिकायत पोर्टल" की व्यवस्था की गई है जो ऑनलाइन उपलब्ध है। पावरग्रिड की 3–स्तरीय संरचना है जो शिकायत का त्वरित समाधान सुनिश्चित करती है जिससे कर्मचारी के संतुष्टि में वृद्धि हुई है और नौकरी छोड़ने की दर कम हुई है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित आईसीसी (आंतरिक शिकायत समिति) कंपनी में मौजूद है ताकि महिलाओं के यौन उत्पीड़न प्रकृति से संबंधित शिकायतों से निपटा जा सके। । महिला कर्मचारियों को आसान स्थानों पर तैनाती आदि जैसी कुछ छूट दी जाती है।

पावरग्रिड ने अ.जा/अ.ज.जा./ओ.पि.व. और दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए कानूनी प्रावधान की सुरक्षा के लिए

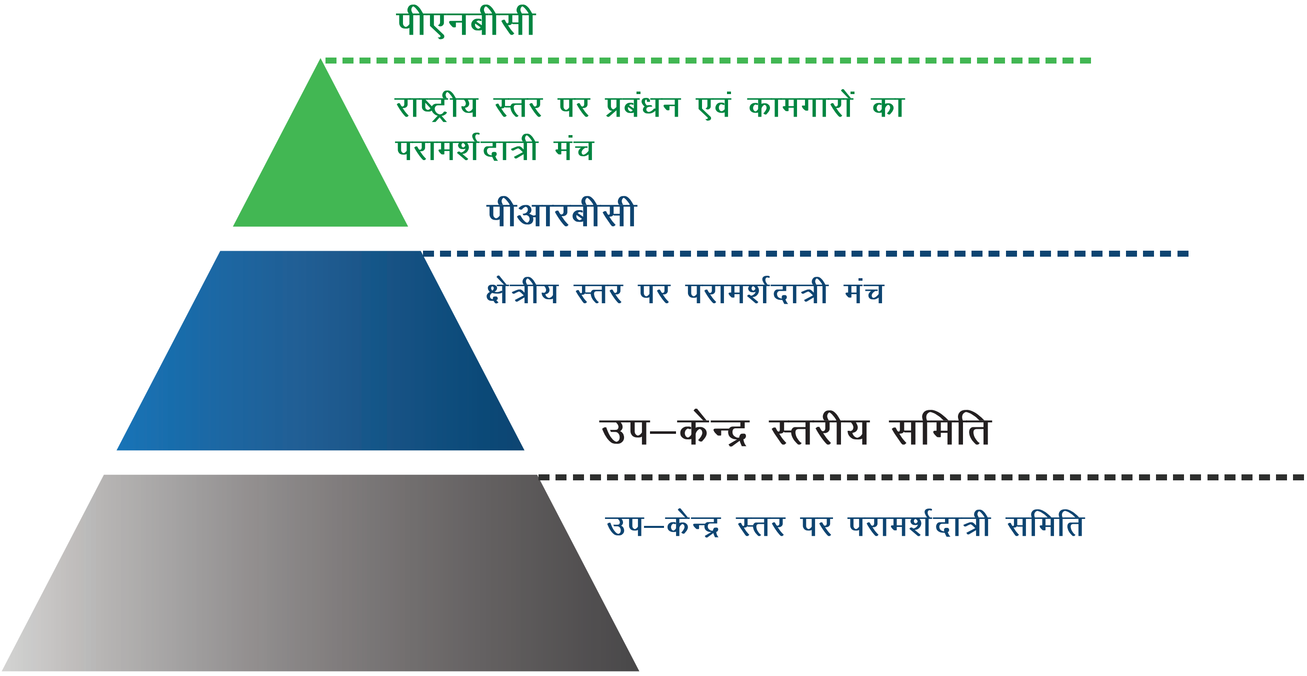

कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर एक अलग आरक्षण प्रकोष्ठ भी स्थापित किया है। उक्त श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों के साथ हुई किसी भी भेदभाव की शिकायत को हल करने के लिए यह प्रकोष्ठ नामित संपर्क अधिकारी (अधिकारियों) के सीधे नियंत्रण में है। किसी भी मुद्दे को सक्रिय रूप से हल करने के लिए उपरोक्त श्रेणी के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

सामाजिक और संबंध पूंजी

पावरग्रिड
POWERGRID

पावरग्रिड में, संधारणीय भविष्य के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता हमारी परिचालन सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। हम अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रयासों के माध्यम से समाज पर वास्तविक और संधारणीय सकारात्मक प्रभाव डालने, समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी भलाई को बढ़ावा देने में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल वित्तीय सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन और हमारे संगठन की बेहतरी में सार्थक योगदान देना है।

लोगों, संगठन और लाभ के मूल सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हुए, सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लिए हमारी नींव दृढ़ता से 3 मूल सिद्धांत में निहित है। हम व्यक्तियों के कल्याण, हमारे संगठन की स्थिति और हमारे कार्यों की दीर्घकालिक संधारणीयता पर विचार करने के महत्वपूर्ण महत्व को समझते हैं। हमारे मार्ग का मार्गदर्शन करने वाले इस सिद्धांत से हमने समुदायों के उत्थान और देश भर में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी विकास यात्रा शुरू की है।

सामाजिक हस्तक्षेपों की विविध श्रृंखला के माध्यम से, हमने अपनी विकास यात्रा में समुदायों को मूल रूप से एकीकृत किया है। सामुदायिक जुड़ाव के प्रति हमारी प्रतिबद्धता संधारणीय परिवर्तन बनाने के हमारे प्रयासों के पीछे प्रेरक शक्ति रही है। हमारा दृढ़ विश्वास हैं कि व्यवसायों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने वित्तीय उद्देश्यों से परे समाज की बेहतरी के लिए सक्रिय रूप से योगदान दें। इस प्रकार, हमने अपनी सीएसआर पहलों को संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और भारत सरकार द्वारा निर्धारित विकास संबंधी प्राथमिकताओं के आधार पर संरेखित किया है।

संपूर्ण भारत में हमारा कारोबार है और हम और कम भाग्यशाली लोगों के जीवन का उत्थान करने विशेष रूप से दूरवर्ती और दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन का उत्थान करने में सक्षम हुए है। समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करके, हमारा उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक अंतराल को कम करना, समावेशिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य देखभाल पहल से लेकर शैक्षिक सहायता तक, पर्यावरण संरक्षण से लेकर कौशल विकास कार्यक्रमों तक, हमारी सीएसआर पहल लोगों के जीवन में सार्थक और ठोस परिवर्तन लाने के लिए कई विशेष क्षेत्रों को अपने साथ जोड़ा है।

समाज की भलाई के लिए हमारे वास्तविक धारणा ने हमें सामाजिक विवेकशीलता को प्राथमिकता देने और व्यवसाय के लिए संधारणीय दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रेरित किया है। हमारे सीएसआर प्रयास केवल एक दायित्व नहीं हैं, बल्कि सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हार्दिक प्रतिबद्धता है। हमे विश्वास है कि सामूहिक कार्रवाई और सहयोग के माध्यम से, हम एक उज्ज्वल और अधिक न्यायसंगत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

वडोदरा में पावरग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन

संक्षेप में, पावरग्रिड में, सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति हमारा समर्पण संधारणीय और समृद्ध समाज के लिए हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। हम परिवर्तन के एजेंट, प्रगति के उत्प्रेरक और बेहतर कल के चैंपियन बनने का प्रयास करते हैं। सामाजिक कल्याण और पर्यावरण प्रबंधन के धागों को आपस में जोड़कर, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद, अवसर और स्थायी प्रभाव का ताना–बाना बुनने का प्रयास कर रहे हैं।

सीएसआर को हमारी रणनीति में प्रमुख स्थान दिया गया है – समुदाय के लिए संधारणीय मूल्य सृजन हेतु हम निरंतर प्रयासरत है

हम वंचित समुदायों को मजबूत करने और उन्हें अपनी सभी सीएसआर पहलों के केंद्र में रखने के लिए कार्य करते हैं। हम अपने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों का उपयोग सामाजिक विकास परियोजनाओं की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए करते हैं जिसमें हमारे मुख्य केन्द्र बिन्दु के रूप में संधारणीय परिवर्तन को रखते हुए महत्वपूर्ण चुनौतिपूर्ण क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है और पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से निपटने में परिहार, न्यूनीकरण और शमन के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता हैं।

हमारे संगठन में सीएसआर समिति स्थापित की गई है जिसमें सीएसआर पहलों के कार्यान्वयन को पूरा करने और उसका निगरानी करने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (कार्मिक) और तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं और इस रिपोर्टिंग वर्ष में 8 सीएसआर बैठकें आयोजित की गई हैं।

विभिन्न विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत की गई कुछेक ऐतिहासिक पहल निम्नानुसार हैं:

- डीएमसीएच, दरभंगा में विश्राम सदन का निर्माण।
- पावरग्रिड की सीएसआर पहल के अंतर्गत भारत में आईआईटी में बी–टेक करने वाले छात्रों के लिए योग्यता–सह–साधन(एमसीएम) छात्रवृत्ति के लिए आईआईटी चेन्नई को योगदान दिया गया।
- सीएसआर के अंतर्गत असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के 1600 हिंसा प्रभावित छात्रों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन (एनएफसीएच) को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज, असम में शोधकर्ताओं के छात्रावास का निर्माण।
- रामकृष्ण मिशन, राजकीय विद्यालय, राजस्थान को 200 प्रोजेक्टर उपलब्ध कराए गए।
- गंगटोक में डिचेनलिंग श्मशान परिसर का विकास एवं उन्नयन
- दौलताबाद और चंदला डूंगरवास, गुरुग्राम गांवों में तालाबों का संरक्षण
- ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करना
- मुरथल, हरियाणा में वंचित /बेरोजगार युवाओं के लिए प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 160 युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
- प्रशिक्षुओं की नियुक्ति

वित्त वर्ष 2022–23 में हमारी सामाजिक प्रगति

व्यय की गई कुल सीएसआर	₹ 321.66 करोड़
आवंटित कुल सीएसआर निधि	₹ 311.97 करोड़
पूर्ण सीएसआर परियोजनाओं की संख्या	135
स्वीकृत सीएसआर परियोजनाओं की संख्या	168

पिछले 5 वर्षों के लिए सीएसआर व्यय और निधि आवंटन रुझान

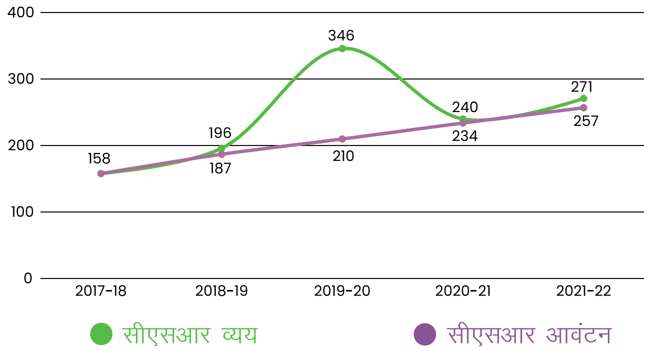

वित्त वर्ष 22–23 के लिए प्रमुख क्षेत्रों में प्रभाव संबंधी क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

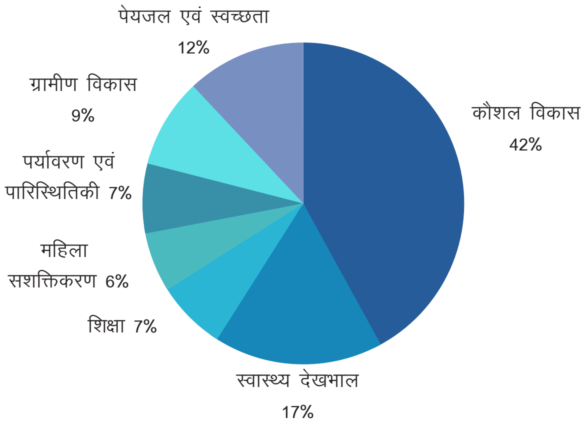

स्वास्थ्य देखभाल

किसी भी व्यक्ति के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मिल पाना महत्वपूर्ण है। एसडीजी 4 को ध्यान में रखते हुए, जो "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने और सभी के लिए आजीवन शिक्षण के अवसरों को बढ़ावा देना" का आह्वान करता है, पावरग्रिड स्थानीय समुदायों की अपनी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने और विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल पहलों को लागू करने की क्षमता में सुधार करना चाहता है।

पावरग्रिड का विश्राम सदन

- बेघर और जरूरतमंद मरीजों के लिए प्रतीक्षालय और आवास उपलब्ध कराना
- निम्नलिखित प्रमुख स्थानों में हमारा विश्राम सदन हैं
- एम्स, नई दिल्ली,
- केजीएमयू लखनऊ
- निमहंस, बेंगलुरु
- आईजीआईएमएस पटना और कई अन्य

दिव्यांगजनों को सहायता

- हमने आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एएलआईएमसीओ) के सहयोग से ट्राइसाइकिल व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक, ब्रेल किट जैसे चिकित्सा उपकरण वितरित किए।

टेली–मेडिसिन सुविधाएं

- हमने शिलांग और सोहरा में रामकृष्ण मिशन केंद्रों और एनईआईजीआरआईएचएमएस (पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान) अस्पताल, शिलांग के बीच सहयोग के माध्यम से तंत्रिका–विज्ञान, कैंसर विज्ञान, त्वचाविज्ञान आदि जैसे क्षेत्र में टेली–मेडिसिन सेवाएं भी प्रदान कीं।

लाभार्थियों की संख्या	**134665433 (लगभग)**
शामिल किए गए जिलों की संख्या	**131**
आवंटित कुल सीएसआर निधि	**₹ 14678.55 (लाख)**
शुरू की गई परियोजनाओं की कुल संख्या	**114 (जिसमें पीएम देखभाल अंशदान शामिल हैं)**

अन्य प्रमुख पहल

- सिक्किम राज्य में विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण और उपस्कर प्रदान करना
- ईएसआई अस्पताल फ़रीदाबाद को चिकित्सा उपकरण प्रदान करना
- जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर यूपी में 100 बिस्तरों वाली बाल गहन चिकित्सा इकाई (पीआईसीयू) की स्थापना
- गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में "पावरग्रिड विश्राम सदन।
- जेयपोर (ओडिशा) के जिला मुख्यालय अस्पताल (डीएचएच कोरापुट) में आपातकालीन आईसीयू स्थापित करने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण/उपस्कर प्रदान करना
- ओडिशा के कालाहांडी जिले (आकांक्षी जिला) के विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण और उपस्कर प्रदान करना
- तेलंगाना के नलगोंडा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिलों में दिव्यांगजनों को सहायता और उपकरण प्रदान करना
- क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, तिरुवनंतपुरम, केरल में रेडियोथेरेपी उपचार के लिए रिंग गैन्ट्री रैखिक त्वरक प्रदान करना
- आंध्र प्रदेश के 5 जिलों अर्थात विजयनगरम, गुंटूर, कडप्पा, चित्तूर और प्रकाशम में 5 एम्बुलेंस की आपूर्ति
- विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट, वी.एम.आई., पालमपुर (विवेकानंद रिसर्च ट्रस्ट की एक इकाई), हिमाचल प्रदेश में स्थापना सहायक उपकरण सहित एमआरआई मशीन की आपूर्ति

समुदाय के सदस्य से प्रशंसापत्र

- जिला अस्पताल बागपत में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की सीएसआर परियोजना के लिए एएमयू द्वारा किए गए स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर, पावरग्रिड को निम्नलिखित मापदंडों अर्थात प्रासंगिकता, प्रभावशीलता, दक्षता, प्रभाव और संधारणीयता पर विकास मूल्यांकन संबंधी ओईसीडी डीएसी नेटवर्क (एवलनेट) के आधार पर 25 में से 21 अंक दिए गए हैं।
- इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा के विषय पर एक अन्य परियोजना के लिए अर्थात गुरुग्राम में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, जेएनयू, नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्र प्रभावी मूल्यांकन किया गया था, जिसमें पावरग्रिड को ऐसी जीवन रक्षक सीएसआर परियोजना के लिए 25 में से 22 अंक दिए गए हैं।

उच्च शिक्षा के लिए योगदान

भारत के आईआईटी में बी–टेक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए योग्यता–सह–साधन (एमसीएम) छात्रवृत्ति हेतु आईआईटी चेन्नई को योगदान दिया गया

लाभार्थियों की संख्या	1008 **(लगभग)**
शामिल किए गए जिलों की संख्या	**सम्पूर्ण भारत**
आवंटित कुल सीएसआर निधि	₹1797.60 **(लाख)**
शुरू की गई परियोजनाओं की कुल संख्या	1

ग्रामीण विकास

भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है। गांवों की उन्नति देश के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिस्थितियों से अधिक सामाजिक और आर्थिक समानता और स्थिरता आएगी। पावरग्रिड द्वारा इस संबंध में कई उपाय किए गए हैं।

लाभार्थियों की संख्या	110103043 (लगभग)
शामिल किए गए जिलों की संख्या	45
आवंटित कुल सीएसआर निधि	₹ 137.06 (लाख)
शुरू की गई परियोजना की कुल संख्या	54

स्मार्ट खेती को बढ़ावा देना

ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण विकास का देश के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पावरग्रिड ने ओडिशा के कालाहांडी जिले के जयपटना ब्लॉक के 10 गांवों में ग्रामीण विकास के लिए एक स्केलेबल शिक्षण स्थल के निर्माण में, मिट्टी की जलवायु, एकीकृत जल विभाजन और फसल प्रबंधन के विज्ञान के नेतृत्व वाले विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, सेमी–एरिड ट्रॉपिक्स (आईसीआरआईएसएटी) अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के साथ सहयोग और समर्थन किया। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और इस तरह गाँव की आजीविका बढ़ाने के लिए लगभग 2500 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने वाला एकीकृत जल विभाजन प्रबंधन कार्यान्वित किया गया है। इसी प्रकार का उपाय पहले कुरनूल (आंध्र प्रदेश) और कुडगी (कर्नाटक) में किया गया था, विभिन्न मंचों से दोनों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी।

वर्षा जल संचयन, सुरक्षित पेयजल, स्कूलों के लिए स्वच्छता और शौचालय, कृषि उत्पादकता में सुधार और छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका, ग्रामीण विद्यालय नवीकरण, सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में देश के ग्रामीण और आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए पहल की गई है।

देश भर में हमने ग्रामीण और आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए सुरक्षित पेयजल, स्कूल के लिए स्वच्छता और शौचालय, छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका और ग्रामीण विद्यालय नवीकरण के क्षेत्रों में कई अन्य पहल की हैं।

पावरग्रिड विश्राम सदन दरभंगा, बिहार

अन्य प्रमुख पहलें

- ग्राम बारीखुर्द बाबूपुर, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना (म.प्र.) में स्टेडियम का निर्माण कार्य
- बिहार के भोजपुर जिले में ग्रामीण विकास कार्य
- पूर्वी चंपारण, बिहार में उद्यान निर्माण कार्य
- कैमूर (भभुआ) जिले में 2.2 किलोमीटर का सड़क निर्माण कार्य।
- काराकाट विधानसभा क्षेत्र, रोहतास में 06 सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण कार्य।
- पश्चिम मेदिनीपुर में विश्राम गृह, उप–सड़क, जैव–सौचालय, ट्रैक्टर, स्टील वॉटर टैंक आदि
- नादिया जिले के हरिनघाटा ब्लॉक के बिरोही I ग्राम पंचायत में बक्शा खाल (नहर) और संबंधित पुलियों की पुनः उत्खनन/निकर्षण
- गांव पंचगांव, तहसीलः – मानेसर, गुरुग्राम (हरियाणा) में ताओरू रोड की मरम्मत
- कुरूक्षेत्र, हरियाणा में "स्वच्छ एवं दिव्य कुरूक्षेत्र" के अंतर्गत सीएसआर कार्य

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं को सशक्त बनाना परिवारों, समुदायों और देश के स्वस्थ्य वातावरण और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण मिशन महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें अपना जीवन अपने अनुसार जीने का आज़ादी देता है। पावरग्रिड ने कुछ उल्लेखनीय पहल की हैं जो ग्रामीण भारत की महिलाओं को उनकी क्षमता का प्रदर्शन करने में मदद कर रही हैं।

लाभार्थियों की संख्या	6,000 (लगभग)
शामिल किए गए जिलों की संख्या	संपूर्ण भारत
आवंटित कुल सीएसआर निधि	₹ 189.89 (लाख)
शुरू की गई परियोजनाओं की कुल संख्या	1

पावरग्रिड ने ग्रामीण भारतीय महिलाओं को उनकी संपूर्ण क्षमता विकास करने में सहायता हेतु कई उल्लेखनीय पहल शुरू की हैं। महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन उत्पादन, सिलाई–कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 100 अत्याधुनिक सिलाई मशीनें और 5 अर्ध–स्वचालित सैनिटरी नैपकिन निर्माण मशीनें प्रदान की गईं। सिलाई मशीनों के अलावा, सिलाई प्रशिक्षण भी प्रदान की गईं। इस उद्यम ने महिलाओं को महत्वपूर्ण सिलाई कौशल प्रदान किया, जिससे उन्हें घर से काम करने और उद्यमशीलता कौशल विकसित करने के साथ–साथ अपने परिवार का समर्थन करने के लिए भी बेहतर अवसर मिला। उत्तराखंड के मनगांव और हरियाणा के गुरुग्राम सहित कई स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। पावरग्रिड ने युवा महिलाओं को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हरियाणा के नूंह जिले में एक कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण किया।

अन्य प्रमुख पहलें

- मेवात में कामकाजी महिला छात्रावास के लिए फर्नीचर
- कोटेश्वर के निकट स्थित ग्राम पंचायत मनगांव की लड़कियों और महिलाओं को 19 सिलाई मशीन वितरण किए गए और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए छह महीने का सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया
- गुरुग्राम के सेक्टर–43, सेक्टर–46 में और उसके आसपास काम करने वाले/रहने वाले समाज के सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के व्यक्तियों को सीएसआर के अंतर्गत 600 स्टेनलेस स्टील कुकवेयर सेट का वितरण किया।
- झारखंड के हज़ारीबाग़ में स्थित के.बी महिला सरकारी महाविद्यालय में सभी आवश्यक सुविधाओं सहित खेल के मैदान का विकास कार्य किया गया।

कौशल विकास

हम आज के समुदाय और युवाओं को कुशल बनाने और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करने में विश्वास करते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य युवा पुरुष और महिलाओं को सार्थक रूप से नियोजित करने या छोटी उद्यमिता के माध्यम से आय सृजन करने के लिए प्रशिक्षित और सशक्त बनाना है, जिससे वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधार सकें। वंचित वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए पावरग्रिड ने आजीविका और रोजगार–उन्मुख उद्यमशीलता के साथ–साथ कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संवर्धन करता है।

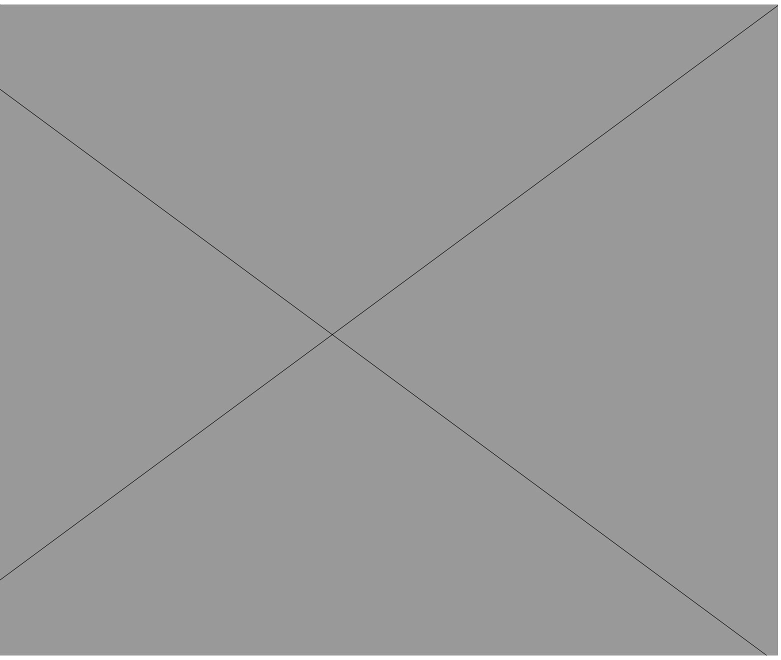

लाभार्थियों की संख्या	10,255 (लगभग)
शामिल किए गए जिलों की संख्या	संपूर्ण भारत
आवंटित कुल सीएसआर निधि	₹ 1400.00 (लाख)
शुरू की गई परियोजनाओं की कुल संख्या	5

पावरग्रिड ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राष्ट्रीय निर्माण एकेडमी (एनएसी), केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी (सीआईपीईटी) संस्थान इंडो–जर्मन उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान (आईजीआईएटी), एनईआईटूसीओ और सीईडीएमएपी के साथ–साथ अन्य व्यावसायिक संगठन जैसी संगठनों के साथ साझेदारी के माध्यम से आर्थिक रूप से वंचित समुदायों, विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों के बेरोजगार, अकुशल युवाओं के प्रशिक्षण में सहायता की है। इन युवाओं को गियरबॉक्स लाइन निर्माण, स्टील फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लास्टिक अभियांत्रिकी, ऑटो मरम्मत, एलएमवी ड्राइविंग, परिधान विनिर्माण, हथकरघा बुनाई, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई, फैशन डिजाइनिंग और सौंदर्य देखभाल सहित विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है।

अन्य प्रमुख पहलें

- सीआईपीईटी, मुरथल, सोनीपत, हरियाणा में वंचित/बेरोजगार युवाओं के लिए प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 160 युवाओं हेतु रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
- भारत में स्थित पावरग्रिड के विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति
- सीएसआर – वित्त वर्ष 2020–21 के अंतर्गत पावरग्रिड के प्रशिक्षुता कार्यक्रम के सीएसआर प्रभाव मूल्यांकन हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किए गए स्वतंत्र प्रभाव आकलन के आधार पर परियोजना को 25 में से 21.5 अंक दिए गए हैं, परियोजना का मूल्यांकन पैमाना ओईसीडी डीएसी नेटवर्क के अनुसार 0 से 5 रखा गया है।

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

हमारा मानना है कि प्राकृतिक पर्यावरण पर हमारे कार्यों के प्रभाव के लिए हम जिम्मेदार हैं। पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखकर विकास के पथ पर आगे बढ़ाने से हमें लंबे समय तक आगे बढ़ सकेंगे।

लाभार्थियों की संख्या	1,47,42,054 (लगभग)
शामिल किए गए जिलों की संख्या	21
आवंटित कुल सीएसआर निधि	₹ 198.66 (लाख)
शुरू की गई परियोजनाओं की कुल संख्या	17

पावरग्रिड पर्यावरण के लिए उचित धारणा और जलवायु परिवर्तन की महत्वपूर्णता का प्रबंधन करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर और हरियार के साथ–साथ औरैया में भी वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कोकराझार और गुड़गांव में क्रमशः 50,000 पौधे और 1,000 पेड़ लगाए गए।

हमें विश्वास है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन से हरित, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के नए युग में तेजी से परिवर्तन महत्वपूर्ण है। इस संबंध में, पावरग्रिड ने भारत के विभिन्न राज्यों में सौर लाइट स्थापित की है। बलिया, मऊ, भदोई, लखनऊ, वाराणसी, हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ स्थानों और अन्य स्थानों पर कुल 3439 सौर लाइट स्थापित की गई हैं।

अन्य प्रमुख पहलें

- भोजपुर जिले में 08 छठ घाट का सौंदर्यीकरण एवं साफ–सफाई का कार्य
- किशनगंज में महानंदा नदी के दाहिने तट पर पत्थर से पुश्ताबंदी
- "उद्यान कुटीर सहित सियालबू सामुदायिक फल वृक्ष उद्यान का निर्माण"
- विजयवाड़ा नगर निगम, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में स्वचालित पीईटी बोतल फ्लेकिंग और रिवर्स वेंडिंग मशीन की स्थापना
- मणिपुर में सेनापति जिले के कलिनामेई गांव में 01 जल जलस्रोत का निर्माण
- श्रेणी–क और ख के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता के लिए ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन

शिक्षा

पावरग्रिड का मानना है कि प्रतिष्ठित जीवन जीने के लिए विशेष रूप से वंचितों और कमजोर लोगों के लिए शिक्षा आधार सोपान हैं।

लाभार्थियों की संख्या	4,03,08,954 (लगभग)
शामिल किए गए जिलों की संख्या	90
आवंटित कुल सीएसआर निधि	₹ 996.37 (लाख)
शुरू की गई परियोजनाओं की कुल संख्या	73

कक्षाओं को सुव्यवस्थित कक्षाओं में परिवर्तन करना

पावरग्रिड ने केरल के कन्नूर जिले में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के 1000 छात्रों वाले मुंडेरी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मौजूदा कक्षाओं को नवीनीकरण करके, नए सज्जा सामग्री प्रदान करके और सुव्यवस्थित शिक्षण प्रणाली स्थापित करके उन्हें सुव्यवस्थित कक्षाओं में परिवर्तित किया।

हिंसा का सामना कर रहे बच्चों की रक्षा और सहायता करना

हम, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी (एनएफसीएच) के सहयोग से सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए "सहायता" योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, साथ ही उन बच्चों के वास्तविक पुनर्वास के लिए भी सहायता प्रदान करते हैं जो सांप्रदायिक, जातीय हिंसा, संजातीय या आतंकवादी हमले से ग्रस्त होते हैं। उनकी देखभाल, शिक्षा और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

अन्य प्रमुख पहलें

- झारखंड के रांची जिले (आकांक्षी जिला) में व्यापक सीएसआर कार्यकलाप 50 कूलर सहित आरओ जल संयत्र की स्थापना और शुरूआत।
- कोटा के सरकारी विद्यालयों में कक्षाओं, शौचालयों का निर्माण और अध्ययन डेस्क की आपूर्ति।
- पावरग्रिड ज्ञान केंद्र (पीजीके) की स्थापना और "हरदयाल नगरपालिका धरोहर सार्वजनिक पुस्तकालय" में मौजूदा अवसंरचना को सुसज्जित करना
- राजस्थान के रामकृष्ण मिशन राजकीय विद्यालय को 200 प्रोजेक्टर प्रदान करना।
- मोगा (पंजाब) के राजकीय उच्च माध्यमिक वालिका विद्यालय में 16 दो मंजिला कक्षाओं का निर्माण और बेंच उपलब्ध कराना
- बलरामपुर में जनजातीय छात्रावास का निर्माण
- असम के जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में शोधकर्ताओं के लिए छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव
- धनोरा गांव, परली में 6 कक्षाओं का निर्माण
- सिंगरौली जिले के तहसील सरई में अनुसूचित जाति वरिष्ठ बालिका छात्रावास (50 जन के बैठने हेतु) का निर्माण

पावरग्रिड के सीएसआर–वित्त वर्ष 2020–21 के अंतर्गत के हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सुव्यवस्थित कक्षा की स्थापना और संचालन हेतु सीएसआर प्रभाव आकलन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किए गए स्वतंत्र प्रभाव आकलन के आधार पर इस परियोजना को 25 में से 21 अंक दिए गए हैं, परियोजना का मूल्यांकन पैमाना ओईसीडी डीएसी नेटवर्क के अनुसार 0 से 5 रखा गया है।

पेयजल और स्वच्छता

स्वच्छ जल और स्वच्छता को अपनाने का अर्थ होता है अनगिनत बीमारियों के संपर्क से अपने आप को बचाना। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए अपरिहार्य है, बल्कि आजीविका, स्कूल में उपस्थिति के लिए भी योगदान देता है और लोगों को स्वस्थ वातावरण में रहने वाले लचीली समुदायों का निर्माण करता है।

लाभार्थियों की संख्या	93,26,759 (लगभग)
शामिल किए गए जिलों की संख्या	68
आवंटित कुल सीएसआर निधि	₹ 305.97 (लाख)
शुरू की गई परियोजनाओं की कुल संख्या	56

शौचालय ब्लॉक का निर्माण

खुले में शौच करना जनता के लिए सबसे प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी जोखिम है, विशेषकर बच्चों के लिए, जिन्हें दस्त जैसी संभावित घातक बीमारियों की चपेट में आने का खतरा है। पावरग्रिड ने स्वच्छ भारत अभियान की पहल के अंतर्गत शौचालय ब्लॉकों का निर्माण किया है।

सड़कों की सफाई के लिए सुविधाएं प्रदान करना और स्वच्छता पर जन जागरूकता कार्यकलाप आयोजित करना

स्वच्छता पखवाड़ा से संबंधित जागरूकता अभियान के अंतर्गत, पावरग्रिड ने जनता को जागरूक करने के लिए सफाई संबंधी कार्यकलाप का प्रदर्शन, वीडियो प्रसारण, नुक्कड़ नाटक, रैलियां आदि जैसी विभिन्न कार्यकलाप की। हमने यंत्रीकृत सड़क स्वच्छता के लिए नगर निगमों को वैक्यूम क्लीनिंग ट्रक भी उपलब्ध कराए।

स्वच्छ पेयजल सुविधाएं प्रदान करते हुए विभिन्न जिलों में हाथ–पम्प स्थापित किए गए तथा समुदाय को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के भाग के रूप में पेयजल फिल्टर की सुविधा प्रदान की गई।

अन्य प्रमुख पहलें

फलोदी, जोधपुर में पेयजल हेतु जल की टंकी का निर्माण

- उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जल की टंकी सहित 30 सबमर्सिबल पंप की आपूर्ति और स्थापना।
- केन्द्रीय विद्यालय, आईएनएस मंडोवी, गोवा के लिए यूवी शुद्धि करण प्रणाली सहित 120 लीटर की क्षमता वाली दो वॉटर कूलर की खरीद
- उत्तराखंड के फफरान/सौंटियाल गांव कोटेश्वर के लिए जीयूएल (तालाब–जल निकाय) का निर्माण
- "स्वच्छता पखवाड़ा, 2022" मनाया गया
- वित्त वर्ष 2022–23 के लिए "स्वच्छता कार्य योजना" मनाया गया।
- स्वच्छ के अंश के रूप में अरुणाचल प्रदेश के निर्जुली, जिला ईटानगर में विभिन्न सरकारी स्कूलों में 26 नग शौचालयों का निर्माण।

जीआरआई सूचकांक

प्रकटीकरण	पृष्ठ संख्या
जीआरआई 2: सामान्य प्रकटीकरण 2021	
2–1 संगठनात्मक विवरण	10
2–2 संगठन की संधारणीयता में शामिल संस्थाएँ	15
2–3 रिपोर्टिंग अवधि, आवृत्ति और संपर्क बिंदु	4
2–4 सूचना का पुनर्विवरण	कोई पुनर्विवरण जारी नहीं किया जाएगा
2–5 बाह्य आश्वासन	आयोजित नहीं किया गया
2–6 कार्यकलाप, मूल्य श्रृंखला और अन्य व्यावसायिक संबंध	60-61
2–7 कर्मचारी	100
2–8 कार्यकर्ता जो कर्मचारी नहीं हैं	190
2–9 शासन संरचना और संघटन	54-56
2–10 सर्वोच्च शासन निकाय का नामांकन एवं चयन	57
2–11 सर्वोच्च शासन निकाय का अध्यक्ष	54
2–12 प्रभावों के प्रबंधन की देखरेख में सर्वोच्च शासन निकाय की भूमिका	58-59
2–13 प्रभावों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी का प्रत्यायोजन	59
2–14 संधारणीयता रिपोर्टिंग में सर्वोच्च शासन निकाय की भूमिका	40
2–15 हितों का टकराव	58
2–16 गंभीर धारणाओं का संचार	हम अपने प्रमुख हितधारकों के साथ निरंतर और सक्रिय रूप से संबंध बना, रखते हैं। यह हमें अपनी रणनीति और निष्पादन को संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है। हम अपेक्षाओं को संरेखित करने के लिए 2–तरफा संवाद और निरंतर संचार संबधी कार्यप्रणाली अपनाते हैं। बोर्ड को नियमित रूप से विभिन्न घटनाक्रमों पर अद्यतन दिया जाता है और उनसे इस पर प्रतिक्रिया मांगी जाती है।
2–17 सर्वोच्च शासन निकाय का सामूहिक ज्ञान	54-56
2–18 सर्वोच्च शासन निकाय के निष्पादन का मूल्यांकन	भारत सरकार के निदेशानुसार किया गया
2–19 पारिश्रमिक नीतियां	https://www.powergrid.in/sites/default/files/Investor_Relation/Reports_Filings/Code_of_Conduct_Policies/04_Remuneration%20Policy.pdf
2.20 पारिश्रमिक निर्धारित करने की प्रक्रिया	https://www.powergrid.in/sites/default/files/Investor_Relation/Reports_Filings/Code_of_Conduct_Policies/04_Remuneration%20Policy.pdf
2–22 संधारणीय विकास रणनीति का विवरण	200
2–23 नीतिगत प्रतिबद्धताएँ	198-201
2–24 नीतिगत प्रतिबद्धताओं को शामिल करना	https://www.powergrid.in/policies
2–25 नकारात्मक प्रभावों को दूर करने की प्रक्रियाएँ	https://www.powergrid.in/public-complaints-0 https://pms.powergrid.in/vms/manual/grievance.pdf https://tejas.powergrid.in/vigilance-complaints/ 211-212
2.26 सलाह मांगने और विचार व्यक्त करने के लिए तंत्र	https://pgportal.gov.in/
2–27 कानून और विनियमनों का अनुपालन	202-203
2–28 सदस्यता संघ	220

प्रकटीकरण	पृष्ठ संख्या
2–29 हितधारक जोड़ने के लिए दृष्टिकोण	47
2–30 सामूहिक मोलभाव करार	100%
जीआरआई 3: सामग्री विषय 2021	
3–1 सामग्री विषयों को निर्धारित करने की प्रक्रिया	52
3–2 सामग्री विषयों की सूची	53
3–3 सामग्री विषयों का प्रबंधन	52
जीआरआई 201: आर्थिक निष्पादन 2016	
201–1 प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य सृजन और वितरण	65
201–2 जलवायु परिवर्तन के कारण वित्तीय प्रयोजन और अन्य जोखिम और पहलू	194-198
जीआरआई 202: बाजार उपस्थिति 2016	
202–1 स्थानीय न्यूनतम वेतन की तुलना में महिला द्वारा प्राप्त मानक प्रवेश स्तरीय वेतन का अनुपात	212 (1:1)
जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव 2016	
203–1 अवसंरचना निवेश और समर्थित सेवाएँ	75
203–2 महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव	109
जीआरआई 204: खरीद कार्यप्रणाली 2016	
204–1 स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं पर व्यय का अनुपात	72
जीआरआई 205: भ्रष्टाचार विरोधी 2016	
205–2 भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित संचार और प्रशिक्षण	एबीएसी प्रक्रिया पर 100% संचार
205–3 भ्रष्टाचार की पुष्ट घटनाएँ एवं की गई कार्यवाही	202
जीआरआई 206: प्रतिस्पर्धा–विरोधी व्यवहार 2016	
206–1 प्रतिस्पर्धा–विरोधी व्यवहार, अविश्वास–विरोधी और एकाधिकार कार्यप्रणाली के लिए कानूनी कार्रवाइयां	202-203
जीआरआई 302: ऊर्जा 2016	
302–1 संगठन में ऊर्जा खपत	92
302–2 संगठन के बाहर ऊर्जा खपत	92
302–3 ऊर्जा तीव्रता	91 + 215
302–4 ऊर्जा खपत में कमी	91
302–5 उत्पादों और सेवाओं की ऊर्जा आवश्यकताओं में कमी	91
जीआरआई 303: जल और अपशिष्ट 2018	
303–2 जल निस्सरण संबंधी प्रभावों का प्रबंधन	92
303–3 जल निकासी	92 + 215
303–4 जल निस्सरण	215
303–5 जल की खपत	92
जीआरआई 304: जैव विविधता 2016	
304–1 संरक्षित क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर उच्च जैव विविधता मूल्य वाले क्षेत्रों में स्वामित्व वाली, पट्टे पर दी गई, प्रबंधित या निकटवर्ती परिचालन स्थलें	95
304–2 जैव विविधता पर कार्यकलाप, उत्पादों और सेवाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव	93 + 219
304–3 पर्यावास सुरक्षित या पुनर्स्थापित	96
जीआरआई 305: उत्सर्जन 2016	
305–1 प्रत्यक्ष (क्षेत्र 1) जीएचजी उत्सर्जन	90
305–2 अप्रत्यक्ष ऊर्जा (क्षेत्र 2) जीएचजी उत्सर्जन	90
305–4 जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता	90
305–5 जीएचजी उत्सर्जन में कमी	90
305–7 नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स), सल्फर ऑक्साइड (एसओएक्स), और अन्य महत्वपूर्ण वायु उत्सर्जन	216
जीआरआई 306: अपशिष्ट 2020	
306–1 अपशिष्ट उत्पादन और महत्वपूर्ण अपशिष्ट–संबंधी प्रभाव	92+217
306–2 महत्वपूर्ण अपशिष्ट–संबंधी प्रभावों का प्रबंधन	92+217

प्रकटीकरण	पृष्ठ संख्या
306–3 सृजित अपशिष्ट	92+217
306–4 निपटान से हटाया गया गया अपशिष्ट	92+218
306–5 अपशिष्ट निपटान हेतु निदेश	92+218
जीआरआई 401: रोजगार 2016	
401–1 नए कर्मचारियों की नियुक्ति और कर्मचारियों का कारोबार	100
401–2 पूर्णकालिक कर्मचारियों को वे लाभ प्रदान किए जाते हैं जो अस्थायी या अंशकालिक कर्मचारी को नहीं प्रदान किए जाते हैं	104
401–3 पितृत्व अवकाश	104
जीआरआई 403: व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा 2018	
403–1 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली	103
403–2 खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन, और घटना की जांच	103
403–3 व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएँ	103
403–4 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर श्रमिक भागीदारी, परामर्श और संचार	103
403–5 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण	103-104
403–6 कार्यकर्ता वातावरण को बढ़ावा देना	103-104
403–7 व्यावसायिक संबंधों से सीधे जुड़े व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावों की रोकथाम और शमन	103
403–8 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में शामिल श्रमिक	103
403–9 कार्य–संबंधी चोटें	61
403–10 कार्य–संबंधी बीमार स्वास्थ्य	102
जीआरआई 404: प्रशिक्षण और शिक्षा 2016	
404–1 प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष प्रशिक्षण के औसत घंटे	100
404–2 कर्मचारी कौशल और परिवर्तन सहायता कार्यक्रमों के उन्नयन के लिए कार्यक्रम	100
404–3 नियमित निष्पादन और नौकरी संबंधी विकास समीक्षा प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत	209
जीआरआई 405: विविधता और समान अवसर 2016	
405–1 शासन निकायों एवं कर्मचारियों की विविधता	213
405–2 पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मूल वेतन और पारिश्रमिक का अनुपात	213
जीआरआई 406: गैर–भेदभाव 2016	
406–1 भेदभाव की घटनाएं और की गई सुधारात्मक कार्रवाई	105
जीआरआई 407: संगठन और सामूहिक मोलभाव की स्वतंत्रता 2016	
407–1 संचालन और आपूर्तिकर्ता जिनमें संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक मोलभाव का अधिकार खतरे में पड़ सकता है	106
जीआरआई 408: बाल श्रम 2016	
408–1 बाल श्रम की घटनाओं के लिए संचालन और आपूर्तिकर्ता पर महत्वपूर्ण जोखिम	106
जीआरआई 409: बलपूर्वक या अनिवार्य श्रम 2016	
409–1 बलपूर्वक या अनिवार्य श्रम की घटनाओं के लिए संचालन और आपूर्तिकर्ताओं पर महत्वपूर्ण जोखिम	106
जीआरआई 413: स्थानीय समुदाय 2016	
413–1 स्थानीय सामुदायिक भागीदारी, प्रभाव आकलन और विकास कार्यक्रमों सहित संचालन	115
जीआरआई 418: ग्राहक गोपनीयता 2016	
418–1 ग्राहक गोपनयता संबंधी उल्लंघन और ग्राहक के आंकड़ों से संबंधित प्रमाणित शिकायतें	222

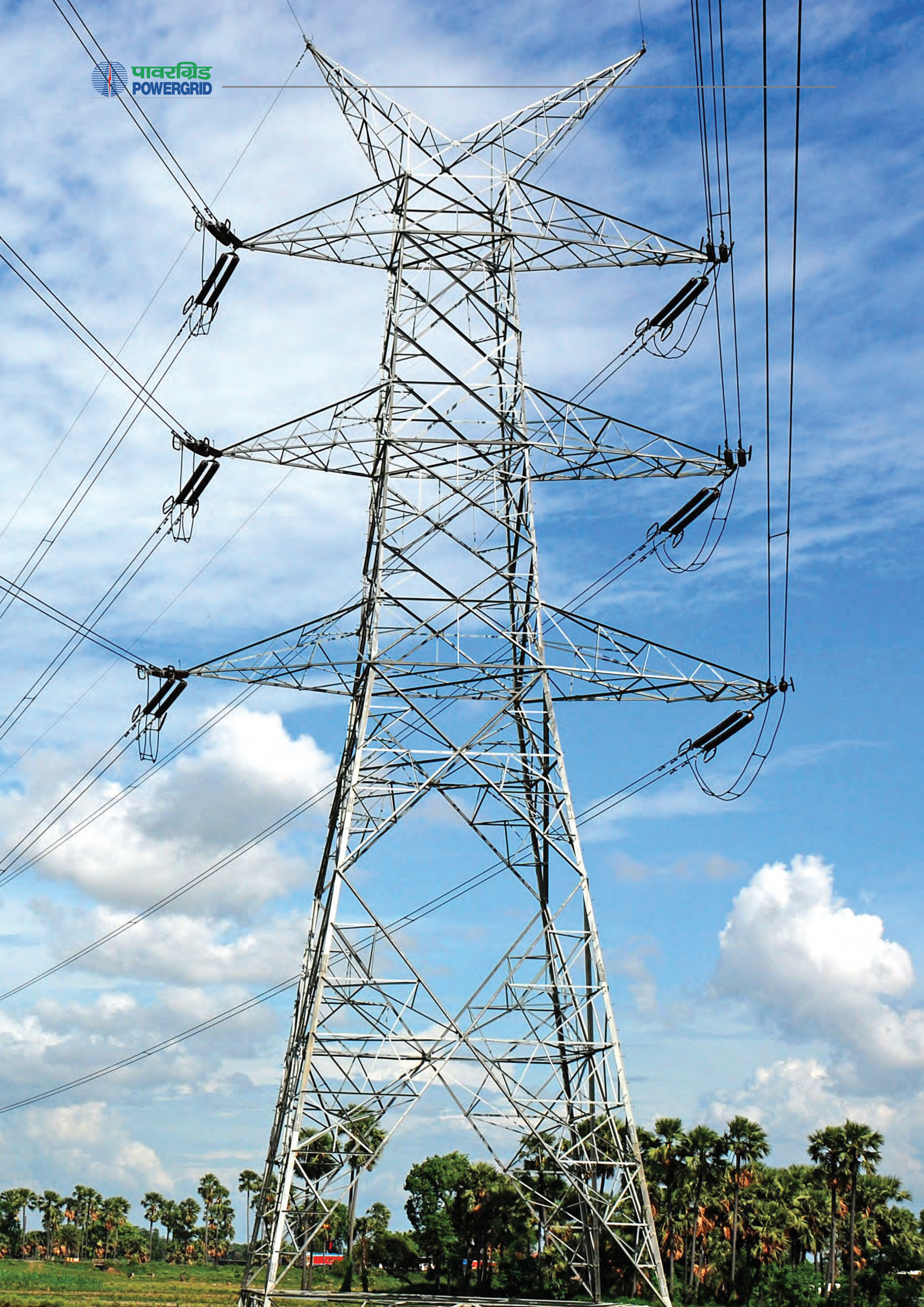

सांविधिक रिपोर्ट
2022-23

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी के प्रदर्शन पर 34वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान आपकी कंपनी के प्रमुख प्रदर्शन मानकों का संक्षेप में यहां उल्लेख किया गया है:

- वित्त वर्ष 2021–22 के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) में 95.96 स्कोर के साथ "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई।
- स्टैंडअलोन आधार पर, कंपनी की कुल आय पिछले वर्ष की तुलना में 8.58% बढ़कर ₹45,968.07 करोड़ और कर पश्चात लाभ (PAT) 11.16% बढ़कर ₹15,333.02 करोड़ (असाधारण वस्तु को छोड़कर) हो गया।
- 99.82% सिस्टम उपलब्धता लक्ष्य को प्राप्त किया। प्रति लाइन ट्रिपिंग घटकर 0.27 हो गई, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे कम है।
- अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (EHV) पारेषण लाइनों के 2,972 किमी सर्किट (बाउ) की चार्जिंग, 28,990 मेगा वोल्ट एम्पीयर (MVA) परिवर्तन क्षमता और 9 नए सबस्टेशन (सहायक कंपनियों सहित)।
- ₹7,413 करोड़ की संपत्ति का पूंजीकरण किया गया।
- क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (RLDCs)/स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDCs) वाले मौजूदा और नए सबस्टेशनों का प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए, 6,600 किमी ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (OPGW) नेटवर्क जोड़ा गया था।
- वित्त वर्ष 2022–23 में 98.84% बिलिंग की संग्रह दक्षता हासिल की।

पावरग्रिड आरा सबस्टेशन के विस्तारीकरण का शिलान्यास

- 11 TBCB परियोजनाओं में सफलता प्राप्त हुई
- 2021–22 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पारेषण संचालन एवं अनुरक्षण अध्ययन (ITOMS) में ट्रांसफार्मर के अनुरक्षण में सर्वश्रेष्ठ संस्था तथा पावरग्रिड आरा सबस्टेशन वनस्पति प्रबंधन के विस्तार की नींव रखने में तीसरी सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में रेटिंग दी गई।

1. वित्तीय प्रदर्शन

पिछले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021–22) की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022–23) के दौरान वित्तीय प्रदर्शन। स्टैंडअलोन आधार पर इसका सारांश नीचे दिया गया है:

(प्रति शेयर डेटा को छोड़कर सभी आंकड़े संकेतानुसार इकाइयों में हैं)

क्र. सं.	मानक	2022-23		2021-22		वर्ष दर वर्ष
		₹ (करोड़)	यूएस डालर (मिलियन)	₹ (करोड)	यूएस डालर (मिलियन)	वृद्धि (%)
1	आय					
	पारेषण शुल्क	42104.78	5088.81	38599.71	4665.18	9.08
	कंसल्टेंसी–सेवाओं की बिक्री	509.29	61.55	753.34	91.05	-32.40
	टेलीकॉम	728.98	88.10	580.34	70.14	25.61
2	अन्य आय	2625.02	317.26	2402.48	290.36	9.26
3	कुल आय	45968.07	5555.72	42335.87	5116.73	8.58
4	लाभ पश्चात कर कटौती	15333.02	1,853.16	17093.76	2,065.96	11.16**
5	प्रति शेयर आय	₹ 21.98	US $ 0.27	₹ 19.79**	US $ 0.24	11.07
6	प्रति शेयर बुक वैल्यू	₹ 118.75	US $ 1.44	₹ 109.17	US $ 1.32	8.78
7	सकल अचल संपत्ति	255823.80	30919.00	249953.70	30209.54	2.35
8	दीर्घकालीन उधार	125894.90	15215.72	129365.27	15635.15	-2.68
9	निवल मूल्य	82832.96	10,011.24	76151.57	9,203.72	8.77
10	ऋण इक्विटी अनुपात	60:40		63:37		
11	निवल मूल्य पर रिटर्न	18.51%		18.11%**		

* दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता सहित

** असाधारण वस्तु को छोड़कर

की तिथि तक सुविधा रूपांतरण 1 अमेरिकी डॉलर पर = ₹82.74

1.1. लाभांश भुगतान

कंपनी ने निम्नानुसार लाभांश की अनुशंसा/घोषणा की :

लाभांश (प्रति शेयर)	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2021-22	
	₹ में	% में	₹ में	% में
प्रथम अंतरिम लाभांश	5.00	50.00	7.00*	70.00
द्वितीय अंतरिम लाभांश	5.00	50.00	5.50	55.00
अनंतिम लाभांश	4.75^	47.50^	2.25	22.50
कुल लाभांश	**14.75**	**147.50**	**14.75**	**147.50**

* प्रति शेयर ₹3.00 का विशेष लाभांश सहित

^ शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए अनुशंसित

इस वर्ष के लिए कुल लाभांश भुगतान ₹10,289 करोड़ (₹6,975 करोड़ के अंतरिम लाभांश सहित) है। अनंतिम लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के बाद किया जाएगा। इस वर्ष के लिए कुल भुगतान अनुपात पिछले वर्ष के **60%** की तुलना में **67%** था।

1.2. रिजर्व में स्थानांतरण

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए लाभ का विनियोग इस प्रकार किया गया हैरू

क) सामान्य रिजर्वरू ₹8,000.00 करोड़

ख) स्व–बीमा रिजर्वरू ₹299.42 करोड़

1.3. भारत सरकार (GOI) की शेयरधारिता

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए लाभ का विनियोग इस प्रकार किया गया है:

2. महत्वपूर्ण प्रगति

2.1. टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी नीलामी (TBCB)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी TBCB मार्ग के अंतर्गत ग्यारह अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाओं में सफल बोलीदाता के रूप में उभरी। इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 में SPV का भी अधिग्रहण किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो अन्य SPV को भी आपकी कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 में अधिग्रहित किया गया है। ये, एक अंतर्राज्यीय और एक अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाओं को लागू करेंगे। इन दो परियोजनाओं के

नाम हैं:– चरण–II खंड–G के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से ऊर्जा की निकासी के लिए सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट) तथा रामपुर और सेक्टर 123 नोएडा में संबंधित 499 केवी लाइन, LILOs की क्षमता के साथ मोहनलालगंज (लखनऊ) में पारेषण प्रणाली है। इसकी बोली में आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2021–22 में सफलता मिली है। इन परियोजनाओं का कुल वार्षिक आजीवन टैरिफ लगभग ₹1,200 करोड़ है।

31 मार्च 2023 तक, 13 TBCB सहायक कंपनियां पूर्ण रूप से संचालित थीं, जबकि 2 TBCB सहायक कंपनियां आंशिक रूप से संचालित थीं। कुल TBCB पारेषण परिसंपत्ति में 30,175 MVA की समग्र परिवर्तन क्षमता के साथ 7354 सीकेएम एवं 13 सबस्टेशन वाली 83 पारेषण लाइन सम्मिलित थीं। वित्त वर्ष 2022–23 के अंत में, कंपनी के पास 33 TBCB सहायक कंपनियां थीं, जिनका विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडी एंड ए) में प्रदान किया गया है।

2.2. प्रतिभूतिकरण के माध्यम से पारेषण परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

केंद्रीय बजट 2021–22 में, देश में संवर्धित और संवहनीय अवसंरचना के वित्तपोषण के तीन स्तंभों में से एक के रूप में परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को चिह्नित किया गया है। केंद्रीय बजट में 'परिसंपत्ति मुद्रीकरण' के लिए जनादेश के आधार पर, नीति आयोग ने वर्षवार लक्ष्यों के साथ ''राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन'' (NMP) तैयार की। NMP के अनुसार मुख्य संपत्ति के मुद्रीकरण की रूपरेखा में तीन प्रमुख अनिवार्यताएं हैं :

- 'स्वामित्व' नहीं 'अधिकारों' का मुद्रीकरण, लेनदेन अवधि के अंत में संपत्ति सरकार को वापस सौंप दी गई।
- ब्राउनफील्ड की जोखिम रहित परिसंपत्तियाँ, स्थिर राजस्व स्रोत।
- कड़े KPI और प्रदर्शन मानकों के साथ परिभाषित संविदात्मक ढांचे के अंतर्गत संरचित भागीदारी।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, उपरोक्त पर विचार करते हुए, पावरग्रिड ने बांड के निजी प्लेसमेंट द्वारा प्रतिभूतिकरण मार्ग के माध्यम से अपने तीन परिचालन TBCB SPVs के नकदी प्रवाह का मुद्रीकरण किया और ₹3,000 करोड़ के मुद्रीकरण लक्ष्य के मुकाबले तीन किस्तों में ₹3,412 करोड़ जुटाए।

3. परिचालनगत प्रदर्शन

3.1. परिसंपत्ति प्रबंधन

31 मार्च, 2023 तक, आपकी कंपनी की कुल पारेषण संपत्ति, जिसमें इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के स्वामित्व वाली संपत्ति भी सम्मिलित है, में 1,74,113 सीकेएम की कुल 1,459 पारेषण लाइनें, 4,99,362 एमवीए की कुल परिवर्तन क्षमता वाले 272 सबस्टेशन सम्मिलित हैं।

बढ़ते परिसंपत्ति आधार को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी परिसंपत्ति प्रबंधन के डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही है। इस दिशा में कुछ पहल और प्रगति इस प्रकार हुई हैं:

- नेशनल ट्रांसमिशन एसेट मैनेजमेंट सेंटर (NTAMC) मानेसर से +/– 500 केवी, 1500 मेगावाट HVDC रिहंद–दादरी बाई–पोल टर्मिनल और 500 मेगावाट विंध्याचल एचवीडीसी का रिमोट संचालन। यह भारत में पहली बार है कि किसी HVDC सब–स्टेशन को रिमोट कंट्रोल सेंटर से संचालित किया जा रहा है। यह नवाचार दक्षता बढ़ाता है, लागत कम करता है और उद्योग के लिए एक आशाजनक भविष्य प्रस्तुत करता है।
- पारेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (पीजी अमृत) के माध्यम से ।प्ध्डस् आधारित दोष पहचान उपकरण पावरग्रिड परिसंपत्ति प्रबंधन का संगठन के अंदर विकास, जिसे नियमित निगरानी और नेटवर्क के आकलन (पीजी–दर्पण) के लिए पारेषण लाइन

पेट्रोलिंग प्लेटफॉर्म पावरग्रिड डिजिटल एप्लिकेशन के साथ एकीकृत किया गया है। इससे लाइन अनुरक्षण श्रमशक्ति के प्रयासों को अनुकूलित करने और दोष पहचान से दोष सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिली है।

- विभिन्न प्रारूपों में संग्रहीत डेटा को एकीकृत करके सभी प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) तक एकल विंडो पहुंच सुनिश्चित करने के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन डैशबोर्ड (UDAAN– परिसंपत्ति तथा नेटवर्क का अद्वितीय डिजिटल विश्लेषण) का कार्यान्वयन। इसने प्रबंधन को पूरे संगठन में परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली का भू–स्थानिक दृश्य देखने में सक्षम बनाया है।
- चंडीगढ़ में IEC 61850 प्रोसेस बस आधारित सुरक्षा स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली वाला पूर्ण रूप से डिजिटल ग्रीन फील्ड 220/66kV GIS सबस्टेशन चालू किया गया। इससे, ईएचवी सब–स्टेशन में केबलों के उपयोग की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षित कार्य वातावरण और कम कार्बन उत्सर्जन होता है।
- सर्किट ब्रेकरों के लिए संस्थानिक, परिसंपत्ति स्वास्थ्य सूचीकरण सॉफ्टवेयर का उपयोग आरंभ किया गया। यह स्वचालित रूप से एक केंद्रीकृत डेटाबेस से सर्किट ब्रेकर डेटा एकत्रित करता है और उसका मूल्यांकन करता है और पावरग्रिड की अपनी व्याख्या तकनीक का उपयोग करके ह्रास के आधार पर उपकरण को स्वास्थ्य सूचकांक प्रदान करता है। इससे पारेषण परिसंपत्तियों के विश्वसनीयता केंद्रित अनुरक्षण को अपनाने में सहायता मिलेगी।
- 16 और 17 फरवरी 2023 को दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, GRIDCON2023 का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय था ''पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन में डिजिटलीकरण'' भविष्य के लिए रचक खंड'' और इसमें वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधन प्रथाओं को सम्मिलित किया गया। अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, स्कॉटलैंड, जापान, पुर्तगाल और जर्मनी के बिजली पारेषण नेटवर्क के ओ एंड एम से संबंधित ज्ञान साझा किया। इससे पारेषण क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने का उत्कृष्ट मंच प्राप्त हुआ और चर्चा से अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं, नवीन समाधान तथा सहयोग के नए अवसर चिह्नित करने में सहायता मिली।

- पावरग्रिड के सभी क्षेत्रों में पारेषण लाइनों की ड्रोन आधारित निगरानी।
- मेथनॉल मार्कर टेस्ट किट को स्थापित किया गया है जो ट्रांसफार्मर/रिएक्टरों की कार्य क्षमता में ह्रास का शीघ्र पता लगाने और उसके निवारण के लिए सक्रिय कार्रवाई करने में सहायक होगी। आपकी कंपनी विश्व स्तर पर अल्कोहल मार्कर परीक्षण सुविधा स्थापित करने वाली कुछ संस्थाओं में से एक है।
- भारत में पहली 765 केवी RIP बुशिंग को पश्चिमी क्षेत्र के सतना में लाइन रिएक्टर में सेवा में लिया गया है।
- आपकी कंपनी के अनुरक्षण दलों द्वारा 9 सबस्टेशनों पर जीआईएस सबस्टेशन उपकरणों की संस्थानिक मरम्मत की गई है, जिससे सिस्टम के लंबे समय तक आउटेज को रोका गया और परिणामस्वरूप काफी लागत बचत हुई। एनईआर में

एक पुराने एआईएस सबस्टेशन को जीआईएस में बदल दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी।

कई वर्षों से, आपकी कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पारेषण परिचालन तथा अनुरक्षण अध्ययन (आईटीओएमएस) में भाग लिया है, जो एक वैश्विक परिचालन तथा अनुरक्षण (ओ एंड एम) बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म है। इसमें वैश्विक स्तर पर 32 प्रमुख बिजली पारेषण प्रणाली संस्थाएं भागीदार हैं। यह सूचना फरवरी, 2023 में प्रकाशित 2021–22 के लिए आईटीओएमएस पर रिपोर्ट पर आधारित है । आपकी कंपनी को लाइन और सबस्टेशन अनुरक्षण दोनों के लिए पहले चतुर्थांश में स्थान दिया गया है, जो उच्च प्रदर्शन स्तरों के साथ कम लागत पर किए जा रहे परिसंपत्ति अनुरक्षण की हमारी क्षमता को दर्शाता है।

3.2. राष्ट्रीय पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन केंद्र (NTAMC), मानेसर एवं क्षेत्रीय पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन केंद्र (RTAMCs)

आपकी कंपनी के पारेषण सिस्टम के दूरस्थ संचालन और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक समय के आधार पर विभिन्न मापदंडों की निगरानी की सुविधा के लिए, NTAMC को गुरुग्राम (हरियाणा) के पास मानेसर में स्थापित किया गया था और RTAMCs को देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया गया था। मुख्य नियंत्रण केंद्र अर्थात BNTAMC का बैकअप बेंगलुरु (कर्नाटक) में स्थित है। पारेषण परिसंपत्तियों की प्रभावी निगरानी और प्रबंधन के लिए इन अत्याधुनिक केंद्रों में चौबीसों घंटे विशेषज्ञ तैनात रहते हैं। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, दूरस्थ संचालन के लिए दस अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (EHVs) सबस्टेशनों को NTAMC के साथ एकीकृत किया गया था। वित्त वर्ष 2022–23 के अंत तक कुल 271 सबस्टेशन इन परिसंपत्ति प्रबंधन केंद्रों से दूरस्थ रूप से संचालित किए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने 13 दिसंबर 2022 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से NTAMC और RTAMCs में स्थापित पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA) प्रणाली को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) घोषित किया है।

3.3. साइबर सुरक्षा

कंपनी में सूचना सुरक्षा विभाग के माध्यम से साइबर सुरक्षा पहल का नेतृत्व मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) द्वारा किया जाता है। आपकी कंपनी का कॉर्पोरेट कार्यालय, सभी क्षेत्रीय मुख्यालय और 239 सबस्टेशन सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ISO:27001 के अनुसार प्रमाणित हैं। कंपनी नामित वैधानिक निकायोंः कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) के साथ मिलकर काम करती है। आपकी कंपनी इन एजेंसियों द्वारा समय–समय पर जारी की गई अनुशंसाओं का पालन करती है। आपकी कंपनी कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है और CERT-In और NCIIPC द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और सिमुलेशन में भाग लेती है।

आपकी कंपनी ने अपने परिचालन में लचीलेपन को मजबूत करने के लिए खतरे के विश्लेषण और निगरानी के लिए एक साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित किया है।

3.4. सुरक्षा

आपकी कंपनी ISO 45001:2018, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से प्रमाणित है, जो कार्यस्थल पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानदंडों का कड़ाई से पालन करके कर्मचारियों के लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करती है।

कंपनी अनुबंध श्रमिकों सहित अपने सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी को समझती है। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं कि परिसंपत्तियों के डिजाइन, निर्माण और संचालन और अनुरक्षण के दौरान मानकों के अनुसार सभी लागू सुरक्षा कारकों को ध्यान में रखा जाए।

विभिन्न ओएंडएम और निर्माण स्थलों पर सभी ठेका श्रमिकों और कंपनी के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा ऑडिट/निरीक्षण, प्रशिक्षण, सुरक्षा ब्रीफिंग, मॉक–ड्रिल आयोजित किए गए। वित्त वर्ष 2022–23 में 272 सबस्टेशनों का सुरक्षा ऑडिट और 235 निर्माण स्थलों पर सुरक्षा निरीक्षण किया गया।

श्रमिकों की सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ''पारेषण लाइन अनुरक्षण कार्य के दौरान सुरक्षा'' पर एनिमेटेड सुरक्षा वीडियो फिल्में तैयार की गई हैं। स्थिर कैमरे के माध्यम से जुड़े मोबाइल ऐप पर, निर्माण स्थलों की दूरस्थ सुरक्षा निगरानी परीक्षण के आधार पर शुरू की गई थी।

विभिन्न सुरक्षा पहलुओं जैसे नौकरी विशिष्ट प्रशिक्षण, अग्नि सुरक्षा, तनाव, स्वास्थ्य प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा आदि पर विभिन्न स्थलों पर सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किए गए। कंपनी के कर्मचारियों के लिए 1207 सुरक्षा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए और निर्माण एजेंसी के श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए 5374 सुरक्षा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। किसी भी अप्रिय घटना/आवश्यकता/आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए स्थलों पर 1227 मॉक–ड्रिल आयोजित किए गए।

मार्च में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस/सप्ताह, अप्रैल में राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा दिवस/सप्ताह, जून में राष्ट्रीय विद्युत दिवस/सप्ताह हर साल मनाया जाता है जिसमें उन कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और संविदा कर्मियों को शामिल किया जाता है जो कार्यस्थल और घर पर सुरक्षा के पालन के प्रति जागरूकता पैदा करने में सहायता करते हैं।

सभी खतरनाक घटनाओं की समीक्षा स्थायी सुरक्षा प्रबंधन समिति और पावरग्रिड एपेक्स सेफ्टी बोर्ड द्वारा सभी क्षेत्रों के प्रमुखों और निर्माण एजेंसियों के बोर्ड स्तर के प्रतिनिधियों के सहयोग से की गई। दुर्घटना जांच समितियों की अनुशंसाओं को कार्यान्वयन के लिए सभी स्थलों पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

4. परियोजना कार्यान्वयन

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी ने लगभग 2,972 सर्किट किलोमीटर (ckm) अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (EHV) पारेषण लाइनें, 28,990 मेगा वोल्ट एम्पीयर (MVA) परिवर्तन क्षमता और 9 नए सबस्टेशन (इसकी सहायक कंपनियों सहित) जोड़े।

इसके अतिरिक्त, प्रभावी ग्रिड प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (RLDCs) / स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDCs) के साथ आवाज और डेटा संचार में सहायता के लिए वर्ष के दौरान लगभग 6,600 किलोमीटर OPGW नेटवर्क जोड़ा गया।

स्थापित की गई प्रमुख पारेषण परिसंपत्तियाँ

- 765 kV D/C भुज पीएस–लकाड़िया पीएस लाइन का पुनर्निर्माण, जिससे कि 765 ट क्ध्ब भुज–प्प्–लकाड़िया लाइन के साथ–साथ 765 kV D@C भुज–भुज–II लाइन स्थापित की जा सके।
- 400 kV D@C जीरत (नई) – सुभाषग्राम (PM-JTL-TBCB) लाइन
- 400 kV D/C निचली सुबनसिरी – बिश्वनाथ चारियाली लाइन–I
- 400 kV D/C सिंभावली–मेरठ लाइन
- 220 kV D/C UT चंडीगढ़ S/S - पंचकुला (PG) S/S सपदम
- 400 kV D/C मोहिंदरगढ़–भिवानी लाइन
- सहरसा (नई) 400 kV D/C बीना–गुना लाइन पर किशनगंज (पावरग्रिड) – दरभंगा (DMCL) 400 kV D/C (Quad) लाइन का LILO
- जौलजीवी में 400 kV D/C धौलीगंगा–बरेली (पीजी) लाइन के दोनों सर्किटों का LILO

31 मार्च 2023 तक, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की पारेषण परिसंपत्तियों की अंतर–क्षेत्रीय बिजली हस्तांतरण क्षमता, राष्ट्रीय ग्रिड की 1,12,250 मेगावाट अंतर–क्षेत्रीय बिजली हस्तांतरण क्षमता में से 97,290 मेगावाट (अर्थात 86.67%) थी।

5. व्यावसायिक प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी ने नकद आधार पर ₹8,850 करोड़ का समेकित पूंजी निवेश किया। इस निवेश को वित्तपोषित करने के लिए, कंपनी ने प्रतिभूतिकरण से ₹2,120 करोड़, बांड और सावधि ऋण के माध्यम से ₹4,488 करोड़ और आंतरिक संचय और अन्य से ₹2,242 करोड़ जुटाए।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, ₹22,250 करोड़ की अनुमानित लागत वाली पारेषण परियोजनाओं के लिए निवेश को मंजूरी दी गई।

6. व्यावसायिक प्रदर्शन

अंतर–राज्यीय पारेषण शुल्कों का बंटवारा CERC (अंतरराज्यीय पारेषण शुल्कों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियमों द्वारा नियंत्रित होता है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय टैरिफ नीति तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अनुरूप समय–समय पर अधिसूचित किया जाता है। वर्तमान में, CERC (अंतर राज्य पारेषण शुल्क और हानियों का साझाकरण) विनियम, 2020 प्रचलन में हैं। साझाकरण विनियमों के अनुसार, केंद्रीय पारेषण संस्था (CTU) के पास आपकी कंपनी सहित देश के सभी **ISTS** लाइसेंसधारियों की ओर से पारेषण शुल्क बिलिंग और एकत्र करने और उन्हें वितरित करने की जिम्मेदारी थी। आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (CTUIL) को भारत सरकार द्वारा CTU के रूप में अधिसूचित किया गया है। आपकी कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत एक डीम्ड पारेषण लाइसेंसधारी बनी रहेगी।

आपकी कंपनी ने अपने ग्राहकों (DICs) के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और समय पर नियामक कार्रवाइयों के माध्यम से वित्त वर्ष 2022–23 में 98.84% बिलिंग संग्रहण दक्षता हासिल की है।

7. अन्य व्यवसाय

7.1. टेलीकॉम व्यवसाय

क) पावरटेल

कंपनी अपने एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत राष्ट्रीय लंबी दूरी (NLD) एवं इंटरनेट सेवा प्रदाता – श्रेणी 'ए' (ISP-'A') सेवा प्राधिकरण के रूप में कई सेवाएं प्रदान कर रही है। आपकी कंपनी ब्रैंड नाम ''पावरटेल'' के अंतर्गत अपने संपूर्ण भारत स्तरीय उच्च क्षमता नेटवर्क के माध्यम से देश के सभी भागों में पॉइंट–टू–पॉइंट लीज्ड लाइन बैंडविड्थ सेवाएं, इंटरनेट लीज्ड लाइन, टावर को–लोकेशन, एमपीएलएस आधारित आईपी–वीपीएन, एसडी–डब्ल्यूएएन, डीडीओएस आदि जैसी राष्ट्रव्यापी सेवाएं प्रदान कर रही है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान दूरसंचार व्यवसाय से कंपनी की आय ₹729 करोड़ थी।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी का टेलीकॉम नेटवर्क कवरेज पिछले वर्ष के अंत में 74,109 किमी से बढ़कर 82,294 किमी हो गया और इस वर्ष के लिए टेलीकॉम बैकबोन उपलब्धता 99.99% थी। कंपनी का दूरसंचार नेटवर्क भारत के सभी प्रमुख शहरों/कस्बों और महानगरों को कवर करते हुए 3000 से अधिक स्थानों पर मौजूद है।

आपकी कंपनी ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी), मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड (एमएसपीसीएल), जेएंडके पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेपीडीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पीटीसीयूएल), गोवा बिजली विभाग (जीईडी), उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरवीपीएनएल) के साथ अपने OPGW फाइबर (लगभग 19,000 किमी) के पट्टे के लिए समझौता किया है। इन OPGW फाइबर के उपयोग से कंपनी नए व्यावसायिक अवसरों के लिए विभिन्न शहरों में अपने दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार करने में सक्षम होगी।

पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड (पीटीएल), आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय शुरू करने के लिए किया गया है। पीटीएल ने नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (एनएलडी), इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी–ए) और इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (आईएलडी) के सेवा प्राधिकरण के साथ एकीकृत लाइसेंस प्राप्त किया है। टेलीकॉम व्यवसाय को पीटीएल में स्थानांतरित करने के लिए व्यवसाय हस्तांतरण समझौते को निष्पादित किया गया है और स्थानांतरण इस वित्तीय वर्ष में प्रभावी होना है।

आपकी कंपनी के बोर्ड ने पावरग्रिड टेलीकॉम के डेटा सेंटर व्यवसाय में विस्तार और मानेसर में पायलट डेटा सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) ने 30 नवंबर, 2022 को पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से मानेसर में डेटा सेंटर स्थापित करने की अनुमति दे दी है। इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड बेंगलुरु में 500 रैक डिजास्टर रिकवरी (डीआर) डेटा सेंटर स्थापित करने की भी योजना बना रहा है। बेंगलुरु में डीआर केंद्र मानेसर में डेटा सेंटर के लिए बैकअप के रूप में और आसपास के ग्राहकों के लिए मुख्य डेटा सेंटर के रूप में काम करेगा। इस संबंध में, ब्म्त्ब के समक्ष याचिका दायर की गई है जिसमें बेंगलुरु में डीआर डेटा सेंटर और देश भर में 15 अन्य सबस्टेशनों पर डेटा सेंटर की स्थापना की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (ILD) कनेक्टिविटी प्रदान करने की भी योजना बना रही है। ILD –गेटवे की स्थापना के लिए DoT से अनंतिम अनुमति प्राप्त हो गई है।

ख) भारत नेट

आपकी कंपनी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए परिकल्पित 'भारत नेट' चरण–I परियोजना के कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है, इस प्रकार डिजिटल इंडिया के लिए भारत सरकार की पहल में बहुमूल्य योगदान दे रही है।

कंपनी का कार्य क्षेत्र 5 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के 39 जिलों में फैला हुआ है। कंपनी ने सभी 511 ब्लॉकों का काम पूरा कर लिया है और सफलतापूर्वक मेसर्स बीबीएनएल को सौंप दिया है।

7.2. परामर्श सेवाएँ

आपकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी बिजली पारेषण संस्थाओं में से एक है। कंपनी ने अपने मुख्य क्षेत्रों जैसे बिजली पारेषण परियोजनाओं, उप–पारेषण प्रणाली, वितरण प्रबंधन, लोड प्रेषण में भारत और विदेश में, विशेषज्ञता विकसित की है। अपनी क्षमता और अनुभव का लाभ उठाते हुए, भारत और दुनिया भर में कई ग्राहकों को परामर्श सेवाएँ प्रदान की गई हैं। इस वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंसल्टेंसी सेगमेंट (परामर्श सेवाओं) से परिचालन से ₹509 करोड़ का राजस्व हासिल किया।

क) घरेलू बाजार

भारत सरकार की ओर से, आपकी कंपनी अंतर–राज्यीय पारेषण एवं वितरण प्रणाली (33kV और ऊपर) के सुदृढ़ीकरण के लिए परामर्श कार्य के रूप में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं। ये परियोजनाएं हैं: मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, और असम में 'एनईआर पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट' तथा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण को मजबूत करने के लिए 'व्यापक योजना'। आपकी कंपनी मध्य, पूर्व मध्य, दक्षिण–पश्चिम और दक्षिण–पूर्व–मध्य रेलवे क्षेत्रों में गैर–विद्युतीकृत रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण के लिए भारतीय रेलवे को परामर्श सेवाएं भी प्रदान कर रही है।

आपकी कंपनी वर्तमान में पारेषण और उप पारेषण, डिजाइन और इंजीनियरिंग, ईवी चार्जिंग, नवीकरणीय, स्मार्ट मीटरिंग आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 80 परामर्श कार्य निष्पादित कर रही है। इस वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को 54 नए परामर्श कार्य प्राप्त हुए।

कुछ प्रमुख परामर्श कार्यों में ये कार्य सम्मिलित हैं:

- संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत घाटे में कमी की पहल के लिए जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेपीडीसीएल) और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीडीसीएल) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से संबंधित पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया।
- सबस्टेशन स्वचालन/राज्य पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (एसटीएएमएस) की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) और ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओपीटीसीएल) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
- जोजिला पूर्व पोर्टल स्थान पर 2X25 एमवीए, 66/11 केवी, सबस्टेशन और लद्दाख केंद्रित शासित प्रदेश में 66 केवी भूमिगत केबल के साथ 220/66 केवी द्रास सबस्टेशन से 66/11 केवी जोजिला पूर्व पोर्टल स्थान सबस्टेशन तक 66 केवी डी/सी लाइन के निर्माण के लिए एनएचआईडीसीएल को परामर्श सेवाएं।
- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर के वेस्ट पोर्टल स्थान पर नीलग्रार में 50 एमवीए 220/33 केवी नीलग्रार सबस्टेशन और एसएलटीएस के एक सर्किट के एलआईएलओ के निर्माण के लिए एनएचआईडीसीएल को परामर्श सेवाएं।
- 1000 मेगावाट पाकल दुल एचई परियोजना, 624 मेगावाट किरू एचई परियोजना और 540 मेगावाट क्वार एचई परियोजना के पोथेड यार्ड से 400 केवी समर्पित ट्रांसमिशन लाइन को जम्मू–कश्मीर के किश्तवाड़ में प्रस्तावित पूलिंग स्टेशन तक बिछाने के लिए सीवीपीपीएल को परामर्श सेवाएं।

ख) अंतरराष्ट्रीय बाजार

अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, 31 मार्च, 2023 तक आपकी कंपनी की पहुंच 23 देशों में है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान आपकी कंपनी को युगांडा, नेपाल और इथियोपिया से ₹52 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं।

कंपनी नेपाल, युगांडा, फिजी और मोल्दोवा में विभिन्न ग्राहकों को परामर्श सेवा प्रदान कर रही है।

8. अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएँ

अफ्रीका–50 के साथ संयुक्त उद्यम में आपकी कंपनी द्वारा प्रस्तुत केन्या में ट्रांसमिशन परियोजना के विकास के लिए एक निजी तौर पर शुरू किए गए प्रस्ताव (पीआईपी) को पीपीपी निदेशालय, केन्या सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस पर, केन्या के सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) कानून के अनुरूप परियोजना विकास चरण में आगे बढ़ने के लिए अनुमति मिली है। परियोजना की अनुमानित लागत 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। आपकी कंपनी इसी तरह के मॉडल को अन्य अफ्रीकी देशों में दोहराने के लिए उपयुक्त अवसर तलाश रही है।

9. सीमा पार अंतर्संबंध

आपकी कंपनी ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की है। इसका नाम बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीजीसीबीटीएल) है। इसमें 50:50 की भागीदारी है। इसके अंतर्गत, बुटवल–गोरखपुर 400 केवी डबल सर्किट (क्वाड मूस) क्रॉस–बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से का कार्यान्वयन किया जाएगा।

10. गुणवत्ता प्रबंधन

आपकी कंपनी ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विशिष्टता, पीएएस 99:2012 के अनुसार सिस्टम और प्रक्रियाएं विकसित और अनुरक्षित की हैं, जबकि आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) और आईएसओ 45001:2018। (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) की शर्तों को भी पूरा किया है।

आईएसओ 9001 (गुणवत्ता एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट (वित्त वर्ष 22–23) 133 प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) और आईएसओ 45001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) की शर्तों को पूरा करने वाले एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन (आईएमएस) का तीन वर्षों के लिए पुनः प्रमाणन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसमें अनुपाल नहीं करने का कोई मामला सामने नहीं आया। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट कार्यालय भवन और एनटीएएमसी भवन के लिए ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 50001 का पुनः प्रमाणीकरण बिना किसी गैर–अनुरूपता के तीन साल की अवधि के लिए प्राप्त हुआ।

गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में की गई अन्य पहल इस प्रकार हैं:

डिजिटल पहल

निर्माता इकाई अनुमोदन पोर्टल: आपकी कंपनी ने नई विनिर्माण इकाइयों के अनुमोदन, मौजूदा इकाइयों के अनुमोदन के विस्तार और उनकी विनिर्माण गुणवत्ता योजना के नवीनीकरण के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल के लॉन्च के साथ, अनुमोदन से लेकर सामग्री प्रेषण तक की पूरी प्रक्रिया कागज रहित हो गई है। निर्माता अब अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और अनुमोदन के लिए अपने आवेदन की वास्तविक समय स्थिति की जांच कर सकते हैं।

स्मार्ट निरीक्षण की दिशा में पहल

निर्माताओं का श्रेणीकरण (ग्रेडिंग): विक्रेताओं (वेंडर) की ग्रेडिंग के लिए प्रायौगिक परियोजना के रूप में ट्रांसफॉर्मर रेडिएडर हेतु आरंभ की गई है। यह प्रक्रियाओं के परीक्षण एवं अतीत के प्रदर्शन पर आधारित है। इसका लक्ष्य यह है कि ग्रेड ए के विक्रेताओं का करीब–करीब शून्य निरीक्षण की आवश्यकता पड़े। निरीक्षण प्रक्रिया में एकरूपता, स्थिरता और पारदर्शिता लाने के लिए स्तर II आइटम/प्रक्रिया ऑडिट चेकलिस्ट के लिए दस्तावेजों जैसे एमक्यूपी/एफएटी चेकलिस्ट का मानकीकरण किया गया है।

11. अनुसंधान एवं विकास

आपकी कंपनी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा दो पेटेंट प्रदान किए गए हैं।

- 'ऊर्जा कुशल ऑल–सीजन रूफ स्क्रीनिंग' नामक आविष्कार के लिए पेटेंट (नंबर 418166)। यह छत कोटिंग/स्क्रीनिंग तकनीक आराम के स्तर से समझौता किए बिना पूरे वर्ष ऊर्जा दक्षता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, आविष्कार की गई स्क्रीनिंग प्रक्रिया में आस–पास की इमारतों पर प्रतिबिंब की समस्या, धूल निपटान एवं इस पर होने वाले खर्च को ध्यान में रखा गया है।
- 'स्मार्ट सॉकेट और स्मार्ट होम एनर्जी मैनेजर' नामक आविष्कार के लिए पेटेंट (नंबर 411380) जिसे आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से विकसित किया गया है। घरेलू ऊर्जा प्रबंधक एप्लिकेशन के साथ इस स्मार्ट सॉकेट का उपयोग इष्टतम ऊर्जा खपत प्राप्त करने और बिजली बिल को कम करने के लिए घरेलू उपकरणों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए किया जा सकता है।

यह सम्मान, स्वदेशी प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के प्रति आपकी कंपनी नवाचार के जज्बे और अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

सबस्टेशन हवाई निरीक्षण के क्षेत्र में अत्याधुनिक नवाचार और प्रगति की खोज में, विभिन्न स्थलाकृति में काम करने में सक्षम एआई/एमएल आधारित विश्लेषण सहित सबस्टेशन हवाई निरीक्षण के लिए विशेष सेंसर (थर्मल और वीडियो) के साथ, भारत में अपने प्रकार के प्रथम प्रोग्रामयोग्य ड्रोन का विकास शुरू किया गया है। यह एकीकृत समाधान सबस्टेशन हवाई निरीक्षण की दक्षता, सटीकता और सुरक्षा को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण क्रांति सिद्ध होगी, और डेटा–संचालित निर्णय लेने के एक नए युग का प्रारंभ होगा।

कंपनी IEC 61850 अनुरूप उपकरणों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए, पावरग्रिड उन्नत अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र में स्थित सुरक्षा स्वचालन एवं नियंत्रण प्रयोगशाला का UCAIug प्रत्यायन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

आपकी कंपनी के अधिकारियों ने नई तकनीक/केस स्टडीज पर पेरिस में आयोजित सीआईजीआरई सत्र 2022 में 14 तकनीकी पेपर प्रकाशित किए हैं, जिन्हें उद्योग/शिक्षा जगत/विशेषज्ञों द्वारा अत्यधिक सराहा गया।

12. भारत सरकार की पहलों में भागीदारी

12.1. 'मेक इन इंडिया' का प्रचार

आपकी कंपनी ने निरंतर उपायों के माध्यम से, ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास/संचालन के लिए विभिन्न वस्तुओं के स्थानीयकरण को प्रोत्साहित किया है। विदेशी विनिर्माताओं को भी भारत में सुविधाएं स्थापित करने और इस तरह सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया है। कंपनी के प्रयासों से, जीआईएस, ट्रांसफॉर्मर, रिएक्टर, स्टेटकॉम, ओपीजीडब्ल्यू आदि जैसे उपकरणों के लिए कई विदेशी निर्माताओं द्वारा पिछले कुछ वर्षों में भारत में नए संयंत्र और सुविधाएं स्थापित की गई हैं, जिससे व्यापक विक्रेता आधार और अधिक कुशल आपूर्ति श्रृंखला के उभरने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

आपकी कंपनी मौजूदा विक्रेताओं को अपने उपकरणों को उच्च वोल्टेज स्तर पर अपग्रेड करने और विक्रेता आधार बढ़ाने के लिए अधिक वस्तुओं को कवर करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है।

इसके अलावा, कंपनी ने इस पर भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुरूप अपने विभिन्न खरीद कार्यक्षेत्रों में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, भारतीय विक्रेताओं को लगभग ₹13,740 करोड़ (124 अनुबंध) की राशि के कुल अवार्ड दिए गए थे। आपकी कंपनी स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करके और मौजूदा विक्रेताओं के लिए क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर घरेलू बाजार में अपने विक्रेता आधार के विकास पर सक्रिय रूप से काम कर रही है।

12.2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देना

एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, कंपनी समय–समय पर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती रही है। कंपनी (i) रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) (एक एनएसई–सिडबी जेवी), (ii) माइंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (एम1एक्सचेंजः M1xchange) और (iii) ए ट्रेड्स (A TREDS) लिमिटेड (इनवॉइसमार्ट) के सभी तीन (03) उपलब्ध ट्रेड रिसीवेबल ई–डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स:TREDS) प्लेटफार्मों पर पंजीकृत है। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्सःTReDS) कई फाइनेंसरों के माध्यम से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों से व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए एक प्लेटफार्म है। ट्रेड्स (TREDS) प्लेटफ़ॉर्म पर खुद को ऑन–बोर्ड करने के लिए कंपनी अपने एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं के साथ लगातार प्रयास कर रही है, जिसके लिए कंपनी की वेबसाइट www.powergrid.in पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं।

भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के अनुरूप सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की खरीद के लिए पावरग्रिड के बोली दस्तावेजों में पहले ही उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा चुके हैं।

आपकी कंपनी सक्रिय रूप से उप–विक्रेताओं को विकसित कर रही है और उन्हें जोड़ रही है, खासकर एमएसएमई श्रेणी में। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 62 नए विक्रेता जोड़े गए, जिनमें से 28 एमएसई विक्रेता थे।

उक्त नीति के संदर्भ में, आपकी कंपनी द्वारा एमएसई (एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से कुल खरीद 1,243.54 करोड़ थी, जो एमएसई द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक खरीद के कुल पात्र मूल्य का 53.34% है।

इसके अलावा, एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से क्रमशः 4% और 3% वार्षिक खरीद के उप–लक्ष्यों के मुकाबले एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से कुल खरीद ₹48.76 करोड़ (2.09%) है और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से ₹71.27 करोड़ (3.06%) है । इस प्रकार, पावरग्रिड एमएसई के आदेश 2012 और इसके संशोधन दिनांकः 09 नवंबर 2018 के अनुसार उप–लक्ष्य को पूरा कर रहा है जो अन्य बातों के साथ, यह निर्देश देता है कि ऐसे सूक्ष्म और

लघु उद्यमों की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा आवश्यकताओं और एल 1 मूल्य को पूरा करने में विफलता की स्थिति में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए निर्धारित खरीद के लिए 4 प्रतिशत उप–लक्ष्य अन्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों से पूरा किया जाएगा।

एमएसई से वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक खरीद योजना www.powergrid.in पर अपलोड की गई है.

कंपनी ने पूरे भारत में खरीद प्रक्रिया में एमएसई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस वर्ष के दौरान, नवीन और गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति के लिए सूक्ष्म और लघु निर्माताओं को प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों में 20 विक्रेता विकास कार्यक्रम (VDP) आयोजित किए गए हैं, जिनमें से 09 विक्रेता विकास कार्यक्रम विशेष रूप से एससी/एसटी और महिला एमएसई के लिए आयोजित किए गए थे। इन एमएसई विक्रेता विकास कार्यक्रमों में, विभिन्न प्रस्तुतियां दी गईं और हमारे देश के कई सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श किया गया। एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन बैठकों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिक्रिया जबरदस्त रही। कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उप–विक्रेताओं के रूप में विकसित किया गया है और विभिन्न उपकरणों के लिए घटकों की आपूर्ति के लिए मंजूरी दी गई है।

12.3. गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से खरीदः

भारत सरकार के अधिदेश के अनुरूप, जीईएम (ळमड) पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा रही है। पावरग्रिड में जीईएम (GeM) के माध्यम से खरीद वित्त वर्ष 2018–19 में शुरू हुई और बाद के वर्षों में, लगातार जोर देने के साथ, जीईएम (GeM) के माध्यम से खरीद में लगातार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, जीईएम (GeM) पोर्टल से ₹1404 करोड़ की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की गई, जो पिछले वित्त वर्ष 2021–22 (₹706 करोड़) की खरीद से लगभग दोगुनी है।

इसके अलावा, जीईएम (GeM) में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणियों के संबंध में जीईएम (GeM) खरीद के संबंध में वित्त वर्ष 2022–23 के लिए प्रतिशत उपलब्धि 98.86% है। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि पहली बार, जीईएम (GeM) द्वारा इस सुविधा को सक्षम करने के बाद, एचवीडीसी के बीमा के लिए मेगा बीमा पैकेज और पावरग्रिड की बिल्डिंग एसेट्स, जिनका मूल्य लगभग ₹138 करोड़ है, को सफलतापूर्वक प्रदान किया गया था। इसके अलावा, वर्ष के दौरान जीईएम (GeM) के माध्यम से पहली बार स्क्रैप डिस्पोजल पैकेज की भी सफलतापूर्वक नीलामी की गई।

13. संधारणीय वृद्धि (सस्टेनेबल ग्रोथ)

पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) के सिद्धांतों को आपकी कंपनी द्वारा व्यवसाय संचालन में शामिल किया जा रहा है और कंपनी ईएसजी इकोसिस्टम को लगातार महत्व दे रही है।

कंपनी वैश्विक आवश्यकताओं के साथ अपने संधारणीयता से संबंधित पहलुओं को संरेखित करने के लिए कदम उठा रही है और एमएससीआई, एफटीएसई और एसएंडपी ग्लोबल सीएसए द्वारा प्रतिवर्ष किए जाने वाले मूल्यांकन सर्वेक्षणों में भाग ले रही है, जिसमें आपकी कंपनी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय साथियों के खिलाफ विद्युत पारेषण के तहत ईएसजी से संबंधित अपने विभिन्न मापदंडों को बेंचमार्क करने का अवसर मिलता है।

13.1. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन

आपकी कंपनी 1998 से अपनी कॉर्पोरेट पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाओं (ईएसपीपी) में एकीकृत संधारणीय विकास के मानकों का अभ्यास कर रही है, जो जीर्णोद्धार के प्रावधान के साथ परिहार, न्यूनीकरण और शमन के स्थापित सिद्धांतों के

आधार पर संगठनात्मक और परियोजना स्तर पर पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं के लिए पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करते हैं।

ईएसपीपी की व्यापक कवरेज और विषयवस्तु का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसे दुनिया की दो प्रमुख बहुपक्षीय एजेंसियों यानी विश्व बैंक और एडीबी ने क्रमशः 2009 और 2017 में अपनी यूज़ ऑफ़ कंट्री सिस्टम (यूसीएस) और कंट्री सेफगार्ड सिस्टम (सीएसएस) नीति के तहत स्वीकार किया है।

पर्यावरण प्रबंधन के मोर्चे पर, आपकी कंपनी वैकल्पिक अध्ययन, पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के विकास और सार्वजनिक परामर्श सहित ईएसपीपी के प्रावधानों के अनुरूप नई परियोजनाओं का विस्तृत पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन करती है, भले ही यह देश के कानून द्वारा अनिवार्य न हो। इसके अलावा, आपकी कंपनी नवीनतम तकनीक का भी लाभ उठाती है जैसे कि पारिस्थितिक और सामाजिक संवेदनशील क्षेत्रों से बचने के लिए सबसे इष्टतम लाइन मार्ग का चयन करने के लिए आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों को अपनाना, वन और निवास क्षेत्रों में नवीन टावरों (मल्टी सर्किट, कॉम्पैक्ट, पोल टॉवर) का उपयोग, और इस तरह की पहलों ने न केवल वन और राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद की, बल्कि परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक फुटप्रिंट्स को भी काफी हद तक कम किया।

हाल के दिनों में भूमि के मुद्दों का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है और इस तरह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करना लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इस संबंध में, आपकी कंपनी पहले विकल्प के रूप में बंजर सरकारी भूमि को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप बहुमूल्य भूमि संसाधनों का संरक्षण हुआ है और साथ ही प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को कम किया गया है। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण के अनैच्छिक तरीके का उपयोग करने के बजाय "इच्छुक क्रेता इच्छुक विक्रेता" के आधार पर भूमि मालिकों की सहमति के माध्यम से भूमि प्राप्त करने जैसे निर्णयों ने न केवल स्थानीय समुदाय/प्रभावित आबादी के बीच हमारी स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि भूमि की परेशानी मुक्त प्राप्ति भी सुनिश्चित की है।

बदलती व्यावसायिक रूपरेखा को स्वीकार करते हुए, आपकी कंपनी पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी), संधारणीयता रिपोर्टिंग और संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और निवल शून्य प्रतिबद्धताओं के अनुरूप व्यावसायिक गतिविधियों के संरेखण से संबंधित मुद्दों को उचित महत्व प्रदान कर रही है। यह बहुत संतोष की बात है कि ईएसजी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग दोनों क्षेत्रों में कई स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा आपकी कंपनी को लगातार उच्च दर्जा दिया गया है। हालांकि, आपकी कंपनी ने उच्च लक्ष्य निर्धारित करके और संधारणीयता के प्रयासों को बढ़ाकर अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की योजना बनाई है। इस दिशा में की गई प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

बोर्ड द्वारा अलग–अलग नीतियां जैसे ईएसजी, अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन विकसित और अनुमोदित की गईं। ये नीतियां जलवायु परिवर्तन और निवल शून्य लक्ष्यों के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप 2025 तक नवीकरणीय स्रोतों से अपनी बिजली की खपत का 50% हासिल करना और 2047 तक नेट जीरो बनना जैसे कंपनी की संधारणीयता के मील के पत्थरों से जुड़ी हुई हैं। आपकी कंपनी ने 2030 तक "नेट वाटर पॉजिटिव ऑर्गनाइजेशन" बनने और "ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल स्टेटस" हासिल करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है।

अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए, आपकी कंपनी ने पहले ही कई उपाय किए हैं जैसे कार्यालय भवनों पर रूफ टॉप सोलर पीवी की स्थापना और खाली सबस्टेशन भूमि पर सोलर पीवी प्लांट लगाना, ई–वाहनों द्वारा डीजल वाहन का प्रगतिशील प्रतिस्थापन, वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन सिंक में सुधार करना आदि।

13.2. "मिशन लाइफ़" (पर्यावरण के लिए जीवन शैली)

माननीय प्रधान मंत्री ने ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी26) में दुनिया को मिशन लाइफ से परिचित कराया।

ब्लॉक मैंगो ट्री प्लांटेशन

भारत सरकार के मिशन लाइफ के अनुरूप, पावरग्रिड ने 11 मई 2023 से 5 जून 2023 तक मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) पर बड़े पैमाने पर लामबंदी के लिए प्रमुख आउटरीच और पक्षसमर्थन गतिविधियां शुरू कीं, जिसमें मिशन लाइफ के सात विषय शामिल थे – (a) ऊर्जा बचाओ (u) पानी बचाओ (c) एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को ना कहना (d) संधारणीय खाद्य प्रणालियों को अपनाना। (e) कचरे को कम करना (f) स्वस्थ जीवन प्रणाली को अपनाना। (g) ई–कचरे को कम करना। यह कार्यक्रम 5 जून (विश्व पर्यावरण दिवस) को पावरग्रिड प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान से साथ संपन्न हुआ। प्रमुख आउटरीच गतिविधियों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना, थीम–आधारित प्रतिज्ञाएं, प्रतियोगिताएं, साइकिल रैली, कार्यालयों में ऊर्जा बचाओ उपाय, कचरे में कमी, पृथक्करण और पुनः उपयोग, मीडिया और एफएम अभियान, विषयों पर विशेषज्ञ वार्ता आदि शामिल थे।

14. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, आपकी कंपनी स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियाँ करती है।

परियोजनाओं की कल्पना मुख्य रूप से इसके परिचालन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में विद्यमान हितधारकों के परामर्श से की जाती है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर 321.66 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ₹275.10 करोड़ की 168 नई सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

पावरग्रिड को स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान योगदान के लिए द्वितीय पुरस्कार दिया गया।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोविड–19 महामारी के लिए पीए केयर्स फंड में ₹105 करोड़ का योगदान दिया।

इसके अलावा, कंपनी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटीएम) के बी.टेक छात्रों के लिए "पावरग्रिड एंडोमेंट स्कॉलरशिप" मेरिट–कम–मीन्स (एमसीएम) छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रदान किया।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पूरी की गई प्रमुख सीएसआर परियोजनाएँः

- डीएमसीएच, दरभंगा (बिहार), गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गुवाहाटी (असम) और सर सयाजीराव जनरल (एसएसजी) अस्पताल, वडोदरा (गुजरात) में विश्राम सदन।
- क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, तिरुवनंतपुरम, केरल में रेडियोथेरेपी उपचार के लिए रिंग गैन्ट्री लीनियर एक्सेलेरेटर।
- विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश के लिए एमआरआई मशीन।
- कानपुर यूपी के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 100 बिस्तरों वाली बाल चिकित्सा गहन चिकित्सा इकाई (पीआईसीयू)।
- असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ आदि के 1600 हिंसा प्रभावित छात्रों की शिक्षा के लिए नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी (एनएफसीएच) को वित्तीय सहायता।
- सिंगरौली जिले के तहसील सराय में शेड्यूल कास्ट सीनियर गर्ल्स हॉस्टल में 50 सीटों वाला हॉस्टल।
- के.बी. महिला राजकीय महाविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड में सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ खेल का मैदान।
- डिचेनलिंग श्मशान परिसर गंगटोक का विकास और उन्नयन।
- सिक्किम राज्य में विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण और साधन उपलब्ध कराना।
- ईएसआई अस्पताल फरीदाबाद को चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति।
- तेलंगाना के नलगोंडा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिलों में विकलांग व्यक्तियों को सहायता और उपकरण प्रदान करना।
- स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण, सरकारी मेडिकल कॉलेज (एसआरटीआरजीएमसी), अंबाजोगई, बीड जिला, महाराष्ट्र को चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान मंजूर की गई महत्वपूर्ण सीएसआर परियोजनाएँः

- ओडिशा के कालाहांडी जिले के उप–प्रभाग धर्मगढ़ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की स्थापना।
- महारानी लक्ष्मी बाई कॉलेज एंड हॉस्पिटल, झांसी में 200 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण।
- सीएसआर पहल वित्त वर्ष 2022–23 के तहत कौशल विकास के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षुओं की भागीदारी।
- सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली में गंभीर रूप से बीमार कैंसर और किडनी खराब होने वाले रोगियों के लिए जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना।

- जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी के आपातकालीन चिकित्सा सेवा विभाग के लिए 128–स्लाइस सीटी स्कैन की आपूर्ति और स्थापना।
- एनआईटी जमशेदपुर परिसर में वाई–फाई सुविधा की स्थापना।
- पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज (एमजेएन एमसी एंड एच) के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद।
- उस्मानिया जनरल अस्पताल, हैदराबाद, तेलंगाना को आपातकालीन और आवश्यक उपकरण/मशीनरी (22 आइटम) प्रदान करना।
- संस्कृत भवन, आरा, भोजपुर, बिहार की मरम्मत और नवीनीकरण।
- दावणगेरे, कर्नाटक के चिगातेरी जिला अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना
- पोषण आहार और पूरक आहार के साथ मदर एंड न्यू बोर्न केयर, पोषण पुनर्वास केंद्र और मोबाइल पैथोलॉजी सेंटर की स्थापना के माध्यम से बागपत जिले के गंभीर रूप से कमजोर और कम वजन वाले बच्चों/नवजात और किशोरियों के पोषण में सुधार करना।

पावरग्रिड विश्राम सदन, दरभंगा का उद्घाटन

- एम्स, मोहाली, पंजाब में हाई टेक्नोलॉजी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग (आईडी एनएएटी) मशीन की स्थापना।
- मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नए ओपीडी और वार्ड का निर्माण।
- कोटा, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में सामुदायिक केंद्रों, बाउंड्री वॉल, कक्षाओं का निर्माण।
- नासिक जिले के अंतर्गत सिविल जनरल अस्पताल, मालेगांव में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के साथ जनरल मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर प्रदान करना।
- असम इंजीनियरिंग संस्थान में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र भवन के लिए उपकरण और मशीनरी, फर्नीचर और ऑडियो–विजुअल सहायता की स्थापना।
- ग्रामीण अस्पताल, ब्रह्मपुरी और उप–जिला अस्पताल, वरोरा जनरल अस्पताल, चंद्रपुर, आदि को चिकित्सा उपकरण/उपकरण उपलब्ध कराना।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी द्वारा शुरू की गई और स्वीकृत सभी सीएसआर परियोजनाओं की पूरी सूची इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-X** में दी गई है।

15. अभिशासन

15.1. सूचना का अधिकार

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के अनुरूप आपकी कंपनी में एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है। कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत नागरिकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट, क्षेत्रीय मुख्यालय और अन्य कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को नामित किया है।

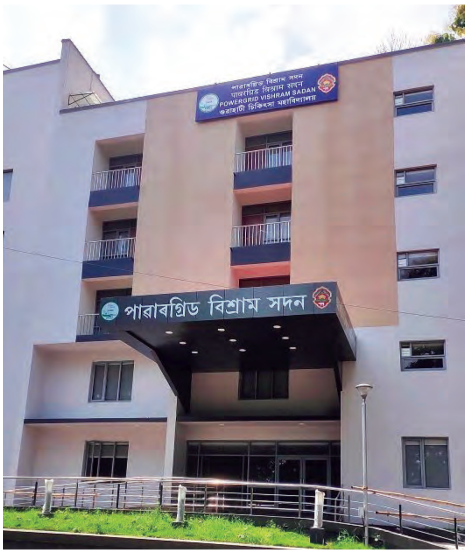

पावरग्रिड विश्राम सदन, गुवाहाटी

कंपनी ने अपना स्वयं का वेब आधारित ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल भी विकसित किया है, जो सभी आरटीआई/अपीलों की रियल टाइम निगरानी के माध्यम से आवेदकों को आरटीआई/अपील का समय पर जवाब देने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए विभिन्न आरटीआई रिपोर्टों को ऑटो जनरेट करने की सुविधा भी प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2022–23 में, कंपनी में 933 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार समय पर संसाधित किए गए। आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका के बारे में संवेदीकरण के लिए कंपनी के सीपीआईओ/पीआईओ/अपीलीय प्राधिकरणों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/जागरूकता सत्र आयोजित किए गए थे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अनुपालन में स्वतः प्रकटीकरण के तहत कंपनी ने सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज को और अधिक पारदर्शी बनाने और व्यक्तियों से आरटीआई आवेदनों की संख्या को कम करने के लिए बड़ी मात्रा में जानकारी को सक्रिय आधार पर सार्वजनिक डोमेन में रखा है।

15.2. पारदर्शिता एवं नैतिक प्रथाओं के प्रति वचनबद्धता

आपकी कंपनी अपने कामकाज में पारदर्शिता, ईमानदारी एवं नैतिकता के सिद्धांतों की वकालत करती है। आपकी कंपनी का सतर्कता विभाग निवारक, सक्रिय एवं साथ ही दंडात्मक सतर्कता गतिविधियाँ चलाता है एवं यह सुनिश्चित करता है कि संगठन में सर्वोत्तम नैतिक प्रथाओं का पालन किया जाता है।

क) निवारक सतर्कता पर जोर

संगठनात्मक प्रक्रिया को मजबूत करने एवं संगठन की विभिन्न प्रणालियों और गतिविधियों में कदाचार को कम करने के लिए निवारक सतर्कता पर जोर दिया गया है। निवारक सतर्कता संभावित खतरों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु उचित प्रकार की प्रणालियों या पुनरू इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करती है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, 71 औचक निरीक्षण, 32 प्रक्रिया–ऑन–लाइन निरीक्षण और 21 मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) प्रकार के निरीक्षण आयोजित किए गए। सतर्कता निरीक्षणों और टिप्पणियों/अनुशंसाओं का अनुसरण करते हुए, कई प्रणालीगत सुधार लागू किए गए हैं।

ख) क्षमता निर्माण के भाग के रूप में निवारक सतर्कता कार्यशालाओं का आयोजन

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में गैर–सतर्कता कर्मियों के लिए विभिन्न निवारक सतर्कता कार्यशालाएं, वेबिनार आयोजित किए गए। इन कार्यशालाओं में अन्य बातों के साथ–साथ अनुबंध प्रबंधन, आचरण अनुशासन एवं अपील (सीडीए) नियमों के प्रावधान, नियमों और नीतियों का अनुपालन, सामान्य अनियमितताएं, वास्तविक मामलों के आधार पर मामलों के अध्ययन पर विचार–विमर्श, गुणवत्ता पहलुओं के साथ–साथ नैतिकता प्रबंधन भी शामिल है जो कर्मचारियों को नैतिक दुविधाओं को पहचानने एवं उससे निपटने में सक्षम बनाता है।

ग) सतर्कता जागरूकता

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुपालन में,पावरग्रिड में 31 अक्टूबर, 2022 से 6 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) मनाया गया, जिसका विषय था ''भ्रष्टाचार मुक्त भारत–विकसित भारत'' इसके अतिरिक्त, सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2022 के अग्रदूत के रूप में 16 अगस्त, 2022 से 15 नवंबर, 2022 तक 3 महीने के अभियान के रूप में निवारक सतर्कता उपाय सह हाउसकीपिंग गतिविधियाँ भी शुरू की गईं। पावरग्रिड के भीतर और बाहर विभिन्न गतिविधियाँ जैसे निबंध प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता आदि आयोजित की गईं, जिसमें 14,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। 19 जागरूकता ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 6,000 व्यक्तियों ने भाग लिया।

कॉर्पोरेट सेंटर और सभी क्षेत्रों में वेंडरों की बैठकें आयोजित की गईं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एफएम चौनल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन समारोह के दौरान पावरग्रिड के सतर्कता विभाग का जर्नल (CANDOUR) डिजिटल मोड में जारी किया गया।

आपकी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने 3 नवंबर, 2022 को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। कंपनी की सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे अनुबंध समापन पोर्टल और रिकॉर्ड पोर्टल पर जानकारी को मान्यता दी गई और कार्यक्रम के दौरान जारी निवारक सतर्कता पहल पुस्तिका में प्रकाशित किया गया।

घ) जी 20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह (G20 ACWG) के बारे में सार्वजनिक जागरूकता

जी 20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह की पहली बैठक 1 से 3 मार्च 2023 तक गुरुग्राम में आयोजित की गई। कंपनी ने स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के लिए क्विज, पोस्टर निर्माण, वाद–विवाद, निबंध प्रतियोगिताओं, नुक्कड़–नाटक जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। 'ईमानदारी को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और उसका मुकाबला करना' विषय पर सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए प्रमुख स्थानों पर आम जनता के लिए बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए।

15.3. नागरिक चार्टर

कंपनी के विजन, मिशन और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक नागरिक चार्टर तैयार किया गया है। नागरिक

चार्टर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसमें कंपनी की प्रोफाइल, प्रतिबद्धताएं, नागरिकों से अपेक्षाएं, एकीकृत प्रबंधन नीति, दी जाने वाली सेवाएं, सेवाओं के मूल्य और मानक, सूचना तक पहुंच और शिकायत निवारण शामिल है।

16. लोगः हमारी मूल शक्ति

आपकी कंपनी ने हमेशा अपने कर्मचारियों पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विश्वास किया है और समय पर और उचित मानव संसाधन हस्तक्षेप के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके उनकी क्षमताओं को विकसित करने का लगातार प्रयास किया है। हमारा प्रयास ऐसी प्रणालियों और प्रथाओं को विकसित करने और तैनात करने का रहा है जो कर्मचारियों को उनकी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने की सुविधा प्रदान करती हैं। कंपनी ऐसे कर्मचारियों को आकर्षित करने, बनाए रखने और विकसित करने में विश्वास करती है जो कंपनी के मूल मूल्यों के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें एक कार्यस्थल प्रदान करते हैं जहां उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को गैर–भेदभावपूर्ण और स्वीकार्य वातावरण में बनाए रखा जाता है।

31 मार्च 2023 तक, आपकी कंपनी में स्थायी कर्मचारियों की संख्या 8342 थी, जिनमें महिला कर्मचारी 8.15% थीं। वर्ष 2022–23 में नियमित कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर 0.83% रही। कंपनी ने यह भी सुनिश्चित किया कि कार्यकारी निदेशकों और मुख्य महाप्रबंधकों जैसे प्रमुख भूमिकाओं वाले पदों पर समय पर भर्ती की जाए।

16.1. मानव संसाधन विकास

विघटनकारी व्यवसाय मॉडल और बदलती प्रौद्योगिकियों की दुनिया में, सीखने की हमारी क्षमता भविष्य में जीवित रहने और फलने–फूलने के लिए सबसे बड़ी संगठनात्मक क्षमताओं में से एक है, और इसके लिए, मानव संसाधन विकास की हमारे कार्यबल को भविष्य हेतु तैयार करने के उद्देश्य से उनके कौशल बढ़ाने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। प्रतिभा प्रबंधन एवं शिक्षण एवं विकास के सुसंगठित हस्तक्षेपों के माध्यम से, कंपनी ने हमेशा उच्च–विश्वास, उच्च–प्रदर्शन वाली कार्य संस्कृति बनाने का प्रयास किया है जो लोगों में प्रचलित नहीं है, उन्हें निरंतर सीखने और भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए सक्षम और सशक्त बनाती है।

ऊर्जा क्षेत्र में सीखने और विकास को बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी मानेसर में अत्याधुनिक पावरग्रिड एकेडमी ऑफ लीडरशिप (पीएएल) का संचालन कर रही है, जो भारत और विदेशों में अपने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और विकास के व्यापक अवसर प्रदान करती है।

इस वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई कुछ प्रमुख शिक्षण एवं विकास पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- पीएएल, क्षेत्रों के अन्य कर्मचारी विकास केंद्रों और भारत और विदेशों में संबंधित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में 700 से अधिक प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- विभिन्न मानव संसाधन और मानव संसाधन विकास नीतियों के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, एच. आर. सहायता के लिए पावरग्रिड रोबोटिक एआई बॉट' (प्रभा) नामक एक एआई/एमएल आधारित चैटवॉट शुरू किया गया है।
- कर्मचारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, 15 कर्मचारियों को एनआईटी जालंधर द्वारा पावर सिस्टम और विश्वसनीयता में एम.टेक कार्यक्रम के लिए प्रायोजित किया गया है और 5 कर्मचारियों को एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा 15 महीने के पीजीडीएम कार्यक्रम के लिए प्रायोजित किया गया है। IIITB के माध्यम से IO/ML पाठ्यक्रम में 50 कर्मचारियों को प्रायोजित किया गया है।
- कंपनी ने विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों से संबंधित 122 ई–लर्निंग मॉड्यूल और विभिन्न कंपनी डोमेन से संबंधित 9 पुनश्चर्या (रिफ्रैश) पाठ्यक्रम विकसित किए हैं, जिससे लगभग 7500 कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं।
- कंपनी ने भारत सरकार के महत्वाकांक्षी 'मिशन कर्मयोगी' कार्यक्रम के लिए ऊर्जा पारेषण से संबंधित 7 मॉड्यूल की मेजबानी की है।

- भारत सरकार के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और आईटी उद्योग निकाय नैसकॉम के साथ
- उनके Future Skills Prime पोर्टल के लिए गठजोड़ किया गया है। यह सभी कर्मचारियों को Future Skills Prime में उभरती प्रौद्योगिकियों और पेशेवर कौशल में ई–पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करता है।
- आपकी कंपनी ने विभिन्न विषयों पर ई–पुस्तकों, ई–जर्नलों और मानकों तक 24*7 पहुंच के साथ ईबीएससीओ और आईईईई संग्रह के माध्यम से 5 मिलियन से अधिक ऑनलाइन दस्तावेजों/संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके अपने कर्मचारियों को निरंतर सीखने और ज्ञान उन्नयन हेतु प्रोत्साहित किया।

विद्युत क्षेत्र के क्षमता विकास के लिए पीएएल में उपलब्ध अपने लोगों की क्षमताओं और अवसंरचना का लाभ उठाते हुए, आपकी कंपनी ने हितधारक विकास के लिए निम्नलिखित पहल की हैः

- प्रशिक्षु अधिनियम के अनुसार 950 से अधिक प्रशिक्षु विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं।
- लगभग 380 संविदा कर्मचारियों को रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) प्रमाणन के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया है।
- लगभग 2800 कर्मचारियों को कवर करने वाले E5-E8 के लिए मूल्यांकन और विकास केंद्र (ADC) का काम प्रगति पर है।
- विद्युत क्षेत्र में 6000 बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ), ऊर्जा क्षेत्र कौशल परिषद (पीएसएससी) और पावरग्रिड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, वर्तमान में भारत में 25 स्थानों पर 5500 से अधिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं।
- उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली सुधार (सीबीआईएस–एनईआरपीएसआईपी) परियोजना के अंतर्गत, कंपनी एनईआर के 6 (छह) राज्यों (जैसेः असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एवं त्रिपुरा) में राज्य विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए क्षमता निर्माण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं व्यापक योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम – 2 राज्य) कार्यक्रम चला रही है।
- विभिन्न बिजली प्रतिष्ठानों के ग्राहकों के लिए विस्तारित अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

16.2. कर्मचारी कल्याण

प्रगतिशील व्यावसायिक परिदृश्य के अनुरूप कार्रवाई करने एवं कर्मचारियों की गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आपकी कंपनी उद्योग के रुझानों के साथ बने रहने के लिए अपनी नीतियों का नियमित अद्यतनीकरण करती है। कर्मचारी संबंधी प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने और कर्मचारी लाभों के समान कार्यान्वयन के प्रयास में, मानेसर, हरियाणा में एक कर्मचारी लाभ केंद्र (ईबीसी) स्थापित किया गया है।

लैंगिक समानता की दिशा में हमारे प्रयासों को जारी रखते हुए और मातृ अवकाश की सीमा को बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी ने बच्चे को गोद लेने और माताओं को नियुक्त करने के लिए विशेष मातृत्व अवकाश और बच्चे को गोद लेने/सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने के लिए पितृत्व अवकाश प्रदान किया एवं एकल पुरुष माता–पिता को भी बाल देखभाल अवकाश उपलब्ध कराया।

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक कल्याण की प्रबल समर्थक रही है और इस दिशा में कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बीमारियों के कारण और उन्हें रोकने के उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न विषयों पर कई स्वास्थ्य वार्ताएं आयोजित की हैं। नई बीमारियों के मद्देनजर और कर्मचारियों को स्वस्थ रखने के लिए, आपकी कंपनी निवारक स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण की प्रतिपूर्ति के माध्यम से निवारक चिकित्सा हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त, एक अनोखी पहल के रूप में, कर्मचारियों और उनके आश्रितों की चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने के लिए 24*7 आपातकालीन हेल्पलाइन को कार्यात्मक बनाया गया है।

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त और सक्रिय रहने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया है, इस दिशा में पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा वार्षिक प्रदर्शन पुरस्कार 2021–22 में खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आपकी कंपनी ने खेलों में भी कई उल्लेखनीय पुरस्कार जीते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पैरा टीटी चैंपियनशिप में कांस्य पदक और पावर कप 2022 की चैंपियंस ट्रॉफी।

आपकी कंपनी ने डिजिटलीकरण की दिशा में कई पहल की हैं,

जैसे आरक्षण से संबंधित मामलों और प्रशिक्षुओं के प्रबंधन के लिए समर्पित पोर्टल का प्रारंभ। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत हितों पर बातचीत करने और सहयोग करने के लिए एक अर्ध–औपचारिक ऑनलाइन संवादात्मक माध्यम प्रदान किया गया है। इस वर्ष एक और डिजिटल पहल कर्मचारी कल्याण से संबंधित जानकारी के भंडार के रूप में पीजी आरोग्य पोर्टल का शुभारंभ और ई–मेडिकल कार्ड की शुरूआत है, जिससे कर्मचारी और आश्रित अस्पताल में भर्ती होने के लिए मेडिकल कार्ड और प्राधिकरण को कहीं भी और कभी भी एक्सेस और डाउनलोड कर सकते हैं।

16.3. शिकायत निवारण

शिकायत निवारण को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है एवं आपकी कंपनी भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और नीतिगत ढांचे के व्यापक मापदंडों के भीतर अपने कर्मचारियों की शिकायतों का तुरंत निवारण करती है। कर्मचारी अपनी शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। कंपनी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों के व्यवस्थित और त्वरित समाधान के लिए कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारी नामित किए हैं।

16.4. सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना

एससी/एसटी/ओबीसी और पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के कर्मचारियों के हितों की देखभाल और सुरक्षा के लिए अलग प्रकोष्ठ मौजूद है। संपर्क अधिकारी एससी/एसटी/ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की देखभाल करता है और आरक्षण सेल द्वारा उसकी सहायता की जाती है। संपर्क अधिकारी यह भी सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों के बीच जाति, धर्म और विकलांगताओं के आधार पर कोई भेदभाव न हो। आपकी कंपनी के सभी प्रतिष्ठानों में कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग संपर्क अधिकारी नामित किया गया है। कंपनी भारत सरकार द्वारा जारी आरक्षण नीति के संबंध में सभी निर्देशों और दिशानिर्देशों को लागू करती है। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण भी किया जाता है। यदि कोई समस्या हो तो उसके समाधान के लिए एससी/एसटी और ओबीसी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।

17. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

आपकी कंपनी ने यौन उत्पीड़न के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और यौन उत्पीड़न की घटनाओं से निपटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक नीति बनाई है। यह नीति कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुरूप है। यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों और कानून/अधिनियम/नीति के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए पुरुष और महिला दोनों कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण, विकास और लिंग संवेदीकरण पर कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाती हैं। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान यौन उत्पीड़न की एक शिकायत प्राप्त हुई थी और उसका निपटान दिशानिर्देश/नीति के अनुसार निर्धारित समय में कर दिया गया है।

18. आधिकारिक भाषा (राजभाषा) का कार्यान्वयन

भारतीय भाषाओं और राजभाषा 'हिंदी' को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति का अनुसरण करते हुए, आपकी कंपनी ने सभी स्तरों पर अपने कार्यों में हिंदी के उपयोग को एकीकृत करने और बढ़ावा देने के लिए चौतरफा प्रयास किए गए हैं। आपकी कंपनी ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए राजभाषा वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध की है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजभाषा का उपयोग बढ़े, अनुवाद अभ्यास कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण, प्रेरक कार्यक्रम जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने का ज्ञान बढ़ाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत उन कर्मचारियों के लिए भी हिंदी कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं जिनकी भाषा हिंदी नहीं है।

राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए पावरग्रिड कॉरपोरेट सेंटर, गुरुग्राम को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है

हर साल हिंदी को प्रचारित करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, जैसे कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और हिंदी में तकनीकी सम्मेलन, कवि सम्मेलन (कविता सत्र), नाटक, संस्थागत पत्रिकाओं का प्रकाशन, ईमेल के माध्यम से हिंदी में मासिक लेखों का प्रकाशन इनमें से सबसे प्रमुख हैं। वर्ष 2022 के दौरान ये कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आयोजित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त हिंदी पखवाड़ा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छता पखवाड़ा आदि के दौरान विभागीय बैठकों के साथ–साथ राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकों पर विशेष जोर देते हुए वर्ष भर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं।

आपकी कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुस्तकालयों में से एक की स्थापना की है जहां कर्मचारियों के लिए लोकप्रिय/साहित्यिक पत्रिकाएं और समाचार पत्र उपलब्ध कराए गए हैं।

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को हिंदी के प्रचार–प्रसार में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, घरेलू पत्रिकाओं के लिए लेख/लेख देकर, पुस्तकालय की किताबें पढ़ने आदि के लिए विभिन्न पुरस्कार योजनाएं शुरू की गई हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा किए गए प्रयास की कई मंचों पर सराहना की गई है। राजभाषा के कार्यान्वयन की सराहना में, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य एजेंसियों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गुरुग्राम, सिकंदराबाद, वडोदरा, भोपाल, कोलकाता, दादरी, फरीदाबाद, नागपुर, मगरवाड़ा, सिलीगुड़ी, जबलपुर, मैथन, जमशेदपुर आदि कार्यालयों को सम्मानित किया गया है।

19. हितधारक सहभागिता

आपकी कंपनी अपने सभी हितधारकों के साथ जुड़ने और उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इससे हमें न केवल उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने में मदद मिलती है, बल्कि अवसरों को पहचानने और हमारे संचालन में जोखिमों को कम करने में भी मदद मिलती है। हमारे पास अपने हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए एक रूपरेखा है, जिसमें भागीदारी के संबंधित तरीकों के साथ हितधारकों की श्रेणियां भी सम्मिलित हैं।

20. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है, को इस रिपोर्ट के अनुलग्नक– I के रूप में रखा गया है।

21. व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 34(2) के अंतर्गत निर्धारित व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट अनुलग्नक–II में दी गई है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

22. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार, 'ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय' से संबंधित जानकारी इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–III में दी गई है।

23. लेखापरीक्षक

23.1 कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। मेसर्स एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी, मेसर्स उमामहेश्वर राव एंड कंपनी, मेसर्स बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी एवं मेसर्स पीएसडी एंड एसोसिएट्स को वित्त वर्ष 2022–23 के लिए संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

वैधानिक लेखा परीक्षकों ने स्वच्छ रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट स्व–व्याख्यात्मक है और इसमें बोर्ड द्वारा किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

23.2 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

आपकी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) से 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित) पर कोई टिप्पणी नहीं मिली है। कैग के पत्र को अनुलग्नक–IV में प्रस्तुत किया गया है।

23.3 सचिवीय लेखापरीक्षा

मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, अभ्यासरत कंपनी सचिव ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट अनुलग्नक–V में संलग्न है।

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

कंपनी के निदेशक मंडल का आधा हिस्सा स्वतंत्र नहीं है, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) और निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अंतर्गत आवश्यक है।

कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है, जो कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1)(ए) के अंतर्गत आवश्यक है और 1 जून, 2022 से कम से कम एक महिला निदेशक नहीं है, जो कि कंपनी (निदेशों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के अंतर्गत आवश्यक है।

सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट में की गई टिप्पणी पर आपकी कंपनी की प्रतिक्रिया यह है कि पावरग्रिड, जो एक सरकारी कंपनी है, में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत सरकार के पास है और कंपनी ने अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति का मामला भारत सरकार के समक्ष उठाया है।

23.4 लागत लेखापरीक्षक एवं लागत रिकार्ड

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022–23 के लिए मेसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स और मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी को लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अंतर्गत निर्धारित लागत लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रख रही है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षण रिपोर्ट कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षण) नियम, 2014 के अंतर्गत निर्धारित समय अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी।

24. बोर्ड एवं समितियाँ

24.1 कंपनी का बोर्ड

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, श्री दिलीप निगम, वैज्ञानिक ''जी'', नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार, जिन्होंने 30 अप्रैल, 2022 को सरकारी नामित निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया, उन्हें फिर से सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 6 जून, 2022 से प्रभावी हुई।

श्री रघुराज माधव राजेंद्रन, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 5 अगस्त, 2022 से उनकी नियुक्ति प्रभाव में आई और 11 अक्टूबर, 2022 को उन्हें पद से हटा दिया गया। उनके स्थान पर श्री मोहम्मद अफजल, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 11 अक्टूबर, 2022 से प्रभाव में आई। 17 मई, 2023 से वह इस पद से सेवामुक्त हो गए और उनके स्थान पर डॉ. साईबाबा दरबामुल्ला, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 18 मई, 2023 से प्रभाव में आई।

श्री घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 31 के संदर्भ में 14 जुलाई, 2022 को सरकार द्वारा नामित निदेशक पद से त्याग दिया।

श्री एम.एन. वेंकटेशन, स्वतंत्र निदेशक 10 जुलाई, 2022 को अपना कार्यकाल समाप्त होने पर इस पद से सेवामुक्त हो गए।

श्रीमती सीमा गुप्ता और श्री एम. ताज मुकर्रम ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर क्रमशः 31 मई, 2022 और 31 जुलाई, 2022 को पावरग्रिड के निदेशक (संचालन) और निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यकाल पूरा किया।

श्री आर.के. त्यागी ने दिनांक 01.12.2019 से निदेशक (संचालन) के पद का कार्यभार ग्रहण किया। श्री जी. रविशंकर ने दिनांक 21 सितम्बर 2022 से निदेशक (वित्त) के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

श्री के. श्रीकांत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को 1 जून, 2022 से 12 अगस्त, 2022 तक और 1 अगस्त, 2022 से 21 सितंबर, 2022 तक क्रमशः निदेशक (संचालन) और निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

बोर्ड ने श्रीमती सीमा गुप्ता, श्री एम.ताज मुकर्रम, श्री घनश्याम प्रसाद, श्री रघुराज माधव राजेंद्रन, श्रीमान मोहम्मद अफजल और श्री एम.एन.वेंकटेशन की कंपनी के कार्य में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रशंसा की और उनका आभार व्यक्त किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, निदेशक के रूप में श्री अभय चौधरी (डीआईएनः 07388432) की पुनर्नियुक्ति, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो सकते हैं, से संबंधित प्रस्तावना को वार्षिक आम बैठक की सूचना में सम्मिलित किया गया है।

24.2 बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल की 12 बार बैठक हुई। बोर्ड की बैठकों की तारीखों और उपस्थिति के बारे में विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में प्रदान किया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट अनुलग्नक–VI में संलग्न है, और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा ई के अनुसार अभ्यासरत कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–VII में संलग्न है।

24.3 बोर्ड की समितियाँ

कंपनी ने परिचालन सुविधा के लिए लेखा परीक्षण समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और अन्य समितियों का गठन किया है। उपरोक्त समितियों की संरचना और दायरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में प्रदान किया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

24.4 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

वित्तीय वर्ष के दौरान, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने ''स्वतंत्र निदेशक'' का पद धारण करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 16(1)(बी) के अंतर्गत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25(8) के तहत प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हो गई है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसार, मेसर्स नरेश कुमार सिन्हा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों ने उन निदेशकों के गैर–अयोग्यता का प्रमाण पत्र जारी किया है, जो वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के बोर्ड में थे।

24.5 निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन

यह इस रिपोर्ट के ''कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट'' अनुभाग में प्रदान किया गया है और आप विवरण के लिए इसे देख सकते हैं।

24.6 निदेशकों की नियुक्ति और पारितोषिक पर नीति

कंपनी ने निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों के पारितोषिक पर एक नीति बनाई है। उक्त नीति हमारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है https://www.powergrid.in/sites/default/files/Investor_Relation/Reports_Filings/Code_of_Conduct_Policies/04_Remuneration%20Policy.pdf

25. अनुपालन

25.1 जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन ढांचे की जानकारी इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–I में दी गई प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में सम्मिलित है।

25.2 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और पर्याप्तता

बोर्ड ने अपने व्यवसायों के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है। इसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाना, त्रुटि रिपोर्टिंग तंत्र, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरणों की समय पर तैयारी।

25.3 कंपनी का वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (a) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार, कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देखा जा सकता है https://www.powergrid.in/sites/default/files/agm_egm_files/Form_MGT_7_FY_2022_23.pdf

25.4 ऋण, गारंटी या निवेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश इस रिपोर्ट से जुड़े वित्तीय विवरणों के नोट्स का हिस्सा हैं।

25.5 संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था, निर्धारित फॉर्म एओसी–2 में, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–VIII में दी गई है। इसके अतिरिक्त, सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरण के नोट संख्या 55 पर आकर्षित

किया जाता है जो संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण को निर्धारित करता है।

25.6 सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियाँ

31 मार्च, 2023 तक, कंपनी की 37 सहायक कंपनियाँ, 12 संयुक्त उद्यम और 4 सहयोगी कंपनियाँ हैं।

हमारी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय स्थिति की मुख्य विशेषताएं प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल हैं और निर्धारित फॉर्म एओसी–1 में एक विवरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–IX के रूप में संलग्न है।

25.7 लाभांश वितरण नीति

लाभांश वितरण नीति उन मापदंडों और परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिन पर बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण और/या कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिधारित लाभ का निर्धारण करने में विचार किया जाएगा, जो कंपनी की इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। https://www.powergrid.in/sites/default/files/Dividend%20Distribution%20Policy.pdf

25.8 महत्वपूर्ण सामग्री आदेश

नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा भविष्य में कंपनी की मौजूदा स्थिति और संचालन को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

26. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

संशोधित कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, उक्त नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध–X पर इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

27. कर्मचारियों का विवरण

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, इस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधान और संबंधित नियम लागू नहीं होते।

कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए लागू दिशानिर्देशों के अधीन हैं।

28. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

दिवाला और दिवालियापन संहिता के अंतर्गत कोई आवेदन नहीं किया गया है; अतः इस वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत किए गए आवेदन या किसी लंबित कार्यवाही के विवरण पर वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति प्रकट करने की शर्त लागू नहीं होती है।

29. लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी लेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड को अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ किए गए धोखाधड़ी के किसी भी मामले की सूचना नहीं दी है।

30. सावधि जमा

हमने आम लोगों सहित किसी से भी सावधि जमा को स्वीकार नहीं किया है और इस प्रकार, बैलेंस शीट की तारीख तक मूलधन या ब्याज की कोई भी राशि बकाया नहीं थी।

31. आईसीएसआई के सचिवीय मानक

कंपनी ने निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस–1) और सामान्य बैठकों (एसएस–2) से संबंधित सचिवीय मानक के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं का पालन किया है।

32. महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं ऐसी नहीं हैं, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं।

33. निदेशकों का उत्तरदायित्व से संबंधित बयान

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) और 134(5) के अंतर्गत आवश्यक है, निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो

वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उसके लिए कंपनी के उस अवधि लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए उचित और विवेकपूर्ण है;

निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

निदेशकों ने संस्था के संचालन जारी रखने के अनुमान की अवधारणा आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए हैं;

निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और

निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

34. कृतज्ञता ज्ञापन

निदेशक मंडल, भारत सरकार, विशेष रूप से ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नीति आयोग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, क्षेत्रीय बिजली समितियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय और केंद्र और राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है, जिनके सक्रिय समर्थन के बिना, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की उपलब्धियां संभव नहीं होती।

हमारे मूल्यवान ग्राहकों, राज्य सरकारों और राज्य बिजली उपयोगिताओं और अन्य ग्राहकों को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने विभिन्न परामर्श कार्य प्रदान किए हैं और उन्हें संभालने के लिए कंपनी की क्षमता में विश्वास दिखाया है। बोर्ड आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए ठेकेदारों, विक्रेताओं और सलाहकारों के योगदान की भी सराहना करता है।

निदेशक समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के खातों की ऑडिट के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों और मार्गदर्शन को भी स्वीकार करते हैं। बोर्ड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भी उनकी सहायता तथा कंपनी में निरंतर विश्वास और भरोसा बनाए के लिए दिल से धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल की ओर से, मैं वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के प्रदर्शन में योगदान देने वाले कर्मचारियों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों और मूल्यवान सेवाओं के लिए अपनी गहरा आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। मैं कार्यकारी टीम को उनके मजबूत नेतृत्व के लिए, कर्मचारी यूनियनों को उनके समर्थन के लिए और हमारे सभी कर्मचारियों को उनकी प्रतिबद्धता, उत्साह और समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एवं वास्ते निदेशक मंडल

(के.श्रीकांत)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06615674

दिनांक: 6 अगस्त, 2023
स्थान: गुरुग्राम

View of Pithoragarh Substation

निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नकों की सूची नीचे दी गई है:

क्र. सं.	निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	पेज नंबर
अनुबंध I	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	150
अनुलग्नक II	व्यवसाय की जिम्मेदारी और संधारणीयता रिपोर्ट	188
अनुलग्नक III	कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के तहत आवश्यक विवरण	224
अनुलग्नक IV	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत सीएंडएजी की टिप्पणियां	229
अनुलग्नक V	सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट	234
अनुबंध VI	कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	238
अनुलग्नक VII	कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रमाणपत्र	263
अनुलग्नक VIII	प्रपत्र सं. एओसी–2	264
अनुबंध IX	प्रपत्र सं. एओसी–1	270
अनुलग्नक X	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	277

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक–I

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1. आर्थिक और सेक्टर आउटलुक

भारतः एक विकसित होती अर्थव्यवस्था

अन्यथा उथल–पुथल भरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत एक उज्ज्वल स्थान बना हुआ है। जुलाई 2023 में जारी आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार, आर्थिक गतिविधि वैश्विक स्तर पर मंदी का सामना कर रही है और 2022 में अनुमानित 3.5 प्रतिशत से घटकर 2023 और 2024 में 3.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसके बीच, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023–24 में भारत के लिए विकास का अनुमान 6.1% रखा है, जो अभी भी उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए 6.5% की आधारभूत वृद्धि का अनुमान लगाया है।

भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता निर्धारित की है और 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने और 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधान मंत्री ने तीन चरणों के साथ पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए एक आंदोलन के रूप में मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) भी शुरू किया है – चरण 1ः मांग में बदलाव, चरण 2ः आपूर्ति और खरीद में बदलाव, और तीसरा चरणः नीतियों में बदलाव जो संधारणीय उपभोग और उत्पादन दोनों का समर्थन कर सकती हैं।

जैसे–जैसे भारत विकसित होता जाएगा, ऊर्जा और संसाधनों की मांग में वृद्धि होना तय है। पिछले 10 वर्षों में देश में ऊर्जा का उपयोग दोगुना हुआ है और बिजली उत्पादन क्षमता भी 222 गीगावॉट (गीगावाट) से बढ़कर 416 गीगावॉट हो गई है। पावर सेक्टर का विस्तार करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयास और कम लागत वाली नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक जोर देने के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 10 में ऊर्जा घाटा 10.1% से घटकर वित्त वर्ष 23 के अंत तक केवल 0.5% हो गया है। भले ही ऊर्जा की मांग में और वृद्धि होने की उम्मीद है, इस वृद्धि को जीवन शैली और प्रौद्योगिकियों की ओर एक ऐसे बदलाव से पूरित किया जाना चाहिए, जो नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी को बढ़ाते हैं और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करते हैं।

संधारणीयता और ऊर्जा सुरक्षा पर बढ़ते जोर के साथ, ऊर्जा के अन्य स्रोतों को बदलने के लिए बिजली को प्राथमिकता दी जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, भारत ने जबरदस्त प्रगति की है, जिसकी स्थापित क्षमता 2010 में 57 गीगावॉट से बढ़कर मार्च 2023 में 172 गीगावॉट हो गई है, जिसका लक्ष्य 2030 तक इसे और तिगुना करके 500 गीगावॉट तक ले जाना है। बढ़ती नवीकरणीय क्षमता शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा केंद्र के रूप में उभरने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

इस तरह नवीकरणीय ऊर्जा की इस वृद्धि और देश की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि के पीछे पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक उत्प्रेरक है।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय स्थापित क्षमता (416.06 गीगावॉट)
(125.16 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा)

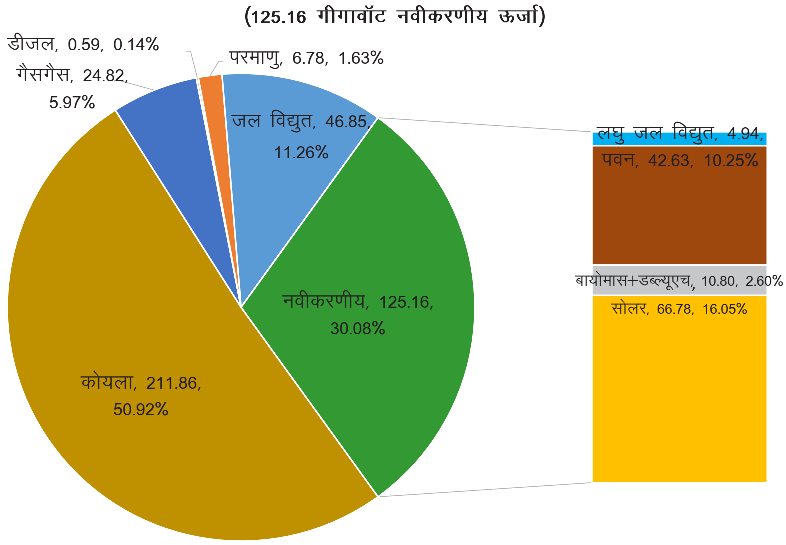

स्रोतः सीईए मासिक रिपोर्ट मार्च 2023

पावर सेक्टर का विकास 2022–23

पावर सेक्टर अपने तीन स्तंभोंः उत्पादन, पारेषण और वितरण के साथ, भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले दशक में देश के उत्पादन क्षमता मिश्रण में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। मार्च 2023 तक, कुल क्षमता मिश्रण में जीवाश्म–आधारित क्षमता का हिस्सा 57% है जबकि गैर–जीवाश्म–आधारित क्षमता 43% है। उत्पादन के संदर्भ में, गैर–जीवाश्म–आधारित ऊर्जा का योगदान लगातार बढ़ रहा है और 2023 में कुल उत्पादन का 26% है

पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न संभागों में पावर सेक्टर में समग्र वृद्धि नीचे दी गई है:

	वित्त वर्ष 20-21	वित्त वर्ष 21-22	वित्त वर्ष 22-23	वृद्धि	
				(वाईओवाई)	3 वर्ष (सीएजीआर)
जनरेशन					
कुल स्थापित क्षमता (आरई सहित) गीगावॉट	382.15	399.49	416.05	4.15%	4.34%
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आरईएस) क्षमता गीगावॉट (बड़े जल विद्युत स्रोतों को छोड़कर)	94.43	109.85	125.15	13.93%	15.12%
कुल उत्पादन (आरई सहित) बीयू	1381.86	1491.86	1624.15	8.87%	8.41%
आरई स्रोतों से उत्पादन (बीयू) (बड़े जल विद्युत स्रोतों को छोड़कर)	147.25	170.91	203.55	19.10%	17.57%
क्रॉस–बॉर्डर पावर एक्सचेंज (बीयू)	18.74	16.83	18.09	7.49%	-1.75%
ट्रांसमिशन					
ट्रांसमिशन लाइन्स (सीकेएम) (220 केवी) और इसके बाद के संस्करण)	4,41,821	4,56,716	4,71,341	3.20%	3.29%
रूपांतरण क्षमता (एमवीए) (220 केवी और उससे अधिक)	10,25,468	11,04,450	11,80,352	6.87%	7.29%
अंतर–क्षेत्रीय पावर ट्रांसफर क्षमता (मेगावॉट)	1,05,050	1,12,250	1,12,250	-	3.37%
अंतर–क्षेत्रीय पावर ट्रांसफर (BU)	214.77	228.00	236.00	3.51%	4.83%
पावर मार्केट्स					
अल्पकालिक ट्रांजेक्शन (संख्या)	69,036	89,544	1,02,692	14.68%	21.96%
अल्पकालिक ट्रांजेक्शन (ट्रांजेक्ट की गई ऊर्जा) बीयू	123.67	162.81	171.81	5.53%	17.87%
बिजली आपूर्ति की स्थिति					
पीक डिमांड (गीगावॉट)	190.20	203.01	215.88	6.34%	6.54%
पीक मेट (गीगावॉट) पीक	189.40	200.54	207.23	3.34%	4.60%
घाटा (%)	0.4%	1.20%	4%	-	-
ऊर्जा की मांग (बीयू)	1,275.53	1,379.81	1,511.84	9.57%	8.87%
पूरी की गई ऊर्जा की मांग (बीयू)	1,270.66	1,374.02	1,504.26	9.48%	8.80%
घाटा (%)	0.4%	0.04%	0.50%	-	-

स्रोतः सीईए, ग्रिड इंडिया मासिक रिपोर्ट मार्च 2023

राष्ट्रीय ग्रिड का विस्तार, जैसा कि ट्रांसमिशन लाइनों और रूपांतरण क्षमता में निरंतर वृद्धि से स्पष्ट है, आरई की दृष्टि से समृद्ध राज्यों से दूसरे राज्यों को बिजली के हस्तांतरण के लिए ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के उच्च इंजेक्शन का समर्थन कर रहा है।

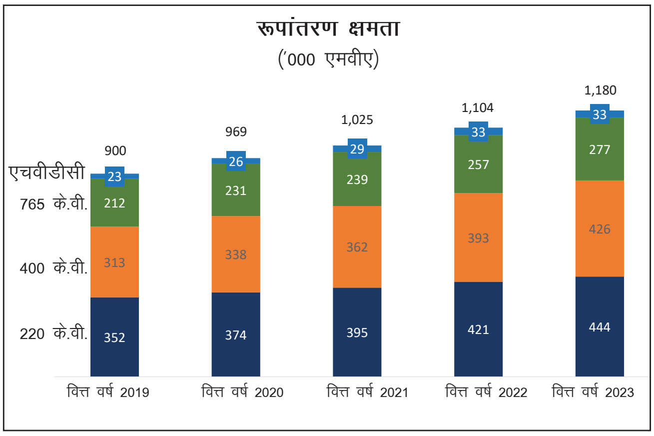

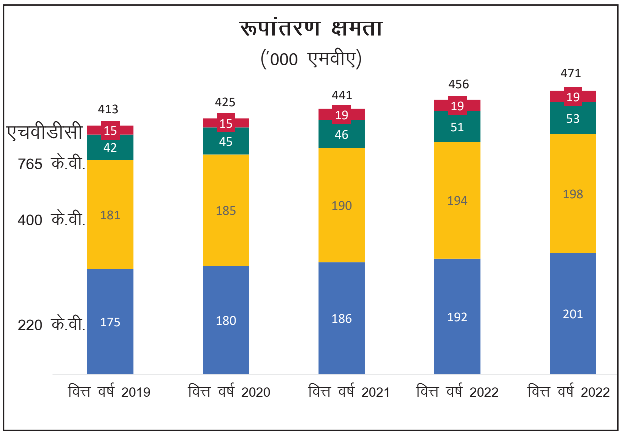

स्रोतः सीईए मासिक रिपोर्ट

वितरण सेक्टर में भी वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 11वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग के अनुसार, वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में बिजली वितरण सेक्टर का वित्तीय घाटा लगभग आधा हो गया है। यह घाटा बिजली की बढ़ती मांग के कारण कम हो गया और एसीएस – एआरआर गैप में 50% सुधार से प्रेरित था।

निरपेक्ष नकदी समायोजित गैप
(₹ करोड़)

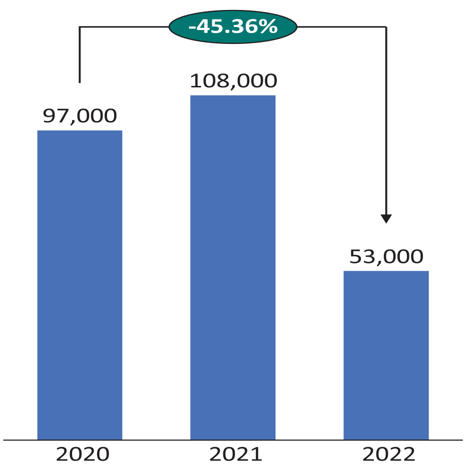

एसीएस – एआरआर गैप
(₹ केडब्ल्यूएच)

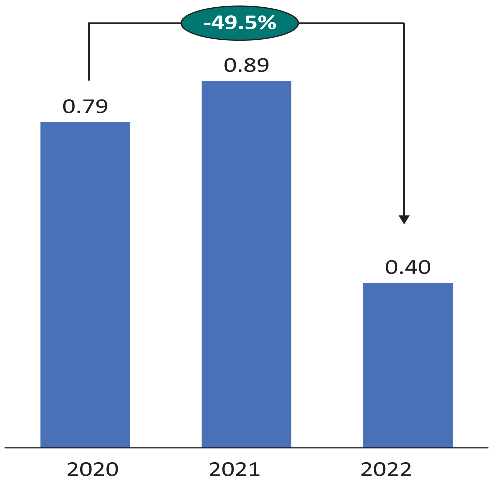

स्रोतः 11वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग: विद्युत वितरण उपयोगिताएं

वित्त वर्ष 22 में एटीएंडसी का घाटा घटकर 16.5% हो गया है; वित्त वर्ष 20 में 19.9% से काफी कम है। यह सुधार मुख्य रूप से संग्रह दक्षता से प्रेरित है जो वित्त वर्ष 20 में 93.1% से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 97.2% हो गया जबकि बिलिंग दक्षता लगभग सपाट रही।

एटीएंडसी की हानियां
(0%)

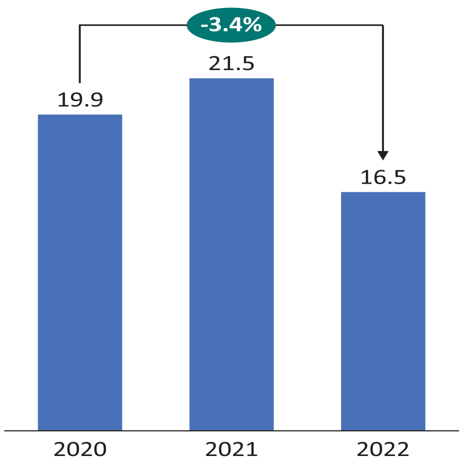

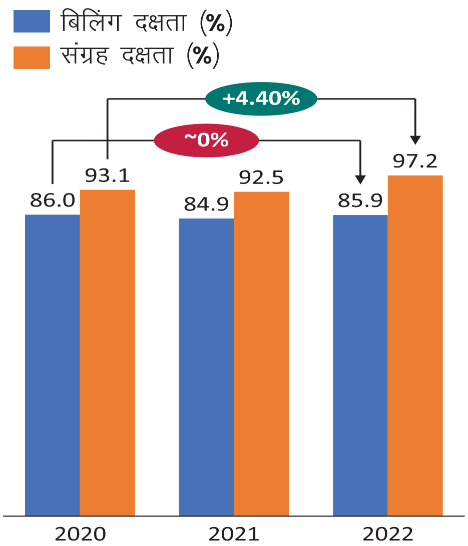

स्रोतः 11वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग: विद्युत वितरण उपयोगिताएं

पावर सेक्टर में प्रमुख पहल/सुधार और विनियामक परिवर्तन

विद्युत मंत्रालय के नियम/दिशानिर्देश

क) विद्युत मंत्रालय (देर से भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022

विद्युत मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय बिजली (देर से भुगतान अधिभार) नियम, 2021 को हटाकर विद्युत मंत्रालय बिजली (देर से भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 जारी किया है।

ये नियम विद्युत उत्पादन कंपनियों, आईएसटीएस लाइसेंसधारियों और बिजली व्यवसाय लाइसेंसधारियों पर लागू होंगे। नियमों में निर्दिष्ट दरों पर 45 दिनों के बाद बकाया राशि पर एमसीएलआर देय होगा। "एमसीएलआर की आधार दर" वित्त वर्ष के 1 अप्रैल को एसबीआई के एक वर्ष के एमसीएलआर और 500 बीपीएस से जुड़ी हैं। इसके अलावा, नियमों में बकाया राशि के भुगतान में चूक के

लिए एक्सेस का विनियमन भी प्रदान किया गया है। राज्य वितरण कम्पनियों को उनकी पिछली बकाया राशियों (नियत तारीख से बाद के बकाया) के परिसमापन के लिए एकमुश्त छूट प्रदान की जाती है, जिसमें पुनर्निर्धारित मासिक किस्तों के माध्यम से 3 जून 2022 तक का लेट पेमेंट सरचार्ज शामिल है, जिसमें कुल बकाया के आधार पर नियमों के अनुसार किस्त की अधिकतम संख्या तय की जाती है।

ख) नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण ऊर्जा के साथ बंडलिंग के माध्यम से तापीय/जल विद्युत पावर स्टेशनों के उत्पादन और शेड्यूलिंग में लचीलेपन के लिए संशोधित योजना, 2022

संशोधित योजना के साथ, सभी कोयला/लिग्नाइट/गैस आधारित तापीय विद्युत उत्पादन स्टेशन या जल विद्युत पावर स्टेशन आरई पावर प्लांट से नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना या खरीद कर सकते हैं, जो या तो सह–स्थित है या नए स्थानों पर है। ऐसी आरई ऊर्जा का उपयोग उनकी मौजूदा प्रतिबद्धताओं/पीपीए के विरुद्ध बिजली की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। मिश्रण में आरई को वितरण लाइसेंसधारी के आरपीओ अनुपालन में गिना जाएगा। इसके अलावा, मौजूदा पीपीए के तहत तापीय/जल विद्युत पावर के बजाय आरई पावर की आपूर्ति से प्राप्त होने वाली शुद्ध बचत, यदि कोई हो, को उत्पादक और लाभार्थी के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

ग) बिजली (हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022

उक्त नियमों के तहत, 100 किलोवाट और उससे अधिक के अनुबंधित मांग/स्वीकृत भार वाले सभी उपभोक्ता हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिए पात्र होंगे। विद्युत मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सिंगल विंडो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस सिस्टम स्थापित करने और संचालित करने हेतु ग्रिड इंडिया को सेंट्रल नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया है।

उक्त नियमों में पहला संशोधन यह प्रावधान करता है कि उपभोक्ता वितरण लाइसेंसधारी से मांग करके हरित ऊर्जा खरीदने का चुनाव कर सकता है। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले शुल्कों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

घ) सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (CPSE) पर स्थित जनरेटिंग स्टेशनों को इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी के लिए नीति

अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के साथ कनेक्टिविटी के लिए अनुरोध करने वाले केवल अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के साथ कनेक्टिविटी रखने वाले सीपीएसई जनरेटिंग स्टेशन से प्रतिनिधित्व के संबंध में, विद्युत मंत्रालय ने निम्नलिखित निर्णय लिया है।

- ट्रांसमिशन प्लानिंग चरण में ही, सभी नए सीपीएसई जनरेटिंग स्टेशनों को आईएसटीएस से जुड़ा माना जाएगा।
- एक राज्य आईएसटीएस शुल्क देयता के बिना राज्य के भीतर स्थित सीपीएसई जनरेटिंग स्टेशन से मुफ्त/आवंटित बिजली की निकासी के लिए अपनी लागत पर आवश्यक क्षमता की अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन लाइनों की योजना बना सकता है और उनका निर्माण कर सकता है।
- इसके अलावा, यदि मेजबान राज्य का सीपीएसई जनरेटिंग स्टेशन में 50% से अधिक हिस्सा है, तो सीईआरसी के विनियमन के अनुसार राज्य के हिस्से की निकासी के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ना आईएसटीएस का हिस्सा बन सकता है।

ड.) बिजली (संशोधन) नियम, 2022

विद्युत मंत्रालय ने बिजली नियम, 2005 में संशोधन करते हुए बिजली (संशोधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत, निम्नलिखित प्रमुख नए नियम सम्मिलित किए गए हैं:

- ओपन एक्सेस चाहने वाले उपभोक्ताओं द्वारा देय सरचार्ज आपूर्ति की औसत लागत के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- मूल्य समायोजन सूत्र निर्दिष्ट करने के लिए उपयुक्त कमीशन जिसके माध्यम से बिजली खरीद लागत में व्याप्त अन्तर उपभोक्ता टैरिफ के माध्यम से स्वचालित रूप से पारित हो जाएंगे। नियमों में प्रदान किया गया सूत्र तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे उपयुक्त आयोगों द्वारा अलग से अधिसूचित नहीं किया जाता है।
- संसाधन पर्याप्तता के संबंध में, केंद्र सरकार और राज्य आयोग क्रमशः दिशानिर्देश और विनियम जारी करते हैं। एनएलडीसी, आरएलडीसी और एसएलडीसी क्रमशः राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर संसाधनों की पर्याप्तता का आकलन करेंगे।
- जलविद्युत, ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास और केंद्रीय पूल के लिए समान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम प्रदान किए गए हैं।
- विद्युत मंत्रालय ने विवादों के समाधान के लिए नियमों को भी प्रतिस्थापित किया है जिसमें उपयुक्त आयोग 120 दिनों के भीतर एक अंतिम आदेश पारित करेगा, जिसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए 30 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। यदि अंतिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता है, तो अंतरिम आदेश जारी किया जाएगा अन्यथ 120 दिनों या 150 दिनों के बाद, जैसा भी मामला हो, पीड़ित पक्ष को अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क करने की अनुमति दी जा सकती है।

सीईआरसी विनियम

क) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022

सीईआरसी ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (इंटर–स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क एक्सेस) विनियम, 2022 जारी किया है। 1 अप्रैल 2023 की अधिसूचना के माध्यम से सीईआरसी जारी किया गया है। सीईआरसी (इंटर–स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क एक्सेस) विनियम, 2022 में पहला संशोधन। पहला संशोधन विनियम और कनेक्टिविटी और जीएनए के लिए नए आवेदनों के संबंध में प्रमुख विनियमों में विशिष्ट प्रावधान, उनका प्रसंस्करण और अनुदान 5 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है।

ख) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2021

विषय विनियम 5 दिसंबर 2022 से प्रभावी हो गए हैं। उक्त विनियमों के कार्यान्वयन पर परिचालन फीडबैक के आधार पर सीईआरसी ने याचिका 01/SM/2023 में 6 फरवरी 2023 को स्वप्रेरित आदेश जारी किया है, जिसके माध्यम से उसने विचलन निपटान तंत्र विनियम, 2022 के कुछ प्रावधानों को शिथिल/संशोधित किया है, जिसमें विचलन की मात्रा के आधार पर विचलन के लिए शुल्क संशोधित किए गए हैं। इसके अलावा, विचलन निपटान तंत्र विनियम, 2022 के तहत लागू शुल्कों के बावजूद, विषम परिस्थितियों में विचलन, अर्थात जब आवृत्ति **"f < 49.95 Hz or f > 50.03 Hz"** के बैंड में हो, के लिए शुल्क प्रदान किए गए हैं।

ग) नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री (एनओएआर) के माध्यम से इंटर–स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम में शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस के लिए प्रक्रिया" के बारे में सीईआरसी का आदेश

यह प्रक्रिया आईएसटीएसदृएसटीओए (द्विपक्षीय या सामूहिक ट्रांजेक्शन) से संबंधित सभी आवेदनों पर लागू होगी। एक अल्पकालिक ग्राहक के लिए एनओएआर पर पंजीकरण आवश्यक है, ताकि वह स्थायी मंजूरी प्राप्त करने या एसटीओए ट्रांजेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन कर सके। एनओएआर पर सफल पंजीकरण के बाद, ग्राहकों को मूल विनियमों के विनियमन 8 के अनुसार आईएसटीएसदृएसटीओए का लाभ उठाने के लिए स्थायी मंजूरी जारी करने के लिए मेजबान आरएलडीसी के पास आवेदन करना होगा।

घ) ओवर द काउंटर (OTC) प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना और संचालन के लिए पंजीकरण और फाइलिंग आवेदन हेतु दिशानिर्देश

सीईआरसी ने काउंटर (OTC) प्लेटफॉर्म की स्थापना और संचालन के लिए पंजीकरण और फाइलिंग आवेदन के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। "ओवर द काउंटर (OTC) प्लेटफॉर्म" बिजली के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है।

ड.) आयोग द्वारा पावर मार्केट विनियम, 2021 के तहत पंजीकृत पावर एक्सचेंज को दिए गए निर्देशों के संबंध में याचिका संख्या 17/एसएम/2022 में सीईआरसी स्वप्रेरित आदेश

सीईआरसी ने अगले आदेश तक सभी पावर एक्सचेंजों को डीएएम (जीडीएएम सहित), आरटीएम, इंट्रा–डे, डे अहेड कंटिजेंसी, और टर्म–अहेड (जीटीएएम सहित) कॉन्ट्रैक्टों में ऊपरी मूल्य सीमा को ₹12/kWh तक सीमित करने का निर्देश दिया है।

2. नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सक्षम बनाने वाले कारक

नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर ग्रिड से जुड़ी बिजली उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है और आने वाले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। नवीकरणीय क्षमता वृद्धि में वृद्धि को गति देने के लिए, निम्नलिखित पहल की गई हैं:

ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम करना

नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता के विकास को संभव करने के लिए, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनमें उच्च सौर और पवन ऊर्जा क्षमता है, को इंटर–स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) से जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस प्रकार उत्पन्न बिजली को लोड केंद्रों तक पहुंचाया जा सके। चूंकि आरई जनरेशन प्रोजेक्ट्स की जेस्टेशन पीरियड ट्रांसमिशन सिस्टम की जेस्टेशन पीरियड से बहुत कम होती है, इसलिए इसके लिए एडवांस प्लानिंग और एक्जीक्यूशन की जरूरत होती है। इस दिशा में, भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावॉट से अधिक गैर–जीवाश्म क्षमता वृद्धि के एकीकरण के लिए एक ट्रांसमिशन नेटवर्क योजना जारी की है, जिसमें आरई संभावित क्षेत्रों, कार्यान्वयन चरणों, वित्तपोषण आवश्यकताओं आदि से कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली विभिन्न ट्रांसमिशन योजनाओं का विवरण दिया गया है।

भारत सरकार का बजट फोकस

केंद्रीय बजट 2023–24 ने भारत में हरित औद्योगिक और आर्थिक संक्रमण और संधारणीय ऊर्जा की शुरुआत करने के लिए 'ग्रीन ग्रोथ' को सात शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक माना है और कम कार्बन तीव्रता की दिशा में आर्थिक संक्रमण के लिए परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है तथा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम–कुसुम), सोलर रूफटॉप चरण II, 12000 मेगा वाट (MW) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीसीयू) योजना चरण II, आदि जैसी योजनाओं को शुरू किया है।

आरपीओ और स्टोरेज ट्रैजेक्टरी

2021–22 से आगे आरपीओ प्रक्षेपवक्र की सिफारिश करने के लिए 17 दिसंबर 2020 को ऊर्जा मंत्रालय के सचिव और, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव की सह–अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था। संयुक्त समिति की सिफारिशों और एमएनआरई के साथ विचार–विमर्श के आधार पर, विद्युत मंत्रालय ने 22 जुलाई 2022 के आदेश के माध्यम से 2021–22 से आगे 2029–30 तक आरपीओ और ऊर्जा भंडारण दायित्वों को निर्दिष्ट किया है।

वर्ष	पवन आरपीओ	एचपीओ	अन्य आरपीओ	कुल आरपीओ
2022-23	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%
2023-24	1.60%	0.66%	24.81%	27.08%
2024-25	2.46%	1.08%	26.37%	29.91%
2025-26	3.36%	1.48%	28.17%	33.01%
2026-27	4.29%	1.80%	29.86%	35.95%
2027-28	5.23%	2.15%	31.43%	38.81%
2028-29	6.16%	2.51%	32.69%	41.36%
2029-30	6.94%	2.82%	33.57%	43.33%

स्रोतः राष्ट्रीय विद्युत योजना 2022–32

एनर्जी स्टोरेज ट्रैजेक्टरी, 2023–24 के लिए ऊर्जा आधार पर 1% और 2029–30 के लिए 4% के रूप में भंडारण को अनिवार्य करती है। ऊर्जा भंडारण दायित्व की गणना ऊर्जा के संदर्भ में बिजली की कुल खपत के प्रतिशत के रूप में की जाएगी।

वर्ष	भंडारण दायित्व (ऊर्जा के आधार पर)
2023-24	1%
2024-25	1.5%
2025-26	2%
2026-27	2.5%
2027-28	3%
2028-29	3.5%
2029-30	4%

विद्युत मंत्रालय आदेश दिनांक 22 जुलाई 2022

सीईआरसी विनियम, 2023 में संशोधन – ट्रांसमिशन शुल्क और नुकसान का बंटवारा।

30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर–राज्यीय बिक्री के लिए अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क में छूट। यह छूट 25 साल तक रहेगी। रिन्यूएबल जनरेटिंग स्टेशनों या रिन्यूएबल हाइब्रिड जनरेटिंग स्टेशनों से ऊर्जा का उपयोग करके चार्ज किए जाने वाले बैटरी स्टोरेज सिस्टम, जो 30 जून 2025 से पहले काम करना शुरू करते हैं, 12 वर्षों के लिए ट्रांसमिशन शुल्क की छूट के लिए पात्र होंगे।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 में गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों के अनिवार्य न्यूनतम उपयोग और कार्बन ट्रेडिंग बाजार स्थापित करने के प्रावधान शामिल हैं। 'कार्बन–मार्केट' ऊर्जा की बचत के लिए एक गहरा और व्यापक बाजार बनाने, विभिन्न उद्योगों से उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ईंधन के लिए प्रोत्साहन देने में सहायक होगा।

पंप स्टोरेज प्लांट्स को बढ़ावा देना

भारत सरकार ने देश में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (पीएसपी) के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित संशोधित एनईपी मसौदे के अनुसार, देश को 2032 तक परिकल्पित आरई क्षमता को एकीकृत करने के लिए 26.7 गीगावॉट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और 47.2 गीगावॉट बीईएसएस (5 घंटे) की आवश्यकता होगी।

भारतीय बिजली ग्रिड कोड विनियम, 2023

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 को हाल ही में अधिसूचित किया गया है। ग्रिड कोड में विभिन्न वैधानिक निकायों और संगठनों की भूमिका और उनके बीच कार्यात्मक संबंधों से संबंधित प्रावधानों के अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण; सहायक सेवाएं और भंडार; और साइबर सुरक्षा आदि सहित व्यापक प्रावधान शामिल हैं।

3. भारतीय विद्युत क्षेत्रक की संभावना

ऊर्जा की मांग और खपत

20वीं ईपीएस के अनुसार, ऊर्जा की मांग 2023–24 में 1600 अरब यूनिट से बढ़कर 2031–32 में 2474 अरब यूनिट हो जाएगी।

वित्त वर्ष 2022–23 (ऊर्जा की मांग) : 1511 अरब यूनिट

20वीं ईपीएस के अनुसार अनुमान

वित्त वर्ष 2023–24

- ऊर्जा की आवश्यकता : 1600 अरब यूनिट
- अधिकतम मांग (उदा. व्यस्त) : 230 गीगावॉट

वित्त वर्ष 2031–32:

- ऊर्जा की आवश्यकता : 2474 अरब यूनिट
- अधिकतम मांग (उदा. व्यस्त) : 366 गीगावॉट

ऊर्जा की खपत की रूपरेखा (2031–32)

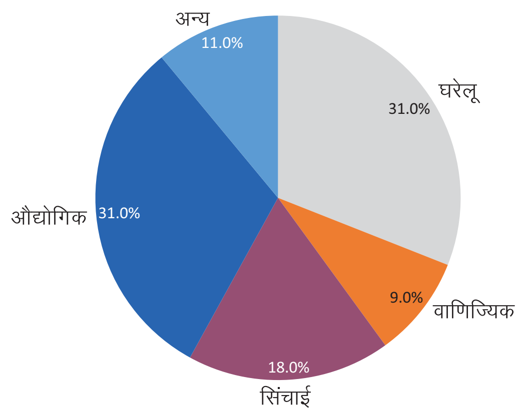

स्रोतः 20वीं ईपीएस की रिपोर्ट

ऊर्जा की खपत (अरब यूनिट)

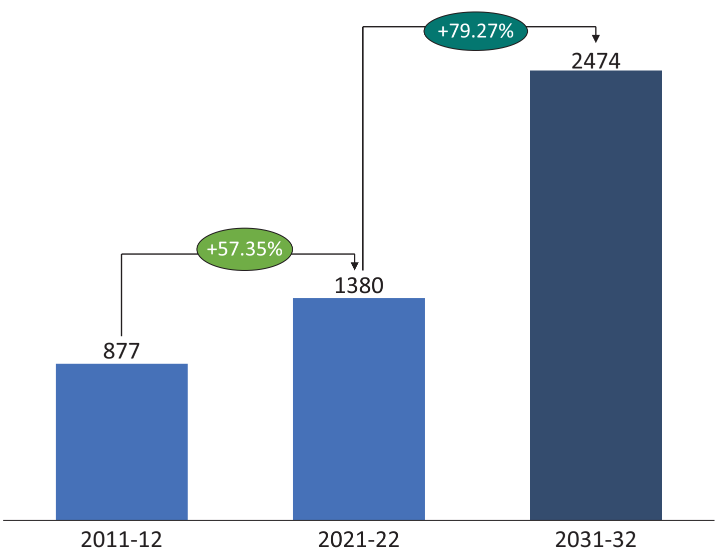

स्रोतः सीईए की मासिक रिपोर्ट, इष्टतम जनन मिश्रण रिपोर्ट

- भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत (2022 में 1255 यूनिट) वैश्विक औसत की तुलना में लगभग एक तिहाई है। 2012 और 2022 के बीच, विद्युत की खपत 877 अरब यूनिट से बढ़कर 1380 अरब यूनिट हो गई और 2031–32 तक बढ़कर 2474 अरब यूनिट होने की संभावना व्यक्त की गई है।
- औद्योगीकरण, शहरीकरण और ग्रामीण परिवर्तन की बढ़ी हुई गति से ऊर्जा की भारी मात्रा में आवश्यकता होगी। बढ़ते आर्थिक विकास से विद्युत की मांग बढ़ना जारी रहेगी। सीईए के अनुमानों के अनुसार, देश की अधिकतम मांग 2030 तक 335 गीगावॉट तक हो जाने की संभावना है।

अधिकतम मांग (गीगावॉट)

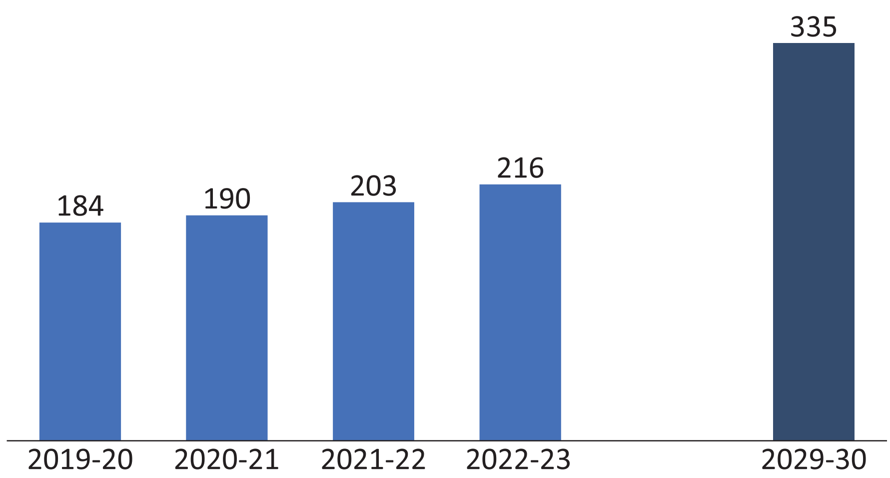

स्रोतः सीईए मासिक रिपोर्ट, इष्टतम जनन मिश्रण रिपोर्ट

2023–2030 की अवधि में विद्युत उत्पादन क्षमता में तेज वृद्धि होने जा रही है, जबकि मुख्य रूप से नवीकरणीय विद्युत उत्पादन के जुड़ जाने से कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 2022–23 में मौजूदा 416 गीगावॉट से बढ़कर 2029–30 में 777 गीगावॉट हो जाएगी।

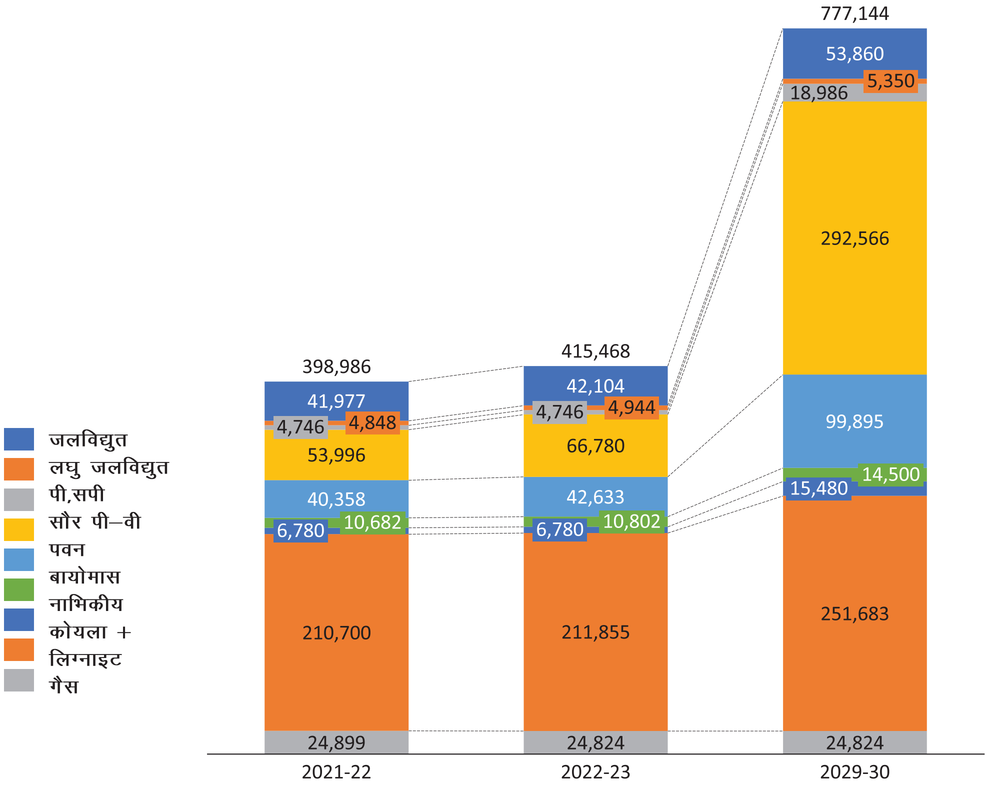

स्रोतः सीईए मासिक रिपोर्ट, इष्टतम उत्पादन मिश्रण रिपोर्ट

वर्ष 2029–30 के दौरान गैर–जीवाश्म–आधारित संस्थापित क्षमता कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 65 प्रतिशत हो जाने की संभावना है और गैर–जीवाश्म ईंधन–आधारित सकल उत्पादन का सकल विद्युत उत्पादन में योगदान लगभग 45 प्रतिशत होने का अनुमान है।

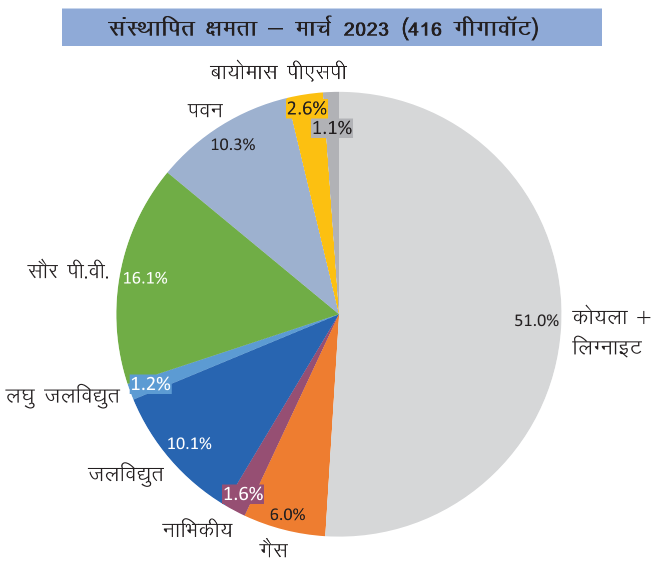

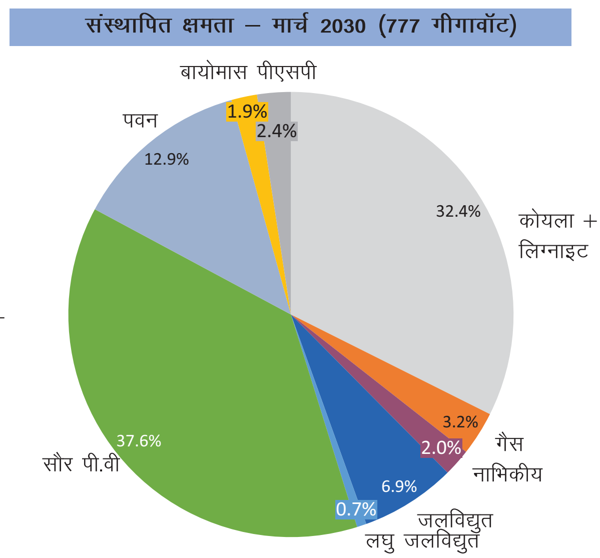

स्रोतः सीईए इष्टतम उत्पादन मिश्रण रिपोर्ट

सीईए के अनुसार, वर्ष 2029–30 में अनुमानित सकल विद्युत उत्पादन (अरब यूनिट) 2441 अरब यूनिट रहने की संभावना है, जिसमें तापीय (कोयला, गैस और लिग्नाइट) से 1365 अरब यूनिट, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 984 अरब यूनिट (जलविद्युत से 223 अरब यूनिट सहित), और परमाणु ऊर्जा से 92 अरब यूनिट शामिल है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

2022–23 में स्रोतवार सकल उत्पादन (1624 अरब यूनिट)

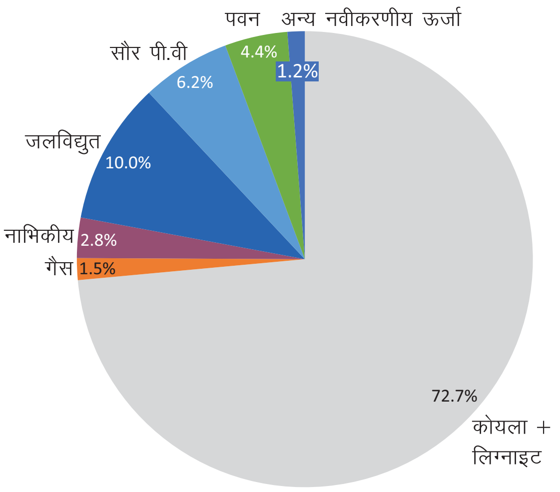

2029–30 में अनुमानित स्रोतवार सकल उत्पादन (2441 अरब यूनिट)

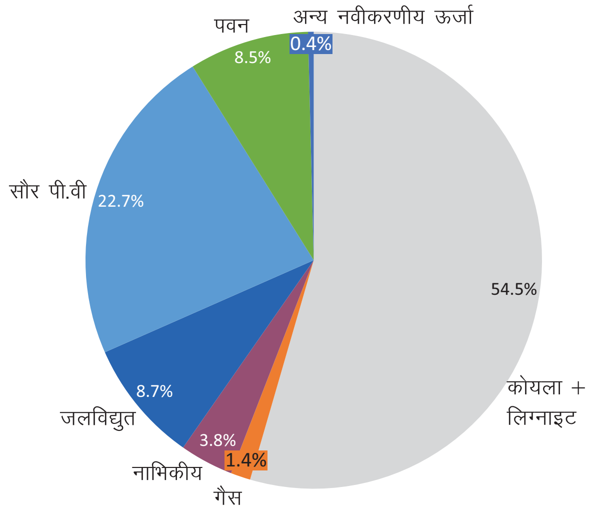

स्रोत: सीईए इष्टतम उत्पादन मिश्रण रिपोर्ट

2030 तक विशाल पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अंतः प्रवेशन के चलते, ऊर्जा संतुलन बनाने के लिए ग्रिड में पर्याप्त लचीलेपन की आवश्यकता होगी। अखिल भारतीय आधार पर बीईएसएस और पंपयुक्त भंडारण प्रणाली जैसे लचीले संसाधनों की आवश्यकता होगी। इष्टतम उत्पादन क्षमता मिश्रण रिपोर्ट 2.0 पर सीईए की रिपोर्ट में 2030 तक 41.6 गीगावॉट बीईएसएस और 18.9 गीगावॉट पीएसपी की पहचान की गई है।

गुजरात और तमिलनाडु राज्य में 10 गीगावॉट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता की योजना बनाई गई है।

पारेशण क्षेत्र में अवसर

विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में पारेषण एक परमावश्यक अवयव है। यह नवीकरणीय ऊर्जा का निर्बाध एकीकरण, भार केंद्रों तक विद्युत का संचलन संभव बनाता है और उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय और सस्ती विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

'2030 तक 500 गीगावॉट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण प्रणाली' पर सीईए की रिपोर्ट में 2030 तक पवन और सौर क्षमता के एकीकरण के लिए ₹ 2,44,200 करोड की लागत से विभिन्न पारेषण लाइनों, जिनका कुलयोग 50,890 सीकेएम है और आईएसटीएस के अंतर्गत नए/मौजूदा सबस्टेशनों पर 433,575 एमवीए परिवर्तन क्षमता की पहचान की गई है। अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली में इन परिवर्धनों के बाद, 2030 में संचयी अंतर–क्षेत्रीय पारेषण क्षमता लगभग 1,50,000 मेगावाट हो जाने की संभावना है।

क) अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली

सीईए की 20वीं विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण (ईपीएस) रिपोर्ट के अनुसार, 2027–28 तक अधिकतम मांग लगभग 294 गीगावॉट रहने और कुल संस्थापित क्षमता लगभग 702 गीगावॉट हो जाने की संभावना व्यक्त की गई है। परिकल्पित उत्पादन क्षमता और अनुमानित मांग को एकीकृत करने के लिए, सीटीयूआईएल की रोलिंग योजना के अनुसार 2027–28 तक आईएसटीएस में निम्नलिखित परिसंपत्ति वृद्धि की जानी है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	सीकेएम परिवर्धन	एमवीए परिवर्धन	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
1	2023-24	-	1,000	185
2	2024-25	6,510	58,435	19,637
3	2025-26	11,760	1,45,160	77,842
4	2026-27	7,894	74,775	53,863
5	2027-28	2,028	6,630	26,967
कुल		**28,192**	**2,86,000**	**1,78,493**

स्रोत: सीटीयूआईएल द्वारा अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए रोलिंग प्लान 2027–28।

अंतर–क्षेत्रीय (आईआर) पारेषण क्षमता 2027–28 तक 1,12,250 मेगावाट के वर्तमान स्तर से बढ़कर लगभग 1,38,740 मेगावाट हो जाने की उम्मीद है।

ख) अंतर–राज्यीय पारेशण प्रणालीः

राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा (एसटीयू) द्वारा अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली का विकास अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली के विकास का आनुपातिक होगा क्योंकि यह अंतर–राज्यीय पारेषण और वितरण प्रणाली के बीच विद्युत आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अंतः–राज्य पारेषण प्रणाली के विकास से अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की राज्यों की क्षमता बढ़ेगी, ओवरलोडिंग/ट्रिपिंग के चलते विद्युत कटौती में कमी आएगी और एटीएंडसी घाटे में और कमी आएगी।

ग) सीमा–पार इंटरकनेक्शनः

वर्तमान में, भारत विभिन्न विद्युत अंतरःकनेक्शन के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों यथा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ा हुआ है, जिनकी संचयी विद्युत अंतरण क्षमता लगभग 4,433 मेगावाट है। भारत द्वारा पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार विद्युत अंतरण अंतर–सरकारी द्विपक्षीय सहयोग से होता है, जो सीमा पार इंटरकनेक्षन और प्रणाली परिचालन की व्यवस्था करता है। पड़ोसी देशों के साथ भारत की मौजूदा, निर्माणाधीन और नियोजित सीमा–पार पारेषण क्षमता का सारांश नीचे दिया गया हैः

(आंकड़े मेगावाट में)

देश	मौजूदा (मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार)	निर्माणाधीन	नियोजित	कुल
भारत–बंग्लादेश	1160	0	1000	2160
भारत–भूटान	2070	2220	0	4290
भारत–म्यांमार	3	0	505	508
भारत–नेपाल	1200	1900	4570	7670
भारत–श्रीलंका	0	0	500	500
	4433	**4120**	**6575**	**15128**

स्रोतः सीटीयूआईएल द्वारा अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए रोलिंग प्लान 2027–28।

घ) एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड

ग्रिड इंटरकनेक्षन के विभिन्न पहलुओं यथा तकनीकी, परिचालन संबंधी, विनियामकीय और कानूनी, वाणिज्यिक और संस्थागत क्रियातंत्र का अध्ययन करने और विभिन्न क्षेत्रों यथा, दक्षिण एशिया (एसए), दक्षिण पूर्व एशिया (एसईए), मध्य पूर्व (खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी), अफ्रीका, यूरोप, आदि के बीच पारेषण इंटरकनेक्शन के विकास के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए, 'ओएसओडब्ल्यूओजी' के भाग के रूप में, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने पावरग्रिड, सीईए, सीटीयू, सीईआरसी, एसईसीआई और ग्रिड–इंडिया के सदस्यों के साथ एक कार्यबल का गठन किया है। उपरोक्त क्षेत्रों में मौजूदा सीमा–पार पारेषण इंटरकनेक्शन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अध्ययनों और नवीकरणीय ऊर्जा, अधिकतम मांग वाले समय में विविधता के उपयोग, भंडार साझाकरण, परिचालन में किफायत, जीवंत विद्युत बाजार, आदि के विकास सहित ऊर्जा संसाधनों के इष्टतम उपयोग के संदर्भ में क्षेत्रीय ग्रिड इंटरकनेक्शन के लाभों की पहचान कर ली गई है।

ड.) अन्य उभरते अवसरः

i) ग्रिड पैमाने पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियाँ

भारतीय विद्युत प्रणाली में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बड़ी क्षमता वृद्धि दिख रही है, जिसके 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा करने की योजना के साथ गति पकड़ने की उम्मीद है। विद्युत क्षेत्रक में यह गति मजबूत ग्रिडों और ग्रिड में लचीलेपन के अन्य स्रोतों पर भारी प्रीमियम आरोपित करती है। इस प्रकार सें, ग्रिड में इस नवीकरणीय ऊर्जा का सुचारू एकीकरण करने और विद्युत ग्रिड को स्थिर करने के लिए ऊर्जा भंडारण संयंत्रों की आवश्यकता बढ़ेगी।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के भाग के रूप में और चौबीसों घंटे (आरटीसी) विद्युत की आवश्यकता पूरी करने के लिए पारेषण अवयवों के भाग के रूप में बनाई जाएगी। राष्ट्रीय विद्युत योजना (संस्क 1) के अनुसार, वर्ष 2026–27 में कुल भंडारण आवश्यकता 16.13 गीगावॉट/82.37 गीगावॉट घंटा होने की संभावना है जिसमें 7.45 गीगावॉट/47.76 गीगावॉट घंटा पीएसपी–आधारित भंडारण और 8.68 गीगावॉट/34.72 गीगावॉट घंटा बीईएसएस आधारित भंडारण शामिल है। यह भंडारण क्षमता आवश्यकता 2031–32 में बढ़कर 73.93 गीगावॉट/411.4 गीगावॉट घंटा हो जाएगी, जिसमें 26.69 गीगावॉट/175.18 गीगावॉट घंटा पीएसपी और 47.24 गीगावॉट/236.22 गीगावॉट घंटा बीईएसएस शामिल है।

पारेषण अवयव के रूप में भंडारण उपयोगिता–पैमाने पर ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित कर किफायत का उपयोग कर सकता है और ग्रिड स्थिरता की मांगों को पूरा कर सकता है।

ii) पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना

इस योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से संवहनीय और परिचालन की दृष्टि से कुशल वितरण क्षेत्रक के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और वहनीयता में सुधार लाना है। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021–22 से लेकर वित्त वर्ष 2025–26 तक पांच वर्षों की अवधि में ₹3,03,758 करोड़ परिव्यय रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत टीओटीईएक्स मोड में लगभग 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं और कार्यान्वयन के लिए सीपीएसई को लगभग 4 करोड़ मीटर दिए गए हैं। यह योजना आगे पूंजी निवेश/विभिन्न प्रतिमानों के माध्यम से राज्य जनोपयोगी सेवाओं के साथ सहभागिता के अवसरो का सृजन करेगी जैसे संभावित राज्यों को परामर्श सेवाएँ/सहायता।

iii) अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए पारेशण प्रणाली

भारत सरकार ने मुख्य रूप से गुजरात (खंभात की खाड़ी) और तमिलनाडु (मन्नार की खाड़ी) के तट पर 2030 तक 37 गीगावॉट संस्थापित अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में, आपकी कंपनी अपतटीय पवन ऊर्जा निकासी प्रणाली के विकास में शामिल विभिन्न गतिविधियों के लिए तैयारी कर रही है जिसमें जलमग्न निर्यात विद्युत केबल बिछाना, ट्रांजिशन ज्वाइंट के माध्यम से तटवर्ती सबस्टेशन से कनेक्शन और मुख्य ग्रिड से एकीकरण शामिल है।

iv) हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और अवसंरचना

भारत सरकार देश में हाइड्रोजन (एच$_2$) अर्थव्यवस्था अवसंरचना के प्रारंभिक विकास की दिशा में सक्रिय रूप से निकट जा रही है। हरित हाइड्रोजन (H_2), जिसे नवीकरणीय ऊर्जा की मदद से जलअपघटन से बनाया जाता है, अगली पीढ़ी का ईंधन है। अनुमान लगाया गया है कि हरित हाइड्रोजन का प्रमुख बंदरगाहों के निकट उत्पादन होगा और अंतिम उपयोग वाले उद्योग उर्वरक, तेलशोधनशालाएं, इस्पात संयंत्र आदि होंगे। एमएनआरई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा संभावित क्षेत्रों और हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के निर्माण के लिए संभावित स्थलों की अवस्थिति की पहचान करने की प्रक्रिया में है। 2023–24 के बजट भाषण में, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ₹19,700 करोड़ के परिव्यय की घोषणा की गई है, जिससे अर्थव्यवस्था का कम कार्बन गहनता की ओर संक्रमण सुगम होगा, जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता कम होगी।

2030 तक हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के चलते अतिरिक्त विद्युत की मांग पूरी करने के लिए अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता होगी। हरित हाइड्रोजन उत्पादन की प्रारंभिक परियोजनाओं के लिए, नियोजित पारेषण प्रणाली पर्याप्त होगी। हालाँकि, हरित हाइड्रोजन उत्पादन की प्रगति और अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा संभावित क्षेत्रों की दृष्टिगोचरता के साथ, पारेषण प्रणाली की आगे की योजना बनाई जाएगी और कार्यान्वयन के लिए ग्रहण किया जाएगा। सीईए की इष्टतम उत्पादन मिश्रण रिपोर्ट, अप्रैल 2023 के अनुसार, 1 करोड़ टन (ग्रिड पर केवल 0.5 करोड़ टन लोड को ध्यान में रखते हुए) हरित हाइड्रोजन उत्पादन के कारण वित्त वर्ष 2029–30 तक देश के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता लगभग 250 अरब यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है।

4. कंपनी का दृष्टिकोण

i) पारेशण

आपकी कंपनी दुनिया की एक सबसे बड़ी पारेषण कंपनी है और यह अंतर–राज्य और अंतः–राज्य पारेषण दोनों क्षेत्रकों में काम करती है। पावरग्रिड ईएचवी एसी और एचवीडीसी सबस्टेशनों के साथ–साथ देश भर में फैली अतिरिक्त हाई वोल्टेज (ईएचवी) पारेषण लाइनों का स्वामित्व रखती है और उनका परिचालन करती है।

निदेशक की रिपोर्ट में विद्युत पारेषण संजाल (अपनी सहायक कंपनियों के साथ) के साथ–साथ अन्य खंडों यानी दूरसंचार और परामर्श पर भी चर्चा की गई है।

अंतर–राज्य खंड में विशाल पैमाने पर अवसरों को देखते हुए, आपकी कंपनी भारतीय पारेषण क्षेत्रक में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखने के प्रति आत्मविश्वास से ओतप्रोत बनी हुई है। हाल ही में आयोजित 14वीं एनसीटी में ₹75,248 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष में बोली के लिए रखा जाएगा। इससे इस क्षेत्रक में बड़ी संभावनाएं पैदा हुई हैं। इसके अलावा, विनियमित प्रशुल्क तंत्र के अंतर्गत, हमें सीमा पार इंटरकनेक्श्नों सहित रणनीतिक और महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने का अवसर भी दिख रहा है।

वर्ष 2030 तक, अंतर–राज्य खंड क्षमताओं में विशाल पैमाने पर परिवर्धन से अंतिम–छोर की कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए अंतः–राज्य पारेषण प्रणाली जोड़ने की भी आवश्यकता होगी। हमने हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में अंतः–राज्य पारेषण प्रणाली का कार्यान्वयन किया है और हम अंतः–एसटीएस में प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत सक्रिय रूप से विभिन्न अवसरों की खोज में हैं। आपकी कंपनी प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से परामर्श, संयुक्त उद्यम और परियोजना विकास के माध्यम से अंतर–राज्य पारेषण प्रणाली के विकास के लिए राज्यों के साथ सहभागिता करने के लिए आतुर है।

ii) दूरसंचार

किसी देश के आर्थिक विकास के लिए दूरसंचार एक आवश्यक सक्षमकारी प्रवर्तक है। वहनीयता में वृद्धि, डेटा की बढ़ती मांग और 'डिजिटल इंडिया' जैसी सरकारी पहल जैसे कारक भारत में दूरसंचार क्षेत्र के विकास में योगदायी होंगे। 5जी सेवाओं के विकास और अनुप्रयोग से दूरसंचार क्षेत्रक में अवसरों में और भी वृद्धि होगी।

आपकी कंपनी की अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) पावर पारेषण लाइनों पर ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) का उपयोग कर अपने अखिल भारतीय ओवरहेड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का लाभ उठाते हुए दूरसंचार क्षेत्र में भी बड़ी उपस्थिति है। कंपनी ~99.99 प्रतिशत की मेरुदंड उपलब्धता बनाए रखती है, और इसलिए, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अन्य ग्राहकों के लिए एक पसंदीदा भागीदार है। इस खंड में ध्यान बढ़ाने के लिए, पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली कए सहायक कंपनी का निगमन किया गया है। हाल ही में सीईआरसी की स्वीकृति मिलने के बाद, आपकी कंपनी द्वारा पावरग्रिड टेली सर्विसेज लिमिटेड (पीटीएसएल) के साथ व्यवसाय अंतरण अनुबंध निष्पादित किया गया है और व्यवसाय को सौंपने की प्रक्रिया जारी है।

पीटीएसएल विभिन्न देशों यथा, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल आदि की सेवा करने के लिए आईएलडी व्यवसाय में अवसर की तलाश कर रही है। इसके अलावा, राष्ट्रीय पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन केंद्र (एनटीएएमसी) के लिए एक विशेष समर्पित दूरसंचार नेटवर्क पर काम चल रहा है। कंपनी डेटा सेंटर की स्थापना की दिशा में अपने उद्यम में अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। डेटा सेंटर की स्थापना के लिए हाल ही में सीईआरसी द्वारा मानेसर सब–स्टेशन पर भूमि और भवन के उपयोग की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा, कंपनी हाइपर–स्केल और एज डेटा सेंटर स्थापित करने और कुछ स्थानों पर इसकी स्थापना के लिए प्रारंभिक गतिविधियों को अंजाम देने की संभावना तलाश रही है।

एफएम संचारण के लिए अपने पारेषण टावर उपलब्ध कराने की कंपनी की पहल प्रगति पर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमओआईएंडबी) द्वारा सफल सिग्नल परीक्षण किया गया है। एमओआईएंडबी के साथ उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए सभी टावर स्थानों के जीपीएस निर्देशांकों को साझा किया गया है।

मोबाइल संचार के लिए फाइबर कनेक्टिविटी और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के साथ–साथ मोबाइल बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) और रेडियो पारेषण प्रणालियां, एंटीना इत्यादि लगाने के लिए पावर पारेषण टावरों के उपयोग के लिए विकसित किए गए समाधान से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शासी परिषद को भी अवगत कराया गया है। दूरसंचार विभाग ने सभी यूनिफाइड लाइसेंसधारियों/वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों/यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज (यूएएस) लाइसेंसधारियों को मोबाइल संचार के लिए पावरग्रिड की पारेषण लाइन टावरों का उपयोग करने के लिए सूचित किया है।

iii) परामर्श

घरेलू

विद्युत क्षेत्र में विशाल अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, हम विद्युत पारेषण प्रणाली की योजना बनाने और डिजाइन, सबस्टेशन की डिजाइन और निर्माण, पारेषण लाइन की इंजीनियरिंग, अनुबंध लेने, परियोजना प्रबंधन सेवाओं, एससीएडीए के विकास, ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट ग्रिड अवसंरचना, पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन केंद्र आदि के क्षेत्र में विभिन्न जनोपयोगी सेवाओं, सीपीएसई और निजी एजेंसियों को परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, आपकी कंपनी पूर्वोत्तर क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख की केंद्र प्रायोजित योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

पावरग्रिड अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और विद्युत क्षेत्रक की लगातार बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार नए समाधानों का नवप्रवर्तन और विकास कर रहा है। अनुभवी व्यावसायिकों के एक बड़े समूह और कार्यक्षेत्र संबंधी ज्ञान के साथ, पावरग्रिड वितरण प्रणाली और उप–पारेषण प्रणाली को मजबूत करने के लिए पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को अमल मे ंलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आरडीएसएस कार्यों का कार्यान्वयन करने के लिए कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीडीसीएल), जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेपीडीसीएल) और लद्दाख पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (एलपीडीडी) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। स्मार्ट मीटरिंग (आरडीएसएस का हिस्सा) के लिए मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (एमजीवीसीएल) और उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (यूजीवीसीएल) के साथ एक गैर–बाध्यकारी और गैर–विशिष्ट समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। लगभग 65–70 लाख मीटर लगाए जाने की उम्मीद है जिसके लिए कंपनी ने खरीद संबंधी गतिविधियां पूरी कर ली हैं और अब उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। आपकी कंपनी आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग अवसंरचना संबंधी विकास कार्यों का कार्यान्वयन करने के लिए संभावित राज्यों की जनोपयोगी सेवाओं के साथ लगातार सहभागी है।

आपकी कंपनी ने उद्योग के लिए बूम आधार पर परियोजनाओं का विकास शुरू कर दिया है। आपकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जामनगर तेल शोधनशाला) के लिए बूम आधार पर एक समर्पित पारेषण लाइन को अमलीजामा पहना रही है और कुछ अन्य इकाइयों ने इसी आधार पर पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में रुचि दिखाई है।

कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर देश के जोर के साथ, कई कंपनियां कार्बन उत्सर्जन मे कमी लाने का प्रयास कर रही हैं। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, इन कंपनियों द्वारा अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रो ंकी स्थापना की जा रही है, जबकि अन्य कंपनियां अपनी शोधनशालाओं और संयंत्रों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति तक पहुंच बनाने के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ने का विकल्प तलाश रही हैं। दोनों परिदृश्यों में, ग्रिड से विद्युत की निकासी के लिए पर्याप्त पारेषण अवसंरचना की स्थापना महत्वपूर्ण हो जाती है। पारेषण अवसंरचना के विकास के परिणामस्वरूप उत्पन्न अवसरों को पहचानते हुए, आपकी कंपनी ने उपर्युक्त उद्योगों में कार्यरतम कई कंपनियों से संपर्क किया है। कई कंपनियों ने समर्पित पारेषण अवसंरचना के विकास में आपकी कंपनी के साथ संबद्ध हो़ने की इच्छा व्यक्त की है।

अंतरराष्ट्रीय

वैश्विक विस्तार विद्युत पारेषण क्षेत्र में विश्व का नेता बनने की कंपनी की रणनीति का एक प्रमुख घटक है। साधारण सफर से शुरू कर,

हमने एशिया, अफ्रीका, सीआईएस, एशिया प्रशांत, मध्य पूर्व और यूरोप के 23 देशों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है और लगातार अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व और सीआईएस देशों में नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं। हमारे ग्राहकों में सरकारी ऊर्जा आपूर्तिकर्ता, विश्व बैंक, एडीबी, आईएफसी जैसे बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और सरकारें शामिल हैं। कंपनी अवधारणा से लेकर पारेषण प्रणाली चालू करने, व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर तैयार करने, परियोजना प्रबंधन और निर्माण पर्यवेक्षण, खरीद सहायता, परिसंपत्ति प्रबंधन और क्षमता निर्माण तक परामर्श सेवाएं प्रदान कर अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को अन्य देशों के साथ साझा करने के लिए प्रयासरत है।

कंपनी ने केन्या में निवेश शुरू करने के लिए 2021 में अफ्रीका 50 के साथ एक संयुक्त विकास परियोजना पर हस्ताक्षर किया और नवंबर 2022 में पावरग्रिड द्वारा अफ्रीका 50 के साथ संयुक्त रूप से एक निजी निवेश प्रस्ताव (पीआईपी) पेश किया गया। केन्या की पीपीपी समिति ने पीआईपी की जांच के बाद प्रायोजकों से "विकास चरण" की ओर आगे बढ़ने की अनुशंसा की है। इस बीच, तंजानिया में पारेषण प्रणाली शुरू करने के लिए अफ्रीका 50 के साथ एक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया, जिसमें तंजानिया विद्युत आपूर्ति कंपनी भी शामिल होगी। इसके अलावा, हम मौजूदा पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और नई सीमा पार पारेषण कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ भी सक्रिय रूप से जी2जी चर्चा में लगे हुए हैं। इसके अलावा, हम भारत और म्यांमार के बीच अतिरिक्त सीमा पार इंटरकनेक्शन के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समझौते को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया में हैं, जिसमें म्यांमार के भीतर 500 मेगावाट एचवीडीसी बीटीबी और 230 केवी पारेषण लाइन की स्थापना भी शामिल है।

5. पारेषण प्रणाली के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण में आने वाली प्रमुख बाधाएँ / चुनौतियाँ / खतरे और उनका शमनः

भारत सरकार एवं पावरग्रिड द्वारा की गई कई नीतिगत पहलों के पश्चात भी, वन/वन्यजीव क्षेत्र के लिए समय पर अनुमोदन प्राप्त करना तथा आगामी उपकेंद्रों के लिए भूमि सुरक्षित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण बाहरी कारकों/एजेंसियों की भागीदारी है। वनों, कृषि भूमि, शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ–साथ अन्य अवसंरचना के माध्यम से पथ अधिकार (आरओडब्ल्यू) का संरक्षण, बिजली हस्तांतरण की आवश्यकता के अनुरूप लाइनों की स्थानांतरण क्षमता का उन्नयन, सबस्टेशनों के लिए भूमि सुरक्षित करना देश में पारेषण के नेटवर्क विकसित करने के मार्ग में चिंता के प्रमुख क्षेत्र हैं।

निर्माण में आने वाली चुनौतियाँ	शमन के लिए किए गए उपाय
1 उपकेंद्रों/पारेषण लाइनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता।	गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) उपकेंद्र और हाइब्रिड उपकेंद्र जैसी नई प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने जहां तक संभव हो, सामाजिक दूरी को कम करने के लिए 'इच्छुक क्रेता, इच्छुक विक्रेता' के आधार पर आपसी सहमति के माध्यम से अपने उपकेंद्र के लिए भूमि सुरक्षित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से भूस्वामियों और सामान्य रूप से समुदाय के साथ दीर्घकालिक लाभकारी संबंध को प्रभावित करना और सुनिश्चित करना। लागू अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके अनैच्छिक अधिग्रहण के बजाय स्वेच्छा से भूमि सुरक्षित करने के परिणामस्वरूप उपकेंद्रों के लिए भूमि का सुचारू और प्रतिरोध मुक्त अधिग्रहण हुआ है। आपकी कंपनी ने 400 kV D/C पारेषण लाइनों के लिए सस्पेंशन गाइड टावर के लिए डिजाइन विकसित किया है। यह गाइड टावर जमीन पर कम स्थान घेरता है और पारंपरिक जाली टावरों की तुलना में इसका वजन कम होता है और इसका उपयोग पहाड़ी इलाकों में किया जा सकता है। गंभीर आरओडब्ल्यू बाधाओं वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिए एक तरफ सभी चरणों के साथ स्टील मोनोपोल भी विकसित किया गया। उपरोक्त के अलावा, जाली टावर पर केबल समाप्ति की योजनाएं भी विकसित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 400 वाट वोल्टेज स्तर तक पारेषण लाइनों के लिए इंसुलेटेड क्रॉसआर्म के लिए स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भी तैयार करने का कार्य किया गया है। इंसुलेटेड क्रॉसआर्म के परिणामस्वरूप पथ अधिकार की आवश्यकता और टॉवर के वजन में लगभग 10–15% कमी आएगी।
2 वन/वन्यजीव स्वीकृतियों की चुनौतियाँ	पावरग्रिड अपने लंबित वन/वन्यजीव मामलों के समाधान के साथ–साथ MoEFCC के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शीघ्र अनुमोदन के लिए MoEFCC के प्रत्येक क्षेत्रीय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों (IRO) द्वारा आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक (FRCM) का उपयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त, MoEFCC और पीएम गतिशक्ति पोर्टल के निर्णय सहायक प्रणाली (DSS) सॉफ्टवेयर तक पहुंच ने वन/वन्यजीव प्रस्ताव की योजना और निर्माण के प्रारंभिक चरण के दौरान वन, संरक्षित क्षेत्रों और अन्य पंक्ति बाधाओं के मुकाबले पारेषण लाइन मार्ग के अनुकूलन की सुविधा प्रदान की है। .

निर्माण में आने वाली चुनौतियाँ	शमन के लिए किए गए उपाय
3 नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता में वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारेषण प्रणाली का समय पर विस्तार	पारेषण परियोजनाओं की कम समयावधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वैकल्पिक खरीद और परियोजना निष्पादन रणनीतियों को लागू किया गया है।

II. कंपनी नवीनतम अत्याधुनिक अनुरक्षण विधियों के उपयोग के माध्यम से अपनी पारेषण प्रणाली की उपलब्धता और विश्वसनीयता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अनुरक्षण गतिविधियों की योजना पहले से ही बनाई जाती है और तकनीकी व्यवहार्यता के अनुसार लाइव लाइन या शटडाउन अनुरक्षण के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति के लिए एक 'वार्षिक अनुरक्षण योजना' तैयार की जाती है, जिससे विशेष रूप से लाइनों की ट्रिपिंग कम हो जाती है। सॉफ्टवेयर टूल, ट्रांसफार्मर ऑनलाइन कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम (TOCMS), NTAMC और RTAMC में चालू है। पावरग्रिड ने बढ़िया परिचालन प्रदर्शन के लिए नवीनतम उपलब्ध तकनीकी उपकरणों और तकनीकों में निवेश किया है और इस दिशा में आपकी कंपनी द्वारा निम्नलिखित नवीनतम तकनीकों को अपनाया गया है:

संचालन और अनुरक्षण में आने वाली चुनौतियाँ	शमन के लिए किए गए
परिचालन एवं अनुरक्षण दक्षता बढ़ाना	◆ **संस्थानिक एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस)/एमएल (मशीन लर्निंग) आधारित दोष पहचान उपकरण पीजी अमृत (पारेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पावरग्रिड परिसंपत्ति प्रबंधन)** विकसित किया गया है जिसे पारेषण लाइन निगरानी प्लेटफॉर्म पीजी–दर्पण (नेटवर्क की नियमित निगरानी और आकलन के लिए पावरग्रिड डिजिटल एप्लिकेशन) के साथ एकीकृत किया गया है। पीजी एएमआरआईटी एआई/एमएल एल्गोरिदम का उपयोग करके टॉवर के चित्रों से स्वचालित रूप से दोषों की पहचान करता है। इससे लाइनों के अनुरक्षण करने वाले श्रमिकों के प्रयासों इष्टतम करने में सहायता मिली है और दोष पहचान से दोष सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। ◆ **500 kV, 1500 MW HVDC रिहंद–दादरी बाई–पोल टर्मिनल और 500 MW विंध्याचल HVDC बैक टू बैक सब–स्टेशन** एनटीएएमसी (नेशनल ट्रांसमिशन एसेट मैनेजमेंट सेंटर) मानेसर से दूरस्थ रूप से संचालित होने लगे। यह भारत में पहली बार है कि HVDC सब–स्टेशन को रिमोट कंट्रोल सेंटर से संचालित किया जा रहा है। यह नवाचार दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए एक आशाजनक भविष्य प्रस्तुत करता है। ◆ **परिसंपत्ति प्रबंधन डैशबोर्ड (उड़ान)** विभिन्न प्रारूपों में संग्रहीत डेटा को एकीकृत करके सभी प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) तक एकल विंडो पहुंच सुनिश्चित करता है। ◆ **सर्किट ब्रेकरों के लिए संस्थानिक, परिसंपत्ति स्वास्थ्य सूचीकरण सॉफ्टवेयर** विकसित किया गया। यह स्वचालित रूप से एक केंद्रीकृत डेटाबेस से सर्किट ब्रेकर डेटा प्राप्त करता है और उसका मूल्यांकन करता है और पावरग्रिड की अपनी व्याख्या तकनीक का उपयोग करके ट्रिपिंग की सीमा के आधार पर उपकरण को स्वास्थ्य सूचकांक प्रदान करता है। इससे पारेषण परिसंपत्ति के विश्वसनीयता केंद्रित अनुरक्षण में सहायता मिलेगी। ◆ **हॉटलाइन अनुरक्षण एवं आपातकालीन पुनर्स्थापना प्रणाली (ईआरएस):** बिजली कटौती से बचने के लिए महत्वपूर्ण तत्वों के अनुरक्षण को लाइव स्थिति में करने के लिए हॉट लाइन अनुरक्षण तकनीक कार्यान्वित की गई। पावरग्रिड विफलताओं के मामले में पारेषण लाइनों की त्वरित बहाली के लिए ईआरएस का भी उपयोग कर रहा है। ◆ **पारेषण लाइन फाउंडेशन के लिए विशेष डिजाइन का विकास:** हिमस्खलन क्षेत्र में टावरों के लिए विशेष फाउंडेशन विकसित किया गया है, जिसमें हिमस्खलन के कारण लोडिंग के प्रभाव को पूरा करने के लिए कई स्तरों पर चारों ओर ऊंचे पेडस्टल और टाई बीम लगाए गए हैं। ◆ **आपातकालीन बहाली प्रणाली (ईआरएस) और इंसुलेटेड क्रॉसआर्म्स की आपूर्ति के लिए स्वदेशी आपूर्तिकर्ता को तैयार करना:** भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया पहल को ध्यान में रखते हुए, पारेषण लाइनों की आपातकालीन बहाली के लिए आपातकालीन बहाली प्रणाली (ईआरएस) हेतु स्वदेशी आपूर्तिकर्ता को तैयार करने का कार्य आरंभ किया गया है।

6. जोखिम प्रबंधन प्रारूप

आपकी कंपनी ने एक व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) प्रारूप स्थापित किया है जो इन उद्देश्यों के लिए किसी भी जोखिम या संभावित खतरे की पहचान, विश्लेषण, मूल्यांकन, शमन, निगरानी और प्रबंधन करके कंपनी के रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। व्यवसायों और कार्यों द्वारा पहचाने गए रणनीतिक, परिचालन, वित्तीय, मानव संसाधन, अनुपालन और साइबर सुरक्षा जोखिमों को विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) के माध्यम से व्यवस्थित रूप से निगरानी और नियंत्रित किया जाता है।

आपकी कंपनी के पास एक समर्पित बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति है जिसमें केपीआई की समीक्षा करने के लिए सदस्यों के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक और तीन कार्यकारी निदेशक शामिल हैं, और व्यावसायिक दक्षता में सुधार के लिए निरंतर आधार पर कार्यों को कम करने के माध्यम से प्रमुख जोखिमों को संसाधित और संबोधित करते हैं। जोखिम प्रबंधन समिति नियमित रूप से अनुपालन–संबंधी जोखिमों की निगरानी भी करती है और सभी नियामक मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करती है। जोखिमों की व्यवस्थित और सक्रिय पहचान, और उनका शमन, आपकी कंपनी को प्रभावी और समय पर निर्णय लेने के साथ प्रदर्शन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है।

आपकी कंपनी ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी नामित किया है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, जोखिमों की निगरानी/समीक्षा के लिए जोखिम प्रबंधन समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

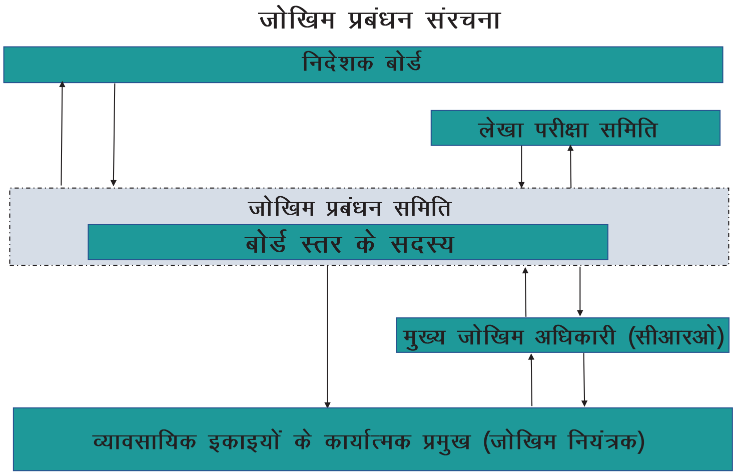

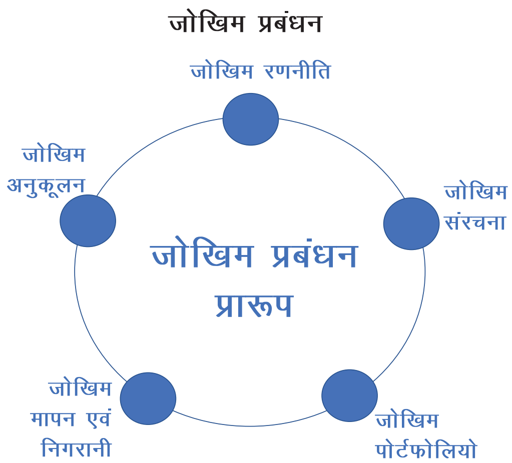

7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और समौचित्य

पावरग्रिड के पास लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, नियंत्रण की पर्याप्तता, सामग्री जांच, वित्तीय स्वामित्व पहलुओं और अनुपालन कार्यान्वयन तंत्र को सत्यापित करने के लिए एक व्यापक आंतरिक नियंत्रण तंत्र है। समान अनुपालन के लिए खातों की तैयारी के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों का लगातार पालन किया जाता है।

नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा की गई थी। अर्धवार्षिक आधार पर नियमित और संपूर्ण आंतरिक ऑडिट अनुभवी लागत/चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों द्वारा कंपनी के अपने आंतरिक ऑडिट विभाग के साथ निकट समन्वय में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी जांच और संतुलन सही हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण/प्रणालियां क्रम में हैं। कॉर्पोरेट आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता को आश्वस्त करने के लिए सिस्टम ऑडिट और प्रबंधन ऑडिट भी करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा का दायरा लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित आंतरिक लेखापरीक्षा योजना से लिया गया है। लेखापरीक्षा समिति नियमित अंतराल पर बैठक करती है। महत्वपूर्ण/महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों को समीक्षा, चर्चा और बाद की कार्रवाई के लिए ऑडिट समिति के समक्ष रखा जाता है।

8. एकीकृत प्रबंधन नीतिरू

पावरग्रिड इसके लिए प्रतिबद्ध है:

- समय, लागत, प्रौद्योगिकी और मूल्यवर्धन को ध्यान में रखते हुए एक कुशल और प्रभावी 'राष्ट्रीय ग्रिड' की स्थापना और अनुरक्षण।
- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और परिहार, न्यूनीकरण और शमन के सिद्धांतों पर पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से संवहनीय विकास।
- अपनी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में हितधारकों की संतुष्टि के लिए सुरक्षित, व्यावसायिक जोखिम मुक्त और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करना और कानूनी और नियामक प्रावधानों के अनुरूप अपनी प्रबंधन प्रणालियों और प्रथाओं में लगातार सुधार करने का प्रयास करना।

9. वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

कुल आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन :
परिचालनों से आय	43,343.05	39,933.39	8.54
अन्य आय	2,625.02	2,402.48	9.26
कुल आय	**45,968.07**	**42,335.87**	**8.58**

वित्त वर्ष 2022–23 में कुल आय ₹45,968.07 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2021–22 में ₹42,335.87 करोड़ की कुल आय से 8.58% अधिक है। वित्त वर्ष 2022–23 में, पारेषण और पारेषण संबंधी गतिविधियाँ में हमारी कुल आय का 91.60% हिस्सा था, शेष परामर्श, दूरसंचार व्यवसाय और अन्य स्रोत से हुई आय थीं।

आपकी कंपनी के संचालन के परिणामों को प्रभावित करने वाले कारक

टैरिफ मानदंड

पारेषण प्रणाली के पारेषण शुल्क या बिजली के अंतर–राज्यीय पारेषण के लिए प्रयुक्त एवं विनियमित टैरिफ मोड के अंतर्गत कार्यान्वित तत्व, केंद्र सरकार की टैरिफ नीति एवं विनियमन के अनुसार सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ नियमों से शासित होते हैं। पारेषण लाइसेंसधारकों को टैरिफ के निर्धारण के लिए, टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार आवेदन करना होगा। टैरिफ शुल्क का निर्धारण, पारेषण प्रणाली पर होने वाली पूंजीगत व्यय या प्रचलित टैरिफ ब्लॉक के दौरान होने वाले अनुमानित व्यय, जो भी लागू हो, के आधार पर होगा।

ब्लॉक 2019–24 के लिए लागू टैरिफ विनियमों के अंतर्गत, आपकी कंपनी को वार्षिक निश्चित लागत ('एएफसी'), जिसमें इक्विटी पर आय, बकाया ऋण पर ब्याज, मूल्यह्रास, परिचालन एवं अनुरक्षण एवं कार्यशील पूंजी पर ब्याज जैसे घटक सम्मिलित हैं, की वसूली के लिए ट्रांसमिशन शुल्क वसूलने की अनुमति दी गई है।

इक्विटी पर आय (आरओई) की गणना पूर्व–कर आधार पर की जाती है। इसके लिए, संबंधित वित्तीय वर्ष में लागू होने वाली कर दर पर, इक्विटी पर 15.5: की रिटर्न की आधार दर से किया जाता है। बकाया ऋण पर ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के लिए ऋण के पुनर्भुगतान को अनुमत मूल्यह्रास के बराबर मानकर की जाती है। पारेषण प्रणाली को बनाए रखने के लिए संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) खर्चों की वसूली पारेषण लाइन, उपकेंद्र और HVDC प्रणाली आदि के लिए निर्दिष्ट मानदंडों पर आधारित है। कार्यशील पूंजी पर ब्याज के लिए, ब्याज दर को मानक आधार के अनुसार निर्धारित किया जाता है और इसे उस टैरिफ वर्ष के 1 अप्रैल को एसबीआई प्लस 350 बीपीएस के एक साल के MCLR से जोड़ा जाता है।

टीबीसीबी मार्ग के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ निर्धारित किया जाता है।, इसमें सफल बोलीकर्ता वह होता है, जो 35 वर्षों की अवधि के लिए सबसे कम स्तर के समानीकृत टैरिफ की बोली लगाई हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त, शुल्क बंटवारा विनियम, 2020 के अनुसार पारेषण शुल्क के समय पर भुगतान के लिए छूट एवं विलंबित भुगतान के लिए ऊर्जा मंत्रालय के नियमों के अनुसार विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) भी लागू होता है। इसके पश्चात, उर्जा मंत्रालय ने 22 फरवरी 2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से बिजली (विलंबित भुगतान अधिभार) नियम, 2021 को अधिसूचित किया। तत्पश्चात, 3 जून 2022 को ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली (विलंबित भुगतान अधिभार) को खत्म करते हुए बिजली (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 जारी किए, जिसने बिजली (विलंबित भुगतान अधिभार) नियम, 2021 का स्थान ले लिया। एलपीएस, 45 दिनों के बाद बकाया राशि पर, नियमों में निर्दिष्ट दरों पर देय होगा। ष्एलपीएस की आधार दरष वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को एसबीआई के एक साल के एमसीएलआर प्लस 500 बीपीएस से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त, बकाया भुगतान नहीं करने से संबंधित मामलों के लिए भी विनियम में नियम दिए गए हैं।

आरटीएम परियोजनाओं और टीबीसीबी परियोजनाओं के लिए अंतर–राज्यीय पारेषण शुल्क का बंटवारा सीईआरसी (अंतर राज्यीय पारेषण शुल्क और हानियों का साझाकरण) विनियमों द्वारा शासित होता है, जैसा कि राष्ट्रीय टैरिफ नीति और बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुरूप समय–समय पर अधिसूचित किया जाता है। वर्तमान में, सीईआरसी (अंतर राज्य पारेषण शुल्क और हानि बंटवारा) विनियम, 2020 प्रचलन में हैं।

शुल्क बंटवारा विनियम, 2020 के अनुसार, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) के पास देश के सभी आईएसटीएस लाइसेंसधारकों की ओर से पारेषण शुल्क की बिलिंग, संग्रह और संवितरण की जिम्मेदारी है। आपकी कंपनी दिनांक 01.12.2017 से सीटीयू नहीं रह गई। 1 अप्रैल 2021 और कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल) को सीटीयू के सभी कार्यों को करने और निर्वहन करने के लिए अधिसूचित किया गया है। आपकी कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत एक मानद पारेषण लाइसेंसधारी बनी रहेगी।

सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत कुछ व्यय एवं आय को भारतीय लेखा मानक 114 ''रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट्स'' के प्रावधानों के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाना चाहिए। इन्हें भविष्य में लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति/हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है। सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत टैरिफ के हिस्से के रूप में वसूली योग्य/देय सीमा तक ऐसे व्यय और आय को विनियामक स्थगन संपत्ति/देनदारियों के रूप में माना जाता है।

9.1 विभिन्न व्यवसायों से होने वाली आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
पारेषण व्यवसाय से राजस्व (अन्य परिचालन राजस्व सहित)	42,104.78	38,599.71	9.08
परामर्श – परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण	509.29	753.34	(32.40)
दूरसंचार व्यवसाय से राजस्व	728.98	580.34	25.61
कुल	**43,343.05**	**39,933.39**	**8.54**

आपकी कंपनी मुख्य रूप से विद्युत पारेषण के व्यवसाय में लगी हुई है। पारेषण व्यवसाय से राजस्व में 9.08: की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण नई पारेषण परिसंपत्तियों का चालू होना, अनंतिम और अंतिम टैरिफ के बीच अंतर पर ब्याज और एक बार मिलने वाले सीईआरसी ऑर्डर हैं।

आपकी कंपनी परामर्श (परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण सेवाओं सहित) और दूरसंचार व्यवसाय से भी राजस्व अर्जित करती है। परामर्श आय में मुख्य रूप से टर्नकी आधार पर ट्रांसमिशन और संचार प्रणाली से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए शुल्क और भारतीय राज्य उपयोगिताओं, संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों और अन्य देशों में उपयोगिताओं के लिए तकनीकी परामर्श कार्य शामिल हैं। परामर्श या कंसल्टेंसी व्यवसाय से राजस्व में 32.40: की कमी आई, जिसका मुख्य कारण एनईआरपीएसआईपी, व्यापक योजना सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में काम पूरा होने के कारण आय में कमी आना है। हमारे दूरसंचार व्यवसाय का राजस्व मुख्य रूप से हमारे फाइबर–ऑप्टिक लाइनों की बैंडविड्थ को पट्टे पर देने के कारण है। मुख्य रूप से नए अनुबंधों के कारण दूरसंचार व्यवसाय से राजस्व 25.61: बढ़ा।

9.2 अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
अन्य आय	2,625.02	2,402.48	9.26

अन्य आय में वृद्धि मुख्य रूप से सहायक कंपनियों को दिए गए ऋणों पर ब्याज में वृद्धि, पीजीआईएनवीआईटी से ब्याज, वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज में कमी, सहायक कंपनियों और जेवी कंपनियों और पीजीआईएनवीआईटी से लाभांश आय में वृद्धि के कारण हुई।

10. व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
व्यय	28,753.38	25,767.90	11.59

व्ययों को (i) कर्मचारी लाभ व्यय (ii) वित्त लागत (iii) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (iv) अन्य व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

10.1 कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
कर्मचारी लाभ व्यय	2,504.96	2,234.76	12.09

कर्मचारी लाभ व्यय में वेतन और पारिश्रमिक, प्रदर्शन संबंधी वेतन, भत्ते और लाभ, भविष्य और अन्य निधियों में योगदान और कर्मचारी कल्याण व्यय शामिल हैं। यह वृद्धि वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते में वृद्धि, मकान किराया भत्ता और नई परिसंपत्तियों के परिचालन आरंभ होने के कारण है।

10.2 वित्त लागत

(₹ in crore)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
वित्त लागत	9,744.25	8,210.94	18.67

पिछले वर्ष की तुलना में, वित्त लागत में 18.67: की वृद्धि मुख्य रूप से नई पारेषण प्रणालियों के पूंजीकरण पर ब्याज, सहायक कंपनियों को ऋण पर ब्याज, विनिमय दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप एफईआरवी में वृद्धि के कारण हुई, जो कि ऋणों के पुनर्भुगतान के कारण आंशिक रूप से संतुलित है।

10.3 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	12,939.88	12,550.58	3.10

पिछले वर्ष की तुलना में, मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में 3.10: की वृद्धि मुख्य रूप से नई पारेषण परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के कारण थी।

10.4 अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
कर्मचा	3,564.29	2,771.62	28.60

पिछले वर्ष की तुलना में, अन्य व्यय में 28.60: की वृद्धि मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा दर भिन्नता, सीएसआर व्यय, यात्रा व्यय, सुरक्षा व्यय, पथ अधिकार शुल्क (दूरसंचार) और वाहन के किराया शुल्क आदि में वृद्धि के कारण है।

बिजली (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 के अनुसार, कुछ वितरण लाइसेंसधारियों ने केंद्रीय पारेषण संस्थान के अपने बकाए के पुनर्निर्धारण का विकल्प चुना है। लागू भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी के बकाया हिस्से को व्यापार प्राप्य (गैर–चालू/वर्तमान) के अंतर्गत उनके उचित मूल्य पर प्रस्तुत किया गया है। परिणामस्वरूप, **₹**153.83 करोड़ की उचित मूल्य अंतर राशि को अन्य व्यय के रूप में चार्ज किया गया है।

इस वर्ष के दौरान, नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड में निवेश और ऋण की हानि के लिए **₹**52.14 करोड़ की हानि भत्ता प्रदान किया गया है।

11. असाधारण वस्तुओं, कर और विनियामक स्थगन खाता शेष से पूर्व लाभ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
अन्य व्यय	17,214.69	16,567.97	3.90%

11.1 कर व्यय

कर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
वर्तमान कर	2913.67	3,282.06	(11.22)
आस्थगित कर	(775.57)	(571.00)	35.83

आयकर प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध उच्च मूल्यह्रास शुल्क के कारण समय के अंतर के संबंध में आस्थगित कर का प्रावधान किया गया है। प्रबंधन की राय में, यह संभव है कि MAT क्रेडिट को मान्यता देने से भविष्य में आयकर देनदारी के विरुद्ध समायोजन की उपलब्धता के रूप में कंपनी को भविष्य में आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। भविष्य के कर योग्य मुनाफे को (क) 31 मार्च, 2017 तक शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–आईए के तहत कर अवकाश के तहत समायोजित किया जाएगा (ख) भविष्य में चालू होने वाली संपत्तियों पर प्रारंभिक मूल्यह्रास और (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के अंतर्गत नियमित आयकर मूल्यह्रास और उसके बाद कर राशि को MAT क्रेडिट के विरुद्ध **₹**1,985.18 करोड़ (पिछले वर्ष **₹**3,288.36 करोड़) की सीमा तक समायोजित किया जाएगा। इसलिए, इसे वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है।

11.2 विनियामक स्थगन खाता शेष–आय/(व्यय) में निवल संचलन (कर का निवल)

पिछले वर्ष के **₹**(522.66) करोड़ की तुलना में, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए विनियामक स्थगन खाता शेष–आय/(व्यय) में निवल संचलन (कर का निवल) **₹**256.43 करोड़ रहा। इसका मुख्य कारण विदेशी विनिमय दर भिन्नता (एफईआरवी) में वृद्धि है।

12. कर पश्चात लाभ (PAT)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
कर पश्चात लाभ (PAT)	15,333.02	17,093.76	11.16*

’ पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (पीजीइनविट) के माध्यम से 5 सहायक कंपनियों की संपत्ति के मुद्रीकरण के कारण ₹3300.67 करोड़ (कर का निवल) की असाधारण वस्तुओं को छोड़कर।

आपकी कंपनी ने मुख्य रूप से नई पारेषण परिसंपत्तियों के परिचालन चालू होने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में PAT में 11.16: (असाधारण वस्तुओं को छोड़कर) की वृद्धि दर्ज की।

13. निवल संपत्ति पर आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
निवल संपत्ति पर आय	18.51	18.11*	0.40

*पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (पीजीइनविट) के माध्यम से 5 सहायक कंपनियों की संपत्ति के मुद्रीकरण के कारण ₹3300.67 करोड़ (कर का निवल) की असाधारण वस्तुओं को छोड़कर।

14. एकीकृत

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
देनदारों का टर्नओवर	3.85	4.46
आविष्करण आवर्त	32.22	29.14
अभिरुचि आच्छादान अनुपात	3.93	4.61
वर्तमान अनुपात ’	0.90	0.62
ऋण इक्विटी अनुपात	60:40	63:37
परिचालन लाभ मार्जिन	92%	93%
निवल लाभ मार्जिन	35%	43%

*दीर्घकालिक उधार और अल्पकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता में कमी के कारण वर्तमान अनुपात में 45% की वृद्धि हुई। भिन्नता के कारणों के लिए नोट 64 (स) ‘कंपनी अधिनियम, 2013–अनुपात की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक जानकारी’ देखें> 25%।

15. अन्य व्यापक आय (कर का निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	(106.70)	290.93

यह भिन्नता मुख्य रूप से पीजीआईएनवीआईटी और पीटीसी इंडिया लिमिटेड की इकाइयों में निवेश के मूल्यांकन में कमी के कारण है।

16. क्रेडिट रेटिंग

आपकी कंपनी की वित्तीय साख घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग में दृढ़ता से परिलक्षित होती है। विवरण के लिए, **कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट देखें**।

17. तरलता और पूंजी संसाधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
नकदी और नकदी समतुल्य	4,146.24	2,457.47	68.72

कंपनी कार्यशील पूंजी प्रदान करने और पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरलता के आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों पर निर्भर करती है। पिछले वर्ष की तुलना में नकदी और नकदी समतुल्यों में वृद्धि, मुख्य रूप से चालू खाते के शेष और सावधि जमा (3 महीने से कम परिपक्वता के साथ) (उपार्जित ब्याज सहित) में वृद्धि के कारण है।

18. एकीकृत

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष 31 मार्च को समाप्त वर्ष	
	2023	2022
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समतुल्या	2,457.47	4,430.05
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी	35,268.25	24,640.20
निवेश करने की गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(में प्रयुक्त)	(4,315.83)	2,188.54
वित्तपोषण गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी	(29,263.65)	(28,801.32)
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्यी	4,146.24	2,457.47

18.1 परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी

परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह का मुख्य रूप से दीर्घकालिक ऋण चुकाने, निवेश और लाभांश के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है।

18.2 निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त की गई शुद्ध नकदी को मुख्य रूप से ₹3,064.54 करोड़ के संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और प्रगति पर चल रहे पूँजीगत कार्य (पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम सहित) पर व्यय, ₹3,089.78 करोड़ के (पुनर्भुगतान सहित) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को ऋण और अग्रिम, ₹358.83 करोड़ के सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश और ₹1,200.14 करोड़ के सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों, पीजीआईएनवीआईटी को जमाराशियों, बंधपत्रों और ऋण पर ब्याज की प्राप्ति, ₹192.79 करोड़ के प्राप्त अधिभार और ₹671.71 करोड़ के प्राप्त लाभांश में दर्शाया गया है।

18.3 वित्तपोषण गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹9,140.44 करोड़ का नया दीर्घकालिक ऋण उठाया। इन ऋणों में मुख्य रूप से रुपया बंधपत्र/ऋण शामिल थे। कंपनी ने ₹15,540.65 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण का पुनर्भुगतान किया और ₹9,709.69 करोड़ के ब्याज और वित्तीय लागत का भुगतान किया। वित्त वर्ष 2022–23 में, कंपनी ने ₹8,544.93 करोड़ का लाभांश भुगतान किया, जिसमें वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ₹1,569.48 करोड़ का अंतिम लाभांश और वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ₹6,975.45 करोड़ का अंतरिम लाभांश शामिल था।

19. पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
पूँजीगत व्यय (नकदी आधार)	8,850	9,426	(6.11)

आपकी कंपनी के पूँजीगत व्यय का मुख्य रूप से नई पारेषण क्षमता की स्थापना और मौजूदा क्षमता के विस्तार के लिए उपयोग किया जाता है। वित्त वर्ष 2022–23 और वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान हमारे पूँजीगत व्यय में टीबीसीबी कंपनियों के लिए क्रमशः ₹3,867 करोड़ और ₹4,501 करोड़ का पूँजीगत व्यय शामिल है।

20. गैर–चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	2,14,066.78	2,17,793.25	(1.71)

गैर–चालू परिसंपत्तियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणय (ii) पूँजीगत कार्य प्रगति परय (iii) अमूर्त परिसंपत्तियाँय (iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँय (v) निवेश (vi) व्यापार प्राप्य (vii) ऋण (viii) अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँय और (ix) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ।

20.1 सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

(₹ in crore)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (शुद्ध ब्लॉक)	1,70,801.36	1,78,175.63	(4.14)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (शुद्ध ब्लॉक) में 4.14ः की कमी आई है। इसमें मुख्य रूप से भूमि, भवन, पारेषण लाइनें, उपकेंद्र, एचवीडीसी, यूएलडीसी उपकरण, फर्नीचर फिक्स्चर, उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्तियाँ आदि शामिल हैं।

20.2 प्रगति पर पूँजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
प्रगति पर पूँजीगत कार्य	7,668.13	7,344.46	4.41

वित्त वर्ष 2022–23 में प्रगति पर पूँजीगत कार्य में 4.41% की वृद्धि हुई। पूरी हो गई परियोजना का पूँजीकरण लंबित रखते हुए परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर वहन की गई सामग्रियों की लागत, निर्माण शुल्कों और अन्य खर्चों को बैलेंस शीट पर प्रगति पर पूँजीगत कार्य के रूप में दिखाया गया है। इस राशि में कई पारेषण परियोजनाओं के पूँजीकरण और नई पारेषण परियोजनाओं के शुरू होने के कारण बदलाव आया है।

20.3 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	1,476.19	1,556.13	(5.14)

अमूर्त परिसंपत्तियों में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मार्ग अधिकार–वनरोपण व्यय, दूरसंचार लाइसेंस और 1200 केवी पारेषण प्रणाली का विकास शामिल है।

20.4 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	31.08	31.53	(1.43)

निर्माण अवधि के दौरान मार्ग अधिकार–वनरोपण व्यय को विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है। यह परिवर्तन वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पारेषण परियोजनाओं पर व्यय के पूँजीकरण और नई पारेषण परियोजनाएँ शुरू करने के कारण है।

20.5 निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
निवेश (उद्धृत)	1,774.46	1,926.43	(7.89)
निवेश (अनुद्धृत)	5,640.49	5,302.10	6.38
कुल	**7,414.95**	**7,228.53**	**2.58**

'उद्धृत' श्रेणी के अंतर्गत निवेश उचित मूल्य पर संगणित पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड में किया गया निवेश और पावरग्रिड आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट (पीजीइनविट) की इकाइयों में किया गया निवेश है। 'अनुद्धृत ' श्रेणी के अंतर्गत निवेश में लागत पर सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी निवेश शामिल है। 31 मार्च 2023 तक सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में बड़ा निवेश इस प्रकार था:

क्र.सं.	सहायकध्संयुक्त उद्यम का नाम	31ध्03ध्2023 तक की स्थिति के अनुसार निवेश की गई राशि (₹ करोड़ में)
	सहायक कंपनियाँ	
1	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	490.95
2	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रासंमिशन सिस्टम लिमिटेड	198.25
3	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	647.00
4	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	233.20
5	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	115.00
6	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	432.50
7	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	141.00
8	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	709.00
9.	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	187.56
10.	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	232.00

क्र.सं.	सहायकध्संयुक्त उद्यम का नाम	31ध्03ध्2023 तक की स्थिति के अनुसार निवेश की गई राशि (₹ करोड़ में)
11.	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	142.10
12.	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	195.13
13.	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	111.95
14.	पावरग्रिड बीकानेर पारेषण सिस्टम लिमिटेड	100.00
	संयुक्त उद्यम	
15.	पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	229.32
16.	तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	120.12
17.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	106.96
18.	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	334.13
19.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	463.61

20.6 व्यापार प्राप्य (गैर–चालू परिसंपत्तियाँ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
व्यापार प्राप्य	695.57	-
कुल	**695.57**	**-**

विद्युत मंत्रालय द्वारा 03 जून 2022 को अधिसूचित किया गया विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 प्रावधान करता है कि वितरण लाइसेंसधारियों के वरणाधिकार पर, उक्त अधिसूचना की तिथि तक विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएससी) सहित बकाया देय राशियों को उक्त नियमों में निर्धारित रीति से अधिकतम 48 महीने की अवधि तक पुनर्निर्धारित किया जाएगा और उन देय राशियों पर कोई एलपीएससी प्रभारित नहीं किया जाएगा। उपरोक्त के अनुसार, कुछ वितरण लाइसेंसधारियों ने सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी के साथ अपनी देय राशियाँ पुनर्निर्धारित करने का विकल्प चुना है। लागू भारतीय लेखांकन मानकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देय राशियों का कंपनी का हिस्सा व्यापार प्राप्य (गैर–चालू/चालू) के अंतर्गत उनके उचित मूल्य पर प्रस्तुत किया गया है।

20.7 ऋण (गैर चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
संबंधित पक्षों को ऋण	16,450.85	13,880.84	18.51
कर्मचारियों को ऋण	446.44	388.94	14.78
कुल	16,897.29	14,269.78	18.41

पिछले वर्ष की तुलना में ऋण में वृद्धि मुख्य रूप से प्रशुल्कस आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) मार्ग के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिग्रहित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सहायक कंपनियों को दिए गए असुरक्षित ऋणों में वृद्धि के कारण हुई थी।

20.8 अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4,170.04	4,144.46	0.62

अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से भारत सरकार से वसूली योग्य पूर्णतः सेवित बंधपत्र और पट्टा प्राप्य शामिल हैं। कंपनी ने पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अर्जित देनदारियों की पूर्ती करने के लिए परिसंपत्तियाँ भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के पत्र सं. 7/1/2018–ओएम दिनांकित 21 जनवरी, 2019 के संदर्भ में भारत सरकार की विद्युत प्रणाली विकास योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) जुटाने के लिए वित्त वर्ष 2018–19 दौरान भारत सरकार को ₹3,487.50 करोड़ की राशि का पूरी तरह से सेवित बंधपत्र जारी किए हैं। इस तरह के बंधपत्रों पर मूलधन का पुनर्भुगतान और ब्याज का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

20.9 अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	4,912.17	4,797.73	2.39

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्तियाँ, कर्मचारियों और अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं या मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम शामिल हैं।

21. चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
चालू परिसंपत्तियाँ	21,943.02	20,111.35	9.11

वर्तमान परिसंपत्तियाँयों को (i) इन्वेंटरीय (ii) व्यापार प्राप्य (iii) नकद और नकद समकक्षय नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा बैंक शेष (v) ऋण (vi) अन्य मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियां (vii) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां और (viii) बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां।

21.1 मालसूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
मालसूची	1,323.55	1,352.60	(2.15)

मालसूची भारित औसत आधार और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर निर्धारित लागत से कम पर मूल्यांपक किया गया है। मालसूची में कलपुर्जे, स्पेयर और अन्य स्पेयर पार्ट्स, अलग–अलग उपकरण, उपभोग्य भंडार और अन्य मदें शामिल हैं।

21.2 व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
मालसूची	12,381.52	8,836.81	40.11

व्यापार प्राप्य में मुख्य रूप से पारेषण सेवाओं, परामर्श सेवाओं और दूरसंचार सेवाओं से संबंधित प्राप्य शामिल हैं। व्यापार प्राप्य् में वृद्धि मुख्य रूप से पिछली तिमाहियों के बकाया बिलों के कारण है, जिनको अप्रैल, 2023 के महीने में घोषित किया गया था। कंपनी के लिए उपलब्ध विभिन्न भुगतान सुरक्षा क्रियातंत्रों के कारण, कंपनी का कोई महत्वपूर्ण बाधित प्राप्य नहीं है।

21.3 नकदी एवं नकदी समतुल्ये

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
नकदी एवं नकदी समतुल्य	4,146.24	2,457.47	68.72

पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 में नकदी और नकद समतुल्या में 68.72% की वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से सावधि जमाओं (3 महीने से कम परिपक्वता वाली) (उपार्जित ब्याज सहित) और चालू खातों में शेष राशि में वृद्धि के कारण थी।

21.4 नकदी और नकदी समतुल्यओ के अलावा अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
नकदी और नकदी समतुल्ये के अलावा अन्य बैंक शेष	588.20	513.57	14.53

पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष में 14.53% की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से कंसल्टेंसी ग्राहकों और अन्य के लिए बैंक में सावधि जमाओं (3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने तक की परिपक्वता वाली) में वृद्धि के कारण थी। .

21.5 ऋण (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
ऋण	455.10	328.27	38.64

पिछले वर्ष से वित्त वर्ष 2022–23 तक ऋण में वृद्धि मुख्य रूप से सहायक कंपनियों को चालू ऋण की परिपक्वता में वृद्धि के कारण थी।

21.6 अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2,571.32	6,395.78	(59.80)

पिछले वर्ष की तुलना में, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में 59.80 प्रतिशत की कमी आई, जो मुख्य रूप से अनुबंध परिसंपत्तियों में कमी के कारण था।

21.7 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	216.23	210.99	2.48

पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 में अन्य चालू परिसंपत्तियों में 2.48ः की वृद्धि हुई है।

21.8 बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत की गई परिसंपत्तियाँ

4 सहयोगी कंपनियों की ₹260.86 करोड़ की राशि की 26% की शेष हिस्सेदारी पारेषण सेवा अनुबंध (टीएसए) के अनुरूप हस्तांतरित की जाएगी और इसे "बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत की गई परिसंपत्तियों" के रूप में दर्शाया गया था।

22. ऋणग्रस्तता

कंपनी रुपया और विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग वाली दोनों उधारी पर निर्भर है। हमारा बाह्य वित्तपोषण का एक बड़ा हिस्सा विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋण के माध्यम से रहा है, जिसकी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है। हमारा बकाया ऋण और इसकी परिपक्वता रूपरेखा (मुद्रा परिवर्तन 31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार है) मुद्रा अनुसार निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

Loan Name	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 Onwards	Total
1. घरेलू बंधपत्र	5,700.38	8,192.55	7,117.30	10,630.58	29,081.68	60,722.49
2. घरेलू ऋण	2,754.00	3,504.00	3,754.00	4,259.35	13,669.10	27,940.45
3. विदेशी ऋण						
अमेरिकी डॉलर+	2,683.69	2,577.32	2,444.60	2,220.52	19,987.21	29,913.34
यूरो	652.41	649.37	646.98	642.81	2,298.98	4,890.55
एसईके	201.75	201.75	201.75	201.75	197.07	1,004.07
जेपीवाई	11.38	11.38	11.38	286.96	1,102.90	1,424.00
उप योग (3)	3,549.23	3,439.82	3,304.71	3,352.04	23,586.16	37,231.96
कुल (1+2+3)	**12,003.61**	**15,136.37**	**14,176.01**	**18,241.97**	**66,336.94**	**1,25,894.90**

22.1 दीर्घकालिक उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
दीर्घकालिक उधारियाँ	1,13,891.29	1,14,199.40	(0.27)

लंबी अवधि की उधारियों में बंधपत्रों बांके निजी स्थापन, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण से जुटाई गई राशि शामिल है। बीते वर्ष के दौरान ऋणों की अदायगी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में हमारी उधारी में 0.27% की कमी आई है।

22.2 सुरक्षित ऋण

31 मार्च, 2023 और 2022 तक सुरक्षित ऋण (दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता को छोड़कर) क्रमशः ₹75,338.05 करोड़ और ₹82,429.61 करोड था। इनमें से अधिकांश ऋण को कंपनी की चल और अचल संपत्तियों पर चल भार द्वारा प्रतिभूत किया गया हैं। निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च, 2023 तक सुरक्षित ऋण दर्शाया गया है:

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल असुरक्षित ऋण का प्रतिशत
रुपये के मूल्यवर्ग में बंधपत्र	40,270.15	53.45
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण और अन्य ऋण		
विदेशी मुद्रा के मूल्यवर्ग में	28,700.89	38.10
रुपये के मूल्यवर्ग में	6,367.01	8.45
कुल	**75,338.05**	**100**

22.3 असुरक्षित ऋण

31 मार्च, 2023 और 2022 तक असुरक्षित ऋण (चालू परिपक्वता को छोड़कर) क्रमशः ₹38,553.24 करोड़ और ₹31,769.79 करोड़ थो, जिसमें घरेलू बंधपत्र, विदेशी वित्तीय संस्थानों/बैंकों जैसे कि फ्रांस में नेटिक्सिस (पूर्व में क्रेडिट नेशनल), जापान में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (पूर्व में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन), स्वीडन में स्कैंडिनेविस्का एनस्किल्डा बैंकेन एबी (पब्लिक) और एबी स्वेन्स्क एक्सपोर्ट क्रेडिट, स्वीडन से ऋण शामिल हैं।

निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च, 2023 तक हमारो असुरक्षित ऋण दर्शाया गया है:

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल असुरक्षित ऋण का प्रतिशत
रुपये के मूल्यवर्ग में बंधपत्र	14,751.96	38.26
सावधि ऋण (घरेलू बैंकों से और विदेशी मुद्रा में ऋण)		
विदेशी मुद्रा के मूल्यवर्ग में	4,981.84	12.92
रुपये के मूल्यवर्ग में	18,819.44	48.82
कुल	**38,553.24**	**100**

23. मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी)

मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) प्रशुल्क का एक घटक था जिसे ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए परिसंपत्तियों पर वर्ष में मूल्यह्रास के संबंध में कमी की पूर्ति करने के लिए ब्लॉक 2004–09 के लिए सीईआरसी नियमों के अंतर्गत प्रभारिर्त करने की अनुमति दी गई थी। प्रशुल्क ब्लॉक 2009–2014 के भीतरें एएडी को समाप्त कर दिया गया था और मूल्यह्रास दर पर भिन्नता लाने के लिए फिर से काम किया गया था। 1 अप्रैल, 2009 से लागू होने के साथ इन प्रशुल्क मानदंडों और मूल्यह्रास दरों में बदलाव के कारण, जिस सीमा तक पारेषण प्रणाली के संबंध मे प्रभारित परेषण प्रणाली मूल्यह्रास प्रशुल्क के अंतर्गत मूल्यह्रास की वसूली से अधिक है, बकाया एएडी को वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से 12 वर्षों के बाद पारेषण आय में लिया गया है। 31 मार्च, 2023 तक, एएडी वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान ₹858.29 करोड़ से 17.66 प्रतिशत कम होकर वित्त वर्ष 2022–23 में ₹706.73 करोड़ रहे गया था।

24. चालू देनदारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
चालू देनदारियाँ	24,373.66	32,279.37	(24.49)

चालू देनदारियों में शामिल हैं (i) उधारियाँ; (ii) व्यापार देय; (iii) अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ; (iv) अन्य चालू देनदारियाँ; (v) प्रावधान; (vi) चालू कर देनदारियाँ; (शुद्ध) और (vii) पट्टा देनदारियाँ।

24.1 उधारियाँ (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
उधारियाँ	12,703.61	20,465.87	(37.93)

दीर्घकालिक उधारियों की चालू परिपक्वता में कमी और बैंकों से अल्पावधि उधारियों में कमी के चलते उधारियों में कमी आई थी।

24.2 व्यापार देनदारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
व्यापार देनदारियाँ	325.02	266.14	22.12

31 मार्च 2023 को व्यापार देय 31 मार्च 2022 की तुलना में 22.12 प्रतिशत अधिक था।

24.3 अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ	7,392.53	7,408.90	(0.22)

अन्य चालू वित्तीय देनदारियों में मुख्य रूप से उपार्जित लेकिन उधारियों पर देय नही ब्याज, पूँजीगत व्यय के लिए देय राशियाँ, ठेकेदारों और अन्य से जमा/प्रतिधारण धन आदि शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 को अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ 31 मार्च, 2022 की तुलना में 0.22 प्रतिशत कम थीं।

24.4 अन्य चालू देनदारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
अन्य चालू देनदारियाँ	3,132.40	3,203.41	(2.22)

31 मार्च 2023 को अन्य चालू देनदारियाँ 31 मार्च 2022 की तुलना में 2.22 प्रतिशत कम थीं, जो मुख्य रूप से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों के कारण थीं।

24.5 प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	परिवर्तन %
कर्मचारी लाभ और अन्य के लिए प्रावधान	781.41	932.31	(16.19)

पिछले वर्ष की तुलना में, कर्मचारी लाभ और अन्य के लिए प्रावधानों में 16.19 प्रतिशत की कमी आई।

25. वित्त वर्ष 2022–23 के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों और सहायक कंपनियों की व्यावसायिक और वित्तीय समीक्षा

25.1 संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनियाँ:

(i) पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावरलिंक्स):

पावरग्रिड और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इस संयुक्त उद्यम कंपनी में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और क्रमशः 49 प्रतिशत और 51 प्रतिशत इक्विटीधारी हैं। पावरलिंक्स को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश तक ताला एचईपी, पूर्वोत्तर इंटरकनेक्टर और उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली परेषण प्रणाली से जुड़ी पारेषण परेषण लाइनों के कार्यान्वयन के लिए निगमन किया गया था और यह विद्युत पारेषण में पहली सार्वजनिक–निजी भागीदारी थी। पावरलिंक्स ने प्रगतिशील रूप से अगस्त, 2006 तक इस परियोजना को चालू कर दिया। पावरग्रिड को इस संयुक्त उद्यम से वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लाभांश के रूप में ₹43.57 करोड़ मिला था।

31 मार्च 2023 तक, पावरलिंक्स की चुकता पूँजी ₹468.00 करोड़ थी और इसकी चुकता पूँजी में पावरग्रिड की हिस्सेदारी ₹229.32 करोड़ थी।

इस संयुक्त उद्यम की मुख्य वित्तीय झलकियाँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	229.32	229.32
सकल आय	138.83	144.15
कर बाद लाभ	81.08	91.39
प्रति शेयर अर्जन (₹)	1.73	1.95

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10/– है।

(ii) टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड (टीपीएल)

इस संयुक्त उद्यम कंपनी में पावरग्रिड और टोरेंट पावर लिमिटेड संयुक्त उद्यम भागीदार हैं।

क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत इक्विटीधारी हैं। इस कंपनी को गुजरात के सूरत जिले के अखाखोल में टोरेंट पावर लिमिटेड की 1100 मेगावाट गैस आधारित परियोजना (सुगेन) के उत्पादन स्टेशन से जड़ी पारेषण प्रणाली परेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए निगमन किया गया था। 31 मार्च 2023 तक, टीपीएल की चुकता पूँजी ₹90 करोड़ पूँजी थी। चुकता पूँजी में पावरग्रिड की हिस्सेदारी ₹23.40 करोड़ है। यह परियोजना प्रगतिशील रूप से मार्च, 2011 में चालू कर दी गई। पावरग्रिड को इस संयुक्त उद्यम से वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लाभांश के रूप में ₹4.45 करोड़ मिला था।

इस संयुक्त उद्यम की मुख्य वित्तीय झलकियाँः

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	23.40	23.40
सकल आय	40.39	40.84
कर बाद लाभ	21.24	18.46
प्रति शेयर अर्जन' (₹)	2.36	2.05

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10/– है।

(iii) नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनईटीसी):

पावरग्रिड ने त्रिपुरा राज्य में 726.6 मेगावाट पलाटना गैस आधारित विद्युत परियोजना से जुड़ी 400 केवी डी/सी पलाटना परेषण लाइनसिलचर–बोंगाईगांव पारेषण परियोजना की परेषण लाइन की स्थापना के लिए ओएनजीसी त्रिपुरा पावर प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (ओटीपीसी), त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेघालय और नागालैंड सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम अनुबंध निष्पादित किया। 31 मार्च 2023 तक, एनईटीसी की चुकता शेयर पूँजी ₹411.40 करोड़ पूँजी थी। चुकता पूँजी में पावरग्रिड की हिस्सेदारी ₹106.96 करोड़ है। यह परियोजना प्रगतिशील रूप से फरवरी, 2015 में चालू कर दी गई। एनईटीसी ने पावरग्रिड को वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ₹18.18 करोड़ लाभांश का भुगतान किया है।

इस संयुक्त उद्यम की मुख्य वित्तीय झलकियाँः

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
पावरग्रिड का इक्विटी में निवेश	106.96	106.96
सकल आय	304.98	347.82
कर के बाद लाभ	88.63	93.14
प्रति शेयर अर्जन' (₹)	2.15	2.26

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10/– है।

(iv) पारबती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीकेटीसीएल)

इस संयुक्त उद्यम कंपनी में पावरग्रिड और इंडिया ग्रिड ट्रस्ट (आईजीटी) संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत इक्विटीधारी है। पीकेटीसीएल का पारबती–II (800 मेगावाट) एचईपी और कोल्डम (800 मेगावाट) एचईपी से जुड़ी पारेषण लाइनों के कार्यान्वयन के लिए निगमन किया गया था। 31 मार्च 2023 तक, पीकेटीसीएल की चुकता पूँजी ₹272.84 करोड थी। चुकता पूँजी में पावरग्रिड की हिस्सेदारी ₹70.94 करोड़ है। यह परियोजना प्रगतिशीलरूप से नवंबर, 2015 में चालू कर दी गई थी। इस संयुक्त उद्यम से वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पावरग्रिड को ₹7.09 करोड़ का लाभांश मिला है।

इस संयुक्त उद्यम की मुख्य वित्तीय झलकियाँः

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
पावरग्रिड का इक्विटी में निवेश	70.94	70.94
सकल आय	142.87	114.36
कर के बाद लाभ	43.19	13.46
प्रति शेयर अर्जन' (₹)	1.59	0.49

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10/– है।

(v) तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (टीपीटीएल)

इस संयुक्त उद्यम कंपनी में पावरग्रिड और तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और उनकी क्रमशः 30.92 प्रतिशत और 69.08 प्रतिशत इक्विटी है। टीपीटीएल का 1,200 मेगावाट तीस्ता–III हजलविद्युत परियोजना से किशनगंज सब–स्टेशन तक संबद्ध परेषण लाइनों के कार्यान्वयन के लिए निगमन किया गया था।

31 मार्च 2023 तक, टीपीटीएल की चुकता पूँजी ₹388.45 करोड़ थी। चुकता पूँजी में पावरग्रिड की हिस्सेदारी ₹120.12 करोड़ थी। यह परियोजना प्रगतिशील रूप से फरवरी, 2019 में चालू कर दी गई थी।

इस संयुक्त उद्यम की मुख्य वित्तीय झलकियाँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	120.12	120.12
सकल आय	254.11	241.99
कर बाद लाभ	51.67	17.18
प्रति शेयर अर्जन* (₹)	1.33	0.44

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10/– है।

(vi) नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल):

एनएचपीटीएल एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावरग्रिड, डीवीसी और सीपीआरआई की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसमें प्रत्येक की 20–20 प्रतिशत की समान इक्विटी भागीदारी है। एनएचपीटीएल का मुख्य उद्देश्य देश में ऑनलाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुविधा की स्थापना करना है। यह सुविधा देश में पहली बार बीना (म.प्र.) में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विद्युत उपकरणों के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण की पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्थापित की जा रही है।

31 मार्च 2023 तक, एनएचपीटीएल की चुकता शेयर पूँजी ₹152 करोड़ पूँजी थी। चुकता पूँजी में पावरग्रिड की हिस्सेदारी ₹30.40 करोड़ थी।

चरण–I के अंतर्गत प्रयोगशाला को हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एचवीटीआर) अनुभाग को 1 जुलाई 2017 से वाणिज्यिक परिचालन के अंतर्गत रख दिया गया। एचवीटीआर प्रयोगशाला 132 केवी से शुरू कर 765 केवी तक वोल्टेज श्रेणी वाले सभी संभावित रेटिंगों के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट (एससी) परीक्षण कर सकता है। मीडियम वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एमवीटीआर) अनुभाग बट्टा खाते में है। इस परियोजना का अभी तक कोई परिचालनकारी लाभ नहीं है। एनएचपीटीएल की खाताबहियों में ₹94.55 करोड़ की संपत्ति की हानि का प्रावधान किया गया है।

(vii) बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल):

पावरग्रिड ने 50–50 इक्विटी भागीदारी के आधार पर बिहार राज्य में अंतः–राज्यीय परेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड {बीएसपी(एच)सीएल} के साथ 29 दिसंबर 2012 को एक शेयरधारक अनुबंध निष्पादित ा किया था।

31 मार्च 2023 तक, बीजीसीएल की चुकता शेयर पूँजी ₹668.25 करोड़ पूँजी थी। चुकता पूँजी में पावरग्रिड की हिस्सेदारी ₹334.13 करोड़ थी।

यह कंपनी बिहार में चरण–IV, भाग–I के अंतर्गत ₹2,024 करोड़ की परेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजनाओं का कार्यान्वयनू कर रही है। भाग–I परियोजनाओं के प्रमुख घटक वाणिज्यिक परिचालनाधीन हैं। इसके अलावा, चरण–IV, भाग–II का ₹1,688 करोड़ को कार्य और ₹111 करोड़ को पूरक कार्य कार्यान्वयन के अंतिम चरण में हैं।

इस संयुक्त उद्यम की मुख्य वित्तीय झलकियाँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	334.13	322.54
सकल आय	252.30	518.54
कर बाद लाभ	(88.17)	143.96
प्रति शेयर अर्जन' (₹)	(1.28)	2.37

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10/– है।

(viii) आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल)

पावरग्रिड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने परेषण लाइन टावर विनिर्माण व्यवसाय में उभरते अवसर का फायदा उठाने के उद्देश्य से विशाखापत्तनम में परेषण लाइन टॉवर (टीएलटी) विनिर्माण संयंत्र लगाने के लिए 50–50 इक्विटी भागीदारी के आधार पर एक संयुक्त उद्यम कंपनी, आरपीटीपीएल का गठन किया था। 31 मार्च, 2023 तक, इस संयुक्त उद्यम की चुकता शेयर पूँजी ₹8.00 करोड़ थी। हालाँकि, टावर विनिर्माण के व्यावसायिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने कंपनी को बंद करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

(ix) क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (सीपीटीसीएल:

पावरग्रिड ने 9 जुलाई 2012 को आईएलएंडएफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (आईईडीसीएल), एसजेवीएन लिमिटेड (एसजेवीएन) और नेपाल की नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (एनईए) के साथ शेयरधारक अनुबंध किया था और भारतीय हिस्से अर्थात् 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर–ढलकेबार भारत–नेपाल क्रॉस बॉर्डर परेषण लाइन का मुजफ्फरपुर–सुरसंड खंड (भारतीय हिस्सा) के कार्यान्वयन के लिए भारत में एक संयुक्त उद्यम कंपनी यानी क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का निगमन किया था।

उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी में पावरग्रिड, एसजेवीएन, आईईडीसीएल और एनईए की शेयरधारिता क्रमशः 26 प्रतिशत, 26 प्रतिशत, 38 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है। 31 मार्च 2023 तक, सीपीटीसीएल की चुकता पूँजी ₹48.50 करोड़ थी। वर्तमान में, पावरग्रिड की इक्विटी ₹12.62 करोड़ है।

पावरग्रिड को इस संयुक्त उद्यम से वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ₹3.15 करोड़ का लाभांश मिला।

(x) पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड (पीटीसीएन):

पावरग्रिड ने 5 अप्रैल 2014 को नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (एनईए), नेपाल की हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) और आईएलएंडएफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (आईईडीसीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम सह शेयर खरीद अनुबंध किया था और इ ढलकेबार – भिट्टामोड 400 केवी परेषण लाइन (400 केवी डी/सी ढलकेबार – –मुजफ्फरपुर भारत–नेपाल सीमा पारपरेषण लाइन के नेपाली हिस्से) के कार्यान्वयन के लिए नेपाल में संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड (पीटीसीएन) का निगमन किया था। ढलकेबार–मुजफ्फरपुर भारत–नेपाल सीमा पार परेषण लाइन का भारत और नेपाल के बीच विद्युत पारेषण के लिए उपयोग किया जा रहा है।

उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी में एनईए, पावरग्रिड, एचआईडीसीएल और आईईडीसीएल की शेयरधारित क्रमशः 50 प्रतिशत, 26 प्रतिशत, 14 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है।

31 मार्च, 2023 तक, पीटीसीएन. की अधिकृत, जारी की गई और चुकता शेयर पूँजी 45 करोड़ नेपाली रूपये थी। वर्तमान में, पावरग्रिड की इक्विटी 11.70 करोड़ नेपाली रूपये है, जिसमें 100–100/– नेपाली रूपये के 1,30,000 बोनस शेयर शामिल हैं। यह लाइन 19 फरवरी, 2016 से वाणिज्यिक परिचालन के अधीन है।. पावरग्रिड को इस संयुक्त उद्यम से वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ₹1.32 करोड़ का लाभांश मिला है।

(xi) एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (ईईएसएल):

पावरग्रिड ने एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम अनुबंध निष्पादित किया था। इस सयुंक्त उद्यम कंपनी अर्थात् ईईएसएल को ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के उपायों को बढ़ावा देना है और भारत और विश्व स्तर पर सरकारी भवनों, परामर्श कार्यों आदि की ऊर्जा लेक्षा परीक्षा से संबंधित व्यवसाय कर रही है।

31 मार्च 2023 तक, ईईएसएल की चुकता शेयर पूँजी ₹1,390.82 करोड़ थी। चुकता पूँजी में पावरग्रिड की हिस्सेदारी ₹463.61 करोड़ (33.33 प्रतिशत) थी।

इस संयुक्त उद्यम की मुख्य वित्तीय झलकियाँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	463.61	463.61
सकल आय	2,448.79	2,268.66
कर बाद लाभ	(331.74)	(184.16)
प्रति शेयर अर्जन* (₹)	(2.37)	(1.50)

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10/– है।re is ₹ 10/- each.

(xii) बुटवल – गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीजीसीबीटीएल)

पावरग्रिड ने 400 केवी न्यू बुटवल (नेपाल)–गोरखपुर (भारत) सीमा पार पारेषण लाइन के भारतीय हिस्से के कार्यान्वयन के लिए नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (एनईए) के साथ संयुक्त उद्यम अनुबंध किया था।

संयुक्त उद्यम कंपनी में एनईए और पावरग्रिड दोनों की शेयरधारिता 50–50 प्रतिशत है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का भारत में 31 अगस्त 2022 को निगमन किया गया था।

31 मार्च 2023 तक, बीजीसीबीटीएल चुकता पूँजी ₹0.05 करोड़ थी। चुकता पूँजी में पावरग्रिड की हिस्सेदारी ₹0.025 करोड़ थी।

25.2 सहायक कंपनियाँ:

(i) पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)

पावरग्रिड द्वारा बनाओ, स्वामित्व रखो, चलाओ और रखरखाव करो (बीओओएम) आधार पर नागापट्टनम/कुड्डलोर क्षेत्र (पैकेज ए) के आईपीपी से संबद्ध परेषण प्रणाली की स्थापना के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत 29 मार्च 2012 को पीएनएमटीएल का अधिग्रहण किया गया था। 765केवी डी/सी और 765केवी एस/सी युक्त यह पारेषण प्रणाली तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों को पार करती है। पीएनएमटीएल को सीईआरसी द्वारा जून, 2013 में पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। जनवरी 2019 तक सभी परियोजना अवयवों को प्रगतिशील रूप से चालू कर दिया गया था।

31 मार्च 2023 तक, पीएनएमटीएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूँजी क्रमशः ₹496.25 करोड़ और ₹490.95 करोड़ थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
सकल आय	365.09	119.02
कर बाद लाभ	222.39	7.50

(ii) पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीयूटीएल)

पावरग्रिड द्वारा बनाओ, स्वामित्व रखो, चलाओ और रखरखाव करो (बीओओएम) आधार पर ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन (''टीपीएस'') की संबद्ध पारेषण प्रणाली (''एटीएस'') के लिए परेषण प्रणाली की स्थापना के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत 24 मार्च 2014 को अधिग्रहण किया गया था।। इस पारेषण प्रणाली में शामिल ऊंचाहार–फतेहपुर 400केवी डबल सर्किट (डी/सी) लाइन (लगभग 106.74 सर्किट किलोमीटर) उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरती है। पीयूटीएल को 21 जुलाई 2014 को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था और 1 अक्टूबर 2016 को यह परियोजना चालू कर दी गई थी।

पीयूटीएल पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ("पीजीआईएनवीआईटी") का निवेश प्रबंधक भी है।

31 मार्च 2023 तक, पीयूटीएल की अधिकृत शेयर पूँजी और चुकता पूँजी क्रमशः ₹14 करोड़ और ₹12.96 करोड़ थी। पीयूटीएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पहले अंतरिम लाभांश ₹3.89 करोड़, दूसरे अंतरिम लाभांश ₹3.63 करोड़ और तीसरे अंतरिम लाभांश ₹3.76 करोड़ का भुगतान किया। पीयूटीएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए और ₹3.50 करोड़ के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
सकल आय	28.75	30.53
कर बाद लाभ	14.83	16.76

(iii) पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर परेशण प्रणाली लिमिटेड (पीएसआईटीएसएल)

पावरग्रिड द्वारा बनाओ, स्वामित्व रखो, चलाओ और रखरखाव करो (बीओओएम) आधार पर ''वेमागिरी से आगे परेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण'' परियोजना के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत 4 दिसंबर 2015 को अधिग्रहण किया था। इस पारेषण परियोजना में 765 केवी और 400 केवी डी/सी परेषण लाइन जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है और आंध्र प्रदेश राज्य मेंएक 765/400 केवी सबस्टेशन के साथ–साथ दो मौजूदा उप–स्टेशनों पर 400 केवी बे विस्तार की स्थापना शामिल है।

कंपनी को मार्च, 2016 में सीईआरसी द्वारा ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था। सभी परियोजना तत्वों को जनवरी 2020 तक उत्तरोत्तर चालू कर दिया गया था।

यह कंपनी विनियमित प्रशुल्क तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों का कार्यान्वय कर रही है:

I. 765 केवी चिलकलुरिपेटा सबस्टेशन पर 765 केवी स्पेयर (1–पीएच) रिएक्टर इकाई।

II. 765 केवी चिलकलुरिपेटा सबस्टेशन पर बस रिएक्टर के रूप में स्विचेबल लाइन रिएक्टर का उपयोग करने के लिए एनजीआर को बायपास करना।

31 मार्च 2023 तक, पीएसआईटीएसएल ₹731 करोड़ की अधिकृत शेयर पूँजी और ₹709 करोड़ की चकता शेयर पूँजी थी। पीएसआईटीएसएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पहले अंतरिम लाभांश ₹18.43 करोड़ और दूसरे अंतरिम लाभांश ₹29.06 करोड़ का भुगतान किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
सकल आय	481.06	492.59
कर के बाद लाभ	129.91	(37.51)

(iv) पावरग्रिड मेदिनीपुर – जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएमजेटीएल)

पीएमजेटीएल को 28 मार्च 2017 को पावरग्रिड द्वारा निर्माण, स्वामित्व, संचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) आधार पर ''पूर्वी क्षेत्र में 765 kV सुदृढ़ीकरण (ईआरएसएस–XVIII)'' से संबंधित पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहण किया गया था। पारेषण प्रणाली में 765kV और 400kV पारेषण लाइनों की स्थापना सम्मिलित है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों से होकर गुजरती हैं और इसमें पश्चिम बंगाल में दो नए 765/400kV उपकेंद्रों की स्थापना सम्मिलित है। कंपनी को जून, 2017 में सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। सभी परियोजना तत्वों को अगस्त, 2022 तक क्रमिक रूप से चालू कर दिया गया था।

31 मार्च 2023 तक, पीएमजेटीएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹682.00 करोड़ और ₹647.00 करोड़ थी। पीएमजेटीएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कुल ₹211.10 करोड़ का अंतरिम लाभांश भुगतान किया।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
सकल आय	589.62	448.61
कर पश्चात लाभ	223.55	191.62

(v) पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएमटीएल)

पीएमटीएल को 12 जनवरी 2018 को पावरग्रिड द्वारा निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं अनुरक्षण (बीओओएम) आधार पर ''पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– XXI (ईआरएसएस–XXI) के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित करने'' से संबंधित पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहण किया गया था। इस पारेषण प्रणाली में बिहार राज्य में 400 kV पारेषण लाइनों की स्थापना एवं बिहार में तीन नए 400/220/132 kV उपकेंद्रों की स्थापना सम्मिलित है। कंपनी को अप्रैल 2018 में सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। सभी परियोजना तत्वों को अक्टूबर 2021 तक उत्तरोत्तर चालू कर दिया गया था।

31 मार्च 2023 तक, पीएमटीएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹245.50 करोड़ और ₹233.20 करोड़ थी। पीएमटीएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कुल 49.44 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश भुगतान किया।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
सकल आय	177.51	143.92
कर पश्चात लाभ	41.11	38.09

(vi) पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीवीटीएसएल)

पीवीटीएसएल को पावरग्रिड द्वारा 27 मार्च 2018 को नए पश्चिमी क्षेत्र–उत्तरी क्षेत्र 765 kV अंतर क्षेत्रीय कॉरिडोर के लिए निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं अनुरक्षण (BOOM) आधार पर पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहण किया गया था। इस पारेषण प्रणाली में विंध्याचल पूलिंग स्टेशन से वाराणसी तक 765 kV डी/सी पारेषण लाइन की स्थापना सम्मिलित है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। कंपनी को अगस्त 2018 में सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। परियोजना अगस्त 2021 में चालू की गई थी।

31 मार्च 2023 तक, पीवीटीएसएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹198.90 करोड़ और ₹187.56 करोड़ थी। पीवीटीएसएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पहला अंतरिम लाभांश ₹7.44 करोड़, दूसरा अंतरिम लाभांश ₹8.44 करोड़, तीसरा अंतरिम लाभांश ₹6.56 करोड़ और चौथा अंतरिम लाभांश ₹6.00 करोड़ का भुगतान किया।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
सकल आय	122.13	79.69
कर पश्चात लाभ	29.16	20.16

(vii) पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीजेएफटीएल)

पीजेएफटीएल को 21 दिसंबर 2018 को पावरग्रिड द्वारा 2660 मेगावाट जवाहरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से बिजली की निकासी के लिए उत्तर प्रदेश में अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली स्थापित करने और संबंधित पारेषण लाइनों के साथ फिरोजाबाद में 400 kV सबस्टेशन के निर्माण के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व, संचालन और अनुरक्षण (BOOM) आधार पर अधिग्रहण किया गया था। कंपनी को 5 जुलाई 2019 को यूपीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। सभी परियोजना तत्वों को जुलाई 2021 तक उत्तरोत्तर चालू कर दिया गया था।

31 मार्च 2023 तक, पीजेएफटीएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹93.70 करोड़ और ₹89.60 करोड़ थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
सकल आय	59.16	51.90
कर पश्चात लाभ	18.97	17.12

(viii) पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीकेटीएसएल)

पीकेटीएसएल को पावरग्रिड द्वारा 29 अगस्त 2019 को राजस्थान एसईजेड (भाग–सी) से निर्माण, स्वामित्व, संचालन और अनुरक्षण (BOOM) आधार पर एलटीए एप्लिकेशन से संबंधित पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहण किया गया था। कंपनी को 19 दिसंबर 2019 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। परियोजना 4 अक्टूबर 2021 को चालू की गई थी।

31 मार्च 2023 तक, पीकेटीएसएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹209.00 करोड़ और ₹198.25 करोड़ थी। पीकेटीएसएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पहला अंतरिम लाभांश ₹3.97 करोड़, दूसरा अंतरिम लाभांश ₹3.97 करोड़, तीसरा अंतरिम लाभांश ₹15.86 करोड़ और चौथा अंतरिम लाभांश ₹5.95 करोड़ का भुगतान किया।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
सकल आय	130.84	52.67
कर पश्चात लाभ	26.84	5.96

(ix) पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीबीजीटीएल)

गुना के पास 400 kV उपकेंद्र के निर्माण से संबंधित अंतर–राज्यीय पारेषण कार्य और भिंड के पास 220 kVएस/एस के निर्माण से संबंधित अंतर–राज्यीय पारेषण कार्य हेतु पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत 11 सितंबर 2019 को पावरग्रिड द्वारा मध्य प्रदेश में निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं अनुरक्षण (BOOM) के आधार पर पीबीजीटीएल का अधिग्रहण किया गया था। कंपनी को जनवरी, 2021 में एमपीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना 7 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई थी।

31 मार्च 2023 तक, पीबीजीटीएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹120.42 करोड़ और ₹111.95 करोड़ थी। पीबीजीटीएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ₹2.10 करोड़ का पहला अंतरिम लाभांश और ₹2.35 करोड़ का दूसरा अंतरिम लाभांश भुगतान किया।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
सकल आय	32.77	0.01
कर पश्चात लाभ	9.18	(0.07)

(x) पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएपीटीएल)

पीएपीटीएल को 3 अक्टूबर 2019 को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अजमेर (पीजी)–फागी 765 kV डी/सी लाइन के निर्माण, स्वामित्व, संचालन और अनुरक्षण के आधार पर राजस्थान एसईजेड के लिए संबंधित पावर लाइन के साथ पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को 4 मार्च 2020 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। परियोजना 6 मई 2021 को चालू की गई थी।

31 मार्च 2023 तक, पीएपीटीएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹125 करोड़ और ₹115 करोड़ थी। पीएपीटीएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पहला अंतरिम लाभांश ₹3.45 करोड़, दूसरा अंतरिम लाभांश ₹3.80 करोड़ और तीसरा अंतरिम लाभांश ₹2.01 करोड़ का भुगतान किया।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
सकल आय	66.17	47.95
कर पश्चात लाभ	10.25	0.91

(xi) पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफटीएल)

फतेहगढ़, जिला जैसलमेर राजस्थान में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क हेतु पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत 14 अक्टूबर 2019 को पावरग्रिड द्वारा पीएफटीएल का निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं अनुरक्षण (BOOM) आधार पर अधिग्रहण किया गया था। । कंपनी को 4 मार्च 2020 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। परियोजना 1 सितंबर 2021 को चालू की गई थी।

31 मार्च 2023 तक, पीएफटीएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी ₹141.00 करोड़ थी। पीएफटीएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पहला अंतरिम लाभांश ₹4.23 करोड़, दूसरा अंतरिम लाभांश ₹6.20 करोड़ और तीसरा अंतरिम लाभांश ₹2.96 करोड़ का भुगतान किया।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
सकल आय	77.73	36.71
कर पश्चात लाभ	12.86	2.26

(xii) पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीबीटीएल)

पीबीटीएल का पावरग्रिड द्वारा 16 अक्टूबर 2019 को गुजरात में भुज–II (2000MW) में आरई परियोजनाओं के निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं अनुरक्षण (BOOM) आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहण किया गया था। पारेषण प्रणाली में नई 2 x 1500 MVA (765/400 kV), 4 x 500 MVA (400/220 KV) भुज – II पीएस की स्थापना और भुज पीएस – लाकाड़िया पीएस 765 KV डी/सी लाइन का पुनर्निर्माण सम्मिलित है ताकि भुज – II – लकाडिया 765 kV डी/सी लाइन और साथ ही भुज – भुज II 765 kV डी/सी लाइन स्थापित की जा सके।

कंपनी को 3 मार्च 2020 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। सभी परियोजना तत्वों को नवंबर 2022 तक उत्तरोत्तर चालू कर दिया गया था।

31 मार्च 2023 तक, पीबीटीएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹236.00 करोड़ और ₹232.00 करोड़ थी। पीबीटीएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ₹0.70 करोड़ के कुल अंतरिम लाभांश का भुगतान किया।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
सकल आय	66.11	0.01
कर पश्चात लाभ	2.31	(0.03)

(xiii) पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीआरएसटीएल)

पीआरएसटीएल को 12 दिसंबर 2019 को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत रामपुर में 765/400/220 केवी जीआईएस सबस्टेशन और संभल में 400/220/132 केवी जीआईएस सबस्टेशन के निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं अनुरक्षण (BOOM) आधार पर संबंधित पारेषण लाइनों के साथ पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को सितंबर 2020 में यूपीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था।

यह परियोजना 30 मार्च 2023 को शुरू की गई थी।

31 मार्च 2023 तक, पीआरएसटीएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹166 करोड़ और ₹142.10 करोड़ थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
सकल आय	21.09	0.00
कर पश्चात लाभ	6.79	(0.06)

(xiv) पावरग्रिड मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएमएसटीएल)

पीएमएसटीएल को 19 दिसंबर 2019 को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत मेरठ में 765/400/220 केवी जीआईएस उपकेंद्र के निर्माण हेतु पारेषण प्रणाली स्थापित करने और सिंभावली में 400/220/132 केवी जीआईएस उपकेंद्र के साथ संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं अनुरक्षण (BOOM) आधार पर अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को सितंबर 2020 में यूपीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। परियोजना आंशिक रूप से कार्यान्वित हुई है।

31 मार्च 2023 तक, पीएमएसटीएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹208.00 करोड़ और ₹195.13 करोड़ थी।

(xv) पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीआरटीएल)

पीआरटीएल को पावरग्रिड द्वारा 9 मार्च 2021 को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व, संचालन, एवं अनुरक्षण (BOOM) के आधार पर ''चरण– II भाग–क के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना'' हेतु पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को 31 मई 2021 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। परियोजना अभी कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹30 करोड़ और ₹25 करोड़ थी।

(xvi) पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीबीटीएसएल)

पीबीटीएसएल को पावरग्रिड द्वारा 25 मार्च 2021 को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत ''राजस्थान में चरण– II भाग–एफ के तहत सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना'' हेतु पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं अनुरक्षण (BOOM) आधार पर अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को 15 जुलाई 2021 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹115 करोड़ और ₹100 करोड़ थी।

(xvii) पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएसटीएल)

पीएसटीएल जिसे पहले सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को चरण–भाग सी के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना हेतु पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत 4 जून 2021 को "निर्माण, स्वामित्व, संचालन और रखरखाव (BOOM) आधार पर पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को 27 मई 2022 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹95 करोड़ और ₹80 करोड़ थी।

(xviii) पावरग्रिड भाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीबीडीटीएल)

पीबीडीटीएल को पहले फतेहगढ़ भाडला ट्रांसको लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जिसे 4 जून 2021 को पावरग्रिड द्वारा चरण II – भाग ख के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत "निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं अनुरक्षण (BOOM) आधार पर अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को 25 नवंबर 2022 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹51 करोड़ और ₹32.21 करोड़ थी।

(xix) पावरग्रिड वेमागिरि ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीवीटीएल)

वेमागिरी क्षेत्र (पैकेज ए) के आईपीपी से संबंधित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत 18 अप्रैल 2012 को पावरग्रिड द्वारा पीवीटीएल का अधिग्रहण किया गया था। ट्रांसमिशन प्रणाली में 765kV डी/सी लाइनें शामिल हैं जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से होकर गुजरती हैं।

31 मार्च 2023 तक, पीवीटीएल के पास अधिकृत शेयर पूंजी और चुकता पूंजी प्रत्येक ₹5 लाख थी। सीईआरसी ने 6 अप्रैल 2015 के आदेश में कहा कि परियोजना के अंतर्गत वेमागिरी–खम्मम–हैदराबाद 765 केवी डी/सी लाइनों की न तो निकासी लाइन के रूप में आवश्यकता है और न ही प्रणाली को सुदृढ़ वाली लाइन के रूप में। अतः पारेषण शुल्क लगाने एवं कथित पारेषण लाइन के लिए याचिकाकर्ता को लाइसेंस देने से कोई लाभ नहीं होगा और पारेषण परियोजना के लिए विनियामक अनुमोदन वापस ले लिया है।

(xx) पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएचटीएल)

पावरग्रिड ने 25 मार्च 2021 को जेपीएल (जेपी पावरग्रिड लिमिटेड) में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (जेपीवीएल) की 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है और अतः जेपीएल पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, कंपनी का नाम जेपी पावरग्रिड लिमिटेड से बदलकर पीएचटीएल कर दिया गया है। यह परियोजना 1 अप्रैल 2012 को शुरू की गई थी।

पीएचटीएल (i) 219.80 किमी लंबी 400 केवी डी/सी करछम वांग से अब्दुल्लापुर पारेषण लाइन (ii) 4.0 किमी लंबी 400 केवी डी/सी बास्पा–झाकरी लाइन के एलआईएलओ के संचालन और अनुरक्षण में लगी हुई है।

31 मार्च 2023 तक, पीएचटीएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी ₹300 करोड़ है। पीएचटीएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पहला अंतरिम लाभांश ₹18 करोड़, दूसरा अंतरिम लाभांश ₹15 करोड़, तीसरा अंतरिम लाभांश ₹27 करोड़ और प्रस्तावित अंतिम लाभांश ₹15 करोड़ का भुगतान किया।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
सकल आय	134.77	136.43
कर पश्चात लाभ	49.69	51.28

(xxi) पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएएसटीएल)

पीएएसटीएल को पहले सीकर–II अलीगढ़ पारेषण लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जिसे 8 जून 2021 को पावरग्रिड द्वारा चरण II भाग डी के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 GW) से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना हेतु पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं अनुरक्षण (BOOM) आधार पर अधिग्रहित किया गया था। इस पारेषण प्रणाली में सीकर से अलीगढ़ तक 765kVD/C ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना और राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में संबंधित उपकेंद्र विस्तार कार्य सम्मिलित हैं। कंपनी को सीईआरसी द्वारा 28 मई 2022 को पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹100 करोड़ और ₹77.95 करोड़ थी।

(xxii) सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)

भारत सरकार के आदेश के अनुसार, पावरग्रिड ने 28 दिसंबर 2020 को सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में सम्मिलित किया। इस सहायक कंपनी को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण करने का आदेश दिया गया है।

31 मार्च 2023 तक, सीटीयूआईएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹1 करोड़ और ₹0.05 करोड़ है। सीटीयूआईएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कुल ₹65 करोड़ का अंतरिम लाभांश भुगतान किया।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
सकल आय	71.62	53.71
कर पश्चात लाभ	51.11	40.03

(xxiii) पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड (पावरटेल)

पावरग्रिड के दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय को चलाने के लिए पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में पावरटेल का गठन 25 नवंबर 2021 को किया गया था।

राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी), इंटरनेट सेवा प्रदाता – ए (आईएसपी–ए) और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) के लिए सेवा प्राधिकरणों के लिए एकीकृत लाइसेंस समझौते पर 11 मई 2023 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, अवसंरचना प्रदाता –1 (आईपी –1) पंजीकरण 16 फरवरी 2023 को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रस्तावित व्यावसायिक लेनदेन को पूरा करने में सहायता के लिए पावरग्रिड द्वारा कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है।

सीईआरसी ने 17 मई 2023 को पावरटेल के माध्यम से पावरग्रिड के मौजूदा दूरसंचार व्यवसाय को शुरू करने की स्वीकृति दी है।

31 मार्च 2023 तक, पावरटेल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹50 करोड़ और ₹9 करोड़ है।

(xxiv) पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (पीईएसएल)

पीईएसएल को भारत और विदेश में ऊर्जा प्रबंधन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 14 मार्च 2022 को गठित किया गया था।

पीईएसएल ने फरवरी 2023 में जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेपीडीसीएल) और कश्मीर के साथ आरडीएसएस के अंतर्गत वितरण अवसंरचना के कार्यों के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग कार्यों हेतु परियोजना कार्यान्वयन सेवाओं के लिए 2 समझौते किए। इन्हें जम्मू–कश्मीर के विभिन्न जिलों में क्रमशः विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (KPDCL) द्वारा दो वर्षों में कार्यान्वयन किया जाना है।

संवहनीयत की दिशा में अपने प्रयास में, पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थापना में कदम रखा है। पहले कदम के रूप में, पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (पीईएसएल) द्वारा नागदा, जिला–उज्जैन, मध्य प्रदेश में 85 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी प्रत्येक ₹10 करोड़ थी।

(xxv) पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनटीएल)

पीएनटीएल, जिसे पहले खेतड़ी–नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड द्वारा 11 मई 2022 को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना चरण के –II पार्ट–जी के अंतर्गत पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं अनुरक्षण (BOOM) आधार पर अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को 26 सितंबर 2022 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹50 करोड़ और ₹1 लाख थी।

(xxvi) पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीजीवाईटीएल)

पीजीवाईटीएल, जिसे पहले मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को 30 मई 2022 को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत मोहनलालगंज (लखनऊ) में संबंधित 400 kV लाइनों के साथ 400/220/132 kV जीआईएस उपकेंद्र एवं 765 kV जीआईएस उपकेंद्र रामपुर में 765kV LILO लाइनों एवं एवं सेक्टर 123 नोएडा में 400 kV GIS सबस्टेशन पर 400 kV LILO (मोनोपोल पर क्वाड मूस) हेतु पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को 20 दिसंबर 2022 को यूपीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, पीजीवाईटीएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹70 करोड़ और ₹1 लाख थी।

(xxvii) पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीईएनटीएल)

पीईएनटीएल को पहले ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसे 10 अक्टूबर 2022 को पावरग्रिड द्वारा निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं स्थानांतरण (BOOT) आधार पर ष्पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना हेतु पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहण किया गया था। कंपनी को 4 फरवरी 2023 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी प्रत्येक ₹5 लाख थी।

(xxviii) पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीएनटीएसएल)

पीएनटीएसएल (पूर्व में नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड) को पावरग्रिड द्वारा 24 अगस्त 2022 को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली

के अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व, संचालन, एवं स्थानांतरण (BOOT) आधार पर नीमच एसईजेड से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को 27 दिसंबर 2022 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹80 करोड़ और ₹5 लाख थी।

(xxix) पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीकेआरईटीएसएल)

पीकेआरईटीएसएल जिसे पहले खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड द्वारा 21 मार्च 2023 को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत गुजरात में खावड़ा संभावित आरई जोन से आरई परियोजनाओं के एकीकरण से संबंधित पारेषण नेटवर्क विस्तार स्थापित करने के लिए निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं स्थानांतरण (BOOT) आधार पर अधिग्रहित किया गया था। कंपनी ने पारेषण लाइसेंस देने के लिए सीईआरसी के पास याचिका दायर की है। परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी प्रत्येक ₹5 लाख थी।

(xxx) पावरग्रिड भाडला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीबीएसटीएल)

पीबीएसटीएल को पहले भाडला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसे पावरग्रिड द्वारा 28 मार्च 2023 को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत चरण– II भाग–ई के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना स्थापित करने के लिए अधिग्रहित किया गया था। कंपनी ने पारेषण लाइसेंस देने के लिए सीईआरसी के पास याचिका दायर की है। परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी प्रत्येक ₹1 लाख थी।

(xxxi) पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीडीटीएल)

पीडीटीएल को पहले धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। जिसे पावरग्रिड द्वारा 28 मार्च 2023 को पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना– XXVIII (WRES&XXVIII) और XXIX (WRES&XXIX) को निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं स्थानांतरण (BOOT) आधार पर स्थापित करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहण किया गया था। कंपनी ने पारेषण लाइसेंस देने के लिए सीईआरसी के पास याचिका दायर की है। परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी प्रत्येक ₹1 लाख थी।

(xxxii) पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीकेपीएस2टीएसएल)

पीकेपीएस2टीएसएल को पहले केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसे पावरग्रिड द्वारा 21 मार्च 2023 को निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं स्थानांतरण (BOOT) आधार पर खावड़ा आरई पार्क में खावड़ा पूलिंग स्टेशन –2 (केपीएस2) की स्थापना के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया था। कंपनी ने पारेषण लाइसेंस देने के लिए सीईआरसी के पास याचिका दायर की है। परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी प्रत्येक ₹5 लाख थी।

(xxxiii) पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीकेपीएस3टीएल)

पीकेपीएस3टीएसएल को पहले केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसे पावरग्रिड द्वारा 21 मार्च 2023 को निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं स्थानांतरण (BOOT) आधार पर खावड़ा आरई पार्क में खावड़ा पूलिंग स्टेशन –2 (केपीएस3) की स्थापना के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया था। कंपनी ने पारेषण लाइसेंस देने के लिए सीईआरसी के पास याचिका दायर की है। परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी प्रत्येक ₹5 लाख थी।

(xxxiv) पावरग्रिड खावड़ा प्प–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीकेआईआईबीटीएल)

पीकेआईआईबीटीएल को पहले खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जिसे 21 मार्च 2023 को खावड़ा पी.एस. में 4.5 गीगावॉट आरई इंजेक्शन की निकासी के लिए पारेषण योजना के लिए चरण–II, भाग–ख के अंतर्गत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत पावरग्रिड द्वारा निर्माण, स्वामित्व, संचालन और स्थानांतरण (BOOT) के आधार पर अधिग्रहित किया गया था। कंपनी ने पारेषण लाइसेंस देने के लिए सीईआरसी के पास याचिका दायर की है। परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी प्रत्येक ₹5 लाख थी।

(xxxv) पावरग्रिड खावड़ा II– सी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीकेआईआईबीटीएल)

पीकेआईआईबीटीएल को पहले खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जिसे 21 मार्च 2023 को खावड़ा पी.एस. में 4.5 गीगावॉट आरई इंजेक्शन की निकासी के लिए पारेषण योजना के लिए चरण–II, भाग–ख के अंतर्गत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत पावरग्रिड द्वारा निर्माण, स्वामित्व, संचालन और स्थानांतरण (BOOT) के आधार पर अधिग्रहित किया गया था। कंपनी ने पारेषण लाइसेंस देने के लिए सीईआरसी के पास याचिका दायर की है। परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी प्रत्येक ₹5 लाख थी।

(xxxvi) पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीआरपीडीटीएल)

पीआरपीडीटीएल को पहले रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसे पावरग्रिड द्वारा 28 मार्च 2023 को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व, संचालन, एवं स्थानांतरण (BOOT) आधार पर ''पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना –XXVII (WRES&XXVII) से संबंधित पारेषण प्रणाली'' स्थापित करने के लिए अधिग्रहित किया गया था। कंपनी ने पारेषण लाइसेंस देने के लिए सीईआरसी के पास याचिका दायर की है। परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, पीआरपीडीटीएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी प्रत्येक ₹1 लाख है।

(xxxvii) पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीईपीटीएल)

पीईपीटीएल को पहले ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसे सीएसपीटीसीएल के 400/220/132 केवी जगदलपुर उप केंद्र एवं पावरग्रिड के 400/220 केवी जेपोर उपकेंद्र हेतु पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की योजना के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने के उद्देश्य से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत 21 मार्च 2023 को पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहित किया गया था। कंपनी ने पारेषण लाइसेंस देने के लिए सीईआरसी के पास याचिका दायर की है। परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी प्रत्येक ₹5 लाख थी।

26. पावरग्रिड का समेकित वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 110– ''समेकित वित्तीय विवरण'' और भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 28 – ''एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश'' के अनुसार तैयार किए गए हैं। समेकित आधार पर, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी की कुल आय वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 42,697.90 करोड़ रुपये की तुलना में 46,605.64 करोड़ रुपये रही, जिसमें लगभग 9.15% की वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यय ₹29,070.47 करोड़ था, जबकि 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए यह ₹25,957.32 करोड़ था। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कर पश्चात लाभ में वित्त वर्ष 2021–22 की तुलना में 11% (असाधारण वस्तुओं को छोड़कर) की वृद्धि हुई। समेकित आधार पर परिणामों का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
कुल आय	46,605.64	42,697.90
असाधारण वस्तुओं, कर एवं विनियामक स्थगन खाता शेष	17,453.05	16,819.05
कर पश्चात लाभ	15,417.12	16,824.07
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त निवल नकदी	38,004.74	26,123.52

27. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में भौतिक विकास

विवरण के लिए कृपया निदेशक की रिपोर्ट का मानव संसाधन अनुभाग देखें।

कृते एवं वास्ते निदेशक मंडल

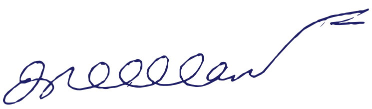

(के.श्रीकांत)

दिनांक: 6 अगस्त, 2023

स्थान: गुरुग्राम

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 06615674

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक–II

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट

खंड क – सामान्य प्रकटीकरण
खंड ख – प्रबंधन एवं प्रक्रिया संबंधी प्रकटीकरण
खंड ग – सिद्धांत–वार प्रदर्शन संबंधी प्रकटीकरण

सिद्धांत 1	व्यवसायों का आयोजन एवं प्रबंधन निष्ठापरक, नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेहए तरीके से किया जाना चाहिए
सिद्धांत 2	व्यवसायों को संवहनीय एवं सुरक्षित तरीके से सामान एवं सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए
सिद्धांत 3	व्यवसायों को अपने मूल्य शृंखला में सम्मिलित कार्मिकों समेत अपने सभी कर्मचारियों की भलाई को ध्यान में रखना चाहिए एवं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए
सिद्धांत 4	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए
सिद्धांत 5	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए
सिद्धांत 6	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा और उसे पुनर्स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए
सिद्धांत 7	व्यवसायों को, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल किया जाता है, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए
सिद्धांत 8	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए
सिद्धांत 9	व्यवसायों को जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

खंड क - सामान्य प्रकटीकरण

सूचीब) इकाई का विवरण

1.	**सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (ब्प्छ)**	L40101DL1989GOI038121
2.	**कंपनी का नाम**	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3.	**गठन का वर्ष**	1989
4.	**पंजीकृत कार्यालय का पता**	बी–9, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, कटवरिया सराय, नई दिल्ली–110016
5.	**कॉर्पोरेट पता**	''सौदामिनी'', प्लॉट संख्या 2, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा–122001
6.	**ई–मेल**	sustainability@powergrid.in
7.	**दूरभाष**	0124-2822999 / 0124-2822888
8.	**वेबसाइट**	www.powergrid.in
9.	**वित्त वर्ष, जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है**	वित्त वर्ष 2022–23 (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक)
10.	**स्टॉक एक्सचेंज का (के) नाम, जहां शेयर सूचीबद्ध हैं**	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)
11.	**चुकता पूंजी**	₹ 6,975.45 करोड़
12.	**उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण, जिनसें बीआरएसआर रिपोर्ट को लेकर किसी प्रकार की पूछताछ के लिए संपर्क किया जा सकता है**	श्री ए.नगारजु कार्यकारी निदेशक (ईएसएमडी और सीएसआर) ईमेल आईडीः nagaraju1965@powergrid.in

13.	**रिपोर्टिंग की सीमा**	इस रिपोर्टिंग अवधि के लिए पावरग्रिड के सभी गैर–वित्तीय पक्षों में समेकित आधार पर पावरग्रिड की व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण दिया गया है । (इस रिपोर्टिंग अवधि के लिए केवल पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का विवरण दिया गया है, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों को सम्मिलित नहीं किया गया है) हालाँकि, किसी भी गणना/रिपोर्टिंग के लिए जहां भी वित्तीय प्रदर्शन पर विचार किया गया है वह समेकित आधार पर किया गया है जिसमें सभी संयुक्त उद्यम, अधीनस्थ और सहयोगी कंपनियां सम्मिलित हैं।

उत्पाद और सेवाएं

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर में 90% हिस्सा):

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	मुख्य गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का :
1.	ऊर्जा का पारेषण	पावरग्रिड मुख्य रूप से देश में ऊर्जा के अंतर्राज्यीय और अंतर राज्यीय पारेषण का संचालन करता है	97

15. इकाई द्वारा विक्रय उत्पाद एवं सेवाएं (इकाई के टर्नओवर में 90% हिस्सा):

क्र. सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर में : योगदान
1.	पारेषण	3510	97

परिचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या व्यवसाय/कार्यालय उपस्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	272 उपकेंद्र '	12	284
अंतर्राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के लिए, कंपनी विदेशी ग्राहकों को केवल परामर्श सेवाएँ प्रदान करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर इसका कोई संयंत्र नहीं है।	1	1

*ध्यान दें, डेटा में 3000 से अधिक स्थानों पर मौजूद टेलीकॉम के संपूर्ण भारत में नेटवर्क, उपकेंद्र और पारेषण लाइनें जो वर्तमान में निर्माणाधीन हैं और परामर्श कार्यों के लिए अस्थायी कार्यालय सम्मिलित नहीं हैं।

17. बाजार जहां यह इकाई सेवा देती हैरू

क) स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	संपूर्ण भारत– भारत के समस्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	4 देश

ख) इकाई के कुल कारोबार में, निर्यात का प्रतिशत के रूप में योगदान कितना है?

0.103%

ग) ग्राहकों के प्रकार पर एक संक्षिप्त जानकारी

कंपनी के पारेषण व्यवसाय के ग्राहक, राज्य डिस्कॉम, उत्पादन कंपनियां, थोक उपभोक्ता, रेलवे आदि जैसे नामित अंतरराज्यीय ग्राहक हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी घरेलू ग्राहकों (राज्य बिजली उपयोगिताओं, डिस्कॉम, निजी संस्थाओं, सीपीएसई, आदि) और 23 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकको परामर्श सेवाएं भी प्रदान करती है। कंपनी, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, उद्यमों, बड़े कॉर्पोरेट घरानों आदि को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है।

कर्मचारी

18. वित्त वर्ष के अंत का विवरणः

क) कर्मचारी एवं कामगार (दिव्यांग सहित)रू

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (क/ख)	संख्या (ग)	% (ग/क)
	कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	6618	6036	91.21%	582	8.79%
2.	स्थायी के अतिरिक्त (ड.)	368	330	89.67%	38	10.33%
3.	कुल कर्मचारी (घ/ड.)	6986	6366	91.13%	620	8.87%
	कामगार					
4.	स्थायी (च)	1724	1626	94.32%	98	5.68%
5.	स्थायी के अतिरिक्त (छ)	14290	13603	95.19%	687	4.81%
6.	कुल कामगार (च/छ)	16014	15229	95.10%	785	4.90%

ध्यान दें: स्थायी कर्मचारियों में कामगारों को छोड़कर कंपनी के सभी कर्मचारी सम्मिलित हैं। 'स्थायी के अतिरिक्त' में निश्चित अवधि के अनुबंध वाले कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। स्थायी कामगारों में वे कामगार सम्मिलित हैं जो कंपनी के रोल पर हैं। 'स्थायी के अतिरिक्त' को तीसरे पक्ष के ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त किया जाता है।

ख) दिव्यांग कर्मचारी एवं कामगाररू

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (क/ख)	संख्या (ग)	% (ग/क)
	दिव्यांग कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	171	155	90.64%	16	9.36%
2.	स्थायी के अतिरिक्त (ड.)	5	5	100.00%	0	0.00%
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ/ड.)	176	160	90.91%	16	9.09%
	दिव्यांग कामगार					
4.	स्थायी (च)	52	52	100%	0	0.00%
5.	स्थायी के अतिरिक्त (छ)	3	3	100%	0	0.00%
6.	कुल दिव्यांग कामगार (च/छ)	55	55	100%	0	0.00%

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख/क)
बोर्ड निदेशक	10	0	0
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	11	0	0

ध्यान दें: प्रमुख प्रबंधन कार्मिक में पूर्णकालिक निदेशक, कंपनी सचिव, स्वतंत्र निदेशक और साथ ही सरकार द्वारा नामित निदेशक सम्मिलित हैं।

20. **स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर (पिछले 3 वर्षों के रुझान का विवरण)**

	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22			वित्त वर्ष 2020–21		
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	5.20%	3.16%	5.03%	4.98%	3.75%	4.88%	4.13%	2.33%	3.99%
स्थायी कामगार	6.43%	9.52%	6.61%	4.99%	4.39%	4.95%	5.87%	7.53%	5.96%

होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियाँ द्धसंयुक्त उद्यम सहितत्र

21. **क) होल्डिंग/अधीनस्थ/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम**

क्र. सं.	होल्डिंग/अधीनस्थ/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम (क)	कंपनी का प्रकार होल्डिंग/अधीनस्थ/सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम में से क्या है?	कितना % शेयर सूचीबद्ध संस्था के पास है	क्या कॉलम ए में दर्शाई गई इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी वाली पहलों में भाग लेती है? (हां/नहीं)
1.	पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
2.	पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
3.	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
4.	पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
5.	पावरग्रिड KPS2 ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
6.	पावरग्रिड KPS3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
7.	पावरग्रिड खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
8.	पावरग्रिड खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
9.	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
10.	पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
11.	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
12.	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
13.	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
14.	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
15.	पावरग्रिड रामगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
16.	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
17.	पावरग्रिड भाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
18.	पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
19.	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
20.	पावरग्रिड भाडला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
21.	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
22.	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes

क्र. सं.	होल्डिंग/अधीनस्थ/सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम (क)	कंपनी का प्रकार होल्डिंग/ अधीनस्थ/ सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम में से क्या है?	कितना % शेयर सूचीबद्ध संस्था के पास है	क्या कॉलम ए में दर्शाई गई इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी वाली पहलों में भाग लेती है? (हां/नहीं)
23.	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
24.	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
25.	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
26.	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
27.	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
28.	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
29.	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
30.	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
31.	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
32.	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
33.	पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
34.	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
35.	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
36.	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
37.	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ कंपनी	100	Yes
38.	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50	Yes
39.	आरआईएनएल पॉवरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50	Yes
40.	बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50	Yes
41.	पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	49	Yes
42.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	33.33	Yes
43.	तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	30.92	Yes
44.	टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26	Yes
45.	पारबती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26	Yes
46.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26	Yes
47.	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26	Yes
48.	पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26	Yes
49.	राष्ट्रीय उच्च शक्ति परीक्षण प्रयोगशाला प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	20	Yes
50.	पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	26	Yes
51.	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	26	Yes
52.	पावरग्रिड वारोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	26	Yes
53.	पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	26	Yes

सीएसआर विवरण

22.

i. क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू होता है: **हाँ**

ii. कुल बिक्री (रु. में) 45,581.28 करोड़ **(समेकित आधार पर)**

iii. निवल संपत्ति (रु. में) 83,014.51 करोड़ **(समेकित आधार पर)**

23. उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर परिवाद/शिकायतें:

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है समुदाय	शिकायत निवारण क्रियातंत्र विद्यमान है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2022–2023			वित्त वर्ष 2021–2022		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्शांत पर समाधान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्शांत पर समाधान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ
निवेशक एवं हितधारक	हाँ (https://www.powergrid.in/public-complaints-0)	179	0		224	0	
कर्मचारी और श्रमिक	हाँ (https://www.powergrid.in/dispute-resolution-mechanism-stock-exchanges)	4183	0		3690	0	
ग्राहक	हाँ। शिकायत निवारण क्रियातंत्र विद्यमान है। यह नीति केवल कर्मचारियों और श्रमिको की पहुंच के लिए ही उपलब्ध है।	49	0		36	0	
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हाँ (https://pms.powergrid.in/vms/login.aspx?ACT=GSTN)	-	-		-	-	
अन्य (सतर्कता)	हाँ (https://pms.powergrid.in/vms/login.aspx?ACT=GSTN)	8	0		6	0	
हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है	हाँ (https://tejas.powergrid.in/vigilance-complaints/)	71	7		49	6	

24. इकाई के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण के मुद्दों की समीक्षा

कृपया पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण और संवहनीयता के मुद्दों को जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, इसकी पहचान करने का तर्काधार, जोखिम का अनुकूलन या शमन करने का दृष्टिकोण और साथ ही इसके वित्तीय निहितार्थ भी स्पष्ट करें।

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	स्पष्ट करें कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर पहचानने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएँ)
1	जलवायु परिवर्तन	जोखिम	• जलवायु परिवर्तन के कारण अतिविषम मौसम की स्थितियाँ जैसे कि तूफानों, पवन, बाढ़ों और वर्षा की बढ़ी हुई तीव्रता और आवृत्ति हमारी भौतिक अवसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। • परिवेश के बढ़ रहे तापमान से चालकों की धारा वहन करने की क्षमता कम होने की संभावना है। • जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम शुष्क और परिवेश के तापमान में वृद्धि के कारण जंगल की आग के हादसे बढ़ गए हैं, जिससे बदले में, वन क्षेत्र से गुजरने वाली पारेषण लाइनों के लिए अतिरिक्त जोखिम पैदा होता है। • इस परिघटना का कार्यबल के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव भी पड़ेगा जैसे कि अतिविषम जलवायविक स्थितियाँ में काम करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा एवं उत्पादकता में भी हानि हो सकती है।	**अनुकूलनः** • संगठन की जोखिम प्रबंधन रूपरेखा में जलवायु जोखिमों की पहचान करना। • जलवायु संबंधी जोखिम के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों/स्थानों की पहचान कर उनका मानचित्रण करना • उचित उपाय कर अपने कार्यबल को अतिविषम जलवायु परिवर्तन का प्रभावों से बचाना। **शमनः** • वर्तमान जलवायु परिदृश्य के साथ–साथ भविष्य के जलवायु पूर्वानुमानों के अनुरूप संवेदनशील क्षेत्रों में, मौजूदा बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण करना। • जलवायु संवेदनशील क्षेत्र में आगामी पारेषण परियोजनाओं की योजना बनाने और अभिकल्पना में वर्तमान और साथ ही भविष्य भी में जलवायु परिदृश्य का उचित लिहाज और एकीकरण।	नकारात्मक
2	जैव विविधता/ पर्यावरण संरक्षण	अवसर	• वन/जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों से बचने/कम से कम संपर्क में आने से समय पर परियोजना का समापन होता है। • वन/संरक्षित क्षेत्रों से बचकर/ कम से कम संपर्क रखकर एनपीवी, सीए जैसे वित्तीय उद्ग्रहण, औषधीय वृक्षारोपण की लागत, आंशिक परियोजना लागत का भुगतान आदि का परिहार। • कम कानूनी दायित्व। • बेहतर सार्वजनिक छवि और प्राकृतिक पूंजी.		सकारात्मक

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	स्पष्ट करें कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर पहचानने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएँ)
3	जल प्रबंधन	अवसर	• तृतीय पक्ष द्वारा की गई जलापूर्ति की लागत के रूप में कम वित्तीय दायित्व, जल निकासी के लिए ऊर्जा की कम लागत , और अपशिष्ट जल प्रबंधन की कम लागत। • वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के माध्यम से पानी की खपत कम कर और जल संरक्षण द्वारा "शुद्ध जल सकारात्मक" संगठन की स्थिति प्राप्त करने का अवसर		सकारात्मक
4	ऊर्जा प्रबंधन	अवसर	• ऊर्जा की खपत में कमी से वित्तीय देनदारी कम होगी। • ऊर्जा के मांग पक्ष प्रबंधन से भी स्कोप–I और स्कोप–II दोनों उत्सर्जन में कमी आएगी। • आपूर्ति पक्ष में नवीनीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि से हमारा स्कोप–II उत्सर्जन और भी कम होगा।		च्वेपजपअम
5	जीएचजी उत्सर्जन	अवसर	• 2047 तक शुद्ध–शून्य स्थिति प्राप्त करना • प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्त और ऋण तक पहुंच • आपूर्ति शृंखला को हरित बनाना. • बेहतर हितधारक संबंध और सार्वजनिक छवि		च्वेपजपअम
6	अपशिष्ट प्रबंधन	जोखिम	• नियामकीय रूपरेखा का अनुपालन न करने से नियामकीय निकायों/प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की ओर से दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। • खतरनाक कचरे का ठीक से प्रबंधन करने में विफलता से हमारे प्रतिष्ठान, संपत्ति, • जनशक्ति और पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा होता है। • दोनों खतरनाक और गैर–खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के प्रति वित्तीय लागत में वृद्धि।	• सभी लागू विनियमों पूर्ण और गैर–परक्राम्य अनुपालन सुनिश्चित करना। • कम करें, पुनर्चक्रित करें और और पुनः उपयोग करें सभी के मुख्य सिद्धांतों के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपलब्ध सभी अवसरों का उपयोग करना। • कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण । • खतरनाक अपशिष्ट की उचित पहचान, पृथक्करण और रोकथाम और समय पर निपटान सुनिश्चित करना।	नकारात्मक

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	स्पष्ट करें कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर पहचानने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएँ)
7	संघ एवं सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता	अवसर	पावरग्रिड संघ और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता को व्यवहार मे लाता है जिससे सकारात्मक कर्मचारी संबंध को बढ़ावा मिलता है और प्रबंधन के साथ मुक्त और रचनात्मक सहभागिता का प्रशस्त होता है।		सकारात्मक
8	कर्मचारी लाभ योजना	अवसर	पावरग्रिड अपने कर्मचारियों को महत्वपूर्ण मानता है और विभिन्न कर्मचारी कल्याण योजनाएँ प्रदान करता है जो उन्हें देखभाल और सुरक्षा की अनुभूति प्रदान करती है। इन योजनाओँ से हमारे कर्मचारियों में काम की संतुष्टि और अभिप्रेरणा की भावना पैदा होती है। यह हमारे कर्मचारियों की कम अनुताप दर से प्रदर्शित होता है। हम अपने प्रतिभा पूल में निवेश करने में और उसे बनाए रखने विश्वास रखते हैं। इसलिए काम के सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा मिलता है।		सकारात्मक
9	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा	जोखिम	• पावरग्रिड में देश के कई स्थानों पर काम कर रहे कर्मचारियों और श्रमिकों की संख्या बड़ी है। अपने कार्यबल की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारे दैनिक परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। • शारीरिक और वित्तीय लागत के अलावा प्रत्येक सुरक्षा हादसा का स्वास्थ्य, कुशलक्षेम और का मनोबल के साथ ही कंपनी की भी प्रतिष्ठा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।	• हम सुरक्षित और निरापद कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतते हैं। • हमारी एक समर्पित सुरक्षा नीति है जो हमारे कर्मचारियों सुरक्षा सुनिश्चित करने के हमारे दृष्टिकोण का संचालन करती है। एक सुरक्षा प्रकोष्ठ है जो नियमित रूप से इन मुद्दों की देखभाल और निगरानी करता है। • नियमित सुरक्षा अंकेक्षण किया जा रहा है और स्व–सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यबल प्रशिक्षण दिया गया है और जागरूक बनाया गया है।	नकारात्मक

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	स्पष्ट करें कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर पहचानने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएँ)
10	मानव अधिकार	जोखिम	• दुनिया भर में श्रम कानूनों और संबंधों के निरंतर विकास और इस मुद्दे की संवेदनशील प्रकृति के कारण मानवाधिकार किसी भी व्यवसाय के लिए एक अंतर्निहित जोखिम है। • जहाँ किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन से हमारे कार्यबल और संबंधित पक्षों की रक्षा करने के लिए सभी उपाय विद्यमान हैं, वहीं हम समझते हैं कि अभी भी इस तरह के अवसर हो सकते हैं जिनमें इन अधिकारों का उन तरीकों से उल्लंघन हो सकता है जो हमारे नियंत्रण और विस्तार में नहीं हैं।	• हमारी समुचित नीतियाँ है जो स्पष्ट रूप से कहती हैं मानव अधिकार का उल्लंघन बहुत गंभीर मुद्दा है और इससे दुष्परिणामो के साथ निपटा जाएगा। • हितधारकों को किन्हीं उल्लंघन.के मामलों/चिंताओ की सूचना देने के चैनल उपलब्ध कराए गए हैं। • हम इस मामले में नवीनतम घटनाक्रमों के साथ अद्यतन रहते हैं और सभी विनियमो का अनुपालन करते हैं।	
11	विविधता, गैर–भेदभाव और समान अवसर	अवसर	हम हर समूह के लोगों को समान और निष्पक्ष अवसर देने में विश्वास करते हैं और विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि से प्रतिभाओं को काम पर रखते हैं। विविधतापर्ण कार्यबल के कारण हम अपने व्यावसायिक मामलों को हल करने के लिए अलग–अलग और नया दृष्टिकोण शामिल करते हैं।		सकारात्मक
12	मानव पूंजी का विकास	अवसर	अपने कार्यबल का कौशल बढ़ाने में निवेश करना, ज्ञान और क्षमता बढ़ाना और नवाचार को बढ़ावा देना हमारी कंपनी में अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है। इससे कर्मचारी हमारे व्यावसायिक मुद्दों को हल करने और चुस्त कार्यबल बनने के लिए कुशल और आधुनिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं।		सकारात्मक
13	आचारनीति और अखंडता	अवसर	पावरग्रिड की संगठनात्मक संस्कृति में नैतिक आचरण गहराई से समाया हुआ है। आचारनीति और मूल्य भरोसेमंद काम का वातावरण बनाते हैं।		सकारात्मक
14	नियामकीय अनुपालन	अवसर	विनियामकीय और सांविधिक आवश्यकताओं का समय पर अनुपालन करने से व्यवसाय को उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान बनाए रखना सुनिश्चित होता है। सचेत अनुपालन हमारी कानूनी उल्लंघनों, पर्यावरण क्षति आदि से जुड़े जोखिम संभालने में मदद करता है।		सकारात्मक

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	स्पष्ट करें कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर पहचानने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएँ)
15	संवहनीय स्रोतीकरण	अवसर	हमारी संवहनीय स्रोतीकरण दृष्टिकोण हमारी संवहनीय खरीद प्रथाओं का पालन करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहयोग करने मे ंमदद करता है। संवहनीय रूप से पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और स्रोतीकरण संसाधन बनकर, हम असंवहनीय पद्धतियों के चलते उत्पन्न होने वाले आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से बच सकते हैं।		सकारात्मक
16	पारदर्शिता	अवसर	हमारा सक्रिय शिकायत निवारण तंत्र, ध्यानाकर्षण, यौन उत्पीड़न आदि के चारों ओर नीतियाँ खुले और पारदर्शी तरीके से अपने हितधारकों की चिंताओं/पृच्छाओं को संबोधित करने की हमारी क्षमता प्रदर्शित करती हैं .		सकारात्मक
17	तकनीकी और नवाचार	अवसर	पावरग्रिड अपने व्यवसाय संचालन में नवीनतम प्रौद्योगिकियाँ अपनाने में विश्वास रखता है। सही तकनीक और नवप्रवर्तन विद्युत क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी अपनाने में अग्रणी भूमिका बनाए रखता है।		नकारात्मक
19	सामुदायिक संबंध	अवसर	पावरग्रिड समुदाय को वापस देने और उनके अधिकारों और जरूरतों का ख्याल रखने में विश्वास रखता है। चूँकि हमारे प्रमुख व्यवसाय में भूमि अधिग्रहण शामिल है, हम वहाँ स्थानीय लोगों के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देते हैं जिससे अंततः जिससे हमारे व्यवसाय का कार्य सुचारू रूप से चलता है।		नकारात्मक

अनुभाग बी - प्रबंधन और प्रक्रिया का प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल अवयवों को अपनाने की दिशा में व्यवसायों की संस्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करने में मदद करना है। सूचीबद्ध इकाई का विवरण।

क्र. सं.	सिद्धांत का वर्णन
पी1	व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और आचारशास्त्रीय, पारदर्शी, और जवाबदेह तरीके से आचरण और अपने आपको नियंत्रित करना चाहिए.
पी2	व्यवसायों को संवहनीय और सुरक्षित रीति से वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करना चाहिए।
पी3	व्यवसायों को अपनी मूल्य श्रृंखलाओं के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कुशलक्षेम का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

क्र. सं.	सिद्धांत का वर्णन
पी4	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति अनुक्रियशील होना चाहिए।
पी5	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
पी6	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयास करने चाहिए।
पी7	सार्वजनिक और नियामकीय नीति को प्रभावित करने में संलग्न होने पर व्यवसायों को जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से ऐसा करना चाहिए।
पी8	व्यवसायों को समावेशी विकास और समतापूर्ण विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
पी9	व्यवसायों को जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ सहभागिता करनी चाहिए और उन्हें महत्व प्रदान करना चाहिए।

प्रकटीकरण आवश्यकताएं	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	ih9
नीति और प्रबंधन संबंधी प्रक्रियाएँ									
1. क्या आपकी इकाई की नीति/नीतियों में एनजीआरबीसी का प्रत्येक सिद्धांत और इसके मूल तत्व शामिल है। (हाँ/नहीं)।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है? ? (हाँ/नहीं).	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो।	इन सिद्धांतों को समाहित करने वाली नीतियाँ कंपनी की वेबसाइट (https://www.powergrid.in/index.php/policies) पर 'नीतियाँ' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं।								
2. क्या इकाई ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हाँ/नहीं)।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हाँ/नहीं)।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
4. आपकी इकाई द्वारा अपनाई गई और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मानचित्रित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संहिताओं/प्रमाणनों/लेबलों/मानकों (उदाहरण के लिए वन प्रबंधन परिषद,फेयरट्रेड, वर्षावन गठबंधन, ट्रस्टी) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) का नाम।	पावरग्रिड ने समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी की गई लागू अलग–अलग के अनुरूप हैं संविधियों/दिशानिर्देशों/नियमों/नीतियाँ आदि के अनुरूप विभिन्न नीतियाँ बनाई है। संपूर्ण कंपनी में व्यापक रूप से अंगीकृत कुछ प्रमुख प्रमाणनों/मानकों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है: • आईएसओ 9001:2015 – गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली • पीएएस 99:2012 – एकीकृत प्रबंधन प्रणाली • आईएसओ 45001:2018 – व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली • एसए 8000:2014 – सामाजिक जवाबदेयता मानक • आईएसओ 50001:2018 – ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली • आईएसओ 14001:2015 – पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली • आईएसओ 27001:2013 – सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली								
5. परिभाषित समयसीमा, अगर कोई है, के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, ध्येय और लक्ष्य।	• 2025 तक नवीकरणीय स्रोतों से 50 प्रतिशत बिजली की खपत।. • 2047 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन कंपनी बनने का प्रयास करना। • 2030 तक शुद्ध जल सकारात्मक संगठन बनने का लक्ष्य. • 2030 तक 'अ जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कॉरपोरेट' दर्जा 2030 तक करने और बनाए रखने की आकांक्षा रखता है। • "शून्य मृत्यु दर" दर्जा प्राप्त करने और बनाए रखने का लक्ष्य.								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, ध्येयों और लक्ष्यों के प्रति इकाई का कारण सहित प्रदर्शन यदि वे पूरा नहीं हो पाए हैं।	एकीकृत रिपोर्ट और बीआरएसआर का सिद्धांत वार अनुभाग का संवहनीय रणनीति अध्याय देखें।								

प्रकटीकरण आवश्यकताएं	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	ih9

शासन, नेतृत्व और निरीक्षण

7. व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए वक्तव्य (इस प्रकटीकरण के स्थानन के संबंध में सूचीबद्ध इकाई के पास लचीलापन है)

बीआरएसआर पर निदेशक का वक्तव्य

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक (परियोजनाएँ) के रूप में, मुझे हमारी पहली व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) (जिसे पहले व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था) के प्रकाशन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह रिपोर्ट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूपानुसार तैयार की गई है।

बीआरएसआर पावरग्रिड की संवहनीयता पहलों और निष्पादन का अवलोकन प्रदान करने वाला एक व्यापक दस्तावेज है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास और कॉर्पोरेट प्रशासन सहित विभिन्न प्रकार के विषय शामिल हैं।

इस बीआरएसआर का प्रकाशन पावरग्रिड के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह संवहनीयता लक्ष्यों के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह हमारे हितधारकों को भी दिखाता है कि हम संवहनीयता को लकर गंभीर हैं और हम अपने पर्यावरण और सामाजिक निष्पादन में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं।

मैं हमारे संवहनीयता लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करने के लिए अपने सभी ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैं बीआरएसआर को संजोने लाने के लिए अथक प्रयास करने वाली टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मुझे विश्वास है कि हमें बीआरएसआर से अपनी संवहनीयता पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपने हितधारकों के साथ संबंध मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। मुझे यह भी विश्वास है कि इससे हमें अपने पर्यावरणीय और सामाजिक निष्पादन में भी सुधार जारी रखने में मदद मिलेगी।

संवहनीय रीति से परिचालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि हमारी दीर्घकालिक सफलता के लिए और हम जिन समुदायों की सेवा करते हैं, उनकी भलाई के लिए संवहनीयता आवश्यक है।

हमारी संवहनीयता पहलों में शामिल हैं:

- **आंतरिक उपभोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के अंगीकरण के साथ ही ग्रिड के साथ एकीकरण के लिए एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करना:**

  हम 2025 तक अपनी 50 प्रतिशत आंतरिक ऊर्जा जरूरतों का नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे द्वारा पहले ही 8.2 मेगावाटपी सौर क्षमता संस्थापित की जा चुकी है और 67 डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल दिया गया है। हम संपूर्ण भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

- **जल पर प्रभाव का ख्याल रखना**

  हमने 2030 तक शुद्ध जल सकारात्मकता प्राप्त करने का लक्ष्य रखने वाली जल प्रबंधन नीति अपनाई है।

- **प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपभोग और उत्तरदायित्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन**

  हम इष्टतम और उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपना अपशिष्ट उत्पादन कम करने और यथासंभव अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करने के लिए भी काम कर रहे हैं।

- **कार्बन सिंक का संरक्षण और निर्माण करना**

  हम कार्बन सिंक का संरक्षण और निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों में वनों में अपनी भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक कम कर दी है। हमने 656,702 पेड़ भी लगाए हैं, जो सालाना 14,296 टन कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषित करेंगे।

- **प्रभावपूर्ण सीएसआर परियोजनाओं का सूत्रपात करना**

  हम अपना 2 प्रतिशत कर पूर्व लाभ सामाजिक रूप से प्रासंगिक सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च करते हैं। ये परियोजनाएँ ग्रामीण आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कौशल विकास पर केंद्रित हैं।

- **संवहनीयता के लिए प्रौद्योगिकी को सक्रिय रूप से अपनाना**

  हम नवाचारी तकनीकों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमारी अपना पर्यावरणीय प्रभाव कम करने में मदद कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, हम अपने द्वारा भूमि उपयोग में कमी लाने और वन्यजीवों पर अपना प्रभाव कम करने के लिए मल्टी–सर्किट टावरों, नैरो बेस टावरों और बेहतर कंडक्टरा का उपयोग कर रहे हैं, ट्रांसफार्मरों के लिए एस्टर तेल से सिंथेटिक तेल का प्रतिस्थापन कर रहे हैं, अधिक पर्यावरण अनुकूल गैसों से एसएफ 6 गैस का प्रतिस्थापन कर रहे हैं, डिजिटल सबस्टेशनो का विकास कर रहे हैं जिनमें तांबे की केबल का उपयोग, आदि कम से कम करते हुए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जा रहा है।

- संवहनीयता की दिशा में पावरग्रिड द्वारा की गई प्रगति पर मुझे गर्व है। हम अपने संवहनीयता लक्ष्यों की दिशा में काम करना जारी रखने और पर्यावरण और उन समुदायों के लिए फायदेमंद तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं।

अभय चौधरी

निदेशक (परियोजनाएँ)

प्रकटीकरण आवश्यकताएं	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	ih9
8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	निदेशक (परियोजनाएँ)								
9. क्या इकाई में संवहनीयता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/ निदेशक की समिति है? (हाँ/ नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।	श्री अभय चौधरी, निदेशक (परियोजनाएं) ईमेल: d.proj@powergrid.in								

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण

समीक्षा का विषय	स्पष्ट करें कि क्या समीक्षा निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/ कोई अन्य – कृपया उल्लेख करें)								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के प्रति प्रदर्शन एवं अनुवर्ती कार्यवाही	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ	सभी समीक्षाएँ आवश्यकता आधार पर की जाती हैं								
सिद्धांतो के लिए प्रासंगिक सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन और, किसी गैर–अनुपालन का परिशोधन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ	सभी समीक्षाएँ आवश्यकता आधार पर की जाती हैं								

11. क्या इकाई ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कार्यकरणज का स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन कराया है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं'	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ

प्राइस वाटर हाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) ने उपर्युक्त नीतियों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है।

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर ''नहीं'' है अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति में शामिल नहीं हैं, तो कारण बताया जाना चाहिए:

प्रश्न	सिद्धांत 7– जिम्मेदार सार्वजनिक नीति की हिमायत
इकाई अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों का लिहाज नहीं करती है (हाँ/नहीं)।	नहीं
इकाई इस अवस्था में नहीं है जिसमें यह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ तैयार करने और लागू करने की स्थिति में है (हाँ/नहीं)।	नहीं
इकाई के पास इस काम के लिए वित्तीय या मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)।	नहीं
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है वर्ष (हाँ/नहीं)।	नहीं
कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेख करें).	पावरग्रिड विभिन्न औद्योगिक और व्यापारिक निकायों का सदस्य है और अपने हितों पर प्रभाव मुद्दों और नीतिगत मामलों पर इन मंचों पर भाग लेता है। जहाँ भी आवश्यक होती है, हम सीईआरसी, सीईए, एमओपी, ट्राई, एमओईएफसीसी और अन्य प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए विभिन्न दृष्टिकोण पत्रों, परामर्श पत्रों, प्रारूप विनियमों और नियमों आदि पर जिम्मेदार एवं पारदर्शी ढंग से अपनी टिप्पणियाँ देते हैं।

अनुभाग ग - सिद्धांतवार प्रदर्शन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1: व्यवसायों को मानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना आचरण और शासन करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत आने वाले विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल संबंधित श्रेणियों के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	3	सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को कवर करने वाले परिचय कार्यक्रम; रणनीति/उद्योग रुझान; नैतिकता एवं शासन; और कंपनी के संचालन के साथ–साथ कानूनी और नियामक मामलों को व्यापक रूप से संबोधित किया जाता है	50%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	3	सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को कवर करने वाले परिचय कार्यक्रम; रणनीति/उद्योग रुझान; नैतिकता एवं शासन; और कंपनी के संचालन के साथ–साथ कानूनी और नियामक मामलों को व्यापक रूप से संबोधित किया जाता है	45.45%
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (कर्मचारियों को छोड़कर) को छोड़कर, कर्मचारी.	622	तकनीकी, स्वास्थ्य, पॉश अधिनियम, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि	85%
कामगार (कामगार कर्मचारी)	232	तकनीकी, स्वास्थ्य, पॉश अधिनियम, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि	94%

2. **वित्त वर्ष 23 में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (संस्था द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/पुरस्कार/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण।**

   कंपनी ने सभी वैधानिक विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत शासन संरचना स्थापित की है। वर्ष के दौरान कोई जुर्माना, दंड या किसी अन्य प्रकार का निपटान/दंडात्मक भुगतान नहीं किया गया है।

मौद्रिक					
	एनजी आरबीसी सिद्धांत	विनियामक/ प्रवर्तन एजेंसियां/ न्यायिक संस्थानों का नाम	राशिः (₹ में)	वाद का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील करना पसंद किया गया है (हां/नहीं)
जुर्माना/जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेटलमेंट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गैर–मौद्रिक					
	एनजी आरबीसी सिद्धांत	विनियामक/ प्रवर्तन एजेंसियां/ न्यायिक संस्थानों का नाम	राशिः (₹ में)	वाद का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील करना पसंद किया गया है (हां/नहीं)
कारावास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सज़ा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3. **उपर्युक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में अपील/संशोधन के विवरण को प्राथमिकता दी जाती है, जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।**

वाद का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम
लागू नहीं	लागू नहीं

4. क्या संस्था की भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वतखोरी विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षिप्त में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब लिंक प्रदान करें।

पावरग्रिड अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता और निरंतरता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पावरग्रिड निम्नलिखित सहित सभी स्तरों पर नैतिक आचरण को मजबूत करने के लिए कई नीतियों/नियमों का पालन करती है:

- **व्यापार नैतिकता तथा आचरण संहिताः** पावरग्रिड ने दो अलग–अलग व्यापार नैतिकता तथा आचरण संहिता निर्धारित की हैं – एक बोर्ड के सदस्यों के लिए और दूसरा कंपनी के विज़न और मिशन के अनुरूप वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों (सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में प्रतिनियुक्त लोगों सहित) के लिए और इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है।
- **पावरग्रिड आचरण और अनुशासन अपील नियम (पावरग्रिड सीडीए नियम):** पावरग्रिड सीडीए नियम कर्मचारियों के लिए वांछनीय और अवांछनीय कृत्यों और आचरण को परिभाषित करते हैं और इसके साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों (सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में प्रतिनियुक्त सहित) पर लागू होते हैं। रिश्वत और भ्रष्टाचार के पहलू भी सीडीए नियमों के अंतर्गत आते हैं। निर्धारित शर्तों का पालन न करने के साथ–साथ किसी भी कदाचार के मामले में कार्रवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया है।
- **व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम नीतिः** व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति, कर्मचारियों द्वारा किए गए खुलासे या पावरग्रिड के कर्मचारियों (सभी पूर्णकालिक, अंशकालिक या तदर्थ/ अस्थायी/ अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों) के साथ–साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं या पावरग्रिड के साथ किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाली किसी भी बाहरी एजेंसी (ओं) के प्रतिनिधि से जुड़ी किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी की शिकायत के लिए प्रणाली प्रदान करती है।

उपर्युक्त नीतियों के लिए लिंक https://www.powergrid.in/code-conductpolicies?title=&page=1 है

इसके अलावा, पावरग्रिड द्वारा अपनी व्यावसायिक प्रथाओं में ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करने के लिए कई पहल की गई हैं/की जा रही हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सुपरिभाषित **"शक्तियों का प्रत्यायोजन"** व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए शीर्ष अधिकारियों तथा निचले कर्मचारियों की शक्तियों का परिसीमन करता है।
- "काम सौंपे जाने के पूर्व और सौंपे जाने के बाद के चरणों के लिए **कार्य और खरीद नीति और प्रक्रिया (WPPP)"** (समय–समय पर संशोधित) ताकि नीतियों और प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और अपने व्यवसाय संचालन के दौरान समान रूप से संचालित करने में आसान बनाया जा सके और जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ त्वरित और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने पर प्रमुख जोर दिया जा सके।
- **"इंटीग्रिटी पैक्ट प्रोग्राम"** लागू किया गया है जिसे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में उपयोगी उपकरण माना जाता है। ₹100 करोड़ से अधिक के अनुबंधों की निगरानी "इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स (IEM)" के पैनल द्वारा भी की जाती है। इसके अलावा, इंटीग्रिटी पैक्ट प्रोग्राम (IPP) से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की समीक्षा सीवीसी द्वारा की गई है और अपनाने के लिए एक संशोधित एसओपी (एसओपी 2021) तैयार किया गया है। पावरग्रिड ने अपने व्यावसायिक संदर्भ में संशोधित एसओपी लागू किया है। संशोधित एसओपी के अनुसार, अनुबंध के तहत काम करने से पहले ठेकेदार अपने उपठेकेदारों के साथ इंटीग्रिटी समझौते पर भी हस्ताक्षर करेगा।
- पावरग्रिड, प्रमुख रूप से, निवारक, सक्रिय सतर्कता पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसका उद्देश्य बेहतर पारदर्शिता और संगठन के भीतर सुशासन को बढ़ावा देना है।

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके खिलाफ रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी।

	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2021–22
निदेशक	0 (शून्य)	0 (शून्य)
केएमपी	0 (शून्य)	0 (शून्य)
कर्मचारी	1	1
कामगार	0 (शून्य)	0 (शून्य)

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरणः

वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 22 में निदेशकों/केएमपी के खिलाफ हितों के टकराव के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

	वर्ष 2022–23		वर्ष 2021–22	
	संख्या	टिप्पणियाँ	संख्या	टिप्पणियाँ
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दे के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0 (शून्य)		0 (शून्य)	
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दे संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0 (शून्य)		0 (शून्य)	

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माना/अर्थदण्ड/की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

कोई नहीं।

सिद्धांत 2: व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को इस तरह से प्रदान करना चाहिए जो संधारणीय और सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक:

1. **इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान और विकास और कैपेक्स निवेशों पर उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।**

पावरग्रिड ऐसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रही है, जिनका इसके संचालन पर प्रभाव पड़ता है।

ऐसी पहलों के कुछ विशिष्ट उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

- आईआईटी कानपुर के सहयोग से सबस्टेशन इंस्पेक्शन रोबोट के विकास की शुरुआत की गई है। तैनात होने के बाद, यह पारंपरिक मैनुअल गतिविधियों के स्थान पर रोबोटों को नियुक्त करके यह श्रमिकों के लिए दुर्घटनाओं और चोटों के जोखिम को कम कर सकती है।
- 800 केवी उपकरण के लिए रेज़िन इंप्रेग्नेटेड पेपर बुशिंग विकसित किए गए हैं और आस-पास के उपकरणों को होने वाले विनाशकारी नुकसान को रोकने के लिए तैनात किए जा रहे हैं और बुशिंग की विफलता की अप्रत्याशित स्थिति में कर्मचारियों की सुरक्षा में सुधार कर सकते हैं।
- डिजिटल सबस्टेशनः कॉपर केबल को ऑप्टिकल फाइबर केबल से बदल दिया गया है।
- जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए एसएफ6 (SF_6) गैस के विकल्प का उपयोग खोजा जा रहा है।

इसके अलावा, पावरग्रिड का महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से संबंधित है।

2. **क) त्रक्या संधारणीय सोर्सिंग के लिए इकाई के पास प्रक्रियाएँ हैं? (हां/नहीं)**

पावरग्रिड अपनी विभिन्न खरीद आवश्यकताओं के लिए संधारणीय सोर्सिंग की दिशा में पूर्व-निर्धारित प्रक्रमों और प्रक्रियाओं के सेट का अनुसरण करती है। इन प्रक्रमों और प्रक्रियाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि पावरग्रिड की खरीद गतिविधियां पर्यावरण और सामाजिक रूप से जिम्मेदार हैं और वे सभी प्रासंगिक वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं।

पावरग्रिड की स्थायी खरीद पद्धतियों के कुछ प्रमुख तत्वों में शामिल हैं:

वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालनः पावरग्रिड, सभी ठेकेदारों को प्रदूषण की रोकथाम, श्रम मानकों और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित सभी प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का पालन करने की आवश्यकता अनिवार्य करती है जैसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1979, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 आदि।

पर्यावरण प्रबंधन योजना का विकासः जिन ठेकेदारों को आपूर्ति-सह-स्थापना पैकेज के लिए अनुबंध दिए जाते हैं, उनके लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना को विकसित करने और कार्यान्वित करने की अनिवार्यता नियत की जाती है।

इस योजना को परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करना और उनका आकलन करना और इन प्रभावों को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों की रूपरेखा तैयार करना अनिवार्य होता है।

इंटीग्रिटी पैक्ट प्रोग्राम को अपनानाः पावरग्रिड ने एक इंटीग्रिटी पैक्ट प्रोग्राम अपनाया है, जो पावरग्रिड और उसके ठेकेदारों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। इंटीग्रिटी पैक्ट, ठेकेदार को व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध करता है और यह ठेकेदार को भ्रष्ट या कपटपूर्ण प्रथाओं में शामिल होने से रोकता है।

"उपर्युक्त के अलावा, काम के निष्पादन के दौरान अनुपालन के लिए विक्रेताओं/ठेकेदारों के साथ दर्ज किए गए अनुबंधों में संधारणीयता से संबंधित विभिन्न पहलू अंतर्निहित हैं। इनमें से कुछ पहलू इस प्रकार हैं:

- **आपूर्तिकर्ताओं की प्रक्रियाओं, उत्पादों या सेवाओं के लिए पर्यावरण मानकों के लिए आपूर्तिकर्ता आचार संहिता –** ठेकेदार को पर्यावरणीय प्रभावों के प्रबंधन की एक परिचालन प्रणाली स्थापित करने और पर्यावरण प्रबंधन योजना में निर्धारित सभी निगरानी और शमन उपायों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ठेकेदारों को सामाजिक जवाबदेही मानकों (एसए8000) की सभी आवश्यकताओं का पालन करना भी आवश्यक होता है।
- **बाल श्रम से संबंधित आपूर्तिकर्ता आचार संहिता,** निविदा दस्तावेज़ में बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986)

के प्रावधान के माध्यम से नियंत्रित होती है। इसके अलावा, ठेकेदार को सामाजिक जवाबदेही मानकों की सभी आवश्यकताओं (एसए 8000) का अनुपालन करना भी आवश्यक होता है।

- **मूल मानव अधिकारों (जैसे, श्रम, संघ की स्वतंत्रता) से संबंधित आपूर्तिकर्ता आचार संहिता,** निविदा दस्तावेज़ में दिए गए प्रावधान (श्रम विनियमों का अनुपालन) के माध्यम से नियंत्रित होती है। इसके अलावा, ठेकेदार को सामाजिक जवाबदेही मानकों (एसए 8000) की सभी आवश्यकताओं का पालन करना और संबंधित निविदा के लिए निष्पादित इंटीग्रिटी पैक्ट की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करना भी आवश्यक होता है।

बिजली व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए सख्त समयसीमा वाली बड़ी और जटिल तकनीकी ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए खरीद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पावरग्रिड में संबंधित परियोजना के तहत प्रत्येक खरीद की प्रकृति महत्वपूर्ण होती है। इसलिए, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता क्षमता और योग्यता विश्लेषण के लिए पैकेज–वार योग्य होने की आवश्यकता, पूर्व–परिभाषित घटनाओं पर खरे उतरने आदि जैसी विभिन्न स्तरों की जांच से गुजरता है।

ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

उपर्युक्त जानकारी संधारणीय सोर्सिंग के लिए परिभाषित प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती है, जिसमें पर्यावरण मानकों, बाल श्रम और मूल मानवाधिकारों के लिए आपूर्तिकर्ता आचार संहिता शामिल हैं। ठेकेदारों को इन संहिताओं के साथ–साथ एसए 8000 और इंटीग्रिटी पैक्ट जैसे विशिष्ट मानकों का अनुपालन करना आवश्यक होता है। क्षमता और योग्यता का आकलन करने के लिए बड़ी और जटिल परियोजनाओं की खरीद की कड़ी जांच की जाती है। यह दर्शाता है कि पावरग्रिड के पास यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक ढांचा है कि संधारणीय सोर्सिंग प्रथाओं का पालन किया जाए।

3. **(क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (इ) ई–कचरा (ब) खतरनाक कचरे और (क) अन्य कचरे के लिए, पुनः उपयोग के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने, पुनर्चक्रण और उपयोगी जीवनकाल समाप्त होने पर निपटान के लिए मौजूद प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

कंपनी, कचरा प्रबंधन नीति से अपना मार्गदर्शन प्राप्त करती है। कंपनी की कचरा प्रबंधन पद्धतियां उत्पन्न कचरे का सूचीकरण करने, उत्पन्न कचरे को विभिन्न श्रेणियों में अलग करने; कचरे को कम करने, अपशिष्ट उत्पादन की तीव्रता की गणना, अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण और जहां भी संभव हो आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के लिए कचरे के पुनः उपयोग; और अंत में अवशिष्ट कचरे के सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटान पर केंद्रित हैं।

कचरे का प्रकार	कचरे के प्रबंधन के लिए लागू प्रक्रिया
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	कंपनी ने रीसाइक्लिंग के लिए प्रक्रियाओं को लागू किया है सभी प्रकार के कचरे का निपटान सरकार द्वारा प्राधिकृत रिसाइकलर और निपटान स्थलों, जो लागू हों, के माध्यम से कर रही है।
ई–कचरा	
खतरनाक कचरा	
अन्य कचरा (रद्दी कागज और कागज के उत्पाद)	

4. **क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होती है (हां/नहीं)। यदि हाँ, तो क्या कचरा संग्रहण योजना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत ईपीआर योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदम बता।**

लागू नहीं है

खंड क - सामान्य प्रकटीकरण

ESSENTIAL INDICATORS

1. **a. Details of measures for the well-being of employees.**

श्रेणी	% कर्मचारियों को यह लाभ मिला										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		शिशु देखभाल सुविधा	
		संख्या (ख)	% (ख/क	संख्या (ग)	% (ग/क	संख्या (घ)	% (घ/क	संख्या (ड.)	% (ड./क	संख्या (च)	% (च/क
स्थायी कामगार											
पुरुष	6036	6036	100%	6036	100%	NA	NA	6036	100%	NA	NA
महिला	582	582	100%	582	100%	582	100%	NA	NA	NA	NA
कुल	**6618**	**6618**	**100%**	**6618**	**100%**	**582**	**100%**	**6036**	**100%**	**NA**	**NA**
स्थायी कामगारों के अतिरिक्त											
पुरुष	330	330	100%	330	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
महिला	38	38	100%	38	100%	38	100%	NA	NA	NA	NA
कुल	**368**	**368**	**100%**	**368**	**100%**	**38**	**100%**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

b. Details of measures for the well-being of workers:

श्रेणी	% कर्मचारियों को यह लाभ मिला										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		शिशु देखभाल सुविधा	
		संख्या (ख)	% (ख/क	संख्या (ग)	% (ग/क	संख्या (घ)	% (घ/क	संख्या (ड.)	% (ड./क	संख्या (च)	% (च/क
स्थायी कामगार											
पुरुष	1626	1626	100%	1626	100%	NA	NA	1626	100	NA	NA
महिला	98	98	100%	98	100%	98	100%	NA	NA	NA	NA
कुल	**1724**	**1724**	**100%**	**1724**	**100%**	**98**	**100%**	**1626**	**100%**	**NA**	**NA**
स्थायी कामगारों के अतिरिक्त											
पुरुष	13603	13603	100%	13603	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
महिला	687	687	100%	687	100%	687	100%	NA	NA	NA	NA
कुल	**14290**	**14290**	**100%**	**14290**	**100%**	**687**	**100%**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

2. **सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण**

हम अपने मानव संसाधनों को अपनी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानते हैं। हम उन्हें विभिन्न प्रकार के भत्ते और लाभ प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जिनमें सभी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रदान किए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभ, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ आदि। ये लाभ इन तक ही सीमित नहीं है।

लाभ	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	कितने : कर्मचारियों को यह लाभ मिला	कितने % कामगारों को यह लाभ मिला	कटौती की गई और प्राधिकारी के पास जमा किया गया	कितने % कर्मचारियों को यह लाभ मिला	कितने % कामगारों को यह लाभ मिला	कटौती की गई और प्राधिकारी के पास जमा किया गया
पीएफ	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ
ग्रेच्युटी	100%	100%	लागू नहीं	100%	100%	लागू नहीं
ईएसआई	निल'	100% कामगार पात्र	हां (जहां लागू हो)	लागू नहीं*	100% कामगार पात्र	हां ;जहां लागू होद्ध
चिकित्सा सुविधाएं और दुर्घटना बीमा	100% स्थायी कर्मचारियों को कंपनी की ओर से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य 100% कर्मचारियों को सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है।	100% स्थायी कामगारों को कंपनी की ओर से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्थायी कामगारों के अतिरिक्त अन्य 100% कर्मचारी जो ईएसआई के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें कर्मचारी मुआवजा बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है।	लागू नहीं	100% स्थायी कर्मचारियों को कंपनी की ओर से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई। स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य 100% कर्मचारियों को सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया।	100% स्थायी कामगारों को कंपनी की ओर से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई। स्थायी कामगारों के अतिरिक्त अन्य 100% कर्मचारी जो ईएसआई के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें कर्मचारी मुआवजा बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया	लागू नहीं
अन्य पेंशन	100: स्थायी कर्मचारी	100: स्थायी कर्मचारी	हाँ	100: स्थायी कर्मचारी	100: स्थायी कर्मचारी	हाँ
अन्य सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	100: स्थायी कर्मचारी	100: स्थायी कर्मचारी	लागू नहीं	100: स्थायी कर्मचारी	100: स्थायी कर्मचारी	लागू नहीं

* कोई भी कर्मचारी (स्थायी या स्थायी के अतिरिक्त) ईएसआई के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि उनका वेतन/मजदूरी निर्दिष्ट वेतन सीमा से अधिक है।

3. **कार्यस्थलों की सुलभता**

क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय विकलांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इकाई द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाया जा रहा है?

हां, पावरग्रिड पूरे संगठन में एक समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देता है और अपने कार्यस्थलों को सुलभ बनाने का विशेष ध्यान रखता है। कंपनी के सभी प्रतिष्ठान दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ हैं और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

कंपनी अपनी प्रतिबद्धता को और ठोस बनाने के लिए, ष्समान अवसर नीतिष रूपरेखा का पालन करती है। इसमें, विभिन्न कर्मचारियों और श्रमिकों की सहायता के लिए एक अनुकूल, बाधा मुक्त वातावरण और व्यवस्था प्रदान करने से संबंधित पक्ष सम्मिलित हैं। हम सुलभ भारत अभियान/सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत मानकों के अनुरूप होने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और इस प्रकार हमारे पास दिव्यांगजनों के लिए रैंप, विकलांग अनुकूल लिफ्ट आदि की सुविधाएं हैं। हमने अपनी वेबसाइट में स्क्रीन रीडर एक्सेस सुविधा उपलब्ध कराकर अतिरिक्त सुलभता सुविधाएं भी जोड़ी हैं।

4. **क्या इकाई के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो पॉलिसी का वेब लिंक प्रदान करें।**

हाँ।

कंपनी का समान अवसर सभी के लिए समावेशी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देता है और उस पर उचित कार्रवाई की जाती है।

लिंक : https://www.powergrid.in/sites/default/files/inline-files/16_Equal_Opportunity_Policy_1.pdf

5. **मातृत्व और पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।**

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
	काम पर वापसी की दर	प्रतिधारण दर*	काम पर वापसी की दर	प्रतिधारण दर*
पुरुष	100%	100%	100%	100%
महिला	100%	100%	100%	100%
कुल	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

* वित्त वर्ष 2022–23 के अंत में उन कर्मचारियों/कामगारों के लिए प्रतिधारण दर की गणना की गई, जिन्होंने मातृत्व–पितृत्व अवकाश का लाभ उठाया था

6. **क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।**

शिकायत निवारण हमारे व्यावसायिक ढांचे की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा है। कंपनी ने अपनी प्रतिबद्धता का पालन किया है, जहां उसने हमेशा भारत सरकार (और इसकी एजेंसियों) और नीति ढांचे द्वारा उल्लिखित दिशानिर्देशों के व्यापक मापदंडों के भीतर अपने कर्मचारियों और अन्य संबंधित हितधारकों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया है।

	अगर हां, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें
स्थायी कामगार	पावरग्रिड के पास अपने स्थायी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक सुव्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र है। कर्मचारी शिकायतों के समयबद्ध निवारण और निष्पक्ष और न्यायसंगत कर्मचारी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया/तंत्र मौजूद है। वित्त वर्ष 2020–21 से, हमने कंपनी के कर्मचारी स्वयं–सेवा (ईएसएस) पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी शिकायत प्रक्रिया को ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया है।
स्थायी कामगार के अतिरिक्त	स्थायी कामगारों के अतिरिक्त अन्य कामगार, संबंधित प्राधिकारी को लिखित रूप में/ई–मेल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए खुले दरवाजे की नीति में विश्वास करती है।
स्थायी कर्मचारी	कंपनी के पास अपने स्थायी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक सुव्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र है। कर्मचारी शिकायतों के समयबद्ध निवारण और निष्पक्ष और न्यायसंगत कर्मचारी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया/तंत्र मौजूद है। वित्त वर्ष 2020–21 से, हमने कंपनी के कर्मचारी स्वयं–सेवा (ईएसएस) पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी शिकायत प्रक्रिया को ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया है।
स्थायी कर्मचारी के अतिरिक्त	स्थायी कामगारों के अतिरिक्त अन्य कामगार, संबंधित प्राधिकारी को लिखित रूप में/ई–मेल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए खुले दरवाजे की नीति में विश्वास करती है।

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / कामगार (A)	संबंधित श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जो किसी एसोसिएशन या संघ के सदस्य हैं (B)	% (B/A)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / कामगार (C)	संबंधित श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जो किसी एसोसिएशन या संघ के सदस्य थे (D)	% (D/C)
कुल स्थायी कर्मचारी	6618	1036	16%	6649	1037	16%
पुरुष	6036	986	16%	6089	987	16%
महिला	582	50	9%	560	50	9%
कुल स्थायी कामगार	1724	1724	100%	1887	1887	100%
पुरुष	1626	1626	100%	1775	1775	100%
महिला	98	98	100%	112	112	100%

ध्यान दें: उपरोक्त के अतिरिक्त, एससी/एसटी/ओबीसी समुदायों से संबंधित कर्मचारियों का भी विभिन्न संघों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है।

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण:

पावरग्रिड नियमित रूप से स्वास्थ्य और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण आयोजित करता है, जिसमें पारेषण लाइनों और उप केंद्रों के निर्माण में सुरक्षा, पारेषण लाइनों और उप केंद्रों के संचालन और अनुरक्षण, तनाव और स्वास्थ्य प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा सम्मिलित है।

पावरग्रिड ने हमारे सभी अनुबंध दस्तावेजों के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रशिक्षण भी शामिल किया है। ठेकेदारों को प्रशिक्षण के लिए सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। ठेका कामगारों को सुरक्षा पहलुओं से परिचित कराने के लिए पावरग्रिड के कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय सुरक्षा विभागों और बाहरी संकायों द्वारा सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022–23					वित्त वर्ष 2022–23				
	कुल (क)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मापदंडों के संबंध में		कौशल उन्नयन के संबंध में		कुल (घ)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मापदंडों के संबंध में		कौशल उन्नयन के संबंध में	
		संख्या (ख)	% (ख/क	संख्या (ग)	% (ग/क		संख्या (घ)	% (घ/क	संख्या (ड.)	% (ड./क
					कर्मचारी*					
पुरुष	6036	5306	87.90	5384	89.19	6089	5422	89.04	4637	76.15
महिला	582	501	86.08	540	92.78	560	473	84.46	432	77.14
कुल	**6618**	**5807**	**87.74**	**5924**	**89.51**	**6649**	**5895**	**88.65**	**5069**	**76.23**
					कामगार*					
पुरुष	1626	1355	83.33	1510	92.86	1775	1437	80.09	1281	78.78
महिला	98	69	70.4	93	94.89	112	76	67.85	89	90.81
कुल	**1724**	**1424**	**82.59**	**1603**	**92.98**	**1887**	**1513**	**80.18**	**1370**	**79.46**

* आंकड़े स्थायी कर्मचारियों और स्थायी कामगारों से संबंधित हैं

- वित्त वर्ष 2022–23 में 1207 सुरक्षा प्रशिक्षण (कामगारों समेत कर्मचारी) आयोजित हुए वित्त वर्ष 2021–22 में 886 सुरक्षा प्रशिक्षण (कामगारों समेत कर्मचारी) आयोजित हुए।
- वित्त वर्ष 2022–23 में निर्माण एजेंसी के कामगारों/कर्मचारियों के लिए 5374 सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित हुए वित्त वर्ष 2021–22 में निर्माण एजेंसी के कामगारों/कर्मचारियों के लिए 5063 सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित हुए।

9. कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और करियर प्रगति समीक्षाओं का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2022–23		
	Total (A)	No. (B)	% (B / A)	Total (C)	No. (D)	% (घ / ग)
कर्मचारी*						
पुरुष	6036	6036	100%	6089	6089	100%
महिला	582	582	100%	560	560	100%
कुल	6618	6618	100%	6649	6649	100%
कामगार*						
पुरुष	1626	1626	100%	1775	1775	100%
महिला	98	98	100%	112	112	100%
कुल	**1724**	**1724**	**100%**	**1887**	**1887**	**100%**

* आंकड़े स्थायी कर्मचारियों और स्थायी कामगारों से संबंधित हैं

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणालीरू

क) क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है?(हां/नहीं)। यदि हां, तो इस प्रणाली के दायरे में क्या–क्या सम्मिलित है?

पावरग्रिड अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 45001:2018 के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाणीकरण सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल बनाने के लिए पावरग्रिड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पावरग्रिड व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर स्थापित मानदंडों और विनियमों का पालन करता है। इसमें व्यापक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू करना शामिल है जो खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन से लेकर प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया तक कार्यस्थल सुरक्षा के सभी पक्षों पर ध्यान देता है। सुरक्षा के प्रति पावरग्रिड की प्रतिबद्धता केवल उसके अपने कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। कंपनी अपने ठेकेदारों से भी समान सुरक्षा मानकों का पालन करने को कहती है। यह सुनिश्चित करता है कि पावरग्रिड से संबंधित सभी कर्मचारी सुरक्षित रहें और स्वस्थ कार्य वातावरण में कार्य करें।

ख. कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने और इकाई द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

पावरग्रिड व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति अपने सक्रिय दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन (एचआईआरए) को बहुत गंभीरता से लेता है। कंपनी उन संभावित खतरों की पहचान करने के लिए कार्यस्थल का व्यापक सर्वेक्षण करती है जो खतरा पैदा कर सकते हैं। यह मूल्यांकन पावरग्रिड को इन खतरों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान का आकलन करने में सक्षम बनाता है। इस जानकारी का उपयोग प्रत्येक कर्मचारी के लिए आवश्यक विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षा गियर और उपकरणों को निर्धारित करने के साथ–साथ नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने के लिए किया जाता है।

पावरग्रिड चिह्नित खतरों से संबंधित जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करता है। इन उपायों में खतरनाक तत्वों को खत्म करना या प्रतिस्थापित करना, अत्याधुनिक इंजीनियरिंग नियंत्रण लागू करना, मजबूत प्रशासनिक नियंत्रण लागू करना और उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करना सम्मिलित है।

निरंतर अनुपालन और निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए, पावरग्रिड नियमित और औचक दौरे आयोजित करता है। मेहनती निरीक्षक सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करते हैं। निगरानी और मूल्यांकन के प्रति यह अटूट प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी संभावित अज्ञात कार्य–संबंधी खतरों का तुरंत पता लगाया जाए। ऐसे मामलों में, इन जोखिमों को हल करने और कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पावरग्रिड के गतिशील कार्य वातावरण में प्रत्येक कर्मचारी सुरक्षित रहे।

ग. क्या आपके पास कामगारों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और स्वंय को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)

हां, कंपनी की परियोजनाओं पर काम करने वाले कामगारों के लिए काम से संबंधित खतरों का सबसे आम प्रकार बिजली का झटका और ऊंचाई पर काम करना है। कार्य–संबंधी दोनों खतरों से निपटने के लिए नियमित रूप से सिस्टम–संबंधित पुष्टियाँ/अनुमतियाँ प्राप्त की जाती हैं। कंपनी अपनी परिचालन गतिविधियों में सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करती है। इन प्रक्रियाओं का पालन स्थानीय स्तर के साथ–साथ कार्यस्थलों पर भी किया जाता है। हम अपनी सभी पारेषण परियोजनाओं के लिए 100: पर्यवेक्षण नीति का भी पालन करते हैं जहां सुरक्षा अधिकारी और पर्यवेक्षक मौजूद होते हैं।

घ. क्या इकाई के कर्मचारियों/कामगारों के पास गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)

हां, पावरग्रिड ने अपने विभिन्न प्रतिष्ठानों के आसपास शीर्ष अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे कर्मचारियों/कामगारों को सर्वोत्तम श्रेणी की चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। कंपनी विभिन्न प्रतिष्ठानों/टाउनशिप के लिए अंशकालिक चिकित्सा सलाहकारों को भी नियुक्त करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सहायता आसानी से उपलब्ध हो।

सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण निम्नलिखित प्रारूप मेंरू

सुरक्षा संबंधी घटना/उसकी संख्या	श्रेणी*	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
समय ह्रास चोट आवृत्ति दर (LTIFR) (प्रति दस लाख व्यक्ति काम किया गया घंटा)	कर्मचारी	0.10	0.05
	कामगार	0.11	0.14
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटें	कर्मचारी	2	1
	कामगार	10	12
हताहतों की संख्या	कर्मचारी	0	0
	कामगार	7	6
कार्य–संबंधी गंभीर चोट या बीमारी (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	1	1
	कामगार	4	6

कर्मचारियों में पावरग्रिड के पेरोल पर सभी कर्मी सम्मिलित हैं। कामगारों में तीसरे पक्ष के ठेकेदार सम्मिलित हैं। यह परिभाषा केवल इस तालिका पर लागू होती है।

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का विवरण दें।

पावरग्रिड सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेता है। कंपनी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए तीन–स्तरीय सुरक्षा प्रणाली है कि उसकी संपत्तियों के डिजाइन, निर्माण और संचालन और अनुरक्षण के दौरान सभी लागू सुरक्षा कारकों को ध्यान में रखा जाता है। सुरक्षा प्रणाली में एक सुरक्षा सेल सम्मिलित है जो पारेषण लाइनों और उप केंद्रों से संबंधित गतिविधियों में दुर्घटना की रोकथाम के लिए सभी सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ सुरक्षा के संबंध में प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा भी करता है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न ओएंडएम और निर्माण स्थलों पर सभी अनुबंधित श्रमिकों और कंपनी के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा ऑडिट, निरीक्षण, प्रशिक्षण, सुरक्षा ब्रीफिंग और मॉक–ड्रिल किए जाते हैं। अग्नि सुरक्षा, तनाव, स्वास्थ्य प्रबंधन, और प्राथमिक चिकित्सा जैसे विभिन्न सुरक्षा पहलुओं पर सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। किसी भी अप्रिय घटना, तात्कालिकता या आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए साइटों पर मॉक–ड्रिल भी आयोजित की जाती हैं।

सुरक्षा दिशानिर्देशों, दुर्घटना निवारक उपायों और समिति की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए सभी साइटों पर दैनिक सुरक्षा ब्रीफिंग उस भाषा में आयोजित की जाती है जिसे कार्यकर्ता समझ सकें। इससे उन्हें उनके काम से जुड़े संभावित खतरों और उन्हें कम करने के बारे में शिक्षित करने में मदद मिलती है।

कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और संविदा कर्मियों को साथ लेकर आयोजित किए जाने वाले सुरक्षा दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा समारोह काम और घर पर सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करते हैं।

सभी पावरग्रिड कार्यालयों में अपेक्षित सुरक्षा सावधानियां बरती गई हैं। कंपनी के सभी प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा उपाय जैसे फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर की स्थापना और नियमित फायर ड्रिल सुनिश्चित किए जाते हैं।

संक्षेप में, पावरग्रिड अपने सभी कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सुरक्षा प्रणाली है कि सभी सुरक्षा कारकों को ध्यान में रखा जाएं, और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रक्रियाओं में उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।

13. निम्नलिखित के संबंध में कर्मचारियों और कामगारों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या :

	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	इस वर्ष में दर्ज कराई गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	इस वर्ष में दर्ज कराई गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
कार्य संबंधी स्थितियां	2	0		0	0	
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	0	0		0	0	

14. वर्ष के दौरान होने वाले मूल्यांकन :

पावरग्रिड को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक जवाबदेही मानक SA8000:2014 के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है। प्रमाणन तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के साथ कंपनी के अनुपालन का आकलन करते हैं। ये मानक बाल श्रम, जबरन श्रम, भेदभाव, यौन उत्पीड़न और पारिश्रमिक जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। पावरग्रिड यह भी सुनिश्चित करता है कि उसके सभी कार्यालयों के पास अग्निशमन विभाग से आवश्यक अग्नि सुरक्षा अनुमोदन और मूल्यांकन प्राप्त हों।

	(कंपनी या सांविधिक प्राधिकारियों अथवा तीसरे पक्षों द्वारा) आपके कितने संयंत्रों और कार्यालयों का मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य एवं सुरक्ष संबंधी कार्यप्रणालियां	100
कार्य संबंधी स्थितियां	100

15. सुरक्षा–संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कंपनी ने अपनी नीतियों और वैधानिक शर्तों में उल्लिखित सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं का पालन किया है।

किसी भी खतरनाक घटना की जांच एक दुर्घटना जांच समिति द्वारा की जाती है, जो घटना के कारणों का विश्लेषण करती है और भविष्य की घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपाय सुझाती है।

दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वयन और सीखने के लिए सभी साइटों पर व्यापक रूप से प्रसारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सभी खतरनाक घटनाओं और सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा स्थायी सुरक्षा प्रबंधन समिति और कंपनी के शीर्ष सुरक्षा बोर्ड द्वारा की जाती है, जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधि और निर्माण एजेंसियों के बोर्ड स्तर के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। समिति कार्यान्वयन के लिए सुरक्षा संवर्द्धन पर चर्चा करती है।

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

पावरग्रिड में, हितधारकों के साथ ठोस सहयोगी संबंधों को बढ़ावा देना इसके संगठनात्मक दर्शन की आधारशिला माना जाता है। हितधारकों की जरूरतों और चिंताओं को समझने के महत्व को पहचानते हुए, कंपनी सक्रिय रूप से जोखिमों को कम करने, सामाजिक वैधता को बनाए रखने, विश्वसनीयता बढ़ाने और हितधारकों के अटूट विश्वास को अर्जित करने के उद्देश्य से सहकारी प्रयासों में संलग्न है।

पावरग्रिड के हितधारक समुदाय में समर्पित कर्मचारियों, विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं, मूल्यवान ग्राहकों, विश्वसनीय व्यापार भागीदारों, सतर्क नियामक एजेंसियों और उनके परिचालन स्थलों के आसपास स्थित स्थानीय समुदायों सहित प्रमुख सहभागियों की एक विविध श्रृंखला सम्मिलित है। इन स्थानीय समुदायों के भीतर, पावर ग्रिड परिश्रमपूर्वक वंचित, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सहायता की आवश्यकता को चिह्नित किया जाता है और प्राथमिकता दिया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि संधारण ीय विकास में कोई भी पीछे न रह जाए।

आंतरिक रूप से, पावरग्रिड आंतरिक हितधारकों पर विशेष जोर देता है, जैसे कि विभिन्न पृष्ठभूमि से संबंधित कर्मचारी, जिनमें विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के व्यक्ति और महिलाएं शामिल हैं। कंपनी इन हितधारकों के अपार मूल्य और क्षमता को पहचानती है, एक समावेशी कार्य वातावरण का पोषण करती है जो समान अवसरों को बढ़ावा देता है और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

बाह्य रूप से, पावरग्रिड स्थानीय समुदायों के भीतर परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों (पीएपी/पीएएफ) की परिश्रमपूर्वक पहचान करता है और उनका समर्थन करता है। विशेष रूप से कमजोर समूहों , जिसमें विधवा महिला मुखिया वाले परिवार,

एससी/एसटी समुदायों के व्यक्ति और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) सम्मिलित पर ध्यान दिया जाता है । उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करके और इन बाहरी हितधारकों को सशक्त बनाकर, पावर ग्रिड उन समुदायों के भीतर समान विकास सुनिश्चित करने और संवहनीय प्रगति को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

हितधारक जुड़ाव के लिए इस व्यापक और सहानुभूतिपरक दृष्टिकोण के माध्यम से, पावरग्रिड खुद को एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में स्थापित करता है जो इसके संचालन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध है। हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करके, पावरग्रिड न केवल अपनी संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाता है बल्कि सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास के व्यापक लक्ष्य में भी योगदान देता है।

2. **आपकी इकाई के लिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति बताएं।**

हितधारक समूह	क्या कमजोर और वंचित समूहों के रूप में चिह्नित किया गया है (हां/नहीं)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचारपत्र, पम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठक, सूचना पट्ट, वेबसाइट), अन्य	संपर्क की आवृत्ति (वार्षिक/अर्ध–वार्षिक/त्रैमासिक अन्य– कृपया बताएं)	ऐसे संवादों के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित संवाद का उद्देश्य और दायरा
<विस्तृत तालिका के लिए, कृपया इस एकीकृत रिपोर्ट के हितधारक संवाद और भौतिकता मूल्यांकन अध्याय का पृष्ठ 49 देखें।>				

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

1. **जिन कर्मचारियों और श्रमिकों को निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:**

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	कुल (क)	कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया (ख)	% (ख/क	कुल (ग)	कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
स्थायी	6618	6618	100%	6649	6649	100%
स्थायी के अतिरिक्त	368	368	100%	434	434	100%
कुल कर्मचारी	**6986**	**6986**	**100%**	**7083**	**7083**	**100%**
कामगार						
स्थायी	1724	1724	100%	1887	1887	100%
स्थायी के अतिरिक्त	14290	14290	100%	12941	12941	100%
कुल कामगार	**16014**	**16014**	**100%**	**14828**	**14828**	**100%**

2. **Details of minimum wages paid to employees and workers.**

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022–23					वित्त वर्ष 2021–22				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के समान		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के समान		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		कुल (ख)	% (ख/क	कुल (ग)	% (ग/क		कुल (ड.)	% (ड./घ)	कुल (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
स्थायी										
पुरुष	6036	0	0%	6036	100%	6089	0	0%	6089	100%
महिला	582	0	0%	582	100%	560	0	0%	560	100%
स्थायी के अतिरिक्त										
पुरुष	330	0	0%	330	100%	401	0%	0%	401	100%
महिला	38	0	0%	38	100%	33	0%	0%	33	100%
कुल कर्मचारी	**6986**	**0**	**0%**	**6986**	**100%**	**7083**	**0**	**0%**	**7083**	**100%**

श्रेणी	वित्त वर्ष 2022–23					वित्त वर्ष 2021–22				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के समान		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के समान		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		कुल (ख)	% (ख/क	कुल (ग)	% (ग/क		कुल (ङ.)	% (ङ./घ)	कुल (च)	% (च/घ)
कामगार										
स्थायी										
पुरुष	1626	0	0	1626	100%	1775	0	0	1775	100
महिला	98	0	0	98	100%	112	0	0	112	100
स्थायी के अतिरिक्त										
पुरुष	13603	13603	100%	0	NIL	12348	12348	100%	0	NIL
महिला	687	687	100%	0	NIL	593	593	100%	0	NIL
कुल कामगार	**16014**	**14290**	**89.23%**	**1724**	**10.77%**	**14828**	**12941**	**87.27%**	**1887**	**12.73%**

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण।

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (BoD)	6	84,45,946	1	1,02,46,737
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	7	83,78,926	1	1,02,46,737
ठवक एवं KMP के अतिरिक्त कर्मचारी	6614	21,86,632	609	21,28,041
कामगार	1814	12,60,168	112	13,88,915

*आंकड़े स्थायी कर्मचारी और स्थायी कामगारों से संबंधित हैं।

4. क्या आपके पास ऐसा कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न मानवाधिकार समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार है? (हां/नहीं)

पावरग्रिड का मानना है कि जब मानवाधिकारों और मूल्यों का सम्मान और संरक्षण किया जाता है तो व्यवसाय की वृद्धि और सफलता कई गुना बढ़ जाती है। कंपनी ने अपने परिचालन वाले प्रत्येक स्थान में मानवाधिकारों का समर्थन करने वाली प्रथाओं को अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने और संस्थागत बनाने के लिए अपनी मानवाधिकार नीति तैयार की है।

मानवाधिकार नीति का अनुपालन कार्यालयों/परियोजनाओं/स्टेशनों/क्षेत्रों में संबंधित प्रमुखों द्वारा और कॉर्पोरेट केंद्र में कार्यकारी निदेशक (एचआर) द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त करने के लिए नोडल अधिकारी भी हैं।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

पावरग्रिड में, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और अप्रयुक्त क्षमता के प्रति सम्मान उनके मूल्यों के मूल में निहित है। यह मानते हुए कि मानव अधिकार नीति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता व्यवसाय की वृद्धि और सफलता दोनों के लिए सर्वोपरि है, पावरग्रिड निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है:

क) सामाजिक और आर्थिक गरिमा को बनाए रखनारू पावरग्रिड लिंग, जाति, सामाजिक या आर्थिक स्थिति, या धर्म जैसे कारकों के बावजूद, अपने कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक गरिमा और स्वतंत्रता को संरक्षित करने का प्रयास करता है। एक समावेशी और न्यायसंगत कार्य वातावरण को बढ़ावा देकर, पावरग्रिड यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मान, निष्पक्षता और समानता का व्यवहार किया जाए।

ख) मानवाधिकारों और श्रम मानकों के प्रति प्रतिबद्धतारू पावरग्रिड मानवाधिकारों और श्रम मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उत्साहपूर्वक सम्मान करता है और उसे बढ़ावा देता है। भारत के संविधान में निहित प्रावधानों, देश के कानूनों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, के अनुसार काम करते हुए, पावरग्रिड सक्रिय रूप से सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है और उन्हें कायम रखता है।

मानवाधिकारों के प्रति अपने समर्पण को और मजबूत करने के लिए, पावरग्रिड ने आंतरिक तंत्र का एक मजबूत ढांचा लागू किया है। कार्यकारी निदेशक (एचआर) नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसे मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों और शिकायतों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, कंपनी ने भेदभाव से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने

के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया है, व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति के तहत नोडल अधिकारियों की स्थापना की है और यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को संभालने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना की है। रिपोर्टिंग और निवारण के लिए इन विशेष कार्यप्रणाली की स्थापना करके, पावरग्रिड ने यह सुनिश्चित किया है कि लोगों के पास अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और समाधान खोजने का एक मंच हो।

इन प्रयासों को पूरा करने के लिए, पावरग्रिड ने सतर्कता विभाग और मानव संसाधन विभाग सहित समर्पित विभाग भी स्थापित किए हैं, जो आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का समाधान करते हैं। इस बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से, पावरग्रिड ने एक ऐसे कार्य वातावरण को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ है जो मानवाधिकारों के लिए अखंडता, जवाबदेही और सम्मान को बढ़ावा देता है।

गरिमा, समानता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों के प्रति इस अटूट प्रतिबद्धता के साथ, पावरग्रिड एक जिम्मेदार और नैतिक व्यावसायिक संस्कृति को अपनाता है।

6. निम्नलिखित से संबंधित कर्मचारियों और कामगारों द्वारा की गई शिकायतों की संख्याः

	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	इस वर्ष दर्ज कराई गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	इस वर्ष दर्ज कराई गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	1	0		3	0	
कार्यस्थल पर भेदभाव	8	0		2	0	
बाल श्रमिक	0	0		0	0	
बंधुआ मजदूर/अनैच्छिक श्रमिक	0	0		0	0	
मजदूरी	0	0		0	0	
मानवाधिकार से संबंधित अन्य समस्याएं	0	0		0	0	

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

भेदभाव के मामलों के लिए, विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों यानी एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारियों की पहचान की गई है ताकि निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उनकी शिकायतों को रिकॉर्ड किया जा सके और उनका समाधान किया जा सके। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय स्तर पर आईसीसी का गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के समाधान के साथ–साथ शिकायतकर्ता को किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाना है। इसके अतिरिक्त, कंपनी मानवाधिकार, समान अवसर, यौन उत्पीड़न की रोकथाम आदि पर अपनी व्यापक नीतियों के साथ–साथ सरकारी दिशानिर्देशों के तहत इन तंत्रों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। किसी भी प्रकार के भेदभाव के प्रति शून्य सहिष्णुता बरती जाती है।

8. क्या मानवाधिकार से संबंधित शर्तें आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)

हां, कंपनी मानवाधिकार के पक्षों के संबंध में अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों के प्रति अपनी बड़ी जिम्मेदारी को समझती है और यह सुनिश्चित करती है कि इससे संबंधित प्रावधान जैसे बाल श्रम पर रोक, जबरन और अनिवार्य श्रम की रोकथाम, मजदूरी का भुगतान और श्रम से संबंधित अन्य अनुपालन कानून इसके मूल्य श्रृंखला भागीदारों के साथ अनुबंधों में निर्मित होते हैं।

9. वर्ष के दौरान किए गए मूल्यांकन

	कंपनी या सांविधिक प्राधिकारियों अथवा तीसरे पक्षों द्वारा) आपके कितने संयंत्रों और कार्यालयों का मूल्यांकन किया गया
बाल श्रमिक	जबरन या अनिवार्य श्रम, स्वास्थ्य और सुरक्षा, भेदभाव और पारिश्रमिक सहित कार्यस्थल प्रथाओं की एक श्रृंखला सम्मिलित है। मानक के अनुपालन के लिए ऑडिट, नमूने के आधार पर तीसरे पक्ष के ऑडिटरों द्वारा कराए जाते हैं।
बंधुआ/ अनैच्छिक मजदूर	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
मजदूरी	
कोई अन्य हो – तो कृपया बताएं	

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

इस वर्ष के दौरान हमारा रिकॉर्ड साफ–सुथरा था। इस दौरान कदाचार या भेदभाव का कोई उदाहरण सामने नहीं आया, और हमने सभी लागू मानकों का अनुपालन करके नैतिक कार्य प्रथाओं को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी।

खंड क - सामान्य प्रकटीकरण

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत का विवरण (जूल या गुणक में) और ऊर्जा आधिक्यः

मापदंड	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
कुल बिजली खपत (A)	12,40,542 जीजे	12,31,111 जीजे
कुल ईंधन खपत (B)	1,81,717 जीजे	1,92,281 जीजे
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (C)	0 जीजे	0 जीजे
कुल ऊर्जा खपत (A+B+C)	14,22,259 जीजे	14,23,392 जीजे
टर्नओवर के हिसाब से प्रति रुपये ऊर्जा गहनता (कुल ऊर्जा खपत / रुपये में टर्नओवर)	31.20 जीजे/₹ करोड़ में	34.19 जीजे/₹ करोड़ में

टिप्पणीः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / कीमत निर्धारण / आश्वस्ति किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं

2. क्या कंपनी के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उसके लिए यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है तो उसका विवरण दें।

लागू नहीं

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
स्रोतों से जल की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	71,034	79,752
(ii) भूजल	23,60,841	21,35,268
(iii) तृतीय पक्ष से लिया गया जल (नगरपालिका से जलापूर्ति)	3,45,793	5,07,191
(पअ) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	शून्य	शून्य
(v) अन्य	शून्य	शून्य
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर मे) (i + ii+ iii + iv + v)	27,77,668	27,22,211
जलीय उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर मे)	27,77,668	27,22,211
टर्नओवर के हिसाब से प्रति रुपए जलीय गहनता (जलीय उपभोग/ टर्नओवर)	60.93 किली/करोड़ रु	65.40 किली/करोड़ रु

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / कीमत निर्धारण / आश्वस्ति किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं

4. क्या कंपनी ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की कोई व्यवस्था स्थापित की है? यदि हां, तो इसके लागू करने और इसके कवरेज का विवरण दें।

हांलांकि, पावरग्रिड के सबस्टेशनों से किसी प्रकार का औद्योगिक बहिस्त्राव नहीं होता है, फिर भी पावरग्रिड के पास जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सुशिश्चित करने का तंत्र है। हमारे सबस्टेशनों में केवल थोड़ा सा घरेलू अपशिष्ट जल पैदा होता है, जिसे सोख्ता गड्ढे या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) द्वारा उपचारित कर पुनः परिसर में ही उपयोग किया जाता है। केवल शहरी क्षेत्रों में स्थित कुछ कार्यालयों से थोड़ा सा घरेलू सीवेज नगरपालिका सीवरेज प्रणाली में जाता है।

5. **कृपया इकाई द्वारा होने वाले वायु उत्सर्जन का विवरण प्रदान करें (जीएचजी उत्सर्जन के अतिरिक्त):**

Parameter	Unit	FY 2022-23	FY 2021-22
NOx	लागू नहीं. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विद्युत शक्ति सबस्टेशनों में, कोई रसायनिक प्रक्रियाएं शामिल नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमारे संचालन/प्रतिष्ठान में किसी भी वायु प्रदूषक का उत्पादन नहीं होता है। हमारे सबस्टेशनों में वायु प्रदूषण के एकमात्र स्रोत डीजल जनरेटर हैं। इनका उपयोग बैकअप के रूप में किया जाता है। इन्हें कभी–कभी और केवल बहुत कम अवधि के लिए परीक्षण उद्देश्य के लिए चलाया जाता है, क्योंकि हमारे सबस्टेशनों में सहायक बिजली के दो बहुत स्थिर स्रोत हैं– डिस्कॉम से समर्पित फीडर और ग्रिड ट्रांसफार्मर से एक अलग भरोसेमंद बिजली स्रोत।		
SOx			
कणाकार पदार्थ (पीएम)			
स्थायी जैविक प्रदूषक (पीओपी)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)			
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)			
अन्य – ओजोन क्षयकारी पदार्थ (एचसीएफसी 22 या आर–22)			

टिप्पणीः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / कीमत निर्धारण / आश्वस्ति किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं

6. **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

मानक	यूनिट	विव 2022–23	विव 2021–22
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ 2, सीएच4, एन2 ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में ब्रेक–अप, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 के मीट्रिक टन के बराबर	1,19,517	1,21,026
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ 2, सीएच4, एन2 ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में ब्रेक–अप, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 के मीट्रिक टन के बराबर	2,37,554	2,35,954
स्कोप 1 और स्कोप 2 का कुल उत्सर्जन टर्नओवर के प्रति रुपये के हिसाब से		7.83 टन सीओ2 बराबर/करोड़ रु.	8.57 tCO_2 टन सीओ2 बराबर/करोड़ रु.

टिप्पणीः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/कीमत निर्धारण/आश्वस्ति किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं

7. **क्या इकाई के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।**

हां, जीएचजी उत्सर्जन और हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हमारी प्रमुख परियोजनाओं में से एक निम्नलिखित है–

क्र. सं.	शीर्षक	विवरण
1.	पृष्ठभूमि और अभ्यास का उद्देश्य/हस्तक्षेप	जलवायु परिवर्तन के मानव समाज पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, जलवायु परिवर्तन पर तत्काल कार्रवाई की मांग और भी तेज हो गई। उपभोक्ताओं, व्यवसायों और सरकारों सहित समाज के हर वर्ग ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु वैश्विक प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता को स्वीकार किया। पावरग्रिड आवश्यकता की इस भावना को साझा करता है और अधिक से अधिक स्वच्छ ऊर्जा की सुविधा प्रदान करके वैश्विक अवस्थांतरण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। डीजी सेट वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों का एक प्रसिद्ध स्रोत हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। डीजल जनरेटर का CO_2 उत्सर्जन 2.4–2.8 kg CO_2/L के बीच होता है, जो इंजन और ईंधन दोनों की विशेषताओं पर निर्भर करता है। डीजल जनरेटर की औसत विशिष्ट ईंधन खपत 0.33 एल / किलोवाट है, इसलिए डीजल जनरेटर द्वारा उत्पन्न सीओ 2 उत्सर्जन 0.8–0.93 किलोग्राम सीओ 2 / केडब्ल्यूएच होने का अनुमान है।
2.	तकनीक/उत्पाद/प्रक्रिया/अभ्यास विवरण	पावरग्रिड ने डीजी सेटों के उपयोग के पर्यावरणीय प्रभावों को सतत रूप से कम करने की दिशा में सक्रिय उपाय किए हैं। पावरग्रिड ने दूरसंचार उपकरणों को पॉवर देने के लिए अर्थिंग में इंडक्शन पावर का उद्देश्यपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रमुख और अग्रणी पहल की। इसके तहत, दूरसंचार उपकरणों को पावर देने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों की अर्थिंग में उपस्थित इनडक्टिव पावर (कंडक्टरों केइंडकेशन से प्राप्त) का दोहन करने के लिए ट्रांशमिशन टावरों पर विभिन आधुनिक उपकरणों वाली एख तकनीकी यवस्था की गई थी। यह डीजी सेट के उपयोग

क्र. सं.	शीर्षक	विवरण
		को समाप्त कर देगा, जो प्रदूषण और जीएचजी उत्सर्जन का एक निरंतर स्रोत है। इस पहल को नियामक द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और यह व्यापक स्तर पर कार्यान्वयन के लिए तैयार है। यह पहल हाई–स्पीड इंटरनेट तक पहुंच और सामर्थ्य को लेकर अवस्थिति के कारण छोटे शहरों को होने वाले नुकसान को भी खत्म कर देगी।
3.	लागू करने वाले संगठन	डीजी सेटों के उपयोग से भविष्य में उत्पन्न होने वाले CO2 को कम करने की यह अभिनव तकनीक पावरग्रिड के शीर्ष प्रबंधन के मार्गदर्शन में दूरसंचार, इंजीनियरिंग, पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन विभाग और प्रौद्योगिकी विकास विभागों के पेशेवरों के सामूहिक प्रयासों और उत्कृष्ट टीम वर्क के परिणामस्वरूप हमारे दीर्घकालिक संधारणीय लक्ष्यों से निर्देशित पूरी तरह से इन–हाउस पहल है।
4.	वर्तमान स्थिति	इस नई तकनीकी पहल को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और उसके द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रदर्शन किया गया। किसी भी हस्तक्षेप के बिना आस–पास के स्थानों पर कनेक्टिविटी में सुधार किया गया। वर्तमान में, इस पहल को कम बिजली आपूर्ति वाले विभिन्न दूरस्थ स्थानों पर लागू करने की योजना है और भविष्य में इसे उपयुक्त रूप से विस्तारित करने की योजना है।
5.	सीएचजी उत्सर्जन में कमी – प्राप्ति/प्रस्तावित	जैसा कि पहले चर्चा की गई है, यह तकनीकी नवाचार दूरसंचार एंटेना की शक्ति के लिए प्रदूषणकारी और जीएचजी उत्सर्जक डीजी सेट के उपयोग को समाप्त करता है। ऐसा करना, प्रत्येक स्थान पर भविष्य में 40 से 50 टन जीएचजी क उत्सर्जन को कम करता है।
6.	वित्तीय विवरण	प्रत्येक स्थान पर, इस तकनीकी नवाचार की स्थापना पर लगभग 19–20 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह मॉडल डीजी सेटों के साथ–साथ नए दूरसंचार टावरों की आवश्यकता को प्रतिस्थापित या समाप्त करने में आत्मनिर्भर है।
7.	लाभ और चुनौतियां	हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभः भविष्य में जीएचजी उत्सर्जन को 40–50 टन सीओ2/वर्ष/अवस्थिति तक बचाना। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए पूंजी और डीजी सेटों की परिचालन लागत के रूप में महत्वपूर्ण बचत जिसमें श्रमशक्ति की लागत भी शामिल है। नियामक एजेंसियों, नीति निर्माताओं और वित्त पोषण एजेंसियों सहित हितधारकों के साथ बेहतर तालमेल। सामना की गईं चुनौतियांः अनुसंधान और विकास पर फोकस का दृष्टिकोण अपना कर तकनीकी बाधाओं को संबोधित करना। उचित समन्वय और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों से टीम के सदस्यों को एक ही स्तर पर लाना। वाणिज्यिक आवेदन के लिए विनियामक से अनुमोदन प्राप्त करना। भविष्य की चुनौती दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के बारे में आश्वस्त करना है जो आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों लाभों के संदर्भ में सभी हितधारकों के लिए लाभदायक स्थिति पैदा करती है।
8.	स्केलेबिलिटी	यह तकनीकी नवाचार स्केलेबल है और नियामक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पावरग्रिड ने राजकीय सेवा प्रदाताओं और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं से परामर्श के बाद भविष्य में बड़े पामाने पर अपना विस्तार शुनिश्चित करने हेतु एक उपयुक्त व्यापारिक योजना विकसित की है। 1000 स्थानों पर इस नवाचार के अनुप्रयोग को मानते हुए, भविष्य में CO2 उत्सर्जन पर लगभग 40,000–50,000 टन CO2/वर्ष की कुल बचत आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

8. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी ब्यौरा निम्न प्रारूप में देंः

मापदण्ड	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	38.556	14.936
ई– अपशिष्ट (बी)	41.001	8.684
बायो–मेडिकल अपशिष्ट (सी)	शून्य	शून्य
निर्माण और तोड़फोड़ अपशिष्ट (डी)	1425.974	342.327
बैटरी अपशिष्ट (ई)	269.584	272.397
रेडियोएक्टिव अपशिष्ट (एफ)	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। यदि कोई हो तो कृपया स्पष्ट करें। (जी)	429.166 (प्रयुक्त ट्रांसफॉर्मर तेल और एसटीपी गाद)	776.579 (प्रयुक्त ट्रांसफॉर्मर तेल और एसटीपी गाद)

मापदण्ड	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
उत्पन्न कोई अन्य खतरनाक अपशिष्ट। यदि कोई हो तो कृपया स्पष्ट करें। (एच) (गठन के अनुसार ब्रेक–vi) यानी क्षेत्रकों के लिए संबद्ध पदार्थों के अनुसार)	9,131.31 उपर्युक्त आंकड़े का विवरण: इस्पात कबाड़ – 2977.073 एल्यूमीनियम कबाड़ – 1357.401 इन्सुलेटर अपशिष्ट – 4562.290 काष्ठ अपशिष्ट – 234.546	10907.665 उपर्युक्त आंकड़े का विवरण: इस्पात कबाड़ – 3585.068 एल्यूमीनियम कबाड़ – 1716.451 इन्सुलेटर अपशिष्ट – 5323.172 काष्ठ अपशिष्ट – 282.974
कुल (A+B + C + D + E + F + G +H)	11335.591	12322.588
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः–उपयोग या अन्य सुधारात्मक संचालन (मीट्रिक टन में) के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट।		
अपशिष्ट की श्रेणी	प्लास्टिक अपशिष्ट, ई–अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, अन्य खतरनाक अपशिष्ट (एसटीपी गाद को छोड़कर), धातु स्क्रैप और इन्सुलेटर अपशिष्ट	प्लास्टिक अपशिष्ट, ई–अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, अन्य खतरनाक अपशिष्ट (एसटीपी गाद को छोड़कर), धातु स्क्रैप और इन्सुलेटर अपशिष्ट
(i) पुनर्चक्रित	9667.491	11,693.987
(ii) पुनः प्रयुक्त	शून्य	शून्य
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्रवाई	शून्य	शून्य
अपशिष्ट की श्रेणी	निर्माण और तोड़फोड़ अपशिष्ट और काष्ठ अपशिष्ट	निर्माण और तोड़फोड़ अपशिष्ट और काष्ठ अपशिष्ट
(i) पुनर्चक्रित	शून्य	शून्य
(ii) पुनः प्रयुक्त	1,660.52	625.301
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्रवाई	शून्य	शून्य
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि द्वारा निपटाए गए कुल अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी	एसटीपी गाद	एसटीपी गाद
(i) भस्मीकरण	-	-
(ii) भूभराव	-	-
(iii) अन्य निपटान कार्रवाई	7.58 (पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ निपटान के लिए अधिकृत एजेंसी को सौंपा गया)	3.30 (पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ निपटान के लिए अधिकृत एजेंसी को सौंपा गया)
कुल	**11335.591**	**12322.588**

पावरग्रिड के द्वारा टिप्पणी: जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पावरग्रिड की गतिविधियों में कोई रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं है। इस प्रकार, इसके प्रतिष्ठानों में कोई प्रक्रियात्मक अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है। अधिकांश औद्योगिक अपशिष्ट निर्माण से संबंधित हैं, संचालन और रखरखाव गतिविधियों से संबंधित अपशिष्ट कभी–कभी उत्पन्न होते हैं। तदनुसार, उत्पादित विभिन्न प्रकार के कचरे की मात्रा का कोई स्पष्ट रुझान संभव नहीं होगा।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन /कीमत निर्धारण/आश्वस्ति किया गया है? **(हां/नहीं)**
नहीं

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक तथा जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

जैसा कि पावरग्रिड बोर्ड द्वारा अनुमोदित "अपशिष्ट प्रबंधन नीति" में परिभाषित किया गया है, पावरग्रिड की अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं घटाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं।

इस प्रकार, पावरग्रिड सभी लागू विनियमों का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए अपने प्रतिष्ठानों में उत्पन्न अपशिष्ट सामग्री का उचित पुनर्चक्रण और उनका पुनःउपयोग सुनिश्चित करता है।

अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति हमारे दृष्टिकोण की एक और महत्वपूर्ण विशेषता संसाधनों का उत्तरदायित्व भरा उपभोग है। जिसके परिणामस्वरूप न केवल मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, बल्कि उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा को कम करने में भी मदद मिलती है।

पावरग्रिड की अपशिष्ट प्रबंधन नीति के बारे में यहां जानकारी प्राप्त की जा सकती है: https://www.powergrid.in/policies

10. यदि इकाई के संचालन केन्द्र या कार्यालय आदि पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैवविविधता हॉटस्पॉट, वनों, तटीय विनियमित क्षेत्र, आदि) के लिए जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/स्वीकृति वांछित है, कृपया नीचे दिए प्रारूप में विवरण प्रदान करें।

क्र. सं.	संचालन/कार्यालय का स्थान	संचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अमोदन/स्वीकृति संबंधी शर्तों का पालन किया जा रहा है ? (हां/ना) यदि नहीं, तो उसके कारण और सुधारात्मक उपाय
1	ग्रेटर नोएडा–हापुड़ लाइन का मेरठ में 765 केवी एस/सी ग्रेड का लिलो। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य में 1.206 हेक्टेयर जंगल शामिल है।	पारेषण लाइन	हाँ
2	एसएच–65 से सिंभावली में 400/220/132 केवी के प्रस्तावित जीआईएस सब–स्टेशन तक पहुंच मार्ग का निर्माण। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य में 0.018 हेक्टेयर जंगल शामिल है।	पहुंच मार्ग	हाँ
3	चपखोवा में132 केवी डी/सी रोइंग इसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य में 15.034 हेक्टेयर जंगल शामिल है।	पारेषण लाइन	हाँ
4	400 केवी सिंभावली–मुरादनगर लाइन इसमें उत्तर प्रदेश राज्य में 0.9844 हेक्टेयर जंगल शामिल है।	पारेषण लाइन	हाँ
5	फतेहगढ़–II पीएस दृ भदला–II पीएस 765 केवी डी/सी लाइन (दूसरी लाइन)। इसमें राजस्थान राज्य में 0.2216 हेक्टेयर जंगल शामिल है।	पारेषण लाइन	हाँ
6	400 केवी डी/सी रामगढ़ II–फतेहगढ़ II लाइन। इसमें राजस्थान राज्य में 0.1794 हेक्टेयर जंगल शामिल है।	पारेषण लाइन	हाँ
7	765 केवी डी/सी सीकर–अलीगढ़ लाइन इसमें उत्तर प्रदेश में 0.5293 हेक्टेयर जंगल शामिल है।	पारेषण लाइन	हाँ
8	220 केवी डी/सी गुणा–गुणा लाइन इसमें मध्य प्रदेश में 24.1207 हेक्टेयर जंगल शामिल है।	पारेषण लाइन	हाँ
9.	132 केवी एस/सी हाफलांग–जिरिबाम पारेषण लाइन का डाइवर्जन। इसमें आसाम राज्य के बोरैल वन्यजीव अभयारण्य में 9.23 हेक्टेयर जंगल शामिल है।	पारेषण लाइन	हाँ

टिप्पणी: कृपया ध्यान दिया जाए कि राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, वनों आदि जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से बचना हमारे लिए मार्ग या स्थल चयन मानदंड का सबसे अहम हिस्सा है। इस प्रकार, कम से कम तीन संभावित मार्गों/स्थलों का अध्ययन करके हमारी प्रत्येक परियोजना के लिए एक अनिवार्य पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन किया जाता है और न्यूनतम पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव वाले सबसे इष्टतम मार्ग/स्थल को अंतिम मार्ग/स्थल के रूप में चुना जाता है।

हालांकि, कुछ मामलों में जहां भू–भाग की विशिष्टता और भौगोलिक बाधा के कारण हमारी पारेषण लाइनों में वन/वन्यजीव क्षेत्रों से पूरी तरह बचना संभव नहीं होता है, वहां लागू विनियमों के प्रावधानों के अनुसार वन/वन्यजीव स्वीकृति प्राप्त की जाती है।

11. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

लागू नहीं। पारेषण परियोजनाएं 1994 और 2006 की ईआईए अधिसूचना के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए, इसके लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया जाता है।

12. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून / विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुरूप है; जैसे कि जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और इसके अधीन आने वाले नियम (हां/ना)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर–अनुपालन का विवरण प्रदान करें:

पावरग्रिड पर्यावरण और वनों से संबंधित सभी लागू कानूनों/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

सिद्धांत 7: व्यापारों को जनता और नियामक नीति को जिम्मेदारी और पारदर्शी ढंग से प्रभावित करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **क) व्यापार और उद्योग परिषदों/परिसंघों के साथ हमारी संबद्धता की संख्या।**

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हमारा कुल 9 व्यापार और उद्योग परिषदों/परिसंघों से जुड़ाव रहा।

ख) उन दस व्यापार और उद्योग परिषदों/परिसंघों की सूची बनाएं (जिनका चयन उसी प्रकार के सदस्यों के आधार पर किया गया है) जहां कंपनी सदस्य हैं/ समबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग परिषदों/परिसंघों के नाम	व्यापार और उद्योग परिषदों/परिसंघों (राज्य/राष्ट्रीय)	परिषदों के बारे में
1	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की)	राष्ट्रीय	गैर–सरकारी, गैर–लाभकारी संगठन, एफआईसीसी (फिक्की) भारत के व्यापार और उद्योग की आवाज़ है। यह भारतीय निजी और सार्वजनिक कॉर्पोरेट सेक्टर के सदस्यों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सेवा प्रदान करता है। एफआईसीसी क्षेत्रों के अंदर और क्षेत्रों के बाहर साझा बैठकों और सहमति निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करता है और यह भारतीय उद्योग, नीति निर्माता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदाय के लिए पहला संपर्क स्थल है।
2	भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय	सीआईआई एक गैर–सरकारी, गैर–लाभकारी, उद्योग–प्रेरित और उद्योग–प्रबंधित संगठन है। इसमें लगभग 9000 सदस्य हैं जो छोटे उद्यमों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में आते हैं। भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) भारत के विकास के लिए एक ऐसे माहौल को बनाने और उसे बनाए रखने का काम करता है, जो उद्योग, सरकार, और सिविल सोसायटी के साथ परामर्श और सलाहकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से सहयोग करता है।
3	सीआईआई सार्वजनिक उपक्रम परिषद	राष्ट्रीय	ऊपर उल्लिखित सीआईआई का हिस्सा
4	भारतीय वाणिज्य और उद्योग के संगठन के संबंधित चैम्बर्स (ेव्ब्भ।ड)	राष्ट्रीय	एएसएसओसीएचएएम (ASSOCHAM) संयुक्त रूप से उद्योग और सरकार के बीच वाहक के रूप में काम करता है। इसके 100 से अधिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिषदें हैं। यह भारतीय उद्योग का सशक्त प्रतिनिधित्व करता है। इसकी चार प्राथमिकताएं हैं – संधारनीयता, सशक्तिकरण, उद्यमिता और डिजिटाइजेशन।
5	पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)	राष्ट्रीय	पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) पिछले 117 वर्षों से उद्योग, व्यापार और उद्यमिता के समर्थन में काम कर रहा है।
6	सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर (सीबीआईपी)	राष्ट्रीय	सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर (सीबीआईपी) ने पिछले 90 वर्षों से देश के पेशेवर संगठन, इंजीनियरों और व्यक्तियों के लिए विद्युत, जल संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों से संबंधित निष्ठापूर्ण सेवाएं प्रदान की हैं।
7	विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी) भारत	राष्ट्रीय	विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी) का कंट्री मेंबर। डब्ल्यूईसी वैचारिक नेतृत्व और ऊर्जा की सतत आपूर्ति और उपयोग को समर्पित वैश्विक और समावेशी निकाय है।
8	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम (आईआईएफ)	राष्ट्रीय	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिशिंग की एक पहल है। यह अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ी सूचना, उसके विश्लेषण और अंतर्दृष्टि पर्दान करने वाला प्रमुख निकाय है। हम जिन क्षेत्रों को कवर करते हैं, उनमें ऊर्जा, परिवहन, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और संचार शामिल हैं।
9	पावर फाउंडेशन	राष्ट्रीय	फाउंडेशन का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय विचार–केंद्र (थिंक टैंक) और नीतिगत रूप से समर्थनकारी निकाय बनान है और ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र और साक्ष्य आधारित अध्ययन आरंभ करने की अगुआई करना है।

2. **कृपया प्राधिकृत प्राधिकरणों प्रतिस्पर्धा–रोधी आचरण से जुड़े किसी भी मुद्दे के लिए जारी प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संगठन द्वारा लिये गए या किए जा रहे किसी भी प्रकार के सुधार का विवरण प्रदान करें।**

संबंधित वर्ष के दौरान, इस निकाय के द्वारा एंटी–कॉम्पिटिटिव आचरण से संबंधित कोई भी समस्या रिपोर्ट नहीं की गई।

सिद्धांत 8: व्यापारों के द्वारा समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्राधिकृत कानूनों के आधार पर निकाय द्वारा आरंभ परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) के विवरण निम्नलिखित हैं –**

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, पॉवरग्रिड की किसी भी परियोजना को एसआईए की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ' भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम,('आरएफसीटीएलएआरआर'), 2013' की धारा के अंतर्गत किसी भी भूमि को बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया गया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि रिपोर्टिंग अवधि में पॉवरग्रिड ने अपने सबस्टेशन निर्माण के लिए सरकारी बंजर भूमि का चयन किया या 'आरएफसीटीएलएआरआर' अधिनियम, 2013' की धारा 46 के अंतर्गत 'इच्छुक खरीदार इच्छुक विक्रेता' के आधार पर बाजार/समझौते की दर पर सीधी खरीददारी के माध्यम से भूमि प्राप्त की गई।

परियोजना का नाम और संक्षेपित विवरण	एसआईए सूचना संख्या	सूचना की तारीख	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा कार्यक्रम संचालित किया गया था? (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक क्षेत्र में सूचित किए गए (हाँ/नहीं)	संबंधित वेब लिंक
एसआईए निर्वहण की पूरी सूची के लिए निदेशकों की रिपोर्ट (वि.व. 2022–23 के लिए वार्षिक सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट) के संलग्न –X का संदर्भ लें।					

2. **आपके निकाय द्वारा चलायी जाने वाली पुनर्वास और पुनर्बसन (आरएंडआर) की प्रक्रिया के अंतर्गत जारी की जा रही परियोजना(ओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें**

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, पावरग्रिड ने जिम्मेदार तरीके से भूमि अधिग्रहण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। चाहे वह अपने सबस्टेशन्स के लिए सरकार की स्वामित्व वाली भूमि को सुरक्षित करने की बात हो, या न्यायसंगत बाजार या समझौते के दरों पर "इच्छुक खरीददार इच्छुक विक्रेता" के आधार पर सीधे भूमि खरीदने की बात हो, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि सभी भूमि अधिग्रहणों को अत्यंत पारदर्शिता और आपसी सहमति के साथ किया जाए। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे किसी भी अस्वेच्छित भूमि अधिग्रहण के कोई मामले नहीं हुए हैं, जिससे प्रोजेक्ट प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) या प्रोजेक्ट विस्थापित व्यक्तियों (पीडीपी) की उपस्थिति को निष्क्रिय किया गया हो। इसके परिणामस्वरूप, पुनर्वास और पुनर्वास (आरएंडआर) गतिविधियों की व्यापक आवश्यकता नहीं पड़ी है।

हालांकि, पावरग्रिड भूमि अधिग्रहण से कहीं अधिक सामाजिक प्रगति के प्रति समर्पित है। अपने मजबूत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से, कंपनी सकारात्मक रूप से व्यापक समुदाय का सहयोग करती है। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायों का कल्याण और उनकी समृद्धि को बढ़ाना, संधारणीय विकास को प्रोत्साहित करना, और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देना है। पावरग्रिड मूल्यशील और प्रभावी सीएसआर प्रयासों में शामिल होकर, जहां यह काम करता है, वहां के समुदायों के सर्वांगीण विकास और कल्याण हेतु योगदान देता है, और खुद को सकारात्मक परिवर्तन के एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित करता है।

संक्षेप में, पावरग्रिड द्वारा किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण ने इसके नैतिक और स्वेच्छिक दृष्टिकोण के प्रति उसकी अडिग प्रतिबद्धता को प्रकट किया है। अनैच्छिक बदलाव ना हो, यह सुनिश्चित करते हुए कंपनी अपने प्रभावी सीएसआर पहलों के माध्यम से समुदाय का बड़े पैमाने पर सहयोग करती है, जिससे सतत और समावेशी भविष्य बनाने के लिए समर्पित दायित्वपूर्ण कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कंपनी की भूमिका मजबूत होती है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर जारी है	राज्य	जिला	परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों की संख्या	आर एंड आर द्वारा कवर पीएएफ का %	वित्त वर्ष में परियोजना प्रभावित परिवारों के पक्ष में देय राशि
अप्रयुक्त						

3. **समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उन्हें सुधारने के तंत्र का वर्णन करें।**

नीतगत ढांचे के व्यापक सिद्धांतों और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट मार्गदर्शिका के मानदंडों के अनुसार, कंपनी में शिकायतों को सुनना और उन्हें निपटाने को सर्वोपरि माना जाता है। हमने एक ऑनलाइन इंटरफ़ेस बनाया है जिसके माध्यम से कर्मचारी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

शिकायतों का पूर्व–निर्धारित समय–सीमाओं के भीतर व्यवस्थित और शीघ्र समाधान करने के लिए, कंपनी ने कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारी स्थापित किए हैं। एससी/एसटी/ओबीसी/एक्स–सर्विसमेन/पीडब्ल्यूडी के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए, कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय स्तरों पर एक आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

कंपनी ने एक नागरिक चार्टर भी तैयार किया है जिसमें उसकी दृष्टि, मिशन और उद्देश्य स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में रखे गए हैं। इसमें कंपनी के सिद्धांत, प्रतिबद्धताएं, नागरिकों से की जाने वाली उम्मीदें, एकीकृत प्रबंधन नीति, प्रदान की जाने वाली सेवाएं, मूल्य और सेवाओं के मानक, जानकारी तक पहुँच, और शिकायत समाधान का भी विवरण शामिल है।

समुदाय के साथ संबंध को और भी सुगम बनाने के लिए, हमने समुदाय/जनता की किसी भी शिकायत को सुलझाने के लिए प्रभावी शिकायत सुधार तंत्र (जीआरएम) विकसित किया है। जीआरएम के दो स्तर हैं – पहला है प्रोजेक्ट/सबस्टेशन स्तर की शिकायत समाधान समिति (जीआरसी) और दूसरा कॉर्पोरेट स्तर की जीआरसी, जिसकी अगुआई कंपनी के निदेशक (प्रोजेक्ट्स) के द्वारा की जाती है। प्रोजेक्ट स्तर की जीआरसी द्वारा प्राप्त सभी लिखित और मौखिक शिकायतें, शिकायत प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर हल करनी होती हैं। यदि शिकायतकर्ता प्रोजेक्ट स्तर की जीआरसी के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह कॉर्पोरेट स्तर की जीआरसी के पास जा सकते हैं, जिसे शिकायत को 45 दिनों के भीतर हल करना होता है। कॉर्पोरेट स्तर की जीआरसी के बारे में सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसे इस पते पर एक्सेस किया जा सकता है:

https://www.powergrid.in/sites/default/files/inline-files/Notice-regarding-Corporate-Level-GRC.pdf

इसके अतिरिक्त, जनसमुदाय POWERGRID से अपनी शंका/प्रश्न/चिंताओं को सीधे यहाँ व्यक्त कर सकते हैं:

https://www.powergrid.in/public-complaints-0

4. आपूर्तिकर्ताओं से ली जाने वाली इनपुट सामग्री का प्रतिशत (इनपुट टु इनपुट मुल्यानुसार)

	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे स्रोतित*	53.34%	51.07%
सीधे जिले और पड़ोसी जिलों से स्रोतित	लागू नहीं	लागू नहीं

*कुल वांछनीय अधिप्राप्ति से"

सिद्धांत 9: व्यापारों को जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं से जुड़ना और मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता की शिकायतों और प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने और उसका उत्तर देने के लिए स्थापित मेकेनिज़्म का वर्णन करें।

कंपनी ने एक एकीकृत शिकायत पोर्टल स्थापित किया है जो सभी उपभोक्ता शिकायतों के लिए वन–स्टॉप सोल्यूशंस है। यह प्राप्त शिकायतों को विभागों/स्थानों के आधार पर वर्गीकृत करता है और त्वरित समाधान करता है।

2. उत्पादों और/या सेवाओं का टर्नओवर, जो सम्पूर्ण उत्पाद/सेवाओं के टर्नओवर का प्रतिशत है, जिनमें निम्न जानकारी शामिल होती है:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के संबंधित पर्यावरणिक और सामाजिक मानक	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	लागू नहीं
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. निम्नलिखित के संदर्भ में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2022–23		टिप्पणियां	वित्त वर्ष 2021–22		टिप्पणियां
	वर्ष जिसमें प्राप्त हुआ	साल के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा गोपनीयता	0	0		0	0	
विज्ञापन	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं	
साइबर सुरक्षा	0	0		0	0	
महत्वपूर्ण सेवाओं की पहुंच	0	0		0	0	

	वित्त वर्ष 2022–23		टिप्पणियां	वित्त वर्ष 2021–22		टिप्पणियां
	वर्ष जिसमें प्राप्त हुआ	साल के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
सीमाबद्ध व्यापार प्रथाएँ	0	0		0	0	
अनुचित व्यापारिक प्रथाएँ	0	0		0	0	
अन्य	0	0		0	0	

4. सुरक्षा संबंधी कारणों से उत्पाद वापस बुलाने (रिकॉल) की घटनाओं का विवरण

	संख्या	रिकॉल का कारण
स्वैच्छिक रिकॉल	लागू नहीं	लागू नहीं
आवश्यक रिकॉल	लागू नहीं	लागू नहीं

5. क्या इस संगठन के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित एक फ्रेमवर्क/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध है, तो नीति का वेब लिंक प्रदान करें।

- हमारी एक सूचना सुरक्षा नीति है, जिसके मुख्य बिंदु हमारे कॉर्पोरेट वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। उसमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान केंद्रित है:
- महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी संरचना को, चाहे वो जानबूझकर हो या अंजाने में, अनधिकृत पहुंच, उपयोग, गोपनीयता भंग, संशोधन और निष्कारण से सुरक्षित रखना।
- संगठन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और प्रणालियों से संबंधित जानकारी और कर्मचारियों और अन्य संबंधित तीसरे पक्षों की संवेदनशील/व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को बनाए रखने को सुनिश्चित करना।
- व्यापार के सभी क्षेत्रों में सूचना सुरक्षा संबंधी जोखिमों को व्यवस्थित रूप से कम करके व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करना।
- ISO27001:2013 का पालन करते हुए और सभी प्रायोगिक कानूनिक, विधायिक, नियमानुसार और संविदानिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ISMS) स्थापित करना, उसे बनाए रखना, और उसमें सतत सुधार करना।

कंपनी ने इसके साथ ही एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) नियुक्त किया है। वह कंपनी में सूचना सुरक्षा विभाग को नियंत्रित करते हैं और साइबर सुरक्षा संबंधी सभी पहलों का नेतृत्व करते हैं। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आईएसओ: 27001 प्रमाणन कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, और 265 उपकेन्द्रों को प्रदान किये गए हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी निर्दिष्ट कानूनी निकायों: सीईआरटी–इन और एनसीआईआईपीसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। हम समय–समय पर इन संगठनों द्वारा जारी की जाने वाली संस्तुतियों का पालन करते हैं और इन संस्तुतियों को पारेषण क्षेत्र में अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करते हैं।

6. कृपया विज्ञापन, महत्वपूर्ण सेवाओं के वितरण, ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता, उत्पाद वापसी के मामलों के संबंध में की गयी सुधारात्मक कार्यवाई या किए रहे सुधार का विवरण प्रदान करें; उत्पाद/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा लिए गए जुर्माने/कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया।

निदेशक मंडल की ओर से और उनके पक्ष से

(के श्रीकांत)
अध्यक्ष सह मैनिजिंग डायरेक्टर
डीआईएन: 06615674

दिनांक: 6 अगस्त, 2023
स्थान: गुरुग्राम

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) के अंतर्गत आवश्यक विवरण

क) ऊर्जा संरक्षण

क) ऊर्जा संरक्षण के लिए किये गये उपाय और उनकी उपलब्धता

पावरग्रिड, प्रसारण प्रणाली को ऊर्जा कुशल और कम लाइन हानियों के साथ डिज़ाइन करने के बारे में सचेत रहा है। कंपनी की प्रसारण प्रणाली में प्रसारण हानि लगभग 3% है, जो वैश्विक मानक के समान है।

नियोजन चरण से लेकर निष्पादन चरण तक और पूरे संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) अवधि के दौरान ट्रांसमिशन योजनाओं, विद्युत हस्तांतरण के लिए विभिन्न विकल्पों/प्रौद्योगिकियों की जांच की जाती है, जिसमें ट्रांसमिशन सिस्टम/प्रौद्योगिकी के चयन के लिए प्रमुख मानदंड घाटे को कम किया जाता है।

एक कुशल और कम नुकसान वाले ट्रांसमिशन नेटवर्क को विकसित करने के लिए पावरग्रिड द्वारा हर कदम पर ऊर्जा संरक्षण के उपाय किए जाते हैं –

- ट्रांसमिशन सिस्टम के डिजाइन चरण में, विभिन्न मापदंडों का अनुकूलन किया जाता है। कंडक्टरों का चयन विस्तृत अनुकूलन अध्ययन के बाद किया जाता है जो लाइन हानियों को कम करने को प्राथमिक मानदंडों में से एक मानता है।
- बस बार सामग्री और क्लैंप और कनेक्टर को कड़ी गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद चुना जाता है ताकि नुकसान को अनुकूलित किया जा सके। ट्रांसफार्मर और शंट रिएक्टर पैकेज के मामले में, निर्माताओं के लिए घाटे की सीमा निर्दिष्ट की गई है ताकि वे सर्वोत्तम विनिर्माण प्रथाओं को अपना सकें। एचवीडीसी प्रणाली के मामले में भी, मापदंडों का चयन इस तरह से किया जाता है कि विभिन्न सिस्टम परिचालन स्थितियों के तहत भी समग्र नुकसान कम से कम हो।
- इसके अलावा, प्रसारण हार्डवेयर के मामले में, कम हानियों वाले सामग्री का निर्दिष्ट किया जाता है। विभिन्न अन्य उपकरणों के मापदंड और प्रकार भी एक तरीके से चुने जाते हैं ताकि हानियों को अनुकूलित किया जा सके।

आपकी कंपनी ने उपस्थान परिसर के प्रकाशन के लिए LED बत्तियों और सौर ऊर्जा पर आधारित सड़क लैम्प्स की स्थापना भी की है, जिससे उपस्थान परिसर में बिजली की बचत में मदद मिली है।

सब–स्टेशन में छत के ऊपर सौर प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि पारंपरिक स्रोतों पर सब–स्टेशनों की आवश्यकता कम हो सके। 2025 तक अपनी सहायक विद्युत उपभोक्ता 50% को नवीकरण स्रोतों के माध्यम से पूरा करना पावरग्रिड की प्रतिबद्धता है।

पानी के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सब–स्टेशनों में जल मीटर लगाए गए हैं।

भूजल के उचित पुनर्भरण के लिए आपकी कंपनी के उप–स्टेशनों में जल संचयन प्रणाली प्रदान की गई है।

ख) ऊर्जा ऑडिट

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ग्रेड– I ईएससीओ प्रमाणित।
- ऊर्जा दक्षता समाधान/ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ऊर्जा ऑडिट प्रदान करने के लिए एक समर्पित टीम/समूह।
- ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में परामर्श और निवेश के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

ग) अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, ऊर्जा उपभोग में कमी के लिए यदि कोई कार्यान्वित किया जा रहा हो

आपकी कंपनी अपनी परियोजनाओं में योजना बनाने से लेकर निष्पादन चरण तक और पूरे ओ एंड एम अवधि के दौरान घाटे को कम करके ऊर्जा संरक्षण के उपाय करती है।

ख. प्रौद्योगिकी का समावेश

क) अनुसंधान और विकास

- आपकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिताओं के बराबर बने रहने के लिए बिजली पारेषण प्रणाली के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियां लगातार जारी रखती है। पावरग्रिड अपनी अनुसंधान पहलों के आधार पर विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए सीआईजीआरई, आईईसी, आईईईई आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों का एक हिस्सा है और अपने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
- आपकी कंपनी द्वारा पहली बार अत्याधुनिक वीएससी प्रौद्योगिकी भारत में लाई गई है। वीएससी तकनीक पारंपरिक एचवीडीसी प्रणालियों की तुलना में भूमि की आवश्यकता को काफी कम कर देती है और यह उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, जहां भूमि दुर्लभ है। यह स्मार्ट ग्रिड के विकास को भी सुविधाजनक बनाता है और विभिन्न संचालन परिस्थितियों में व्यवस्था

की नम्यता में सुधार करता है।

- साथ ही, पथ अधिकार (आरओडब्ल्यू) के संरक्षण की आवश्यकता और भविष्य की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च क्षमता पारेषण प्रणाली के विकास की आवश्यकता को महसूस करते हुए, आपकी कंपनी पर्यावरण–अनुकूल पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए भारतीय पावरग्रिड में नई और कुशल प्रौद्योगिकियों के निर्बाध एकीकरण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है।
- आपकी कंपनी ने बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, घाटे में कमी, उपलब्ध पारेषण परिसंपत्तियों का इष्टतम उपयोग, पर्यावरण के संरक्षण और वितरित बिजली की लागत को अनुकूलित करने के लिए दुनिया भर में उपलब्ध नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर विशेष जोर दिया है।
- आपकी कंपनी ने 400केवी डी/सी पारेषण लाइनों के लिए सस्पेंशन गाइड टावर के लिए एक डिजाइन विकसित किया है। यह गाईड टावर जमीन पर कम स्थान घेरता है और पारंपरिक जाली टावरों की तुलना में इसका वजन हल्का है और इसका उपयोग पहाड़ी इलाकों में किया जा सकता है। आपकी कंपनी ने गंभीर आरओडब्ल्यू बाधाओं वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिए एक तरफ सभी चरणों के साथ स्टील मोनोपोल भी विकसित किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त आपकी कंपनी ने जाली टावर पर केबल की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए योजनाएं भी विकसित की हैं।
- आपकी कंपनी ने हिमस्खलन क्षेत्र में टावरों के लिए विशेष नींव विकसित की है। इन नींवों को कई स्तरों पर चारों ओर टाई बीम के साथ ऊंचे पैडस्टल प्रदान किए गए हैं और हिमस्खलन के कारण होने वाले प्रभाव लोडिंग के लिए इन्हें तैयार किया गया है।
- सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया पहल को ध्यान में रखते हुए, भारत में आपकी कंपनी ने पारेषण लाइनों की आपातकालीन बहाली के लिए आपातकालीन बहाली प्रणाली (ईआरएस) के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को तैयार करना आरंभ किया है।
- इसके अलावा, 400केवी वोल्टेज स्तर तक पारेषण लाइनों के लिए इंसुलेटेड क्रॉसआर्म के स्वदेशी आपूर्तिकताओं को भी तैयार करना आरंभ किया है। इंसुलेटेड क्रॉस आर्म्स पारेषण लाइनों के संघनन को सक्षम करेंगे जिसके परिणामस्वरूप पथ अधिकार आवश्यकता और टावर वजन में लगभग 10–15% कमी हो सकती है। इससे स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को इन क्रॉस आर्म्स को घरेलू स्तर पर प्राप्त करने में भी सुविधा होगी।
- 765/400केवी नवसारी जीआईएस उपकेंद्र में निम्नलिखित अपनाए गए हैंरू
  - आईईसी 61850–9 आधारित प्रक्रिया बस कार्यान्वित की जा रही है। इससे नियंत्रण केबलों की मात्रा और लागत में कमी, कमीशनिंग समय में कमी, दूरस्थ निगरानी और नियंत्रण में आसानी होगी।
  - भूमि की आवश्यकता में पर्याप्त बचत के लिए ऑइल टू एसएफ6 बुशिंग और जीआईएस सर्ज अरेस्टर को अपनाया जा रहा है।

ख) प्रौद्योगिकी विकास

जिन क्षेत्रों में लाभ प्राप्त किया गया है उनके बारे में नीचे बताया गया हैरू

पूरी हो चुकीं परियोजनाएं

1. देश भर में भौगोलिक रूप से बड़ी संख्या में फैले हुए सर्किट ब्रेकरों की स्थिति के व्यापक आकलन के उद्देश्य से, ''पावरग्रिड एसेट लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम – सर्किट ब्रेकर'' संस्थानिक रूप से तैयार किया गया है। इसकी सहायता से सर्किट ब्रेकरों की स्थिति का अनुक्रमण किया जाता है।
2. पारेषण लाइन टावरों के संरचनात्मक स्वास्थ्य मूल्यांकन की दिशा में, विभिन्न लोडिंग स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण टावरों में तनाव का मूल्यांकन किया गया है। पारेषण लाइन पर कंडक्टर की स्ट्रिंग के दौरान तनाव के मूल्यों को भी दर्ज किया गया और उनका विश्लेषण किया गया।
3. जबरन ट्रिपिंग से बचने के लिए पारेषण लाइन के पथ अधिकार के भीतर वनस्पति की उपस्थिति और ऊंचाई का मूल्यांकन करने के लिए उन्नत जीआईएस सॉफ्टवेयर और तार्किक एल्गोरिदम का उपयोग करके उच्च रिजॉल्यूशन वाली स्टीरियो सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त किया गया।
4. जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके नदी के मार्ग बदलने (नदी का घुमावदार रुख) के कारण कमजोर टावरों की पहचान के लिए पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चलाया गया।
5. आपकी कंपनी ने एआई/एमएल आधारित दोष पहचान उपकरण ''पावरग्रिड एसेट मैनेजमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रांसमिशन'' (पीजी अमृत) विकसित किया है, जिसे ट्रांसमिशन लाइन पेट्रोलिंग प्लेटफॉर्म ''पावरग्रिड डिजिटल एप्लिकेशन फॉर रूटीन पेट्रोलिंग एंड असेसमेंट ऑफ नेटवर्क'' (पीजी– दर्पण) के साथ एकीकृत किया गया है। पारेषण लाइन की पेट्रोलिंग के दौरान, विभिन्न चित्रों को कैप्चर किया जाता है, जिनका दोषों की पहचान करने के लिए मैन्युअल रूप से विश्लेषण किया जाता है। पीजी एएमआरआईटी एआई/एमएल एल्गोरिदम का उपयोग करके टावर, चित्रों का उपयोग करके स्वचालित रूप से दोषों की पहचान करता है। इससे लाइन रखरखाव श्रमशक्ति के प्रयासों को अनुकूलित करने और दोष पहचान के बजाय दोष सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली है।

6. भारत में पहली 765केवी आरआईपी बुशिंग को आपकी कंपनी द्वारा 20 जुलाई, 2022 को सतना में लाइन रिएक्टर में सेवा में ले लिया गया है।
7. आपकी कंपनी ने ''यूनिक डिजिटल असेसमेंट ऑफ एसेट नेटवर्क'' (उड़ान) प्लेटफॉर्म विकसित और लॉन्च किया है – जो अपने संपूर्ण एसेट नेटवर्क और संबंधित ज्ञच्य के विहंगम दृश्य के लिए एक एकीकृत डेटा मॉडल है। प्लेटफॉर्म विभिन्न स्रोतों जैसे ईआरपी (परिसंपत्ति अनुरक्षण रिकॉर्ड), एनटीएएमसी (परिचालन डेटा लॉग), पाम्स (स्वास्थ्य सूचकांक उपकरण), पीजी–दर्पण (पारेषण लाइन की निगरानी की स्थिति) और मौसम और ग्रिड पैरामीटर की निगरानी के लिए अन्य तृतीय–पक्ष स्रोतों से डेटा को एकीकृत करता है जिससे डेटा का लोकतंत्रीकरण सुनिश्चित हो सके।
8. आपकी कंपनी ने पावरग्रिड के सभी क्षेत्रों में पारेषण लाइनों की ड्रोन–आधारित निगरानी शुरू कर दी है। वित्त वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही के दौरान, 900 रूट किमी पारेषण लाइन की निगरानी प्रगति पर है।
9. मेथनॉल मार्कर टेस्ट किट आपकी कंपनी द्वारा दिसंबर, 2022 में चालू की गई है। इसने आपकी कंपनी को अल्कोहलिक मार्कर परीक्षण सुविधा स्थापित करने वाली दुनिया भर में चौथी कंपनी बना दिया है। यह परीक्षण किट ट्रांसफार्मर/रिएक्टरों की उम्र का शीघ्र पता लगाने और उसके निवारण के लिए सक्रिय कार्रवाई करने में सहायक होगी।
10. आपकी कंपनी ने चंडीगढ़ में आईईसी 61850 प्रोसेस बस आधारित सुरक्षा स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली वाला, पूरी तरह से डिजिटल 220/66केवी जीआईएस एक ग्रीनफील्ड उपकेंद्र चालू किया है। इससे, ईएचवी उपकेंद्र में केबलों के उपयोग की आवश्यकता बेहद कम हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षित कार्य वातावरण और कम कार्बन उत्सर्जन होता है। इसके परिणामस्वरूप सीएंडपी योजनाओं का ऑनलाइन परीक्षण भी संभव हो गया है, जिससे आउटेज अवधि कम हो गई है और ग्रिड विश्वसनीयता में सुधार हुआ है।
11. डिजिटल वर्कर अवधारणा को अपनाने के अपने प्रयासों की दिशा में, आपकी कंपनी ने ओ एंड एम से संबंधित कार्यों में एआर/वीआर आधारित डिजिटल हेडगियर्स का उपयोग किया है। इन हेडसेट्स ने फील्डवर्क में दूरस्थ विशेषज्ञ सहायता को सक्षम किया है, जिससे उपकरण प्रदर्शन में डाउनटाइम में कमी आई है। इससे, ज्ञान हस्तांतरण संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त, उच्च सुरक्षा और उच्च विश्वसनीयता भी प्राप्त की जा सकी है।
12. आपकी कंपनी द्वारा इंसुलेटेड बकेट का उपयोग करके पारेषण लाइनों और उपकेंद्रों का हॉटलाइन अनुरक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। पारेषण लाइनों और उपकेंद्रों का हॉटलाइन अनुरक्षण 765 केवी और 400 केवी वोल्टेज स्तरों पर किया गया है। हॉट लाइन अनुरक्षण की यह तकनीक अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक है।
13. परियोजनाओं के निर्माण में आने वाली बाधाओं के समय पर समाधान के लिए, आपकी कंपनी ने एसएपी/ईआरपी समाधान का उपयोग करके डिजिटल हिंडरेंस रजिस्टर भी विकसित किया है। यह वेंडरों और साइट अधिकारियों के लिए सुलभ है। इसे इस वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में दो चालू परियोजनाओं के लिए पायलट आधार पर लॉन्च किया गया है।

जारी परियोजनाएं

1. पारेषण कॉरिडोर की क्षमता को लगभग दो गुना बढ़ाने के लिए उच्च तापमान सहनशक्ति कंडक्टर के साथ निम्नलिखित लाइनों का पुनः संचालनः
   - सिलीगुड़ी–बोंगाईगांव 400 केवी डी/सी लाइन
   - झारसुगुड़ा/सुंदरगढ़ (पीजी) – राउरकेला (पीजी) 400 केवी 2गडी/सी लाइन
   - रांग्पो – गंगटोक 132 केवी डी/सी लाइन
   - किशनपुर का दूसरा सर्किट – दुलहस्ती 400केवी डी/सी
2. कुरूक्षेत्र में 500 एमवीएआर टीसीआर (थाइरिस्टर नियंत्रित रिएक्टर), रिएक्टिव वीएआर अवशोषण के लिए एक स्व–विनियमन उपकरण कार्यान्वयन के चरण में है।
3. विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) के अंतर्गत लेह में नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों से आरई बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित की गई है।
4. भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में साइबर सुरक्षा में पावरग्रिड उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है और पारेषण एवं ग्रिड संचालन में साइबर सुरक्षा पहलुओं का निरंतर अनुसंधान, निगरानी, विकास और प्रदर्शन किया जा रहा है।
5. विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 400 केवी और 765 केवी पारेषण लाइनों के कारण विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र परिमाण का व्यापक मौसमी माप यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि उनके मान अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहें।
6. स्विचयार्ड उपकरणों के स्वचालित नियमित और दोहराव निरीक्षण की सुविधा के साथ–साथ डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करने के लिए आईआईटी कानपुर के सहयोग से उपकेंद्र निरीक्षण रोबोट विकसित किया जा रहा है।
7. आपकी कंपनी ने 132केवी बदरपुर एआईएस उपकेंद्र को ग्रीन जीआईएस में बदलने की योजना बनाई है। यह भारत में पहला ग्रीन गैस से भरा जीआईएस होगा। इस पहल के अंतर्गत, ग्रीन गैस का उपयोग जीआईएस उपकरण में एसएफ 6 विकल्प

के रूप में किया जाएगा। इससे 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की सरकार की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस पहल के अंतर्गत, आपकी कंपनी ने इम्फाल उपकेंद्र पर पारंपरिक 145 केवी सर्किट ब्रेकरों के 3 सेटों को पायलट आधार पर एसएफ6 फ्री सर्किट ब्रेकरों के साथ बदलने की भी योजना बनाई है।

8. आपकी कंपनी ने आइजोल में प्राकृतिक एस्टर तेल के साथ 132 केवी, 20 एमवीएआर रिएक्टर की रेट्रोफिटिंग करने की योजना बनाई है। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय प्रभाव में कमी, बेहतर बायोडिग्रेडेबिलिटी जैसे कई लाभ होंगे जिसके परिणामस्वरूप अग्नि सुरक्षा में सुधार होगा और जीवन चक्र में वृद्धि होगी।

9. आपकी कंपनी ने अपने उपकेंद्रों पर डिजिटलीकृत और कागज रहित कामकाज को सक्षम करने के लिए एक परियोजना भी शुरू की है। उपकेंद्र अनुरक्षण कर्मियों को उनकी कार्य प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने, काम के दोहरेपन को कम करने और अनुरक्षण की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए मजबूत औद्योगिक टैबलेट और संबंधित कार्य के ऐप्लिकेशन से लैस किया जा रहा है। आवश्यक अनुरक्षण डेटा को संसाधित करने के लिए एप्लिकेशन को बैकएंड रिमोट सेंट्रल सर्वर के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाएगा।

10. आपकी कंपनी ने अपनी पारेषण परिसंपत्तियों के लिए विश्वसनीयता केंद्रित अनुरक्षण ढांचे को कार्यान्वित करने की पहल शुरू की है। इसे कार्यानिव्ति करने के लिए की गई विभिन्न पहलों में आईटी और ओटी स्रोतों से एकीकृत डेटा का उपयोग करके पारेषण लाइन, ट्रांसफार्मर और रिएक्टर, सर्किट ब्रेकर आदि जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए स्वास्थ्य सूचकांक और जोखिम सूचकांक मॉडल विकसित करना सम्मिलित है।

11. रूफ टॉप/ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल की स्थापनाः आपकी कंपनी ने देश भर में फैले अपने परिसरों में सोलर पीवी सिस्टम स्थापित किए हैं। 118 से अधिक स्थानों पर लगभग 8.2 मेगावाट की छत वाली सौर पीवी प्रणालियाँ चालू हैं और उत्पन्न बिजली का उपयोग कैप्टिव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 6.3 मेगावाटपी की स्थापना योजना/कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। छत पर सौर पीवी प्रणालियों की स्थापित क्षमता से सालाना लगभग 11,800 मीट्रिक टन CO_2 उत्सर्जन कम हो रहा है।

12. 220 केवी और 132 केवी मोबाइल जीआईएस बेज खरीदे जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके किरू

    अ) उपकेंद्र बेज में बड़ी विफलता के मामले में आउटेज समय में कमी आए।

    आ) उपकेंद्र बेज के चालू होने में देरी की स्थिति में भी एनईआर क्षेत्र में निर्बाध आपूर्ति हो सके।

13. आपकी कंपनी बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) टूल और ईआरपी/एसएपी का उपयोग करके एक एकीकृत परियोजना प्रबंधन डैशबोर्ड का विकास कर रही है। इससे, बेहद अहम जानकारी और चित्र प्राप्त हो सकेंगे, जिससे परियोजनाओं की प्रभावी ढंग से निगरानी और प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी।

14. आपकी कंपनी राजस्थान राज्य में भादला–II, फतेहगढ़–II और बीकानेर– II उपकेंद्रों पर ग्रिड विश्वसनीयता और वोल्टेज स्थिरता सीमा में सुधार के लिए अत्याधुनिक स्टेटिक सिंक्रोनस कम्पेंसेटर (STATCOMs) कार्यान्वित कर रही है।

15. बिजली लाइनों के साथ टकराव/बिजली के झटके के कारण पक्षियों को मृत्यु से बचाने के लिए, आपकी कंपनी जीआईबी क्षेत्र से गुजरने वाली पारेषण लाइनों में बर्ड डायवर्टर स्थापित कर रही है।

16. आपकी कंपनी ने मोनोपोल संरचनाओं का विकास और परीक्षण किया है जो घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में आरओडब्ल्यू समस्या के समाधान में बेहद सहायक साबित होगी। वर्तमान में, हम इन संरचनाओं का उपयोग 765 केवी डी/सी खेतड़ी–नरेला लाइन के निर्माण में भी कर रहे हैं।

ग) प्रौद्योगिकी समावेशन की दिशा में किये गये प्रयास

1. भविष्य में कम शॉर्ट सर्किट स्तर वाले साप्ताहिक उत्पादन से थोक बिजली के पारेषण के लिए एलसीसी एचवीडीसी के बदले में वीएससी एचवीडीसी को अपनाया जाएगा। वीएससी एचवीडीसी सक्रिय शक्ति (मेगावाट) और प्रतिक्रियाशील शक्ति (एमवीएआर) के स्वतंत्र नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है और ब्लैक स्टार्ट में भी सहायता करता है।

2. उपकेंद्रों के पास लाइन कॉरिडोर क्षेत्रों को अनुकूलित करने के लिए मल्टी–सीकेटी लाइनों के साथ जीआईएस और एआईएस उपकेंद्रों में मल्टी–लेवल गैन्ट्री का उपयोग किया गया है।

3. ट्रांसमिशन लाइन अरेस्टर (टीएलए) का उपयोग उन क्षेत्रों में किया गया है जो उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों जैसे बिजली गिरने की अत्यधिक संभावना है। इससे इन पारेषण लाइनों में बिजली गिरने के कारण होने वाली ट्रिपिंग को काफी हद तक कम करने में सहायता मिली है।

4. डीजी सेटसे होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, पावरग्रिड टाउनशिप, सेक्टर –43, गुड़गांव में 500 किलोवाट, 250 किलोवाट घंटा की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) वाला एक पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है।

5. जहां उपकेंद्र स्थल पर विस्तृत मिट्टी का सामना करना पड़ता है, वहां ढलान संरक्षण कार्यों में जियो सेल तकनीक का उपयोग किया गया।

6. तेजी से निष्पादन और काम की बेहतर गुणवत्ता के लिए प्रीकास्ट फायरवॉल कार्यान्वित किया गया।
7. लद्दाख क्षेत्र के लिए, संवहनीय इमारतों के विकास और सुरक्षित आवास, सुरक्षित प्रणाली बनाने, उच्च ऊंचाई पर तैनात व्यक्तियों के लिए अनुकूलन के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए मेसर्स डीआरडीओ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ग) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(₹ करोड़ में)

क) निम्नलिखित के मद में वास्तविक विदेशी विनिमय व्ययः		
1.	पूंजीगत वस्तु एवं कलपुर्जे	367.72
2.	पेशेवर एवं परामर्श शुल्क	10.49
3.	ब्याज	993.13
4.	अन्य	18.66
कुल		**1390.00**

ख) इस मदद में वास्तविक विदेशी विनिमय प्राप्त हुआः		
1.	पेशेवर एवं परामर्श शुल्क	46.64
कुल		**46.64**

कृते एवं वास्ते निदेशक मंडल

(के.श्रीकांत)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06615674

दिनांकः 6 अगस्त, 2023
स्थानः गुरूग्राम

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of financial statements of Power Grid Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 19 May 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Power Grid Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Sanjay K. Jha)
Director General of Audit (Energy)

Place: New Delhi
Dated: 21 July 2023

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of consolidated financial statements of Power Grid Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 19 May 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Power Grid Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2023 under Section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of financial statements of Power Grid Corporation of India Limited and subsidiaries, associate companies and jointly controlled entities listed in Annexure I, but did not conduct supplementary audit of the financial statements of subsidiaries, associate companies and jointly controlled entities listed in Annexure II for the year ended on that date. Further, section 139(5) and 143(6)(a) of the Act are not applicable to Powerlinks Transmission Limited, Torrent Power Grid Limited, Parbati Koldam Transmission Company Limited, Teestavalley Power Transmission Limited and Butwal-Gorakhpur Cross Border Power Transmission Limited being private entities and Power Transmission Company Nepal Limited being incorporated in foreign country under the respective laws, for appointment of their Statutory Auditors and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the supplementary audit of these companies. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Sanjay K. Jha)
Director General of Audit (Energy)

Place: New Delhi
Dated: 21 July 2023

Annexure I

List of Subsidiaries, Associate Companies and Jointly Controlled Entities whose financial statements were audited by the Comptroller and Auditor General of India

Subsidiaries incorporated in India:

S No.	Name of entity
1	Powergrid NM Transmission Limited
2	Powergrid Vemagiri Transmission Limited
3	Powergrid Bhuj Transmission Limited
4	Powergrid Medinipur Jeerat Transmission Limited
5	Powergrid Rampur Sambhal Transmission Limited
6	Powergrid Southern Interconnector Transmission System Limited
7	Powergrid Fatehgarh Transmission Limited
8	Powergrid Himachal Transmission Limited
9	Powergrid Meerut Simbhavali Transmission Limited

Joint Ventures incorporated in India:

S No.	Name of entity
1	North East Transmission Company Limited

Annexure II

List of Subsidiaries, Associate Companies and Jointly Controlled Entities whose financial statements were not audited by the Comptroller and Auditor General of India	
Subsidiaries incorporated in India:	
S No.	Name of entity
1	Powergrid Bhind Guna Transmission Limited
2	Powergrid Mithilanchal Transmission Limited
3	Powergrid Varanasi Transmission System Limited
4	Powergrid Jawaharpur Firozabad Transmission Limited
5	Powergrid Unchahar Transmission Limited
6	Central Transmission Utility of India Limited
7	Powergrid Ramgarh Transmission Limited
8	Powergrid Bikaner Transmission System Limited
9	Powergrid Sikar Transmission Limited
10	Powergrid Teleservices Limited
11	Powergrid Energy Services Limited
12	Powergrid Narela Transmission Limited
13	Powergrid Gomti Yamuna Transmission Limited
14	Powergrid Neemuch Transmission System Limited
15	Powergrid ER NER Transmission Limited
16	Powergrid ERWR Power Transmission Limited
17	Khavda RE Transmission Limited
18	Khavda II-B Transmission Limited
19	Khavda II-C Transmission Limited
20	Powergrid KPS2 Transmission System Limited
21	Powergrid KPS3 Transmission Limited
22	Raipur Pool Dhamtari Transmission Limited
23	Dharamjaigarh Transmission Limited
24	Bhadla Sikar Transmission Limited
25	Powergrid Bhadla Transmission Limited
26	Powergrid Aligarh Sikar Transmission Limited
27	Powergrid Khetri Transmission System Limited
28	Powergrid Ajmer Phagi Transmission Limited

Joint Ventures incorporated in India:	
S No.	Name of entity
1	National High Power Test Laboratory Private Limited
2	Cross Border Power Transmission Company Limited
3	Bihar Grid Company Limited
4	RINL Powergrid TLT Private Limited
5	Energy Efficiency Services Limited

फार्म नंबर एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी के नियम 9 के अनुसार
(प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014,

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीआईएनः L40101DL1989GOI038121
बी–9 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,
कटवरिया सराय, नई दिल्ली–110016

हमने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे इसके बाद ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय **बी–9 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवरिया सराय, नई दिल्ली–110016** में है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

कंपनी के बही–खातों, कागजात, कार्यवाही पुस्तिका, फॉर्म और भरे गए रिटर्न और कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे द्वारा सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखा परीक्षा के आयोजन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने **31 मार्च, 2023** को समाप्त वित्तीय वर्ष की ऑडिट अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र है। इनका पालन यहां दी गई सूचना में बताए गए तरीके से किया गया हैः

हमने **31 मार्च, 2023** को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए बही–खातों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, कंपनी द्वारा भरे गए प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न तथा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच, निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार की हैः

i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;

iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम;

v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (श्सेबी अधिनियमश) के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्दिष्ट हैंः–

 क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और नियंत्रण प्राप्ति) विनियम, 2011;

 ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 2015;

 ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण की शर्तों का निर्गम) विनियम, 2018;

 घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; **(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

 ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;

 च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

 छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 **(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद)** विनियम, 2018 **(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)** और

झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश ट्रस्ट) विनियम, 2014

vi) अन्य कानून, जैसा कि प्रबंधन द्वारा चिह्नित और पुष्टि किया गया है, निम्नलिखित कानून विशेष रूप से क्षेत्र/उद्योग के आधार पर कंपनी पर लागू होता हैः

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के कंपनी द्वारा अनुपालन की इस ऑडिट में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण की शर्तें) विनियम, 2015।

iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अपने ओएम नंबर 18(8)/2005–जीएम दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा जारी किए।

iv) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश, जैसा कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ओएमएफ संख्या 5/2/2016–नीति दिनांक 27 मई, 2016 में निर्दिष्ट है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है जिसके संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है

i) कंपनी का आधा निदेशक मंडल स्वतंत्र नहीं है, जो कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) और निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अंतर्गत आवश्यक है।

ii) कंपनी के बोर्ड में विनियमन के तहत आवश्यक कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है, जो कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के 17(1)(ए) के अंतर्गत आवश्यक है और कम से कम एक महिला निदेशक नहीं है, जो कि कंपनी अधिनियम, (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के अंतर्गत आवश्यक है और यह नियम 1 जून, 2022 से प्रभावी है।

हम यह भी सूचित करते हैं किः

1. ऊपर उल्लिखित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) के अंतर्गत टिप्पणियों को छोड़कर, और इस संबंध में कंपनी को बीएसई और एनएसई से नोटिस मिला है, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों का पालन करके किए गए।
2. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों को बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में धारा 178(2) और अनुसूची IV के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी है। कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन विद्युत मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।
3. बोर्ड बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए थे। एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट आम तौर पर इस संबंध में वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप भेजे जाते थे और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद होती है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड/समिति के निर्णयों को सर्वसम्मति से अपनाया गया।

हम यह भी सूचित करते हैं कि हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय है कि, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का पालन करते हुए निम्नलिखित कार्रवाई की है जिसका कंपनी के कार्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा हैः

i) कंपनी ने निम्नलिखित अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान किया हैः

क) 30 नवंबर, 2022 को 10/– रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 5.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर, अर्थात चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 50% प्रथम अंतरिम लाभांश

ख) 24 फरवरी, 2023 को 10/– रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 5.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर, अर्थात चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 50% दूसरा अंतरिम लाभांश

ii) 19 मई 2023 को बोर्ड की बैठक में, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए रुपये 4.75/– प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड की अनुशंसा की है जो कि कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

iii) समीक्षावधि के दौरान, कंपनी ने टीबीसीबी मार्ग से 13 कंपनियों का अधिग्रहण किया है ।

iv) कंपनी ने 3412/– करोड़ रुपये के बॉन्डस जारी किए हैं जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र. सं.	बॉण्ड के प्रकार	राशि (करोड़ में)
1.	7.4% असुरक्षित, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी, शोध्य, करयोग्य पावरग्रिड बॉन्ड एलएक्सएक्स इश्यू	2,120.00
2.	7.52% असुरक्षित, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी, शोध्य, करयोग्य पावरग्रिड बॉन्ड एलएक्सएक्सआई इश्यू	867.00
3.	7.4% असुरक्षित, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी, शोध्य, करयोग्य पावरग्रिड बॉन्ड एलएक्सएक्सआईआई इश्यू	425.00

कुमार नरेश सिन्हा एवं एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

एसडी/
सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(प्रॉपराइटर)
एफसीएसः 1807; सी पी नं.: 14984
पी आरः 610/2019
एफ आर एनः एस2015यूपी440500
यूडीआईएनः F001807E000699451

स्थानः नोएडा
दिनांकः जुलाई 28, 2023

*नोटः इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो **"संलग्नक–ए"** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।*

संलग्नक–V

प्रति
सदस्य,
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीआईएनः L40101DL1989GOI038121
बी–9 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,
कटवरिया सराय, नई दिल्ली–110016

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

लेखापरीक्षा के आधार पर, हमारी जिम्मेदारी कंपनी द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन और रिकॉर्ड के रखरखाव पर विचार व्यक्त कना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान ("आईसीएसआई") द्वारा प्रावधान किए गए लेखापरीक्षा मानक सीएसएएस 1 से सीएसएएस 4 ("सीएसएएस") के अनुसार की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि लेखापरीक्षक संविधिक और विनियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करे और लागू कानूनों के अनुपालन तथा रिकॉर्डों के रखरखाव के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करे।

आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत विवरण या महत्वपूर्ण अअनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षा न केवल सही और योजनाबद्ध तरीके से तथा सीएसएएस के अनुसार किया गया हो। उसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिविक रिकॉर्ड की रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिविक रिकॉर्डों पर एक विचार व्यक्त करें।
2. हमने सचिविक रिकॉर्डो के सामग्री के सही होने के बारे में तर्कसंगत आश्वाशन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सहमति देने के लिए सही तथ्य सचिविक रिकॉर्डों में प्रतिबिम्बित हों, इसका सत्यापन यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर किया गया था। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और अभ्यासों का पालन किया है, वह हमारे अनुसार एक तार्किक आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की सहीपन और उपयुक्तता की सत्यापन नहीं किया है, और इसके लिए हमने सांविधिक लोखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विश्वास किया है।
4. जहां आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानून, नियमों. विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी के मामलों का संचालन को लेकर न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन देती है और न ही उसकी प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का।

कुमार नरेश सिन्हा एवं एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

एसडी/
सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(प्रॉपराइटर)
एफसीएसः 1807; सी पी नं.: 14984
पी आरः 610/2019
एफ आर एनः एस2015यूपी440500
यूडीआईएनः F001807E000699451

स्थानः नोएडा
दिनांकः जुलाई 28, 2023

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

1. कंपनी का शासन दर्शन

कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य कंपनी के विभिन्न शेयरधारकों के सर्वोत्तम हितों में कॉर्पोरेट निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। आपकी कंपनी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड या कंपनी) यह मानती है कि सरकारी नीतियों के प्रति सक्रिय बन कर अच्छे गवर्नेंस में प्रबंधन, सशक्तिकरण और जवाबदेही शामिल है। कंपनी की प्रशासन प्रक्रिया उसके दृष्टिकोण और मिशन को प्राप्त करने पर केंद्रित है।

विजन

विश्व स्तरीय, एकीकृत और एक वैश्विक ट्रांसमिशन कंपनी के रूप में उभरते पावर मार्केट में प्रभावी नेतृत्व के साथ विश्वसनीयता, सुरक्षा और आर्थिकता की गारंटी देना।

मिशन

विश्व स्तरीयः उद्योग और हमारे लिए पूंजी परियोजना प्रबंधन और परिचालन में उत्कृष्ट मानकों को स्थापित करना।

वैश्विकः योग्यताओं का उपयोग करके भारत तथा उभरती व विकसित होती अर्थव्यवस्थियों में सभी हितधारकों के लिए नियमित रूप से अधिकतम मूल्य उत्पन्न करने की क्षमताओं का लाभ उठाना।

पेशेवरों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना, पोषित करना और सशक्त बनाना

नवाचार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से निरंतर सुधार प्राप्त करना

स्वास्थ्य, संरक्षा, सुरक्षा और पर्यावरण में उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध होना

पावरग्रिड का कॉर्पोरेट प्रशासन निम्नलिखित द्वारा संचालित हैः

i. जॉब प्रोफाइल/कार्यों को देखते हुए सबसे उपयुक्त स्तरों पर लोगों को सशक्त करके भारत सरकार और प्रत्येक वर्ष बोर्ड द्वारा निर्धारित लघुकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों और विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करना।

ii. संघर्षों और उभरते हुए अवसरों का सामना करना और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संरचना का निर्धारण कंपनी में विभिन्न प्रतिभागियों के बीच कर्तव्यों, अधिकारों, जिम्मेदारियों और शक्तियों का वितरण निर्दिष्ट करता है। निवेश, विविधीकरण, खरीदी के महत्वपूर्ण निर्णय, वाणिज्यिक और वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय बोर्ड की मंजूरी के बाद लागू किए जाते हैं।

निदेशक मंडल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशक, सरकार नामित निदेशक, और गैर–आधिकारिक पार्ट–टाइम निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) शामिल हैं।

निदेशक मंडल ने कई समितियों का गठन किया है; इनमें से कुछ कानून द्वारा अनिवार्य हैं और अन्य कंपनी के प्रभावी कार्यक्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए बनाए गये हैं।

वैधानिक समितियाँ	गैर–वैधानिक समितियाँ
ऑडिट समिति	परियोजनाओं पर निवेश संबंधी समिति
शेयरधारकों की संबंध समिति	संविदा देने से संबंधित समिति
	बॉन्ड समिति
नामांकन और पारिश्रमिक समिति	शेयरों के स्थानांतरण / विभाजन / रीमटेरियलाइजेशन आदि पर समिति
	नए व्यापारों के लिए निदेशकों की समिति
जोखिम प्रबंधन समिति	इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) के माध्यम से परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए समिति
	टीबीसीबी परियोजनाओं के लिए समिति
सीएसआर समिति	विनिमय जोखिम प्रबंधन समिति
	खरीद और राष्ट्रीय मिशनों पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन पर निदेशकों की समिति।

प्रमुख व्यक्तियों शामिल कर पर्यावरण व सामाजिक नीति और प्रक्रिया, अनुसंधान और विकास, और टेलीकॉम व्यापार के लिए सलाहकार मंडलियों का गठन किया गया है, ताकि इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर कंपनी को परामर्श मिल सके।

संगठन के भीतर अधिकार और शक्तियों का वितरण 'शक्तियों के प्रत्यायोजन' मैट्रिक्स के अनुसार तय किया गया है, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। आपकी कंपनी ने 'कार्य और खरीद नीति और पुरस्कार–पूर्व और पुरस्कार–पश्चात चरणों के लिए प्रक्रिया' लागू की है, ताकि नीतियों और प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रशासन में सुविधाजनक बनाया जा सके, और त्वरित और विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने के साथ जिम्मेदारी पर मुख्य बल हो।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों का पालन करने के अतिरिक्त, कंपनी को भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का भी पालन करने की आवश्यकता है।

इस रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डिस्क्लोजर आवश्यकताओं के संबंध में वित्त वर्ष 2022–23 के लिए आपकी कंपनी की अनुपालन स्थिति का विवरण दिया गया है।

2. निदेशक मण्डल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स)

2.1. बोर्ड का आकार और संरचना

कंपनी 2013 के कंपनियों के अधिनियम की धारा 2(45) के अंतर्गत, पॉवरग्रिड एक सरकारी कंपनी है और वर्तमान में भारत सरकार के पास कुल चुकता शेयर पूंजी का 51.34% हिस्सा है। निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। निदेशकों की योग्यता, अनुभव, विशेषज्ञता आदि सभी निदेशकों की प्रोफ़ाइल इस वार्षिक रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 54 से 56 तक में दी गई है।

31 मार्च, 2023 को, आपकी कंपनी बोर्ड में दस निदेशक शामिल थे, जिनमें चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सहित पांच पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी नामित निदेशक, और तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल थे।

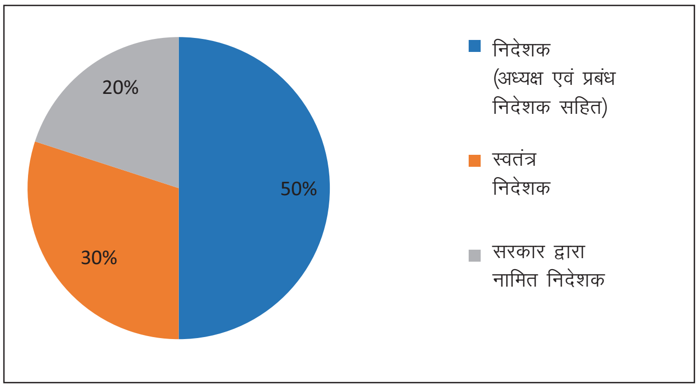

निदेशक मंडल की संरचना, अर्थात् कम से कम 50% बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों का होना, सेबी (एलओडीआर) के साथ मेल नहीं खाता है। चूंकि 50% निदेशकों को बोर्ड पर नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास है, तो कंपनी ने समय–समय पर प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् ऊर्जा मंत्रालय से बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध करती रही है, ताकि सेबी (एलओडीआर) और लोक उद्यम विभाग के मार्गानुसार आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

निदेशकों के बीच संबंध

सभी स्वतंत्र निदेशक धारा 149 (6) और सेबी (एलओडीआर) के विनियम 16 के उप–नियम (1) के बिंदु (इ) के अनुसार 'स्वतंत्र निदेशक' के पद को धारण करने के लिए निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और कंपनी के किसी भी निदेशक का एक–दूसरे से संबंध नहीं है, और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

2.2. निदेशकों की आयु सीमा और कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों के लिए आयु सीमा 60 वर्ष है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की अवधि पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष या पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्ति होने पर, इन निदेशकों को अतिरिक्त निदेशक के रूप में ले लिया जाता है और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा नियुक्ति को मान्यता दी जाती है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामित निदेशकों को अधिनियम की धारा 161(3) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को आमतौर पर भारत सरकार द्वारा तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

31 मार्च, 2023 तक निदेशकों का विवरण इस प्रकार था:

निदेशकों का विवरण		नाम	बोर्ड में शामिल होने की तारीख
श्रेणी	पद		
1. पूर्णकालिक निदेशक	चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर	श्री के श्रीकांत	05.08.2019
	निदेशक (कार्मिक)	डॉ विनोद कुमार सिंह (31–5–2023 तक)	01.02.2020
	निदेशक (परियोजना)	श्री अभय चौधरी	01.11.2020
	निदेशक (संचालन)	श्री आर के त्यागी	12.08.2022
	निदेशक (वित्त)	श्री जी रविशंकर	21.09.2022
2 सरकार द्वारा नामित अंश–कालिक निदेशक	सरकार द्वारा नामित निदेशक	श्री दिलीप निगम	06.06.2022
		श्री मोहम्मद अफजल (17.05.2023 तक)	11.10.2022
3. अनौपचारिक अंशकालिक निदेशक	सरकार द्वारा नामित निदेशक	श्री ओंकारप्पा के.एन.	17.11.2021
		श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया	17.11.2021
		श्री रामनरेश तिवारी	18.11.2021

श्री दिलीप निगम, वैज्ञानिक 'जी' एमएनआरई ने 30.04.2022 को सरकारी नामित निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और 06.06.2022 को फिर से सरकार नामित निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं।

2.3. बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, विभिन्न तिथियों पर बोर्ड की बारह बैठकें आयोजित की गईं – दिनांक 1 मई, 2022, 21 मई, 2022, 6 जुलाई, 2022, 26 जुलाई, 2022, 8 अगस्त, 2022, 29 अगस्त, 2022, 26 सितंबर, 2022, 5 नवंबर, 2022, 17 दिसंबर, 2022, 31 जनवरी, 2023, 6 मार्च, 2023, और 23 मार्च, 2023। बैठकें आमतौर पर बहुत ही पहले से निर्धारित की गई थीं, और नोटिस, विस्तृत बोर्ड एजेंडा, प्रबंधन रिपोर्ट्स और अन्य स्पष्टीकरण वाले बोर्ड नोट निदेशकों को पहुँचाए गए थे। बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की सभी आवश्यक जानकारी तक पूरी पहुँच थी। जरूरत के अनुसार उच्च प्रबंधन को बोर्ड की बैठकों में भी आमंत्रित किया गया था, ताकि बोर्ड द्वारा चर्चित किए गए मुद्दों को और अतिरिक्त सुझाव प्रदान किए जा सकें। आपत्काल में, निर्णय वितरण द्वारा पारित किए गए थे।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, किसी दो बोर्ड बैठकों के बीच सबसे अधिक अंतराल 45 दिन था। निदेशकों द्वारा भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या, पिछली एजीएम में उपस्थिति, उनके द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अन्य निदेशकीय / समिति सदस्यता की संख्या, अर्थात, सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 26 के अनुसार ऑडिट कमिटी और स्टेकहोल्डर्स' रिलेशन्शिप कमिटी इस तालिका में दिखाई गई है।

कंपनी का नाम	बोर्ड बैठकों की संख्या		अंतिम एजीएम में उपस्थिति (29.08.2022 को आयोजित)	अन्य कंपनियों में 31.03.2023 तक निदेशक पद की संख्या	कंपनियों की संख्या जिनमें सेबी (एलओडीआर) के विनियम 26 के अनुसार 31.03.2023 तक समिति की सदस्यता या अध्यक्षता*		अन्य में निदेशक पद संभाला 31.03.2023 तक सूचीबद्ध कंपनियां और निदेशक पद की श्रेणी	
	भाग लेने के हकदार	उपस्थित हुए			चेयरमैन	मेम्बरशिप	कंपनी का नाम	डायरेक्टर शिप की श्रेणी
पूर्णकालिक निदेशक								
श्री के. श्रीकांत, सीएमडी	12	12	हाँ	08	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ विनोद कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक)	12	12	हाँ	07	शून्य	1	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	नामांकित निदेशक
श्री अभय चौधरी, निदेशक (परियोजनाएं)	12	12	हाँ	09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री आर.के. त्यागी, निदेशक (संचालन) (12.08.2022 से)	07	07	हाँ	09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री जी रविशंकर, निदेशक (वित्त) (21.09.2022 से)	06	06	लागू नहीं	05	शून्य	1	शून्य	शून्य
श्री एम ताज मुकर्रम, निदेशक (वित्त) (31.07.2022 तक)	04	04	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्रीमती सीमा गुप्ता, निदेशक (संचालन) (31.05.2022 तक)	02	02	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
गैर–कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामांकित)								
श्री दिलीप निगम, सलाहकार, एमएनआरई – सरकार द्वारा नामित निदेशक (30.04.2022 तक) और (06.06.2022 से)	10	06	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री मोहम्मद अफजल संयुक्त सचिव I–सरकार द्वारा नामांकित (11.10.2022 से 17.05.2023 तक)	05	04	लागू नहीं	04	लागू नहीं	1	1. एनएचपीसी लिमिटेड 2. ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड	1. सरकार द्वारा नामांकित निदेशक 2. सरकार द्वारा नामांकित निदेशक
श्री माधव राजेंद्रन रघुराज, संयुक्त सचिव – सरकार द्वारा नामांकित निदेशक (05.08.2022 से 11.10.2022 तक)	03	02	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री घनश्याम प्रसाद, संयुक्त. सचिव – सरकार द्वारा नामांकित निदेशक (21.12.2021 से 14.07.2022 तक)	03	03	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्वतंत्र निदेशक								
श्री ओंकारप्पा के.एन.	12	12	हाँ	01	02	03	शून्य	शून्य
श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया	12	12	हाँ	00	01	02	शून्य	शून्य
श्री राम नरेश तिवारी	12	12	हाँ	01	शून्य	04	शून्य	शून्य
श्री एम. एन. वेंकटेशन (10.07.2022 तक)	03	03	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी:

N/A इंगित करता है कि संबंधित व्यक्ति उस प्रासंगिक तिथि पर निदेशक नहीं था।

*पावरग्रिड में समिति की स्थिति शामिल है।

2.4. निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएं।

निदेशक का नाम	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएं						
	विद्युत क्षेत्रक की दक्षता	तकनीकी/इंजीनियरिंग	वित्तीय प्रबंधन	नेतृत्व	मानव संसाधन प्रबंधन	जोखिम और रणनीति प्रबंधन	पर्यावरण, अनुसंधान एवं विकास
श्री के. श्रीकांत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	✓		✓	✓		✓	
श्री अभय चौधरी, निदेशक (परियोजनाएं)	✓	✓		✓	✓	✓	✓
श्री आर.के. त्यागी, निदेशक (संचालन)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री जी रविशंकर, निदेशक (वित्त)	✓		✓	✓		✓	
श्री दिलीप निगम, सरकार द्वारा नामित निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री साईबाबा दरबामुल्ला, सरकार द्वारा नामित निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री ओंकारप्पा के.एन., स्वतंत्र निदेशक	✓			✓	✓	✓	✓
श्री चेतन बंसीलाल, कांकरिया, स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री रामनरेश तिवारी, स्वतंत्र निदेशक	✓			✓	✓	✓	✓

2.5. स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

20.06.2022 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीन स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया और शेष एक स्वतंत्र निदेशक के सुझावों को बैठक के दौरान रिकॉर्ड पर लिया गया। इस बैठक में स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन किया जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक है।

2.6. निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई जानकारी में अन्य बातों के साथ–साथ ये सम्मिलित हैं:

बोर्ड के पास कंपनी की सभी जानकारी की पूरी पहुंच है। बोर्ड को नियमित रूप से प्रदान की जाने वाली जानकारी में सम्मिलित हैं:

1. वार्षिक परिचालन योजनाएँ और बजट और अद्यतन, यदि कोई हो।
2. वार्षिक खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, आदि।
3. कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम।
4. सहायक कंपनियों के कार्यवृत्त सहित लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
5. प्रमुख निवेश, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का गठन, रणनीतिक गठबंधन, आदि।
6. बड़े ठेकों का आवंटन।
7. सभी प्रकार के लेन–देन।
8. निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में उनके निदेशक पद और समिति पदों के बारे में हित का खुलासा।
9. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा।
10. कंपनी की वाणिज्यिक स्थिति पर मासिक रिपोर्ट।
11. विभिन्न सहायक कंपनियों की व्यावसायिक गतिविधियों पर त्रैमासिक रिपोर्ट।

12. विभिन्न कानूनों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट।
13. कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट; शेयर पूंजी ऑडिट और निवेशकों की शिकायतों का समाधान।
14. विभिन्न चालू परियोजनाओं/योजनाओं और बजट उपयोग की स्थिति पर रिपोर्ट।
15. ओ एंड एम समीक्षा पर रिपोर्ट।
16. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण कार्य जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर आदि।
17. किसी भी नियामक, वैधानिक या लिस्टिंग आवश्यकताओं और शेयरधारकों की सेवा का अनुपालन न करना जैसे लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में देरी आदि।
18. अधिशेष निधि का अल्पकालिक निवेश।
19. अन्य भौतिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी।

2.7. बैठक के बाद अनुवर्ती प्रणाली

कंपनी की शासन प्रक्रिया में बोर्ड और बोर्ड समिति (समितियों) के निर्णयों पर की गई कार्रवाई के लिए बैठक के बाद प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा और रिपोर्टिंग प्रक्रिया सम्मिलित है।

3. निदेशक मंडल की समितियाँ

बोर्ड ने निम्नलिखित वैधानिक समितियों का गठन किया हैरू

i. लेखापरीक्षा समिति
ii. हितधारक संबंध समिति
iii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
iv. जोखिम प्रबंधन समिति
v. सीएसआर समिति

निदेशक मंडल की समिति

(31 मार्च, 2023 तक)

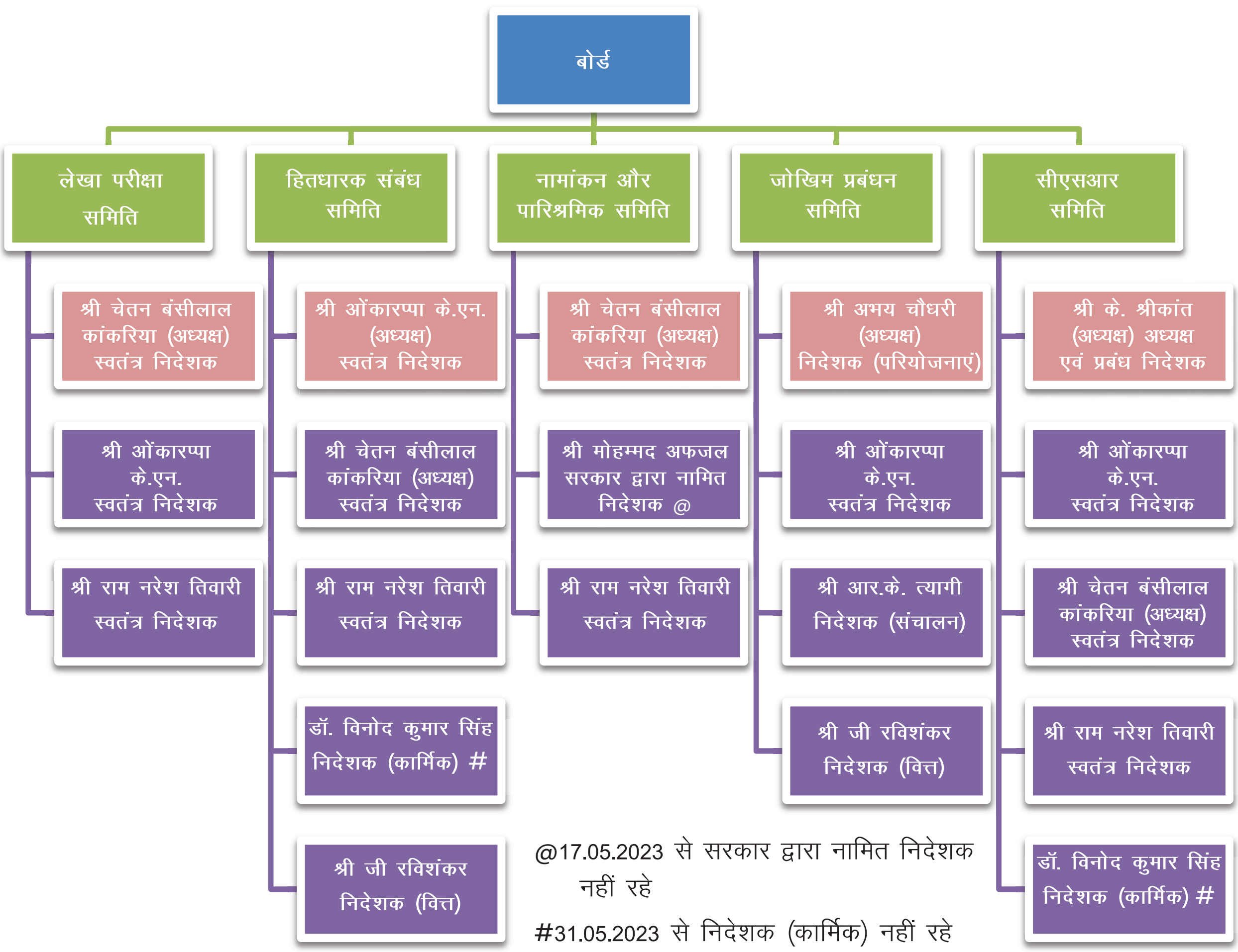

@17.05.2023 से सरकार द्वारा नामित निदेशक नहीं रहे

#31.05.2023 से निदेशक (कार्मिक) नहीं रहे

3.1. लेखा परीक्षा समिति

बैठक, उपस्थिति, संविधान एवं संरचना

कंपनी ने अधिनियम की धारा 177 और सेबी एलओडीआर के विनियमन 18 के प्रावधानों के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की चौदह बैठकें आयोजित की गईं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठक में उपस्थिति:

समिति सदस्य का नाम	समिति में पद	मीटिंग की संख्या जिसमें भाग लेने के पात्र हैं	मीटिंग की संख्या जिसमें भाग लिया
श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया (18.07.2022 से)	अध्यक्ष	14	14
श्री ओंकारप्पा के.एन.	सदस्य	14	12
श्री रामनरेश तिवारी (18.07.2022 से)	सदस्य	12	12
श्री एम. एन. वेंकटेशन (10.07.2022 तक)	अध्यक्ष	02	02

कंपनी के सचिव समिति के सचिव हैं।

लेखापरीक्षा समिति की शक्तियाँ

लेखापरीक्षा समिति के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं :

I. अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली गतिविधियों की जांच करना

II. किसी भी कर्मचारी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना।

III. बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर से सलाह लेना।

IV. यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

V. व्हिसिल ब्लोअर्स की सुरक्षा करना।

VI. बोर्ड द्वारा भेजे गए अन्य मामलों पर विचार करना।

कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र संक्षिप्त में इस प्रकार हैं–

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, हमारी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किए जाने वाले ऑडिट शुल्क के निर्धारण और वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवा के संबंध में भुगतान के अनुमोदन के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना।
3. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में, प्रबंधन के साथ स्टैंडअलोन और समेकित वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करनारू
   a) वे मामले, जिन्हें अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा 3 के खंड (सी) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में संलग्न किए जाने वाले निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित करना आवश्यक है।
   b) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण।
   c) ऐसी प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ जिनमें प्रबंधन के निर्णय के आधार पर अनुमान लगाए गए हों
   d) लेखापरीक्षा निष्कर्षों के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   e) वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग और अन्य कानूनी शर्तों का अनुपालन।
   f) किसी भी संबंधित पक्ष के लेनदेन का प्रकटन
   g) ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में योग्यताएं/संशोधित विचार।
4. बोर्ड को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने से पहले, उन सभी संस्थाओं/कंपनियों, जिनके खातों को समेकित किया जाना है, की कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ त्रैमासिक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और समेकित त्रैमासिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा/जांच करना।
5. प्रबंधन के साथ, किसी इश्यू (सार्वजनिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यू, आदि) के माध्यम से जुटाए गए फंड के उपयोग/आवेदन का विवरण, ऑफर दस्तावेज में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए फंड

के विवरण की समीक्षा करना। प्रॉस्पेक्टस/नोटिस और निगरानी एजेंसी द्वारा सार्वजनिक या राइट्स इश्यू और संबंधित मामलों की आय के अंतिम उपयोग/उपयोग की निगरानी करने वाली रिपोर्ट और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।

6. प्रबंधन के साथ, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है।
8. आंतरिक लेखा परीक्षकों और/या लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
9. ऐसे मामलों में जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है, आंतरिक लेखा परीक्षकों / लेखा परीक्षकों / एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना और मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना।
10. ऑडिट शुरू होने से पहले वैधानिक ऑडिटरों के साथ ऑडिट की प्रकृति और दायरे के संबंध में चर्चा करना एवं चिंता के किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण के बाद चर्चा।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर गौर करना।
12. कंपनी के सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा/देखरेख करना।
13. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
14. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
15. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और बोर्ड के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना।
16. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन की मंजूरी या बाद में कोई संशोधन।
17. कंपनी में सभी संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा करना। (इस प्रयोजन के लिए, लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा)। ''संबंधित पार्टी लेनदेन'' शब्द का वही अर्थ होगा जो सेबी एलओडीआर के विनियम 2(1)(zc) में दिया गया है।
18. 18. कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी और सभी ऑडिट संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र ऑडिटर के साथ समीक्षा करना।
19. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करनाः
    क) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता; और
    ख) स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें, प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ।
20. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करनाः
    क) वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिसमें पिछली लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति भी सम्मिलित है; और
    ख) ऑडिट कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई जिसमें गतिविधियों के दायरे या आवश्यक जानकारी तक पहुंच पर कोई प्रतिबंध सम्मिलित है।
21. लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।
22. अंतर–कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच।
23. जब भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या संपत्तियों का मूल्यांकन।
24. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
25. वित्त वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करना और यह सत्यापित करना कि आंतरिक नियंत्रण के लिए सिस्टम पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।
26. वर्तमान तिथि तक पहले से मौजूद ऋणों/अग्रिमों/निवेशों समेत कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में ₹100 करोड़ से अधिक या सहायक कंपनी की संपत्ति के आकार का 10%, जो भी कम हो, के ऋण और/या अग्रिम/निवेश की उपयोगिता की समीक्षा करना।

27. समय–समय पर संशोधित अधिनियम, सेबी एलओडीआर और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत लेखापरीक्षा समिति के कार्यक्षेत्रों में उल्लिखित किसी भी अन्य कार्य को करना।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखापरीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करती है:

I. प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों का विश्लेषण।

II. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण।

III. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण की विफलताओं से संबंधित पत्र।

IV. आंतरिक नियंत्रण की विफलताओं से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

V. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें।

VI. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणीकरण/घोषणा।

VII. विचलन का विवरणरू

  क) विनियम 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन का त्रैमासिक विवरण, यदि लागू हो।

  ख) विनियमन 32(7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए धन का वार्षिक विवरण।

3.2. हितधारकों की संबंध समिति

कंपनी ने अधिनियम की धारा 178 (5) और सेबी एलओडीआर के विनियमन 20 के प्रावधानों के अनुरूप हितधारक संबंध समिति का गठन किया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान हितधारक संबंध समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान हितधारकों की संबंध समिति की बैठक में उपस्थिति:

समिति सदस्य का नाम	समिति में पद	मीटिंग की संख्या जिसमें भाग लेने के पात्र हैं	मीटिंग की संख्या जिसमें भाग लिया
श्री ओंकारप्पा के.एन.	अध्यक्ष	2	1
श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया	सदस्य	2	2
श्री रामनरेश तिवारी	सदस्य	2	2
डॉ विनोद कुमार सिंह (31.05.2023 तक)	सदस्य	2	1
श्री जी रविशंकर	सदस्य	2	2
श्री एम. ताज मुकर्रम (31.07.2022 तक)	सदस्य	0	0

कार्यक्षेत्र

समिति का कार्यक्षेत्र सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना है जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलना, घोषित लाभांश न मिलना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

सेबी एलओडीआर के अनुसार, बोर्ड ने कंपनी सचिव श्री मृणाल श्रीवास्तव को अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है।

निवेशकों की शिकायतें

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने निवेशकों की शिकायतों पर तेजी से ध्यान दिया है। वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	कुल			
		आरंभिक शेष	प्राप्त	सुनी गई	लंबित
क)	**सांविधिक निकायों से प्राप्त शिकायतें**				
	सेबी	-	3	3	-
	स्टॉक एक्सचेंज	-	4	4	-
	उपभोक्ता मंच/न्यायालय के वाद	-	-	-	-
	अधिवक्ताओं की नोटिस	-	1	1	-
ख)	**लाभांश**				
	लाभांश वारंट का प्राप्त न होना	-	4,137	4,137	-

क्र. सं.	विवरण	कुल			
		आरंभिक शेष	प्राप्त	सुनी गई	लंबित
ग)	**शेयर के प्रमाणपत्र**				
	शेयर प्रमाणपत्र का प्राप्त न होना	-	35	35	-
घ)	**रिफंड के आदेश**				
	रिफंड आदेश का प्राप्त न होना	-	3	3	-
कुल		**-**	**4,183**	**4,183**	**-**

SCORES एक केंद्रीकृत वेब–आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है जिसके माध्यम से निवेशक अपनी शिकायत के लिए कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

शेयर एस्क्रो खाते में पड़े शेयर

सेबी एलओडीआर की अनुसूची V (F) के अनुसार, शेयर एस्क्रो खाते में पड़े शेयरों का विवरण इस प्रकार है:

शेयर एस्क्रो खाते में पड़े शेयर								
विवरण	आईपीओ		एफपीओ [2010]		एफपीओ [2013]		बोनस इश्यू [2021]	
	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
01.04.2022 तक	5	1379	0	0	0	0	0	0
वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान स्थानान्तरण	0	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2023 तक	5	1379	0	0	0	0	0	0

एस्क्रो खाते में पड़े शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक प्रयुक्त नहीं किए जा सकेंगे जब तक ऐसे शेयरों का असली मालिक शेयरों पर दावा नहीं करता। ये शेयर रजिस्ट्रार यानी मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास एक पूल खाते में डीमैट फॉर्म में पड़े हुए हैं और उन पर अर्जित लाभों का उचित हिसाब लगाया जा रहा है।

3.3. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी ने अधिनियम की धारा 178 और सेबी एलओडीआर के विनियमन 19 के प्रावधानों के अनुरूप नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में उपस्थिति:

समिति सदस्य का नाम	समिति में पद	मीटिंग की संख्या जिसमें भाग लेने के पात्र हैं	मीटिंग की संख्या जिसमें भाग लिया
श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया (26.09.2022 से)	अध्यक्ष	2	2
श्री रघुराज माधव राजेंद्रन (08.08.2022 से 11.10.2022 तक)	सदस्य	1	1
श्री रामनरेश तिवारी	सदस्य	2	2
श्री मोहम्मद अफ़ज़ल (11.10.2022 से 17.05.2023 तक)	सदस्य	0	0
श्री घनश्याम प्रसाद (14.07.2022 तक)	सदस्य	1	1
श्री एम. एन. वेंकटेशन (10.07.2022 तक)	सदस्य	1	1

कार्यक्षेत्र

नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड को कर्मचारियों के प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) और अन्य परिवर्तनीय वेतन से संबंधित एक नीति/योजना; समय–समय पर कोई भी संशोधन समेत सेबी (एलओडीआर) की अनुसूची II के भाग डी के पैरा (ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) / विनियमन 19 में निर्दिष्ट बोर्ड द्वारा समय–समय पर सौंपी जाने वाली अन्य भूमिकाएं/ जिम्मेदारियों की सिफारिश करती है।

निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में अधिनियम की अनुसूची IV की धारा 178 (2) और पैरा VIII के प्रावधानों का अनुपालन करने से सरकारी कंपनियों को छूट दी है।

इस कंपनी के कार्यात्मक (फंक्शनल) निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन ऊर्जा

मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा प्रभावी नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

3.4. जोखिम प्रबंधन समिति

पावरग्रिड ने सेबी एलओडीआर के विनियम 21 के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया था।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की उपस्थितिः

समिति के सदस्य का नाम	समिति में पद	वांछित उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या	उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या
श्री अभय चौधरी	अध्यक्ष	3	3
श्री के. श्रीकांत*	सदस्य	1	0
श्री आर. के. त्यागी	सदस्य	1	1
श्री जी. रविशंकर	सदस्य	1	1
श्री ओंकारप्पा के.एन.	सदस्य	3	3
श्रीमती सीमा गुप्ता (31.05.2022 तक)	सदस्य	1	1
श्री एम. एन. वेंकटेशन (10.07.2022 तक)	सदस्य	2	2
श्री एम. ताज मुकर्रम (31.07.2022 तक)	सदस्य	2	2

*12.08.2022 तक निदेशक (संचालन) का अतिरिक्त प्रभार।

कार्यक्षेत्र

जोखिम प्रबंधन समिति का कार्यक्षेत्र संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार से है–

1. कंपनी की जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा;
2. प्रमुख जोखिमों और उनके शमन पर बोर्ड को अपडेट प्रदान करना; और
3. समय–समय पर बोर्ड द्वारा सौंपी जाने वाली अन्य भूमिका/उत्तरदायित्व।

कंपनी ने एक 'एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क' (ईआरएम फ्रेमवर्क) लागू किया है। इसका विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दिया गया है।

3.5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

पावरग्रिड ने अधिनियम की धारा 135 की आवश्यकताओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और संधारणीयता पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक सीएसआर समिति का गठन किया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर समिति की आठ बैठकें आयोजित की गईं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति की उपस्थितिः

समिति के सदस्य का नाम	बैठकों की संख्या	वांछित उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या	उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या
श्री के. श्रीकांत	अध्यक्ष	8	8
डॉ. विनोद कुमार सिंह (31.05.2023 तक)	सदस्य	8	8
श्री ओंकारप्पा के.एन.	सदस्य	8	8
श्री राम नरेश तिवारी	सदस्य	8	8
श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया	सदस्य	8	8

कार्यक्षेत्र

सीएसआर समिति का कार्यक्षेत्र संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार से है :

I. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII (ऐसी गतिविधियां जिन्हें कंपनियों द्वारा उनकी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीतियों में शामिल किया जा सकता है) में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाते हुए एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर नीति) निर्मित करना और बोर्ड को इसकी संस्तुति करना;

II. क्रम संख्या 1 में उल्लिखित गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की संस्तुति करना।

III. समय–समय पर सीएसआर नीति की निगरानी करना और कंपनी द्वारा आरंभ की गई सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

एक सरकारी कंपनी होने के कारण, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक (फंक्शनल) निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार किया गया भुगतान किया गया था।

स्वतंत्र निदेशकों को केवल बोर्ड/समिति की बैठकों के अनुसार बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। {कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 4 के अधीन निर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अंदर बोर्ड द्वारा निर्धारित दर} और बोर्ड की बैठकों तथा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निर्देशक	पद	वेतन (₹ में)	लाभ (₹ में)	बोनस / कमीशन (पद ₹)	प्रदर्शन आधारित इनसेंटिव (₹ में)	कुल (पद ₹) में
1.	श्री के. श्रीकांत	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	66,93,975	6,29,877	-	31,38,842	1,04,62,694
2.	डॉ. विनोद कुमार सिंह	निदेशक (कार्मिक)	54,65,450	14,53,920	-	27,22,761	96,42,130
3.	श्री अभय चौधरी	निदेशक (परियोजनाएं)	50,55,014	5,82,820	-	27,93,437	84,31,271
4.	श्री आर. के. त्यागी (12.08.2022 से)	निदेशक (संचालन)	35,62,883	7,03,374	-	22,50,927	65,17,184
5.	श्री जी. रविशंकर (21.09.2022 से)	निदेशक (वित्त)	24,21,684	3,13,456	-	19,66,560	47,01,700
6.	श्री एम. ताज मुकर्रम (31.07.2022 तक)	निदेशक (वित्त)	48,68,887	3,77,636	-	27,47,635	79,94,158
7.	श्रीमती सीमा गुप्ता (31.05.2022 तक)	निदेशक (संचालन)	40,17,075	69,902	-	31,79,958	72,66,935

कंपनी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं लेते हैं।

टिप्पणियाँ:

1. पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी के कर्मचारियों के रूप में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रदर्शन (निष्पादन) आधारित इनसेंटिव दिए जाते हैं।
2. भारत सरकार द्वारा जारी की गई पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों में सेवा विच्छेद के लिए तीन महीने की नोटिस अवधि या उसके बदले वेतन का प्रावधान है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए बैठक शुल्क के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है:

स्वतंत्र निदेशक	बैठक शुल्क		कुल (₹)
	बोर्ड की बैठक (₹)	समिति बैठक (₹)	
श्री ओंकारप्पा के.एन.	4,80,000/-	8,10,000/-	12,90,000/-
श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया	4,80,000/-	11,40,000/-	16,20,000/-
श्री राम नरेश तिवारी	4,80,000/-	7,50,000/-	12,30,000/-
श्री एम. एन. वेंकटेशन (10.07.2022 तक)	1,20,000/-	2,40,000/-	3,60,000/-

निदेशकों की शेयरधारिता

31 मार्च, 2023 तक निदेशकों द्वारा धारित कंपनी के शेयरों का विवरण निम्न प्रकार से है:

निदेशकों के नाम	पद	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
डॉ विनोद कुमार सिंह	निदेशक (कार्मिक)	1,372
श्री अभय चौधरी	निदेशक (परियोजना)	25
श्री आर.के. त्यागी	निदेशक (संचालन)	1069
श्री जी रविशंकर	निदेशक (वित्त)	58
श्री दिलीप निगम	सरकार नामित निदेशक	101
श्री मोहम्मद अफ़ज़ल	सरकार नामित निदेशक	शून्य
श्री ओंकारप्पा के.एन.	स्वतंत्र निदेशक	शून्य
श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया	स्वतंत्र निदेशक	शून्य
श्री रामनरेश तिवारी	स्वतंत्र निदेशक	शून्य

5. सहायक कंपनियों की निगरानी

कंपनी के पास लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्रक के सार्वजनिक उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट शासन पर जारी दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित सेबी एलओडीआर या सहायक कंपनियों के रूप में मूर्त रूप से कोई गैर–सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।

हालांकि, सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त (मिनट्स) और सहायक कंपनियों की स्थिति को आवधिक रूप से कंपनी के बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, सेबी एलओडीआर के विनियम 16 (1) (सी) और 46 के आधार पर कंपनी ने 'मूर्त' सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु एक नीति तैयार की है। इस नीति का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट पर किया गया है और उसका वेब लिंक भी नीचे दिया गया है:

https://www.powergrid.in/sites/default/files/code_of_conduct_policies/06_Policy%20on%20Subsidiaries.pdf

6. जनरल बॉडी (आम सभा) की बैठकें

तिथि, समय और स्थान जहां पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें आयोजित की गई थीं, निम्नानुसार हैं:

वर्ष	तिथि	समय	स्थान	पारित विशेष प्रस्ताव
2021-22	29-Aug-22	11:00 AM	वीडियो कांफ्रेंसिंग/ अन्य दृश्य–श्रव्य साधन	1. श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया (डीआईएन:09402860) की बतौर स्वतंत्र निदेशक नियुक्ति को मंजूरी देना। 2. श्री ओंकारप्पा के. एन. (डीआईएन: 09403906) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी देना। 3. श्री राम नरेश तिवारी (डीआईएन: 09405377) की बतौर स्वतंत्र निदेशक नियुक्ति को मंजूरी देना। 4. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत लगभग 24 भागों में सुरक्षित/असुरक्षित, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी/संचयी, रिडिमेबल, कर योग्य/कर मुक्त डिबेंचर/बांड जारी करके 6,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि घरेलू बाजार से जुटाना।
2020-21	24-Sep-21	11:00 AM	वीडियो कांफ्रेंसिंग/ अन्य दृश्य–श्रव्य साधन	1. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत लगभग 20 भागों में सुरक्षित/असुरक्षित, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी/संचयी, रिडिमेबल, कर योग्य/कर मुक्त डिबेंचर/बांड जारी करके 6,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि घरेलू बाजार से जुटाना।
2019-20	22-Sep-20	11:00 AM	वीडियो कांफ्रेंसिंग/ अन्य दृश्य–श्रव्य साधन	1. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत लगभग 20 भागों में सुरक्षित/असुरक्षित, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी/संचयी, रिडिमेबल, कर योग्य/कर मुक्त डिबेंचर/बांड जारी करके 10,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि घरेलू बाजार से जुटाना।

डाक मतपत्र द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। साथ ही, डाक मतपत्र द्वारा तत्काल कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

7. क्रेडिट रेटिंग

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न ऋण प्रपत्रों के लिए दी क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार है:

घरेलू रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग:

क्र. सं.	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	लंबी अवधि के लिए रेटिंग ऋण प्रपत्र / बैंक	छोटी अवधि की बैंक उधारी के लिए रेटिंग	वाणिज्यिक प्रपत्रों के लिए रेटिंग
1	आईसीआरए	(आईसीआरए) एएए (स्थिर)	(आईसीआरए) ए1+	(आईसीआरए) ए1+
2	क्रिसिल	क्रिसिल एएए / स्थिर	क्रिसिल ए1+	क्रिसिल ए1+
3	सीएआरई	सीएआरई एएए; स्थिर	सीएआरई ए1+	सीएआरई ए1+

विदेशी रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग:

क्र. सं.	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	दी गई रेटिंग
1	मिडीज इंवेस्टर सर्विस	बीएए3 आउटलुक: स्टेबल
2	एस एंड पी	बीबीबी (–) आउटलुक: स्टेबल
3	फिंच	बीबीबी (–) आउटलुक: स्टेबल

8. **प्रकटीकरण**

I. संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन में (i) संयुक्त उद्यम करार के अंतर्गत कंपनियों को कार्यों/सेवाओं के अनुबंध के लिए भुगतान, (ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक, और (iii) सहायक कंपनियों को दिए गए वैसे इक्विटी योगदान शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों से संभावित टकराव पैदा करने वाले न हों। संबंधित पक्षों से लेन–देन को का ब्यौरा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडीएएस–24) के अनुसार खातों पर की गई टिप्पणी में शामिल है।

II. कंपनी की कोई मूर्त सहायक कंपनी नहीं है। संबंधित नीति का वेब लिंक नीचे दिया गया है:

https://www.powergrid.in/sites/default/files/code_of_conduct_policies/06_Policy%20on%20Subsidiaries.pdf

III. कंपनी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)/मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) प्रमाणन के लिए एक उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा और आंतरिक नियंत्रण ढांचा स्थापित किया है। वरिष्ठ महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट योजना) को कंपनी के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

IV. संबंधित पक्षों के साथ व्यवसाय के हिसाब से सामान्य लेनदेन के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कोई भौतिक लेनदेन नहीं है।

V. संबंधित पार्टियों या अन्य लोगों के साथ ऐसा कोई भौतिक व्यक्तिगत लेनदेन नहीं हैं, जो भी है पारस्परित आधार पर हैं। इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियम 23 के आधार पर, कंपनी ने संबंधित पक्ष के लेनदेन की भौतिकता पर एक नीति तैयार की है। पावरग्रिड की वेबसाइट पर इसका खुलासा किया है गया है। उसका वेब लिंक नीचे दिया गया है:
https://www.powergrid.in/sites/default/files/code_of_conduct_policies/11_Policy%20on%20Related%20Party%20Transactions.pdf

VI. कंपनी ने सेबी एलओडीआर की आवश्यकताओं तथा, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय क्षेत्रक के सार्वजनिक उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, कंपनी केवल कंपनी बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या का अनुपालन नहीं कर पा रही है।

VII. गैर–अनुपालन या अपालन का विवरण:

यह कंपनी जुलाई, 2021 से एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित वित्त वर्ष 2022–23, 2021–22 और 2020–21 के लिए स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के संबंध में निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित आवश्यकता को छोड़कर सेबी एलओडीआर और अधिनियम की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है।

उपर्युक्त गैर–अनुपालन (अपालन) के कारण, एनएसई और बीएसई ने स्पष्टीकरण मांगा है और उपरोक्त अवधि के लिए जुर्माना लगाया है। कंपनी ने स्पष्टीकरण का उपयुक्त उत्तर दिया और एनएसई और बीएसई से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया।

पावरग्रिड के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके कार्यात्मक/आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों/गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार में निहित है। स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पद को भरने के लिए इस मामले को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात ऊर्जा मंत्रालय के साथ पहले ही उठाया जा चुका है।

VIII. कंपनी का अपना अलग सतर्कता विभाग है। यह आपूर्तिकर्ताओं के कर्मचारियों/प्रतिनिधियों, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाता, या पावरग्रिड के साथ व्यापार करने वाले किसी अन्य पक्ष से जुड़ी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी से निपटता है। व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी निवारण नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के बाद पावरग्रिड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को ऑडिट समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया। व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी निवारण नीति का वेब लिंक नीचे इस प्रकार से है:
https://www.powergrid.in/sites/default/files/code_of_conduct_policies/POWERGRID_Whistle_Blower_and_Fraud_Prevention_Policy.pdf

IX. वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के अनुसार, अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के आधार

पर तैयार किए गए हैं।

X. कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं को अपनाने (और अनुपालन)/गैर–अंगीकरण के संबंध में सूचना अनुलग्नक–I में दी गई है।

XI. सेबी एलओडीआर के विनियम 46 के उप–विनियम (2) के खंड (बी) से (आई) और विनियम 17 से 27 में विनिदष्ट कॉरपोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

XII. सेबी एलओडीआर के विनियम 34(3) और अनुसूची पांच, पैरा सी, खंड (10)(i) के आधार पर, कंपनी सचिव से इस बात का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

XIII. वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पावरग्रिड द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क का विवरण 'सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान' उप–शीर्ष के तहत 'टिप्पणी 40–अन्य व्यय' में दर्शाया गया है।

XIV. कंपनी या उसकी सहायक कंपनी ने निदेशकों की रुचि (हित) वाली फर्मों/कंपनियों को कोई ऋण/अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

XV. वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने इस्तीफा नहीं दिया।

XVI. कंपनी की किसी भी प्रतिभूति को कभी भी व्यापार से निलंबित नहीं किया गया।

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी एलओडीआर के विनियम 17(8) के अनुसार, उक्त विनियम की अनुसूची II के भाग–बी में निर्दिष्ट अनुपालन प्रमाण पत्र, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री के. श्रीकांत और निदेशक (वित्त और सीएफओ) श्री जी. रविशंकर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रूप में 19 मई, 2023 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।

9. Means of Communication

कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक, समाचार पत्रों और वेबसाइट के माध्यम से संवाद करती है।

कंपनी प्रत्येक तिमाही के अंत में विश्लेषकों और निवेशकों की बैठकों के माध्यम से अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ संवाद भी करती है। कंपनी के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी निवेशक समुदाय के साथ बातचीत करते हैं।

कंपनी द्वारा की गई जानकारी और नवीनतम अपडेट और घोषणाओं को कंपनी की वेबसाइट https://www.powergrid.in/ पर विजिट किया जा सकता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क्र. सं.	विवरण	लिंक
1	तिमाही/अर्ध–वार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम	https://www.powergrid.in/annual-quarterly-results https://www.powergrid.in/annual-results
2	तिमाही शेयरधारिता पैटर्न	https://www.powergrid.in/share-holding-pattern
3	तिमाही कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	https://www.powergrid.in/corporate-governance
4	स्टॉक एक्सचेंजों के लिए समय–समय पर कॉरपोरेट सूचनाओं का प्रकटीकरण	https://www.powergrid.in/meetingsnotices

तिमाही परिणाम

समाचार पत्र और पत्रिकाओं में वित्तीय परिणामों का प्रकाशन			
क्र. सं.	समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का प्रकाशन	प्रकाशन की तिथि	समाचार पत्र और पत्रिका
1	30.06.2022	09.08.2022	हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, दैनिक जागरण, मिलेनियम पोस्ट
		10.08.2022	टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, मिड डे
		August, 2022 issue	पत्रिका – दलाल स्ट्रीट, बिजनेस टुडे।
		August, 2022	वेबसाइट– Zeebiz.com, livemint.com
2	30.09.2022	07.11.2022	टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, अमर उजाला, बिजनेस लाइन

समाचार पत्र और पत्रिकाओं में वित्तीय परिणामों का प्रकाशन			
क्र. सं.	समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का प्रकाशन	प्रकाशन की तिथि	समाचार पत्र और पत्रिका
3	31.12.2022	01.02.2023	फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन, फ्री प्रेस जर्नल
		02.02.2023	टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, न्यू इंडियन एक्सप्रेस
		Feb, 2023 issue	पत्रिका – दलाल स्ट्रीट
		March, 2023 issue	पत्रिका : वेल्थ इनसाइट
		Feb 2023	वेबसाइट– TOI.com & ET.com Sarkaritel.com
4	31.03.2023	20.05.2023 22.05.2023	टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, द स्टेट्समैन, बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी और हिंदी), फ्री प्रेस जर्नल, नवशक्ति, मिलेनियम पोस्ट
		May, 2023 issue	पत्रिका – बिजनेस टुडे, आउटलुक, बिजनेस + आउटलुक हिन्दी, निवेश मंथन
		May, 2023	वेबसाइट – Moneycontrol.com, Livemint

ये परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं: https://www.powergrid.in/

आधिकारिक विज्ञप्ति और प्रस्तुतियाँ

कंपनी की आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति, अन्य प्रेस कवरेज, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुतियां भी कंपनी की वेबसाइट पर भी डाली जाती हैं जिन्हें यहां एक्सेस किया जा सकता है:

https://www.powergrid.in/investors-relations and https://www.powergrid.in/financials-presentations

10. आचार संहिता

निदेशक मंडल ने दो अलग–अलग आचार संहिताएं निर्धारित की हैं– एक बोर्ड के सदस्यों के लिए और दूसरा कंपनी के मिशन और उद्देश्यों को संरे करते हुए वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए। इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। 'बोर्ड के सदस्यों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता' तथा 'वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यापार और नैतिकता संहिता' कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 26(3) के तहत घोषणा आवश्यक है।

बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह0/-

स्थानः गुरुग्राम **(के. श्रीकांत)**

तिथिः 6 अगस्त, 2023 **अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक**

11. इनसाइडर ट्रेडिंग कोड (संहिता)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनिमय, 2015 और समय–समय पर संशोधित के अनुसरण में, बोर्ड ने अप्रकाशित मूल्य के उचित प्रकटीकरण, व्यापार के विनियमन, निगरानी और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इनसाइड द्वारा ट्रेडिंग की रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता और प्रक्रियाओं को इस उद्देश्य से निर्धारित किया है कि 'नामित व्यक्ति' कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संबंधी वैसी संवेदनशील जानकारी (जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और अंदरूनी जानकारी (इनसाइडर इंफॉर्मेशन) मानी जाती है) तक पहुंच और कब्जे से कोई न कोई लाभ प्राप्त कर सकेगा और ना ही इसमें दूसरों की सहायता करेगा ।

कंपनी सचिव को इस संहिता के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

12. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

कंपनी, स्वतंत्र निदेशकों को विभिन्न कार्यक्रमों और प्रस्तुतियों के माध्यम से कंपनी की गतिविधियों और कामकाज, उनकी भूमिकाओं, अधिकारों, कंपनी में जिम्मेदारियों, उद्योग की प्रकृति (जिसमें कंपनी संचालित होती है) के साथ–साथ कंपनी के व्यवसाय मॉडल आदि से परिचित कराती है। ऐसे परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर दिया गया है और उसका वेब लिंक निम्नलिखित है:

https://www.powergrid.in/familiarisation-programme-independent-directors

13ण कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1.	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या।	1
2.ZZ	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या।	1
3.	वित्त वर्ष 2022–23 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या।	0

14. वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन और उसमें परिवर्तन का विवरण

क्र. सं.	नाम	पद (ईडी/सीएफओ/ कंपनी सचिव)	प्रभार लेने की तिथि	छोड़ने/समाप्ति की तिथि
1.	रामनरेश सिंह	ईडी	14-09-2015	-
2.	सुबीर सेन	ईडी	14-09-2015	-
3.	सुनील अग्रवाल	ईडी	01-03-2016	31-03-2023
4.	राजीव कुमार	ईडी	21-06-2017	30-06-2022
5.	उपेन्द्र पांडे	ईडी	21-06-2017	-
6.	ए. के. सिंघल	ईडी	01-08-2017	31-03-2023
7.	एस. रवि	ईडी	14-08-2018	31-05-2022
8.	बी. अनंत सरमा	ईडी	18-01-2019	-
9.	के.के. श्रीवास्तव	ईडी	17-12-2019	30-06-2022
10.	पी. वी. नाथ	ईडी	17-12-2019	30-11-2022
11.	ए. के. मिश्रा	ईडी	17-12-2019	-
12.	राजेश कुमार	ईडी	17-12-2019	-
13.	अनूप कुमार	ईडी	01-02-2020	30-06-2022
14.	महेंद्र कुमार सिंह	ईडी	04-05-2020	31-10-2022
15.	रविंदर कुमार एस	ईडी	02-09-2020	30-11-2022
16.	असित कुमार मैती	ईडी	02-09-2020	31-12-2022
17.	कैलाश राठौड़	ईडी	02-09-2020	31-01-2023
18.	प्रमोद कुमार	ईडी सीएफओ	02-09-2020 08-08-2022	30-06-2023 26-09-2022
19.	सतीश चंद्र	ईडी	02-09-2020	-
20.	ए. आनंद	ईडी	02-09-2020	-
21.	आर. के. त्यागी निदेशक (संचालन) का पदभार संभाला	ईडी	02-11-2020	12-08-2022
22.	बिमलेंदु शेखर झा	ईडी	03-11-2020	31-08-2022
23.	पी. सी. गर्ग	ईडी	01-12-2020	-
24.	नवीन श्रीवास्तव	ईडी	16-01-2021	-
25.	वाई.के. दीक्षित	ईडी	01-02-2021	-
26.	अशोक पाल	ईडी	01-03-2021	-
27.	एस सी अग्रवाल	ईडी	05-08-2021	30-11-2022
28.	ए. पी. गंगाधरन	ईडी	05-08-2021	30-04-2023
29.	पी. जयचंद्रन	ईडी	05-08-2021	31-05-2023
30.	अरुण के मिश्रा	ईडी	05-08-2021	-
31.	मुकेश खन्ना	ईडी	05-08-2021	-
32.	आलोक .	ईडी	05-08-2021	-
33.	ए. बारात	ईडी	05-08-2021	-
34.	आर. नागपाल	ईडी	01-10-2021	30-04-2023
35.	सुरेंद्रन ए	ईडी	01-11-2021	31-08-2022
36.	जे. मजूमदार	ईडी	06-07-2022	31-01-2023

क्र. सं.	नाम	पद (ईडी/सीएफओ/ कंपनी सचिव)	प्रभार लेने की तिथि	छोड़ने/समाप्ति की तिथि
37.	राजेश श्रीवास्तव	ईडी	06-07-2022	-
38.	पुरषोत्तम अग्रवाल	ईडी	06-07-2022	-
39.	ए नागराजू	ईडी	06-07-2022	-
40.	जी रविशंकर निदेशक (वित्त) का प्रभार संभाला	ईडी सीएफओ	06-07-2022 26-09-2022	21-09-2022 -
41.	तरूण बजाज	ईडी	06-07-2022	-
42.	डॉ. यतीन्द्र द्विवेदी	ईडी	06-07-2022	-
43.	विक्रम सिंह भाल	ईडी	12-08-2022	-
44.	कृष्ण कुमार टी. आर.	ईडी	01-09-2022	-
45.	आदिश कुमार गुप्ता	ईडी	01-09-2022	-
46.	नरेंद्र कुमार शर्मा	ईडी	28-09-2022	31-10-2022
47.	डी. एन. रोज़ेकर	ईडी	01-11-2022	-
48.	अनूप सिंह	ईडी	01-12-2022	-
49.	बुर्रा वामसी राम मोहन	ईडी	01-12-2022	-
50.	सुभाष सी तनेजा	ईडी	01-01-2023	31-05-2023
51.	राजिल श्रीवास्तव	ईडी	01-01-2023	-
52.	मृणाल श्रीवास्तव	कंपनी सचिव	01-07-2020	-

15. सामान्य शेयरधारक संबंधी जानकारी

i) वार्षिक आम बैठक

तिथिः 30 अगस्त, 2023

समयः सुबह 11:00 बजे

स्थानः कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 28 दिसंबर, 2022 के और सेबी ने 5 जनवरी, 2023 के सर्कुलर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है।

उपर्युक्त सर्कुलरों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

ii) वित्तीय वर्ष

कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

iii) लाभांश का भुगतान

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 4.75 रुपये प्रति शेयर 47.5% के अंतिम लाभांश की संस्तुति की। इसके अतिरिक्त, 30 नवंबर, 2022 और 24 फरवरी, 2023 को क्रमशः 5 रुपये प्रति शेयर (50%) का पहला अंतरिम लाभांश और 5 रुपये प्रति शेयर (50%) का दूसरा अंतरिम लाभांश दिया गया।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि 8 अगस्त, 2023 है।

iv) लाभांश का इतिहास

वर्ष	वर्ष में 31 मार्च को कुल पेडअप पूंजी (करोड़ ₹ में)	वित्त वर्ष के लिए दिया गया लाभांश (करोड़ ₹ में)	एजीएम की तिथि जब लाभांश घोषित किए गए	अंतिम लाभांश के भुगतान की तिथि
2015-16	5,231.59	1,208.50	16.09.2016	06.10.2016
2016-17	5,231.59	2,275.75	19.09.2017	04.10.2017
2017-18	5,231.59	2,746.58	18.09.2018	26.09.2018
2018-19	5,231.59	4,357.91	27.08.2019	04.09.2019
2019-20	5,231.59	5,231.59	22.09.2020	09.10.2020
2020-21	5,231.59	6,801.08	24.09.2021	08.10.2021

वर्ष	वर्ष में 31 मार्च को कुल पेडअप पूंजी (करोड़ ₹ में)	वित्त वर्ष के लिए दिया गया लाभांश (करोड़ ₹ में)	एजीएम की तिथि जब लाभांश घोषित किए गए	अंतिम लाभांश के भुगतान की तिथि
2021-22	6,975.45	10,288.79	29.08.2022	20.09.2022
2022-23	6,975.45	3487.73^	05.11.2022^^	30.11.2022^^^
2022-23	6,975.45	3487.73^	31.01.2023^^	24.02.2023^^^

^अंतरिम लाभांश की राशि

^^अंतरिम लाभांश घोषित करने वाली बोर्ड बैठक की तारीख

^^^अंतरिम लाभांश के भुगतान की तिथि

v) **दावारहित/अभुक्त (अनपेड) राशि का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण**

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 के साथ–साथ अधिनियम की धारा 124, 125 और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों) के अनुसार, अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए दावारहित या अभुक्त लाभांश की राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण (आईईपीएफ) को अंतरित करना आवश्यक है।

इसकी प्रक्रिया का उल्लेख कंपनी की वेबसाइट पर किया गया है –https://www.powergrid.in/iepf-details-0

आईईपीएफ नोडल अधिकारी का विवरण

नोडल अधिकारी	उप नोडल अधिकारी
श्री मृणाल श्रीवास्तव कंपनी सचिव **ईमेल:** mrinal@powergrid.in	**श्री अरूप सामंत** उप महाप्रबंधक **ईमेल:** arupsamanta@powergrid.in

vi) **स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग**

पावरग्रिड इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. C@1, G ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051.	**बीएसई लिमिटेड** फिरोज जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001
स्क्रिप कोड : POWERGRID EQ	**स्क्रिप कोड:** 532898
स्टॉक कोड: ISIN – INE752E01010	

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को किया गया था।

vii) **पावरग्रिड के शेयर बाजार मूल्य के आंकड़े – एनएसई**

	उच्च (₹)	निम्न (₹)	महीने में टर्नओवर का योग लाख (₹) में
अप्रैल, 2022	239.90	216.10	4,71,386.98
मई, 2022	248.35	221.65	6,72,814.62
जून, 2022	233.00	206.15	4,73,239.64
जुलाई, 2022	221.25	205.05	4,55,455.76
अगस्त, 2022	231.70	214.15	3,56,858.93
सितंबर, 2022	238.45	186.35	11,32,520.11
अक्टूबर, 2022	230.25	204.00	4,94,428.87

	उच्च (₹)	निम्न (₹)	महीने में टर्नओवर का योग लाख (₹) में
नवम्बर, 2022	236.55	209.65	3,97,056.51
दिसम्बर, 2022	224.85	210.45	3,52,896.27
जनवरी, 2023	228.30	204.25	4,72,043.49
फरवरी, 2023	225.00	210.40	3,57,328.24
मार्च, 2023	234.00	215.80	5,95,912.86

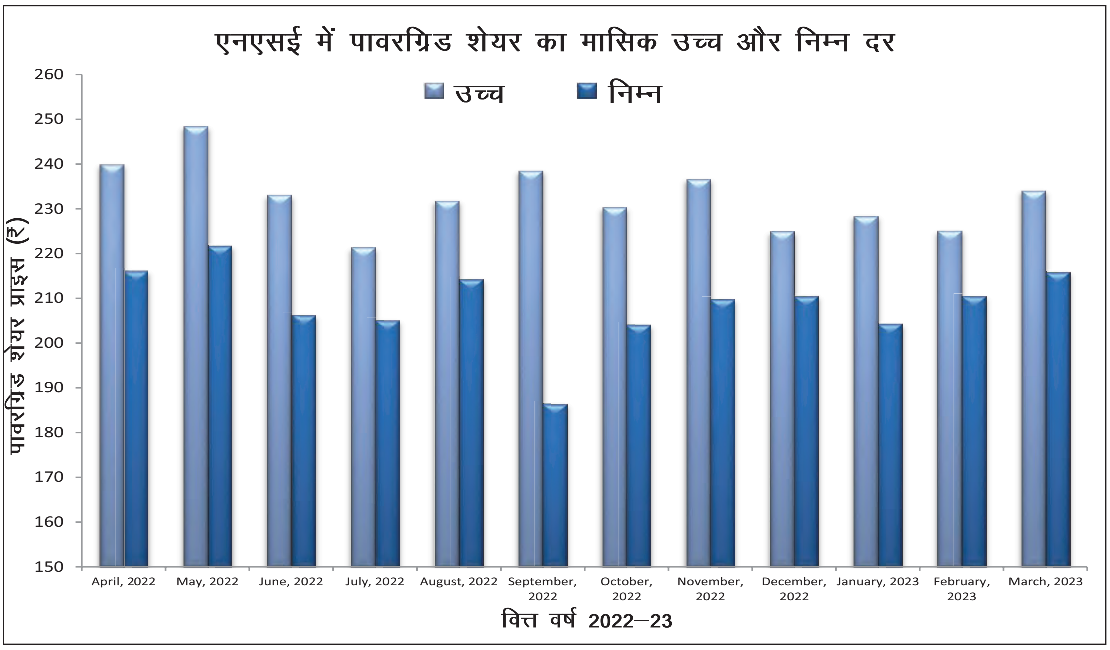

viii) **पावरग्रिड शेयर मार्केट प्राइस के डेटा – बीएसई**

	उच्च (₹ में)	निम्न (₹ में)	टर्नओवर की कुल राशि लाखों में (₹) महीने के दौरान
अप्रैल, 2022	239.80	216.65	27,767.24
मई, 2022	248.25	221.70	32,725.80
जून, 2022	232.90	206.10	14,290.18
जुलाई, 2022	221.20	205.25	54,281.63
अगस्त, 2022	231.55	214.85	30,193.61
सितंबर, 2022	238.25	186.35	50,566.94
अक्टूबर, 2022	230.20	203.10	40,458.11
नवम्बर, 2022	236.50	210.00	27,377.20
दिसम्बर, 2022	224.60	210.55	15,805.47
जनवरी, 2023	228.15	204.45	16,752.38
फरवरी, 2023	223.30	210.40	15,337.48
मार्च, 2023	233.95	215.85	14,461.70

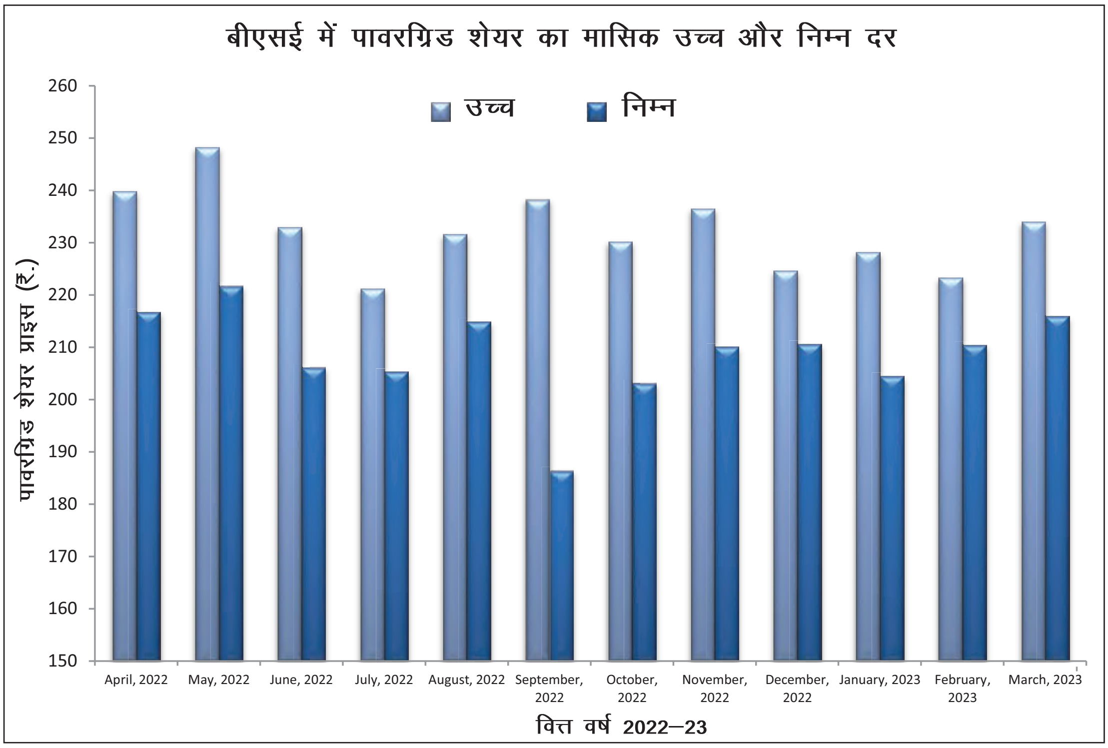

ix) सूचकांक – एनएसई निफ्टी, बीएसई सेंसेक्स और पावरग्रिड के प्रदर्शन में तुलना

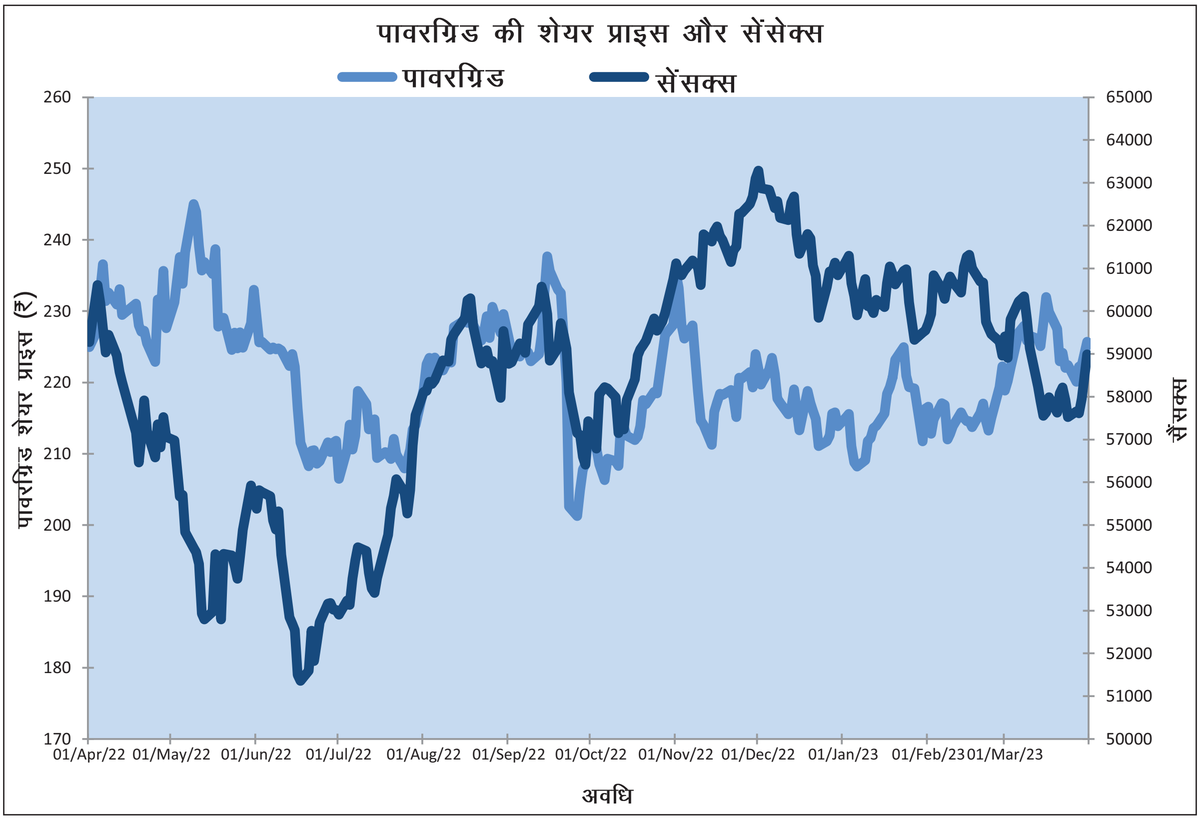

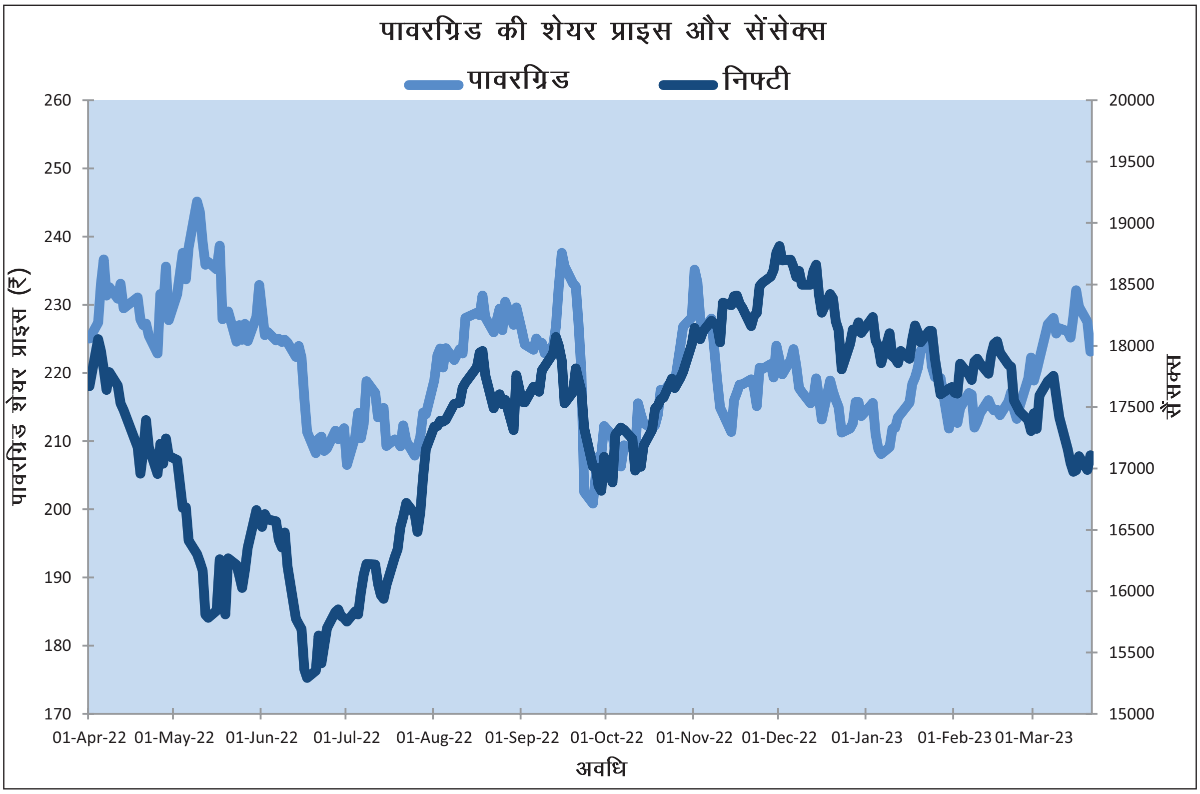

x) **रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट**

bfDoVh 'ks;j	c,UM
केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500 032 टोल फ्री नंबर 1800–309–4001। ई–मेलः einward.ris@kfintech.com	बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली – 110062 फ़ोन 011–29961281–283, 26051061, 26051064 फैक्सः 011–29961284 ई–मेलः E-mail:beetalrta@gmail.com, beetal@beetalfinancial.com

xi. शेयर ट्रांसफर सिस्टम

सेबी सूचीबद्ध विनियमन के नियम–40 के अनुसार (जैसा कि संशोधित हुआ है), सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियां 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावित होकर केवल अमूर्त (डिमेटेरियलाइज्ड) रूप में ही हस्तांतरित की जा सकती है, प्रतिभूतियों के प्रेषण या परिवहन के लिए प्राप्त अनुरोध के मामले को छोड़कर।

सेबी एलओडीआर के नियम 40(9) के अनुसार, कंपनी द्वारा शेयर हस्तांतरण प्रक्रियाओं के संबंध में योग्य व्यावसायिक कंपनी सचिव के द्वारा योग्यता पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया गया।

xii. 31 मार्च, 2023 को शेयरधारिता

31 मार्च, 2023 को विभिन्न शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर और शेयर धारण के आकार के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से हैं:

क) 31 मार्च, 2023 तक शेयरधारिता का वितरण, शेयरधारिता के % के अनुसार:

श्रेणी	कुल मामले	कुल मामले %	कुल शेयर	कुल राशि (₹)	कुल राशि %
1 – 5000	7,99,133	99.57	16,44,02,217	1,64,40,22,170	2.36
5001 – 10000	1,460	0.18	1,01,10,790	10,11,07,900	0.14
10001 – 20000	559	0.07	76,22,029	7,62,20,290	0.11
20001 – 30000	179	0.02	43,96,027	4,39,60,270	0.06
30001 – 40000	102	0.01	35,42,416	3,54,24,160	0.05

श्रेणी	कुल मामले	कुल मामले %	कुल शेयर	कुल राशि (₹)	कुल राशि %
40001 – 50000	59	0.01	26,76,213	2,67,62,130	0.04
50001 – 100000	199	0.02	1,47,15,232	14,71,52,320	0.21
100001 & Above	928	0.12	6,76,79,87,940	67,67,98,79,400	97.03
कुल	**8,02,619**	**100.00**	**6,97,54,52,864**	**69,75,45,28,640**	**100.00**

ख) 31 मार्च, 2023 को शेयरधारिता का पैटर्न

क्रमांक	श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी के लिए %
1	भारत सरकार	3,58,11,63,210	51.34
2	एफआईआई / एफसीबी / एफपीआई / पीएफसी / एफएन	2,25,25,13,675	32.30
3	म्यूचुअल फंड्स	63,50,04,115	9.10
4	भारतीय जनता	17,82,87,041	2.56
5	निकाय कॉर्पोरेट	1,12,63,961	0.16
6	बीमा कंपनी	92,80,493	0.13
7	बैंक	7,79,503	0.01
8	अन्य	30,71,60,866	4.40
कुल		**6,97,54,52,864**	**100.00**

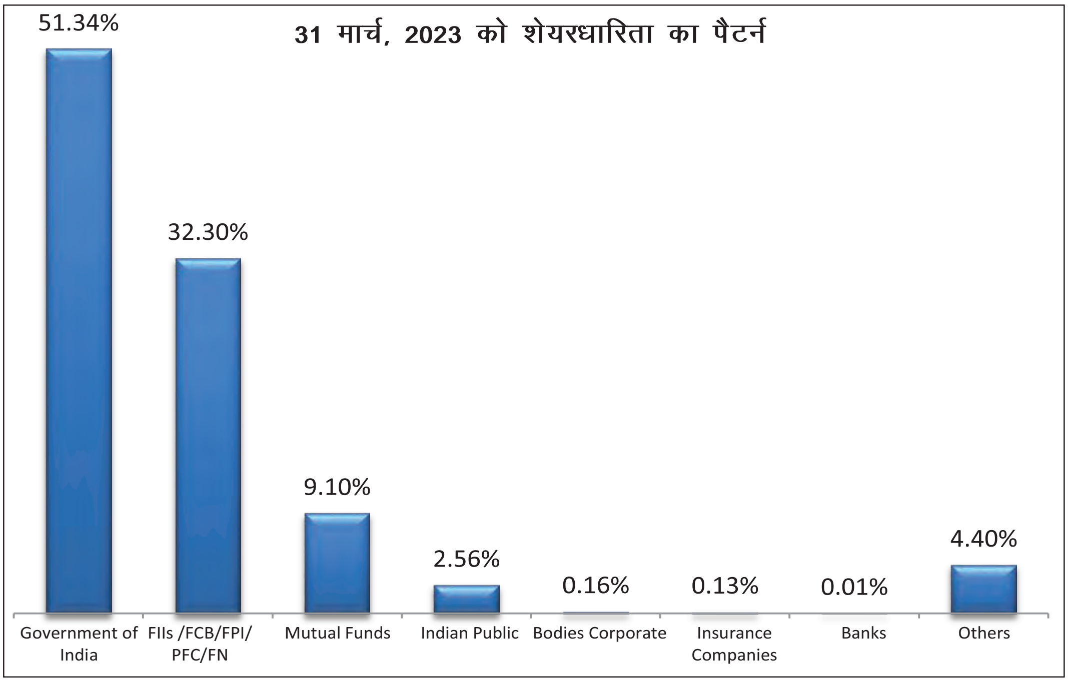

ब. प्रमुख शेयरधारक

31 मार्च, 2023 तक कंपनी की चुकता पूंजी का 1% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	शेयर	इक्विटी %	श्रेणी
1	भारत सरकार^	3,44,61,36,810	49.40	GOI
2	सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम (सीपीएसई ईटीएफ)	17,81,87,086	2.55	MUT
3	पूंजीगत आय बिल्डर	17,62,75,365	2.53	FPC
4	सिंगापुर सरकार	17,15,69,049	2.46	FPC
5	भारत सरकार^^	13,50,26,400	1.94	GOI
6	भारतीय जीवन बीमा निगम	11,81,20,366	1.69	QIB
7	अमेरिकन फंड्स ग्लोबल बैलेंस्ड फंड	7,00,00,000	1.00	FPC

^ ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से प्रतिनिधित्व
^^ डीओएनईआर मंत्रालय के माध्यम से प्रतिनिधित्व

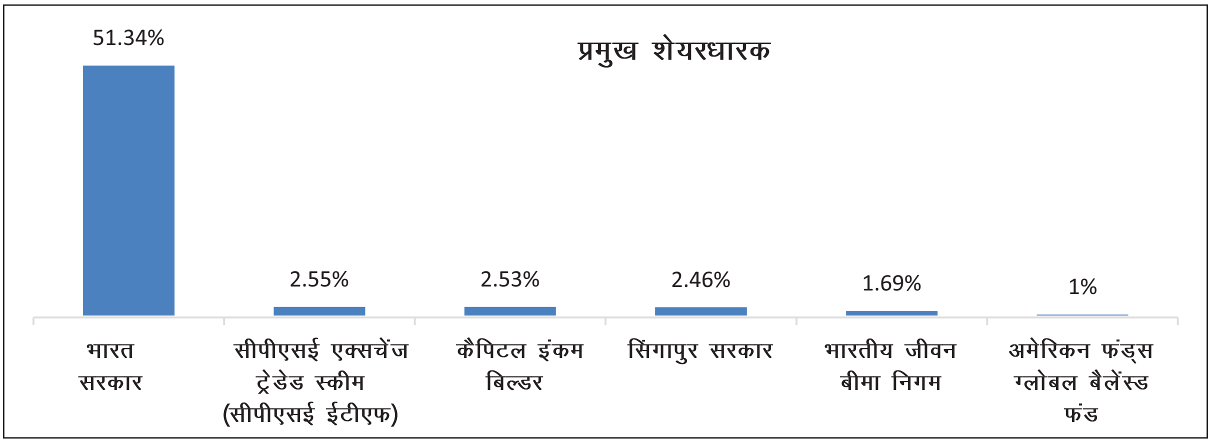

xiii शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन (विभौतिकरण)

कंपनी के शेयर अनिवार्य डिमेटेरियलाइज्ड सेगमेंट में हैं और वे राष्ट्रीय सुरक्षा डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के व्यापारिक प्रणाली में उपलब्ध हैं।

डीमैटरियलाइज्ड और फिजिकल मोड में रखे गए शेयरों की संख्या

क्रमांक	फिजिकल / डीमैट	धारकों की संख्या	शेयर की संख्या	जारी की गई कुल पूंजी का %
1	फिज़िकल (भौतिक)	11,775	54,363	0.00
2	एनएसडीएल में डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखा गया	3,89,901	6,72,00,70,882	96.34
3	सीडीएसएल में डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखा गया	4,29,496	25,53,27,619	3.66
कुल		**8,31,172**	**6,97,54,52,864**	**100.00**

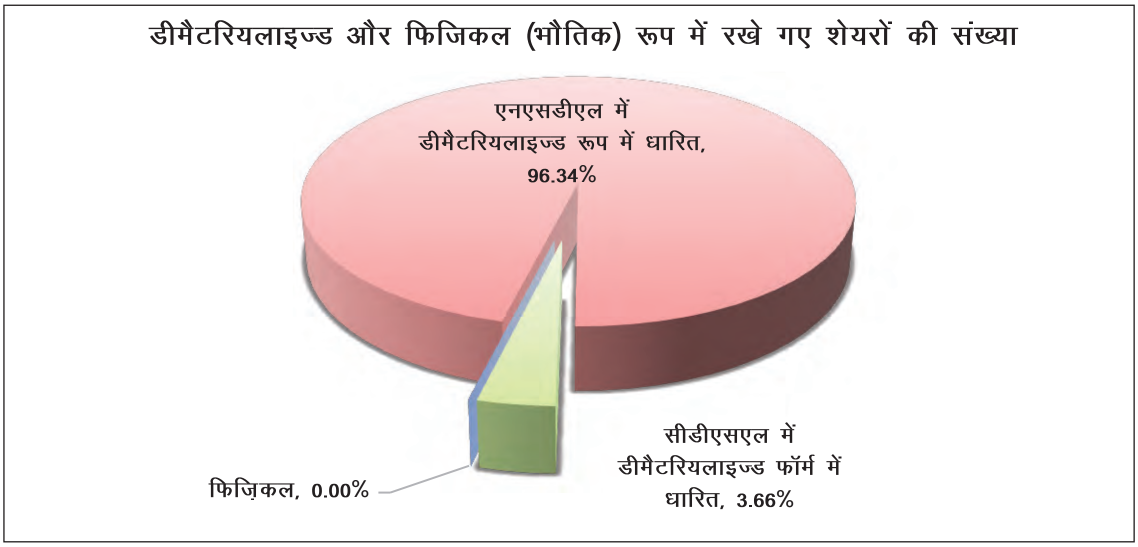

डिपॉजिटरी के नाम और पते इस प्रकार हैं:

1. **नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड**
   ट्रेड वर्ल्ड, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400 013
2. **सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड**
   मैराथन फ्यूचरएक्स, 25वीं मंजिल, एनएम जोशी मार्ग,
   लोअर परेल (पूर्व), मुंबई–400013, महाराष्ट्र

xiv बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या किसी भी परिवर्तनीय प्रपत्र, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर पूर्वानुमानित प्रभाव इस प्रकार हैं:

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय प्रपत्र जारी नहीं किए गए हैं।

xv कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां –

कंपनी कमोडिटी में व्यापार नहीं करती है, इसलिए सेबी सर्कुलर दिनांक 15 नवम्बर,2018 के अनुसार जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

xvi पावरग्रिड प्लांट का स्थान

पावरग्रिड के पूरे देश में 272 सब–स्टेशन स्थित हैं।

xvii संवाद के लिए पताः

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016।

टेलीफोन नंबरः 011–26560112, 26560115, 26560193

ई–मेल आईडीः investors@powergrid.in वेबसाइटः https%//www.powergrid.in/

इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज़ों का प्रेषण

अधिनियम की धारा 101 और 136 के साथ ही कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और सेबी एलओडीआर के नियम 36 के साथ, 28 दिसंबर, 2022 की तारीख का सर्कुलर, के साथ–साथ सेबी सर्कुलर, दिनांक 5 जनवरी 2023 के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता में 30 सितंबर, 2023 तक छूट दी गई है और एजीएम की सूचना, बोर्ड की रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेजों आदि वाली वार्षिक रिपोर्ट को केवल अपने वैसे शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजने की अनुमति दी गई है, जिन्होंने अपने डीपी/कंपनी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराया है।

16 संलग्नक–I

गैर–अनिवार्य आवश्यकताएँ

1. **बोर्डः** कंपनी का नेतृत्व एक कार्यकारी अध्यक्ष करता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है जो पावरग्रिड के बोर्ड में कुल मिलाकर नौ वर्ष से अधिक की अवधि के लिए निदेशक रहा हो।
2. **शेयरधारक अधिकारः** कंपनी के आर्थिक परिणाम, 30 सितंबर, 2022 को समाप्त होने वाले छमाही के वित्तीय परिणाम, 7 नवम्बर, 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम्स में प्रकाशित किए गए थे, और इसे वेबसाइट पर भी डाल दिया गया था। हालाँकि, शेयरधारकों को अलग से छमाही रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। महत्वपूर्ण घटनाएँ कंपनी की वेबसाइटः www.powergrid.in पर दर्ज की गई हैं।
3. **ऑडिट रिपोर्ट में संशोधित रायः** वैधानिक लेखापरीक्षाकारों ने 31 मार्च, 2023 के समापन हुए वर्ष के लिए कंपनी के स्वतंत्र और संघटित वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय जारी की है।
4. **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंगः** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणपत्र

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणपत्र निदेशकों की रिपोर्ट के संलग्नक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(के. श्रीकांत)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06615674

दिनांकः 6 अगस्त, 2023
स्थानः गुरूग्राम

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–VII

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन हेतु प्रमाण पत्र

प्रति,

सदस्य,

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

1. हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") और मई 2010 में जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों में निर्धारित है, उसके आधार पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CIN: L40101DL1989GOI038121 ("कंपनी") द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

2. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के पालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों की पालन के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का निर्माण, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, ताकि लिस्टिंग नियमों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई मार्गदर्शकों में निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित हो सके।

3. हमारी जिम्मेदारी केवल उन प्रक्रियाओं की जाँच करने और उनके कार्यान्वयन की है, जो कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है, जैसा कि लिस्टिंग नियमों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई मार्गदर्शकों में निर्धारित किया गया है। यह न तो कोई ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर किसी राय की अभिव्यक्ति है।

4. हमारे द्वारा की गई जाँच और हमारे पास उपलब्ध संबंधित रिकॉर्डों की जाँच के आधार पर, हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान निम्नलिखित के अधीन और नियम 46(2) की शर्त (b) से (i) और सूची V के पैरा C और D के अनुसार है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई मार्गदर्शकों के निर्देशों के अधीन सेबी लिस्टिंग नियमों के निर्दिष्ट शर्तों का पालन किया है।

   i. कंपनी के निदेशक मंडल का आधा हिस्सा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) और निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत स्वतंत्र नहीं था।

   ii. कंपनी के बोर्ड पर सेबी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) (a) के अनुसार कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी, और और कंपनियों के अधिनियम, 2013 के अनुसार धारा 149 (1) के साथ पठित कंपनियों (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमों, 2014 के अनुसार, 1 जून 2022 से कम से कम एक महिला निदेशक नहीं थी।

5. हम आगे कहते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य में व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थानः नोएडा | **कुमार नरेश सिन्हा एवं एसोसिएट्स के लिए**

दिनांकः 28.07.2023 | **कंपनी सचिव**

ह0/–
सी.एस. नरेश कुमार सिन्हा
(मालिक)
एफसीएसः 1807; सी पी नं.: 14984
पीआरः 610/2019
एफआरएनः S2015UP440500
यूडीआईएनः F001807E000699559

फॉर्म नं. एओसी-2

(अधिनियम के धारा 134 की उपधारा (3) और कंपनियों (अकाउंट) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ (तीसरे प्रावधान के तहत कुछ निश्चित लेन–देन शामिल) की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म

1.	**संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण ऑर्म्स लेंथ आधार पर नहीं है:**	
	i) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	-
	ii) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	-
	iii) संविदा /व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	-
	iv) संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	-
	v) ऐसी संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	-
	vi) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीखें	-
	vii) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	-
	viii) धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यक सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव को पारित करने की आवश्यकता के तहत विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने की तारीख।	-
2.	**आर्म्सलेंथ आधार पर भौतिक संविदा या व्यवस्था या लेन–देन के विवरण:**	
(A)	**a) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति**	1. पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड 2. पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड 3. पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 4. पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड 5. पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड 6. पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 7. पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड 8. पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 9. पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड 10. पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड 11. पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड 12. पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड 13. पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड 14. पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड 15. पावरग्रिड रामगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड 16. पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 17. पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड 18. पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड 19. पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड 20. पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड 21. पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड 22. पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 23. पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड

		24. पावरग्रिड खावड़ा IV–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड 25. पावरग्रिड खावड़ा IV–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड 26. पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 27. पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 28. पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड 29. पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड 30. पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड 31. पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड 32. पावरग्रिड भाडला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड उपर्युक्त प्रोजोक्ट एसपीवी, पूरी तरह से पावरग्रिड की सहायक कंपनियां हैं जो पावरग्रिड द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) द्वारा प्राप्त की गई हैं।
	b) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	भाग (I) – पावरग्रिड, उपर्युक्त प्रोजेक्ट एसपीवी को ₹30,182.53 करोड़ (रुपये तीस हजार एक सौ बाईस करोड़ और तीस लाख तीन सौ एकासी करोड़) की राशि तक ऋण और/या किसी प्रकार के ऋण के साथ सुरक्षा/गारंटी प्रदान करने के लिए और/या लागत–दर–लागत आधार पर या मौजूदा बाजार दरों पर अंतर–कंपनी ऋण प्रदान करने के लिए उपयोग करने के लिए है। हालाँकि, किए गए समझौते वर्तमान में निम्नलिखित राशियों के अनुसार ₹21,795.43 करोड़ (केवल इक्कीस हजार सात सौ निन्यानबे करोड़ और तैंतालीस लाख रुपये) तक सीमित हैं: पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹1150 करोड़ पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹90 करोड़ पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड ₹3029.93 करोड़ पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹2800 करोड़ पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹1000 करोड़ पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड ₹795.58 करोड़ पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹378 करोड़ पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड ₹854 करोड़ पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹506 करोड़ पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹485 करोड़ पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹945.92 करोड़ पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹570 करोड़ पावरग्रिड मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹854 करोड़ पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹691 करोड़ पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹290 करोड़ पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड ₹1118 करोड़ पावरग्रिड भाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹590 करोड़ पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹1325 करोड़ पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹842 करोड़ पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹1547 करोड़ पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹973 करोड़ पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड ₹704 करोड़ पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹257 करोड़
		भाग (बी) पावरग्रिड उपरोक्त प्रोजेक्ट एसपीवी द्वारा आवश्यक सभी इनपुट और सेवाएं प्रदान करेगा। भाग (सी) पावरग्रिड प्रोजोक्ट एसपीवी द्वारा वांछित ओ एंड एम कंसल्टेंसी सहित पोस्ट–सीओडी गतिविधियां प्रदान करेगा।
	c) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	भाग (A) जैसा कि आपसी सहमति से हुआ भाग (B) जैसा कि आपसी सहमति से हुआ। भाग (C) जैसा कि आपसी सहमति से हुआ
	d) अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है (यदि कोई हो)	देखें (B)

	e)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	1 फरवरी, 2018, 21 जून, 2014, 12 सितंबर, 2020, 29 मार्च, 2017, 2 नवंबर, 2017, 20 जून, 2020, 3 जनवरी, 2019, 2 अगस्त, 2019, 1 अक्टूबर, 2019, 19 दिसंबर, 2019, 11 फरवरी 2021, 11 अक्टूबर 2021, 9 नवंबर 2021, 6 जुलाई 2022, 9 फरवरी 2022, 23 फरवरी 2022, 29 अगस्त 2022, 26 सितंबर 2022, 23 मार्च 2023।
	f)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	शून्य
(B)	a)	संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	**पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड**
	b)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	पावरग्रिड और पावरग्रिड हिमाचल के बीच ट्रांसमिशन लिमिटेड ऋण समझौता 29 अप्रैल, 2021 को हुआ।
	c)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	1 मई, 2021 से 31 अगस्त, 2024 तक
	d)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	पावरग्रिड द्वारा 1 मई, 2021 को पॉवरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएचटीएल) को ₹15,914.24 लाख का इंटर कॉर्पोरेट ऋण प्रदान किया गया था, जिसे लागत–दर–लागत के आधार पर प्रदान किया गया था। ऋण को ₹4 करोड़ की मासिक किश्तों में चुकाना है।
	e)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	21 अप्रैल, 2021
	f)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	शून्य
(C)	a)	संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	**पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड**
	b)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	अब्दुल्लापुर सबस्टेशन के एमओयू में विवरण अनुसार, 7 जनवरी, 2020 को 400 किलोवोल्ट बेज़ में स्थापित सभी इनडोर और आउटडोर उपकरणों के संचालन और रखरखाव (O&M) के लिए पावरग्रिड और पीचटीएल दोनों के बीच एक समझौता हुआ था।
	c)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक
	d)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	पीएचटीएल द्वारा पावरग्रिड को तिमाही आधार पर देय ओ एंड एम शुल्क एमओयू में दी गई वर्षवार तालिका के अनुसार।
	e)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	लागू नहीं
	f)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	शून्य
(D)	a)	संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	**पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड**
	b)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	पावरग्रिड और पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड के बीच लीज रेंट समझौता।
	c)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	1 जून, 2021 से 31 मई, 2026 तक
	d)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	पीएचटीएल द्वारा पावरग्रिड को मासिक आधार पर देय लीज किराया अनुबंध में वर्षवार विवरण दिया गया है
	e)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	19 मई, 2023
	f)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	शून्य
(E)	a)	संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	**बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी**

	b)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	बिहार में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए पोस्ट–अवार्ड तकनीकी प्रबंधकीय सेवाओं के लिए परामर्श–चरण–IV, (भाग–II)।
	c)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	24 महीने (समझौते के अनुसार स्कोप (दायरा) पूरा होने तक देरी के मामले में स्वचालित रूप से विस्तार योग्य)।
	d)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	बीजीसीएल के द्वारा बिहार में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के तहत दी गई पैकेजों के लिए पोस्ट–अवॉर्ड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस समझौते पर 24 अप्रैल, 2018 को हस्ताक्षर किये गये थे। परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत ₹1,688.36 करोड़ है (आईईडीसी और आईडीसी को छोड़कर), और पावरग्रिड को परियोजना की वास्तविक क्रियान्वित लागत का 2% सेवा शुल्क देना होगा।
	e)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	16 मार्च, 2018 (पावरग्रिड की 351वीं बोर्ड बैठक)
	f)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होः	इस अनुबंध के लिए अग्रिम राशि के रूप में बीजीसीएल को कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया
(F)	a)	संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	**बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी**
	b)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	बिहार में ट्रांसमिशन सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए पोस्ट–अवॉर्ड तकनीकी प्रबंधकीय सेवाओं (केवल पुरस्कार के बाद इंजीनियरिंग और QA&I) के लिए अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन परामर्श की प्रकृति – चरण– IV (भाग– I)
	c)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	24 महीने (समझौते के अनुसार स्कोप (दायरा) पूरा होने तक देरी के मामले में स्वचालित रूप से विस्तार योग्य)।
	d)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	बीजीसीएल के द्वारा बिहार में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के तहत दी गई पैकेजों के लिए पोस्ट–अवॉर्ड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस समझौते पर 1 जनवरी, 2015 को हस्ताक्षर किये गये थे। परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत ₹2,024.11 करोड़ है (आईईडीसी और आईडीसी को छोड़कर), और पावरग्रिड को परियोजना की वास्तविक क्रियान्वित लागत का 2% सेवा शुल्क देना होगा।
	e)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	24 दिसंबर, 2014 (पावरग्रिड की 308वीं बोर्ड बैठक)
	f)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होः	इस अनुबंध के लिए अग्रिम राशि के रूप में बीजीसीएल को कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया।
(G)	a)	संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	**बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी**
	b)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	बिहार में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्री–अवार्ड तकनीकी प्रबंधकीय सेवाओं के लिए परामर्श–चरण–IV, (भाग–II)।
	c)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	परस्पर सहमत
	d)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	बिहार में ट्रांसमिशन सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के तहत बीजीसीएल को प्री–अवार्ड इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करना–चरण–IV, (भाग–II)। 30 मई, 2019 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत ₹111.14 करोड़ है।
	e)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	7 मई, 2019 (पावरग्रिड की 365वीं बोर्ड बैठक)
	f)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होः	इस अनुबंध के लिए अग्रिम राशि के रूप में बीजीसीएल को कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया।
(H)	a)	संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	**तिस्तावैली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीपीटीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी**
	b)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	1. किशनगंज पावरग्रिड सबस्टेशन पर 2 नग 400 किलोवोल्ट एआईएस बे और 2x63 एमवीएआर रिएक्टर्स के कार्यान्वयन के लिए परामर्श (सबसे बाद में, स्कोप एआईएस से जीआईएस में संशोधित किया गया) 2. किशनपुर सबस्टेशन पर 02 नग 400 किलोवोल्ट लाइन बे के साथ 02 नग लाइन रिएक्टर्स के लिए रंगपो और टिस्टा लाइन के लिए O&M परामर्श सेवा

	c) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	1. 26 महीने (अनुबंध के अनुसार स्कोप (दायरा) पूरा होने तक देरी के मामले में स्वचालित रूप से विस्तार योग्य) 2. वित्त वर्ष 2018–19 से वित्त वर्ष 2023–24 तक 72 महीने
	d) अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	1. किशनगंज में 2 नग 400 किलोवोल्ट जीआईएस बेज और 2x63 एमवीएआर रिएक्टर्स के लिए प्रौद्योगिकी, निर्माण सहित सभी सेवाएं प्रदान करना, जैसे की खरीदी, इंजीनियरिंग, कार्यान्वयन और परीक्षण और कमीशनिंग। समझौते पर 1 सितंबर, 2009 को हस्ताक्षर किये गये, जिसकी संशोधित परियोजना लागत 31 मार्च, 2021 को ₹56.10 करोड़ है और परामर्श शुल्क परियोजना की वास्तविक क्रियान्वित लागत का 15% के दर से है। 2. रंगपो और तीस्ता लाइन के लिए किशनपुर एस/एस में 02 नग 400kV लाइन बे के साथ–साथ 02 नग लाइन रिएक्टरों के लिए ओ एंड एम परामर्श सेवा, जिसका अनुमानित शुल्क लागू करों को छोड़कर 48.230 लाख रुपए (वित्व2021–22) है।
	e) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	10 अगस्त, 2020 (पावरग्रिड की 378वीं बोर्ड बैठक)
	f) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	इस अनुबंध के लिए टीपीटीएल को अग्रिम के रूप में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
(I)	a) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	**नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनईटीसी), संयुक्त उद्यम कंपनी**
	b) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	गुवाहाटी में कार्यालय सह स्टोर कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए परामर्श।
	c) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	18 महीने (पारस्परिक रूप से विस्तार योग्य)
	d) अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	24 अगस्त, 2018 को हस्ताक्षरित समझौते पर अनुमानित परियोजना लागत ₹3.08 करोड़ और परामर्श शुल्क परियोजना की अंतिम वास्तविक निष्पादित लागत की 10% थी।
	e) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	लागू नहीं
	f) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	इस अनुबंध के लिए एनईटीसी को अग्रिम के रूप में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
(J)	a) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	**नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनईटीसी), संयुक्त उद्यम कंपनी**
	b) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	400 केवी डी/सी पल्लाटाना– सिलचर– बर्नीहाट लाइन (लगभग 461.8 किमी) के संचालन और रखरखाव के लिए परामर्श।
	c) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	परस्पर विस्तार योग्य।
	d) अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	400 केवी डी/सी पल्लाटाना–सिलचर–बर्नीहाट लाइन (लगभग 461.8 किमी) के संचालन और रखरखाव के लिए सभी सेवाएं प्रदान करना। 26 अगस्त, 2019 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परामर्श शुल्क सीईआरसी टैरिफ मानदंडों के अनुसार है।
	e) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	2 अगस्त, 2019 (पावरग्रिड की 368वीं बोर्ड बैठक)
	f) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	इस अनुबंध के लिए एनईटीसी को अग्रिम के रूप में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
(K)	a) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	**राष्ट्रीय उच्च शक्ति परीक्षण प्रयोगशाला प्रा. लिमिटेड (एनएचपीटीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी**
	b) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	ऑन–लाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट की स्थापना के लिए परामर्श बीना सबस्टेशन पर परीक्षण सुविधा
	c) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	परस्पर सहमत

	d) अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	बीना सबस्टेशन पर ऑनलाइन उच्च पॉवर शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुविधा की स्थापना के लिए सभी सेवाएं प्रदान करना, जैसे की खरीददारी, इंजीनियरिंग, कार्यान्वयन (परीक्षण और कमीशनिंग सहित)। इस परियोजना के लिए समझौता 25 नवम्बर, 2010 को हस्ताक्षर किया गया था। उस समय की अनुमानित परियोजना लागत ₹247.06 करोड़ थी, और परियोजना की वास्तविक कार्यान्वित लागत का 10% परामर्श शुल्क था।
	e) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	लागू नहीं
	f) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	इस अनुबंध के लिए एनएचपीटीएल को अग्रिम के रूप में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
(L)	a) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	**क्रॉस–बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी**
	b) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	400 किलोवोल्ट डबल सर्किट मुजफ्फरपुर (भारत) – ढलकेबर (नेपाल) प्रेषण लाइन के भारतीय हिस्से (मुजफ्फरपुर से सुरसंद तक) का ओएंडएम प्रदान करना, साथ ही मुजफ्फरपुर सबस्टेशन पर 2 नग 220 किलोवोल्ट बे की भी।
	c) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	इससे पहले 14 जून, 2022 का ओएंडएम समझौता 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो गया था, 415वीं बोर्ड बैठक के दौरान 01 अप्रैल, 2023 से 31.03.2024 तक समझौते के नवीनीकरण को बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
	d) अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	उपर्युक्त प्रेषण लाइन का नियमित और पूर्वकरण रखरखाव, यानी ऐसे काम जिनके लिए बंद होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे: a) नियमित अंतरालों पर प्रेषण लाइन का दैनिक पैट्रोल और रिकॉर्ड बनाना। b) फाउंडेशन की जांच और टॉवर के सदस्यों की पूर्णता की जांच। c) लोपींग और कटिंग और झाड़ियों को हटाना, वृक्ष काटने / कटाई और मार्ग के मुद्दे शामिल नहीं है। d) चिमनी की मामूली मरम्मत और अतिरिक्त मिट्टी को हटाना। e) लापता टावर मेंबर्स / क्षतिग्रस्त टावर मेंबर्स का प्रतिस्थापन। f) सुरक्षित कार्य स्तर/ऊंचाई तक टावरों में फास्टनरों को कसना। g) जंपर्स और इंसुलेटर्स का दृष्टिकन्दलन। h) किसी ट्रिपिंग या ऑटो रीक्लोज के मामले में लाइन की विशेष पैट्रोलिंग। **मामूली बंद काम जैसे:** a) गायब स्पेसर / स्पेसर डैम्पर, कंडक्टर वाइब्रेशन डैम्पर्स, आर्किंग हॉर्न्स, टूटे हुए इंसुलेटर, टावर मेंबर्स को बदलना और टावरों में फास्टनरों को सुरक्षित कामकाजी ऊंचाई/स्तर से ऊपर कसना, अर्थ वायर वीडी। b) कंडक्टर और अर्थ वायर स्नैपिंग संबंधित सुधार जिसमें टावर गिरना, जंपर कटना शामिल नहीं है। c) कंडक्टर कंपन डैम्पर्स के विस्थापन पर ध्यान देना। d) कंडक्टर की मरम्मत करना।
	e) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	27 अगस्त 2019
	f) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	16 अगस्त, 2016 को रिवॉल्विंग फंड के रूप में ₹50 लाख प्राप्त हुए। इसके बाद अग्रिम के रूप में कोई राशि नहीं दी गई।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(के. श्रीकांत)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06615674

दिनांकः 6 अगस्त, 2023
स्थानः गुरूग्राम

फॉर्म संख्या एओसी 1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ धारा 129 की उप–धारा (3) की पहली शर्त के अनुसरण में)

सहायक कंपनियों या सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

भाग "ए": सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सहायक कंपनियों के नाम	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग है	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग	शेयर पूंजी	रिजर्व और अधिशेष	कुल परिसंपत्ति	कुल देयताएं	निवेश	टर्न–ओवर	कराधान से पहले लाभ	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान के बाद लाभ	प्रस्तावित लाभांश	शेयर धारिता का प्रतिशत
1	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	(19.48)	-	19.43	शून्य	-	(0.02)	-	(0.02)	शून्य	100%
2	पावरग्रिड एन.एम. ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	490.95	(2.29)	1,356.50	867.84	शून्य	363.87	255.32	32.93	222.39	शून्य	100%
3	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	12.96	15.62	65.04	36.46	शून्य	28.31	15.59	0.76	14.83	2.70	100%
4	पावरग्रिड दक्षिण ाा इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	709.00	42.27	3,557.59	2,806.32	शून्य	476.09	173.84	43.93	129.91	शून्य	100%
5	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	647.00	59.53	3,358.01	2,651.48	शून्य	581.41	299.56	76.01	223.55	शून्य	100%
6	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	233.20	11.82	1,219.92	974.90	शून्य	175.12	55.08	13.97	41.11	शून्य	100%
7	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	187.56	8.28	967.71	771.87	शून्य	120.52	39.02	9.87	29.15	शून्य	100%
8	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	89.60	30.97	515.95	395.38	शून्य	51.36	25.68	6.71	18.97	शून्य	100%

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सहायक कंपनियों के नाम	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग है	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग	शेयर पूंजी	रिजर्व और अधिशेष	कुल परिसंपत्ति	कुल देयताएं	निवेश	टर्न–ओवर	कराधान से पहले लाभ	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान के बाद लाभ	प्रस्तावित लाभांश	शेयर धारिता का प्रतिशत
9	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	198.25	8.63	1,003.06	796.18	शून्य	129.78	35.88	9.04	26.84	शून्य	100%
10	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	232.00	2.28	1,186.31	952.03	शून्य	66.09	3.09	0.78	2.31	शून्य	100%
11	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	111.95	6.36	575.25	456.94	शून्य	32.63	12.54	3.36	9.18	शून्य	100%
12	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	115.00	3.57	585.85	467.28	शून्य	65.49	13.72	3.47	10.25	शून्य	100%
13	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	141.00	4.70	675.30	529.60	शून्य	76.73	17.20	4.33	12.87	शून्य	100%
14	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	142.10	5.85	807.59	659.64	शून्य	20.99	9.07	2.28	6.79	शून्य	100%
15	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	195.13	(0.19)	1,070.46	875.52	शून्य	0.05	(0.23)	(0.06)	(0.17)	शून्य	100%
16	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	26.11	2,464.64	2,438.48	शून्य	8.82	68.48	17.37	51.11	शून्य	100%
17	पावरग्रिड रामगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	25.00	(0.53)	281.47	257.00	शून्य	-	(0.01)	-	(0.01)	शून्य	100%
18	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	300.00	127.00	446.60	19.60	शून्य	131.26	58.76	1.21	49.69	0.50	100%
19	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	100.00	(0.32)	1,284.00	1,184.32	शून्य	-	(0.40)	(0.10)	(0.30)	शून्य	100%

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सहायक कंपनियों के नाम	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग है	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग	शेयर पूंजी	रिजर्व और अधिशेष	कुल परिसंपत्ति	कुल देयताएं	निवेश	टर्न–ओवर	कराधान से पहले लाभ	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान के बाद लाभ	प्रस्तावित लाभांश	शेयर धारिता का प्रतिशत
20	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	80.00	(0.60)	1,007.93	928.53	शून्य	-	(0.17)	(0.04)	(0.13)	शून्य	100%
21	पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	32.21	(0.66)	541.73	510.18	शून्य	-	(0.12)	(0.03)	(0.09)	शून्य	100%
22	पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	77.95	(0.74)	946.04	868.83	शून्य	-	(0.97)	(0.24)	(0.73)	शून्य	100%
23	पॉवरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	9.00	(0.38)	8.97	0.35	शून्य	-	(0.08)	(0.02)	(0.06)	शून्य	100%
24	पावरग्रिड ऊर्जा	लगू नहीं	लगू नहीं	10.00	(9.34)	52.74	52.08	शून्य	-	(12.39)	(3.12)	(9.27)	शून्य	100%
25	सर्विसेज लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.01	(0.38)	565.21	565.58	शून्य	-	(0.51)	(0.13)	(0.38)	शून्य	100%
26	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.01	(0.77)	548.16	548.92	शून्य	0.04	(1.03)	(0.26)	(0.77)	शून्य	100%
27	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	(0.22)	288.11	288.28	शून्य	-	(0.29)	(0.07)	(0.22)	शून्य	100%
28	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	(0.43)	14.86	15.24	शून्य	-	(0.16)	(0.04)	(0.12)	शून्य	100%
29	पॉवरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	-	6.90	6.85	शून्य	-	-	-	-	शून्य	100%
30	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	-	54.22	54.17	शून्य	-	-	-	-	शून्य	100%
31	खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	-	77.34	77.29	शून्य	-	-	-	-	शून्य	100%

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सहायक कंपनियों के नाम	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग है	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग	शेयर पूंजी	रिजर्व और अधिशेष	कुल परिसंपत्ति	कुल देयताएं	निवेश	टर्न–ओवर	कराधान से पहले लाभ	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान के बाद लाभ	प्रस्तावित लाभांश	शेयर धारिता का प्रतिशत
32	खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	-	156.93	156.88	शून्य	-	-	-	-	शून्य	100%
33	पॉवरग्रिड KPS2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	-	38.19	38.14	शून्य	-	-	-	-	शून्य	100%
34	पॉवरग्रिड के.पी.एस 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	-	12.77	12.72	शून्य	-	-	-	-	शून्य	100%
35	रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.01	-	7.41	7.40	शून्य	-	-	-	-	शून्य	100%
36	धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.01	-	6.87	6.86	शून्य	-	-	-	-	शून्य	100%
37	भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.01	-	104.04	104.03	शून्य	-	-	-	-	शून्य	100%

उन सहायक कंपनियों के नाम जिन्होंने अब तक परिचालन आरंभ नहीं किया है:

1	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	11	पॉवरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड
2	पावरग्रिड रामगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड	12	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
3	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	13	खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड
4	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	14	खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड
5	पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड	15	खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड
6	पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	16	पॉवरग्रिड KPS2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
7	पॉवरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	17	पॉवरग्रिड KPS3 ट्रांसमिशन लिमिटेड
8	पॉवरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	18	रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड
9	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	19	धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
10	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	20	पॉवरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड

वर्ष के दौरान परिसमापन या बेची गई सहायक कंपनियों के नामः शून्य

भाग "बी": एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

(₹ करोड़ में)

सहयोगी/संयुक्त उद्यमों का नाम	नवीनतम लेखा परीक्षित बैलेंस शीट तिथि	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर			महत्वपूर्ण प्रभाव होने का विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम का समेकित न होने का कारण	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र अनुसार शेयरधारिता का निवल मूल्य	वर्ष के लिए लाभ / हानि	
		संख्या	निवेश की राशि	होल्डिंग का विस्तार				प. समेकन में विचारार्थ	पप. समेकन में कोई विचार नहीं किया गया
संयुक्त उद्यम									
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन सीमित	31.03.2023	22,93,20,000	229.32	49%	शेयरहोल्डिंग 20% से अधिक है	लागू नहीं	474.12	39.78	लागू नहीं
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	लेखापरीक्षा नहीं	2,34,00,000	23.40	26%	शेयरहोल्डिंग 20% से अधिक है	लागू नहीं	35.41	5.54	लागू नहीं
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	लेखापरीक्षा नहीं	7,09,37,620	70.94	26%	शेयरहोल्डिंग 20% से अधिक है	लागू नहीं	84.35	11.26	लागू नहीं
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा नहीं	12,01,20,000	120.12	30.92%	शेयरहोल्डिंग 20% से अधिक है	लागू नहीं	161.28	16.29	लागू नहीं
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	31.03.2023	10,69,64,000	106.96	26%	शेयरहोल्डिंग 20% से अधिक है	लागू नहीं	139.74	29.11	लागू नहीं
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	लेखापरीक्षा नहीं	3,04,00,000	30.40	20%	शेयरहोल्डिंग 20% से अधिक है	लागू नहीं	-	(14.24)	लागू नहीं
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	लेखापरीक्षा नहीं	33,41,27,260	334.13	50%	शेयरहोल्डिंग 20% से अधिक है	लागू नहीं	479.59	(44.09)	लागू नहीं
एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड	लेखापरीक्षा नहीं	46,36,10,000	463.61	33.33%	शेयरहोल्डिंग 20% से अधिक है	लागू नहीं	292.45	(130.58)	लागू नहीं
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	लेखापरीक्षा नहीं	1,26,12,473	12.62	26%	शेयरहोल्डिंग 20% से अधिक है	लागू नहीं	34.09	4.25	लागू नहीं

(₹ करोड़ में)

सहयोगी/संयुक्त उद्यमों का नाम	नवीनतम लेखा परीक्षित बैलेंस शीट तिथि	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर			महत्वपूर्ण प्रभाव होने का विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम का समेकित न होने का कारण	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र अनुसार शेयरधारिता का निवल मूल्य	वर्ष के लिए लाभ / हानि	
		संख्या	निवेश की राशि	होल्डिंग का विस्तार				प. समेकन में विचारराथ	पप. समेकन में कोई विचार नहीं किया गया
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	लेखापरीक्षा नहीं	40,00,000	4.00	50%	शेयरहोल्डिंग 20% से अधिक है	लागू नहीं	-	-	लागू नहीं
बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा नहीं	25,000	0.03	50%	शेयरहोल्डिंग 20% से अधिक है	लागू नहीं	0.02	(0.01)	लागू नहीं
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	लेखापरीक्षा नहीं	11,70,000	6.50	26%	शेयरहोल्डिंग 20% से अधिक है	लागू नहीं	13.60	2.27	लागू नहीं
सहयोगी									
पावरग्रिड कला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2023	1,58,60,000	15.86	26%	शेयरहोल्डिंग 20% से अधिक है	आईएनडी105 के अनुसार, बिक्री के लिए धारित परि–संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत	लागू नहीं	N.A.	लागू नहीं
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2023	5,89,96,600	59.00	26%	शेयरहोल्डिंग 20% से अधिक है	आईएनडी 105 के अनुसार, बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत	लागू नहीं	N.A.	लागू नहीं
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2023	10,22,58,000	102.26	26%	शेयरहोल्डिंग 20% से अधिक है	आईएनडी 105 के अनुसार, बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत	लागू नहीं	N.A.	लागू नहीं

(₹ करोड़ में)

सहयोगी/संयुक्त उद्यमों का नाम	नवीनतम लेखा परीक्षित बैलेंस शीट तिथि	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर			महत्वपूर्ण प्रभाव होने का विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम का समेकित न होने का कारण	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र अनुसार शेयरधारिता का निवल मूल्य	वर्ष के लिए लाभ / हानि	
		संख्या	निवेश की राशि	होल्डिंग का विस्तार				प. समेकन में विचारार्थ	पप. समेकन में कोई विचार नहीं किया गया
पावरग्रिड वारोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2023	8,37,46,000	83.74	26%	Shareholding is more than 20%	आईएनडी 105 के अनुसार, बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत	लागू नहीं	N.A.	लागू नहीं

उन सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है: आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (चालू प्रतिष्ठान नहीं)

उन सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन हुआ या बेचा गया है: शून्य

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव
कंपनी सचिव

जी रविशंकर
निदेशक (वित्त)

के. श्रीकांत
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN : 000990N

सीए आर बालासुब्रमण्यम
पार्टनर
M. No. 080432

उमामहेश्वर राव एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN : 004453S

सीए राकेश भानु अमारा
पार्टनर
M. No. 228411

बी एम चतरथ एंड सीओ एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN : 301011E/E300025

सीए संजय सरकार
पार्टनर
M. No. 064305

पीएसडी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN : 004501C

सीए सतीश चंद्र शर्मा
पार्टनर
M. No. 072846

तिथि: 19 मई, 2023
स्थान: गुरुग्राम

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–X

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा**

कंपनी की सीएसआर नीति को निदेशक मंडल द्वारा 11 नवंबर, 2014 को आयोजित 307वीं बैठक में मंजूरी दी गई थी और 17 जून, 2021 को आयोजित 393वीं बैठक में इसे संशोधित किया गया था। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 दिनांक 22 जनवरी, 2021 के अनुरूप प्रमुख बदलाव सम्मिलित किए गए थे। यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

https://www.powergrid.in/sites/default/files/CSR%26S%20policy.pdf

नीति की मुख्य विशेषताएं हैं:

इस नीति को पावरग्रिड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता (सीएसआर एंड एस) नीति का नाम दिया गया है।

दृष्टिकोण

एक ऐसी कॉर्पोरेट बनना जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, स्वच्छता और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में पहल के माध्यम से समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति निर्धारित करे और संवहनीय पर्यावरणीय प्रथाओं का पालन करे।

उद्देश्य

सीएसआर और संवहनीयता नीति को व्यवसाय नीति के अनुरूप बनाना, ताकि व्यवसाय को संवहनीय तरीके से संचालित किया जा सके, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से निपटने में बचाव, न्यूनीकरण और न्यूनीकरण के सिद्धांतों का पालन किया जा सके और राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं हितधारकों के परामर्श से शुरू की जा सकें।

सीएसआर के अंतर्गत गतिविधियां

सीएसआर के अंतर्गत निष्पादित की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची VII में उल्लिखित सभी गतिविधियां सम्मिलित होंगी।

निगम सीएसआर गतिविधियों के लिए उन हितधारकों को प्राथमिकता देगा जो इसके संचालन से सीधे प्रभावित होते हैं। चूंकि ऐसे हितधारक आम तौर पर निगम के वाणिज्यिक संचालन की परिधि में स्थित होते हैं, पावरग्रिड अपने संचालन के स्थानीय क्षेत्रों और पड़ोस के क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों को प्राथमिकता देगा।

किसी जिले की भौगोलिक सीमा जहां पावरग्रिड की उपस्थिति है, सीएसआर एंड एस गतिविधियों के लिए ''स्थानीय क्षेत्र'' माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड अपनी सीमा से बाहर भी सीएसआर गतिविधियां संचालित करेगा। स्थानीय क्षेत्रों और बाहर के बीच सीएसआर खर्च का अनुपात लगभग 75:25 होगा। यद्यपि, भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत निष्पादित या राष्ट्रीय विकास एजेंडे की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाएँ/गतिविधियाँ इस अनुपात के दायरे से बाहर होंगी। सीएसआर एंड एस समिति किसी भी परियोजना को मंजूरी देने के लिए अधिकृत है, भले ही इसमें सम्मिलित राशि कुछ भी हो, जो उपरोक्त अनुपात से परे है।

निगम के संचालन से सीधे प्रभावित हितधारकों को सीएसआर गतिविधियों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। भारत में शुरू की गई सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या गतिविधियां केवल सीएसआर व्यय के बराबर होंगी।

सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन का तरीका

सीएसआर गतिविधियों को अधिमानतः एक परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। विभिन्न गतिविधियों का कार्यान्वयन आम तौर पर निगम की कार्य और खरीद नीति के अनुसार निगम द्वारा पुरस्कार देकर किया जाएगा। जमा कार्य के आधार पर सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र, राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थानों आदि के विभिन्न विभागों की सेवाओं का भी लाभ उठाया जा सकता है।

सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को एक पंजीकृत ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी या निगम या इसकी होल्डिंग या सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी द्वारा स्थापित कंपनी के सहयोग से भी शुरू किया जा सकता है। इन्हें अधिनियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा।

संचार की रणनीति

हितधारकों के साथ व्यापक संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया जाएगा। वेबसाइट, ईमेल, वार्षिक सीएसआर पुस्तिका, वार्षिक रिपोर्ट आदि पर प्रदर्शन पावरग्रिड की सीएसआर पहल को समझने के लिए प्रमुख उपकरण होंगे।

सीएसआर गतिविधियों का वित्तपोषण

निगम को सीएसआर पर सालाना तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करना होगा।

2. सीएसआर समिति की संरचना

31.03.2023 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के प्रावधानों के अनुसार, सीएसआर समिति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद/निदेशकत्व की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में भाग लिया
1.	श्री श्रीकांत कांडिकुप्पा	चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक/ सीएसआर समिति के अध्यक्ष	8	8
2.	डॉ विनोद कुमार सिंह	निदेशक (कार्मिक)/ सीएसआर समिति के सदस्य	8	8
3.	श्री राम नरेश तिवारी	स्वतंत्र निदेशक/सीएसआर समिति के सदस्य	8	8
4.	श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया	स्वतंत्र निदेशक/सीएसआर समिति के सदस्य	8	8
5.	श्री ओंकारप्पा के.एन	स्वतंत्र निदेशक/सीएसआर समिति के सदस्य	8	8

3. वेब–लिंक जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

क्र. सं.	निम्नलिखित के विवरण सुलभ हैं	वेब–लिंक
1.	सीएसआर समिति की संरचना	https://www.powergrid.in/composition-committees-board-directors
2.	सीएसआर नीति	https://www.powergrid.in/aboutus-csr
3.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं	https://apps.powergrid.in/pgdocs/2023/07/List_of_CSR_Projects.pdf

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब–लिंक के साथ कार्यकारी सारांश

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के तहत प्रभाव मूल्यांकन के लिए पात्र सीएसआर परियोजनाओं का विवरण यहां उपलब्ध है:

https://apps.powergrid.in/pgdocs/2023/07/List_of_Projects_for_Impact_Assessment.pdf

प्रभाव आकलन पर पूरी रिपोर्ट यहां उपलब्ध है:

https://apps.powergrid.in/pgdocs/2023/07/CS_IA_Report.pdf

5. क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: **₹15,598.38 करोड़**
   ख) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: **₹311.97 करोड़**
   ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: **शून्य**
   घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो: **शून्य**
   च) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख) + (ग) – (घ)]: **₹311.97 करोड़**

6. क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि: **₹310.51 करोड़** (चालू परियोजनाएं = ₹160.93 करोड़; चालू के अतिरिक्त अन्य परियोजनाएं = ₹149.58 करोड़)।
   ख) प्रशासनिक मद में खर्च की गई राशि: **₹10.83 करोड़**
   ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: **₹0.32 करोड़**
   घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)]: **₹321.66 करोड़**
   ड.) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
3,21,66,10,490	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

च) अतिरिक्त राशि जिन्हें समायोजित किया जाना है:

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	3,11,96,76,886
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	3,21,66,10,490
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	9,69,33,604
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजित किए जाने के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	9,69,33,604

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (₹ में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ में)	स्थानांतरण की तिथि		
1.	2019-20	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	3,46,20,86,011	0	शून्य	शून्य	-
2.	2020-21	0	0	2,40,48,01,918	0	शून्य	शून्य	-
3.	2021-22	0	0	2,71,13,87,826	0	शून्य	शून्य	-
	कुल			**8,57,82,75,755**				

8. क्या वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की खर्च की गई राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई या अर्जित की गई है

○ हाँ ✓ नहीं

यदि हाँ, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें: उपलब्ध नहीं

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि:

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण ख्संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित,	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर की राशि खर्च की गई	पंजीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
उपलब्ध नहीं							

9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो इसका कारण बताएं: उपलब्ध नहीं

जी.रविशंकर
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08816101

के. श्रीकांत
(अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक तथा अध्यक्ष सीएसआर समिति)
डीआईएन: 06615674

दिनांक: 6 अगस्त, 2023
स्थान: गुरूग्राम

स्टेंडएलोन
वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसम्पत्तियां			
गैर–चालू परिसम्पत्तियां			
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4	170,801.36	178,175.63
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	5	7,668.13	7,344.46
निवेश सम्पत्ति	6	-	-
अमूर्त परिसम्पत्तियां	7	1,476.19	1,556.13
विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	8	31.08	31.53
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
निवेश	9	7,414.95	7,228.53
व्यापार प्राप्य	10A	695.57	-
ऋण	10	16,897.29	14,269.78
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	11	4,170.04	4,144.46
अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	12	4,912.17	4,797.73
		214,066.78	**217,548.25**
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पत्तियां	19A	-	245.00
		214,066.78	**217,793.25**
चालू परिसम्पत्तियां			
मालसूची	13	1,323.55	1,352.60
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
व्यापार प्राप्य	14	12,381.52	8,836.81
नकदी एवं नकदी समतुल्य	15	4,146.24	2,457.47
नकदी एवं नकदी समतुल्य से भिन्न, बैंक में शेष	16	588.20	513.57
ऋण	17	455.10	328.27
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	18	2,571.32	6,395.78
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	19	216.23	210.99
		21,682.16	**20,095.49**
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पत्तियां	19A	260.86	15.86
		21,943.02	**20,111.35**
विनियामक आस्थगन खाता शेष	20	10,283.76	9,973.04
कुल परिसम्पत्तियां		**246,293.56**	**247,877.64**
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	21	6,975.45	6,975.45
अन्य इक्विटी	22	75,857.51	69,176.12
		82,832.96	**76,151.57**
देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधारी	23	113,891.29	114,199.40
पट्टा देयताएं		61.63	27.04
अन्य गैर–चालू वित्तीय देयताएं	24	3,564.67	3,523.00
प्रावधान	25	577.61	517.05
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	26	10,631.12	11,424.78
अन्य गैर–चालू देयताएं	27	197.10	240.89
		128,923.42	129,932.16

31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधारी	28	12,703.61	20,465.87
पट्टा देयताएं		4.09	2.74
व्यापार संबंधी देय राशियां			
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	29	48.69	47.19
(ख) सूक्ष्म उद्यम एवं लघु उद्यमों से भिन्न क्रेडिटरों की कुल बकाया देयताएं	29	276.33	218.95
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	30	7,392.53	7,408.90
अन्य चालू देयताएं	31	3,132.40	3,203.41
प्रावधान	32	781.41	932.31
चालू कर देयताएं (निवल)	33	34.60	-
		24,373.66	**32,279.37**
आस्थगित राजस्व	34	10,163.52	9,514.54
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**246,293.56**	**247,877.64**

संलग्न टिप्पणियां (1 से 66) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव
कंपनी सचिव

जी. रविशंकर
निदेशक (वित्त)

के. श्रीकांत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 0000990एन

सीए आर बालासुब्रह्मण्यम
साझेदार
सदस्यता संख्या 080432

कृते **उमामाहेश्वर राव एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 004453एस

सीए राकेश भानू अमर
साझेदार
सदस्यता संख्या 228411

कृते **बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 301011ई/ई300025

सीए संजय सरकार
साझेदार
सदस्यता संख्या 064305

कृते **पीएसडी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 004501सी

सीए सतीश चंद्र शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या 072846

दिनांकः 19 मई, 2023
स्थानः गुरूग्राम

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनों से राजस्व	35	43,343.05	39,933.39
अन्य आय	36	2,625.02	2,402.48
कुल आय		**45,968.07**	**42,335.87**
व्यय			
कर्मचारी हितलाभ व्यय	37	2,504.96	2,234.76
वित्त लागत	38	9,744.25	8,210.94
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	39	12,939.88	12,550.58
अन्य व्यय	40	3,564.29	2,771.62
कुल व्यय		**28,753.38**	**25,767.90**
असाधारण वस्तुओं पर कर से पूर्व लाभ कर एवं विनियामक आस्थगन लेखा शेष		**17,214.69**	**16,567.97**
असाधारण मदें		-	(3,759.51)
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगन खाता शेष राशि		**17,214.69**	**20,327.48**
कर व्यय:			
वर्तमान कर – वर्तमान वर्ष		2,987.43	3,320.52
–– पूर्ववर्ती वर्ष		(73.76)	(38.46)
आस्थगित कर	26	(775.57)	(571.00)
		2,138.10	**2,711.06**
विनियामक आस्थगन लेखा शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ		**15,076.59**	**17,616.42**
विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल उत्तार–चढ़ाव – आय (व्यय) (निवल कर)	41	256.43	(522.66)
अवधि हेतु लाभ		**15,333.02**	**17,093.76**
अन्य व्यापक आय			
मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (निवल कर)	42	(106.70)	290.93
अवधि हेतु कुल व्यापक आय		**15,226.32**	**17,384.69**
विनियामक आस्थगन लेखा शेष में उत्तार–चढ़ाव सहित प्रति इक्विटी शेयर (सममूल्य रू 10/–प्रत्येक):			
मूल एवं न्यूनीकृत (रू)	60	21.98	24.51
विनियामक आस्थागन लेखा शेष में उत्तार–चढ़ाव को छोड़कर प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सममूल्य रू 10/–प्रत्येक)			
मूल एवं न्यूनीकृत (रू)	60	21.61	25.25

संलग्न टिप्पणियां (1 से 66) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव	**जी. रविशंकर**	**के. श्रीकांत**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 0000990एन

कृते **उमामाहेश्वर राव एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 004453एस

कृते **बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 301011ई/ई300025

कृते **पीएसडी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 004501सी

सीए आर बालासुब्रह्मण्यम
साझेदार
सदस्यता संख्या 080432

सीए राकेश भानू अमर
साझेदार
सदस्यता संख्या 228411

सीए संजय सरकार
साझेदार
सदस्यता संख्या 064305

सीए सतीश चंद्र शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या 072846

दिनांकः 19 मई, 2023
स्थानः गुरूग्राम

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल, 2022 को	**6,975.45**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
31 मार्च, 2023 को	**6,975.45**
1 अप्रैल, 2021 को	**5,231.59**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	1,743.86
31 मार्च, 2022 को	**6,975.45**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष					अन्य व्यापक आय	योग
	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड शोधन प्रा. नि.	स्व बीमा प्रा. नि.	सामान्य प्रा. नि.	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय इक्विटी निवेश के जरिए उचित मूल्य	
1 अप्रैल, 2022 को शेष	**7,834.43**	**5,532.80**	**853.09**	**50,352.82**	**4,110.89**	**492.09**	**69,176.12**
वर्ष हेतु लाभ					15,333.02		15,333.02
अन्य व्यापक आय					17.22	(123.92)	(106.70)
कुल व्यापक आय					**15,350.24**	**(123.92)**	**15,226.32**
वर्ष के दौरान समायोजन							
सामान्य प्रारक्षित निधि में अन्तरित				8,000.00	(8,000.00)		-
बॉण्ड शोधन प्रारक्षित निधि से अन्तरित		(1,364.63)			1,364.63		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि में अन्तरित			299.42		(299.42)		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि से अन्तरित			(104.55)	104.55	-		-
अन्तरिम लाभांश वित्त वर्ष 2021–22					(1,569.48)		(1,569.48)
अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2022–23					(6,975.45)		(6,975.45)
अन्य समायोजन					(3.44)	3.44	-
31 मार्च 2023 को शेष	**7,834.43**	**4,168.17**	**1,047.96**	**58,457.37**	**3,977.97**	**371.61**	**75,857.51**

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण (जारी)

ख. अन्य इक्विटी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष					अन्य व्यापक आय	योग
	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड शोधन प्रा. नि.	स्व बीमा प्रा. नि.	सामान्य प्रा. नि.	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय इक्विटी निवेश के जरिए उचित मूल्य	
1 अप्रैल, 2021 को शेष	**9,578.29**	**7,387.97**	**722.99**	**43,191.78**	**3,399.08**	**67.14**	**64,347.25**
वर्ष हेतु लाभ					17,093.76		17,093.76
अन्य व्यापक आय					(134.02)	424.95	290.93
कुल व्यापक आय					**16,959.74**	**424.95**	**17,384.69**
वर्ष के दौरान समायोजन							
सामान्य प्रारक्षित निधि में अन्तरित				7,000.00	(7,000.00)		-
बॉण्ड शोधन प्रारक्षित निधि से अन्तरित		(1,855.17)			1,855.17		-
बोनस इक्विटी शेयर के निर्गम के लिए प्रयुक्त	(1,743.86)						(1,743.86)
स्व बीमा प्रारक्षित निधि में अन्तरित			291.14		(291.14)		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि से अन्तरित			(161.04)	161.04	-		-
अन्तरिम लाभांश वित्त वर्ष 2020–21					(2,092.64)		(2,092.64)
अन्तरिम लाभांश वित्त वर्ष 2021–22					(8,719.32)		(8,719.32)
31 मार्च 2022 को शेष	**7,834.43**	**5,532.80**	**853.09**	**50,352.82**	**4,110.89**	**492.09**	**69,176.12**

संलग्न टिप्पणियां (1 से 66) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

प्रारक्षित निधि व अधिशेष के प्रकार व लेन देन के लिए टिप्पणी न. 22 देखें।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव
कंपनी सचिव

जी. रविशंकर
निदेशक (वित्त)

के. श्रीकांत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 0000990एन

सीए आर बालासुब्रह्मण्यम
साझेदार
सदस्यता संख्या 080432

कृते **उमामाहेश्वर राव एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 004453एस

सीए राकेश भानू अमर
साझेदार
सदस्यता संख्या 228411

कृते **बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 301011ई/ई300025

सीए संजय सरकार
साझेदार
सदस्यता संख्या 064305

कृते **पीएसडी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 004501सी

सीए सतीश चंद्र शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या 072846

दिनांक: 19 मई, 2023
स्थान: गुरुग्राम

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ एवं (विनियामक आस्थागन लेखा शेष)	**17,214.69**	**20,327.48**
जोड़ें : विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल घट–बढ़ (कर निवल)	256.43	(522.66)
जोड़ें : विनियामक आस्थगन कर शेष में निवल घट–बढ़ पर कर	54.29	(110.65)
कर पूर्व लाभ (विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल घट–बढ़ सहित	**17,525.41**	**19,694.17**
निम्न हेतु समायोजन :		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	12,939.88	12,550.58
सहायता अनुदानों से अंतरण	(315.33)	(300.26)
आस्थगित राजस्व–मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	(151.56)	(152.46)
प्रावधान	65.18	4.21
लाभ अथवा हानि के जरिए वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(27.90)	(16.44)
सहायक कंपनियों में निवेश की बिक्री पर लाभ	-	(3,759.51)
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान/बटटेखाते में डालने पर निवल हानि	22.09	28.39
आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसम्पत्ति	(159.19)	(42.69)
विदेशी मुद्रा घट–बढ़ से आस्थगित आय	1,116.10	191.07
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष	(310.72)	633.31
वित्त लागत	9,744.25	8,210.94
पुनरांकित प्रावधान	(29.93)	(13.13)
एफईआरवी हानि/(लाभ)	-	(0.03)
म्यूचुअल फण्ड में निवेश की बिक्री पर लाभ	-	(15.95)
सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों, पीजीइनविट आदि को जमाओं, बॉण्ड और ऋणों पर आय ब्याज	(1,265.48)	(1,075.96)
अधिभार आय	(163.54)	(364.46)
वित्तीय लीज़ से लाभ	(150.80)	(73.12)
लाभांश आय	(671.71)	(664.38)
	20,641.34	**15,140.11**
परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**38,166.75**	**34,834.28**
परिसम्पत्तियों एवं देयत्ताओं में परिवर्तन हेतु समायोजन:		
माल सूचियों में (वृद्धि)/कमी	25.96	13.96
व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	(4,104.68)	(250.94)
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	4,171.17	(3,059.47)
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	0.37	68.23
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(5.24)	(37.71)
देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(189.04)	(3,218.91)
	(101.46)	**(6,484.84)**
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी	**38,065.29**	**28,349.44**
संदत्त प्रत्यक्ष कर	(2,797.04)	(3,709.24)
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी	**35,268.25**	**24,640.20**

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ख. निवेशकारी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा कार्यशील पूंजी (पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम सहित)	(3,064.54)	(3,645.32)
अनुदान की प्राप्ति	0.35	131.42
म्युचुअल फंड में निवेश	-	(1,470.00)
म्युचुअल फंड की बिक्री	-	1,485.95
सहायक/सहयोगी कम्पनियों में निवेश की बिक्री (निवल)	-	3,346.69
सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों व अन्य में निवेश (निवल)	(358.83)	(1,122.13)
सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम (चुकौती सहित)	(3,089.78)	1,228.83
वित्तीय पट्टे से प्राप्त राशियां	132.33	84.87
सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों एवं पीजी आईएनवीआईटी आदि को जमाओं, बाण्डों एवं ऋणों पर प्राप्त ब्याज	1,200.14	1,239.26
प्राप्त अधिभार	192.79	244.59
प्राप्त लाभांश	671.71	664.38
निवेशकारी कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	**(4,315.83)**	**2,188.54**
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
उधारियों से प्राप्ति		
गैर–चालू	9,140.44	2,584.70
चालू	11,845.00	7,400.00
उधारियों की चुकौती		
गैर–चालू	(15,540.65)	(15,251.97)
चालू	(16,445.00)	(3,900.00)
पट्टा देयताओं की चुकौती (ब्याज सहित)	(8.82)	(8.14)
वित्तीय लागत का भुगतान	(9,709.69)	(8,813.95)
लाभांश का भुगतान	(8,544.93)	(10,811.96)
वित्तीय कार्यकलापों में निवल नकदी	**(29,263.65)**	**(28,801.32)**
घ. नकदी एवं नकदी सदृशों में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	**1,688.77**	**(1,972.58)**
ड. नकदी एवं नकदी समतुल्य (आरम्भिक शेष)	**2,457.47**	**4,430.05**
च. नकदी एवं नकदी समतुल्य (अन्त शेष) (टिप्पणी नं.15 को देखें)	**4,146.24**	**2,457.47**

संलग्न टिप्पणियां (1 से 66) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

'इसमें नामोदिष्ट खाते में रखा गया रू 1048.54 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रू 1341.75 करोड़) शामिल है, जो कम्पनी के इस्तेमाल हेतु उपलब्ध नहीं है।

अतिरिक्त टिप्पणी

1. नकद एवं नकदी समतुल्य राशियों में चेक, ड्राफ्ट, हस्तगत स्टाम्प, बैंकों में शेष और तीन माह तक की मूल परिपक्वता के साथ जमा राशियां शामिल हैं।
2. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
3. वित्तीय कार्यकलापों से उत्पन्न देयताओं के लिए तुलनपत्र में आदि एवं अन्त शेषों के बीच लेखा मिलान।

(₹ करोड़ में)

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

विवरण	वित्तीय पट्टा उत्तरदायित्व	गैर–चालू उधारी#	चालू उधारी
1 अप्रैल, 2022 को आरम्भिक शेष	29.78	132,147.04	5,300.00
वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह	(8.82)	(14,514.55)	(4,600.00)
निम्न के कारण गैर–नकदी परिवर्तन:			
– वित्तीय पट्टे के तहत समायोजन/अधिग्रहण	44.76		
– उधारियों पर ब्याज		8,285.51	
– विनिमय दर में परिवर्तन		2,929.84	
–– उचित मूल्य समायोजन		3.65	
31 मार्च, 2023 को अन्त शेष	**65.72**	**128,851.49**	**700.00**

(₹ in crore)

विवरण	वित्तीय पट्टा उत्तरदायित्व	गैर–चालू उधारी#	चालू उधारी
1 अप्रैल, 2021 को आरम्भिक शेष	21.59	144,353.00	1,800.00
वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह	(8.14)	(20,837.83)	3,500.00
निम्न के कारण गैर–नकदी परिवर्तन:			
– वित्तीय पट्टे के तहत समायोजन/अधिग्रहण	16.33		
– उधारियों पर ब्याज		7,845.08	
– विनिमय दर में परिवर्तन		781.06	
–– उचित मूल्य समायोजन		5.73	
31 मार्च, 2022 को अन्त शेष	**29.78**	**132,147.04**	**5,300.00**

रुगैर–चालू उधारियों की चालू परिपक्वता और उन पर प्रोद्भूत ब्याज सहित

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव
कंपनी सचिव

जी. रविशंकर
निदेशक (वित्त)

के. श्रीकांत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 0000990एन

कृते **उमामाहेश्वर राव एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 004453एस

कृते **बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 301011ई/ई300025

कृते **पीएसडी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 004501सी

सीए आर बालासुब्रह्मण्यम
साझेदार
सदस्यता संख्या 080432

सीए राकेश भानू अमर
साझेदार
सदस्यता संख्या 228411

सीए संजय सरकार
साझेदार
सदस्यता संख्या 064305

सीए सतीश चंद्र शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या 072846

दिनांक: 19 मई, 2023
स्थान: गुरुग्राम

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

1. कॉर्पोरेशन एवं सामान्य सूचना

पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") एक सार्वजनिक कम्पनी है, जो कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के तहत भारत में स्थापित एवं निगमित है और इसके शेयर भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय बी–9, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली, भारत में स्थित है और इसका कारपोरेट कार्यालय सौदामिनी, प्लॉट नं., 2, सेक्टर, 29, गुडगांव, हरियाणा में स्थित है।

कम्पनी विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी (सीटीयू) के रूप में अधिसूचित है। यह मुख्य रूप से अन्तर–राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएम); दूरसंचार एवं परामर्शी सेवाओं की योजना बनाने, इसे लागू करने, प्रचालन तथा रखरखाव का कार्य करती है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरण 19 मई, 2023 को निदेशक–मण्डल द्वारा जारी करने हेतु अनुमोदित किए गए थे।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश नीचे दिया है। यह लेखाकरण नीतियां प्रस्तुत सभी अवधि के वित्तीय विवरणों में समान रूप से अपनायी गई हैं।

2.1 तैयार करने का आधार

i) भारतीय लेखाकरण मानक का अनुपालन

वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133, कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 और कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित सीमा में) के संगत उपबंधों, कंपनी अधिनियम, 1956 और विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध, प्रत्येक मामले में अनुप्रयोज्य सीमा में तथा इसके बाद यथा–संशोधित रूप में अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (भा. ले. मा.) के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

ii) मूल्यांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर और निम्नलिखित को छोड़कर, मूल लागत परिपाटी आधार पर तैयार किया गया है और उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है:

- उचित मूल्य पर मूल्यांकित कुछेक वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं (वित्तीय लिखतों के संबंध में लेखाकरण नीति की टिप्पणी 2.3 को देखें);
- निर्धारित लाभ योजनाएं – उचित मूल्य पर मूल्यांकित योजना परिसंपत्तियां।

iii) कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए में (रुपए अथवा रू) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी है और सभी राशियों को निकटतम करोड़ में और उसके दो दशमलव में पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय अन्यथा उल्लिखित राशि केझ

iv) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमान और पूर्वानुमान अपेक्षित हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व एवं खर्चों की उल्लिखित राशि को दर्शाते हैं। यद्यपि, ऐसे अनुमान और पूर्वानुमान समस्त उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए उचित एवं तर्कसंगत आधार पर किए जाते हैं, फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों एवं मूलाधार पूर्वानुमानों की सत्तत आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। लेखाकरण अनुमानों के संशोधन को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में अनुमान को संशोधित किया जाता है, यदि संशोधन केवल उस अवधि में अथवा संशोधन की अवधि में और भावी अवधि में किया जाता है, तो संशोधन चालू एवं भावी, दोनों वर्षों में किया जाता है, (महत्वपूर्ण लेखाकरण अनुमानों, पूर्वानुमानों एंव समायोजनों के लिए टिप्पणी–3 को देखें।)

v) चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण

कम्पनी चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में प्राप्तियों एवं देयताओं को दर्शाती है।

परिसंपत्ति तब चालू होती है जब इसे:

- क्रियान्वित किए जाने की उम्मीद हो अथवा सामान्य प्रचालन चक्र में बेचे जाने अथवा उपभोग में लाये जाने की उम्मीद हो;
- मुख्य रूप से कारोबार करने के प्रयोजनार्थ रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर क्रियान्वित किए जाने की उम्मीद हो; अथवा
- नकदी एवं नकदी समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए देयता के निपटान हेतु विनियमित अथवा प्रयुक्त होने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

देयता तब चालू होती है, जब :

- सामान्य प्रचालन तरीके में इसे निपटाया जा सकता हो;
- इसे मुख्य रूप से कारोबार के प्रयोजनार्थ रखा गया हो;
- इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माह के भीतर निपटाया जाना निर्धारित हो; अथवा

- इसमें रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो।

अन्य सभी देयत्ताओं को गैर–चालू रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर चालू रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कम्पनी बारह माह की अवधि को इसकी रिपोर्टिंग चक्र के रूप में स्वीकार करती है।

2.2 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

भारतीय लेखाकरण मानक (1 अप्रैल, 2015) में अंतरण की तारीख को, कम्पनी ने सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रख–रखाव मूल्य पर पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार विचार करने की सोची थी, जिसे भारतीय ले.मा. 101 "भारतीय लेखाकरण मानक का प्रथम बार स्वीकरण" के अनुसार लागत समझा जाता है।

आरंभिक स्वीकरण एवं मूल्यांकन

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को आवश्यक स्थान एवं स्थिति में लाने तथा प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत तरीके में इसे प्रचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए पर प्रत्यक्ष रूप से व्यय कोई लागत शामिल है।

शुरूआती स्वीकरण के बाद सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यह्रास/आशोधन एवं संचित अनर्जक क्षति, यदि कोई हो, पर पूरा किया जाता है।

मौजूदा परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में प्राप्त सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय प्रयोग से हटाए गए/निष्कासित इसके तदनुरूपी प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों को अस्वीकार किया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित भाग अथवा पहले के निरीक्षण की लागत उपलब्ध न हो, तो सदृश नये भागों/निरीक्षण की अनुमानित लागत को उस लागत के संकेतन के रूप में प्रयोग किया जाता है जो लागत मौजूदा भाग/निरीक्षण संघटक की थी, जब मद को प्राप्त किया गया था अथवा इसका निरीक्षण किया गया था।

अधिकृत परिसंपत्तियों, निक्षेप कार्यों/लागत–जमा संविदा सहित लागत के मामले में, जहां ठकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी किया जाना है, वहां पूंजीकरण अंतिम निपटान वर्ष में आवश्यक समायोजनों के अधीन अस्थायी आधार पर किया जाता है।

एक से अधिक ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए सामान्य परिसंपत्तियों एवं सिस्टमों को तकनीकी अनुमानों/निर्धारणों के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

ट्रांसमिशन सिस्टम परिसंपत्तियों को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार रूप में समझा जाता है और त्तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

भूमि की लागत में, जहां कहीं भी भूमि का स्वामित्व लिया गया हो, अस्थायी जमा राशियां, क्षतिपूरण के संबंध में भुगतान/देयताएं, पुनर्वास एवं अन्य व्यय शामिल हैं।

भूमि को समतल करने, साफ करने तथा ढाल बराबर करने पर व्यय को संबंधित भवनों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

अतिरिक्त पुर्जे, जिनकी लागत रू 5,00,000/– और अधिक हो, आपात उपयोगी उपकरण और सर्विसिंग उपकरण, जो सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकरण मापदण्ड को पूरा करते हों, को पूंजीकृत किया जाता है।

कुछ वस्तुओं की सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अधिग्रहण या निर्माण संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कुछ वस्तुओं का अधिग्रहण या निर्माण, हालांकि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी विशेष मौजूदा वस्तु के भविष्य के आर्थिक लाभों को सीधे नहीं बढ़ा रहा है, कंपनी को अपनी अन्य परिसंपत्तियों से भविष्य के आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है। ऐसी वस्तुओं को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अनुवर्ती लागतें

अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्तियों की रखरखाव लागत में, जब भी यह संभव हो, कि उपगत लागत से प्राप्त हो रहे भावी आर्थिक लाभ, कम्पनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मूल्यांकित किया जा सकता हो, वृद्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मद के भाग को बदलने की लागत को मद की रखरखाव लागत में स्वीकार किया जाता है, यदि यह संभव हो कि भाग के अन्तर्गत भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होंगे और इसकी लागत को विश्वसनीय रूप से मूल्यांकित किया जा सकता है। बदले गए भाग की रखरखाव की रोजमर्रा की सर्विस लागतों को यथा–उपगत लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

अमान्यकरण

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मद को तब अमान्य किया जाता है जब उनके इस्तेमाल से अथवा निपटान करने पर कोई आगामी आर्थिक लाभ की उम्मीद न हो।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान अथवा निष्कासन पर उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि को निवल निपटान प्राप्तियों एवं सम्पत्ति की रखाव लागत्त के बीच अन्तर के रूप में निर्धारित किया जाता है और निपटान अथवा निष्कासन की तारीख को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

2.3 कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी)

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निर्माण के लिए उपगत सामग्री लागत, निर्माण व्यय एवं अन्य खर्चों को निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर पूंजीकरण की तारीख तक सीडब्ल्यूआईपी में दर्शाया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निर्माण हेतु निर्धारित कारपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं परियोजनाओं के व्यय की

पहचान की जाती है और संबंधित परिसंपत्तियों के लागत हेतु एक व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है।

उपरोक्त नीति के अनुसार निर्माण हेतु आबंटित निर्माण के दौरान ब्याज एवं व्यय (निवल) को सीडब्ल्यूआईपी के तहत एक अलग मद के रूप में रखा जाता है और सीडब्ल्यूआईपी के अंत शेष के समानुपात में पूंजीकृत किए गए परिसंपत्तियों में संविभाजित किया जाता है।

निक्षेप कार्यों/संविदा सहित लागत को ठेकेदारों से प्राप्त विवरण अथवा पूरे किए गए कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

संविदाओं के मामले में मूल्य परिवर्तन/विनिमय दर परिवर्तन संबंधी अनिष्पादित देयता को संविदाओं के अनुसार अनुमानित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.4 अमूर्त परिसंपत्तियां और निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

भारतीय लेखाकरण मानक में (1 अप्रैल, 2015) पारगमन की तारीख को कम्पनी ने पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों के रखरखाव मूल्य पर विचार किया है, जो भारतीय लेखाकरण मानक 101 ''भारतीय लेखाकरण मानकों का पहली बारगी स्वीकण'' के अनुसार मानित लागत है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लागत पर आरम्भिक स्वीकरण पर किया जाता है। आरंभिक स्वीकरण के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत घटा किसी संचित परिशोधन एवं संचित अपसामान्य क्षतियों से पूरा किया जाता है।

पहले से पूंजीकृत अमूर्त परिसंपत्तियों पर परवर्ती व्यय को तब पूंजीकृत किया जाता है, जब यह मौजूदा परिसंपत्ति में सन्निहित आगामी आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और उत्तरव्यापी रूप से परिशोधित होता है।

आन्तरिक इस्तेमाल हेतु प्राप्त साफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है) तथा इसके नतीजातन महत्त्वपूर्ण आगामी आर्थिक लाभों को तब अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है जब यह इस्तेमाल के लिए तैयार हो।

ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने के लिए मार्गाधिकार प्राप्त करने हेतु वनरोपण खर्चों को संबंधित ट्रांसिमशन लाइनों के पूंजीकरण की तारीख को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

शीर्ष अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण हेतु मान्य उपगत्त व्यय को तब तक ''निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्ति'' के रूप में माना जाता है जब तक ऐसी परिसंपत्तियां अपने अभिप्रेत इस्तेमाल के लिए तैयार न हों।

अनुसंधान संबंधी व्यय को व्यय के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है जब यह उपगत हो।

विकास संबंधी व्यय को आअमूर्त परिसंपत्ति के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा, यदि यह लेखाकरण मानक 38 ''अमूर्त परिसंपत्ति'' के अनुसार पात्रता मापदण्ड को पूरा करता हो अन्यथा इसे व्यय के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

अमूर्त परिसंपत्ति की मद को निपटान पर अमान्य किया जाता है अथवा तब अमान्य किया जाता है जब इसके इस्तेमाल अथवा निपटान से आगामी आर्थिक लाभ संभव न हो। अमूर्त परिसंपत्ति के अस्वीकरण से उत्पन्न अभिलाभों अथवा हानियों का मूल्यांकन निवल निपटान प्राप्तियों एवं परिसंपत्ति की रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में किया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में तब स्वीकार किया जाता है जब परिसंपत्ति आमान्य हो।

2.5 निवेश परिसम्पत्ति

भारतीय लेखाकरण मानक (1 अप्रैल, 2015) में अंतरण की तारीख को, कम्पनी ने सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रख–रखाव मूल्य पर पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार विचार करने की सोची थी, जिसे भारतीय ले.मा. 101 ''भारतीय लेखाकरण मानक का प्रथम बार स्वीकरण'' के अनुसार लागत समझा जाता है।

निवेश परिसम्पत्ति में उस भूमि और अथवा भवन के भाग शामिल हैं, जिन्हें दीर्घ अवधि किराया मुनाफा के लिए और, अथवा मूल्य वृद्धि के लिए रखा जाता है।

निवेश सम्पत्तियों का मूल्यांकन शुरूआती तौर पर लागत पर किया जाता है जिसमें, लेनदेन लागत शामिल होता है। शुरूआती स्वीकरण के बाद, निवेश सम्पत्तियों को लागत घटा संचित मूल्यह्रास और संचित अपसामान्य क्षति, यदि कोई हो, से पूरा किया जाता है।

निवेश सम्पत्ति से अथवा इसें में हस्तान्तरण तभी किया जाता है जब प्रयोग में कोई बदलाव हो।

निवेश सम्पत्तियों को तब अमान्य किया जाता है, जब या तो उनका निपटान किया गया हो या फिर जब उन्हें इस्तेमाल से पूरी तरह से हटाया गया हो और उनके निपटाने से कोई आगामी आर्थिक लाभ संभव न हो। निवल निपटान प्राप्तियों एवं परिसंपत्तियों के रखरखाव लागत के बीच अन्तर को अमान्य अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में मान्य किया जाता है।

2.6 मूल्यह्रास/परिशोधन

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

ट्रांसमिशन कारोबार से संबंधित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली का पालन करते हुए टैरिफ की वूसली के प्रयोजनार्थ सीधी कटौती प्रणाली आधार पर उपलब्ध है और दूरसंचार एवं परामर्शी कारोबार की परिसंपत्तियों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–प्प में विनिर्दिष्ट उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली आधार पर उपलब्ध है, इसमें निम्नलिखित पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

01 अप्रैल, 2014 से पहले अधिकृत यूएलडीसी परिसंपत्तियों को 6.67: प्रति वर्ष की दर पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर मूल्यह्वासित किया जाता है। 01 अप्रैल, 2014 को अथवा इसके बाद अधिकृत्त ऐसी परिसंपत्तियों को टैरिफ की वसूली के प्रयोजनार्थ सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं

कार्यप्रणाली का अनुपालन करते हुए सीधी कटौती प्रणाली आधार पर मूल्यह्वासित किया जाता है।

नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रो–इलेकिट्रक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), नॉर्थ–ईस्टन इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एसईईपीसीओ), 1 अप्रैल, 1992 संस्थानांतरित नेमवली लिगनाइट कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी), 1 अप्रैल, 1993 से जम्मू एवं कश्मीर लाईन तथा 01 अगस्त, 1993 से टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) के सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मामले में मूल्यह्रास को सकल ब्लॉक के आधार पर, जैसा कि आवश्यक समायोजनों के साथ अन्तरणकर्त्ता के बहियों में इंगित है, प्रभारित किया जाता है, ताकि टैरिफ हेतु सीईआरसी की अधिसूचना में यथा–निर्धारित परिसंपत्तियों की कार्य अवधि को बनाए रखा जा सके।

निवेश सम्पत्ति के रूप में धारित भवनों पर मूल्यह्रास सीधी कटौती प्रणाली आधार पर उपलब्ध होता है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट है।

अतिरिक्त पुर्जा, आपात उपयोगी उपकरण और सर्विसिंग उपकरण, जो पूंजीकृत हों, पर मूल्यह्रास उस तारीख से सीधी कटौती प्रणाली आधार पर उपलब्ध होता है, जिस तारीख को वे सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली के बाद पारेषण कारोबार की संबंधित परिसंपत्तियों के बाकी उपयोगी कार्य अवधि पर प्रयोग हेतु उपलब्ध होते हैं।

निम्नलिखित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि के आधार पर उपलब्ध है।

विवरण	उपयोगी कार्यअवधि
कम्प्यूटर एवं बाह्य सामान	3 वर्ष
सर्वर एवं नेटवर्क संघटक	5 वर्ष

उपरोक्त परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य को शून्य रूप में समझा जाता है।

मोबाइल फोन खरीद वर्ष में प्रभारित होते हैं।

रू 5000/– अथवा कम की लागत के अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्वासित किया जाता है।

जहां; अवमूल्यनीय सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत में विनिमय पर घट–बढ़, मूल्य समायोजन, शुल्कों अथवा सदृश कारकों में परिवर्तन के कारण दीर्घ अवधि मौद्रिक मदों में वृद्धि/कमी के कारण परिवर्तन किया गया हो, वहां, ऐसे परिसंपत्ति के अपरिशोधित शेष को उत्तरव्यापी रूप से सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा यथा–विनिर्दिष्ट दरों पर एवं कार्य प्रणाली पर मूल्यह्वासित किया जाता है, इसमें दूरसंचार एवं परामर्श कारोबार परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं, जहां अवशिष्ट अवधि को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में यथाविनिर्दिष्ट सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी कार्य अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

वर्ष के दौरान सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण में परिवर्धन/इसमें से कटौतियों पर मूल्यह्रास को उस तारीख से/उस तारीख तक समानुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है, जिस तारीख को परिसंपत्ति प्रयोग/निपटान हेतु उपलब्ध हो।

ट्रांसमिशन कारोबार से संबंधित परिसंपत्तियों से भिन्न परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन एवं विधियों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पुनरीक्षा की जाती है और जहां कहीं अपेक्षित हो, उत्तरव्यापी रूप से समायोजित किया जाता है।

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

उपयोग के अधिकार परिसम्पत्तियों का पट्टा प्रारंभ तिथि से पट्टा अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर पूरी तरह से ह्रास किया जाता है।

लीजहोल्ड भूमि को सीईआरसी टैरिफ रेगुलेशन में निर्दिष्ट दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार लीज अवधि या संबंधित संयंत्र के जीवन जो भी कम हो, पर पूरी तरह से परिशोधित्त किया जाता है। स्थायी पट्टे पर अधिग्रहित लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन नहीं किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत सॉफ्टवेयर की लागत को शून्य अपशिष्ट मूल्य के साथ कानूनी प्रयोगाधिकार अथवा 3 वर्ष, जो भी कम हो, पर परिशोधित किया जाता है।

वनारोपण खर्चों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमन द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली के बाद संबंधित पारेषण परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की तारीख से पैंतीस वर्ष में परिशोधित किया जाता है।

दूरसंचार लाइसेंसों को उनके संबंधित उपयोगी कार्य अवधि पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर परिशोधित किया जाता है।

1200 केवी ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास पर व्यय को 10 वर्ष की अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान अमूर्त परिसम्पत्तियों में परिवर्धन/इसमें से कटौतियों पर परिशोधन को उस तारीख से/उस तारीख तक यथा–अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है, जिस तारीख को परिसंपत्ति प्रयोग/निपटान हेतु उपलब्ध हो।

अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन अवधि एवं परिशोधन विधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पुनरीक्षा की जाती और भारतीय लेखाकरण मानक–8 ''लेखाकरण नीतियां, लेखाकरण अनुमानों एवं चूकों में परिवर्तन'' के अनुसार लेखाकरण अनुमानों में परिवर्तन के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

2.7 उधारी लागत

सभी उधार लिए गए निधियों को (कार्यशील पूंजी के लिए अल्प अवधि निधियों को छोड़कर) विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उदिदष्ट किया जाता है। उधारी लागतों को (जिसमें

बॉण्ड निर्गम व्यय, ब्याज, बाण्डों पर छूट, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क, गारंटी शुल्क, प्रबंधन शुल्क, आदि शामिल हैं) इस तरह उदिदष्ट निधियों के समानुपात में परियोजनाओं को आबंटित किया जाता है।

मान्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण से सीधे आबद्ध उधारी लागतों को (निधियों के अस्थायी रूप से नियोजन पर आय का निवल) ऐसी परिसंपत्तियों के लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है, जब तक परिसंपत्तियां अभिप्रेत इस्तेमाल के लिए तैयार न हों।

मान्य परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं, जो अपने अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं।

अन्य उधारी लागतों को लाभ व हानि विवरण में दिखाया गया है जिस अवधि में वे व्यय किये गये।

2.8 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कम्पनी की गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की रखरखाव राशियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में यह निर्धारित करने के लिए पुनरीक्षा की जाती है कि भारतीय लेखाकरण मानक–36 ''परिसंपत्तियों की क्षति'' के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए क्षति का कोई संकेतन हो, तब परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि अनुमानित होती है।

परिसंपत्ति अथवा नकदी उत्पादक यूनिट की वसूलीयोग्य राशि इसके उचित मूल्य घटा निपटान लागत और इसके प्रचलित मूल्य से अधिक होती है। प्रचलित मूल्य के निर्धारण में, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह, पूर्व कर छूट दर का प्रयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य में छूटप्राप्त होता है जो राशि के समय मान और परिसंपत्ति के जोखिम विशेष के चालू बाजार निर्धारणों को दर्शाता है। अपसामान्य जांच के प्रयोजनार्थ परिसंपत्तियों को, जिनकी अलग–अलग रूप में जांच नहीं की जा सकती है, छोटे–छोटे परिसंपत्ति समूह में एक साथ समूहित किया जाता है, जो निरन्तर प्रयोग से नकदी अन्तर्प्रवाह उत्पन्न करते हैं, जो दूसरे परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्ति समूहों (नकदी उत्पादक यूनिट'' अथवा ''सीजीयू') के नकदी अन्तप्रवाहों में अत्यधिक स्वतंत्र हैं।

नकदी अन्तर्प्रवाह में अपसामान्य क्षतियों को तब मान्य किया जाता है, यदि परिसंपत्ति अथवा इसके सीजीयू की रखरखाव राशि इसकी अनुमानित वसूलनीय राशि से अधिक हो। अपसामान्य हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। सीजीयू के संबंध में स्वीकृत अपसामान्य हानियों को सीजीयू के परिसंपत्तियों की रखरखाव राशियों से कम किया जाता है।

पूर्व अवधियों में स्वीकृत अपसामान्य हानियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में इन संकेतनों के लिए निर्धारित किया जाता है कि हानि कम हुई है अथवा अधिक समय तक नहीं रहती है। अपसामान्य हानि को लौटाया जाता है, यदि वसूलनीय राशि के निर्धारण हेतु प्रयुक्त अनुमानों में बदलाव किया गया हो। अपसामान्य हानि को सिर्फ उसी सीमा में लौटाया जाता है जिस सीमा में परिसंपत्तियों की रखरखाव राशि उस रखरखाव राशि से, जिसे निर्धारित किया जाएगा, निवल मूल्यह्रास अथवा परिशोधन, यदि अपसामान्य हानि को मान्य नहीं किया गया था, अधिक न हो।

2.9 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में हस्तगत नकदी और बैंक में जमा राशि तथा मांगने पर बैंकों में रखी जमा राशियां, जिनकी परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तारीख से तीन माह अथवा कम है, जिन्हें सहजता से एक ज्ञात नकदी राशि में परिवर्तित किया जाता है और मूल्य में परिवर्तन के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अध्यधीन हो, शामिल हैं।

2.10 मालसूचियां

मालसूचियों को भारित औसत आधार पर निर्धारित निम्नतर लागत पर एवं निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

स्टील के स्क्रैप एवं कंडक्टर स्क्रैप को अनुमानित वसूलीयोग्य मूल्य अथवा अर्जित मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

अतिरिक्त पुर्जे, जो सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्य मापदण्ड को पूरा नहीं करते हैं, जिनकी लागत रु 5,00,000 से कम है, को मालसूचियों के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

प्रबंधन द्वारा यथा–निर्धारित अतिरिक्त सामग्री को अभिप्रेत प्रयोग के लिए रखा जाता है और मालसूची में शामिल किया जाता है।

अप्रचलित, अनुप्रयोज्य, अतिरिक्त सामानों एवं अतिरिक्त पुर्जों की मूल्य में कमी का पुनरीक्षा पर पता लगाया जाता है और उपलब्ध कराया जाता है।

2.11 पट्टे

पट्टा एक अनुबंध है जिसमें एक निश्चित अवधि के लिये किसी विशिष्ट परिसंपत्ति का प्रयोगाधिकार निहित होता है।

किसी भी अनुबंध में प्रयोगाधिकार का आकुलन करने के लिये कंपनी सुनिश्चत करती है कि : (i) निर्धारित परिसंपत्ति में प्रयोगाधिकार निहित है। (ii) पट्टे की अवधि के दौरान केता को काफी हद तक सभी आर्थिक लाभ निहित हैं। (iii) क्रेता को परिसंपत्ति का उपयोगाधिकार प्रत्यक्ष रूप से मिला है।

i) पट्टादाता के रूप में

पट्टे के शुरू होने की तारीख में, कंपनी उपयोग के अधिकार की संपत्ति (आरओयू) और सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए एक समान पट्टा दायित्व को पहचानती है, जिसमें वह एक पट्टेदार है, सिवाय बारह महीने या उससे कम की अवधि के पट्टे को छोड़कर (यानी अल्पकालिक पढे) और पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है। इन अल्पकालिक और पट्टों के लिए, जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधी–रेखा के आधार पर पढट्टे के भुगतान को मान्यता देती है।

कुछ लीज व्यवस्थाओं में लीज अवधि की समाप्ति से

पहले लीज को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं। आरओयू की संपत्ति और लीज देनदारियों में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह यथोचित रूप से निश्चित है कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, बहाली दायित्वों के साथ या पट्टे की स्थापना तिथि से पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता के प्रारंभिक माप की राशि और प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन शामिल होती है।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी यह निर्धारित करने के लिए इंड एएस 36 लागू करती है कि क्या आरओयू परिसंपत्ति खराब है और 'गैर–वित्तीय संपत्तियों की हानि' पर लेखांकन नीति 2.8 में वर्णित किसी भी पहचान की गई हानि के लिए जिम्मेदार है।

लीज देयता को प्रारंभ में लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जो उस तिथि पर भुगतान नहीं किए जाते हैं।

लीज देयता पर ब्याज लागत को लाभ और हानि के विवरण में व्यय किया जाता है, जब तक कि ''उधार लागत' पर लेखांकन नीति 2.7 के अनुसार पूंजीकरण के लिए पात्र न हो।

लीज देयता और आरओयू परिसंपत्ति को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया गया है और लीज भुगतानों को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii) एक पट्टेदार के रूप में

एक पट्टे को स्थापना तिथि पर वित्त पट्टे या एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अ) वित्त पट्टे

एक पट्टा जो एक परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित करता है, उसे वित्त के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

स्टेट सेक्टर यूनिफाइड लोड डिस्पैच सेंटर (यूएलडीसी)/फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन एसेट्स (एफओसी)/द्विपक्षीय लाइन परिसंपत्तियां जो लाभार्थियों को लीज पर दी गई हैं, उन्हें फाइनेंस लीज माना जाता है। ऐसी पट्टे पर दी गई संपत्ति में शुद्ध निवेश को पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य के निचले स्तर पर प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है और बाद के वर्षों में वृद्धि के साथ न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य वर्तमान और गैर–वर्तमान अन्य वित्तीय के तहत लीज प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। जहां कहीं भी राज्य क्षेत्र यूएलडीसी के निर्माण के लिए सहायता अनुदान प्राप्त होता है, ऐसे अनुदान के निवल लीज की गणना की जाती है।

लीज के ब्याज तत्व को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार शुद्ध निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर को दशनि वाले पैटर्न के आधार पर लीज अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

पट्टे पर दी गई आस्तियों से संबंधित विदेशी मुद्रा ऋणों पर रोटो एफईआरवी को लीज प्राप्तियों की राशि में समायोजित किया जाता है और पट्टे की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। घटकों से एफईआरवी वसूली (सीईआरसी मानदंडों के अनुसार) ऐसी परिशोधन राशि के निवल मान्यता प्राप्त है।

ब) प्रचालनात्मक पट्टा

एक प्रचालनात्मक पट्टा एक वित्त पट्टे के अलावा एक पट्टा है। पट्टे जिसमें जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पट्टेदार द्वारा बरकरार रखा जाता है, को परिचालन पढट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन पहट्टों के लिए, संपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और इसके आर्थिक जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है। परिचालन पढट्टे से किराये की आय को व्यवस्था की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है।

2.12 कर्मचारी हितलाभ

2.12.1 निर्धारित अंशदान योजना

निर्धारित अंशदान योजना एक नियोजन उपरांत लाभ योजना है, जिसके तहत कम्पनी अलग ईकाइयों (निधि) को निश्चित अंशदान अदा करती है और इसमें और अंशदान अदा करने के लिए कानूनी अथवा रचनात्मक बाध्यता नहीं होगी, यदि निधि में चालू एवं पूर्व अवधियों में कर्मचारी सेवा से संबंधित सभी कर्मचारी लाभों को अदा करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां नहीं रखता हो। निर्धारित अंशदान योजनाओं में अंशदान की बाध्यता को उस अवधि में जिस अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई हों, लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

कम्पनी की एक निर्धारित अंशदान पेंशन योजना है, जिसे एक अलग न्यास के जरिए नियंत्रित किया जाता है। कम्पनी की बाध्यता ट्रस्ट में ऐसी सीमा में जो मूल वेतन और महंगाई भत्ता छटा भविष्य निधि के संबंध में अंशदान, उपदान, सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) अथवा कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के 30 प्रतिशत से अधिक न हो, अंशदान करना है। वर्ष हेतु निधि में किए गए अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित होता है।

2.12.2 निर्धारित लाभ योजना

निर्धारित लाभ योजना निर्धारित अंशदान योजना से भिन्न एक नियोजनबद्ध लाभ योजना है। उपदान, सेवानिवृत्तिबाद चिकित्सा सुविधा, सेवानिवृत्ति के बाद गृहनगर में व्यवस्थापन हेतु बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्ति पर दीर्घ सेवा पुरस्कार और भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज देयता की सीमा में भविष्य निधि योजना के संबंध में कम्पनी की देयता निर्धारित लाभ योजनाओं के स्वरूप में हैं।

उपदान कम्पनी द्वारा निधिकत होता है और अलग न्यास द्वारा व्यवस्थित होता है। कम्पनी की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और पति/पत्नी को कम्पनी के पैनलीकृत अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वे कम्पनी द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन बाह्यरोगी के रूप में भी उपचार का लाभ ले सकते हैं।

कम्पनी पूर्वनिर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट भविष्य निधि में निर्धारित अंशदान अदा करती है, जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वर्ष हेतु निधि में अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी की बाध्यता ऐसे निर्धारित अंशदानों तक सीमित होती है और भारत सरकार (जीओआई) द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सदस्यों को अंशदान पर ब्याज की न्यूनतम दर को सुनिश्चित करने के लिए सीमित होती है।

कम्पनी की अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए गृहनगर में व्यवस्थापन हेतु खर्चों के संबंध में बैगेज भत्तों के भुगतान हेतु और अधिवर्षिता पर कम्पनी के सभी नियमित कर्मचारियों को दीर्घ सेवा पुरस्कार प्रदान करने के लिए योजना है। किसी अमान्य पिछली सेवा लागतों और किसी प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को कम किया जाता है। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित मुनाफे पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तारीख में, जो कम्पनी की देयताओं के अनुसार लगभग परिपक्वता तारीख होती है और जो उसी करेंसी में मूल्यवर्गित होती है, जिसमें लाभों को अदा किए जाने की उम्मीद हो।

परिकुलन को मान्य बीमांकन द्वारा प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट प्रणाली का प्रयोजन करते हुए वार्षिक रूप से पूरा किया जाता है। जब परिकुलन के परिणाम कम्पनी के हित में हों, तो मान्य परिसंपत्ति किन्हीं अमान्य पिछली सेवा लागतों और योजना के भावी अंशदानों में योजना कटौतियों से किसी भावी वापसियों के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है। आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होता है, यदि यह योजना के कार्यकाल के दौरान वसूलनीय हो अथवा प्लान देयताओं के निपटान पर वसूलनीय हो। किसी बीमांकन अभिलाभ अथवा हानि को उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, ओसीआई में मान्य किया जाता है।

जब योजना के लाभ संशोधित हों, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित संवर्धित लाभ के भाग को औसत अवधि पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर, जब तक कि लाभ निहित न हो, लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। इस सीमा में, कि लाभ तुरन्त प्राप्त हो, तो व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में तुरन्त स्वीकार किया जाता है।

2.12.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

कम्पनी के छुट्टी नकदीकरण और कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना के तहत लाभ अन्य दीर्घ अवधि कर्मचारी हितलाभ को संघटित करते हैं।

छुदटी नकदीकरण के संबंध में कम्पनी की निवल देयता भावी लाभ की राशि होती है, जिसे कर्मचारियों ने चालू अथवा पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के प्रतिफल में अर्जित की होती है; वह लाभ इसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूटप्राप्त होता है। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार मुनाफों पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तारीख में, जो परिपक्वता तारीखें होती हैं, कम्पनी की देयताओं की अवधि के लगभग होती हैं। परिकुलन को प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट प्रणाली का प्रयोग करते हुए पूरा किया जाता है। किसी भी बीमांकन अभिलाभ अथवा हानियों को उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होती हैं, लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

''पावरग्रिड कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना'' के अनुसार, जो वैकल्पिक है, कर्मचारी की मृत्यु होने पर अथवा स्थाई पूर्ण अशक्तता की स्थिति में, आश्रित(तों) अथवा कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, अंतिम भविष्य निधि और उपदान राशि को, जो ब्याजमुक्त होगी, जमा करने पर कर्मचारी की अधिवर्षिता की काल्पनिक तारीख तक कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर एक निश्चित राशि अदा की जाती है।

2.12.4 अल्पावधि लाभ

अल्प अवधि कर्मचारी हितलाभ देयताओं का मूल्यांकन अछूटप्राप्त आधार पर किया जाता है और व्यय किया जाता है, क्योंकि संबंधित सेवा उपलब्ध होती है।

देयता को निष्पादन संबंधित वेतन के तहत अदा किए जाने वाले प्रत्याशित राशि हेतु मान्य किया जाता है; यदि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि के भुगतान हेतु कोई वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक देयता कम्पनी की हो और देयता को विश्वसनीय रूप से आंकलित किया जा सकता है।

2.13 वित्तीय लिखतें

वित्तीय लिखित कोई संविदा है जो एक कम्पनी की वित्तीय परिसंपत्ति को और दूसरी कम्पनी की वित्तीय देयता अथवा इक्विटी लिखत को बढ़ाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

वर्गीकरण

कम्पनी अपने वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:

- परिशोधित लागत पर
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है:

- वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु कम्पनी के व्यावसायिक मॉडल और
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएं।

आरंभिक स्वीकरण एवं मूल्यांकन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में शुरू में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है, जिन्हें लाभ अथवा हानि, लेनदेन लागत, यदि कोई हो, के जरिए उचित मूल्य में रिकॉर्ड नहीं किया गया हो, जिन्हें वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में समझा जाता है। तथापि, ऐसे व्यापार प्राप्य, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक निहित नहीं होता है, को लेन–देन मूल्य पर मापा जाता है।

अनुवर्ती मूल्यांकन

परिशोधित लागत पर ऋण लिखतें: परिसंपत्तियों का, जिन्हें संविदात्मक नकदी प्रवाह को वसूली के लिए रखा गया हो, जहां वे नकदी प्रवाह को केवल मूल राशि एवं ब्याज के भुगतानों को दर्शाते हों, परिशोधित लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। ऋण निवेश पर अभिलाभ अथवा हानि, जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, को लाभ अथवा हानि में तब मान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति को अमान्य अथवा अनर्जक माना गया हो। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए वित्त आय में शामिल किया जाता है।

अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखतः संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने के लिए रखी गई संपत्तियां, जहां परिसंपत्तियों का नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है, को उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत (एफवीपीएल): ऐसी परिसंपत्तियां जो परिशोधन लागत या एफवीओसीआई के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। एक ऋण साधन पर ब्याज आय और शुद्ध लाभ या हानि जिसे बाद में एफवीपीएल में मापा जाता है, को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है और अन्य आय के भीतर प्रस्तुत किया जाता है जिसमें यह उत्पन्न होता है।

इक्विटी निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 ''वित्तीय लिखतें'' कार्य क्षेत्र में सभी इक्विटी लिखतों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। कम्पनी आरंभिक स्वीकरण पर लिखत–दर–लिखत आधार पर अन्य व्यापक आय में (एफवीओसीआई) उचित मूल्य पर परवर्ती बदलाव को दशनि के लिए अविकल्पी विधि का चयन कर सकती है।

एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी लिखतों के लिए लिखत में सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को, जिसमें लाभांश शामिल नहीं है, ओसीआई में मान्य किया जाता है। इसमें निवेश बिक्री पर भी राशियों का ओसीआई से लाभ अथवा हानि में पुनर्निवेश नहीं होता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ अथवा हानि को हस्तान्तरित कर सकती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का आमान्यीकरण

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब

i) परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, या

ii) (क) कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है (या) वित्तीय परिसंपत्तियों के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकारों को बरकरार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक संविदात्मक दायित्व मानता है और

(ख) 'कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है (या) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन संपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

वहन राशि और प्राप्त/प्राप्य राशि के बीच अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

व्यापार प्राप्यों के लिए कम्पनी भा. ले. मा.–109 वित्तीय लिखत द्वारा अपेक्षित सरल तरीके का प्रयोग करती है, जिसमें प्राप्यों के शुरूआती स्वीकरण से स्वीकार किए जाने वाले पूर्णकालिक क्षतियां हो सकती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं जोखिम प्रकटनों पर संभावित हानि को स्वीकार करने के लिए कम्पनी निर्धारित करती है कि क्या क्रेडिट जोखिम में शुरूआती स्वीकरण से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में विशेष रूप से वृद्धि हुई हो, तो 12 माह की संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को संभावित हानि हेतु उपलब्ध कराया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई हो, तो जीवनकालिक ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। यदि परवर्ती अवधि में लिखत की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि इसमें शुरूआती स्वीकरण से क्रेडिट में कोई विशेष वृद्धि लम्बे समय तक नहीं होती है, तब कम्पनी 12 माह के ईसीएल के आधार पर संभावित हानि छूट को वापस मान्य करती है।

वित्तीय देयताएं

कम्पनी की वित्तीय देयताएं दसरी कम्पनी को नकदी अथवा

अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्रदान करने का संविदात्मक दायित्व है अथवा ऐसी स्थितियों में दूसरी कम्पनी के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं की अदलाबदली करने का दायित्व है, जो संभवतः कम्पनी के लिए अनुकुल न हो।

कम्पनी की वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधारियां, व्यापार तथा अन्य देयताएं शामिल हैं।

वर्गीकरण, आरंभिक स्वीकरण और मूल्यांकन

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य माइनस में मान्यता दी जाती है, वित्तीय देनदारियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की जाती है, लेनदेन की लागत जो सीधे वित्तीय देनदारियों के मुद्दे के लिए जिम्मेदार होती है।

अनुवर्ती मूल्यांकन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है और फीस या लागत जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है। आय (लिनदेन लागत का शुद्ध) और मोचन राशि के बीच किसी भी अंतर को ईआईआर का उपयोग करके उधार की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। जब देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है तो लाभ और हानि के विवरण में लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया गया है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यीकरण

वित्तीय देयता को तब अमान्य किया जाता है जब देयताओं के तहत बाध्यता पूरी हो जाती है अथवा निरस्त हो जाती है अथवा समाप्त हो जाती है। जब मौजूदा देयता को पर्याप्त रूप से भिन्न शर्तों पर अथवा मौजूदा देयता की शर्तें पर्याप्त रूप से आशोधित हों, एक उधारदाता से दूसरे उधारदाता में बदला जाता है, तो ऐसे विनिमय अथवा अशोधन को मूल देयता के अस्वीकरण और नई देयता के स्वीकरण के रूप में समझा जाता है। वित्तीय देयता, जो समाप्त हो गई है अथवा दूसरे पक्ष को हस्तान्तरित हो गई है, के रखरखाव राशि और प्रदत्त प्रतिफल, जिसमें हस्तान्तरित कोई गैर–नकदी परिसंपत्तियां अथवा स्वीकृत देयताएं शामिल हैं, के बीच अन्तर को अन्य आय अथवा वित्त लागत के रूप में लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

वित्तीय लिखतों का प्रतितुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रतितुलित किया जाता है और निवल राशि का तुलनपत्र में उल्लेख किया जाता है, यदि इसमें स्वीकृत राशियों के प्रतितुलन का वर्तमान में कोई प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार हो और परिसंपत्तियों को क्रियान्वित करने के और साथ ही देयताओं को निपटाने के निवल आधार पर निपटाने की धारणा हो।

2.14 सहायक कम्पनियों में निवेश

सहायक कम्पनी, कम्पनी द्वारा नियंत्रित एक इकाई है। कंट्रोल तब अस्तित्व में होता है जब कम्पनी का इकाई पर अधिकार हो, यह अभिदर्शित हो, अथवा इकाई में अपनी अन्तर्प्रस्तता से प्रतिफलों को परिवर्तित करने का अधिकार हो और इकाई पर अपने अधिकार का प्रयोग करके उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता हो।

अधिकार को मौजूदा अधिकारों के जरिए प्रदर्शित किया जाता है जो उन संगत कार्यकलापों को निदेशित करने की क्षमता देता है, जो संस्था के प्रतिफलों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं।

सहायक कम्पनियों में निवेश लागत धटा हानि (यदि कोई है) पर किया जाता है। लागत में निवेश प्राप्ति के लिए प्रदत्त मूल्य शामिल होता है और सीधे लागत पर समझा होता है।

2.15 संयुक्त उद्यमों एवं सहायक कम्पनियों में निवेश

संयुक्त उद्यम एक प्रकार की संयुक्त व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा पक्षों को, जिनका व्यवस्था पर संयुक्त कंट्रोल होता है, संयुक्त उद्यम के निवल परिसंपत्तियों का अधिकार होता है। संयुक्त कंट्रोल व्यवस्था के कंट्रोल का संविदात्मक रूप से सम्मत हिससेदारी होती है, जो तभी अस्तित्व में होती है जब संगत कार्यकलापों के बारे में निर्णयों में नियंत्रण शेयरिंग पक्षों की एकमत सहमति आवश्यक हो।

संयुक्त उद्यमों एवं सहायक कम्पनियों में निवेश लागत पर किया जाता है। लागत में निवेश प्राप्ति हेतु प्रदत्त मूल्य शामिल होता है तथा इसे सीधे लागत पर समझा जाता है।

2.16 विदेशी मुद्रा अन्तरण

(क) कार्यात्मक एवं प्रतिनिधिक मुद्रा

कम्पनी के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित मदों का मूल्यांकन प्राथमिक आर्थिक परिवेश, जिसमें कम्पनी ऑपरेट होती है, की मुद्रा ("कार्यात्मक मुद्रा") का प्रयोग करते हुए किया जाता है। वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (रुपए अथवा रु) में पेश किया जाता है, जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं प्रदेय मुद्रा होती है।

(ख) लेनदेन एवं शेष राशियां

विदेशी मुद्रा में लेन–देनों को शुरू में लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को तुलनपत्र की तारीख को केबप्रभावी विनियमन दरों के संदर्भ में अन्तरित्त किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित गैर–मौद्रिक मदों का गैर–मौद्रिक पूर्व भुगतान परिसंपत्ति अथवा आस्थगित आय देयता की शुरूआती स्वीकरण की तारीख को अथवा वित्तीय विवरणों में संबंधित मद का स्वीकार करने की तारीख को, जो भी पहले हो, का प्रभावी दर पर उल्लेख किया जाता है।

विदेशी विनिमय लाभ एवं हानियों को (बकाया विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित ऋण से भिन्न) दूसरे लाभ/(हानि) के अन्तर्गत निवल आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

कम्पनी ने 31 मार्च, 2016 को बकाया दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयताओं के अन्तरण से उत्पन्न विनियम अंतरों संबंधी लेखाकरण हेतु अपनाई गई नीति को जारी रखने के लिए भारतीय लेखाकरण मानक 101 में उपलब्ध छूट का लाभ लिया है।

31 मार्च, 2016 को बकाया विदेशी मुद्रा ऋणः

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण, कार्यशील पूंजी से संबंधित ऐसे विदेशी मुद्रा ऋणों के निपटान/अन्तरण पर उत्पन्न विदेशी मुद्रा दर भिन्नता (एफईआरवी) को संबंधित परिसंपत्तियों के रखरखाव लागत में समायोजित किया जाता है और 1 अप्रैल 2004 से, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरपी) के मानकों के अनुसार अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (डीओसीओ), जो भी बाद में हो, वास्तविक भुगतान आधार पर लाभार्थियों से वसूलीयोग्य/देय है। सीईआरसी मानकों के अनुसार वसूलीय अथवा देय सीमा में उपरोक्त एफईआरवी को निम्नानुसार हिसाब में लिया जाता है :

i) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के रखरखाव लागत हेतु समायोजित एफईआरवी वसूलीयोग्य/देय राशि को "विदेशी मुद्रा घट–बढ़ खाते से आस्थगित आय व्यय" के तदनुरूपी क्रेडिट/डेबिट के साथ "आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति/देयता खाते" के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

ii) "विदेशी मुद्रा घट–बढ़ खाते से आस्थगित आय, व्यय" को उसी समानुपात में आशोधित किया जाता है जिसमें मूल्यह्रास को ऐसे एफईआरवी पर प्रभारित किया जाता है।

iii) वर्ष–दर–वर्ष आधार पर सीईआरसी मानकों के अनुसार वसूलनीय/देय राशि को कारोबार प्राप्यों के तदनुरुपी डेबिट/क्रेडिट के साथ "आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति/देयता खाते" में समायोजित किया जाता है।

लाभ एवं हानि विवरण में से पहले प्रभावित और टैरिफ के प्रयोजनार्थ पूंजीगत लागत में सम्मिलित एफईआरवी को "आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति/देयता खाते" के प्रति समायोजित किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित दीर्घ अवधि मौद्रिक मदों (विदेशी मुद्रा ऋण से भिन्न) के निपटान/अन्तरण से उत्पन्न एफईआरवी को संबंधित परिसंपत्तियों के रखरखाव लागत में समायोजित किया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमन के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में लाभार्थियों से वसूलनीय/देय सीमा में विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट मौद्रिक मदों (गैर चालू ऋणों से भिन्न) के निपटान/अन्तरण से निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न एफईआरवी को विनियामक आस्थगन लेखा शेष राशि के रूप में हिसाब में लिया जाता है। ऐसी राशि पर स्वीकृत पारगमन शुल्कों को उपरोक्त खाते में समायोजित किया जाता है। अन्य विनिमय अन्तरों को उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न हुए हैं, आय अथवा व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

01 अप्रैल, 2016 को अथवा इसके बाद लिया गया विदेशी मुद्रा ऋणः

ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में समझी गई सीमा में विदेशी मुद्रा उधारी से उत्पन्न विनिमय अन्तरों को उधारी लागत के रूप में समझा जाता है। अन्य विनिमय अन्तरों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वसूलनीय सीमा में विनिमय अन्तर को लाभ एवं हानि विवरण के जरिए विनियामक आस्थगन लेखा शेष के रूप में मान्य किया जाता है।

2.17 आय कर

आय कर व्यय, चालू एवं आस्थगित कर के योग को दर्शाता है। कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है, जो इस सीमा को छोड़कर है कि यह सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में स्वीकृत मदों से संबंधित हो। इस मामले में कर को सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में भी मान्य किया जाता है।

चालू आय कर

चालू आय कर उन देशों में, जहां कम्पनी कराधेय आय आपरेट करती है और उत्पन्न करती है, रिपोर्टिंग अवधि में अधिनियमित एवं अनुप्रयोज्य कर कानूनों के तहत वर्ष हेतु कराधेय लाभ पर आधारित होता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को कम्पनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के रखरखाव राशियों और कराधेय लाभ की संगणना में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधारों के बीच अस्थायी अन्तरों पर मान्य किया जाता है और तुलपन पत्र देयता विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अन्तरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के लिए इस सीमा में मान्य किया जाता है कि इसमें यह संभव हो कि आगामी कराधेय लाभ इस संबंध में उपलब्ध होंगे, जिनके संबंध में कटौती योग्य अस्थायी अन्तरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त क्रेडिटों को उपयोग में लाया जा सकता हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखरखाव लागत की प्रत्येक तुलपन पत्र तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और इस सीमा में कम किया जाता है कि संभावना कम हो कि पर्याप्त कराधेय लाभ उस संबंध में प्राप्य होंगे जिनके प्रति अस्थायी अन्तरों को उपयोग किया जा सकता हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन कर दर पर किया जाता है जिन्हें उस अवधि में लागू किया जा सकता है, जिस अवधि में देयता का कर दर के आधार पर (और कर कानून) निपटान किया जाता है अथवा परिसंपत्ति को क्रियान्वित किया जाता हो, जिसे तुलन पत्र की तारीख तक अधिनियमित किया गया हो अथवा मूल रूप में अधिनियमित किया गया हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रतितुलित किया जाता है यदि इसमें चालू कर देयताओं को समायोजित

करने का कानूनी प्रवन्ननीय अधिकार है और वे उसी कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों संबंधित हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है, जो भावी आयकर देयता के प्रति समायोजन की उपलब्धता के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभ देने की संभावना है। एमएटी को तुलन–पत्र में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति को मज़बूती से मापा जा सकता है और यह संभावना है कि संपत्ति से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ को महसूस किया जाएगा।

2.18 विनियामक आस्थगन खाता शेष

सीईआरसी विनियमनों के तहत स्वीकृत कुछेक व्यय एवं आय के, जिसे भविष्य में लाभार्थियों द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाना हो/इनको दिया जाना हो, भारतीय लेखाकरण मानक 114, ''विनियामक आस्थगन लेखा'' के प्रावधानों के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में हिसाब में लिया जाता है। ऐसे व्यय एवं आय को सीईआरसी विनियमनों के तहत टैरिफ के भाग के रूप में वसूलनीय/देय सीमा में विनियामक आस्थगन परिसंपत्ति/देयताओं के रूप में समझा जाता है।

कम्पनी निम्न के संबंध में तुलन पत्र में पृथक कार्य मदों को दर्शाती है:

क) सभी विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष राशियों के योग; और

ख) सभी विनियामक आस्थगन खाता क्रेडिट शेष राशियों के योग।

पृथक कार्य मद को सूचना अवधि हेतु सभी विनियामक आस्थगन खाता शेषों में निवल कार्य व्यापार हेतु लाभ एवं हानि विवरण के लाभ अथवा हानि भाग में दर्शाया जाता है।

विनियामक आस्थगन शेषों को उस वर्ष में समायोजित किया जाता है, जिस वर्ष में वह लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा इन्हें देय हो।

2.19 राजस्व

राजस्व का मूल्यांकन उस लेन–देन मूल्य के आधार पर किया जाता है, जिसके लिए ग्राहकों के साथ सम्पन्न संविदा में कंपनी की हकदारी प्रत्याशित है और इसमें तीसरे पक्षों की ओर से वसूली गई राशियां शामिल होती हैं। कम्पनी राजस्व को तब स्वीकार करती है जब यह उत्पाद अथवा सेवा के नियंत्रण को ग्राहक को अन्तरित्त करती है।

महत्वपूर्ण वित्तीय संघटक

जहां, ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं अथवा सेवाओं के अन्तरण एवं ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक हो, वहां कम्पनी संविदा में महत्वपूर्ण वित्तीय संघटक के प्रभावों का मूल्यांकन करती है। परिणामतः कम्पनी धनराशि के समयमान के प्रभावों हेतु लेन–देन मूल्यों में समंजन करती है।

2.19.1 प्रचालन से राजस्व

पारगमन

पारगमन आय को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। ट्रांसमिशन परियोजनाओं के मामले में जहां अंतिम टैरिफ आदेशों को अभी अधिसूचित किया जाना हो, वहां पारगमन आय को टैरिफ विनियमनों एवं सदृश मामलों में सीईआरसी के आदेशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। अन्तर, यदि कोई हो, को सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ आदेशों के प्रचालन पर हिसाब में लिया जाता है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में पारगमन आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष आधार पर उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। जैसा कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में पारेषण आय में ग्राहकों को दी गई सेवाओं के लिए प्रोद्भवन शामिल होता है, परन्तु यह बिलीकृत नहीं होता, अर्थात अबिलीकृत राजस्व।

जल्द भुगतान से लाभार्थियों को दी गयी प्रोत्साहन छूट को राजस्व राशि में काट दिया जाता है।

पारगमन सिस्टम प्रोत्साहन/विफलता को संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) द्वारा उपलब्धता के प्रमाणीकरण के आधार पर तथा सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। जहां आरपीसी का प्रमाणीकरण उपलब्ध नहीं हो, वहां, कम्पनी द्वारा उपलब्धता के अनुमान के अनुसार प्रोत्साहन/विफलता को अस्थायी आधार पर हिसाब में लिया जाता है तथा अन्तर, यदि कोई हो, को आरपीसी के प्रमाणीकरण पर हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम, (एएडी) जो ऋणों की चुकौती को सुगम बनाने के लिए ब्लॉक अवधि 2004–09 तक से संबंधित टैरिफ का मुख्य भाग है, को ट्रांसमिशन आय से कम किया गया था और आस्थगितत आय के रूप में समझा गया था, जिसे बाद के वर्षों में ट्रांसमिशन आय में शामिल किया जाना है। एएडी के संबंध में बकाया आस्थगित आय को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें परिसंपत्ति को अधिकृत किया गया था, बारह वर्ष बाद वर्ष के दौरान टैरिफ में वसूली गई मूल्यहास की सीमा में ट्रांसमिशन आय के रूप में मया जाता है, जो खातों में प्रभारित मूल्यह्रास से कम होता है।

दूरसंचार सेवाएं

दूरसंचार सेवाओं, निष्क्रिय क्रेडिट के निवल से प्राप्त आय को ग्राहकों से हुए करारों/खरीद आदेशों की शर्तों के आधार पर मान्य किया जाता है। प्रयोगकर्त्ता को अलोप्य अधिकार (आईआरयू) प्रदान करने वाली दीर्घ अवधि संविदाओं के तहत अग्रिम में प्राप्त अपफ्रंट शुल्क को संविदा अवधि में राजस्व अनुमान के आधार पर राजस्व के रूप में मान्य किया जाता है।

परामर्शी सेवाएं

'लागत–जमा–परामर्शी संविदाओं' के संबंध में, जिसमें ग्राहक की ओर से निष्पादन शामिल है, राजस्व को रिपोर्टिंग तारीख में निष्पादित कार्य के समापन के स्तर के समानुपात में मान्य किया जाता है, जिसे इनपुट विधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

अन्य परामर्शी संविदाओं से प्राप्त आय को दी गई सेवाओं की प्रगति के तकनीकी मूल्यांकन पर हिसाब में लिया जाता है।

2.19.2 अन्य आय

ब्याज आय को तब मान्य किया जाता है जब प्रभावी ब्याज दर प्रणाली (ईआईआर) का प्रयोग करते हुए बकाया एवं अनुप्रयोज्य ब्याज दर राशि को हिसाब में लेते हुए समय अनुपात आधार पर मापीयता अथवा संग्रहयता के रूप में महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद न हो।

व्यापार प्राप्यों, परिसमाप्त क्षतियों, वारन्टी दावों और आपूर्तिकर्त्ताओं को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज से वसूलनीय अधिभार को तब मान्य किया जाता है; जब मापीयता और संग्रहायता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद न हो।

स्क्रैप, जो स्टील स्क्रैप एवं कंडक्टर स्क्रैप से भिन्न हो, को तभी हिसाब में लिया जाता है जब उसे बेचा जाता है।

लाभांश आय को तब मान्य किया जाता है जब भुगतान प्राप्ति के अधिकार को स्थापित किया जाता है।

लाभ की हानि हेतु बीमा दावों को स्वीकृति वर्ष में हिसाब में लिया जाता है। अन्य बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

किरायों एवं प्रचालन पट्टों से प्राप्त राजस्व को संगत करार की सार्थकता के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर मान्य किया जाता है।

2.20 सरकारी अनुदान

केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से परियोजनाओं, पारेषण प्रणालियों की बेहतरी तथा विशिष्ट मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में प्राप्त सहायता अनुदानों को शुरू में आस्थगित आय के रूप में समझा जाता है जब इसमें उचित आश्वासन किया गया हो कि उन्हें प्राप्त किया जाएगा और कम्पनी अनुदान से जुड़े शर्तों का पालन करेगी। आस्थगित आय को और संबंधित परिसंपत्ति के उपयोगी कार्य अवधि पर उसी समानुपात में, जिसमें इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्ास उपलब्ध हुआ है, लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुदान, जो उपगत व्ययों के संबंध में कम्पनी की क्षतिपूर्ति करता है, को उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिनमें संबंधित लागतें उपगत हुई हों और संबंधित व्यय में से कम किया जाता है।

2.21 लाभांश

शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्य किया जाता है जिसमें लाभांश को शेयरधारकों द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अदा किए गए किसी अन्तरिम लाभांश को निदेशक–मण्डल की मंजूरी पर मान्य किया जाता है। देय लाभांश, लाभांश वितरण पर तदनुरूपी कर को सीधे इक्विटी में मान्य किया जाता है।

2.22 प्रावधान और आकस्मिकताएं

क) प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब कम्पनी के पास पिछले कार्य के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता (कानूनी अथवा रचनात्मक) हो, इसमें संभावना होती है कि आर्थिक लाभों को अंतःस्थापित करते हुए संसाधनों का बर्हिगमन बाध्यता के निपटान हेतु आवश्यक होगा और बाध्यता की राशि को तैयार किया जा सकेगा। यदि राशि के समयमान का प्रभाव महत्वपूर्ण हो, तो प्रावधानों में छूट दी जाती है। छूट में कमी को वित्त लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और वर्तमान उत्कृष्ट अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) आकस्मिकताएं

आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र तारीख पर इनकी पुनरीक्षा की जाती है और चालू प्रबंधन अनुमान को लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं को तब प्रकट किया जाता है जब पिछले कार्यों से उत्पन्न कोई संभावित बाध्यता हो, जिसकी मौजूदगी को केवल एक अथवा अधिक अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति अथवा गैर उपस्थिति से निर्धारित किया जाएगा, न कि कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण में अथवा वर्तमान बाध्यता में, जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है, जहां दोनों में से यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बर्हिगमन निपटान हेतु आवश्यक होगा या फिर राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकेगा। आकस्मिक देयता संबंधी जानकारी को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां संभावित संपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ की आमद संभावित होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरणों में विकास उचित रूप से परिलक्षित होता है, इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है।

2.23 शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी

साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वर्धनात्मक लागतों को, जो सीधे नये शेयरों के निर्गम पर लागू होते हैं, प्राप्तियों से कर के निवल कटौती के रूप में इक्विटी में दर्शाया जाता है।

स्व–बीमा प्रारक्षित निधि को सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पट्टा प्राप्य के रूप में समझी गई सहित) के सकल ब्लॉक पर 0.12ः प्रतिवर्ष की दर पर सृजित किया जाता है, जो अबीमाकृत जोखिमों से अगामी हानियों को कम करने के लिए चालू वर्ष के लाभ के विनियोजन द्वारा वर्ष की समाप्ति

पर बीमा के अन्तर्गत आने वाले परिसंपत्तियों को छोड़कर और ए सी सब स्टेशन के टावरों एवं उपकरण को सुदृढ़ बनाने सहित टॉवरों एवं अन्य ट्रांसमिशन लाईन सामग्रियों के प्रापण द्वारा भविष्य में आकस्मिकताओं पर ध्यान देने के लिए किया जाता है। उपरोक्तानुसार सृजित प्राराक्षित निधि को ''अन्य इक्विटी'' के अन्तर्गत ''स्व बीमा प्रारक्षित निधि'' के रूप में दर्शाया जाता है।

2.24 पूर्व अवधि मुद्दे

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को दर्शाए गए पूर्व अवधि संबंधी तुलनात्मक राशियों का पुनः उल्लेख करते हुए जिसमें त्रुटि उत्पन्न हुई है, पूर्वप्रभावी प्रभाव से ठीक किया जाता है अथवा यदि त्रुटि, प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक अवधि से पहले उत्पन्न हो गई हो, तो वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण का पुनः उल्लेख करके ठीक किया जाता है।

2.25 प्रचालन खण्ड

निदेशक–मण्डल, भारतीय लेखाकरण मानक–108 ''प्रचालन खण्ड'' के संदर्भ में कम्पनी का ''मुख्य प्रचालन निर्णायक'' अथवा ''सीओडीएम''' होता है। सीओडीएम संसाधन निर्धारण एवं निष्पादन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ अलग से अपने व्यावसायिक खण्डों के प्रचालन परिणामों को मॉनीटर करता है। खण्ड निष्पादन का मूल्यांकन लाभ अथवा हानि के आधार पर किया जाता है और सुसंगत रूप में वित्तीय विवरणों में लाभ अथवा हानि में मूल्यांकित किया जाता है।

प्रचालन खण्डों की पहचान उत्पादों/सेवाओं के स्वरूप के आधार पर की गई है।

- खण्ड राजस्व में अन्तर–खण्ड लेन–देनों सहित्त खण्ड में सीधे अभिज्ञेय/निर्धार्य बिक्रियां और अन्य आय शामिल हैं।
- व्यय, जो सीधे खण्डों में अभिज्ञेय/निधार्य हों, को खण्ड परिणाम के निर्धारण हेतु समझा जाता है। व्यय, जो पूर्णतः कम्पनी से संबंधित हो और खण्डों को आबंटन योग्य न हो, को अनिधार्य व्यय में शामिल किया जाता है।
- आय, जो पूर्णतः कम्पनी से संबंधित हो और खण्डों हेतु निधार्य नहीं हो, को अनिार्य आय में शामिल किया जाता है।
- खण्ड परिसंपत्तियों एवं देयताओं में वे परिसंपत्तियां एवं देयताएं शामिल हैं, जो संबंधित खण्डों में सीधे अभिज्ञेय हों। अनिर्धार्य आस्थतियां एवं देयताएं उन परिसंपत्तियों एवं देयताओं को दर्शातती करती हैं जो पूर्णतः कम्पनी से संबंधित हों और किसी खण्ड हेतु निधार्य नहीं हों।
- खण्ड पूंजी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अवधि के दौरान उपगत कुल लागत है।

2.26 प्रतिशेयर आय

प्रतिशेयर मूल आय को वर्ष हेतु शेयर धारकों को प्राप्य निवल लाभ अथवा हानि का प्रयोग करते हुए और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों के भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है।

प्रतिशियर कम की गई आय को वर्ष हेतु शेयरधारकों को देय निवल लाभ तथा वर्ष के दौरान इक्विटी एवं संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है, सिवाय उनके, जिनके जहां परिणाम न्यूनीकृत रोधी होंगे।

अतिरिक्त रूप से, मूल एवं तनुकृत प्रतिशेयर अर्जनों को अर्जन राशियों का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है, जिसमें विनियामक आस्थगन लेखा शेष में घट–बढ़ शामिल नहीं हैं।

2.27 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण को भारतीय लेखाकरण मानक 7 ''नकदी प्रवाह विवरण'' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

2.28 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह) और बंद परिचालन

गैर–वर्तमान संपत्ति और निपटान समूहों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस शर्त को तभी पूरा माना जाता है जब संपत्ति (या निपटान समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूह) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों को उनकी अग्रणीत राशि और बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य से कम पर मापा जाता है और तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य पर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) के किसी प्रारंभिक या बाद के अवलेखन के लिए क्षति हानि की पहचान की जाती है। किसी परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की लागत घटाकर उचित मूल्य में किसी बाद की वृद्धि के लिए लाभ की पहचान की जाती है, लेकिन पहले से मान्यता प्राप्त किसी संचयी हानि हानि से अधिक नहीं। एक गैर–वर्तमान संपत्ति (या निपटान समूह) की बिक्री की तारीख से पहले मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले लाभ या हानि को मान्यता रद्द करने की तारीख पर मान्यता प्राप्त है।

कोई बंद प्रचालन, कंपनी का एक घटक है जिसमें प्रचालन और नकदी प्रवाह शामिल होते हैं, जिन्हें बाकी कंपनी से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है, जिसे या तो निपटाया गया है, या बिक्री के लिए वर्गीकृत किया गया है, और

- व्यापार या प्रचालन के भौगोलिक क्षेत्र की एक अलग प्रमुख रेखा का प्रतिनिधित्व करता है;

- व्यापार की एक अलग प्रमुख लाइन या प्रचालन के भौगोलिक क्षेत्र को निपटाने के लिए एकुल समन्वित योजना का हिस्सा है; या
- पुनर्विक्रय की दृष्टि से विशेष रूप से अधिग्रहित सहायक कंपनी है।

बंद किए गए प्रचालन को जारी प्रचालन के परिणामों से बाहर रखा गया है और लाभ और हानि के विवरण में बंद किए गए प्रचालन से कर के बाद लाभ या हानि के रूप में एकुल राशि के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

3. महत्त्वपूर्ण अनुमान एवं मूल्यांकन

वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु लेखाकरण अनुमानों का प्रयोग आवश्यक है, जो वास्तविक परिणामों से खासतौर पर भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन को भी कम्पनी के लेखाकरण नीतियों को लागू करते समय मूल्यांकन को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।

यह टिप्पणी उन क्षेत्रों के अवलोकन की व्यवस्था प्रदान करता है जिनमें उच्च स्तर का मूल्यांकन अथवा जटिलता और वे मुद्दे शामिल है जिनकी अनुमानों और पूर्वानुमानों के कारण विशेष रूप से समायोजित किए जाने की अधिक संभावना है, जिनका मूल रूप से निर्धारित उन अनुमानों एवं पूर्वानुमानों से भिन्न होना प्रतीत होता है।

महत्वपूर्ण अनुमानों अथवा पूर्वानुमानों वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं:

राजस्व स्वीकरण:

पारेषण आय को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पारेषण परियोजनाओं के मामले में, जहां, अंतिम टैरिफ आदेशों को अभी अधिसूचित किया जाना हो, वहां पारेषण आय को टैरिफ विनियमनों और सदृश मामलों में सीईआरसी के अन्य आदेशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। अन्तर, यदि काई हो, को सीईआरसी द्वारा अंतिम आदेशों के प्रचालन पर ही हिसाब में लिया जाता है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में पारेषण आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष आधार पर उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

विनियामक आस्थगन शेष:

विनियामक आस्थगन शेष राशियों के स्वीकरण में महत्वपूर्ण मूल्यांकन शामिल है, जिनमें आगामी टैरिफ विनियमनों के बारे में मूल्यांकन शामिल हैं, क्योंकि ये भविष्य में टैरिफ के माध्यम से वसूलनीय/देय हेतु संभावित राशियों के अनुमान पर आधारित होते हैं।

निर्धारित लाभ बाध्यता का अनुमान

निर्धारित लाभ बाध्यता के अनुमान में कूछेक महत्त्वपूर्ण वास्तविक पूर्वानुमान शामिल हैं, जो टिप्पणी 63 में सूचीबद्ध हैं।

अनुमानों और मूल्यांकनों का आवधिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। वे एतिहासिक अनुभव एवं अन्य कारकों पर आधारित होते हैं, जिनमें, आगामी घटनाओं की प्रत्याशाएं शामिल हैं, जिनका कम्पनी पर वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है और उन्हें परिस्थितियों में उचित होना माना जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयोगी कार्य अवधि

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि कई कारकों पर आधारित होती है; जिसमें अपक्षय का प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा एवं अन्य आर्थिक कारण (जैसे कि उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकीय अग्रिम) और परिसंपत्ति से प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रखरखाव व्यय के स्तर शामिल हैं।

कम्पनी पारेषण कार्य परिसंपत्तियों से भिन्न उपयोगी संयंत्र एवं उपकरण की जो सीईआरसी विनियमों द्वारा अधिशासित हैं और पूर्वप्रभावी प्रभाव से, यदि उपयुक्त हो, समायोजित किया जाता है, प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में पुनरीक्षा की जाती है।

प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं के स्वीकरण में किए गए मूल्यांकन भारतीय लेखाकरण मानक 37 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां'' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा संभावित हानि के प्रकटन की संभाव्यता के संबंध में बेहतर मूल्यांकन अपेक्षित है। यदि अप्रत्याशित विकास के बाद परिस्थितियों बदल सकती हैं, तो यह संभावना बदल सकती है।

बिक्री के लिए धारित गई संपत्तियां:

भारतीय ले.मा. 105– ''बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान संपत्ति और बंद प्रचालन' के तहत बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के लेखांकन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। प्रयोज्यता का आकुलन करने में, प्रबंधन ने तत्काल बिक्री के लिए संपत्ति की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय का प्रयोग किया है, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्ध ता और एक वर्ष के भीतर बिक्री की संभावना का निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से जारी रखने के बजाय मुख्य रूप से वसूल की जाएगी।

आय कर:

अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान, वसूली की अपेक्षित राशि सहित वर्तमान और आस्थगित कर के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।

टिप्पणी 4 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित मूल्यह्रास					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
भूमि												
पूर्ण स्वामित्व	2,288.56	39.54	-	(4.59)	2,332.69	-	-	-	-	-	2,332.69	2,288.56
भवन												
क) सब–स्टेशन एवं कार्यालय	2,884.44	131.23	-	(2.43)	3,018.10	388.05	108.36	-	(1.55)	497.96	2,520.14	2,496.39
ख) नगर	771.95	81.08	-	-	853.03	173.01	34.61	-	-	207.62	645.41	598.94
अस्थायी निर्माण	1.19	0.62	-	-	1.81	1.19	0.62	-	-	1.81	-	-
सड़क एवं पुल	314.18	8.23	-	-	322.41	57.14	12.53	-	-	69.67	252.74	257.04
जल आपूर्ति जल निकासी एवं मल निकासी व्यवस्था	177.25	20.14	-	-	197.39	32.60	7.03	-	-	39.63	157.76	144.65
संयंत्र एवं उपकरण												
क) ट्रांसमिशन	145,171.90	1,297.51	10.98	(1,019.15)	147,477.58	42,803.26	7,593.94	4.24	(0.87)	50,393.83	97,083.75	102,368.64
ख) सब स्टेशन	90,408.28	2,508.17	116.60	(370.45)	93,170.30	24,161.95	5,042.47	91.03	(3.98)	29,117.37	64,052.93	66,246.33
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	1,689.99	197.14	-	8.46	1,878.67	465.01	105.29	-	(0.22)	570.52	1,308.15	1,224.98
घ) दूरसंचार	1,508.62	107.65	-	(5.70)	1,621.97	709.12	113.64	-	0.16	822.60	799.37	799.50
फर्नीचर फिक्सचर्स	190.91	15.61	2.46	0.05	204.01	61.82	28.99	1.06	0.05	89.70	114.31	129.09
वाहन	4.77	1.07	0.41	-	5.43	1.48	0.67	0.09	-	2.06	3.37	3.29
कार्यालय उपकरण	291.20	42.26	2.46	(0.59)	331.59	88.58	111.10	0.91	(0.16)	198.93	132.66	202.62
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एवं वर्ड प्रोसेसिंग मशीन	225.72	19.97	8.25	-	237.44	157.64	47.54	6.77	-	198.41	39.03	68.08
निर्माण और कर्मशाला के उपकरण	616.36	8.72	1.43	(0.29)	623.94	137.17	32.77	0.65	(0.08)	169.37	454.57	479.19
वैद्युत प्रतिष्ठापन	165.97	14.62	-	(0.32)	180.91	48.37	11.45	-	0.03	59.79	121.12	117.60
प्रयोगशाला उपकरण	91.53	1.20	0.01	0.26	92.46	27.04	4.01	0.01	0.04	31.00	61.46	64.49
कर्मशाला एवं परीक्षण के उपकरण	351.22	27.00	0.05	(1.49)	379.66	75.43	21.92	0.01	(0.26)	97.60	282.06	275.79
विविध परिसंपत्तियां/उपकरण	0.23	0.48	-	-	0.71	0.03	0.02	-	-	0.05	0.66	0.20
उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति												
क) आरओयू परिसंपत्ति – पट्टे पर धारित भूमि	495.64	15.80	0.10	-	511.34	88.54	17.26	0.01	-	105.79	405.55	407.10
ख) आरओयू परिसंपत्ति – भवन	13.14	2.45	1.89	-	13.70	8.44	2.38	1.87	-	8.95	4.75	4.70
ग) आरओयू परिसंपत्ति – वाह न	-	6.03	-	-	6.03	-	0.30	-	-	0.30	5.73	-
घ) आरओयू परिसंपत्ति – संयंत्र एवं मशीनरी – दूरसंचार	0.22	23.33	-	-	23.55	0.03	0.37	-	-	0.40	23.15	0.19
कुल	**247,663.27**	**4,569.85**	**144.64**	**(1,396.24)**	**253,484.72**	**69,485.90**	**13,297.27**	**106.65**	**(6.84)**	**82,683.36**	**170,801.36**	**178,177.37**
घटाएं – हटाई गई परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	1.74	-	-	1.74	-	-	-	-	-	-	-	1.74
कुल योग	**247,661.53**	**4,569.85**	**144.64**	**(1,397.98)**	**253,484.72**	**69,485.90**	**13,297.27**	**106.65**	**(6.84)**	**82,683.36**	**170,801.36**	**178,175.63**

टिप्पणी 4 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित मूल्यह्रास					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
भूमि												
पूर्ण स्वामित्व	2,264.49	26.38	-	2.31	2,288.56	-	-	-	-	-	2,288.56	2,264.49
भवन												
क) सब–स्टेशन एवं कार्यालय	2,281.00	571.95	-	(31.49)	2,884.44	287.25	96.71	-	(4.09)	388.05	2,496.39	1,993.75
ख) नगर	687.43	85.65	0.04	1.09	771.95	143.48	29.29	0.03	(0.27)	173.01	598.94	543.95
अस्थायी निर्माण	1.19	-	-	-	1.19	1.17	0.02	-	-	1.19	-	0.02
सड़क एवं पुल	263.37	51.48	-	0.67	314.18	44.84	12.30	-	-	57.14	257.04	218.53
जल आपूर्ति जल निकासी एवं मल निकासी व्यवस्था	120.56	56.68	-	(0.01)	177.25	26.43	6.17	-	-	32.60	144.65	94.13
संयंत्र एवं उपकरण												
क) ट्रांसमिशन	139,031.50	5,801.97	51.32	(389.75)	145,171.90	35,335.12	7,494.27	19.31	6.82	42,803.26	102,368.64	103,696.38
ख) सब स्टेशन	82,424.51	7,872.58	22.61	(133.80)	90,408.28	19,378.21	4,796.76	8.09	4.93	24,161.95	66,246.33	63,046.30
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	1,448.59	238.89	-	(2.51)	1,689.99	366.58	98.31	-	(0.12)	465.01	1,224.98	1,082.01
घ) दूरसंचार	1,305.38	204.15	-	0.91	1,508.62	595.89	113.80	-	0.57	709.12	799.50	709.49
फर्नीचर फिक्सचर्स	159.75	30.61	1.06	(1.61)	190.91	48.86	12.73	0.19	(0.42)	61.82	129.09	110.89
वाहन	3.04	1.78	0.05	-	4.77	1.27	0.25	0.04	-	1.48	3.29	1.77
कार्यालय उपकरण	246.51	46.92	1.97	0.26	291.20	71.15	18.14	0.75	(0.04)	88.58	202.62	175.36
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एवं वर्ड प्रोसेसिंग मशीन	243.57	17.83	35.61	0.07	225.72	138.51	51.72	32.54	0.05	157.64	68.08	105.06
निर्माण और कर्मशाला के उपकरण	599.54	18.54	1.46	0.26	616.36	104.33	33.32	0.30	0.18	137.17	479.19	495.21
वैद्युत प्रतिष्ठापन	154.57	10.65	0.01	(0.76)	165.97	39.54	8.79	-	(0.04)	48.37	117.60	115.03
प्रयोगशाला उपकरण	87.85	3.73	0.01	0.04	91.53	22.44	4.60	-	-	27.04	64.49	65.41
कर्मशाला एवं परीक्षण के उपकरण	325.90	27.31	0.21	1.78	351.22	57.28	18.09	0.07	(0.13)	75.43	275.79	268.62
विविध परिसंपत्तियां/उपकरण	0.46	0.23	-	0.46	0.23	0.08	0.02	-	0.07	0.03	0.20	0.38
उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति												
क) आरओयू परिसंपत्ति – पट्टे पर धारित भूमि	469.66	25.18	-	(0.80)	495.64	70.41	18.13	-	-	88.54	407.10	399.25
ख) आरओयू परिसंपत्ति – भवन	13.54	1.00	1.15	0.25	13.14	5.98	3.73	1.03	0.24	8.44	4.70	7.56
ग) आरओयू परिसंपत्ति – वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) आरओयू परिसंपत्ति – संयंत्र एवं मशीनरी – दूरसंचार	0.27	0.01	0.06	-	0.22	0.06	0.03	0.06	-	0.03	0.19	0.21
कुल	**232,132.68**	**15,093.52**	**115.56**	**(552.63)**	**247,663.27**	**56,738.88**	**12,817.18**	**62.41**	**7.75**	**69,485.90**	**178,177.37**	**175,393.80**
घटाएं – हटाई गई परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	1.74	-	-	-	1.74	-	-	-	-	-	1.74	1.74
कुल योग	**232,130.94**	**15,093.52**	**115.56**	**(552.63)**	**247,661.53**	**56,738.88**	**12,817.18**	**62.41**	**7.75**	**69,485.90**	**178,175.63**	**175,392.06**

टिप्पणी 4 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

अतिरिक्त टिप्पणी

क) कम्पनी के पास 7,577 हेक्टेयर भूमि है (पूर्ववर्ती वर्ष 7,393 हेक्टेयर) जो रू 2844.03 करोड़ की है (पूर्ववर्ती वर्ष रू 2,784.20 करोड़) जिसे 6,434 हेक्टेयर भूमि के पूर्ण स्वामित्व में वर्गीकृत किया गया है (पूर्ववर्ती वर्ष 6,268 हेक्टेयर), जो रू 2,332.69 करोड़ की है (पूर्ववर्ती वर्ष 2,288.56 करोड़) और पट्टायुक्त भूमि 1,143 हेक्टेयर है (पूर्ववर्ती वर्ष 1,125 हेक्टेयर), जो रू 511.34 करोड़ की है (पूर्ववर्ती वर्ष रू 495.64 करोड़), जो उपलब्ध प्रलेखन पर आधारित है।

ख) कम्पनी द्वारा अर्जित पूर्ण स्वामित्व की भूमि में रू 198.93 हेक्टेयर (पूर्ववर्ती वर्ष रू 32.27 हेक्टेयर) शामिल है, जिसकी राशि की रू 48.01करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रू 9.13 करोड़) है। जिसके संबंध में कंपनी के पक्ष में हस्तान्तरण विलेख लंबित है।

ग) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित पारेषण प्रणाली को कम्पनी द्वारा 1 अप्रैल, 993 से नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचपीसी) से कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तथा आपसी रूप से सहमत शर्तों पर अपने अधिकार में लिया है।

घ) पट्टाधारी भूमि, जिसमें 17.22 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है (पूर्ववर्ती वर्ष 16.31 हेक्टेयर), जो रू 113.49 करोड़ की है (पूर्ववर्ती वर्ष रू 107.52 करोड़), जो कम्पनी द्वारा स्थायी पट्टा आधार पर ग्रहण की गयी थी अतः परिशोधित नहीं की गयी।

च) 5.63 हेक्टेयर भूमि (पूर्ववर्ती वर्ष 5.63 हेक्टेयर), जिसका मूल्य रू 0.04 करोड़ है (पूर्ववर्ती वर्ष रू 0.04 करोड़), जिसे स्वामित्व प्रदान किए बगैर प्रयोगाधिकार पर नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब्रोटरी प्रा. लि. को हस्तान्तरित किया गया है।

छ) भा.ले.मा. 116–''पट्टे' के अनुसार उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति पर प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी नं 50 देखें।

ज) कंपनी द्वारा सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की जानकारी के लिए टिप्पणी संख्या 23 देखें।

झ) अचल परिसंपत्तियों, जहां शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं, के विवरण के लिए टिप्पणी न? 64 (क) देखें।

टिप्पणी 5 कार्यशील पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन	पट्टा प्राप्य में स्थानांतरित किया गया	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2022 को
भूमि						
भूमि का विकास	-	-	-	-	-	**-**
भवन						
क) सब–स्टेशन एवं कार्यालय	72.05	86.08	5.19	-	99.51	**53.43**
ख) नगर	75.35	53.81	7.55	-	56.05	**65.56**
अस्थायी निर्माण	-	0.29	-	-	0.29	**-**
सड़क एवं पुल	12.30	3.96	12.00	-	4.10	**0.16**
जल आपूर्ति निकासी एवं मल व्यवस्था	0.98	4.98	(1.29)	-	4.53	**2.72**
संयंत्र एवं उपकरण (संबद्ध सिविल कार्यों सहित)						
क) ट्रांसमिशन	1,616.44	1,311.74	-	124.45	1,023.24	**1,780.49**
ख) सब–स्टेशन	2,766.65	1,342.03	-	25.11	2,127.49	**1,956.08**
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	251.38	178.87	(3.35)	33.82	171.44	**228.34**
घ) दूरसंचार	61.34	86.22	-	-	94.01	**53.55**
फर्नीचर एवं फिक्सचर	-	0.03	-	-	0.03	**-**
अन्य कार्यालय उपकरण	1.02	0.03	-	-	0.03	**1.02**
वैद्युत प्रतिष्ठापन	2.62	9.99	0.01	-	10.71	**1.89**
निर्माण सामग्री (निवल प्रावधान)	1,251.27	3,422.14	2,233.97	-	-	**2,439.44**
आबंटन होने तक व्यय						
I) सर्वे, जांच, परामर्श सेवा एवं पर्यवेक्षण व्यय	3.43	1.10	-	-	2.83	**1.70**
II) विदेशी मुद्रा ऋणों संबंधी विनिमय में अन्तर	12.00	2.45	-	-	-	**14.45**
III) निर्माण अवधि के दौरान व्यय (निवल) (टिप्पणी 43)	1,219.89	416.49	73.02	32.98	461.08	**1,069.30**
	7,346.72	**6,920.21**	**2,327.10**	**216.36**	**4,055.34**	**7,668.13**
घटाएं : अप्रयोज्य परिसंपत्तियों संबंधी प्रावधान	2.26	-	2.26	-	-	-
कुल योग	**7,344.46**	**6,920.21**	**2,324.84**	**216.36**	**4,055.34**	**7,668.13**

टिप्पणी 5 कार्यशील पूंजी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन	पट्टा प्राप्य में स्थानांतरित किया गया	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2022 को
भूमि						
भूमि का विकास	0.18	-	0.18	-	-	**-**
भवन						
क) सब–स्टेशन एवं कार्यालय	75.00	478.78	-	-	481.73	**72.05**
ख) नगर	158.84	37.69	32.14	-	89.04	**75.35**
सड़क एवं पुल	28.86	0.48	14.50	-	2.54	**12.30**
जल आपूर्ति निकासी एवं मल व्यवस्था	4.12	0.74	1.02	-	2.86	**0.98**
संयंत्र एवं उपकरण (संबद्ध सिविल कार्यों सहित)						
क) ट्रांसमिशन	4,969.59	1,333.89	-	-	4,687.04	**1,616.44**
ख) सब–स्टेशन	7,503.24	2,508.90	-	-	7,245.49	**2,766.65**
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	254.86	218.80	-	44.48	177.80	**251.38**
घ) दूरसंचार	130.07	166.73	60.26	-	175.20	**61.34**
फर्नीचर एवं फिक्सचर	-	0.54	-	-	0.54	**-**
अन्य कार्यालय उपकरण	0.20	2.99	-	-	2.17	**1.02**
इलैक्ट्रिकल संस्थापन	2.64	0.62	0.12	-	0.52	**2.62**
निर्माण सामान (निवल प्राप्रावधान)	2,448.34	346.39	1,543.46	-	-	**1,251.27**
आबंटन होने तक व्यय						
I) सर्वे, जांच, परामर्श सेवा एवं पर्यवेक्षण व्यय	2.63	1.11	0.23	-	0.08	**3.43**
II) विदेशी मुद्रा ऋणों संबंधी विनिमय में अन्तर	36.46	34.50	-	-	58.96	**12.00**
III) निर्माण अवधि के दौरान व्यय (निवल) (टिप्पणी 43)	2,283.90	752.37	19.64	8.04	1,788.70	**1,219.89**
	17,898.93	**5,884.53**	**1,671.55**	**52.52**	**14,712.67**	**7,346.72**
घटाएं : अप्रयोज्य परिसंपत्तियों संबंधी प्रावधान	2.26	-	-	-	**-**	**2.26**
कुल योग	**17,896.67**	**5,884.53**	**1,671.55**	**52.52**	**14,712.67**	**7,344.46**

टिप्पणी 5 कार्यशील पूंजी (जारी)

(निर्माण सामग्री के ब्यौरे) (लागत पर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
निर्माण सामान		
टॉवर	**209.81**	177.71
कंडक्टर	**527.97**	309.88
अन्य लाइन सामग्रियां	**162.89**	94.69
सब स्टेशन उपकरण	**1,133.50**	330.99
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) उपकरण	**18.38**	151.16
एकीकृत्त लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**200.86**	103.47
दूरसंचार सामग्री	**176.87**	60.12
अन्य	**9.16**	23.25
योग	**2,439.44**	**1,251.27**
निर्माण सामान में शामिल है :		
i) मार्गस्थ सामग्री		
टॉवर	**39.04**	-
कंडक्टर	**61.76**	-
अन्य लाइन सामग्रियां	**39.16**	-
सब – स्टेशन उपकरण	**129.87**	20.49
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) उपकरण	**0.27**	-
एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**1.84**	0.44
दूरसंचार सामग्री	**90.66**	-
अन्य	**-**	**-**
योग	**362.60**	**20.93**
ii) ठेकेदार के पास सामग्री		
टॉवर	**170.77**	177.71
कंडक्टर	**466.21**	309.88
अन्य लाइन सामग्रियां	**123.73**	94.69
सब–स्टेशन उपकरण	**1,003.63**	310.50
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) उपकरण	**18.11**	151.16
एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**199.02**	103.03
दूरसंचार सामग्री	**86.21**	60.12
अन्य	**9.16**	**23.25**
योग	**2,076.84**	**1,230.34**
कुल योग	**2,439.44**	**1,251.27**

अतिरिक्त टिप्पणी:

1. अधिकृत लाइनों के संबंध में रू 9.73 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रू 1.30 करोड़) की राशि की सामग्री ठेकेदारों के पास लेखासमाधान हेतु लंबित है। तथापि, लेखा समाधान सतत आधार पर किया जाता है।
2. प्रगति में पूंजीगत कार्य के लम्बित होने की जानकारी के लिये (सीडब्ल्यूआईपी) संदर्भ टिप्पणी न. 64(ख) में देखें। ऐसी परियोजनाएँ जिनका पूरा होना अतिदेय है या मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है। सीडब्ल्यूआईपी समापन कार्यक्रम के लिए टिप्पणी संख्या 64(ग) देखें।

टिप्पणी 6 निवेश सम्पत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2023को	31 मार्च, 2022 को
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 202 को	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्ध न	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02
भवन	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-		-	-	0.01
योग	**0.03**	**-**	**-**	**0.03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.03**

अतिरिक्त टिप्पणी:

संपत्ति का उपयोग अब कंपनी के प्रशासनिक/व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और किराये या पूंजी वृद्धि के लिए नहीं रखा गया है। चूंकि भा.ले.मा. 40 ''निवेश संपत्ति' के अनुसार संपत्ति के उपयोग में परिवर्तन होता है, संपत्ति को पिछले वर्ष के दौरान निवेश संपत्ति से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरित करके मालिक के कब्जे वाली संपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

टिप्पणी 7 अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	79.47	8.86	0.02	-	88.31	68.90	7.50	0.02	-	76.38	11.93	10.57
मार्गाधिकार – वनरोपण व्यय	2,138.04	38.07	-	-	2,176.11	624.48	112.00	-	-	736.48	1,439.63	1,513.56
दूरसंचार लाइसेंस	2.80	-	-	-	2.80	0.69	0.14	-	-	0.83	1.97	2.11
1200 केवी टीएस का विकास	71.86	-	-	-	71.86	41.97	7.23	-	-	49.20	22.66	29.89
योग	**2,292.17**	**46.93**	**0.02**	**-**	**2,339.08**	**736.04**	**126.87**	**0.02**	**-**	**862.89**	**1,476.19**	**1,556.13**

* आंतरिक रूप से तैयार की गई अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2022 को	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	68.01	6.37	-	(5.09)	79.47	57.43	6.38	-	(5.09)	68.90	10.57	10.58
मार्गाधिकार – वनरोपण व्यय	2,010.71	117.73	-	(9.60)	2,138.04	509.24	109.19	-	(6.05)	624.48	1,513.56	1,501.47
दूरसंचार लाइसेंस	2.80	-	-	-	2.80	0.55	0.14	-	-	0.69	2.11	2.25
1200 केवी टीएस का विकास	71.86	-	-	-	71.86	34.72	7.25	-	-	41.97	29.89	37.14
योग	**2,153.38**	**124.10**	**-**	**(14.69)**	**2,292.17**	**601.94**	**122.96**	**-**	**(11.14)**	**736.04**	**1,556.13**	**1,551.44**

* आंतरिक रूप से तैयार की गई अमूर्त परिसंपत्तियां

टिप्पणी 8 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2022	परिवर्धन	समायोजन	पट्टा प्राप्य में स्थानांतरित किया गया	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2023 को
मार्गाधिकार – वनरोपण व्यय	31.53	29.46	-	-	29.91	**31.08**
योग	**31.53**	**29.46**	**-**	**-**	**29.91**	**31.08**

(₹ in crore)

विवरण	1 अप्रैल, 2021	परिवर्धन	समायोजन	पट्टा प्राप्य में स्थानांतरित किया गया	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2023 को
मार्गाधिकार – वनरोपण व्यय	74.86	26.09	-	-	69.42	31.53
योग	**74.86**	**26.09**	**-**	**-**	**69.42**	**31.53**

अतिरिक्त टिप्पणियाँ:

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की उम्र बढ़ने के लिए टिप्पणी संख्या 64 (घ) देखें और उन परियोजनाओं के लिए विकास पूर्णता अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति के लिए संख्या 64 (ङ) देखें जिनकी पूर्णता अतिदेय है या मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक है।

टिप्पणी 9 निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
इक्विटी लिखतों में निवेश (पूर्ण प्रदत्त)		
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		
उद्धृत		
पीटीसी इंडिया लिमिटेड		
रू10 प्रत्येक के 12000006 (पिछला वर्ष 12000006) इक्विटी शेयर	102.06	98.69
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (पीजी इनविट) की इकाइयों में निवेश		
136500100 (पिछले वर्ष 136500100) इकाइयाँ (निर्गम मूल्य रू 100 प्रत्येक)	1,672.40	1,827.74
लागत पर निवेश (पूर्ण प्रदत्त)		
गैर उद्धृत		
i) सहायक कंपनियाँ		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक 490950000 (पिछले वर्ष 488950000) के इक्विटी शेयर	490.95	488.95
पावर ग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष 50000) इक्विटी शेयर (नीचे अतिरिक्त टिप्पणी 4 देखें)	0.05	0.05
घटाएं: निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	0.05	0.05
	–	–
पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 12961067 (पिछला वर्ष 12961067) इक्विटी शेयर	12.96	12.96
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 709004000 (पिछले वर्ष 709004000) इक्विटी शेयर	709.00	709.00
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 647000000 (पिछले वर्ष 638000000) इक्विटी शेयर	647.00	638.00
पावर ग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 233200000 (पिछले वर्ष 233200000) इक्विटी शेयर	233.20	233.20
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 187560000 (पिछले वर्ष 186000000) इक्विटी शेयर	187.56	186.00
पावर ग्रिड जवाहरपुर फ़िरोज़ाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 89600000 (पिछले वर्ष 89600000) इक्विटी शेयर	89.60	89.60

टिप्पणी 9 निवेश (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पावर ग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 198250000 (पिछला वर्ष 198250000) प्रत्येक रू 10 के इक्विटी शेयर	198.25	198.25
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 111950000 (पिछले वर्ष 90150000) प्रत्येक रू 10 के इक्विटी शेयर	111.95	90.15
पावर ग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 115000000 (पिछले वर्ष 115000000) इक्विटी शेयर	115.00	115.00
पावर ग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 141000000 (पिछले वर्ष 141000000) इक्विटी शेयर	141.00	141.00
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 232000000 (पिछले वर्ष 180000000) इक्विटी शेयर	232.00	180.00
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 1421000000 (पिछले वर्ष 109000000) इक्विटी शेयर	142.10	109.00
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 195130000 (पिछले वर्ष 129710000) इक्विटी शेयर	195.13	129.71
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष 50000) इक्विटी शेयर	0.05	0.05
पावरग्रिड रामगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 25000000 (पिछले वर्ष 1100000) इक्विटी शेयर	25.00	1.10
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 300000000 (पिछले वर्ष 300000000) इक्विटी शेयर	432.50	432.50
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 100000000 (पिछले वर्ष 22210000) इक्विटी शेयर	100.00	22.21
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 80000000 (पिछले वर्ष 47350000) इक्विटी शेयर	80.00	47.35
पावर ग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 32210000 (पिछले वर्ष 20310000) इक्विटी शेयर	32.21	20.31
पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 77950000 (पिछले वर्ष 62350000) इक्विटी शेयर	77.95	62.35
पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 9000000 (पिछले वर्ष 9000000) इक्विटी शेयर	9.00	9.00
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 10000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.01	-
पावर ग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 10000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.01	-
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 10000000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	10.00	-
पावर ग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.05	-
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.05	-
खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.05	-
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.05	-
खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.05	-
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.05	-

टिप्पणी 9 निवेश (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 10000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.01	-
धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 10000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.01	-
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.05	-
भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 10000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.01	-
खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.05	-
	4,272.86	**3,915.69**
ii) संयुक्त उद्यम कंपनियाँ		
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 23400000 (पिछले वर्ष 23400000) इक्विटी शेयर	23.40	23.40
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 70937620 (पिछले वर्ष 70937620) इक्विटी शेयर	70.94	70.94
तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 120120000 (पिछले वर्ष 120120000) इक्विटी शेयर	120.12	120.12
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 229320000 (पिछले वर्ष 229320000) इक्विटी शेयर	229.32	229.32
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 106964000 (पिछले वर्ष 106964000) इक्विटी शेयर	106.96	106.96
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 304000000 (पिछले वर्ष 304000000) इक्विटी शेयर	30.40	30.40
घटाएं: निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (नीचे नोट 6 देखें)	30.40	-
	-	**30.40**
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 12612473 (पिछला वर्ष 12612473) इक्विटी शेयर	12.62	12.62
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 334127260 (पिछले वर्ष 322535036) इक्विटी शेयर	334.13	322.54
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड नेपीली रू100 प्रत्येक के 1170000 (पिछले वर्ष 1170000) इक्विटी शेयर	6.50	6.50
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 4000000 (पिछले वर्ष 4000000) इक्विटी शेयर	4.00	4.00
घटाएं: निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (नीचे टिप्पणी 3 देखें)	4.00	4.00
	-	**-**
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 463610000 (पिछले वर्ष 463610000) इक्विटी शेयर (नीचे टिप्पणी 5 देखें)	463.61	463.61
बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 25000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.03	-
	1,367.63	**1,386.41**
iii) अन्य		
"भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (रू10/–) रू10 प्रत्येक का 1 (पिछले वर्ष 1) शेयर"	-	-
कुल	**7,414.95**	**7,228.53**
अतिरिक्त टिप्पणी:		
1) क) उद्धृत निवेश की संचित राशि		

टिप्पणी 9 निवेश (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
लागत पर	1,367.04	1,377.00
बाजार मूल्य	1,774.46	1,926.43
ख) अनुद्धृत निवेश की संचित राशि	5,640.49	5,302.10
ग) निवेश के मूल्य में हानि की संचित राशि	34.45	4.05

2) निवेशों का मूल्यांकन लेखाकरण नीति 2.13, 2.14 एवं 2.15 के अनुसार किया गया है।

3) पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने 01.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल) को बंद करने और अन्य जेवी पार्टनर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहमति लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 08.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में आरपीटीपीएल की कार्यवाही को बंद करने और आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए इस्पात मंत्रालय से दिनांक 11.07.2022 को अनुमोदन प्राप्त हुआ था। तथापि, इसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी, क्योंकि साइट सक्षमकारी कार्यों के संविदाकार ने दिनांक 17.12.2022 को मध्यस्थता का आह्वान करते हुए नोटिस सुपुर्द किया। सुलहकर्ता की नियुक्ति की गई है और सुलह की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4) पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड के लिए टिप्पणी संख्या 11 पर टिप्पणी देखें।

5) कंपनी ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) में पिछले वर्ष के दौरान रु 407.49 करोड़ का निवेश किया है, जिससे उसकी हिस्सेदारी 5.71 प्रतिशत से बढ़कर 33.33 प्रतिशत हो गई है। ईईएसएल को संयुक्त उद्यम माना गया है। 01.09.2021 के रूप में संयुक्त नियंत्रण को अनुबंध दिनांक 01.09.2021 के माध्यम से बहाल कर दिया गया है।

6) क्षतिग्रस्तता भत्ते के मिलान के लिए टिप्पणी संख्या 61(पअ) देखें।

टिप्पणी: 10 ऋण

(शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
संबंधित पक्षों को ऋण'		
सहायक कंपनियों को ऋण – अप्रतिभूत	16,450.85	13,863.33
संयुक्त उद्यमों को ऋण– अप्रतिभूत		
शोध्य समझे गए	-	17.48
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	15.02	-
	15.02	**17.48**
घटाएं: हानि भत्ता''	15.02	-
	-	**17.48**
निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को ऋण		
प्रतिभूतरु	-	-
अप्रतिभूत	-	0.03
	16,450.85	**13,880.84**
कर्मचारियों को ऋण (उद्भूत ब्याज सहित)		
प्रतिभूतरु	404.22	352.86
अप्रतिभूत	42.22	36.08
	446.44	**388.94**
योग	**16,897.29**	**14,269.78**

अतिरिक्त टिप्पणी :

* संबंधित पक्षों को ऋण के ब्यौरे टिप्पणी 55 पर उपलब्ध हैं।

** क्षति के लिए भत्ते के समाधान हेतु टिप्पणी 61(vi) देखें।

निदेशकों, एमपी तथा कर्मचारियों को गृह–निर्माण ऋण एवं वाहन अग्रिम गृह सम्पत्तियों के बंधक अथवा वाहनों के दृष्टि बंधक के संबंध में प्रतिभूत होते हैं जिसके लिए ऐसे ऋण कम्पनी के नीतियों के अनुपालन में दिए गए हैं।

टिप्पणी 10क व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
व्यापार प्राप्य – अप्रतिभूत		
शोध्य समझे गए	695.57	-
कुल	**695.57**	**-**

अतिरिक्त टिप्पणी:

विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 को विद्युत मंत्रालय द्वारा 03 जून 2022 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें प्रावधान है कि वितरण लाइसेंसधारियों के विकल्प पर, उक्त अधिसूचना की तिथि तक विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएससी) सहित बकाया देय राशि उक्त नियमों में निर्धारित तरीके से अधिकतम 48 माह की अवधि तक पुनर्निर्धारित की जाएगी और उन बकाया देय राशियों पर कोई एलपीएससी नहीं लिया जाएगा। उपरोक्त के अनुसरण में, कुछ वितरण लाइसेंसधारियों ने सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी के साथ अपनी बकाया देय राशि के पुनर्निर्धारण का विकल्प चुना है। लागू भारतीय लेखाकरण मानकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी के बकाया हिस्से को व्यापार प्राप्य (गैर–चालू/चालू) के तहत उनके उचित मूल्य पर प्रस्तुत किया गया है। परिणामस्वरूप, रू153.83 करोड़ की उचित मूल्य अंतर राशि को अन्य व्यय (टिप्पणी संख्या 40 देखें) के रूप में लिया गया है और रू 77.73 करोड़ की राशि को अन्य आय (टिप्पणी संख्या 36 देखें) के रूप में लिया गया है।

व्यापार प्राप्तियों की एजेईंग इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

विवरण		बिल नहीं भेजा गया	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023 तक									
शोध्य समझे गए	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	695.57	-	-	-	-	-	695.57
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल		**-**	**695.57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**695.57**
31.03.2022 तक									
शोध्य समझे गए	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी 11 अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

(शोध्य समझे गए अप्रतिभूत, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टा प्राप्य	642.98	590.94
12 माह से अधिक की समय अवधि वाली बैंक जमा राशियांरु	39.56	66.02
भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से चालू बाण्डों के लिए वसूलनीयरुरु	3,487.50	3,487.50
संबंधित पार्टी को अग्रिम (सहयोगी व अन्य)'		
शोध्य समझे गए''	19.43	19.42
	19.43	**19.42**
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान''	19.43	19.42
	-	-
योग	**4,170.04**	**4,144.46**

Note 11: Other Non-current Financial Assets (Contd.)

अतिरिक्त टिप्पणियां:

\# परामर्शी कार्य हेतु नामोदिष्ट खाते के संबंध में बैंक में जमा राशि।

\## वित्त वर्ष 2018–19 में, कम्पनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के पत्र सं. 7/1/2018–का.ज्ञा. दिनांक 21 जनवरी, 2019 के अनुसार पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्रोदभूत देयताओं को पूरा करने के लिए पावर सिस्टम डेवलमेंट फण्ड (पीएसडीएफ) की भारत सरकार की योजना हेतु अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) बढ़ाने के लिए रू 3487.50 करोड़ की राशि के लिए ''भारत सरकार के पूर्ण प्रचलित बाण्ड'' जारी किए। ऐसे बाण्डों पर मूल की चुकौती एवं ब्याज भुगतान को भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। बाण्ड निर्गम की आय में से रू 3487.50 करोड़ की राशि को सहायता अनुदान के रूप में स्वीकार किया गया है।

* संबंधित पक्षों को अग्रिमों का विवरण टिप्पणी 55 में दिया गया है।

** सीईआरसी ने याचिका संख्या 127/2012 में आदेश दिनांक 06/04/2015 में निर्देश दिया था कि वेमागिरी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (वीटीएसएल) के लिए कंपनी द्वारा किए गए अधिग्रहण मूल्य का 80: दीर्घावधि ट्रांसमिशन ग्राहकों (एलटीटीसी) द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी और अधिग्रहण की तारीख से कंपनी के परिसमापन तक वीटीएसएल द्वारा किए गए व्यय के साथ शेष 20 प्रतिशत कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। इसके बाद, कंपनी द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर, सीईआरसी ने दिनांक 20/10/2016 के आदेश के माध्यम से कहा कि अधिग्रहण मूल्य का 20 प्रतिशत भुगतान करने के लिए कंपनी की देयता की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त कारण हैं और तदनुसार, निर्देश दिया कि इस मुद्दे को विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीई) में इस मुद्दे पर एलटीटीसी द्वारा दायर अपीलों के निपटान के बाद मामले में समग्र दृष्टिकोण लेते हुए नए सिरे से निर्णय लिया।

एपीटीईएल में दायर अपीलों में अंतिम सुनवाई 02.03.2020 को हुई थी और माननीय एपीटीईएल ने सभी पक्षों को लिखित निवेदन दायर करने का निर्देश दिया था और फैसला प्रतिभूत रख लिया। हालाँकि, मार्च 20–मई 20 के दौरान कोविड महामारी के कारण, मामले को 24.08.2020 को फिर से सूचीबद्ध और सुना गया और माननीय एपीटीईएल ने सभी पक्षों को ईमेल के माध्यम से संक्षिप्त व्यापक लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का निर्देश दिया और निर्णय प्रतिभूत रख लिया। तद्नुसार, एपीटीईएल में संक्षिप्त व्यापक लिखित निवेदन दाखिल किए गए थे।

चूंकि एपीटीईएल के माननीय सदस्यों में से एक निर्णय की घोषणा से पहले दिसंबर 2020 के दौरान सेवानिवृत्त हो गए, इसलिए मामले की पुनः सुनवाई की आवश्यकता हो सकती है। उपरोक्त मामले में दायर एक प्रारंभिक सुनवाई आवेदन को एपीटीईएल आदेश दिनांक 05.07.2021 के तहत अनुमति दी गई थी, लेकिन एपीटीईएल में अध्यक्ष की रिक्ति के कारण मामले पर सुनवाई नहीं की जा सकी। एपीटीईएल में नए अध्यक्ष की नियुक्ति 02.12.2022 को की गई थी, तब से यह मामला कई तारीखों पर सूचीबद्ध किया गया था, किंतु समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। माननीय न्यायाधिकरण ने दिनांक 24.02.2023 को मामले की सुनवाई की। मामला दिनांक 21.04.2023 को/बाद में कई अवसरों पर सूचीबद्ध किया गया था, किंतु समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई की तारीख अभी अधिसूचित नहीं की गई है।

टिप्पणी 12 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(अप्रतिभूत शोध्य समझी गई जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पूंजी व्यय हेतु अग्रिम		
अप्रतिभूत		
क. बैंक गारण्टियों के संबंध में	311.54	158.14
ख. अन्य	66.99	124.80
संदिग्ध समझे गए अप्रतिभूत	1.19	1.19
	379.72	**284.13**
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान	1.19	1.19
	378.53	**282.94**
पूंजी व्यय से भिन्न अग्रिम		
प्रतिभूति जमा	17.03	24.86
आस्थगित कर्मचारी लागत	44.32	36.62
आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति	4,427.75	4,268.56
वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम अथवा मूल्य में प्राप्त किए जाने हेतु अग्रिम कर्मचारी		
कर्मचारी	-	0.01
सीमाशुल्क पत्तन न्यास एवं अन्य प्राधिकरणों में शेष कर एवं कर#	10.53	11.01

टिप्पणी 12 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
स्रोत पर काटे गए अग्रिम	-	139.97
अन्य कर	0.66	0.73
अन्य*		
शोध्य समझे गए	33.35	33.03
संदिग्ध समझे गए	0.37	0.37
	33.72	**33.40**
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान	0.37	0.37
	33.35	**33.03**
	44.54	**184.75**
योग	**4,912.17**	**4,797.73**

अतिरिक्त टिप्पणी:

निवल चालू कर देयताएं – टिप्पणी 33

** अन्य में ग्राहकों एवं राज्य सरकारों से वसूलनीय राशि, बीमा दावे, आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 13 माल-सूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(मूल्यांकन विधि के लिए टिप्पणी 2.10 को देखें)		
संघटक, पुर्जे एवं अन्य अतिरिक्त पुर्जे	1,294.19	1,320.97
खुले औजार	26.98	26.94
खपतयोग्य सामान	9.44	11.56
	1,330.61	**1,359.47**
घटांए : कमी/क्षतियों आदि हेतु प्रावधान	7.06	6.87
योग	**1,323.55**	**1,352.60**

टिप्पणी 14 व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
व्यापार प्राप्य अप्रतिभूत		
शोध्य समझे गए	12,328.57	8,793.03
अशोध्य समझे गए	294.00	300.73
	12,622.57	**9,093.76**
संबंधित पक्षों से प्राप्तियोग्य अप्रतिभूत		
शोध्य समझा गया	52.95	43.78
	12,675.52	**9,137.54**
घटाएं : हानि भत्ता	294.00	300.73
योग	**12,381.52**	**8,836.81**

अतिरिक्त टिप्पणी:

क) संदर्भ टिप्पणी न. 46 आईएनडी एएस 445 के अनुसार प्रकटीकरण के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व और टिप्पणी नं 55. संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्तियों के विवरण के लिए।

ख) व्यापार प्राप्तियों में 8,088.77 करोड़ (पिछले वर्ष 4,446.93 करोड़) की राशि के पारेषण खंड से संबंधित बिना बिल प्राप्तियां शामिल हैं,

टिप्पणी 14 व्यापार प्राप्य (जारी)

जिसमें से मार्च महीने के लिए पिछले तिमाहियों के बकाया बिलों सहित, वित्तीय वर्ष की राशि 6,634.84 करोड़ (पिछले वर्ष 2,941.38 करोड़) शामिल हैं। लाभार्थियों को बाद के वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने में बिल किया गया। व्यापार प्राप्य में डीआईसी को अंतरित की जाने वाली गैर–टैरिफ आय रू 2.44 करोड़ (पिछले वर्ष रू 35.25 करोड़) शामिल है, जिसे अबिलीकृत प्राप्य के सापेक्ष घटाया गया है क्योंकि इसे निवल आधार पर बिलीकृत किया जाएगा।

ग) कंपनी, बैंकों और लाभार्थियों के बीच व्यवस्था के आधार पर, लाभार्थियों के बिलों में छूट दी गई है। तद्नुसार, व्यापार प्राप्य राशि को 1,922.61 करोड़ (पिछले वर्ष 4,180.23 करोड़) की छूट वाले निवल बिलों का प्रकटीकरण किया गया है। विवरण के लिए टिप्पणी नं 58 देखें।

घ) व्यापार प्राप्तियों की एजेईंग इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

विवरण		बिल नहीं भेजा गया	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023 तक									
शोध्य समझे गए	विवादित	-	7.77	147.95	70.41	11.29	81.71	161.71	480.84
	अविवादित	8,160.21	2,755.54	633.10	254.07	69.54	19.44	8.78	11,900.68
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	विवादित	-	-	-	-	-	-	273.78	273.78
	अविवादित	-	-	-	0.40	6.09	0.25	13.48	20.22
कुल		**8,160.21**	**2,763.31**	**781.05**	**324.88**	**86.92**	**101.40**	**457.75**	**12,675.52**
31.03.2022 तक									
शोध्य समझे गए	विवादित	-	118.99	564.30	108.41	119.26	66.55	78.60	1,056.11
	अविवादित	4,487.41	1,495.18	856.53	498.42	399.37	25.69	18.10	7,780.70
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	विवादित	-	-	-	-	-	0.58	277.76	278.34
	अविवादित	-	-	0.56	0.56	0.88	1.60	18.79	22.39
कुल		**4,487.41**	**1,614.17**	**1,421.39**	**607.39**	**519.51**	**94.42**	**393.25**	**9,137.54**

ङ) शून्य करोड़ (पिछले वर्ष 799.33 करोड़) की विवादित व्यापार प्राप्तियां सीईआरसी शेयरिंग विनियमों के अनुसार आईएसटीएस पूल से संबंधित नामित आईएसटीएस ग्राहक (डीआईसी) के लिए जिम्मेदार आईएसटीएस शुल्क के विवादित अनुपात से संबंधित हैं। विवाद के निपटारे पर, इन प्राप्तियों को या तो संबंधित डीआईसीएस से प्राप्त किया जाएगा या साझा विनियमों के अनुसार अन्य डीआईसीएस में पुनरू विभाजित किया जाएगा।

टिप्पणी 15 नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बैंकों में शेष		
– चालू खातों में	1,343.47	594.58
–– नामोदिष्ट खाते में (परामर्शी ग्राहकों एवं अन्य हेतु)	240.30	151.41
मियादी जमाओं में (8 माह से कम की परिपक्वता वाले)' हस्तगत ड्राफ्ट / चैक / मार्गस्थ प्रेषित राशियां	2,562.47	1,711.46
अन्य (स्टाम्प एवं पेशगी)	-	0.02
योग	**4,146.24**	**2,457.47**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* मियादी जमा में परामर्शी ग्राहकों एवं अन्यों के लिए रू 808.24 करोड़ (पूर्ववर्ती रू 1,190.34 करोड़)

टिप्पणी 16 नकदी एवं नकदी समतुल्य से भिन्न, बैंक में शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बैंक में निर्दिष्ट शेष*	29.91	28.64
मियादी जमा में, जिनमें 3 माह से अधिक परन्तु 12 माह तक की परिपक्वता हो (परामर्शी एवं अन्य सेवाओं के लिए) उपार्जित ब्याज सहित	558.29	484.93
योग	**588.20**	**513.57**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

* बैंक में निर्दिष्ट शेष में अप्रदत्त लाभांश शामिल है।

टिप्पणी 17 ऋण (शोध्य समझे गए जब तक अन्य उल्लेख न किया गया हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
संबंधित पक्षों को ऋण* उपार्जित ब्याज सहित		
सहायक कंपनियों को ऋण – अप्रतिभूत	348.07	229.68
संयुक्त उद्यमियों को ऋण – अप्रतिभूत		
शोध्य समझे गए	-	4.26
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	6.72	-
	6.72	**4.26**
घटाएं: हानि भत्ता**	6.72	-
	-	**4.26**
निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) को ऋण		
प्रतिभूतरु	0.01	-
अप्रतिभूत शोध्य समझा गया	0.08	0.08
	348.16	**234.02**
कर्मचारियों को ऋण (उपार्जित ब्याजसहित)		
प्रतिभूत#	60.63	53.22
अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया	46.31	41.03
	106.94	**94.25**
योग	**455.10**	**328.27**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* संबंधित पक्षों को ऋणों के ब्यौरे टिप्पणी सं. 55 में उपलब्ध हैं।

** क्षतिग्रस्तता के लिए भत्ते के समाधान हेतु टिप्पणी 61(vi) देखें।

निदेशकों, एमपी एवं कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण एवं वाहन अग्रिम गृह सम्पत्ति को बंधक रखने अथवा वाहनों के दृष्टिबंधन के संबंध में प्रतिभूत होते हैं, जिसके लिए ऐसे ऋण कम्पनी की नीतियों के अनुपालन में दिए जाते हैं।

टिप्पणी 18 अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

(अप्रतिभूत शोध्य समझी गई जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
पट्टे से प्राप्त योग्य राशियां	76.72	52.06
अनुबन्ध परिसंपत्तियां #	812.39	5,588.82
भारत सरकार द्वारा पूर्णरूप से चालू बाण्डों के लिए वसूलनीय (उद्भूत) ब्याज सहित)	36.22	36.22
संबंधित पक्षों को अग्रिम/प्राप्त योग्य राशियां ##	1,138.76	275.56
अन्य ###		
शोध्य समझा गया	507.23	443.12
संदिग्ध समझा गया	7.94	-
योग	**515.17**	**443.12**
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	7.94	-
	507.23	**443.12**
योग	**2,571.32**	**6,395.78**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

अनुबंध संपत्ति में संबंधित पक्षों से रु 0.16 करोड़ (पिछले वर्ष रु 0.15 करोड़) शामिल हैं (टिप्पणी 55 देखें)। इंड–एएस 46 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' के अनुसार प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 46 देखें।

संबंधित पक्षों के अग्रिमों के ब्यौरे टिप्पणी 55 में उपलब्ध हैं।

अन्य, में शामिल हैं :–

(क) हक अन्तरण हेतु कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने तक तुगलगाबाद और द्वारका सब स्टेशन में 2427 हेक्टेयर भूमि के अन्तरण के संबंध में मै. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड से वसूलनीय रू 59.88 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रू 2.427) की राशि।

(ख) ग्राहकों से वसूलनीय राशि, आवासीय एवं कार्यालय आवास हेतु अग्रिम किराया पीफ न्यास एवं उपदान न्यास को अग्रिम, अन्य अग्रिम आदि।

टिप्पणी 19 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(अप्रतिभूत शोध्य समझी गई, जब तक अन्यथा उल्लेखित हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पूंजी व्यय से भिन्न अग्रिम		
वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिमों अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए		
ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	9.95	5.20
कर्मचारी	9.11	8.25
सीमाशुल्क पत्तन न्यास एवं अन्य प्राधिकरणों के पास शेष	28.49	32.31
वसूलीयोग्य दावे	18.83	15.24
	66.38	**61.00**
अन्य'		
शोध्य समझे गए	149.85	149.99
संदिग्ध समझे गए	0.01	0.55
	149.86	**150.54**
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.01	0.55
	149.85	**149.99**
योग	**216.23**	**210.99**

अतिरिक्त टिप्पणी :

* अन्य में सीएसआर कार्यकलापों हेतु दिए गए अग्रिम एवं पूर्वप्रदत्त व्यय तथा इनपुट कर क्रेडिट शामिल हैं, जीएसटी आदि।

टिप्पणी 19क बिक्री के लिये धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	चालू	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू
इक्विटी लिखत में निवेश (पूर्णतः संदत्त)				
सहयोगी कंपनियां				
पावरग्रिड कालाअंब ट्रांसमिशन लिमिटेड रू 10 प्रत्येक के 15860000 (पूर्ववर्ती वर्ष 15860000) इक्विटी शेयर	15.86	-	15.86	-
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड रू 10 प्रत्येक के 58996600 (पूर्ववर्ती वर्ष 58996600) इक्विटी शेयर	59.00	-	-	59.00
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड रू 10 प्रत्येक के 102258000 (पूर्ववर्ती वर्ष 102258000) इक्विटी शेयर	102.26	-	-	102.26
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड रू 10 प्रत्येक के 83746000 (पूर्ववर्ती वर्ष 83746000) इक्विटी शेयर	83.74	-	-	83.74
कुल	**260.86**	**-**	**15.86**	**245.00**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों में से पांच (05) का मुद्रीकरण किया है, अर्थात् पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीवीटीएल), पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीकेएटीएल), पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीजेटीएल), पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड शीउब्ल्यटीएल) और पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीपीटीएल) पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (पीजीआईएनवीआईटी/ट्रस्ट) के माध्यम से। पीजीआईएनवीआईटी को सेबी (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) रेगुलेशन, 2044 (आईएनवीआईटी रेगुलेशन) के तहत सेबी द्वारा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण संख्या के तहत पंजीकृत किया गया है। आई, आईएनवीआईटी/20–2/006 दिनांक 07 जनवरी 2021। कंपनी पीजीआईएनवीआईटी की प्रायोजक है और पीजीआईएनवीआईटी के प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्य करती है। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड ट्रस्टी है और पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीयूटीएल), कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को पीजीआईएनवीआईटी में निवेश प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए प्रस्ताव दस्तावेज 22 अप्रैल 2021 को सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ पीजीआईएनवीआईटी द्वारा दायर किया गया था और इकाइयां 4 मई 202 को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हुईं। उपरोक्त पांच एसपीवी में 74. प्रतिशत शेयर मई में पीजीआईएनवीआईटी में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, 202 और पीवीटीएल के शेष 26 प्रतिशत शेयरों को मार्च 2022 में स्थानांतरित कर दिया गया है। शेष 26 प्रतिशत एसपीएल यानी पीकेएटीएल, पीजेटीएल, पीडब्लूटीएल और पीपीटीएल को ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट (टीएसए) के अनुरूप स्थानांतरित किया जाएगा और इसे बिक्री के लिए धारित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी 20 विनियामक आस्थगन लेखा शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसंपत्तियां		
आस्थगित कर देयता हेतु आस्थगित परिसंपत्तियां'	7,880.80	8,654.71
विदेशी मुद्रा घट–बढ़	2,398.86	1,182.57
कर्मचारी हितलाभ व्यय हेतु	4.10	135.76
योग	**10,283.76**	**9,973.04**

अतिरिक्त टिप्पणी:

विनायमक आस्थगन लेखा शेष पर विस्तृत प्रकटन हेतु टिप्पणी सं. 51 देखें।

टिप्पणी 21 इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
इक्विटी शेयर पूंजी		
अनधिकृत		
रू 10/–प्रत्येक के सम मूल्य पर 10,00,00,00,000 (पूर्ववर्ती वर्ष 10,00,00,00,000) इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
रू 10/–प्रत्येक सम मूल्य पर पूर्ण रूप से प्रदत्त 6,97,54,52,864 (पूर्ववर्ती वर्ष 5,23,5,89,648) इक्विटी शेयर	6,975.45	6,975.45

अतिरिक्त टिप्पणी:

1) सूचना अवधि के शुरू में और अन्त में बकाया शेयर पूंजी की संख्या एवं राशि का मिलान।

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की सं	राशि (रू करोड़ में)	शेयरों की सं.	राशि (रू करोड़ में)
वर्ष के शुरू में बकाया शेयर	6975452864	6,975.45	5231589648	5,231.59
वर्ष के दौरान परिवर्धन*	-	-	1743863216	1,743.86
वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**6975452864**	**6,975.45**	**6975452864**	**6,975.45**

* पिछले वर्ष के दौरान कम्पनी ने रू10/– प्रति शेयर अंकित मूल्य से 30 जुलाई 2021 को प्रतिभूति प्रीमियम का इस्तेमाल करते हुए 74,38,63,26 इक्विटी शेयर पूर्ण रूप से प्रदत्त बोनस शेयर के रूप में रू 10/– प्रति शेयर के एक इक्विटी शेयर को तीन इक्विटी शेयर के अनुपात में जारी किये।

2. कम्पनी के पास केवल एक प्रकार का इक्विटी शेयर है, जिनका रू 10/– प्रति शेयर अंकित मूल्य है।

3. इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर यथा–घोषित लाभांशों को प्राप्त करने के लिए हकदार हैं और शेयरधारकों को बैठक में अपने शेयरधारण के अनुपात में मत देने का अधिकार है।

4. शेयरधारक, जिसके पास कम्पनी के 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर हैं।

विवरण	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022		% Change
	शेयरों की सं.	धारित%	शेयरों की सं.	धारित%	
भारत सरकार	3581163210	51.34	3581163210	51.34	-
भारतीय जीवन बीमा निगम	144218603	2.07	415775810	5.96	(3.89)

टिप्पणी 22 अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष		
प्रतिभूति प्रीमियम	7,834.43	7,834.43
बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि	4,168.17	5,532.80
स्व–बीमा प्रारक्षित निधि	1,047.96	853.09
सामान्य प्रारक्षित निधि	58,457.37	50,352.82
प्रतिधारित आय	3,977.97	4,110.89
अन्य प्रारक्षित निधियां		
अन्य व्यापक आय प्रारक्षित निधि	371.61	492.09
योग	**75,857.51**	**69,176.12**

टिप्पणी 22 अन्य इक्विटी (जारी)

22.1 प्रतिभूति प्रीमियम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के शुरू में शेष	7,834.43	9,578.29
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	1,743.86
वर्ष के अंत में शेष	**7,834.43**	**7,834.43**

शेयरों के निर्गम पर प्रीमियम को प्रतिभूति प्रीमियम में दर्ज किया गया है और इसका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान पूर्ण संदत्त बोनस शेयर जारी करने के लिए किया गया है।

22.2 बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

Particulars	As at 31 March 2023	As at 31 March 2022
वर्ष के शुरू में शेष	5,532.80	7,387.97
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	1,364.63	1,855.17
वर्ष के अंत में शेष	**4,168.17**	**5,532.80**

शेयरों के निर्गम पर प्रीमियम को प्रतिभूति प्रीमियम में दर्ज किया गया है और इसका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान पूर्ण संदत्त बोनस शेयर जारी करने के लिए किया गया है।

22.3 स्व–बीमा प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

Particulars	As at 31 March 2023	As at 31 March 2022
वर्ष के शुरू में शेष	853.09	722.99
वर्ष के दौरान परिवर्धन	299.42	291.14
वर्ष के दौरान कटौती	104.55	161.04
वर्ष के अंत में शेष	**1,047.96**	**853.09**

बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि का सृजन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार ऋण पत्रों के शोधन के प्रयोजनार्थ किया जाता है। कंपनी (शेयर पूजी और डिबेन्चर) नियम 2014 के अन्तर्गत 16.08.2019 से सूचीबद्ध कंपनी को बोनस शोधन प्रारक्षित निधी सृजन की आवश्यकता नहीं बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि का सृजन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार ऋण पत्रों के शोधन के प्रयोजनार्थ किया जाता है।

22.4 सामान्य प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

Particulars	As at 31 March 2023	As at 31 March 2022
वर्ष के शुरू में शेष	50,352.82	43,191.78
वर्ष के दौरान परिवर्धन	8,104.55	7,161.04
वर्ष के दौरान कटौती	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**58,457.37**	**50,352.82**

सामान्य प्रारक्षित निधि कम्पनी की प्रतिधारित आय है, जिसको कम्पनी के लाभों से अलग रखा जाता है। यह एक स्वतंत्र प्रारक्षित निधि है, जिसे किसी अज्ञात आगामी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए तथा शेयरधारकों का लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

22.5 प्रतिधारित आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के शुरू में शेष	4,110.89	3,399.08
जोड़े : परिवर्धन		
अवधि हेतु निवल लाभ	15,333.02	17,093.76
अधिशेष में सीधे स्वीकृत अन्य व्यापक आय की मदें		

टिप्पणी 22 अन्य इक्विटी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
– नियोजन उपरांत लाभ बाध्यताओं का पुर्नमूल्यांकन	17.22	(134.02)
बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि से हस्तान्तरण	1,364.63	1,855.17
घटाएं : विनियोजन		
सामान्य प्रारक्षित निधि	8,000.00	7,000.00
स्व–बीमा प्रारक्षित निधि	299.42	291.14
संदत्त अंतरिम लाभांश (टिप्पणी 59(ख) देखें)	6,975.45	8,719.32
अंतिम लाभांश (टिप्पणी 59(ख) को देखें)	1,569.48	2,092.64
अन्य समायोजन	3.44	-
वर्ष के अंत में शेष	**3,977.97**	**4,110.89**

22.6 अन्य व्यापक आय प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के शुरू में शेष	492.09	67.14
वर्ष के दौरान परिवर्धन / कटौती	(120.48)	424.95
वर्ष के अंत में शेष	**371.61**	**492.09**

अन्य व्यापक आय प्रारक्षित निधि को दूसरे व्यापक आय के जरिए उचित रूप में मूल्यांकित वर्गीकृत इक्विटी लिखतों में गैर–चालू निवेशों के मूल्यांकन में वृद्धि/कमी से सृजित किया जाता है (एफवीओसीआई)।

टिप्पणी 23 : उधारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		जैसा पर 31 मार्च 2023	जैसा पर 31 मार्च 2022
ए) बॉण्ड			
ए1) सुरक्षित (करयोग्य, प्रतिदेय, गैर–संचयी, असंपरिवर्तनीय)			
ए1.1 i)	प्रत्येक 10 लाख रुपये के बॉण्ड		
	LV निर्गम–7.55% दिनांक 21.09.2031 को सममूल्य पर प्रतिदेय	1,289.07	1,289.06
	LX निर्गम–7.20% दिनांक 09.08.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	3,201.72	3,201.69
	LIX निर्गम–7.30% दिनांक 19.06.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	3,245.47	3,245.45
	XXXIX निर्गम–9.40% दिनांक 29.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	1,801.34	1,801.34
	LVIII निर्गम–7.89% दिनांक 09.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	2,070.09	2,070.09
	XXXVIII निर्गम–9.25% दिनांक 09.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	859.93	859.93
	LVI निर्गम–7.36% दिनांक 18.10.2026 को सममूल्य पर प्रतिदेय	1,100.32	1,100.30
	LXII निर्गम–8.36% दिनांक 07.01.2025 से 5 (पांच) समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय	2,038.34	2,038.31
	XLII निर्गम–8.80% दिनांक 13.03.2023 को सममूल्य पर प्रतिदेय	-	1,999.08
ii)	प्रत्येक रू30 लाख के बॉण्ड में प्रत्येक रू10 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 15.07.2021, 15.07.2026 और 15.07.2031 को 3 (तीन) समान किस्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LIV निर्गम–7.97% दिनांक 15.07.2021 से प्रतिदेय	2,113.43	2,113.41
iii)	प्रत्येक रू30 लाख के बॉण्ड में प्रत्येक रू10 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 23.12.2020, 23.12.2025 और 23.12.2030 को 3 (तीन) समान किस्तों में भुनाया जा सकता है।		

टिप्पणी 23 : उधारियां (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण		जैसा पर 31 मार्च 2023	जैसा पर 31 मार्च 2022
	LII निर्गम–8.32% दिनांक 23.12.2020 से प्रतिदेय	952.93	952.91
iv)	प्रत्येक रू1.20 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, प्रत्येक को 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LIII निर्गम–8.13 % दिनांक 25.04.2020 से प्रतिदेय	3,224.54	3,582.07
v)	प्रत्येक रू 30 लाख के बॉण्ड में प्रत्येक रू 10 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 09.03.2020, 09.03.2025 और 09.03.2030 को 3 (तीन) समान किस्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLIX निर्गम–8.15% दिनांक 09.03.2020 से प्रतिदेय	874.36	874.36
vi)	प्रत्येक रू1.20 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू10 लाख के 4 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 23.01.2020, 23.01.2022, 23.01.2025 और 23.01.2030 को 4 (चार) समान किस्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLVIII निर्गम–8.20% दिनांक 23.01.2020 से प्रतिदेय	1,309.64	1,309.62
vii)	प्रत्येक रू1.20 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LI निर्गम–8.40% दिनांक 14.09.2019 से प्रतिदेय	2,091.51	2,352.94
viii)	प्रत्येक रू 30 लाख के बॉण्ड में रू 10 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 04.09.2019, 04.09.2024 और 04.09.2029 को 3 (जीन) समान किस्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLVI निर्गम–9.30% दिनांक 04.09.2019 से प्रतिदेय	3,062.77	3,062.76
ix)	प्रत्येक रू1.20 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	L निर्गम–8.40: दिनांक 27.05.2019 से प्रतिदेय	2,090.73	2,352.06
x)	प्रत्येक रू1.20 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLVII निर्गम–8.93% दिनांक 20.10.2018 से प्रतिदेय	1,601.34	1,830.10
xi)	प्रत्येक रू30 लाख के बॉण्ड को 15.07.2018, 15.07.2023 और 15.07.2028 को 3 समान किस्तों में सममूल्य पर भुनाया जा सकेगा।		
	XLIV निर्गम–8.70% दिनांक 15.07.2018 से प्रतिदेय	2,807.80	2,807.78
xii)	प्रत्येक रू1.20 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLV निर्गम–9.65% दिनांक 28.02.2018 से प्रतिदेय	1,008.00	1,175.99
	XLIII निर्गम–7.93% दिनांक 20.05.2017 से प्रतिदेय	1,670.26	1,948.63
xiii)	प्रत्येक रू1.50 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू 12.50 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLI निर्गम–8.85% दिनांक 19.10.2016 से प्रतिदेय	1,231.45	1,477.73
xiv)	प्रत्येक रू1.50 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू10.00 लाख के 15 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 15 (पन्द्रह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XXXVI निर्गम– 9.35% दिनांक 29.08.2016 से प्रतिदेय	1,738.74	1,956.08
xv)	प्रत्येक रू1.50 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू12.50 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XL निर्गम–9.30% दिनांक 28.06.2016 से प्रतिदेय	1,783.17	2,139.80

टिप्पणी 23 : उधारियां (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण		जैसा पर 31 मार्च 2023	जैसा पर 31 मार्च 2022
	XXXVII निर्गम–9.25% दिनांक 26.12.2015 से प्रतिदेय	681.17	851.46
	XXXV निर्गम–9.64% दिनांक 31.05.2015 से प्रतिदेय	705.05	881.31
	XXXIV निर्गम–8.84% दिनांक 21.10.2014 से प्रतिदेय	906.08	1,208.10
	XXXIII निर्गम–8.64% दिनांक 08.07.2014 से प्रतिदेय	765.50	1,020.66
	XXXII निर्गम–8.84% दिनांक 29.03.2014 से प्रतिदेय	172.62	258.93
	XXXI निर्गम–8.90% दिनांक 25.02.2014 से प्रतिदेय	344.16	516.24
	XXX निर्गम–8.80% दिनांक 29.09.2013 से प्रतिदेय	405.99	608.99
	XXIX निर्गम–9.20% दिनांक 12.03.2013 से प्रतिदेय	108.67	217.34
	XXVIII निर्गम–9.33% दिनांक 15.12.2012 से प्रतिदेय	205.47	410.94
	XXVII निर्गम– 9.47% दिनांक 31.03.2012 से प्रतिदेय	-	58.76
	XVI निर्गम–9.30% दिनांक 07.03.2012 से प्रतिदेय	-	83.78
	XV निर्गम–10.10% दिनांक 12.06.2011 से प्रतिदेय	-	95.95
		47,461.66	**53,753.95**
ए2) अप्रतिभूत			
ए2.1 प्रतिदेय घरेलू बॉण्ड			
i)	प्रत्येक 10 लाख रुपये के बॉण्ड		
	LXVIII निर्गम–6.28% दिनांक 11.04.2031 को सममूल्य पर प्रतिदेय	520.54	520.54
	LXVI निर्गम–7.38% दिनांक 12.04.2030 को सममूल्य पर प्रतिदेय	508.20	508.18
ii)	प्रत्येक रू50 लाख के बॉण्ड में रू10.00 लाख के 5 एसटीआरपीपी शामिल हैं जो 5 (पांच) समान वार्षिक किस्तों में भुनाए जा सकते हैं।		
	XLI निर्गम–7.74% दिनांक 12.12.2028 को प्रतिदेय	3,069.80	3,069.79
iii)	प्रत्येक रू 10 लाख के बॉण्ड		
	LXIX निर्गम–6.05% दिनांक 25.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	530.49	530.49
	LXVII निर्गम–6.85% दिनांक 15.04.2025 को सममूल्य पर प्रतिदेय	2,984.33	2,984.28
iv)	रू10 लाख के प्रत्येक बॉण्ड में रू3.00 लाख, रू 3.00 लाख और रू 4.00 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 25.10.2024, 25.10.2029 और 25.10.2034 को 3 (तीन) किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LXIV निर्गम–7.49% दिनांक 25.10.2024 से प्रतिदेय	2,601.52	2,601.50
v)	रू 30 लाख के प्रत्येक बॉण्ड में रू 10.00 लाख के 03 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 15.07.2024, 15.07.2029 और 15.07.2034 को 03 (तीन) समान किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LXIII निर्गम–7.34% दिनांक 15.07.2024 से प्रतिदेय	1,893.94	1,893.92
vi)	रू1 लाख के बॉण्ड जिन्हें 40 समान त्रैमासिक किस्तों में भुनाया जा सकता है:		
	LXXI निर्गम–7.52% दिनांक 17.08.2023 से प्रतिदेय	868.56	-
	LXXII निर्गम–7.56% दिनांक 17.08.2023 से प्रतिदेय	425.07	-
	LXX निर्गम–7.40: दिनांक 17.05.2023 से प्रतिदेय	2,138.38	-
vii)	प्रत्येक 10 लाख रुपये के बॉण्ड		
	LXV निर्गम–6.35% दिनांक 14.04.2023 को सममूल्य पर प्रतिदेय	202.89	202.85
ए2.2 प्रतिदेय विदेशी मुद्रा बॉण्ड			
	3.875% विदेशी मुद्रा बॉण्ड जो 17.01.2023 को सममूल्य पर भुनाए जाएंगे।	-	3,843.81
		15,743.72	**16,155.36**
	कुल (क)	**63,205.38**	**69,909.31**

टिप्पणी 23 : उधारियां (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण		जैसा पर 31 मार्च 2023	जैसा पर 31 मार्च 2022
ख) सावधि ऋण			
	बैंकों से		
	प्रतिभूत		
	विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	24,964.95	24,778.09
	अन्य विदेशी मुद्रा ऋण	7,037.27	7,024.30
	रुपया ऋण	7,821.01	9,275.02
		39,823.23	**41,077.41**
	अप्रतिभूत		
	विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	3,127.73	3,386.96
	अन्य विदेशी मुद्रा ऋण	2,575.72	2,832.34
	रुपया ऋण	20,119.43	14,941.02
		25,822.88	**21,160.32**
	कुल (ख)	**65,646.11**	**62,237.73**
	कुल (क से ख)	**1,28,851.49**	**1,32,147.04**
	घटाएं: गैर चालू उधार की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 28देखें)	12,003.61	15,165.87
	घटाएं: उपार्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं (टिप्पणी 30देखें)	2,956.59	2,781.77
	कुल	**113,891.29**	**114,199.40**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी तीन सहायक कंपनियों नामतः पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड और पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड से अपने नकदी प्रवाह को प्रतिभूत किया है और नई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अनुसरण में अपने पूंजीगत व्यय को आंशिक रूप से वित्तपोषित करने के लिए तीन किश्तों में कुल रू 3,412 करोड़ जुटाए।

चुकौती एवं ब्याज दर के संबंध में ब्यौरे

1. प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत) : जिनमें दैनिक एलआईबीओआर से जुड़ी ब्याज की अस्थायी दर शामिल है। इन ऋणों को 3 से 5 वर्ष की बिलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार सार अर्ध वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है। सिवाय, रू 408.08 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रू 376.13 करोड़) के एक ऋण थे, जिसपर 0.25ः की प्रतिवर्ष निर्धारित ब्याज दर है।
2. प्रतिभूत अन्य विदेशी मुद्रा ऋण, जिसमें 6 एम (एलआईबीओआर/ईयूआरओईबीओआर/एसटीआईबीओआर) से जुड़ी ब्याज की अस्थायी दर शामिल है। इन ऋणों को 3 से 5 वर्ष की बिलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किस्त चुकाया जाता है।
3. बैंकों से ग्रतिभूत रुपया, जिसमें 3 एमएससीएलआर से जुड़े ब्याज की अस्थायी दर शामिल है। ये ऋण 5 वर्ष की विलंबन अवधि के बाद शुरू होने वाले संबंधित ऋण करारों की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है।
4. अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभती जिसमें .63ः प्रतिवर्ष से 2.30ः प्रतिवर्ष की सीमा में स्थायी ब्याज दर है। इन ऋणों को संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार कित्त में चुकाया जाता हैं।
5. अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण, जिसमें 6एम एसटीआईबीओआर/ईयुआरबीओआर से जुड़ी अस्थायी ब्याज दर शामिल हैं। ये ऋण विलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अर्द्ध वार्षिक वित्त में चुकाए जाते हैं।
6. बैंक से अप्रतिभूत रुपए में ऋण, जिसमें 3 एम टोना से जुड़ी अस्थायी ब्याज दर शामिल है। ऋण करार की शर्तों के अनुसार यह ऋण पांच सामान्य वार्षिक किस्तों में चुकाए जाते हैं।
7. बैंक से अप्रतिभूत रुपए में ऋण 3 एमसीएलआर या रेपो दर से सबन्धित फ्लोटिंग ब्याज दर हैं। ये ऋण विलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक वित्त में चुकाए जाते हैं।
8. ये ऋण समझौतों के अंत में ऋणों की चुनौती अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।
9. कंपनी ने बैंकों और वित्तीय सस्थानों से उस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उधार लिया है जिसके लिए इसे तुलन–पत्र की तारीख में लिया गया था।

प्रतिभूतियों के ब्यौरे

1. स्वदेशी बाण्ड, जिला वलसाड़ गुजरात में मौजे अम्भेटी तालुका कापराडा में स्थित अचल सम्पत्ति पर समरूप रैंकिंग में पंजीकृत बाण्ड ट्रस्ट डीड के रूप में प्रतिभूत है और कम्पनी की परिसंपत्तियों पर अस्थायी प्रभार पर प्रतिभूत हैं।
2. प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत), ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में परिसंपत्तियों पर सृजित धारणाधिकार में समरूप ब्याज द्वारा प्रतिभूत हैं।
3. प्रतिभूत अन्य विदेशी ऋण और रुपया ऋण निम्न के संबंध में प्रतिभूत होते हैं :–
   i) कम्पनी की परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार, सिवाय निवेशों भूमि एवं भवन, सड़क एवं पुलों, जल आपूर्ति, जल निकासी एवं मल निकासी तथा चालू परिसंपत्तियों के।
   ii) कम्पनी की परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार, सिवाय निवेश एवं चालू परिसंपत्तियों के अथवा,

iii) संबंधित ऋण करारों की शर्तों के अनुसार की अचल सम्पत्तियों पर अस्थायी प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

टिप्पणी 24 अन्य गैर-चालू विधीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा/प्रतिधारण राशि	70.24	19.80
भारत सरकार की पूर्ण प्रचालनरत बाण्ड'	3,487.50	3,487.50
पूंजीगत व्यय हेतु देयताएं	6.93	15.70
योग	**3,564.67**	**3,523.00**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी नं. 49 में दिया गया है।

'भारत सरकार के पूर्ण प्रचालनरत बाण्ड जिन्हें 14.02.2029 को समूल्य पर विमोच्य 8.24: की दर पर जारी किया गया। अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी सं. 11 को देखें।

टिप्पणी 25/प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कर्मचारी हितलाभ		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	517.05	461.93
वर्ष के दौरान परिव/नि/(समायोजन)	60.56	55.12
अन्त शेष	**577.61**	**517.05**

अतिरिक्त टिप्पणी:

छुट्टी नकदीकरण, व्यवस्थापन भत्ते, और दीर्घ सेवा प्रतिफल एवं अन्य लाभों के प्रयोजनार्थ प्रावधान सृजित किया गया है। कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान से संबंधित विस्तृत प्रकटन, टिप्पणी 63 में दिए गए हैं।

टिप्पणी 26 आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क. आस्थगित कर देयता		
अर्जित मूल्यह्रास एवं कर मूल्यह्रास में अन्तर	26,323.91	25,172.68
वित्त पट्टा परिसंपत्तियां	130.60	72.18
अन्य	199.73	207.61
आस्थगित कर देयता (क)	**26,654.24**	**25,452.47**
ख. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां		
निर्माण अवधि के दौरान आय	18.87	18.26
भुगतान आधार पर स्वीकार्य प्रावधान	554.51	532.23
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	246.96	299.92
मैट क्रेडिट हकदारिता	15,142.61	13,157.43
अन्य	60.17	19.85
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ख)	**16,023.12**	**14,027.69**
आस्थगित कर देयता (निवल) (क–ख)	**10,631.12**	**11,424.78**

अतिरिक्त टिप्पणी:

आस्थगित कर देयता में घट–बढ़

(₹ करोड़ में)

विवरण	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	वित्त पट्टा परिसंपत्ति	अन्य	योग
1 अप्रैल, 2021 को	**22,623.11**	**72.47**	**23.42**	**22,719.00**

टिप्पणी 26 आस्थगित कर देयताएं (निवल) (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	वित्त पट्टा परिसंपत्ति	अन्य	योग
लाभ अथवा हानि में प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)	2,549.57	(0.29)	130.29	2,679.57
अन्य व्यापक आय में प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)			53.90	53.90
31 मार्च, 2022 को	**25,172.68**	**72.18**	**207.61**	**25,452.47**
लाभ अथवा हानि में प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)	1,151.23	58.42	10.21	1,219.86
अन्य व्यापक आय में प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)			(18.09)	(18.09)
31 मार्च, 2023 को	**26,323.91**	**130.60**	**199.73**	**26,654.24**

आस्थगित कर परिसंपत्ति में घट–बढ़

(₹ करोड़ में)

विवरण	सम्पत्ति संयंत्र उपकरण निर्माण के दौरान आया	भुगतान आधार पर अनुमत्य प्रावधान व्यय	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	एमएटी क्रेडिट	अन्य	योग
1 अप्रैल, 2021 को	**17.95**	**514.70**	**353.20**	**9,869.07**	**22.20**	**10,777.12**
लाभ अथवा हानि में प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)	0.31	17.53	(53.28)	3,288.36	(2.35)	3,250.57
31 मार्च, 2022 को	**18.26**	**532.23**	**299.92**	**13,157.43**	**19.85**	**14,027.69**
लाभ अथवा हानि में प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)	0.61	22.28	(52.96)	1,985.18	40.32	1,995.43
31 मार्च, 2023 को	**18.87**	**554.51**	**246.96**	**15,142.61**	**60.17**	**16,023.12**

लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के विवरण में मान्यता प्राप्त

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर देयता में वृद्धि/(कमी)	1,219.86	2,679.57
आस्थगित कर परिसंपत्ति में कमी/(वृद्धि)	(1,995.43)	(3,250.57)
लाभ अथवा हानि में प्रभारित/(क्रेडिट की गई) राशि	**(775.57)**	**(571.00)**
आस्थगन कर परिसंपत्ति में वृद्धि/(कमी)	(18.09)	53.90
अन्य व्यापक आय प्रभारित/(क्रेडिट की गई) राशि	**(18.09)**	**53.90**

क. प्रबंधन की राय में यह संभव है कि भावी आर्थिक लाभ मैट क्रेडिट को स्वीकार करके भावी आय कर देयता के प्रति छूट की उपलब्धता के रूप में कम्पनी को निम्नानुसार प्राप्त होंगे :

भावी कराधेय लाभों को (क) 31 मार्च, 2017 तक शुरू किए गए परियोजनाओं के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–आईए के तहत कर राहत के संबंध में समायोजित किया जाएगा (ख) भविष्य में शुरू किए जाने वाले परिसंपत्तियों पर शुरूआती मूल्यह्रास (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के तहत नियमित आय कर मूल्यह्रास के संबंध में समायोजित किया जाएगा और इसके बाद कर राशि को रू 1,985.18 करोड़ (पिछले वर्ष रू 3,288.36 करोड़), की सीमा में मैट क्रेडिट के प्रति छूट प्राप्त होती। अतः इसे वर्ष के दौरान आस्थगित्त कर परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है।

ख. भविष्य में कम्पनी को प्राप्त मैट क्रेडिट परन्तु बाहियों में स्वीकार नहीं किया गया:

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को	समाप्ति तारीख	31 मार्च, 2022 को	समाप्ति तारीख
2015-16	1,421.20	31.03.2026	1,421.20	31.03.2026
2014-15	1,281.23	31.03.2025	1,281.23	31.03.2025
2013-14	1,085.14	31.03.2024	1,085.14	31.03.2024

वित्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को	समाप्ति तारीख	31 मार्च, 2022 को	समाप्ति तारीख
2012-13	-	31.03.2023	1,071.31	31.03.2023

टिप्पणी 27 अन्य गैर-चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ग्राहकों से अग्रिम (परामर्शी/दूरसंचार सेवाएं)'	194.15	238.08
अन्य	2.95	2.81
योग	**197.10**	**240.89**

अतिरिक्त टिप्पणी :

* भा.ले.मा. 115 के तहत "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार प्रकटन हेतु टिप्पणी 46 को देखें।

टिप्पणी 28 उधारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
दीर्घावधि उधारियों की वर्तमान परिपक्वता		
प्रतिभूत		
बॉण्ड	5,191.48	6,090.23
रुपया सावधि ऋण	1,454.00	1,454.00
विदेशी मुद्रा ऋण	2,856.77	2,585.90
	9,502.25	**10,130.13**
अप्रतिभूत		
बॉण्ड	508.90	3,813.41
रुपया सावधि ऋण	1,300.00	550.00
विदेशी मुद्रा ऋण	692.46	672.33
	2,501.36	**5,035.74**
	12,003.61	**15,165.87**
अल्प अवधि – अआप्रतिभूत		
बैंकों से	700.00	5,300.00
योग	**12,703.61**	**20,465.87**

अतिरिक्त टिप्पणी:

1. वाणिज्यिक पेपर/अल्प अवधि ऋण 4.45: से 6.70% (पिछले वर्ष के 3.75: से 3.95% तक) की सीमा में ब्याज दर के हैं तथा निकासी की तारीख से 90 दिन (पिछले वर्ष में 90 दिन से 180 दिन) के भीतर चुकौती योग्य होते हैं।
2. वर्ष की समाप्ति पर ऋणों की चुकौती में अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नही हुई है।

टिप्पणी 29 व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सामान एवं सेवा हेतु		
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	48.69	47.19
(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों से भिन्न क्रेडिटरों की कुल बकाया देयताएं'	276.33	218.95
योग	**325.02**	**266.14**

अतिरिक्त टिप्पणी:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के खण्ड I और "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

टिप्पणी 29 व्यापार देयताएं (जारी)

विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी नं. 49 में दिया गया है।

'व्यापार देयताओं में संबंधित पक्षों से रु 1.15 करोड़ (पिछला वर्ष रु 0.12 करोड़) शामिल है। (टिप्पणी 55 देखें)

व्यापार देय की अवधि इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल नहीं भेजा गया	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
31 मार्च, 2023 को						
एमएसएमई						
विवादित	-	-	-	-	-	-
अविवादित	33.34	15.35	-	-	-	48.69
कुल	**33.34**	**15.35**	**-**	**-**	**-**	**48.69**
अन्य						
विवादित	-	-	-	-	-	-
अविवादित	141.21	125.10	8.77	0.63	0.62	276.33
कुल	**141.21**	**125.10**	**8.77**	**0.63**	**0.62**	**276.33**
कुल व्यापार देयताएं	**174.55**	**140.45**	**8.77**	**0.63**	**0.62**	**325.02**
31 मार्च, 2022 को						
एमएसएमई						
विवादित	-	-	-	-	-	-
अविवादित	12.65	34.54	-	-	-	47.19
कुल	**12.65**	**34.54**	**-**	**-**	**-**	**47.19**
अन्य						
विवादित	-	-	-	-	-	-
अविवादित	85.39	126.66	3.29	1.19	2.42	218.95
कुल	**85.39**	**126.66**	**3.29**	**1.19**	**2.42**	**218.95**
कुल व्यापार देयताएं	**98.04**	**161.20**	**3.29**	**1.19**	**2.42**	**266.14**

टिप्पणी 30 अन्य चालू वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ब्याज उपार्जित लेकिन उधार लेने पर देय नहीं:		
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	473.70	86.13
प्रतिभूत/अप्रतिभूत विमोच्य बाण्डों	2,482.89	2,695.64
	2,956.59	**2,781.77**
ब्याज उपार्जित लेकिन भारत सरकार के पूर्णतः प्रदत्त बॉण्डों से देय नहीं है	36.22	36.22
अन्य		
पूंजीगत व्यय हेतु देय राशियां	884.07	734.44
कर्मचारी से संबंधित देयताएं	141.81	51.25
अदावेकित लाभांश एवं एफपीओ'	29.91	28.64
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा राशियां/प्रतिधारण राशि	2,528.47	3,010.03
संबंधित पक्ष''	18.94	2.63
अन्यः	796.52	763.92
	4,399.72	**4,590.91**
योग	**7,392.53**	**7,408.90**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी नं. 49 में दिया गया है।

* निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को भुगतान हेतु, कोई राशि देय नहीं है।

** संबंधित पक्षों के राशि के ब्यौरे टिप्पणी 55 में उपलब्ध हैं।

टिप्पणी 31 अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ग्राहकों से अग्रिम*	2,857.98	3,022.08
ग्राहकों से अग्रिम – संबंधित पक्ष#	106.85	82.20
सांविधिक देय	167.57	99.13
योग	**3,132.40**	**3,203.41**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* भारतीय ले.मा. 115 ''ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व'' के अनुसार प्रकटन हेतु टिप्पणी 46 को देखें।

\# संबंधित पक्षों को देय राशि के ब्यौरे टिप्पणी 55 में उपलब्ध हैं।

टिप्पणी 32. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क) कर्मचारी हितलाभ		
i) निष्पादन से संबंधित वेतन/विशेष प्रोत्साहन		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	438.74	509.83
वर्ष के दौरान परिवर्धन	427.71	438.74
वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित निधि	438.74	509.83
अन्त शेष	**427.71**	**438.74**
ii) अन्य कर्मचारी लाभ		
(छुट्टी नकदीकरण, व्यवस्थापन भत्ता और दीर्घ सेवा पुरस्कार आदि)		
पिछले तुलपन पत्र के अनुसार	251.86	67.65
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन)	(147.05)	184.21
अन्त शेष	**104.81**	**251.86**
योग (क)	**532.52**	**690.60**
ख) अन्य		
i) निष्क्रिय सेवा क्रेडिट–टेलीकॉम		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3.25	8.86
वर्ष के दौरान परिवर्धन	8.59	3.42
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	10.52	9.03
अंत शेष	**1.32**	**3.25**
ii) अन्य प्रावधान		
पिछले तुलपन पत्र के अनुसार	238.46	249.54
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	9.11	(11.08)
अंत शेष	**247.57**	**238.46**
योग (ख)	**248.89**	**241.71**
कुल योग (क+ख)	**781.41**	**932.31**

अतिरिक्त टिप्पणियां :

अ. कर्मचारी हितलाभ

टिप्पणी 32. प्रावधान (जारी)

1. निष्पादन से संबंधित वेतन/विशेष प्रोत्साहन

   कार्यपालकों एवं गैर–कार्यपालकों को निष्पादन से संबंधित वेतन हेतु प्रावधान सृजित किया गया है।

2. अन्य कर्मचारी हितलाभ

   छुट्टी नकदीकरण, व्यवस्थापन भत्ता, दीर्घ सेवा प्रतिफल और पावर ग्रिड कर्मचारी परिवार पुर्वास योजना को पूरा करने के प्रयोजनार्थ प्रावधान सृजित किया गया है कर्मचारी हितलाभ दायित्वों से संबंधित विस्तृत प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 63 देखें।

ब. अन्य

1. डाउनटाइम सर्विस क्रेडिट – दूरसंचार

   प्रावधान उस मामले में सृजित किया जाता है जब वास्तविक अकार्यरत समय अनुमत्य सेवा स्तर करार से अधिक हो, ऐसे मामलों में आवश्यक क्रेडिट को मांग पर ग्राहक को दिया जाता है।

   तथापि, किसी मामले में, अकार्य सेवा का ग्राहक द्वारा दावा नहीं किया जाता है, तब ऐसे मामलों में अकार्य समय के संबंध में आवश्यक प्रावधान, नेशनल टेलीकॉम कंट्रोल सेंटर (एनटीसीसी) से प्राप्त लिंक उपलब्धता रिपोर्टों के अनुसार ग्राहकों को दिए गए लिंकों को गैर–प्रचालन अवधि हेतु लेखा बहियों में किया जाता है। अकार्य समय क्रेडिट का परिकुलन विभिन्न ग्राहकों द्वारा हस्ताक्षरित एसएलए के आधार पर होता है।

2. अन्य प्रावधानः

   इसमें रू174.36 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रू 165.24 करोड़) के प्रवेश कर का प्रावधान शामिल है, जो कम्पनी द्वारा विवादित राजस्व प्राधिकरणों द्वारा उठाया गया है और न्यायालय में लंबित है, रू 9.74 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष 8.24) की राशि को न्यायालय के आदेश पर अदा कर दिया गया है तथा टिप्पणी 19 में ''सीमाशुल्क पत्र ट्रस्ट एवं अन्य प्राधिकरणों में शेष'' रूप में दर्शाया गया है।

   इसमें रू0.00 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रू0.46 करोड़) का प्रावधान शामिल है जो व्यवसायिक कर विभाग, तेलंगाना द्वारा उठाई गयी मांग के अनुसार वैधानिक फार्म और अन्य प्रमाण रहित है और जिसकी वजह से अर्न्तराजीय बिक्री के लिये ''सी' फार्म सुरक्षा शामिल नहीं है।

टिप्पणी 33 चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कराधान (कर पर ब्याज सहित)		
पिछले तुलपन पत्र के अनुसार	8,243.04	9,061.76
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,971.61	3,143.03
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	8,169.28	3,961.75
योग	**3,045.37**	**8,243.04**
अग्रिम कर एवं टीडीएस के संबंध में निवल छूट	3,010.77	8,243.04
अन्त शेष	**34.60**	**-**

टिप्पणी 34 आस्थगित राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम	706.73	858.29
सहायता अनुदान (अतिरिक्त टिप्पणी देखें)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,647.89	3,926.11
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1.70	22.04
वर्ष के दौरान समायोजन	317.26	300.26
अन्त शेष	**3,332.33**	**3,647.89**
विदेशी मुद्रा घट–बढ़ से आस्थगित आय (निवल)	6,124.46	5,008.36
योग	**10,163.52**	**9,514.54**

अतिरिक्त टिप्पणियांः

1. विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के तहत पावर सिस्टम डेवलपमेंट फण्ड (पीएसडीएफ) से ईआर (ईआरएसएस–XI) और एसआर (एसआर–XXI में प्रणाली सुदृढ़ीकरण) में स्टेटकॉम लगाने के लिए रू 2.40 करोड़ का सहायता अनुदान (पूर्ववर्ती वर्ष 0.00 करोड़) प्राप्त किया

टिप्पणी 34 आस्थगित राजस्व (जारी)

गया था। प्राप्त अनुदान के अलावा, रू 0.01 करोड़ का ब्याज (पूर्ववर्ती वर्ष रु 0.02 करोड़) अनुदान में क्रेडिट किया गया था। परियोजना में लागत बचत के कारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 6.59 करोड़ की राशि भारत सरकार (जीओआई) के विद्युत मंत्रालय (एमओपी) को वापिस चुकानी होगी। तद्नुसार, उक्त राशि को अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं के तहत देय के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

2. ब्याज सहित 0.34 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष 0.41 करोड़) का सहायता अनुदान की मान्यता यूनिफाइड रियल टाइम डायनेमिक स्टेट मेजरमेंट (यूआरटीडीएसएम) की स्थापना के लिए (एमओपी) भारत सरकार के तहत पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) की सहायता से प्रदान की गई।
3. ब्याज सहित रू 0.00 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष 27.59 करोड़) का सहायता अनुदान आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में अल्ट्रामेगा सोलर पार्कों से जुड़े ट्रांसमिशन सिस्टम को लगाने के लिए प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एमएनआरई) से प्राप्त किया गया था।
4. रू 0.01 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष 0.02 करोड़) की सहायता अनुदान नई एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय से सरकारी क्षेत्र हेतु उपलब्धि संबंद्ध/प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पावर ग्रिड की विभिन्न भवनों में सौर रूफ टॉप प्लांट लगाने के लिए मान्यता दी गई है।
5. 0.00 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष 2.99 करोड़) का सहायता अनुदान आन्श्र प्रदेश, केरल और राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएमकुसुस) के जागरुकता गतिविधियों के निर्माण के लिए नई एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा सहायता प्रदान की गईं। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 1.06 करोड़ की राशि भारत सरकार (जीओआई) के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को वापिस चुकानी होगी और अन्य चालू वित्तीय देयताओं में प्रदर्शित की गई है।

टिप्पणी 35 प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
सेवाओं की बिक्री		
ट्रांसमिशन व्यवसाय		
ट्रांसमिशन प्रभार	40,467.74	37,659.98
जोड़े : मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम से स्वीकृत राजस्व	151.56	152.46
	40,619.30	**37,812.44**
अन्य प्रचालन राजस्व	-	
विभेदी अस्थायी एवं अंतिम टैरिफ पर ब्याज	1,161.34	480.78
पट्टा कार्यों से आय	8.81	6.23
आस्थगित राजस्व से मान्य–सहायता अनुदान	315.33	300.26
	1,485.48	**787.27**
	42,104.78	**38,599.71**
दूरसंचार व्यवसाय	728.98	580.34
परामर्शी परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण	509.29	753.34
योग	**43,343.05**	**39,933.39**

अतिरिक्त टिप्पणी:

क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 07.03.2021 के आदेश के तहत ब्लॉक अवधि 2019–24 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण हेतु ''सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्ते) विनियमन 2019'' को अधिसूचित किया है।

ख) कम्पनी ने निम्नानुसार वर्ष के दौरान ट्रांसमिशन आय को स्वीकार किया है:

i) 2019–24 तक की ब्लाक अवधि के लिए सीईआरसी द्वारा जारी अंतिम टैरिफ आदेश के अनुसार रू 35,385.69 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रू 20.300.18 करोड़); और

ii) ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के संबंध में रू 5,233.61 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रू 17,512 करोड़), जिसके संबंध में अंतिम टैरिफ आदेश सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार तथा सदृश मामलों में अन्य आदेशों के अनुसार अभी जारी किए जाने बाकी हैं और जिसमें से कंपनी ने रु 4,855.53 करोड़ (पिछला वर्ष 15,718.13 करोड़) के लिए याचिकाएं दायर की हैं।

ग) सीइआरसी द्वारा जारी अंतिम आदेश के परिणामस्वरूप, पारेषण आय में पिछले वर्षों से संबंधित 1,597.30 करोड़ ''वृद्धि'' (पिछले वर्ष 628.80 करोड़ ''वृद्धि'') शामिल है।

घ) कंपनी के दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय करने के लिए कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन पर प्रकटीकरण के लिए संदर्भ टिप्पणी संख्या 65 देखें।

ङ) आईएनडी एएस 115 के अनुसार प्रकटीकरण के लिए ''ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व'' संदर्भ टिप्पणी संख्या 46 देखें।

टिप्पणी 36. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्नलिखित से ब्याज आयः		
भारतीय बैंक	41.78	122.01
सहायक कम्पनियों को ऋण	1,115.93	883.07
संयुक्त उद्यमों (जेवी) को ऋण	0.07	2.36
पीजी इनविट में निवेश	107.70	68.52
अन्य'	30.21	36.96
	1,295.69	**1,112.92**
ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से ब्याज	18.23	13.64
वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज की अनवाइंडिंग (टिप्पणी) संख्या10क देखें)	77.73	-
	1,391.65	**1,126.56**
निम्नलिखित से लाभांश आय		
सहायक कम्पनियां	482.03	436.40
संयुक्त उद्यम	77.76	68.38
सहयोगी	58.82	116.75
पीजी इनविट में निवेश	46.14	33.85
अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर निर्दिष्ट इक्विटी निवेश	6.96	9.00
	671.71	**664.38**
अन्य		
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर लाभ	5.98	0.02
म्यूचुअल फंड में निवेश की बिक्री पर लाभ	-	15.95
वित्त पट्टे से वित्त आय	150.80	73.12
अधिभार	163.54	364.46
एफईआरवी अभिलाभ	-	0.03
पुनरांकित प्रावधान	29.93	13.13
वित्तीय देयता/निवेश के शुरूआती स्वीकरण पर उचित मूल्य लाभ	43.32	21.37
विविध आय''	194.37	147.56
	587.94	**635.64**
	2,651.30	**2,426.58**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में हस्तान्तरित (निवलद्ध – टिप्पणी 43	26.28	24.10
योग	**2,625.02**	**2,402.48**

अतिरिक्त टिप्पणीः

* अन्य में कर्मचारी ऋणों पर ब्याज एवं कर्मचारी ऋण पर वित्त लागत का संकुचन शामिल है।

** विविध आय में स्क्रैप की बिक्री, बीमा, दावा वसूली, यूआई प्रभार आदि अन्य आय शामिल हैं।

टिप्पणी 37 कर्मचारी हितलाभ व्यय

टिप्पणी 37 कर्मचारी हितलाभ व्यय (जारी)

(₹ करोड़ में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन, मजदूरियां, भत्ते और लाभ	2,147.44	2,087.20
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	341.65	269.31
कर्मचारी कल्याण व्यय (आस्थगित कर्मचारी लागत सहित)	274.81	271.41
	2,763.90	**2,627.92**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (निवल) – टिप्पणी 43	249.04	383.65
सीएसआर व्ययों में स्थानान्तरित्त – टिप्पणी–40	9.90	9.51
योग	**2,504.96**	**2,234.76**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारश्रमिक हेतु टिप्पणी 55 को देखें।

ख) कर्मचारी हितलाभ दायित्वों के विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 63 देखें।

ग) सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित कर्मचारी हितलाभ व्यय में रु 35.59 करोड़ (पिछला वर्ष रु 29.32 करोड़) शामिल हैं। (टिप्पणी संख्या 66ग देखें)।

टिप्पणी 38 वित्त लागतें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज एवं वित्त प्रभार		
भारतीय बैंक एवं वित्तीय संस्थान	1,997.81	1,720.44
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	1,221.96	396.36
प्रतिभूति / अप्रतिभूति विमोच्य बाण्ड	5,044.89	5,569.52
विदेशी मुद्रा बाण्ड	136.55	158.76
वित्तीय देयताओं पर छूट को कम करना	57.31	52.86
ब्याज – अन्य	0.21	1.99
पट्टा देयताओं पर ब्याज	4.77	3.84
	8,463.50	**7,903.77**
अन्य वित्त प्रभार		
वचनबद्धता प्रभार	-	0.01
गारण्टी शुल्क	337.66	354.83
अन्य'	16.08	22.94
	353.74	**377.78**
उधारी लागत के समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अन्तर	1,072.04	212.65
	1,425.78	**590.43**
	9,889.28	**8,494.20**
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय हेतु अंतरित (निवल) – टिप्पणी 43	145.03	283.26
योग	**9,744.25**	**8,210.94**

अतिरिक्त टिप्पणीः

* अन्य में एजेंसी शुल्क, न्यासी शुल्क, आरटीए और सूचीबद्धता शुल्क, रेटिंग शुल्क, भूमि, वृक्ष एवं फसल क्षतिपूरण पर ब्याज आदि शामिल है।

टिप्पणी 39 मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	13,276.96	12,795.29
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	126.87	122.96
आरओयू की संपत्ति पर मूल्यह्रास	20.31	21.89
	13,424.14	**12,940.14**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (निवल) टिप्पणी 43	11.35	12.66
	13,412.79	**12,927.48**
घटाएं : एफईआरवी समायोजन के कारण परिशोधित मूल्यह्रास	472.91	376.90
लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित	**12,939.88**	**12,550.58**

टिप्पणी 40 अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
मरम्मत और अनुरक्षण		
भवन	103.46	99.19
संयंत्र और मशीनरी		
सब–स्टेशन	400.82	431.43
ट्रांसमिशन लाईन	192.08	190.03
दूरसंचार उपस्कर	59.37	52.55
अन्य	53.38	44.99
	705.65	**719.00**
प्रणाली और बाजार प्रचालन प्रभार	88.61	99.99
विद्युत प्रभार	303.51	291.73
घटाएं : ठेकेदारों से वसूली	0.44	0.89
	303.07	**290.84**
डीजल जेनरेटिंग सेटों के व्यय	5.70	4.91
उपभुक्त सामान	4.61	5.22
जल प्रभार शुल्क	5.33	4.34
मार्गाधिकार व्यय–दूरसंचार	84.65	68.73
पेट्रोलिंग व्यय–दूरसंचार	2.01	2.27
अंतिम चरण की कनेक्टिविटी –दूरसंचार	9.36	7.26
प्रशिक्षण और आवेदन करने के लिए व्यय	40.42	20.03
घटाएं : प्रशिक्षण और आवेदन करने के लिए शुल्क	0.36	0.94
	40.06	**19.09**
कानूनी व्यय	19.53	15.51
व्यावसायिक व्यय	37.18	31.32
परामर्शदायी व्यय	1.43	1.07
संचार व्यय	22.73	24.28

टिप्पणी 40 अन्य व्यय (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
अन्तरदेशीय वाहन भाड़ा व्यय	138.36	111.44
विदेश यात्रा	7.05	3.46
	145.41	**114.90**
निविदा व्यय	1.16	2.23
घटाएं : निविदाओं की बिक्री	0.87	1.14
	0.29	**1.09**
सांविधिक लेखा–परीक्षकों को भुगतान		
लेखा–परीक्षा शुल्क	1.71	1.57
कर लेखा–परीक्षा शुल्क	0.49	0.44
अन्य क्षमत्ता में	1.32	1.27
फुटकर व्यय	0.61	0.27
	4.13	**3.55**
विज्ञापन और प्रचार	15.94	8.94
मुद्रण और लेखन सामग्री	4.92	4.73
पुस्तकें, पत्रिकाएं और जनरल	2.55	1.20
ईडीपी किराया और अन्य व्यय	14.68	11.76
मनोरंजन संबंधी व्यय	4.52	4.13
ब्रोकरेज और कमीशन	2.00	1.84
लागत लेखा–परीक्षा और वास्तविक सत्यापन शुल्क	1.29	1.28
किराया रु.	33.48	34.81
सीईआरसी याचिका और अन्य प्रभार	86.14	85.99
विविध व्यय	158.22	80.24
बागवानी व्यय	41.71	39.08
सुरक्षा व्यय	334.57	310.38
वाहन को किराए पर लेना	152.06	138.44
बीमा व्यय	139.68	134.40
दरें और कर	45.65	39.92
डीओटी का लाइसेंस शुल्क	64.22	54.09
बैंडविड्थ प्रभार डार्क फाईबर पट्टा व्यय दूरसंचार)	34.32	22.84
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	321.66	271.14
मार्गस्थ निवास व्यय	41.05	38.32
घटाएं : मार्गस्थ निवास से आय	1.76	1.25
	39.29	**37.07**
विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन	293.14	6.72
वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्यांकन हानि (टिप्पणी 10क देखें)	153.83	-
निम्नलिखित हेतु प्रावधान		
संदिग्ध ऋण, अग्रिम, ऋण, दावे आदि	2.44	4.21
सामग्रियों का अप्रचलित होना	3.09	-
अन्य**	59.65	-
	65.18	**4.21**
	3,592.26	**2,805.77**

टिप्पणी 40 अन्य व्यय (जारी)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
घटाएं : निर्माण के दौरान आय में स्थानान्तरित (निवल)–टिप्पणी 43	56.04	62.56
	3,536.22	**2,743.21**
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान/बट्टे खाते डालने पर हानि	28.07	28.41
योग	**3,564.29**	**2,771.62**

अतिरिक्त टिप्पणी

* इसमें टिप्पणी सं. 37 – "कर्मचारी हितलाभ व्यय" से स्थानान्तरित रू 9.90 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष 9.51) की राशि शामिल है। कर्मचारी हितलाभ व्यय अल्पकालिक पट्टों के खर्चो के लिए टिप्पणी संख्या 50 देखें।

** इसमें नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) में निवेश और ऋण (उस पर उपार्जित ब्याज) की हानि के लिए रू 52.14 करोड़ की राशि शामिल है क्षटिप्पणी 61(vi) देखें)।

\# अल्पकालिक पट्टा व्यय के लिए टिप्पणी संख्या 50 देखें।

अन्य व्यय में सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित रू7.58 करोड़ (पिछले वर्ष रू 6.55 करोड़) शामिल हैं (टिप्पणी संख्या 65(ग) देखें)।

टिप्पणी 41 विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल घट-बढ़-आय/(व्यय) (निवल कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
आस्थगित कर देयता हेतु आस्थगित परिसंपत्ति	(773.91)	(727.94)
विदेशी मुद्रा घट–बढ़	1,216.29	93.03
कर्मचारी हितलाभ और अन्य व्यय	(131.66)	1.60
	310.72	**(633.31)**
विनियामक आस्थगन लेखा शेषो मे निवल घटबढ़ पर कर	54.29	(110.65)
योग	**256.43**	**(522.66)**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* विनियामक आस्थगन लेखा शेषों के संबंध में विस्तृत प्रकटन हेतु टिप्पणी नं. 51 को देखें।

टिप्पणी 42 अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
इक्विटी में निवेश के मूल्यांकन पर अभिलाभ/हानि)	(142.01)	478.85
बीमाकन मूल्यांकन हेतु प्रावधान	39.56	(196.74)
	(102.45)	**282.11**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय हेतु आस्थगित (निवल) – टिप्पणी–43	18.69	(34.34)
	(121.14)	**316.45**
घटाएं : मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि के पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
वर्तमान कर	3.65	(28.38)
आस्थगित कर	(18.09)	53.90

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
	(14.44)	**25.52**
मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)	**(106.70)**	**290.93**

अतिरिक्त टिप्पणी:

अन्य व्यापक आय में सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित रू (0.41) करोड़ (पिछला वर्ष रु 0.05 करोड़) शामिल है। (टिप्पणी संख्या 65 ग देखें)

टिप्पणी 43 निर्माण के दौरान व्यय (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
क. कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ		
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	207.05	319.75
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	29.40	43.07
कल्याण व्यय	12.59	20.83
योग (क)	**249.04**	**383.65**
ख. अन्य व्यय		
मरम्मत और अनुरक्षण	0.08	1.04
विद्युत प्रभार (ठेकेदारों से वसूली का निवल)	3.33	2.95
डीजल जेनरेटिंग सेटों पर व्यय	0.09	0.06
जल प्रभार	0.10	0.08
कानूनी व्यय	1.04	1.47
व्यावसायिक व्यय	4.67	3.80
परामर्शदायी व्यय	0.07	0.19
संचार व्यय	1.29	2.58
यात्रा और वाहन यात्रा व्यय (विदेश यात्रा सहित)	16.78	19.52
निविदा व्यय	1.38	1.08
घटाएं : निविदाओं की बिक्री	0.85	1.06
	0.53	**0.02**
मुद्रण और लेखन सामग्री	0.15	0.16
ईडीपी किराया और अन्य व्यय	0.02	0.06
मनोरंजन संबंधी व्यय	0.02	0.03
ब्रोकरेज और कमीशन	0.01	0.01
किराया	0.67	0.76
विविध व्यय	6.08	4.11
सुरक्षा व्यय	7.58	12.80
वाहनों को किराए पर लेना	7.36	9.53
बीमा	0.06	-
दरें और कर	4.91	1.95
बैंडविड्थ प्रभार डार्क फाईबर पट्टा व्यय दूरसंचार)	0.39	0.38
मार्गस्थ निवास व्यय	0.81	1.08
घटाएं : मार्गस्थ निवास से आय	-	0.02
	0.81	**1.06**
योग (ख)	**56.04**	**62.56**

टिप्पणी 43 निर्माण के दौरान व्यय (निवल) (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
ग. मूल्यह्रास/परिशोधन	11.35	12.66
योग (ग)	**11.35**	**12.66**
घ. वित्त लागत		
क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज एवं वित्त प्रभार		
भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थान	72.79	109.55
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	2.46	16.82
प्रतिभूत/अप्रतिभूत विमोच्य बॉण्ड	62.18	107.78
विदेशी मुद्रा बॉण्ड	-	0.84
अन्य	5.88	3.74
	143.31	**238.73**
ख) अन्य वित्त व्यय		
गारंटी शुल्क और अन्य	0.36	11.12
	0.36	**11.12**
ग) उधारी लागत में एफईआरवी समायोजन	1.36	33.41
योग (घ)	**145.03**	**283.26**
ङ. घटाएंः अन्य आय		
निम्न से ब्याज		
ठेकेदार	9.95	12.75
अन्य	0.03	0.93
	9.98	**13.68**
विविध आय	16.30	10.42
योग (ङ.)	**26.28**	**24.10**
च. घटाएंः अन्य व्यापक आय		
अन्य व्यापक आय	18.69	(34.34)
योग (च)	**18.69**	**(34.34)**
कुल योग (क+ख+ग+घ–ङ.–च)	**416.49**	**752.37**

44. वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया गया अनुसंधान व्यय रु 28.61 करोड़ (पिछला वर्ष रु 2.85 करोड़) है।

45. अ) व्यापारिक प्राप्यों की अधिशेष राशि और परिसम्पत्तियों के अंतर्गत दर्शाई गई वसूलनीय राशि तथा देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई व्यापारिक और अन्य देय राशि में ऐसी अधिशेष राशि शामिल है, जो पुष्टिकरण लेखा समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। तथापि, लेखा समाधान सतत आधार पर किया जाता है। प्रबंधन की राय में, खातों की पुस्तकों में किसी भी भौतिक समायोजन की उम्मीद नहीं है।

ब) प्रबंधन की राय में, सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर गैर–वर्तमान से भिन्न किसी भी परिसम्पत्तियों का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा, जिन पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

46. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण – ''ग्राहकों के साथ संविदां से राजस्व''

क) मील के पत्थर आधारित अनुबंधों (परामर्श अनुबंध) के लिए, असंतुष्ट प्रदर्शन दायित्व निम्नानुसार हैंः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
असंतुष्ट (या आंआंशिक रूप से संतुष्ट) प्रदर्शन दायित्व से संबंधित लेनदेन मूल्य	1,023.65	1,519.30
इन प्रदर्शन दायित्वों के कितने समय भीतर संतुष्ट होने की उम्मीद है	3 Years	3 Years

46. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण - ''ग्राहकों के साथ संविदां से राजस्व'' (जारी)

ख) वर्ष के दौरान संविदा परिसम्पत्तियों में उतार–चढ़ाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
शुरुआत में शेष	5,588.82	2,157.17
जोड़ें: अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	1,815.89	8,301.35
घटाः अवधि के दौरान व्यापार प्राप्तियों में इनवॉइस्ड/अंतरित	6,592.32	4,869.70
अंत में शेष	**812.39**	**5,588.82**

ग. वर्ष के दौरान अनुबंध दायित्व में उतार–चढ़ाव इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभ में शेष	1,022.73	1,035.14
जोड़े: अवधि के दौरान अग्रिम बिलिंग	537.39	865.78
घटाएंः अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व		
क. अवधि की शुरुआत में अनुबंध दायित्व से	405.47	691.95
ख. अवधि के दौरान मान्यताप्राप्त अनुबंध दायित्व से	68.47	186.42
जोड़ें: रुपांतरण लाभ/हानि	0.40	0.18
अंत में शेष	**1,086.58**	**1,022.73**

घ. प्रतिष्ठान अपने पिछले अनुभवों के रिफंड या राजस्व की मात्रा में महत्वपूर्ण उलटफेर पर विचार करते हुए अपेक्षित मूल्य पद्धति के आधार पर लेनदेन मूल्य निर्धारित करता है। महत्वपूर्ण वित्तीय घटक का आकुलन करने में, प्रबंधन प्रतिफल की प्रतिनियुक्ति दर के आधार पर अंतर्निहित लेनदेन मूल्य में वित्तपोषण तत्व पर विचार करता है। लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व की तुलना में अनुबंधित मूल्य का समाधान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संविदागत मूल्य	41,371.03	38,675.45
जोड़ें/(घटाएं) – ग्राहक को दी जाने वाली छूट/छूट	(210.71)	(163.40)
जोड़ें/(घटाएं) – प्रदर्शन बोनस	480.16	400.96
जोड़ें/(घटाएं) – महत्वपूर्ण वित्तीय घटक के लिए समायोजन	65.53	80.65
जोड़ें/(घटाएं) – अन्य समायोजन	1,637.04	939.73
लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व	**43,343.05**	**39,933.39**

47. (i) 1,589.78 करोड़ की एफईआरवी हानि (पिछले वर्ष रू 568.13 करोड़ की एफईआरवी हानि) को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्रगति में पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी/अमूर्ति परिसंपत्ति/लीज प्राप्य) की संबंधित अग्रेणीत राशि में समायोजित किया गया है।

(ii) 293.14 करोड़ की एफईआरवी हानि (पिछले वर्ष रू 6.69 करोड़ की एफईआरवी हानि) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

48. वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत रू 145.03 करोड़ (पिछले वर्ष रू 283.26 करोड़) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/पूंजीगत कार्य प्रगत्ति (सीडब्ल्यूआईपी) की संबंधित वहन राशि में भा.ले.मा. 23 उधार लागत के अनुसार है।

49. कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कुछ आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत हैं। जानकारी कंपनी अधिनियम 2013 और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य	व्यापार देय		अन्य	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	मूल राशि और उस पर देय ब्याज प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न किया गया हो:				
	मूलधन	48.69	47.19	23.39	5.43
	ब्याज	-	-	-	-
2	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 46 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ–साथ प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	-	-	-	-
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगत्तान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से अधिक) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-	-	-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	-	-	-	-
5	आगे के वर्षों में भी शेष देय और देय ब्याज की राशि, जब तक कि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में छूट के उद्देश्य के लिए उपरोक्त के रूप में ब्याज देय राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की जाती है।	-	-	-	-

50. भा.ले.मा. 116 ''पट्टे'' के अनुसार प्रकटीकरण

क) एक पट्टेदार के रूप में – वित्त पट्टे:

कंपनी ने वित्तीय पट्टों के रूप में राज्य क्षेत्र की यूएलडीसी परिसंपत्तियों और द्विपक्षीय परिसंपत्तियों के लिए व्यवस्थाओं का वर्गीकरण और लेखाकरण किया है। राज्य क्षेत्र के यूएलडीसी के लिए समझौते 5 साल की अवधि के लिए हैं और लाभार्थी के साथ द्विपक्षीय लाइन परिसंपत्तियां सीईआरसी विनियमों में निर्दिष्ट अवधि के लिए हैं:

अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में राज्य क्षेत्र के यूएलडीसी और द्विपक्षीय लाइन परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा घटकों के साथ किए गए वित्त पट्टा लेनदेन पर प्राप्य भविष्य के लीज रेंटल के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली लीज प्राप्तियां शामिल हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित भा.ले.मा. 116 ''पट्टे'' की प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निम्नानुसार दिया गया है।

(i) वित्तीय वर्ष के अंत में पट्टे में सकल निवेश, अनर्जित वित्त आय और न्यूनतम पट्टा भुगतान प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
पट्टे में सकल निवेश	1,590.02	1,377.63
अन–अर्जित वित्त आय	951.49	835.91
न्यूनतम पट्टे भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	638.53	541.72

ii) ऐसे पट्टों की संविदात्मक परिपक्वता का मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

50. भा.ले.मा. 116 ''पट्टे'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	पट्टे में सकल निवेश		एमएलपीएस का वर्तमान मूल्य	
	31.03.2023 को	31.03.2022 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
एक वर्ष से अधिक नहीं	160.55	131.32	73.74	51.92
एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष से अधिक नहीं	160.55	131.32	73.18	53.03
दो वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से अधिक नहीं	159.19	131.32	68.01	54.29
तीन वर्ष से अधिक और चार वर्ष से अधिक नहीं	151.33	131.32	64.83	55.71
चार वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से अधिक नहीं	140.76	131.32	58.24	57.31
पांच वर्ष से अधिक	817.64	721.03	300.53	269.46
कुल	**1,590.02**	**1,377.63**	**638.53**	**541.72**

iii) रू81.17 करोड़ (पिछले वर्ष रू101.28 करोड़) की राशि के ऋणों पर अविमुक्त देनदारियों और अपरिशोधित एफईआरवी के कारण खातों और टैरिफ रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष के अंत में शेष पट्टा प्राप्य में अंतर है। ऐसी देयताओं के उन्मोचन पर ही चुकाई न गई देयताएं परियोजना लागत का हिस्सा बन जाती हैं और वास्तविक भुगतान के आधार पर टैरिफ के हिस्से के रूप में एफईआरवी वसूलने की अनुमति होती है।

ख) एक पट्टेदार के रूप में:

कंपनी ने विभिन्न अवधियों के लिए डार्क फाइबर, कोलोकेशन और रिपीटर शेल्टर स्पेस और कार्यालय भवन आदि जैसी परिसंपत्तियों को पट्टे पर लिया है, जिनका मूल्यांकन और लेखा भा.ले.मा. 116–''पट्टे'' की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है और उक्त भा.ले.मा. के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं::–

i. उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां

वर्ष के लिए संपत्ति के उपयोग के अधिकार पर परिवर्धन, समाप्ति/निपटान और मूल्यह्रास शुल्क और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के देनदारियों के वर्ग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में उसी की वहन राशि का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 4 में एक अलग लाइन आइटम के रूप में किया गया है।

ii. पट्टा देयताएं:

वर्ष के लिए पट्टा देनदारियों पर ब्याज व्यय टिप्पणी संख्या 38 के तहत दिखावा गया है और पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्प्रवाह का प्रकटीकरण वित्तीय गतिविधियों के तहत नकदी प्रवाह के विवरण में में अलग लाइन आइटम के रूप में किया गया है और पट्टा देनदारियों के परिपक्व विश्लेषण के रूप में टिप्पणी संख्या 61 देखें:–

iii. लघुअवधि के पट्टे:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान, अल्पकालिक पट्टों के संबंध में रू 31.53 करोड़ (पिछले वर्ष 32.90 करोड़) की राशि वहन की है। कंपनी अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्ध थी और वित्तीय वर्ष के अंत में इस तरह के पट्टों की कुल प्रतिबद्धता रू 4.45 करोड़ (पिछले वर्ष रू 7.09 करोड़) थी।

51. विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित प्रकटीकरण

i). दर विनियमित गतिविधियों की प्रकृति:

कंपनी मुख्य रूप से बिजली के संचरण के व्यवसाय में लगी हुई है। बिजली के संचरण के लिए टैरिफ टैरिफ नियमों के माध्यम से आरसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। टैरिफ सीईआरसी द्वारा भर्ती पूंजी लागत पर आधारित है और ट्रांसमिशन शुल्क वसूली के लिए प्रदान करता है, जिसमें इक्विटी पर वापसी, ऋण पूंजी पर ब्याज, मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन रखरखाव खर्चों पर ब्याज शामिल है।

ii). मान्यता और मापन

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान/रुपांतरण के लिए निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली (गैर–वर्तमान ऋणों के अलावा) विदेशी मुद्रा में विनियामक टैरिफ विनियमों के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में लाभार्थियों को वसूली योग्य/देय सीमा के रूप में विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि के अनुसार। 01.04.2016 को या उसके बाद खींची गई लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में, ओवरलाइन सीईआरसी टैरिफ नियमों के अनुसार पुनर्प्राप्त करने योग्य अंतर के अंतर को विनियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में मान्यता दी जाती है। कंपनी को उम्मीद है कि परिसंपत्ति के जीवन पर टैरिफ के मूल्यह्रास घटक के माध्यम से इन राशियों को पुनप्राप्त करने की उम्मीद है या ऋण के पुनर्भुगतान पर परिवर्तन दर भिन्नता है।

51. विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित प्रकटीकरण (जारी)

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित ब्लॉक अवधि 2019–2024 के लिए टैरिफ मानदंड वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी कर दर के आधार पर पारेषण पर वर्ष के दौरान भुगतान किए गए वास्तविक कर के विरुद्ध आधार पर इक्विटी पर प्रतिलाभ के सकल योग के लिए प्रावधान करते हैं। तदनुसार, पारेषण आय पर 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रदान किए गए आस्थगित कर को आस्थगित कर देयता के विरुद्ध आस्थगित संपत्ति वर्ष के रूप में लेखाबद्ध किया जाता हैं। वर्ष के लिए कर देयता के विरुद्ध आस्थगित्त संपत्तियां भविष्य के वर्षो (कर अवकाश अवधि सहित) में उलट दी जाएंगी जब संबंधित आस्थगित कर देयता वर्तमान कर का एक भाग है।

चालू वर्ष के दौरान, सीईआरसी ने दिनांक 26.12.2022 के आदेश के तहत वेतन संशोधन (2017) के कारण रू134.16 करोड़ की राशि के दावे को अस्वीकार कर दिया है, जिसे विनियामक आस्थगन खाता शेष के रूप में दर्ज किया गया था। तदनुसार, कंपनी ने विनियामक आस्थगन खाता शेष – आय/(व्यय) (कर निवल) में निवल संचलन शीर्ष के तहत चालू वर्ष में लाभार्थियों से वसूली योग्य के रूप में दर्शाई गई राशि को रिवर्स कर दिया है। दिनांक 26.12.2022 के आदेश के विरूद्ध माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष वर्ष 2023 की अपील संख्या 236 दायर की गई है। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया है।

अन्य खर्चों के कारण रु 4.10 करोड़ की संचयी राशि (पिछले वर्ष की संचयी राशि रु 1.60 करोड़) वसूलीयोग्य है जो कि पूंजीकृत नहीं की गई है लेकिन सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में अनुमत है और इसे विनियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में लेखांकित किया गया था। विनियामक आस्थगन खाते की शेष राशि बिना छूट के आधार पर है।

iii) भविष्य की वसूली/विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि के प्रत्यावर्तन से जुड़े जोखिम

(क) विनियमों में परिवर्तन के कारण नियामक जोखिम।

(ख) मुद्रा या अन्य बाजार जोखिम सहित अन्य जोखिम, यदि कोई हो।

31.03.2024 को समाप्त होने वाली वर्तमान टैरिफ अवधि के बाद टैरिफ विनियमों में कोई भी परिवर्तन नियामक आस्थगित खाता शेष की वसूली पर प्रभाव डाल सकता है।

भावी अवधि में लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली पुस्तकों में मान्यता प्राप्त नियामक आस्थगित खाता शेष (परिसंपत्ति) इस प्रकार हैं:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क. आरम्भ में शेष	9,973.04	10,606.35
ख. वर्ष के दौरान योग/कटौती	427.69	(557.90)
ग. वर्ष के दौरान एकत्रित/वापस की गई राशि	116.97	75.41
घ. लाभ के विवरण में मान्यता प्राप्त विनियमित आय/(व्यय) और हानि (ख – ग)	310.72	(633.31)
ङ. अंतशेष (क + घ)	**10,283.76**	**9,973.04**
च. के बयान में मान्य विनियमित आय, (व्यय) पर कर लाभ और हानि	**54.29**	**(110.65)**

52. सेबी (सूचीबद्धता बाधयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण

क. ऋणों की प्रकृति में ऋण और अग्रिम

1. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	बकाया शेष		अधिकतम बकाया राशि	
	31.03.2023 को	31.03.2022 को	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
सहायक कंपनी				
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	867.35	905.06	905.06	908.36
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	783.99
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	33.34	34.59	34.59	36.06
पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	186.00
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	1,183.00

52. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	बकाया शेष		अधिकतम बकाया राशि	
	31.03.2023 को	31.03.2022 को	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	1,540.00
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	1,300.50
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	2,491.97	2,651.33	2,659.59	2,745.28
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	2,433.71	2,523.54	2,566.25	2,523.54
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	933.41	927.38	945.98	927.38
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	742.43	739.49	758.35	744.72
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	349.51	345.66	351.03	348.15
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	761.89	786.71	786.83	786.71
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	912.31	765.75	912.31	765.75
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	427.10	366.65	431.10	366.65
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	461.35	466.79	467.00	473.18
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	515.55	517.06	524.63	520.82
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	590.98	439.80	590.98	439.80
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	800.92	614.99	800.92	614.99
पावरग्रिड रामगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड	228.61	91.84	228.61	91.84
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	67.14	115.14	115.14	159.14
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	1,014.14	424.59	1,014.14	424.59
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	760.08	478.97	760.08	478.97
पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	457.63	279.72	457.63	279.72
पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	785.47	571.25	785.47	571.25
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	425.23	-	425.23	-
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	429.95	-	429.95	-
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	184.51	-	184.51	-
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.93	-	14.93	-
संयुक्त उद्यम				
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्णतः प्रावधानगत)	18.40	18.40	18.40	18.40
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	29.29
कुल	**16,707.91**	**14,064.71**	**17,168.71**	**19,248.08**

2. ऐसी फर्म/कंपनियां, जिनमें निदेशकों के हित हैं : शून्य

ख. पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों में ऋणी द्वारा निवेश (जैसा कि विस्तार में दिया गया हैं) : शून्य

53. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय

डीपीई दिशानिर्देश संख्या फा. संख्या 15(13)/2013–डीपीई (जीएम) के साथ पठित कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली 2014 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा उपार्जित औसत निवल लाभ के न्यूनतम दो प्रतिशत भाग का उपयोग, सामाजिक दायित्वों को निभाने में करना अपेक्षित है। वर्ष के दौरान सीएसआर के व्यय के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

53. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय (जारी)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि	311.97	257.07
ख.	वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा पारित व्यय की जाने वाली राशि	311.97	257.07
ग.	सीएसआर पर व्यय की गई राशि		
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण अथवा अधिग्रहण	138.81	117.30
(ii)	उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्य पर	182.85	153.84
घ.	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली कुल राशि	(9.69)	(14.07)
ड.	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा स्वीकृत्त राशि सीएसआर पर व्यय की गई राशि		
1	शिक्षा एवं कौशलविकास पर व्यय	56.08	53.33
2	पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय	10.73	5.28
3	स्वास्थ्य और स्वच्छता पर व्यय	229.43	189.72
4	खेल, कला और संस्कृति पर व्यय	4.27	1.74
5	ऐतिहासिक महत्व के भवन एवं साइटों के पुनरुद्वार सहित राष्ट्रीय सम्पत्ति कला एवं संस्कृति का संरक्षण	0.03	1.36
6	अन्य सीएसआर कार्यकला	10.25	9.74
7	कंपनी के स्वयं के सीएसआर कार्मिकों का वेतन, मजदूरियां और अन्य लाभ, जिन की सीमा सीएसआर पर व्यय की जाने वाली कुल अपेक्षित राशि का 5 प्रतिशत तक सीमित होगी	10.87	9.97
	सीएसआर पर कुल व्यय की गई राशि	**321.66**	**271.14**
	आरम्भ में सीएसआर दायित्व/प्रावधान	11.32	6.81
	जोड़े : सीएसआर व्यय	321.66	271.14
	घटाएं: नकद में भुगतान की गई राशि	310.37	266.63
	अंत में सीएसआर दायित्व/प्रावधान	22.61	11.32

व्यय की गई अधिक राशि और अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रेणीत राशि।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आरम्भ में शेष	20.76	6.69
वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि	311.97	257.07
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	321.66	271.14
अंत में शेष	**30.45**	**20.76**

भावी वर्षों में समायोजन में शामिल अनिश्चितता को देखते हुए, अनुवर्ती वर्षों में अग्रेणीत की गई राशि के लिए निर्धारण को विवेकपूर्ण रूप से परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

54. उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

श्रेणीगत वित्तीय लिखतें	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	एफवी आसीआई	परिशोधित लागत	एफवी आसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश				

54. उचित मूल्य मापन (जारी)

(₹ करोड़ में)

श्रेणीगत वित्तीय लिखतें	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	एफवी आसीआई	परिशोधित लागत	एफवी आसीआई	परिशोधित लागत
इक्विटी लिखतें				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (रु100 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	102.06		98.69	
पावरग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंन्ट ट्रस्ट (136500100 शेयर)	1,672.40		1,827.74	
व्यापार प्राप्य		13,077.09		8,836.81
ऋण		17,352.39		14,598.05
नकदी एवं नकदी समतुल्य		4,146.24		2,457.47
बैंक में शेष		627.76		579.59
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां				
चालू		2,571.32		6,395.78
गैर–चालू		4,130.48		4,078.44
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,774.46**	**41,905.28**	**1,926.43**	**36,946.14**
वित्तीय देयताएं				
उधारी		1,29,551.49		1,37,447.04
व्यापार देय		325.02		266.14
अन्य वित्तीय देयताएं				
चालू		4,435.94		4,627.13
गैर–चालू		3,564.67		3,523.00
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**1,37,877.12**	**-**	**1,45,863.31**

यह भाग वित्तीय लिखतों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए अनुमानों एवं पूर्वानुमानों को स्पष्ट करता है, जो परिशोधित लागत पर मूल्यांकित हैं और जिसके संबंध में उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त इनपुटों की विश्वसनीयता के बारे में संकेतन प्रदान करने के लिए कम्पनी ने अपने वित्तीय लिखतों को लेखाकरण मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण सारणी के नीचे दिया गया है।

वित्तीय लिखत, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	योग
31 मार्च, 2023 को				
वित्तीय आस्तियां				
निवेश				
इक्विटी लिखत				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (रु 110 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	102.06	-	-	102.06
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (136500100 यूनिट)	1,672.40	-	-	1,672.40
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,774.46**	**-**	**-**	**1,774.46**

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	योग
31 मार्च, 2022 को				
वित्तीय आस्तियां				
निवेश				
इक्विटी लिखत				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (रु 110 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	98.69	-	-	98.69

54. उचित मूल्य मापन (जारी)

विवरण	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	योग
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (136500100 यूनिट)	1,827.74	-	-	1,827.74
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,926.43**	**-**	**-**	**1,926.43**

इक्विटी लिखतों में ये निवेश व्यापार के लिए नहीं रखे जाते हैं। इसके बजाय, ये मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक उद्देश्य के लिए रखे जाते हैं। भा.ले.मा. 109 को अपनाने के बाद, कंपनी ने इक्विटी लिखतों में इन निवेशों को एफवीटीओसीआई के रूप में अभिहित करने का विकल्प चुना है क्योंकि कंपनी का मानना है कि यह लाभ या हानि में तत्काल उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने की तुलना में मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक निवेशों के लिए अधिक सार्थक प्रस्तुति उपदर्शित करता है।

वित्तीय लिखत, जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
		वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
ऋण					
सहायक कम्पनियों को ऋण	2	16,798.92	16,637.39	14,093.01	13,984.84
संयुक्त उद्यमों को ऋण	2	-	-	21.74	18.27
कर्मचारियों को ऋण	2	553.47	467.33	483.30	448.43
गैर–चालू व्यापार प्राप्य	2	695.57	606.55	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**18,047.96**	**17,711.27**	**14,598.05**	**14,451.54**
वित्तीय देयताएं					
उधारी	2	1,29,551.49	1,30,177.14	1,37,447.04	1,41,617.91
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा/प्रतिधारण राशि	2	3,600.89	3,741.03	3,559.22	3,844.04
कुल वित्तीय देनदारियाँ		**1,33,152.38**	**1,33,918.17**	**1,41,006.26**	**1,45,461.95**

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, नकद और समकक्ष और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियों की वहन राशि अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान मानी जाती है। वित्त पट्टा प्राप्य के लिए अग्रणी मूल्य का अनुमान लगाता है। क्योकि इनका समय–समय पर मूल्यांकन ग्राहक की केडिट योग्यता के आधार पर किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अनुमानित नुकसान के लिए भत्ता दर्ज किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहन राशि उचित मूल्यों के बराबर होती है।

स्तर 1: स्तर 1 क्रम में, उधृत मूल्यों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकित वित्तीय लिखतें शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी बॉण्ड शामिल है, जो शेयर बाजार में सक्रिय हैं, इन्हें सूचना अवधि के अनुसार अंतिम मूल्य का प्रयोजन करते हुए मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य, जो क्रियाशील बाजार में सक्रिय नहीं है (उदाहरणार्थ, लेन–देन वाले बाण्ड) को मूल्यांकन तकनीकियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है जो उल्लेखनीय बाजार डेटा के प्रयोग को बढ़ाता है और विशिष्ट अनुमानों पर कम से कम निर्भर रहता है। यदि लिखत के उचित मूल्य हेतु अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय हो, तो लिखत को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय बाजार डेटा पर आधारित न हों, तो लिखत को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में सम्मिलित असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, आकस्मिक प्रतिफलों तथा क्षतिपूरण परिसंपत्ति का मामला है।

वर्ष के दौरान स्तर 1 और 2 के बीच कोई अन्तरण नहीं है कम्पनी की नीति सूचना अवधि के अन्त में उचित मूल्य अनुक्रम स्तरों में अन्तरणों को मान्य करना और इस अनुक्रम में से अन्तरणों को मान्य करना है।

वित्तीय लिखत जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है:

उचित मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकी

वित्तीय लिखतों के मूल्य के लिए प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकियों में निम्न शामिल हैं:

- उद्धृत बाजार मूल्यों का प्रयोग अथवा डीलर सदृश लिखतों के लिए उद्धृत करता है;
- शेष वित्तीय लिखतों को उचित्त मूल्य को छूट प्राप्त नकदी प्रवाह विश्लेषण का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है।

पीटीसी इंडिया लिमिटेड और पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के इक्विटी लिखतों, जिन्हें स्तर 1 उचित मूल्य अनुक्रम में शामिल किया जाता है, को छोड़कर, सभी परिणामी उचित मूल्य अनुमान स्तर 2 में सम्मिलित किए जाते हैं।

वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया है।

55. आईएनडी के अनुसार प्रकटीकरण 24- ''संबंधित पक्ष लेन-देन''

(क) सहायक कम्पनियां

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2022 तक	31.03.2022 तक
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड उंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड साउदर्न इन्टरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड बागी ट्रॉसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड भिन्डगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड अजमेरफागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड फलेरगढ़ दरांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती रामगढ़ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती जेपी पॉपरग्रिड लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती बीकानेर II ट्रांसको लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावर्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती फतेहगढ भादला ट्रांसको लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती सीकर II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड टेलीसर्विसिज लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100%	100%

55. आईएनडी के अनुसार प्रकटीकरण 24- ''संबंधित पक्ष लेन-देन''

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2022 तक	31.03.2022 तक
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती खेतड़ी–नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड)[1]	भारत	100%	NA
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड)[2]	भारत	100%	NA
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड)[3]	भारत	100%	NA
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड)[4]	भारत	100%	NA
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड)[5]	भारत	100%	NA
खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड[5]	भारत	100%	NA
खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड[5]	भारत	100%	NA
खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड[5]	भारत	100%	NA
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड)[5]	भारत	100%	NA
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड)[5]	भारत	100%	NA
रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड[6]	भारत	100%	NA
धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड[6]	भारत	100%	NA
भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड[6]	भारत	100%	NA
[1]11.05.2022 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया			
[2]30.05.2022 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया			
[3]24.08.2022 को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया			
[4]10.10.2022 को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया			
[5] 21.03.2023 को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया			
[6]28.03.2023 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया			

(ख) सहायक कम्पनियां

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	49%	49%
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	भारत	26%	26%
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26%	26%
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड[1]	भारत	30.92%	30.92%
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26%	26%
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	20%	20%
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	भारत	50%	50%
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड[2]	भारत	33.33%	33.33%

55. आईएनडी के अनुसार प्रकटीकरण 24- ''संबंधित पक्ष लेन-देन''

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड[3]	भारत	26%	26%
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड[4]	भारत	50%	50%
भुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	50%	NA
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	भारत	26%	26%

[1]पावरग्रिड और तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और शेयरहोल्डिंग समझौते के अनुसार क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत इक्विटी रखते हैं। तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त इक्विटी के आह्वान पर, पावरग्रिड ने अपने हिस्से का योगदान दिया, जबकि अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार ने अभी तक अपने हिस्से का योगदान नहीं दिया है। नतीजतन, पावरग्रिड की हिस्सेदारी बढ़कर 30.92 प्रतिशत हो गई. जबकि शेयरहोल्डिंग समझौते में 26 प्रतिशत प्रदान किया गया था।

[2]कंपनी ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) में वर्ष के दौरान रू407.49 करोड़ का निवेश किया है, जिससे उसकी हिस्सेदारी 5.71 प्रतिशत से बढ़कर 33.33 प्रतिशत हो गई है। ईईएसएल को संयुक्त उद्यम के रूप में माना गया है। 01.09.2021 संयुक्त नियंत्रण होने के कारण अनुबंध दिनांक 01.09.2021 के तहत बहाल कर दिया गया है।

[3]कंपनी के निदेशक मंडल ने 01 मई 2022 को हुई अपनी बैठक में क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी का संयुक्त उद्यम) में आईएल एंड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा धारित 77,30,225 इक्विटी शेयर की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वर्तमान में प्रस्ताव एनसीएलएटी में समीक्षाधीन है।

[4]पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने 01.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल) को बंद करने और अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहमति लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 08.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में आरपीटीपीएल कार्यवाही को बंद करने और आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। आरपीटीपीएल को बंद करने की मंजूरी इस्पात मंत्रालय से 11.07.2022 को प्राप्त हुई थी। हालाँकि, बंद करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी, क्योंकि साइट सक्षमकर्ता कार्यों के संविदाकार ने मध्यस्थता के आह्वान के लिए दिनांक 17–12–2022 को नोटिस दिया है। सुलहकर्ता नियुक्त कर दिया गया है और सुलह की कार्यवाही प्रगति पर है।

[5]न्यू भुटवल–गोरखपुर 400 केवी डबल सर्किट (क्वाड मूस) क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से के कार्यान्वयन के लिए 50:50 की इक्विटी भागीदारी के साथ कंपनी और नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में 31.08.2022 को निगमित किया गया।

संयुक्त उद्यम कंपनियों की सहायक कंपनियाँ

अ) ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड'

ब) ईईएसएल एनर्जी सॉल्यूशंस एलएलसी'

स) कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड

*भारत के बाहर निगमित

(ग) सहयोगी कंपनी

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड[1]	भारत	NA	0%
पावरग्रिड कालाअंब ट्रांसमिशन लिमिटेड[2]	भारत	26%	26%
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड[2]	भारत	26%	26%
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड[2]	भारत	26%	26%
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड[2]	भारत	26%	26%

[1]13.05.2021 से 26 प्रतिशत की होल्डिंग के साथ सहयोगी कंपनी और 31.03.2022 (12.05.2021 तक सहायक) को पीजीइनविट को हस्तांतरित और टिप्पणी 19क बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत संपत्ति' देखें।

[2]13.05.2021 से सहयोगी कंपनी (12.05.2021 तक सहायक कंपनी) और टिप्पणी 19क बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत संपत्ति देखें।

(घ) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

55. इंडस्ट्रीज के अनुसार 24-''संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (जारी) के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

पूर्णकालिक निदेशक

नाम	पदनाम
श्री के. श्रीकान्त	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और 01.06.2022 से 12.08.2022 तक निदेशक (प्रचालन) का अतिरिक्त प्रभार तथा 01.08.2022 से 21.09.2022 तक निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार
सुश्री सीमा गुप्ता	31–05–2022 तक निदेशक (प्रचालन)
श्री विनोद कुमार सिंह	निदेशक (कार्मिक)
श्री एम.ताज मुकर्रम	निदेशक (वित्त) और 31.07.2022 तक सीएफओ
श्री अभय चौधरी	निदेशक (परियोजना)
श्री आर के त्यागी	12–08–2022 से निदेशक (प्रचालन)
श्री जी रविशंकर	21.09.2022 से निदेशक (वित्त) और 26.09.2022 से सीएफओ

स्वतंत्र निदेशक

नाम	पदनाम
श्री एमएन वेंकटेशन	10.07.2022 तक स्वतंत्र निदेशक
श्री ऑकारप्पा केएन	स्वतंत्र निदेशक
श्री चेतन बंसीलाल कंकारिया	स्वतंत्र निदेशक
श्री राम नरेश तिवारी	स्वतंत्र निदेशक

सरकारी नामित निदेशक व अन्य केएमपी

नाम	पदनाम
श्री दिलीप निगम	04.01.2022 से 30.04.2022 तक सरकारी नामिती निदेशक तथा 06.06.2022 से पुनर्नियुक्त
श्री घनश्याम प्रसाद	21.12.2021 से 14.07.2022 तक सरकारी नामिती निदेशक
श्री मोहम्मद अफजल	11.10.2022 से सरकारी नामिती निदेशक
श्री माधव राजेन्द्रन रघुराज	05.08.2022 से 11.10.2022 तक सरकारी नामिती निदेशक
श्री प्रमोद कुमार	08.08.2022 से 26.09.2022 तक सीएफओ
श्रीमती मृणाल श्रीवास्तव	कम्पनी सचिव

(ङ) संबंधित पक्षों की सूची

कम्पनी का नाम	कार्यस्थान/निगमन देश	संबंध का स्वरूप
पावरग्रिड एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की नियोजन उपरांत लाभ योजना
पावरग्रिड एम्प्लॉईज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन बेनिफिट (पेंशन) स्कीम ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की नियोजन उपरांत लाभ योजना
पावरग्रिड एम्प्लॉईज ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की नियोजन उपरांत लाभ योजना
पावरग्रिड एम्प्लॉईज पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की सेवानिवृत्ति लाभ योजना
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट	भारत	प्रायोजक

55. आईएनडी के अनुसार प्रकटीकरण 24- ''संबंधित पक्ष लेन-देन''

(₹ करोड़ में)

(ड.) सरकार से संबंधित कम्पनियां

कम्पनी, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियंत्रित है, जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है, जो भारत सरकार की जारी एवं प्रदत्त 55.37% इक्विटी शेयर जमा पूंजी हैं (पूर्ववर्ती वर्ष 56.91%)।

कम्पनी का दूसरी कम्पनियों के साथ पूंजीगत उपकरण, अतिरिक्त पुर्जे एवं सेवाओं के प्रापण हेतु भारत सरकार द्वारा नियंत्रित व्यापार लेनदेन है। इन कम्पनियों के साथ लेन–देन खुली निविदाओं के प्रति पारदर्शी मूल्य खोज प्रक्रिया के जरिए आर्म्स लेंथ आधार पर बाजार शर्तों पर किए जाते हैं, जो अत्यावश्यकता, सुसंगता अथवा अन्य कारणों से स्वामित्व मदों/एकुल निविदा आधार पर मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) से अतिरिक्त पुर्जों/सेवाओं के कुछ मामलों को कर है। ऐसे एकुल निविदा प्रापण उन्हीं/सदृश मदों के उपलब्ध मूल्य डेटा के संबंध में मूल्य मानक के साथ वार्ता प्रक्रिया के जरिए भी किया जाता है।

उपरोक्त लेन–देन समान्य दिन–प्रतिदिन. के कार्य प्रचालन की प्रक्रिया में है और आकार को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण होना नहीं समझा जाता है, जो या तो व्यक्तिगत रूप से होता है या फिर सामूहिक रूप से।

(च) संबंधित पक्षों के साथ बकाया राशि

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित शेष राशि बकाया है:

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्राप्य राशियां		
सहायक कंपनियों को ऋण		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	867.35	905.06
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	33.34	34.59
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	2,491.97	2,651.33
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	2,433.71	2,523.54
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	933.41	927.38
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	742.43	739.49
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	349.51	345.66
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	761.89	786.71
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	912.31	765.75
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	427.10	366.65
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	461.35	466.79
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	515.55	517.06
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	590.98	439.80
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	800.92	614.99
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	228.61	91.84
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	67.14	115.14
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	1,014.14	424.59
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	760.08	478.97
पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	457.63	279.72
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	785.47	571.25
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	425.23	-
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	429.95	-
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	184.51	-
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.93	-
कुल	**16,689.51**	**14,046.31**
संयुक्त उपक्रम को ऋण		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्रा लिमिटेड (पूर्णतः प्रावधानगत)	18.40	18.40
कुल	**18.40**	**18.40**

55. आईएनडी के अनुसार प्रकटीकरण 24- ''संबंधित पक्ष लेन-देन''

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
सहायक कंपनियों को ऋण से उपार्जित ब्याज		
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.74	-
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.80	0.10
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.02
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	0.11
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.71	0.04
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	4.04
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	12.77
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	7.71
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	2.68
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	10.21	3.53
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	13.49	6.77
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.89	0.45
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	16.04	2.03
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.47	2.41
पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	7.98	1.42
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	13.46	2.62
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.61	-
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	5.21	-
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	2.63	-
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.17	-
कुल	**109.41**	**46.70**
संयुक्त उद्यमों को ऋण से ब्याज		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्रा लिमिटेड (पूर्णतः प्रावधानगत)	3.34	3.34
कुल	**3.34**	**3.34**
मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों को ऋण	**0.09**	**0.11**
अन्य प्राप्य		
सहायक कंपनी		
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्णतः प्रावधानगत – टिप्पणी 11 देखें)	19.43	19.42
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.12	0.12
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.03	2.51
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.17	0.18
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.30	1.93
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.06	0.74
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.35	8.27
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	2.48	5.07
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.93	0.94
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.09	0.28
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.71	0.13
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.09	2.48

55. आईएनडी के अनुसार प्रकटीकरण 24- ''संबंधित पक्ष लेन-देन''

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	7.00	3.44
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.08	1.98
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी आफ इंडिया लिमिटेड	640.75	270.01
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.02	0.31
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.20	0.78
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	3.86	3.06
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.86	1.35
पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.33	1.11
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.20	5.03
पावरग्रिड टेलीसर्विसिज लिमिटेड	0.48	0.48
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	18.43	0.09
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	22.37	-
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.56	-
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	1.49	-
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.84	-
खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	53.07	-
खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	75.78	-
खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	153.65	-
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	37.24	-
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.42	-
रायपुर पूल धमात्री ट्रांसमिशन लिमिटेड	7.36	-
धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.79	-
भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	101.88	-
कुल	**1,202.42**	**329.71**
संयुक्त उद्यम		
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.11	0.13
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	0.25	0.17
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.39	0.38
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.86	6.55
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.32	-
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	0.01	0.01
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	0.15	0.01
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	2.82	1.12
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	1.08	0.02
भुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
कुल	**8.00**	**8.39**
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.16	0.15
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.09	0.09
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.33	0.28
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.30	0.29
कुल	**0.88**	**0.81**
अन्य प्राप्य	**1,211.30**	**338.91**

55. आईएनडी के अनुसार प्रकटीकरण 24- ''संबंधित पक्ष लेन-देन''

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अग्रिम/देय राशि		
सहायक कंपनी		
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	1.50	-
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	0.06
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी आफ इंडिया लिमिटेड	0.18	0.13
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.90	-
संयुक्त उद्यम		
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.04
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	55.37	55.93
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	7.18	14.93
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड	33.01	-
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	2.34	2.56
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	11.26	11.26
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.01
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.03
संयुक्त उद्यमों की सहायक कंपनी		
कंवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	1.15	-
संबंधित पार्टी को कुल देय	**126.94**	**84.95**
अन्य संबंधित पक्ष		
कर्मचारी हितलाभ ट्रस्ट में बकाया शेष		
पावरग्रिड एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट	27.26	0.21
पावरग्रिड एम्प्लॉईज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन बेनिफिट (पेंशन) स्कीम ट्रस्ट	0.57	0.07
पावरग्रिड एम्प्लॉईज ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	(12.02)	12.70
पावरग्रिड एम्प्लॉईज पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट	12.03	(0.58)
कुल	**27.84**	**12.40**

संबंधित पक्ष की ओर से दी गयी गारण्टी के लिये टिप्पणी 58 देखें

(छ) संबंधित पक्ष से लेन देन

संबंधित पक्ष से निम्न लेन देन हुए:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी द्वारा दी गयी सेवाएं		
परामर्श आय		
सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.01	2.90
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.40
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.37	1.32
पावरग्रिड कलाअंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.50
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.32
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	1.25

55. आईएनडी के अनुसार प्रकटीकरण 24– ''संबंधित पक्ष लेन-देन''

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	1.25
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	11.47	10.79
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	17.69	16.14
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	15.11	14.04
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	1.21	2.89
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.25	6.61
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	8.94	5.76
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.31	9.54
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.92	3.36
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.55	2.63
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.72	3.06
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.92	7.66
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.57	9.76
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.24	1.55
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.71	0.69
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	10.62	9.08
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.69	13.35
पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.55	7.31
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन	2.93	14.38
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	5.96	-
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	10.90	-
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	1.38	-
पावरग्रिड ईआरएनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.42	-
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.07	-
खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.17	-
खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.28	-
खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.79	-
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	1.36	-
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.03	-
रायपुर पूल धमात्री ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.07	-
धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.19	-
भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.89	-
कुल	**138.29**	**146.54**
संयुक्त उद्यम		
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	0.71	0.69
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.10	0.53
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.73	1.25
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	1.06	1.03
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	1.55	1.88
कुल	**5.15**	**5.38**
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	3.15
पावरग्रिड कलाअंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.58	4.66

55. आईएनडी के अनुसार प्रकटीकरण 24- ''संबंधित पक्ष लेन-देन''

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.01	2.67
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.14	7.89
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	8.99	7.75
कुल	**25.72**	**26.12**
परामर्श आय	**169.16**	**178.04**
ब्याज आय		
सहायक कंपनी		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	70.61	70.60
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	6.91
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.78	2.90
पावरग्रिड कलाअंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	1.60
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	9.85
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	12.73
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	10.91
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	187.36	190.97
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	186.00	174.34
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	67.25	62.72
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	54.38	48.92
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	24.95	23.79
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	55.13	49.41
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	62.69	34.93
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	28.97	20.90
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	32.48	31.72
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	36.49	33.83
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	39.09	14.43
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	53.40	20.45
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.18	2.57
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.86	8.19
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	52.72	11.24
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	43.62	16.40
पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	28.33	8.90
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन	51.22	13.86
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	7.95	-
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	8.24	-
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	2.92	-
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.31	-
कुल	**1,115.93**	**883.07**
संयुक्त उद्यम		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	0.07	1.96
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.40
कुल	**0.07**	**2.36**
अन्य संबंधित पक्ष		

55. आईएनडी के अनुसार प्रकटीकरण 24- ''संबंधित पक्ष लेन-देन''

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
पावरग्रिड इंफास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट	107.70	68.52
कुल	**107.70**	**68.52**
ब्याज आय	**1,223.70**	**953.95**
प्राप्त लाभांश		
सहायक कंपनी		
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	11.28	13.35
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	18.43	147.47
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	218.26	156.53
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	50.60	17.72
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	29.88	11.16
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	6.17
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	23.79	-
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.11	-
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	7.25	-
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	10.43	-
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	65.00	-
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	45.00	84.00
कुल	**482.03**	**436.40**
संयुक्त उद्यम		
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	43.57	36.69
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	4.45	5.15
पार्वती कोलडेम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	7.09	9.93
नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	18.18	13.90
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	3.15	1.39
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	1.32	1.32
कुल	**77.76**	**68.38**
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	35.34
पावरग्रिड कलाअंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.66	8.25
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	11.21	18.05
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	21.27	26.89
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.68	28.22
कुल	**58.82**	**116.75**
अन्य संबंधित पक्ष		
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट	46.14	33.85
कुल	**46.14**	**33.85**
प्राप्त लाभांश	**664.75**	**655.38**
अन्य आय		
सहायक कंपनी		
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.34	0.29
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	0.37

55. आईएनडी के अनुसार प्रकटीकरण 24- ''संबंधित पक्ष लेन-देन''

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.47	-
संयुक्त उद्यम		
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.16	-
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	0.21	0.09
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	1.35	1.97
अन्य आय	**2.53**	**2.72**
अन्य व्यय		
संयुक्त उद्यम:		
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.93	1.24
संयुक्त उद्यमों की सहायक कंपनी:		
कंवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	1.22	-
कुल	**2.15**	**1.24**
प्रतिपूर्ति आधार पर प्राप्त सामग्री		
सहायक कंपनी		
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.22	-
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.22	-
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.53	-
कुल	**30.97**	**-**
प्रतिपूर्ति के लिए प्रेषित/निर्गत सामग्री		
सहायक कंपनी		
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.22	-
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.22	-
कुल	**18.44**	**-**
वर्ष के दौरान निवेश		
सहायक कंपनी		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.00	3.90
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.00	88.37
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	19.70
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	1.56	17.95
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	12.40
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	36.85
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	52.00	82.29
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	21.80	40.10
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	3.00
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	27.59
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	33.10	87.48
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	65.42	97.70

55. आईएनडी के अनुसार प्रकटीकरण 24– ''संबंधित पक्ष लेन-देन''

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	23.90	1.05
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	77.79	22.20
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	32.65	47.35
पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	11.90	20.31
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	15.60	62.35
पावरग्रिड टेली सर्विसेज लिमिटेड	-	9.00
पावरग्रिड एनर्जी सर्विस लिमिटेड	10.00	-
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.05	-
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
खावड़ा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.05	-
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
कुल	**357.17**	**679.59**
संयुक्त उद्यम		
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	11.59	32.24
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	-	407.49
भुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.03	-
कुल	**11.62**	**439.73**
वर्ष के दौरान निवेश	**368.79**	**1,119.32**
वर्ष के दौरान को ऋण		
सहायक कंपनी		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	17.00
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	60.60	3.10
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	60.17	185.52
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	30.24	66.92
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	29.98	86.67
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.45	22.49
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	4.23	153.74
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	146.56	434.22
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	64.45	124.75
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	8.78	41.37
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	17.30	73.96
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	151.18	334.42
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	185.93	453.00

55. आईएनडी के अनुसार प्रकटीकरण 24- ''संबंधित पक्ष लेन-देन''

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	136.77	86.02
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	159.14
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	589.55	424.59
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	285.61	478.97
पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	177.91	279.72
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	214.22	571.25
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	425.23	-
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	429.95	-
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	184.51	-
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.93	-
कुल	**3,224.55**	**3,996.85**
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को दिए गए ऋण	**0.31**	**0.09**
<u>वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण चुकौती</u>		
सहायक कंपनी		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	37.71	3.30
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.25	1.47
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	219.96	97.05
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	150.00	35.00
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	24.21	3.70
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	27.04	5.23
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.60	2.49
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	29.05	-
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.00	-
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.22	6.90
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	18.81	3.76
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	48.00	44.00
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.50	-
कुल	**581.35**	**202.90**
संयुक्त उद्यम		
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	29.29
कुल	**-**	**29.29**
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	783.99
पावरग्रिड कलाअंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	186.00
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	1,183.00
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	1,540.00
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	1,300.50
कुल	**-**	**4,993.49**
वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण चुकौती	**581.35**	**5,225.68**

55. आईएनडी के अनुसार प्रकटीकरण 24- ''संबंधित पक्ष लेन-देन''

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा ऋण चुकौती	**0.33**	**0.12**
व्यय की प्रतिपूर्ति (माल/सेवाएं)		
सहायक कंपनी		
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.11	0.10
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.02	0.05
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.40	0.68
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	0.09
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.03	0.04
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.02
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.88	0.01
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.01
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी आफ इंडिया लिमिटेड	0.18	0.19
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.02	0.02
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.11
पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.03
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
पावरग्रिड टेली सर्विसेज लिमिटेड	-	0.48
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	3.81	0.09
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	16.98	-
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.04	-
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.03	-
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.02	-
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
खावड़ा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.20	-
खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.11	-
रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.14	-
कुल	**27.05**	**2.02**
संयुक्त उद्यम		
भुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
कुल	**0.01**	**-**
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.11	-
कुल	**0.11**	**-**
अन्य संबंधित पक्ष		
वर्ष के दौरान अंशदान		
पावरग्रिड एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट	122.90	117.07

55. आईएनडी के अनुसार प्रकटीकरण 24- ''संबंधित पक्ष लेन-देन''

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
पावरग्रिड एम्प्लॉईज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन बेनिफिट (पैंशन) स्कीम ट्रस्ट	91.25	100.77
पावरग्रिड एम्प्लॉईज ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	(14.85)	37.86
पावरग्रिड एम्प्लॉईज पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट	(8.25)	35.54
कुल	**191.05**	**291.24**
पावरग्रिड इंफास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ लेन देन		
निवेश के अंतरण के लिये प्राप्त यूनिट	-	1,365.00
ऋण घटक का संवितरण	9.96	-
बिक्री की पेशकश सहित निवेश के अंतरण से प्राप्त राशि	-	3,370.95
कुल	**9.96**	**4,735.95**
प्राप्त अग्रिम		
सहायक कंपनी		
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	1.50	-
कुल प्राप्त अग्रिम	1.50	-
दिया गया अग्रिम		
सहायक कंपनी		
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.72	-
खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	52.02	-
खावड़ा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	74.43	-
खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	151.93	-
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	36.02	-
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	11.50	-
रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	7.15	-
धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.62	-
भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	100.18	-
दिया गया कुल अग्रिम	**446.57**	**-**
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के लिये वसूली		
सहायक कंपनी		
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	5.92	4.98
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.02	2.31
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	12.40	-
संयुक्त उद्यम		
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	0.04	-
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	3.03	0.89
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.65	0.79
नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.99	0.25
क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.99	0.67
कुल	**26.04**	**9.89**

नियम और शर्तें

55. आईएनडी के अनुसार प्रकटीकरण 24- ''संबंधित पक्ष लेन-देन''

प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को ऋण उन्हीं नियमों और शर्तों पर हैं जो अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

अन्य सभी लेनदेन सामान्य वाणिज्यिक नियमों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किए गए थे। सभी बकाया राशि अप्रतिभूत हैं और नकद में चुकाने योग्य हैं।

सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों को ऋण स्वीकृत नियमों और शर्तों के अनुसार 6.35% से 10.00% पर दिया जाता है।

(i) संबंधित पक्षों के साथ सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) की क्षमता में लेनदेन

(₹ in crore)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
सीटीयूआईएल के सीटीयू के रूप में कार्य करने की अवधि के लिए		
सीटीयू की क्षमता में सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ लेन–देन	43,056.94	34,369.61

(j) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(₹ in crore)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	5.67	5.12
रोजगार के बाद के लाभ	0.84	0.15
दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.49	0.64
कुल	**7.00**	**5.91**
बैठक शुल्क	0.44	0.44

उपरोक्त पारिश्रमिक के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को 2000/– रु प्रतिमाह के भुगतान पर स्टाफ कार (निजी यात्रा सहित) का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। जैसा कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(23)/11–डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल–वी/13 दिनांक 21/01/2013 में निहित है।

56. प्रचालन खंड

क) व्यापार खंड

निदेशक मंडल कंपनी का मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) है जो संसाधन आवंटन और प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यावसायिक क्षेत्रों के परिचालन परिणामों की अलग से निगरानी करता है। प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर रिपोर्ट करने योग्य तीन खंडों की पहचान की गई है।

- **पारेषण सेवाएं**– कंपनी का प्रमुख व्यवसाय भारत के विभिन्न राज्यों में थोक बिजली का संचरण है।
- **दूरसंचार सेवाएं**– कंपनी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क पर रखे ऑप्टिकुल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) में उपलब्ध अतिरिक्त ऑप्टिकुल फाइबर का उपयोग करती है। यह पॉइंट टू पॉइंट बैंडविड्थ लीजिंग व्यवसाय में एक तटस्थ वाहक के रूप में कार्य करता है। संदर्भ टिप्पणी नं 65 कंपनी के दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय करने के लिए कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन पर प्रकटीकरण के लिए।
- **परामर्शी सेवाएं**– योजना सहित ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और टेलीकॉम सेक्टर में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराती है।

ख) कंपनी का प्रचालन मुख्य रूप से देश के भीतर किया जाता है और इसलिए कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खंड नहीं है।

ग) प्रमुख ग्राहक के बारे में जानकारी: किसी एक ग्राहक से प्राप्त राजस्व कंपनी के कुल के 10: के बराबर या उससे अधिक नहीं है।

घ) खंड राजस्व और व्यय

सेगमेंट से सीधे तौर पर जुड़े राजस्व को सेगमेंट रेवेन्यू माना जाता है। खंडों के लिए सीधे जिम्मेदार व्यय और उचित आधार पर आवंटित सामान्य व्यय को खंड व्यय के रूप में माना जाता है।

भारत में बाहरी ग्राहक से राजस्व 43,857.41 करोड़ (पिछले वर्ष 40,511.50 करोड़) और भारत के बाहर रु 57.28 करोड़ (पिछले वर्ष रु 47.12 करोड़) है।

ङ) खंड संपत्ति और देयताएं

खंड की संपत्ति में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, वर्तमान संपत्ति और ऋण और अग्रिम सहित सभी परिचालन संपत्तियां शामिल हैं। निर्माण, कार्य–प्रगति, निर्माण भंडार और अग्रिम और निवेश असंबद्ध संपत्तियों में शामिल हैं। खंड देनदारियों में परिचालन देनदारियां और प्रावधान शामिल हैं।

56. प्रचालन खंड (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	पारेषण सेवाएं		परामर्शी सेवाएं		दूरसंचार सेवाएं		विलोपन		योग	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
राजस्व:										
प्रचालनों से राजस्व (आबंटन योग्य अन्य आय सहित)	42,647.15	39,187.62	528.70	771.22	738.84	599.78	-	-	43,914.69	40,558.62
अंतर खंड राजस्व					74.71	69.08	(74.71)	(69.08)	-	-
प्रचालनों से निवल राजस्व	**42,647.15**	**39,187.62**	**528.70**	**771.22**	**813.55**	**668.86**	**(74.71)**	**(69.08)**	**43,914.69**	**40,558.62**
खंड परिणाम	24,807.52	21,797.33	95.27	347.48	313.49	223.53			25,216.28	22,368.34
असाधारण वस्तु									-	3,759.51
अनाबंटित ब्याज और अन्य आय									2,053.38	1,777.26
अनाबंटित वित्त लागत									9,744.25	8,210.94
कर पूर्व लाभ (विनियामक) आस्थगन लेखा शेषों में घट–बढ़ सहित) 8,270.94 8,507.0									17,525.41	19,694.17
करों के लिए प्रावधान									2,192.39	2,600.41
कर–पश्चात लाभ									**15,333.02**	**17,093.76**
अन्य सूचना										
खंड परिणाम	2,07,554.51	2,12,132.74	1,578.62	1,895.00	1,083.58	925.48			2,10,216.71	2,14,953.22
अनाबंटित परिसम्पत्तियां									35,815.99	32,663.56
कुल परिसम्पत्तियां									260.86	260.86
खंड देयताएं									**2,46,293.56**	**2,47,877.64**
खंड देयताऐं	12,892.08	12,144.91	2,670.81	2,741.83	637.16	648.01			16,200.05	15,534.75
अनाबंटित अन्य देयताएं (ऋण सहित)									1,47,260.55	1,56,191.32
कुल देयताएं									**1,63,460.60**	**1,71,726.07**
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	12,832.87	12,441.30	6.09	5.75	100.92	103.53			12,939.88	12,550.58
मूल्यह्रास से भिन्न गैर–नकदी व्यय	90.98	26.50	2.21	4.02	0.06	2.10			93.25	32.62
पूंजीगत व्यय	5,736.65	15,466.66	2.78	3.73	130.67	199.00			5,870.10	15,669.39

57. पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
पूंजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और	10,125.75	4,300.63
अग्रिमों की राशि के लिए प्रदान नहीं की गई	712.80	116.69
संयुक्त उद्यम संस्थाओं में और निवेश/ऋण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता	14,780.64	4,951.48
कंपनी की अन्य संस्थाओं में निवेश के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता	-	452.05

58. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

(क) आकस्मिक देयताएं

1. कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:

1) पूंजीगत कार्य

हमारी परियोजनाओं में उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना और कार्यों के निष्पादन के लिए कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर अनुबंध मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, काम की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजा, निष्क्रिय शुल्क आदि की मांग की है। कंपनी द्वारा इन दावों का संबंधित अनुबंधों के प्रावधानों के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं होने के कारण विरोध किया जा रहा है।

कंपनी इन दावों के निपटान के लिए अनुबंध में उपलब्ध विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों का अनुसरण कर रही है। ऐसे मामलों में रू 2945.71 करोड़ (पिछले वर्ष रू 2,780.93 करोड़) की आकस्मिक देयता का अनुमान लगाया गया है।

2) भूमि मुआवजे के मामले

परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत भूमि के संबंध में, भूमि हारने वालों ने विभिन्न प्राधिकरणॉध्अदालतों के समक्ष उच्च मुआवजे का दावा किया है जिनका निपटान किया जाना बाकी है। ऐसे मामलों में, रू 2,541.50 करोड़ (पिछले वर्ष रू 1,688.69 करोड़) की आकस्मिक देयता की गई है।

3) अन्य दावे

भवन अनुज्ञा शुल्क के संबंध में विभिन्न राज्य/केंद्र सरकार के विभागों/प्राधिकारियों द्वारा किए गए दावों के संबंध में, कृषि भूमि को गैर–कृषि उपयोग में बदलने पर जुर्माना। नाला कर, जल रॉयल्टी आदि और अन्य द्वारा, आकस्मिक देयता रू 6.71 करोड़ (पिछले वर्ष रू 5.81 करोड़) का अनुमान लगाया गया है।

4) विवादित आयकर, बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/नगरपालिका कर मामले

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष रू 435.83 करोड़ (पिछले वर्ष रू 476.15 करोड़) के विवादित आयकर/बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/नगरपालिका कर मामलों का विरोध किया जा रहा है। इनमें से कई मामलों को कंपनी के पक्ष में निपटाया गया है लेकिन संबंधित विभागों द्वारा उच्च अधिकारियों के समक्ष विवादित हैं। रू 210.34 करोड़ (पिछले वर्ष रू 201.22 करोड़) के कुल दावे के प्रति, रू 174.64 करोड़ (पिछले वर्ष रू 165.62 करोड़) का प्रावधान किया गया है और रू 35.70 करोड़ (पिछले वर्ष रू 35.70 करोड़) के जुर्माने को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है क्योंकि यह जानबूझकर नहीं है डिफॉल्ट और प्रबंधन की राय में, वही है।

5) अन्य

क) व्यापार प्राप्य राशि के विरुद्ध बैंकों के पास भुनाए गए बिलों के संबंध में आकस्मिक देयता राशि 1,528.11 करोड़ (पिछले वर्ष रू 3,720. 37 करोड़) है। इस संबंध में बैंकों से कंपनी पर किसी भी दावे के मामले में, अधिभार के साथ लाभार्थियों से पूरी राशि की वसूली की जाएगी।

ख) अन्य आकस्मिक देनदारियां रू 820.75 करोड़ (पिछले वर्ष रू 663.71 करोड़) हैं, जिसमें मध्यस्थता मामलों/आरओडब्ल्यू मामलों से संबंधित रू 563.25 करोड़ (पिछले वर्ष रू 394.14 करोड़) का दावा शामिल है।

ग) कुछ लाभार्थियों ने सीईआरसी के टैरिफ आदेशों के खिलाफ अपील दायर की है। इस संबंध में आकस्मिक देयता की राशि निश्चित नहीं है।

घ) पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट (टीएसए) के तहत कंपनी (पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) टीएसए के अनुसार निर्धारित एक खरीद मूल्य पर कंपनी को खरीदने का दायित्व है यदि संयुक्त उद्यम कंपनी (पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) टीएसए के तहत निर्धारित पावरग्रिड इवेंट ऑफ डेट या फोर्स मेज्योर इवेंट पर टर्मिनेशन नोटिस देती है, तो मुझे ऐसा दायित्व मिलता है। इस खाते पर किसी आकस्मिक देयता पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

58. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां (जारी)

2. एसपीवी कंपनियों की ओर से कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटियों का विवरण, जिन्हें टैरिफ आधारित बोली–प्रक्रिया के तहत प्रदान किए गए कार्य के प्रदर्शन के लिए दिए गए व्यवसाय को करने के लिए लिया गया था, निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

एसपीवी का नाम	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	2.23
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	110.04
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	27.11	55.93
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.69	23.61
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	16.44
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	23.55
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	25.63	25.63
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	28.14	28.14
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	33.75	33.75
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.04	14.04
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	34.65	34.65
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	37.13	37.13
पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	10.50	10.50
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	17.33	17.33
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.01	-
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	15.33	-
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	18.60	-
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.84	-
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.80	-
खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	24.00	-
खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	30.00	-
खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	39.90	-
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	18.00	-
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	15.90	-
रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.80	-
धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.00	-
भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	16.28	-

ख. आकस्मिक संपत्ति

कंपनी के कुछ ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए टैरिफ का निर्धारण करते समय, सीईआरसी ने कंपनी द्वारा किए गए कुछ पूंजीगत व्यय को अस्वीकार कर दिया है। इस तरह के मुद्दों से व्यथित कंपनी ने सीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेशों के खिलाफ बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल)/माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। पिछले अनुभव के आधार पर, कंपनी का मानना है कि अनुकुल परिणाम की संभावना है। हालाँकि, इसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान लगाना अव्यावहारिक है क्योंकि इसकी प्राप्ति निर्णय के परिणाम पर निर्भर है।

59. पूंजी प्रबंधन

क) जोखिम प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य हैं:

- शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करें;
- एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना:
- पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखना।

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, इक्विटी पूंजी में कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण जारी इक्विटी पूंजी, प्रतिभूति तति प्रीमियम

59. पूंजी प्रबंधन (जारी)

खाता और अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। कंपनी अपनी पूजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों, नियामक ढांचे और उधारदाताओं के साथ वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं में बदलाव के आलोक में समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, नई परियोजनाओं में निवेश को विनियमित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी ऋण–इक्विटी अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करती है, जो कि कुल निवल मूल्य के लिए दीर्घकालिक ऋण का अनुपात है। नीति ऋण–इक्विटी अनुपात रखने की है जिसमें ऋण नियोजित कुल पूंजी का 75 प्रतिशत से कम है (अर्थात ऋण से इक्विटी अनुपात 75:25 से कम)। कंपनी में लंबी अवधि के ऋण, ब्याज वाले ऋण और उधार और दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता शामिल हैं।

कंपनी का ऋण–इक्विटी अनुपात इस प्रकार था:

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
कुल उधार (करोड़ में)	1,26,594.90	1,34,665.27
इक्विटी (करोड़ में)	82,832.96	76,151.57
ऋण इक्विटी अनुपात	1.53	1.77

प्रमुख उधार सुविधाओं की शर्तों के तहत, कंपनी को वित्तीय अनुबंधों का पालन करना आवश्यक है। वित्तीय वाचाओं को पूरा करने में उल्लंघन करने से ऋणदाताओं को तुरंत ऋण और उधार लेने की अनुमति मिल जाएगी। वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में किसी भी ब्याज–असर वाले ऋण और उधार की वित्तीय वाचाओं में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। 31.03.2023 और 31.03.2022 को समाप्त हुए वर्षों के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ख) लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ईक्वटी शेयर		
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त शेयर पर रू 2.25 (31.03.2021 – रू 3.00'') का अंतिम लाभांश प्रति	1,569.48	2,092.64
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त शेयर पर रू 10.00 (31.03.2022 – रू 12.50) का अंतरिम लाभांश प्रति	6,975.45	8,719.32

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश को मान्यता नहीं दी गई:

उपरोक्त लाभांश के अलावा, निदेशक मंडल ने 19.05.2023 को प्रति पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर के लिए रू 4.75 के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

60. प्रति शेयर आय

(₹ करोड़ में)

(क) इक्विटी धारकों को अंकित प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन सहित	21.98	24.51
विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन को छोड़कर	21.61	25.25
इक्विटी धारक के कारण प्रति शेयर कुल मूल और तनुकृत आय	**21.98**	**24.51**

(₹ करोड़ में)

(ख) आय की गणना में अंश के रूप में उपयोग की जाने वाली आय प्रति शेयर का समाधान	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को होने वाली विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन सहित कंपनी के इक्विटी धारकों को अंकित आय	15,333.02	17,093.76

60. प्रति शेयर आय (जारी)

(₹ करोड़ में)

(ख) आय की गणना में अंश के रूप में उपयोग की जाने वाली आय प्रति शेयर का समाधान	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को होने वाली विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन सहित कंपनी के इक्विटी धारकों को अंकित आय	15,076.59	17,616.42
कंपनी के इक्विटी धारकों को अंकित कुल आय	**15,333.02**	**17,093.76**

(ग) हर के रूप में इस्तेमाल किए गए शेयरों की भारित औसत संख्या	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल आय की गणना में हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित्त औसत संख्या	6975452864	6975452864
प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के लिए समायोजन	-	-
प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के लिये हर के रूप में उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की कुल भारित औसत संख्या	**6975452864**	**6975452864**

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में भारतीय रुपये या विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्ग के ऋण और उधार शामिल हैं।

व्यापार देय और अन्य देय।

इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के पूंजी निवेश और प्रचालन का वित्तपोषण करना है।

कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो इसके प्रचालन से उत्पन्न होते हैं।

कंपनी की गतिविधियां इसे निम्नलिखित वित्तीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं, अर्थात्

(क) क्रेडिट जोखिम

(ख) चलनिधि जोखिम

(ग) बाजार जोखिम

यह टिप्पणी इन जोखिमों को मापने और प्रबंधित करने के लिए कंपनी के जोखिम, उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है।

जोखिम प्रबंधन ढांचा

कंपनी में निदेशक (परियोजना) की अध्यक्षता में एक विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति है, जिसमें निदेशक (प्रचालन), निदेशक (वित्त) और एक स्वतंत्र निदेशक सदस्य हैं। उद्यम द्वारा सामना की जाने वाली अनिश्चितताओं के मूल्यांकन और प्रबंधन के उद्देश्य से, कंपनी में उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू किया गया है। यह ढांचा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक संरचित, जुसंगत और सतत प्रक्रिया है। इस ढांचे के अनुसार, विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं/जोखिमों की निगरानी और नियंत्रण किया जाता है। समिति अंतराल पर बैठक करती है और केपीआई की समीक्षा करती है और लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड अद्यतन प्रदान करती है।

कंपनी द्वारा वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन का सारांश नीचे दिया गया है:

(अ) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जो प्रतिपक्ष वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा, जिससे वित्तीय नुकसान हो सकता है। कंपनी व्यापार प्राप्य और ऋण और अग्रिमों के कारण अपनी परिचालन गतिविधियों से और बैंकों और वित्तीय स्स्थानों के पास जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और अन्य वित्तीय साधनों के कारण अपनी वित्तीय गतिविधियों से ऋण जोखिम के संपर्क में है।

एक वित्तीय परिसंपत्ति पर एक डिफॉल्ट तब होता है जब प्रतिपक्ष देय होने के 3 साल के भीतर संविदात्मक भुगतान करने में विफल रहता है। डिफॉल्ट की यह परिभाषा उस कारोबारी माहौल को देखते हुए निर्धारित की जाती है जिसमें कंपनी संचालित होती है और अन्य मैक्रो–इकोनॉमिक कारक होते हैं।

जब वसूली की कोई उचित अपेक्षा नहीं होती है, जैसे देनदार दिवालिया घोषित कर देता है या कंपनी के साथ पुनर्भुगतान योजना में शामिल होने में विफल रहता है, तो संपत्तियां बट्टे खाते में डाल दी जाती हैं। जहां ऋण या प्राप्य को बट्ढे खाते में डाल दिया गया है, कंपनी प्राप्य बकाया की वसूली के प्रयास के लिए प्रवर्तन गतिविधि में संलग्न है। जहां ऐसी वसूली की जाती है, उन्हें लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

i) व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्ति

कंपनी मुख्य रूप से अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सेवा ग्राहकों (डीआईसी) को ट्रांसमिशन सुविधाएं प्रदान करती है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली राज्य उपयोगिताएं शामिल हैं और मुख्य राजस्व ट्रांसमिशन शुल्क से है। सीईआरसी (अंतर–राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों का बंटवारा) विनियम, 2020 (सीईआरसी साझाकरण विनियम) के तहत सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयूआईएल) को पावरग्रिड सहित ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों की ओर से बिलिंग, संग्रहण और संवितरण का कार्य सौंपा गया है। सीईआरसी साझाकरण विनियम, पारेषण प्रभारों के लिए मासिक बिलों के लिए नियत तारीख के भीतर भुगतान की अनुमति देता है, अर्थात, बिल की प्रस्तुति की तारीख से 45 दिनों के भीतर और अधिभार की वसूली 45 दिनों से अधिक विलंबित भुगतान। हालांकि, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के नकदी प्रवाह में सुधार के लिए, सीटीयूआईएल ने 45 दिनों के भीतर किए गए भुगतान के लिए एक श्रेणीबद्ध छूट प्रदान की है। यदि कोई डीआईसी देय तिथि तक बिल या उसके हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) डीआईसी द्वारा प्रदान किए गए लेटर ऑफ क्रेडिट को भुना सकती है और बिल की राशि या उसके हिस्से की राशि, जो अतिदेय है, और विलंबित भुगतान अधिभार, यदि लागू हो, का उपयोग कर सकती है।

सीटीयूआईएल के पास त्रिपक्षीय समझौतों (टीपीए) द्वारा समर्थित साख पत्र (एलसी) के रूप में एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है। भारत सरकार द्वारा 2001–02 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों की बकाया राशि की एकमुश्त निपटान योजना जारी करने के बाद भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अलग–अलग राज्य सरकारों के बीच टीपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे। टीपीए यह भी प्रदान करता है कि यदि किसी राज्य उपयोगिता द्वारा वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक होती है, तो टीपीए के तहत शर्तों को पूरा करने पर बकाया राशि राज्य के आरबीआई खाते से काट ली जा सकती है और पावरग्रिड सहित संबंधित सीपीएसयू को भुगतान जा सकता है।

सीईआरसी साझाकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, यदि त्रिपक्षीय समझौता मौजूद है, तो सीटीयूआईएल को प्रस्तुत किया जाने वाला साख पत्र एक वर्ष के पहले बिल की औसत राशि के 1.05 (एक दशमलव शून्य पांच) के बराबर राशि के लिए होगा; बशर्ते कि जहां ऐसा त्रिपक्षीय समझौता मौजूद नहीं है, डीआईसी एक वर्ष के पहले बिल की औसत राशि 2.10 (दो दशमलव एक गुना) के बराबर राशि के लिए साख पत्र खोलेगा।

साख–पत्र के नकदीकरण के अलावा, बकाया देय राशि का भुगतान न करने पर, सीटीयूआईएल के पास विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विद्युत (एलपीएस और संबंधित मामले) नियम, 2022 के अनुसार चूककर्ता इकाई पर बिजली आपूर्ति को विनियमित करने या शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस से इनकार करने की शक्ति है।

व्यापार प्राप्तियों में रू 12,938.21 करोड़ करोड़ (पिछले वर्ष रू 8,790.37 करोड़) की पारेषण सेवाओं से संबंधित प्राप्य राशियाँ, 182.11 करोड़ की परामर्श सेवाओं से संबंधित प्राप्य राशियाँ (पिछले वर्ष रू 167.37 करोड़) और दूरसंचार व्यवसाय से संबंधित प्राप्तियाँ रू 250.77 करोड़ (पिछले वर्ष रू 179.80 करोड़) शामिल हैं।

अनुबंध परिसंपत्तियां सुख्य रूप से पूर्ण किए गए कार्य के लिए कंपनी के विचार के अधिकार से संबंधित हैं, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि पर बिल नहीं किया गया है इसमें समान प्रकार के अनुबंधों के लिए व्यापार प्राप्तियों के समान जोखिम विशेषताएं हैं।

ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों को छोड़कर)

- **नकद और नकदी के समतुल्य**

  कंपनी के पास रू 1,583.77 करोड़ (पिछले वर्ष रू 746.01 करोड़) के नकद और नकद समकक्ष थे। नकद और नकद समकक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उच्च श्रेणी के निजी क्षेत्र के बैंकों के पास हैं और उनमें कोई महत्त्वपूर्ण ऋण जोखिम नहीं है।

- **बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास जमा**

  कंपनी के पास बैंकों और वित्तीय संस्थानों में रू 3,190.23 करोड़ (पिछले वर्ष रू 2,291.05 करोड़) की जमा राशि थी। सावधि जमा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास रखे जाते हैं और उनमें ऋण जोखिम नगण्य होता है।

- **ऋण**

  कंपनी ने कर्मचारियों, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों, भारत सरकार और अन्य पार्टियों को ऋण दिया है। कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण और वाहन अग्रिम घर की संपत्तियों के बंधक या वाहनों के दृष्टिबंधक के खिलाफ प्रतिभूत हैं, जिसके लिए ऐसे ऋण कंपनी की नीतियों के अनुरूप दिए गए हैं। समूह कंपनियों को प्रदान किए गए ऋण टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग और सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परियोजनाओं के लिए हैं। इन ऋणों के संबंध में चूक का जोखिम नगण्य माना जाता है।

iii) ऋण जोखिम का जोखिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता 12 माह के अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर–वर्तमान ऋण	16,912.31	14,269.78

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	4,149.91	4,097.86
नकद और नकदी के समतुल्य	1,583.77	746.01
बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा राशि	3,190.23	2,291.05
वर्तमान ऋण	461.82	328.27
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्ति	1,766.87	806.96
कुल	**28,064.91**	**22,539.93**
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता लाइफ टाइम अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्तियां	13,371.09	9,137.54
अनुबंध परिसंपत्ति	812.39	5,588.82

iv) अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

अ) वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों का उपयोग करके हानि भत्ता मापा जाता है कंपनी के पास ऐसी संपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम है। प्रारंभिक मान्यता पर, वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों को छोड़कर) को नगण्य क्रेडिट जोखिम माना जाता है और प्रारंभिक मान्यता से जोखिम में वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए, इस टिप्पणी में यथाविनिर्दिष्ट को छोड़कर, हानि के लिए कोई हानि भत्ता मान्यता नहीं दी गई है।

ब) वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए हानि भत्ता को आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है टेलीकॉम और कंसल्टेंसी से व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में, ग्राहक ऋण जोखिम को बकाया प्राप्तियों की नियमित निगरानी और वसूली के लिए उपभोक्ता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

ट्रांसमिशन खंड के संबंध में, कंपनी के पास ग्राहक हैं जिनमें से अधिकांश राज्य सरकार की उपयोगिताओं के साथ दायित्वों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं और इसलिए डिफॉल्ट का जोखिम नगण्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि भुगतान सुरक्षा तंत्र और ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार के आधार पर, बकाया राशि जो देय तिथि से 30 दिन पहले है, अभी भी पूर्ण रूप से संग्रहणीय है।

उपरोक्त कारकों और प्रचलित विनियमों को ध्यान में रखते हुए, व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों में प्रारंभिक मान्यता पर और उसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक नगण्य क्रेडिट जोखिम बना रहता है।

v) व्यापार प्राप्य का एजेईंग विश्लेषण

व्यापार प्राप्तियों का एजेईंग विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

एजेईंग	बिल न किया गया	देय नहीं	देय से 0–30 दिन पहले	31–60 दिन पहले बकाया	61–90 दिन पहले बकाया	91–120 दिन पहले बकाया	देय से 120 दिन पहले	कुल
31.03.2023 को सकल वहन राशि	8,160.21	3,458.88	402.59	188.11	44.88	58.32	1,058.10	13,371.09
31.03.2022 को सकल वहन राशि	4,487.41	1,614.17	513.28	292.20	200.08	171.24	1,859.16	9,137.54

vi) क्षतिग्रस्तता हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि के लिए भत्ते में परिवर्तन निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

विवरण	व्यापार प्राप्तियां	निवेश	अग्रिम	अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	कुल
01.04.2021 तक शेष राशि	**300.40**	**4.05**	**-**	**19.41**	**323.86**
मान्य की गई क्षतिग्रस्तता हनि/(रिवर्स्ड)	0.33	-	-	0.01	0.34
31.03.2022 तक शेष राशि	**300.73**	**4.05**	**-**	**19.42**	**324.20**

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	व्यापार प्राप्तियां	निवेश	अग्रिम	अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	कुल
मान्य की गई क्षतिग्रस्तता हानि/(रिवर्स्ड)	(6.73)	30.40	21.74	7.95	53.36
31.03.2023 को शेष	**294.00**	**34.45**	**21.74**	**27.37**	**377.56**

वर्ष के दौरान, नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड में किए गए निवेश और दिए गए ऋण की क्षतिग्रस्तता हेतु रु 52.14 करोड़ की राशि के क्षतिग्रस्तता भत्ते का प्रावधान किया गया है। ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, कंपनी का मानना है कि उपरोक्त के अलावा, किसी भी अन्य संपत्ति के संबंध में कोई हानि भत्ता आवश्यक नहीं है क्योंकि राशि नगण्य है।

(ब) चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता है। कंपनी चलनिधि योजना उपकरण का उपयोग करके धन की कमी के अपने जोखिम की निगरानी करती है। कंपनी के पास वाणिज्यिक पत्र, बैंक ऋण, बॉण्ड और बाहरी वाणिज्यिक उधार जैसे वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों तक पहुंच है और प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण में लचीलापन बरकरार रखता है।

प्रबंधन कंपनी की चलनिधि स्थिति के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है जिसमें अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नीचे की ओर आहरित उधार लेने की सुविधाएं और नकदी और नकद समकक्ष शामिल हैं।

कंपनी कार्यशील पूंजी प्रदान करने और पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए चलनिधि के आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों पर निर्भर करती है।

(i) वित्तीय व्यवस्था

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास निम्नलिखित आहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1 वर्ष के भीतर समाप्त हो रहा है (बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाएं)	9,131.01	6,332.01
एक वर्ष से अधिक में समाप्त होने वाले (बैंक ऋण)	-	4,080.44

बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधाएं किसी भी समय आहरित्त की जा सकती हैं और बिना किसी सूचना के बैंक द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। संतोषजनक क्रेडिट रेटिंग की निरंतरता के अधीन, बैंक ऋण सुविधाएं किसी भी समय ली जा सकती हैं और शेष उपलब्धता अवधि 1 से 5 वर्ष (पिछले वर्ष 1 से 5 वर्ष) तक हो सकती है।

ii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका सभी गैर–व्युत्पनन वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती है, तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक अघोषित नकदी प्रवाह है।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	एक वर्ष के भीतर	1–5 वर्ष के भीतर	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023 को				
उधार (ब्याज बहिर्वाह सहित)	21,406.98	88,030.93	60,352.50	1,69,790.41
व्यापार देय	325.02			325.02
अन्य वित्तीय देनदारियां				
पट्टा देनदारियां	8.17	28.09	125.34	161.60
अन्य	4,691.97	1,228.45	3,788.04	9,708.46
कुल	**26,432.14**	**89,287.47**	**64,265.88**	**1,79,985.49**
31.03.2022 को				
उधार (ब्याज बहिर्वाह सहित)	27,753.48	76,736.57	66,168.89	1,70,658.94

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	एक वर्ष के भीतर	1–5 वर्ष के भीतर	5 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देनदारियां	266.14			266.14
अन्य वित्तीय देनदारियां				
पट्टा देनदारियां	2.75	9.88	29.21	41.84
अन्य	4,878.28	1,173.60	4,074.89	10,126.77
कुल	**32,900.65**	**77,920.05**	**70,272.99**	**1,81,093.69**

(ग) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में बाजार में बदलाव के कारण उत्तार–चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं:

(1) मुद्रा जोखिम

(2) ब्याज दर जोखिम

(3) अन्य मूल्य जोखिम, जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम।

(1) मुद्रा जोखिम

कंपनी मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के ऋणों और उधारों और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के संबंध में मुद्रा जोखिम के संपर्क में है, जिसका खरीद प्रतिफल विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित है। ट्रांसमिशन टैरिफ सीईआरसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्लॉक 209–24 के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, कंपनी विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज के संबंध में विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज कर सकती है और ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए अर्जित विदेशी ऋण की अदायगी, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अपने विवेक से कर सकती है और लागत की

वसूली कर सकती है। प्रासंगिक वर्ष में मानक विदेशी ऋण के अनुरूप विदेशी विनिमय दर भिन्नता की हेजिंग की।

यदि विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की हेजिंग नहीं की जाती है, तो संबंधित वर्ष में मानक विदेशी मुद्रा ऋण के अनुरूप ब्याज भुगतान और ऋण चुकौती के लिए अतिरिक्त रुपये की देनदारी ट्रांसमिशन टैरिफ के हिस्से के रूप में वसूल करने की अनुमति है, बशर्ते यह उत्पादन के लिए जिम्मेदार न हो कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या उसके आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए कोई हेजिंग नहीं की गई है। पूंजीगत निवेश के लिए खरीदे गए सामान और सेवाओं के संबंध में, विनिमय दर भिन्नता ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए परियोजना लागत का हिस्सा है। परिचालन गतिविधियों के लिए खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में मुद्रा जोखिम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम को डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट या अन्यथा द्वारा हेज नहीं किया गया जोखिम निम्नानुसार है:

विवरण		विदेशी मुद्रा में राशि (करोड़ में)		राशि (करोड़ में)	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
उधारी	यूएसडी	361.60	443.34	29,918.78	33,840.14
	यूरो	53.68	60.86	4,877.90	5,219.35
	एसईके	125.20	150.35	1,004.10	1,246.40
	जेपीवाई	2,272.71	2,290.89	1,423.40	1,438.68
एजेंसी शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क और अन्य शुल्क सहित अर्जित ब्याज लेकिन उस पर देय नहीं है	यूएसडी	5.16	1.30	426.94	99.23
	यूरो	0.35	0.16	31.80	13.72
	एसईके	1.43	0.39	11.47	3.23
	जेपीवाई	5.32	0.23	3.33	0.14
व्यापार देय, जमा और प्रतिधारण राशि	यूएसडी	4.19	4.36	346.68	332.80
	यूरो	1.04	3.07	94.50	263.28
	एसई के	4.53	11.49	36.33	95.25
	सीएचएफ	-	0.04	-	3.33
	जीबीपी	1.14	1.54	117.65	154.99
	जेपीवाई	11.57	76.79	7.25	48.22

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

विवरण		विदेशी मुद्रा में राशि (करोड़ में)		राशि (करोड़ में)	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
व्यापार प्राप्य और बैंक बैलेंस	यूएसडी	0.05	0.07	4.08	5.27
	एनपीआर	18.92	5.87	11.83	3.67
	यूरो	0.01	-	0.88	-
निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की राशि	यूएसडी	0.96	0.43	79.43	32.82
	यूरो	0.64	0.76	58.16	65.18
	एसईके	-	0.57	-	4.73
	जीबीपी	0.62	0.78	63.98	78.50

संवेदनशीलता का विश्लेषण

चूंकि यूएसडी, यूरो, जेपीवाई और अन्य मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये के मजबूत होने या कमजोर होने का लाभ और हानि के बयान पर प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा; इसलिए, मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

ii) ब्याज दर जोखिम

कंपनी मुख्य रूप से फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ लंबी अवधि के उधारों से उत्पन्न होने वाले ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है। कंपनी ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है क्योंकि फ्लोटिंग रेट उधार से जुड़े नकदी प्रवाह में ब्याज दरों में बदलाव के साथ उतार–चढ़ाव होगा कंपनी फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट के मिश्रण वाले डेट पोर्टफोलियो को बनाए रखते हुए ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करती है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी के परिवर्तनीय ब्याज दर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफाइल इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ दीर्घकालिक ऋण		
–घरेलू	27,940.45	24,216.04
–विदेशी	33,708.81	34,186.14
उप योग	**61,649.26**	**58,402.18**
ब्याज की निश्चित दर के साथ दीर्घकालिक ऋण		
–घरेलू	60,722.49	63,400.26
–विदेशी	3,523.15	7,562.83
उप योग	**64,245.64**	**70,963.09**
कुल दीर्घकालिक ऋण	**1,25,894.90**	**1,29,365.27**
कुल दीर्घावधि ऋण के लिए अस्थायी ब्याज दर ऋण का प्रतिशत	**48.97%**	**45.15%**

ब्याज दर जोखिम के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

सीईआरसी विनियमों के अनुसार, निर्माण के दौरान ऋण पर ब्याज टैरिफ के उद्देश्य के लिए परियोजना लागत का हिस्सा बनता है और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद, ऋण पर ब्याज भारित औसत दर लागू करके वर्ष के मानक औसत ऋण पर गणना की गई टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य है। तदनुसार, कंपनी के ब्याज दर जोखिम को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है; इसलिए जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

iii) अन्य मूल्य जोखिम

इक्विटी प्रतिभूतियों में कंपनी का जोखिम मूल्य जोखिम कंपनी द्वारा धारित और ओसीआईएल के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में तुलन–पत्र में वर्गीकृत निवेशों से उत्पन्न होता है।

इक्विटी निवेश के परिमाण को ध्यान में रखते हुए, कोई महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है।

62. आयकर व्यय

यह टिप्पणी कंपनी के आयकर व्यय का विश्लेषण प्रदान करता है और गैर–निर्धारण योग्य और यह बताता है कि गैर–कटौती योग्य वस्तुओं से कर व्यय कैसे प्रभावित होता है। यह कंपनी की कर स्थिति के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों की भी व्याख्या करता है।

(क) आयकर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्तमान कर		
वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	2,987.43	3,320.52
पूर्व अवधियों के वर्तमान कर के लिए समायोजन	(73.76)	(38.46)
नियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित (क)	54.29	(110.65)
कुल वर्तमान कर व्यय (ख)	**2,967.96**	**3,171.41**
आस्थगित कर व्यय		
इस वर्ष आस्थगित कर संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त अस्थायी अंतर और पहले से गैर–मान्यता प्राप्त कर क्रेडिट की उत्पत्ति और उत्क्रमण	(775.57)	(571.00)
कुल आस्थगित कर व्यय/लाभ (ग)	**(775.57)**	**(571.00)**
आयकर व्यय (ख+ग–क)	**2,138.10**	**2,711.06**
नियामक आस्थगित्त खाता शेष से संबंधित	**54.29**	**(110.65)**
नियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन पर कर सहित कुल कर व्यय	**2,192.39**	**2,600.41**

(ख) नियामक आस्थगित खाता शेष में मान्य आयकरः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित संपत्ति	(773.91)	(727.94)
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव	1,216.29	93.03
कर्मचारी हितलाभ और अन्य व्यय	(131.66)	1.60
कर से पहले कुल विनियामक आस्थगित खाता – आय/व्यय)	310.72	(633.31)
नियामक आस्थगित खाता शेष पर वर्तमान कर	54.29	(110.65)
नियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन – आय/(व्यय) (निवल कर)	**256.43**	**(522.66)**

(ग) अन्य व्यापक आय में मान्य आयकर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
	कर पूर्व	कर व्यय/((लाभ)	निवल कर	कर–पूर्व	कर व्यय/((लाभ)	छमज वि ंग
इक्विटी उपकर.ों के उचित मूल्यांकन पर निवल लाभ/(हानि)	(142.01)	(18.09)	**(123.92)**	478.85	53.90	**424.95**
परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक हानि	39.56	6.91	**32.65**	(196.74)	(34.38)	**(162.36)**
घटाएंः निर्माण के दौरान व्यय को हस्तांतरित (निवल)	18.69	3.26	**15.43**	(34.34)	(6.00)	**(28.34)**
अन्य व्यापक आय (निवल कर)	**(121.14)**	**(14.44)**	**(106.70)**	**316.45**	**25.52**	**290.93**

62. आयकर व्यय (जारी)

(घ) भारत की कर दर से गुणित कर व्यय और लेखांकन लाभः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
नियामक में आवाजाही सहित आयकर व्यय पूर्व लाभ आस्थगित खाता शेष	17,525.41	19,694.17
कंपनी की घरेलू कर दर का 34.944 प्रतिशत कर	**6,124.08**	**6,881.93**
कर प्रभावः		
गैर–कटौती योग्य कर मदें	(297.10)	(3,248.71)
कर मुक्त आय	(4,766.80)	(3,633.21)
पिछले वर्षों की कर देयता	(73.76)	(38.46)
आस्थगित कर व्यय/आय	(775.57)	(571.00)
न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन	1,981.54	3,209.86
आयकर व्यय	**2,192.39**	**2,600.41**

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022			31 मार्च 2021		
	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल
छुट्टी दायित्व	82.53	521.27	603.80	69.59	462.39	531.98
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)	45.02	660.41	705.43	28.08	630.60	658.68
अन्य कर्मचारी हितलाभ/दीर्घ सेवा पुरस्कार	1.66	21.55	23.21	1.60	20.43	22.03
ग्रेच्युटी (उपदान)	72.31	450.92	523.23	81.08	482.71	563.79
अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ODRB)/बैगेज भत्ता	2.25	19.12	21.37	2.59	20.50	23.09
कुल कर्मचारी हितलाभ दायित्व	**203.77**	**1673.27**	**1877.04**	**182.94**	**1616.63**	**1799.57**

i) दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

क. छुट्टी दायित्व

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (मुआवजा अनुपस्थिति सहित) और अर्ध–वेतन अवकाश प्रदान करती है जो क्रमशः 30 दिनों और 20 दिनों में सालाना अर्जित होता है। सेवा में रहते हुए अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। अर्ध वेतन अवकाश (एचपीएल) केवल 55 वर्ष की आयु से अधिक से अधिक 300 दिनों (एचपीएल) तक अलग होने पर ही भुनाया जा सकता है। तथापि, अवकाश की कुल संख्या जिसे अधिवर्षिता पर भुनाया जा सकता है, 300 दिनों तक सीमित होगी और अर्ध वेतन अवकाश का कोई रूपान्तरण अनुमत नहीं होगा। इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

ख. अन्य कर्मचारी हितलाभ–पावरग्रिड कर्मचारी परिवार पुनर्वास योजना

कंपनी ने 24.06.207 को पावरग्रिड कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य एक कर्मचारी को उसकी स्थायी पूर्ण अक्षमता के मामले में और सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में उसके परिवार को मौद्रिक सहायता और सहायता प्रदान करना है। लाभार्थी कर्मचारी के अंतिम आहरित एक महीने के वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक भुगतान का हकदार होगा बशर्ते लाभार्थी कंपनी के पास पीएफ (वीपीएफ को छोड़कर) शेष, राशि और समूह बीमा (ईओएल) राशि के बराबर राशि जमा करे। ऐसा मासिक भुगतान उस सामान्य काल्पनिक तिथि तक जारी पे अेचयटी। दिन संबंधित कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली होती यदि कर्मचारी कंपनी की सेवा में बना रहता। यह योजना पावरग्रिड कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना के लिए वैकल्पिक प्रावधान है, जिसकी राशि रू 2.52 करोड़ रुपये है। (पिछले वर्ष रू 5.96 करोड़) वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

ii) रोजगार उपरांत दायित्व (कर्मचारी हितलाभ/अंशदान योजनाएँ)

क. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पति या पत्नी को सूचीबद्ध अस्पतालों में कंपनी द्वारा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं, जो उनके द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन है। उसी के लिए देयता को तुलन–पत्र की तारीख पर वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। यह योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और 01 मई 2018 को गठित एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित जाती है।

ख. अन्य कर्मचारी हितलाभ–दीर्घ सेवा पुरस्कार

यह लाभ कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों (निदेशकों और सीएमडी को छोड़कर) पर लागू होता है, जो कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यह योजना वित्तपोषित नहीं है और इसके लिए दायित्व की पहचान तुलन–पत्र की तारीख पर वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग. उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, 15 दिनों के वेतन (15/26 ' अंतिम आहरित मूल वेतन प्लस, महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार है। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अधिवर्षिता, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, निःशक्तता या मृत्यु पर अधिकतम 20 लाख तक। यह योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। उसी के लिए देयता को तुलन–पत्र की तारीख पर वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी ने 20 लाख की सीमा को ध्यान में रखते हुए ग्रेच्युटी लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन किया है।

घ. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)/सामान भत्ता

कंपनी के पास भारत में कहीं भी सेवानिवृत्ति के समय और सेवानिवृत्त त्त कर्मचारियों के आश्रितों के लिए निपटान के लिए एक योजना है। यह योजना निधिरहित है और इसके लिए देयता को तुलन पत्र की पर वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है।

ङ. भविष्य निधि

कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि में फॉक्स अंशदान का भुगतान करती है, जो धन को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। परिवार पेंशन योजना में योगदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकरणों को किया जाता है। वर्ष के लिए फंड और ईपीएस योजना में योगदान रू 134.88 करोड़ (पिछले वर्ष रू 130.74 करोड़) को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है। कंपनी का दायित्व, ऐसे निश्चित योगदान तक सीमित है और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों के लिए योगदान पर न्यूनतम ब्याज दर सुनिश्चित करना है। एक्चुअरी की अंतिम वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष ओसीआई में रू171.06 करोड़ का प्रावधान शामिल किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा गारंटीकृत वैधानिक ब्याज दर को पूरा करने के लिए भविष्य निधि ट्रस्ट को रू 161.59 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है, और शेष प्रावधान राशि रू 9.47 करोड़ वर्ष के दौरान प्रतिलेखित की गई है। इसके अलावा, एक्चुअरी की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, कुल ब्याज आय और संचयी अधिशेष सांविधिक ब्याज भुगतान आवश्यकता से अधिक है। अतः कोई अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया। चूंकि कंपनी का पीएफ कॉर्पस पर शर्तरहित अधिकार नहीं है, इसलिए तुलन–पत्र में अधिशेष को मान्यता नहीं दी गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023			31 मार्च 2022		
	वर्तमान	गैर–वर्तमान	कुल	वर्तमान	गैर–वर्तमान	कुल
भविष्य निधि (पीएफ)	669.65	2757.41	3427.06	694.61	2640.38	3334.99

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	शुद्ध राशि
1 अप्रैल 2022	3334.99	3163.93	171.06
सेवा लागत	123.12	-	123.12
ब्याज व्यय (आय)	262.45	265.01	(2.56)
कुल	**385.57**	**265.01**	**120.56**

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

विवरण	भविष्य निधि		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	शुद्ध राशि
पुनःमाप			
ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर, योजना परिसंपत्ति पर प्रतिफल	-	-	-
जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	176.48	(176.48)
अनुभव (लाभ)/हानि	(6.06)	-	(6.06)
कुल	**(6.06)**	**176.48**	**(182.54)**
कर्मचारी योगदान	191.71	191.71	-
कर्मचारी योगदान	-	123.12	(123.12)
लाभ भुगतान	(479.15)	(479.15)	-
31 मार्च 2023	**3427.06**	**3441.10**	**(14.04)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	शुद्ध राशि
1 अप्रैल 2021	**3260.32**	**3301.89**	**(41.57)**
सेवा लागत	118.36	-	118.36
ब्याज व्यय (आय)	251.83	87.97	163.86
कुल	**370.19**	**87.97**	**282.22**
पुनःमाप			
ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर, योजना परिसंपत्ति पर प्रतिफल	-	-	-
जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन से लाभ/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से लाभ/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	48.77	-	48.77
कुल	**48.77**	**-**	**48.77**
कर्मचारी योगदान	196.46	196.46	-
नियोक्ता का योगदान	-	118.36	(118.36)
लाभ भुगतान	(540.75)	(540.75)	-
31 मार्च 2022	**3334.99**	**3163.93**	**171.06**

ऊपर बताई गई शुद्ध देयता भविष्य निधि से संबंधित है जो इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वित्त पोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3427.06	3334.99
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	3441.10	3163.93
वित्त पोषित योजना का घाटा/अधिदेष	**(14.04)**	**171.06**

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

भविष्य निधि का संवेदनशीलता विश्लेषण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि
छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	-
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3427.06
–0.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(0.43)
–0.5 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	0.46

योजनागत परिसंपत्ति (पीएफ) की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023				31 मार्च 2022			
	उद्धृत	गैर उद्धृत	कुल	प्रतिशत में	उद्धृत	गैर उद्धृत	कुल	प्रतिशत में
इक्विटी लिखत (इटीएफ)	130.83	-	130.83	3.80%	102.83	-	102.83	3.25%
ऋण लिखत								
सरकारी/राज्य बॉण्ड	1898.27	-	1898.27	55.16%	1831.84	-	1831.84	57.90%
पीएसयू और निजी बॉण्ड	1284.61	-	1284.61	37.33%	1120.02	-	1120.02	35.40%
बैंक में जमा राशि	26.66	-	26.66	0.78%	73.80	-	73.80	2.33%
अन्य प्राप्य	100.73	-	100.73	2.93%	35.44	-	35.44	1.12%
कुल	**3441.10**	**-**	**3441.10**		**3163.93**	**-**	**3163.93**	

31 मार्च 2023 को कंपनी के स्वयं के हस्तांतरणीय वित्तीय साधनों का उचित मूल्य योजना संपत्ति के रूप में रु 33.45 करोड़ है (31 मार्च, 2022 को रु 54.03 करोड़)।

भविष्य निधि का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष के बीच	2–5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2023	669.65	307.98	530.94	1918.49	3427.06
31 मार्च 2022	694.61	297.11	616.26	1727.01	3334.99

च. पेंशन

कंपनी में कर्मचारी निर्धारित पेंशन योगदान स्कीम और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम क्रियाशील हैं, कंपनी के योगदान का भुगतान कर्मचारी निर्धारित पेंशन योगदान के लिए पृथक ट्रस्ट को किया जाता है। वर्ष के लिए भुगतान/देय योगदान की राशि रू 183.09 करोड़ (पिछले वर्ष रू 115.31 करोड़) को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया गया है।

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

विभिन्न कर्मचारी हितलाभ दायित्वों की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी			ओडीआरबी			छुट्टियां			पीआरएमएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का मूल्य	शुद्ध राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का मूल्य	शुद्ध राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का मूल्य	शुद्ध राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का मूल्य	शुद्ध राशि
01 अप्रैल 2022	**563.79**	**553.29**	**10.50**	**23.09**	**-**	**23.09**	**531.98**	**-**	**531.98**	**658.68**	**658.78**	**(0.10)**
सेवा लागत	23.21	-	23.21	1.33	-	1.33	87.52	-	87.52	20.70	-	20.70
ब्याज व्यय (आय)	39.46	39.53	(0.07)	1.61	-	1.61	37.24	-	37.24	46.11	46.07	0.04
कर्मचारी योगदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05	(1.05)
बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	53.05	-	53.05	-	-	-
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**62.67**	**39.53**	**23.14**	**2.94**	**-**	**2.94**	**177.81**	**-**	**177.81**	**66.81**	**47.12**	**19.69**
पुनःमाप												
ब्याज व्यय/आय में शामिल राशि को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्रतिफल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में बदलाव से (लाभ)/हानि	(18.78)	-	(18.78)	(0.86)	-	(0.86)	-	-	-	(32.35)	-	(32.35)
अनुभव (लाभ)/हानि	(5.62)	13.63	(19.25)	(3.63)	-	(3.63)	-	-	-	53.84	7.88	45.96
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(24.40)**	**13.63**	**(38.03)**	**(4.49)**	**-**	**(4.49)**	**-**	**-**	**-**	**21.49**	**7.88**	**13.61**
कर्मचारी योगदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नियोक्ता योगदान	-	11.50	(11.50)	-	-	-	-	-	-	-	(0.66)	0.66
लाभ भुगतान	(78.83)	(78.83)	-	(0.17)	-	(0.17)	(105.99)	-	(105.99)	(41.55)	(20.28)	(21.27)
31 मार्च 2023	**523.23**	**539.12**	**(15.89)**	**21.37**	**-**	**21.37**	**603.80**	**-**	**603.80**	**705.43**	**692.84**	**12.59**

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी			ओडीआरबी			छुट्टियां			पीआरएमएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपति का मूल्य	शुद्ध राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपति का मूल्य	शुद्ध राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपति का मूल्य	शुद्ध राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपति का मूल्य	शुद्ध राशि
01 अप्रैल 2021	**591.60**	**592.66**	**(1.06)**	**23.47**	**-**	**23.47**	**467.99**	**-**	**467.99**	**602.20**	**601.13**	**1.07**
सेवा लागत	24.02	-	24.02	1.40	-	1.40	65.63	-	65.63	19.47	-	19.47
ब्याज व्यय (आय)	39.93	40.00	(0.07)	1.58	-	1.58	31.59	-	31.59	40.65	40.58	0.07
कर्मचारी योगदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.55	(1.55)
बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	56.34	-	56.34	-	-	-
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**63.95**	**40.00**	**23.95**	**2.98**		**2.98**	**153.56**	**-**	**153.56**	**60.12**	**42.13**	**17.99**
पुनःमाप												
ब्याज व्यय/आय में शामिल राशि को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्रतिफल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में बदलाव से (लाभ)/हानि	(12.06)	-	(12.06)	(0.55)	-	(0.55)	-	-	-	(22.09)	-	(22.09)
अनुभव (लाभ)/हानि	(6.73)	(32.71)	25.98	(2.80)	-	(2.80)	-	-	-	52.49	13.79	38.70
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(18.79)**	**(32.71)**	**13.92**	**(3.35)**	**-**	**(3.35)**	**-**	**-**	**-**	**30.40**	**13.79**	**16.61**
कर्मचारी योगदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नियोक्ता योगदान	-	26.31	(26.31)	-	-	-	-	-	-	-	35.77	(35.77)
लाभ भुगतान	(72.97)	(72.97)	-	(0.01)	-	(0.01)	(89.57)	-	(89.57)	(34.04)	(34.04)	-
31 मार्च 2022	**563.79**	**553.29**	**10.50**	**23.09**	**-**	**23.09**	**531.98**	**-**	**531.98**	**658.68**	**658.78**	**(0.10)**

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

ऊपर बताए गए निवल वित्त पोषित और अवित्तपोषित योजनाओं से संबंधित हैं, जो इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी		ओडीआरबी		छुटि्टयां		पीआरएमएफ	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वित्त पोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	523.23	563.79	-	-	-	-	705.43	658.68
योजना का उचित मूल्य	539.12	553.29	-	-	-	-	692.84	658.78
वित्त पोषित योजना का घाटा/(अधिदेष)	**(15.89)**	**10. 50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.59**	**(0.10)**
अवित्तपोषित योजनाएं	**-**	**-**	**21.37**	**23.09**	**603.80**	**531.98**	**-**	**-**

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ग्रेच्युटी ट्रस्ट में कंपनी को रू 31.68 करोड योगदान की उम्मीद है।

iii) रोजगार उपरांत लाभों के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं:

<u>आर्थिक धारणा</u>

विवरण	ग्रेच्युटी, ओडीआरबी, पेंशन, पीआरएमएफ, पीएफ	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
छूट की दर	7.40%	7.00%
वेतन वृद्धि दर (पीएफ कोको छोड़कर)	6.50%	6.50%

छूट की दर आम तौर पर सरकार पर उपलब्ध बाजार की पैदावार पर आधारित होती है। देनदारियों से मेल खाने वाली अवधि के लिए लाभ भुगतान की मुद्रा के लिए प्रासंगिक लेखांकन तिथि पर बॉण्ड, वेतन वृद्धि दर वेतन वृद्धि के रूप में कंपनियों का दीर्घकालिक सबसे अच्छा अनुमान है और मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, व्यवसाय योजना, मानव संसाधन नीति और अन्य प्रासंगिक को ध्यान में रखता है।

<u>जनसांख्यिकीय धारणाएं</u>

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
सेवानिवृत्ति	60	60
विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)
आयु		
.	निकासी दर प्रतिशत	निकासी दर प्रतिशत
30 वर्ष तक	3	3
31 से 44 वर्ष तक	2	2
44 वर्ष से अधिक	1	1

<u>नमूना उम्र के लिए मृत्यु दर</u>

आयु	मृत्युदर	आयु	मृत्युदर	आयु	मृत्युदर
15	0.000698	45	0.002579	75	0.038221
20	0.000924	50	0.004436	80	0.061985
25	0.000931	55	0.007513	85	0.100979

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

आयु	मृत्युदर	आयु	मृत्युदर	आयु	मृत्युदर
30	0.000977	60	0.011162	90	0.163507
35	0.001202	65	0.015932	95	0.259706
40	0.00168	70	0.024058	100	0.397733

iv) निश्चित हितलाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रैच्युटी	ओडीआरबी	अवकाश	पीआरएमएफ
क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	523.23	21.37	603.80	705.43
– 0.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(21.75)	(0.98)	(27.78)	(40.43)
– 0.5 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	23.73	1.06	30.10	41.86
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	523.23	21.37	603.80	705.43
– 0.5 प्रतिशत की बढत के कारण प्रभाव	6.87	1.05	30.28	42.37
– 0.5 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	(7.55)	(0.98)	(27.96)	(39.92)

हालांकि विश्लेषण योजना के तहत अपेक्षित नकदी प्रवाह के पूर्ण वितरण का हिसाब नहीं लेता है, यह दिखाए गए अनुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान प्रदान करता है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसे तरीके के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को एक्सट्रापोलेशन करता है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में होगा क्योंकि कुछ मान्यताओं को सहसंबद्ध किया जा सकता है। संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में धारणाओं की विधि और प्रकार में पिछले वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(अ) योजनागत संपत्ति (ग्रेच्युटी) की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022				31 मार्च 2021			
	उद्धृत	उद्धृत नहीं किया गया	कुल	प्रतिशत	उद्धृत	उद्धृत नहीं किया गया	कुल	प्रतिशत
इक्विटी लिखत (ईटीएफ)	8.34	-	8.34	1.55%	4.98	-	4.98	0.90%
ऋण लिखत		-				-		
सरकार/राज्य बॉण्ड	340.35	-	340.35	63.13%	326.56	-	326.56	59.02%
पीएसयू और निजी बॉण्ड	177.97	-	177.97	33.01%	197.95	-	197.95	35.78%
बैंक में जमा/अन्य प्राप्य राशियां	12.46	-	12.46	2.31%	23.80	-	23.80	4.30%
कुल*	**539.12**	**-**	**539.12**		**553.29**	**-**	**553.29**	

* बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उचित मूल्यांकन रु 539.12 करोड़ है (पिछले वर्ष रु 553.29 करोड़)।

31 मार्च, 2023 को योजनागत परिसंपत्तियों के रूप में धारित कंपनी के स्वयं के हस्तांतरणीय वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य रू 30.45 करोड़ (31 मार्च, 2022 को रू 43.38 करोड़ है।

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

vi) योजनागत परिसंपत्तियों (पीआरएमएफ) की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023				31 मार्च 2022			
	उद्धृत	गैर–उद्धृत	कुल	प्रतिशत में	उद्धृत	गैर–उद्धृत	कुल	प्रतिशत में
इक्विटी लिखत (ईटीएफ)	3.60	-	3.60	0.52%	-	-	-	-
ऋण लिखत								
सरकार/राज्य बॉण्ड	367.12	-	367.12	52.99%	344.06	-	344.06	52.23%
पीएसयू और निजी बॉण्ड	307.16	-	307.16	44.33%	298.85	-	298.85	45.36%
बैंक में जमा/अन्य प्राप्य राशियां	14.96	-	14.96	2.16%	15.87	-	15.87	2.41%
कुल	**692.84**	**-**	**692.84**		**658.78**	**-**	**658.78**	

#बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उचित मूल्यांकन रू 692.84 करोड़ है (पिछले वर्ष रू 658.78 करोड़)।

vii) जोखिम संसर्ग का विवरण

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है जो प्रकृति में गतिशील होती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसा कि कंपनी विभिन्न जोखिमों के संपर्क में रहती है:

क) वेतन वृद्धि (पीएफ को छोड़कर) – वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देयता बढ़ जाएगी। वेतन वृद्धि दर अनुमानों में वृद्धि भविष्य के मूल्यांकन में भी देयता में वृद्धि होगी।

ख) निवेश जोखिम–यदि योजना को वित्त पोषित किया जाता है तो संपत्ति देनदारियां मेल नहीं खाती हैं और छूट से कम संपत्ति पर वास्तविक निवेश रिटर्न अंतिम मूल्यांकन तिथि पर ग्रहण की गई दर देयता को प्रभावित कर सकती है

ग) डिस्काउंट रेट– बाद के वैल्यूएशन में डिस्काउंट रेट में कमी से प्लान की देनदारी बढ़ सकती है।

घ) मृत्यु दर और विकलांगता – वास्तविक मृत्यु और विकलांगता के मामले जो मूल्यांकन में अनुमान से कम या अधिक साबित होते हैं, देनदारियां प्रभावित कर सकते हैं।

ङ) निकासी – वास्तविक निकासी जो अनुमानित निकासी से अधिक या कम साबित होती है और बाद के मूल्यांकन पर निकासी दरों में परिवर्तन योजना की देयता को प्रभावित कर सकता है।

viii) परिभाषित लाभ देयता और कर्मचारी योगदान

परिभाषित लाभ दायित्वों की भारित औसत अवधि 39.48 वर्ष (पिछले वर्ष 39.61 वर्ष) है। बिना छूट वाली पेंशन, ग्रेच्युटी, अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ और रोजगार के बाद के चिकित्सा लाभों का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष के बीच	2–5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2023					
परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी)	72.31	58.49	99.99	292.44	523.23
सेवोपरांत चिकित्सा लाभ	45.02	48.73	161.23	450.45	705.43
ओडीआरबी	2.25	2.16	4.05	12.91	21.37
अन्य कर्मचारी हितलाभ (एलएसए)	1.66	1.44	2.96	17.15	23.21
कुल	**121.24**	**110.82**	**268.23**	**772.95**	**1273.24**
31 मार्च 2022					
परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी)	81.08	63.44	125.20	294.07	563.79
सेवोपरांत चिकित्सा लाभ	28.08	35.84	140.27	454.49	658.68
ओडीआरबी	2.59	2.18	4.58	13.74	23.09
अन्य कर्मचारी हितलाभ (एलएसए)	1.60	1.14	2.50	16.79	22.03
कुल	**113.35**	**102.60**	**272.55**	**779.09**	**1267.59**

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना

क) अचल संपत्तियों का विवरण जहां शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं :

संपत्ति का प्रकार: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

संपत्ति की वस्तु का विवरण	31.03.2023 तक सकल वहन मूल्य	31.03.2022 तक सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या शीर्षक विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	**231.53**	**192.49**				
टाउनशिप–सेक्टर 46, गुड़गांव	11.00	11.00	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)	नहीं	02-12-1998	जुर्माने की छूट के लिए कंपनी द्वारा एचएसवीपी को दिए गए अभ्यावेदन के परिणाम आने तक, स्वामित्व विलेख कंपनी के पक्ष में हस्तांतरण के लिए लंबित है।
बीरपाड़ा	0.00	0.00	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	01-11-1996	बीरपारा मौजा का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है और सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के बाद म्यूटेशन किया जाएगा।
मैथन	0.00	0.00	विभिन्न निजी मालिक	नहीं	01-04-1992	कंपनी जिला भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी (डीएलएलआरओ) के कार्यालय से शीर्षक विलेख पंजीकृत कराने की प्रक्रिया में है। शीर्षक विलेख के हस्तांतरण में प्रक्रियागत देरी हो रही है।
मैथन	0.02	0.02	सीएलडब्ल्यू–इंडियन रेलवे	नहीं	01-04-1992	पंजीकरण विलेख के निष्पादन के लिए सीएलडब्ल्यू (चितरंजन) लोकोमोटिव वर्क्स) के साथ मामले का पालन किया जा रहा है। शीर्षक विलेख के हस्तांतरण में प्रक्रियागत देरी हो रही है।
मैथन	0.32	0.32	विभिन्न निजी मालिक	नहीं	28-03-2018	जनजातीय बोर्ड से एनओसी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जबकि स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हस्तांतरित नहीं किया गया है।
अलीपुरद्वार–माथाभांगा अर्थ इलेक्ट्रोकोड	0.67	0.67	विभिन्न निजी मालिक	नहीं	31-12-2012	प्रक्रियागत देरी के कारण शीर्षक विलेख का स्थानांतरण लंबित है।
राजारहाट	23.23	23.23	विभिन्न निजी मालिक	नहीं	30-11-2014	
आइजोल	0.03	0.03	मिजोरम सरकार	नहीं	1991	
मीसा	NA	0.31	असम सरकार	नहीं	1994	चालू वर्ष के दौरान, स्वामित्व विलेख पावरग्रिड के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
फरीदाबाद, एनआर–1, आरएचक्यू (टाउनशिप)	6.42	6.42	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)	नहीं	01-04-1999	एचएसवीपी द्वारा मांगी गई वृद्धि और विस्तार शुल्क के खिलाफ उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में अपील का निपटारा होने तक, स्वामित्व विलेख कंपनी के पक्ष में स्थानांतरित होने के लिए लंबित है।

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

संपत्ति की वस्तु का विवरण	31.03.2023 तक सकल वहन मूल्य	31.03.2022 तक सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या शीर्षक विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
मेरठ एस.एस	NA	0.18	उत्तर प्रदेश सरकार	नहीं	01-04-2003	चालू वर्ष के दौरान, स्वामित्व विलेख पावरग्रिड के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
हिसार एस/एस	0.57	0.57	एनएचपीसी	नहीं	30-09-1991	कंपनी कई स्थानों पर स्थित भूमि के हस्तांतरण के लिए कई प्राधिकरणों के साथ काम कर रही है। प्रक्रियागत देरी के कारण शीर्षक विलेख का स्थानांतरण लंबित है।
लाइन कार्यालय बनीखेत, तहसील एवं जिला। चंबा (हिमाचल प्रदेश)	0.00	0.00	हिमाचल प्रदेश सरकार	नहीं	28-02-1994	हिमाचल प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड में विषय भूमि सरकारी/वन भूमि है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एफसीए 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन के लिए हस्तांतरित वन भूमि को विचलन के बाद भी "वन" के रूप में कानूनी दर्जा प्राप्त रहेगा।
कुरनूल भूमि	16.52	NA	आंध्र प्रदेश सरकार	नहीं	28-03-2023	भूमि का अधिग्रहण 28.03.2023 को किया गया है और कंपनी स्वामित्व विलेख को पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है।
हिरियुर 400/220 केवी सबस्टेशन	0.34	0.34	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	नहीं	01-02-2004	भूमि के कुछ पार्सल के लिए केआईएडीबी द्वारा किए जाने वाले शीर्षक सुधार के लंबित होने के कारण, शीर्षक विलेख को अभी तक पावरग्रिड के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है।
येलहंका 400/220 केवी सबस्टेशन	30.72	30.72	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल)	नहीं	23-03-2011	मेसर्स केपीटीसीएल के कार्यालय में प्रक्रियात्मक देरी के कारण शीर्षक विलेख का स्थानांतरण लंबित है।
सोमनहल्ली 400/220 केवी एसएस	0.34	0.34	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल)	नहीं	FY 1992-93 onwards	
कोलार सिद्धलगट्टा एचवीडीसी एसएस	0.91	0.91	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	नहीं	01-04-2002	केआईएडीबी के कार्यालय में प्रक्रियात्मक देरी के कारण शीर्षक विलेख का स्थानांतरण लंबित है।
तुमकुर 765/400/220 केवी एसएस	42.29	42.29	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	नहीं	25-09-2013	
कुडुगी 765/400 केवी जीआईएस	8.83	8.83	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)और अन्य	नहीं	28-02-2014	
बिदादी 400/220 केवी सबस्टेशन	20.00	20.00	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	नहीं	23-03-2011	

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

संपत्ति की वस्तु का विवरण	31.03.2023 तक सकल वहन मूल्य	31.03.2022 तक सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या शीर्षक विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
पावागड़ा 400/220 केवी एसएस	0.26	0.64	निजी पक्षकार, श्रीमती संजीवम्मा पुत्री श्री वेंकटप्पा, एम. चपलेनशिप पुत्र वेंकटप्पा और अन्य	नहीं	30-06-2017	भूमि का कानूनी स्वामित्व स्थापित करने के कारण पंजीकरण और उत्परिवर्तन लंबित है और उक्त भूमि के लिए प्रतिफल का भुगतान भी किया जाना बाकी है। चालू वर्ष में, पावरग्रिड के नाम पर 0.38 करोड़ रुपये की राशि का शीर्षक विलेख किया गया है।
पुगलुर एचवीडीसी एसएस	0.31	0.31	भूदान ट्रस्ट बोर्ड	नहीं	01-04-2017	कंपनी को भूदान ट्रस्ट बोर्ड द्वारा जमीन आवंटित की गयी है – भूदान ट्रस्ट बोर्ड की बैठकों और अन्य औपचारिकताओं में देरी के कारण कंपनी के नाम पर पंजीकरण लंबित है।
कोविलपट्टी 400/220 केवी जीआईएस	47.31	45.36	श्री रमेश और श्री आर राजन	नहीं	19-10-2011	माननीय चेन्नई उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया है और एक पुरस्कार पारित किया गया है। फैसले से व्यथित दोनों पक्षों ने मुआवजे के फैसले के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। माननीय उच्च न्यायालय चेन्नई ने अभी तक मामले का फैसला नहीं किया है। इसलिए, शीर्षक विलेख को कंपनी के नाम पर स्थानांतरित किया जाना बाकी है।
न्यू नवसारी एस.एस	21.44	-	गुजरात सरकार	नहीं	20-06-2022	तदर्थ भुगतान के आधार पर 20.06.2022 को भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और अंतिम मांग अभी भी प्रतीक्षित है। अंतिम मांग के निस्तारण के बाद स्वामित्व विलेख की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
आरओयू संपत्ति– भूमि	**282.09**	**275.02**				
पंडियाबिली	9.23	8.82	ओडिशा सरकार	नहीं	12-01-2018	कंपनी सरकार से पट्टा विलेख पंजीकृत कराने की प्रक्रिया में है। ओडिशा के. दस्तावेज़ उप रजिस्ट्रार, जाटनी के पास जमा कर दिए गए हैं और पट्टा विलेख के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है।
राउरकेला	0.26	0.26	सेल–राउरकेला	नहीं	25-07-2020	सरकार के बीच मूल त्रिपक्षीय उप पट्टा समझौता। ओडिशा, राउरकेला स्टील प्लांट और पावरग्रिड की अवधि समाप्त हो गई है। इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

संपत्ति की वस्तु का विवरण	31.03.2023 तक सकल वहन मूल्य	31.03.2022 तक सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या शीर्षक विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
दुर्गापुर	21.65	21.65	सेल–दुर्गापुर	नहीं	01-05-2017	सेल के साथ मूल लीज समझौता समाप्त हो गया था और वह नवीनीकरण की प्रक्रिया में है।
मैथन	4.49	0.02	पश्चिम बंगाल सरकारण	नहीं	04-05-2019 & 24-04-2021	लीज के नवीनीकरण का अनुरोध डीएलएलआरओ–आसनसोल को प्रस्तुत किया गया है। इस पर उत्तर की प्रतीक्षा है.
अलीपुरद्वार–माथाभांगा अर्थ इलेक्ट्रोकोड	0.30	0.30	पश्चिम बंगाल सरकारण	नहीं	17-03-2017	4.85 हेक्टेयर लीज भूमि के लीज समझौते को 23.11.21 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। लीज समझौते पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया चल रही है। शेष 1.16 हेक्टेयर भूमि के लिए राज्य कैबिनेट में अनुमोदन हेतु प्रक्रिया जारी है।
जमशेदपुर	1.46	0.13	वन विभाग	नहीं	FY 1992-93 onwards	जियाडा पावरग्रिड को आगे हस्तांतरण के लिए वन विभाग से भूमि हस्तांतरण के लिए मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।
अजमेर टाउनशिप	0.96	0.96	अजमेर जिला प्राधिकरण	नहीं	01-04-1999	संशोधित भूमि लागत पर ब्याज की मांग हेतु संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष याचिका के निस्तारण के कारण पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।
400/220 केवी एस/एस द्वारका	63.13	63.13	जीएनसीटीडी	नहीं	01-04-2018	प्रक्रियागत देरी के कारण पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।
400/220 केवी एस/एस तुगलकाबाद	35.52	35.52	जीएनसीटीडी	नहीं	01-04-2018	
विशाखापत्तनम	0.00	0.00	नेशनल स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं	23-03-2022	लीज समझौता समाप्त हो गया था और कंपनी लीज शर्तों पर बातचीत की प्रक्रिया में है।
400/220 केवी जीआईएस पूलिंग स्टेशन चंबा, ग्राम मोहल राजेरा तहसील और जिला। चंबा (हिमाचल प्रदेश)	12.36	12.36	हिमाचल प्रदेश सरकार	नहीं	19-10-2011	हिमाचल प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड में विषय भूमि सरकारी/वन भूमि है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, एफसीए 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन के लिए हस्तांतरित वन भूमि को विचलन के बाद भी "वन" के रूप में कानूनी दर्जा प्राप्त रहेगा।

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

संपत्ति की वस्तु का विवरण	31.03.2023 तक सकल वहन मूल्य	31.03.2022 तक सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या शीर्षक विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
एसएलटीएस–कारगिल सबस्टेशन लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश)	0.00	0.00	पीडीडी कारगिल	नहीं	31.10.2019	भारत सरकार (एमओपी) ने श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम (एसएलटीएस) परियोजना को अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स (आईएसटीएस) घोषित किया है और इसे पावरग्रिड में स्थानांतरित कर दिया गया है ।
एसएलटीएस–द्रास सबस्टेशन (लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश)	0.00	0.00	पीडीडी कारगिल	नहीं	31.10.2019	
SLTS –लेह सबस्टेशन (लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश)	0.00	0.00	पीडीडी लेह	नहीं	31.10.2019	
SLTS – Khalsti सबस्टेशन (यूटी लद्दाख)	0.00	0.00	पीडीडी लेह	नहीं	31.10.2019	
वागूरा–400/220 केवी सब–स्टेशन वागूरा, गांव वागुरा तहसील और जिला। बडगाम, कश्मीर	1.33	1.33	जम्मू–कश्मीर सरकार	नहीं	FY 1993-94 onwards	केंद्रशासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर में भूमि का अधिग्रहण राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत केंद्रशासित प्रदेश/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। कानून के अनुसार केंद्रशासित प्रदेश/राज्य सरकार अधिग्रहित भूमि की मालिक बनी रहती है और कंपनी को केवल विशिष्ट उपयोग के लिए कब्जा दिया जाता है।
न्यू वानपोह–400/220 केवी सब–स्टेशन न्यू वानपोह , ग्राम दमजान, तहसील दोरू, जिला। अनंतनाग, कश्मीर	25.45	25.45	जम्मू–कश्मीर सरकार	नहीं	30-11-2010	
किशनपुर टाउनशिप–800/400/220 केवी सब–स्टेशन किशनपुर , ग्राम खरता तहसील जिंधरा और जिला। जम्मू (टाउनशिप भूमि)	0.06	0.06	जम्मू–कश्मीर सरकार	नहीं	31-03-1995	
किशनपुर–800/400/220 केवी सब–स्टेशन किशनपुर , ग्राम खरता तहसील जिंधरा और जिला। जम्मू	0.34	0.34	जम्मू–कश्मीर सरकार	नहीं	31-03-1993	
नरवाल–लाइन कार्यालय नरवाल	0.00	0.00	जम्मू–कश्मीर सरकार	नहीं	FY 1993-94 onwards	
सांबा सांबा एस/एस भूमि	11.60	11.60	जम्मू–कश्मीर सरकार	नहीं	19-04-2012	
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में टीएल भूमि	93.95	93.09	जम्मू–कश्मीर सरकार	नहीं	FY 1993-94 onwards	
भवन	**2.96**	**2.96**				
भवन (मुंबई में फ्लैट)	2.96	2.96	एमएचएडीए	नहीं	Since 02-01-2017	प्रक्रियागत देरी के कारण शीर्षक विलेख का हस्तांतरण लंबित है

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(ख) प्रगति में पूंजीगत कार्य की एजेईंग इस प्रकार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष या उससे कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष या उससे अधिक	कुल
31.03.2023 तक					
प्रगति पर परियोजना	4,701.42	1,092.43	444.69	1,429.59	7,668.13
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**4,701.42**	**1,092.43**	**444.69**	**1,429.59**	**7,668.13**
31.03.2022 तक					
प्रगति पर परियोजनाएं	3,265.50	1,429.12	1,073.09	1,579.01	7,346.72
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**3,265.50**	**1,429.12**	**1,073.09**	**1,579.01**	**7,346.72**

(ग) पूंजी–कार्य–प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के लिए, जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी लागत से अधिक हो गया है, पूर्णता अनुसूची की तुलना इस प्रकार हैः

31 मार्च, 2023 तक परियोजनाओं के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	भादला, राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्कों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली	21.11	-	-	-	21.11
प्रगति पर परियोजना	चरण–II–भाग–एफ1 के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1जीडब्ल्यू) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली को मजबूत करना	96.63	-	-	-	96.63
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVI से संबद्ध लाइन बे	25.06	-	-	-	25.06
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XL (एनआरएसएस–XL)	49.70	-	-	-	49.70
प्रगति पर परियोजना	नियंत्रित करने की योजना (चरण–II)	10.94	-	-	-	10.94
प्रगति पर परियोजना	फतेहगढ़– II और भादला– II में आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	85.79	-	-	-	85.79
प्रगति पर परियोजना	सहारनपुर (पीजी) में 2–220 केवी लाइन बे	2.73	-	-	-	2.73
प्रगति पर परियोजना	चरण II–भाग–ए1 के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना	50.60	-	-	-	50.60
प्रगति पर परियोजना	चरण II – भाग बी1 के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना	787.76	-	-	-	787.76
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र में अतिरिक्त आईसीटी का प्रावधान	0.20	-	-	-	0.20
प्रगति पर परियोजना	भादला– II सब–स्टेशन पर 1X80 एमवीएआर 765 केवी स्पेयर रिएक्टर का कार्यान्वयन	1.54	-	-	-	1.54
प्रगति पर परियोजना	भिवानी (पीजी) में 400 केवी लाइन बे का प्रावधान	18.98	-	-	-	18.98

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना के अंतर्गत उत्तरी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना (अतिरिक्त आवश्यकता)	14.36	-	-	-	14.36
प्रगति पर परियोजना	500 एमवीएआर थाइरिस्टर का कार्यान्वयन नियंत्रित	129.75	-	-	-	129.75
प्रगति पर परियोजना	कुरूक्षेत्र 400 केवी बस में रिएक्टर	20.07	-	-	-	20.07
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XLI (एनआरएसएस–XLI)	10.06	-	-	-	10.06
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XLII (एनआरएसएस–XLII)	10.26	-	-	-	10.26
प्रगति पर परियोजना	1–220 केवी बे पर 220 केवी करियन– चमेरा पूल लाइन के दूसरे सर्किट स्ट्रिंग के लिए चमेरा पूलिंग प्वाइंट	44.29	-	-	-	44.29
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVII (एनआरएसएस–XXXVII)	-	28.24	-	-	28.24
प्रगति पर परियोजना	सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVIII (एनआरएसएस–XXXVIII) से जुड़े आईसीटी और बे	274.21	-	-	-	274.21
प्रगति पर परियोजना	वाराणसी (पीजी) सब–स्टेशन पर 2–400 केवी हाइब्रिड/जीआईएस लाइन बे का निर्माण	34.93	-	-	-	34.93
प्रगति पर परियोजना	शाजानपुर (पीजी) 400/220 केवी सब–स्टेशन पर 220 केवी बे का कार्यान्वयन	2.12	-	-	-	2.12
प्रगति पर परियोजना	सिस्टम सुदृढीकरण के तहत सोहावल (पीजी) में 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी संवर्धन (तीसरा)	22.74	-	-	-	22.74
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्व –उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर–I परियोजना	1,498.19	-	-	-	1,498.19
प्रगति पर परियोजना	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–V से जुड़े पावरग्रिड कार्य	68.33	-	-	-	68.33
प्रगति पर परियोजना	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–एक्स (एनईआरएसएस–एक्स)	46.69	-	-	-	46.69
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– XII (एनईआरएसएस–XII)	407.91	-	-	-	407.91
प्रगति पर परियोजना	पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–ग्प्ट (एनईआरएसएस–XIV)	50.39	-	-	-	50.39
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–II, भाग–बी (एनईआरएसएस–II–बी) से जुड़े पावरग्रिड कार्य	87.48	-	-	-	87.48
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–III (एनईआरएसएस–III)	54.26	-	-	-	54.26
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–VI से जुड़े पावरग्रिड कार्य	24.19	-	-	-	24.19
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर एवं रिएक्टर का प्रावधान	27.55	-	-	-	27.55
प्रगति पर परियोजना	उत्तर– पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XI (एनईआरएसएस–XI)	40.17	-	-	-	40.17

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– XIII (एनईआरएसएस–XIII)	51.16	-	-	-	51.16
प्रगति पर परियोजना	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में वाइड बैंड संचार विस्तार योजना के अंतर्गत फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	36.73	-	-	-	36.73
प्रगति पर परियोजना	स्थापना के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत फाइबर ऑप्टिक संचार योजना (एडिशनल)	23.01	-	-	-	23.01
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पुराने आरटीयू का प्रतिस्थापन	2.18	-	-	-	2.18
प्रगति पर परियोजना	वीसैट आधारित संचार प्रणाली	0.21	-	-	-	0.21
प्रगति पर परियोजना	एनटीपीसी की उत्तरी करनपुरा (3X660 मेगावाट) उत्पादन परियोजना के लिए तत्काल निकासी से जुड़े पावरग्रिड कार्य	45.99	-	-	-	45.99
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना –XXVI (ERES-XXVI)	1.68	-	-	-	1.68
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र के एसएलडीसी (बीएसपीटीसीएल और डीवीसी) में एससीएडीए/ईएमएस प्रणाली के विस्तार/उन्नयन के तहत संचार प्रणाली की स्थापना	17.17	-	-	-	17.17
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना के तहत संचार प्रणाली (अतिरिक्त आवश्यकता)	38.29	-	-	-	38.29
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XVII (भाग–बीबी) (ईआरएसएस–XVII (भाग–बीबी),	50.06	-	-	-	50.06
प्रगति पर परियोजना	पावरग्रिड भूटान में नए एचईपी से बिजली हस्तांतरण के लिए भारतीय प्रणाली में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने से जुड़ा काम करता है	30.02	-	-	-	30.02
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XXII	26.69	-	-	-	26.69
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना की स्थापना	9.87	-	-	-	9.87
प्रगति पर परियोजना	वाइडबैंड संचार नेटवर्क के विस्तार के तहत पूर्वी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली	6.44	-	-	-	6.44
प्रगति पर परियोजना	चरण–I एकीकृत वास्तविक समय गतिशील राज्य मापन (यूआरटीडीएसएम)	3.31	-	-	-	3.31
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–V	467.64	-	-	-	467.64
प्रगति पर परियोजना	मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से संबद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम	116.12	-	-	-	116.12
प्रगति पर परियोजना	रायगढ़ (तनमार) पूल में एकत्रित उत्पादन परियोजनाओं से बिजली निकासी के लिए अतिरिक्त प्रणाली	83.26	-	-	-	83.26
प्रगति पर परियोजना	ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करना – कोल्हापुर (पीजी)–कोल्हापुर 400 केवी डी/सी लाइन का पुनर्निर्माण	34.21	-	-	-	34.21
प्रगति पर परियोजना	गोवा को अतिरिक्त 400केवी फ़ीड से जुड़ा हुआ है	23.39	-	-	-	23.39

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	मास्टर कम्युनिकेशन प्लान के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	0.75	-	-	-	0.75
प्रगति पर परियोजना	पावरग्रिड खरगोन टीपीएस से जुड़े पश्चिम रेलवे में पारेषण प्रणाली को मजबूत करने से संबंधित कार्य करता है	103.53	-	-	-	103.53
प्रगति पर परियोजना	आरई परियोजनाओं के इंटरकनेक्शन के लिए पावरग्रिड सबस्टेशनों पर विस्तार कार्य	5.53	-	-	-	5.53
प्रगति पर परियोजना	मेसर्स एसबीईएसएस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 325 मेगावाट पवन परियोजना के लिए कनेक्टिविटी और एलटीए	5.51	-	-	-	5.51
प्रगति पर परियोजना	इंदौर सब–स्टेशन पर फॉल्ट स्तर को नियंत्रित करने की योजना	0.02	-	-	-	0.02
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना (अतिरिक्त आवश्यकता)	11.28	-	-	-	11.28
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना	11.78	-	-	-	11.78
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में सिस्टम सुदृढ़ीकरण– XXV	38.87	-	-	-	38.87
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में परिवर्तन क्षमता का विस्तार	44.11	-	-	-	44.11
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना	39.23	-	-	-	39.23
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगलुर, तमिलनाडु)–उत्तरी त्रिचूर (केरल) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक – योजनारु2: पुगलुर छोर पर एसी सिस्टम को मजबूत करना	39.16	-	-	-	39.16
प्रगति पर परियोजना	नेवेली, तमिलनाडु में 2x500 मेगावाट नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड टीएस–1 (रिप्लेसमेंट) (एनएनटीपीएस) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	40.55	-	-	-	40.55
प्रगति पर परियोजना	तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन पवन ऊर्जा क्षेत्र (तमिलनाडु) में आरई की निकासी 500 मेगावाट	33.10	-	-	-	33.10
प्रगति पर परियोजना	मौजूदा हिरियुर और कोच्चि उप–स्टेशनों पर परिवर्तन क्षमता का विस्तार	34.59	-	-	-	34.59
प्रगति पर परियोजना	तूतीकोरिन–II जीआईएस पीएस में 230 केवी बे के 1 नंबर का कार्यान्वयन	4.65	-	-	-	4.65
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र के उप–स्टेशनों और उत्पादन स्टेशनों के लिए फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली	0.83	-	-	-	0.83
प्रगति पर परियोजना	ओपीजीडब्ल्यू परियोजना (1517 किमी)–दूरसंचार	1.99	-	-	-	1.99
प्रगति पर परियोजना	पीकेजी–यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, आई–1, आई–2 और आई–3–टेलीकॉम	30.00	-	-	-	30.00
प्रगति पर परियोजना	पीकेजी–एम– 1,एम –2 और एम–3–टेलीकॉम	13.82	-	-	-	13.82
प्रगति पर परियोजना	पैकेज–जेड–टेलीकॉम	0.69	-	-	-	0.69

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	एनटीएएमसी–टेलीकॉम के लिए नेटवर्क	7.19	-	-	-	7.19

For the projects as on 31 March 2022:

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्व –उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर–I परियोजना	1,007.06	-	-	-	1,007.06
प्रगति पर परियोजना	टेहरी पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी से संबद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम	180.93	-	-	-	180.93
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–V	450.52	-	-	-	450.52
प्रगति पर परियोजना	मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से संबद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम	-	108.96	-	-	108.96
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–V (ईआरएसएस–V)	26.61	-	-	-	26.61
प्रगति पर परियोजना	मास्टर कम्युनिकेशन प्लान के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	0.74	-	-	-	0.74
प्रगति पर परियोजना	चरण– I एकीकृत वास्तविक समय गतिशील राज्य मापन (URTDSM)	2.71	-	-	-	2.71
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXV (एनआरएसएस–XXXV)	93.93	-	-	-	93.93
प्रगति पर परियोजना	वाइडबैंड संचार नेटवर्क के विस्तार के तहत पूर्वी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली	6.05	-	-	-	6.05
प्रगति पर परियोजना	रेशा दक्षिणी क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र के उप–स्टेशनों और उत्पादन स्टेशनों के लिए ऑप्टिक संचार प्रणाली	0.80	-	-	-	0.80
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XII (ईआरएसएस–XII)	22.31	-	-	-	22.31
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–II, भाग–बी (एनईआरएसएस–II–बी) से जुड़े पावरग्रिड कार्य	83.27	-	-	-	83.27
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–III (एनईआरएसएस–III)	53.05	-	-	-	53.05
प्रगति पर परियोजना	12वीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 400/220केवी सबस्टेशनों का निर्माण (भाग–एए)	260.91	-	-	-	260.91
प्रगति पर परियोजना	फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना के अंतर्गत उत्तरी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना (अतिरिक्त आवश्यकता)	72.56	-	-	-	72.56
प्रगति पर परियोजना	मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क (750 मेगावाट) के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	12.53	-	-	-	12.53
प्रगति पर परियोजना	आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम –भाग बी (चरण–II)	50.93	-	-	-	50.93

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	220/66 केवी, 2x160 एमवीए जीजीआईएस की स्थापना, साथ ही चंडीगढ़ जीआईएस से 400/220 केवी पंचकुला (पीजी) सबस्टेशन तक 220 केवी डी/सी लाइन की स्थापना।	302.64	-	-	-	302.64
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XVII (भाग–बीबी) (ईआरएसएस–XVII (भाग–बीबी),	43.82	-	-	-	43.82
प्रगति पर परियोजना	सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVII (एनआरएसएस–XXXVII)	344.64	-	-	-	344.64
प्रगति पर परियोजना	सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVIII (एनआरएसएस–XXXVIII) से जुड़े आईसीटी और बे	262.59	-	-	-	262.59
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–ग्XXVI से संबद्ध लाइन बे	23.03	-	-	-	23.03
प्रगति पर परियोजना	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में वाइड बैंड संचार विस्तार योजना के अंतर्गत फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	34.86	-	-	-	34.86
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना (अतिरिक्त आवश्यकता)	9.85	-	-	-	9.85
प्रगति पर परियोजना	पावरग्रिड भूटान में नए एचईपी से बिजली हस्तांतरण के लिए भारतीय प्रणाली में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने से जुड़ा काम करता है	54.50	-	-	-	54.50
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र के एसएलडीसी (बीएसपीटीसीएल और डीवीसी) में एससीएडीए/ईएमएस प्रणाली के विस्तार/उन्नयन के तहत संचार प्रणाली की स्थापना	15.86	-	-	-	15.86
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगलुर तमिलनाडु)–उत्तरी त्रिचूर (केरल) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक – योजना:2: पुगलुर छोर पर एसी सिस्टम को मजबूत करना	-	17.79	-	-	17.79
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–VI से जुड़े पावरग्रिड कार्य	18.43	-	-	-	18.43
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–V से जुड़े पावरग्रिड कार्य	66.36	-	-	-	66.36
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र यानी वरोरा –वारंगल और चिलकलुरिपेटा –हैदराबाद–कुरनूल 765केवी लिंक में आयात के लिए अतिरिक्त अंतर–क्षेत्रीय एसी लिंक से जुड़े उप–स्टेशन कार्य	159.27	-	-	-	159.27
प्रगति पर परियोजना	भिवानी (पीजी) में 400 केवी लाइन बे का प्रावधान	18.17	-	-	-	18.17
प्रगति पर परियोजना	नेवेली, तमिलनाडु में 2x500 मेगावाट नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड टीएस–1 (रिप्लेसमेंट) (एनएनटीपीएस) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	39.07	-	-	-	39.07
प्रगति पर परियोजना	पावरग्रिड खरगोन टीपीएस से जुड़े पश्चिम रेलवे में ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण से जुड़ा काम करता है	99.32	-	-	-	99.32
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी करनपुरा (3x660 मेगावाट) उत्पादन परियोजना के लिए तत्काल निकासी से जुड़े पावरग्रिड कार्य	40.63	-	-	-	40.63
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XVIII (ईआरएसएस–XVIII)	10.45	-	-	-	10.45
प्रगति पर परियोजना	गुजरात के बनासकांठा (राधानेस्दा) में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क (700 मेगावाट) के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	153.01	-	-	-	153.01

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना के तहत संचार प्रणाली (अतिरिक्त आवश्यकता)	34.51	-	-	-	34.51
प्रगति पर परियोजना	गोवा को अतिरिक्त 400केवी फ़ीड से जुड़ा हुआ है	21.78	-	-	-	21.78
प्रगति पर परियोजना	रायगढ़ (तमनारल पूल में एकत्रित उत्पादन परियोजनाओं से बिजली निकासी के लिए अतिरिक्त प्रणाली	78.41	-	-	-	78.41
प्रगति पर परियोजना	स्थापना के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत फाइबर ऑप्टिक संचार योजना (एडिशनल)	15.78	-	-	-	15.78
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना की स्थापना	9.32	-	-	-	9.32
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना	101.59	-	-	-	101.59
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना	53.28	-	-	-	53.28
प्रगति पर परियोजना	बहरामपुर (पावरग्रिड–भेरामारा (बांग्लादेश) दूसरी 400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन (भारतीय भाग)	170.35	-	-	-	170.35
प्रगति पर परियोजना	बनासकांठा (राधानेस्दा), गुजरात में अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क (700 मेगावाट) के लिए पूरक ट्रांसमिशन प्रणाली	164.81	-	-	-	164.81
प्रगति पर परियोजना	वर्धा सबस्टेशन पर दोष स्तर को नियंत्रित करने की योजना	46.01	-	-	-	46.01
प्रगति पर परियोजना	500 एमवीएआर थाइरिस्टर नियंत्रित रिएक्टर का कार्यान्वयन	92.80	-	-	-	92.80
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना	66.72	-	-	-	66.72
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XL (एनआरएसएस–XL)	79.72	-	-	-	79.72
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XLI (एनआरएसएस–XLI)	17.89	-	-	-	17.89
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में सिस्टम सुदृढ़ीकरण– XXV	36.15	-	-	-	36.15
प्रगति पर परियोजना	आरई परियोजनाओं के इंटरकनेक्शन के लिए पावरग्रिड सबस्टेशनों पर विस्तार कार्य	5.46	-	-	-	5.46
प्रगति पर परियोजना	राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली	203.28	-	-	-	203.28
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण –XLII (एनआरएसएस–XLII)	8.31	-	-	-	8.31
प्रगति पर परियोजना	नियंत्रित करने की योजना (चरण–II)	65.65	-	-	-	65.65
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XXII	22.04	-	-	-	22.04
प्रगति पर परियोजना	फतेहगढ़–II और भादला–II में आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	248.06	-	-	-	248.06
प्रगति पर परियोजना	तिरुवलम एस/एस पर उच्च शॉर्ट सर्किट करंट स्तर को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	74.74	-	-	-	74.74

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	वाराणसी (पीजी) सबस्टेशन पर 2–400केवी हाइब्रिड/जीआईएस लाइन बे का निर्माण	34.21	-	-	-	34.21
प्रगति पर परियोजना	सहारनपुर (पीजी) में 2–220 केवी लाइन बे	2.63	-	-	-	2.63
प्रगति पर परियोजना	चरण II–भाग–ए1 के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना	10.98	-	-	-	10.98
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना –एक्स (एनईआरएसएस–एक्स)	16.10	-	-	-	16.10
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XXIII	182.99	-	-	-	182.99
प्रगति पर परियोजना	पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XIV (एनईआरएसएस–XIV)	31.56	-	-	-	31.56
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XI (एनईआरएसएस–XI)	8.23	-	-	-	8.23
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXIV (ईआरएसएस–XXIV)	1.89	-	-	-	1.89
प्रगति पर परियोजना	भादला, राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्कों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली	92.95	-	-	-	92.95

(घ) विकासाधीन अमूर्त संपत्ति की उम्र इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023 को					
प्रगति पर परियोजनाएं	0.18	24.66	-	6.24	31.08
अस्थाई रूप से निलम्बित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**0.18**	**24.66**	**-**	**6.24**	**31.08**
31.03.2022 को					
प्रगति पर परियोजनाएं	25.29	-	-	6.24	31.53
अस्थाई रूप से निलम्बित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**25.29**	**-**	**-**	**6.24**	**31.53**

(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए, जिनकी पूर्णता अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है, विकास पूर्णता अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति इस प्रकार है:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		ढ1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्व – उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर – I परियोजना	24.66	-	-	-	24.66
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना – V	6.24	-	-	-	6.24

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

For the year ended 31 March 2022:

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		≤1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना – V	6.24	-	-	-	6.24
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्व – उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर – I परियोजना	24.66	-	-	-	24.66
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XXIII	0.63	-	-	-	0.63

(च) वित्तीय वर्ष के अंत तक बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 988 (संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(छ) कंपनी को बैंकों के संघ द्वारा वर्तमान के मुकाबले प्रतिभूत रू 7,200 करोड़ (पिछले वर्ष रू5,700 करोड़) की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई थी। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा चालू परिसंपत्तियों का त्रैमासिक रिटर्न दाखिल किया गया है और खातों की पुस्तकों के साथ समझौता किया गया है।

(ज) वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया था।

(झ) बंद कंपनियों के साथ संबंध:

(₹ करोड़ में)

बंद की गई कंपनी	बंद की गई कंपनी के साथ लेन–देन की प्रकृति	31.03.2023 को बकाया शेष	31.03.2022 को बकाया शेष	बंद की गई कंपनी के साथ संबंध
ऐस कंसल्टेंट्स प्रा. लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
अंकिता एंटरप्राइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
बाउर इंस्ट्रूमेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	NA	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
ब्यूटेक्स एडवरटाइजिंग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.03	0.03	संबंधित पक्षकार नहीं है
ब्रेनटेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.01	संबंधित पक्षकार नहीं है
साइबरियन इन्फोमेर्शियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
दास एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
डेलीजेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.01	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
एरिक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
फॉर्च्यून मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
हिंदुस्तान विद्युत उत्पाद लिमिटेड	देय	NA	0.01	संबंधित पक्षकार नहीं है
एचवीएसी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
इंपीरियल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	NA	0.21	संबंधित पक्षकार नहीं है
जेके पेपर सैक्स प्रा. लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
जय अम्बे ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	देय	NA	0.01	संबंधित पक्षकार नहीं है
जेसन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
मैट्रिक्स टेलीकॉम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
मित्सु सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
मॉडर्न ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
मोनार्क इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

बंद की गई कंपनी	बंद की गई कंपनी के साथ लेन–देन की प्रकृति	31.03.2023 को बकाया शेष	31.03.2022 को बकाया शेष	बंद की गई कंपनी के साथ संबंध
ओम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
ओम सर्विसेज एंड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
ओरिएंट कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
क्वालिटी रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
राज केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
राणा एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
शर्मा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
सिद्धराम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.04	0.04	संबंधित पक्षकार नहीं है
सिग्मा सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.01	0.01	संबंधित पक्षकार नहीं है
सिनर्जी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.16	0.16	संबंधित पक्षकार नहीं है
टेकसोल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	देय	NA	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
टीजीएन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
यूनाइटेड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
विसाग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
विशाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.22	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
युमिको ग्लोबल इंफ्रा टेक प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.11	0.10	संबंधित पक्षकार नहीं है
आर्कटोस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.08	0.08	संबंधित पक्षकार नहीं है
बीमन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.04	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
एक्सपेडिटिव इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.08	0.11	संबंधित पक्षकार नहीं है
ग्लेन सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.03	0.03	संबंधित पक्षकार नहीं है
रूफर्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.02	0.02	संबंधित पक्षकार नहीं है
शुभ्रा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.04	0.04	संबंधित पक्षकार नहीं है
वैशाली कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
विस्कोम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.02	0.02	संबंधित पक्षकार नहीं है
यश टेक्नो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.06	0.06	संबंधित पक्षकार नहीं है
अंजल इम्पेक्स प्रा. लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
सेंचुरी मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.01	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
इसाइरिस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

बंद की गई कंपनी	बंद की गई कंपनी के साथ लेन–देन की प्रकृति	31.03.2023 को बकाया शेष	31.03.2022 को बकाया शेष	बंद की गई कंपनी के साथ संबंध
जेवी ए एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	NA	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
जेबी एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
कोठारी इंटरग्रुप लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
यूनिकॉन फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.02	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
वैशाख शेयर्स लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
विटालिंक वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
जेनिथ इंश्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	NA	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है

(() कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान वैधानिक अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास दोष या दोषारोपण की संतुष्टि दर्ज की है।

(ट) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

(ठ) अनुपात

अनुपात	गणक	भाजक	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भिन्नता	भिन्नता का कारण >25 प्रतिशत।
(क) वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्ति	वर्तमान देनदारियां	0.90	0.62	45%	लम्बी अवधि उधार की चालू परिपक्वता में कमी के कारण
(ख) कर्ज इक्विटी अनुपात	कुल कर्ज	शेयर धारक की इक्विटी	1.53	1.77	-14%	
(ग) कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	अवधि के लिए लाभ + मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय + वित्त लागत + एफआईआरवी + अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि	वित्त लागत + पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती	1.52	1.61	-6%	
(घ) इक्विटी पर प्रतिलाभ अनुपात	अवधि के लिए लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	19%	23%	-17%	
(ङ) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत सूची	32.22	29.14	11%	
(च) व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य (प्रावधान में कटौता से पहले)	3.85	4.46	-14%	

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

अनुपात	गणक	भाजक	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भिन्नता	भिन्नता का कारण >25 प्रतिशत।
(छ) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	सकल अन्य व्यय एफईआरवी प्रावधान, पीपीई के निपटान पर हानि	औसत व्यापार देय	10.94	12.35	-11%	
(ज) शुद्ध पूंजी कारोबार	प्रचालन से राजस्व	चालू संपत्तियां चालू दायित्व	-	-	-	
(झ) शुद्ध लाभ अनुपात	अवधि के लिए लाभ	प्रचालन से राजस्व	35%	43%	-19%	
(ञ) नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	ब्याज और ऋण लेने से पहले की आय	मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	13%	11%	18%	
(ट) निवेश पर प्रतिलाभ	निवेश और पूंजी वृद्धि से आय	समय भारित निवेश	8%	18%	-56%	निवेशों के बाजार मूल्य में कमी के कारण घाटा

* अनुपात की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि हर ऋणात्मक है।

(ड) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान बिचौलियों के माध्यम से प्राप्त/उन्नत या ऋण या निवेशित धन (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि) नहीं लिया है।

(ढ) कंपनी का कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं किया गया था और जिसे सरेंडर कर दिया गया हो या आयकर अधिनियम, 961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में प्रकट किया गया।

(ण) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

65. अन्य टिप्पणियां

क. असाधारण मदें

पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ('पीजीइनविट/ट्रस्ट') के माध्यम से अपनी पांच (05) सहायक कंपनियों का मुद्रीकरण किया है। उपरोक्त पांच एसपीवी में 74% शेयर मई 2021 में पीजीआईएनवीआईटी को हस्तांतरित कर दिए गए थे और पीवीटीएल के शेष 26% शेयर मार्च 2022 में हस्तांतरित कर दिए गए थे। शेष एसपीवी का शेष 26% ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट (टीएसए) के अनुरूप स्थानांतरित किया जाएगा और इसे "बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उक्त लेनदेन पर लाभ (संबंधित व्यय का निवल) पिछले वर्ष में "असाधारण मदों" के तहत प्रकट किया गया है।

ख. कंपनी के दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय करने के लिए पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का समावेश

एक कंपनी 'पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड' को दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय शुरू करने के उद्देश्य से कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 25.11.2021 को निगमित किया गया था। सीईआरसी ने 17 मई 2023 के आदेश के तहत पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से मौजूदा दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय शुरू करने की मंजूरी दे दी। कंपनी उक्त व्यवसाय के हस्तांतरण के लिए कार्यप्रणाली/लेनदेन योजना का मूल्यांकन कर रही है, जिसमें संपत्ति और देनदारियों की पहचान शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

उपरोक्त महत्वपूर्ण गतिविधियां पूरी होने तक कंपनी दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय का प्रचालन जारी रखेगी। चूंकि उक्त व्यवसाय अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे ''बिक्री के लिए धारित निपटान समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

ग. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 25.02.2022 के आदेश में कहा कि कर्मचारियों से संबंधित व्यय और सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल) के अन्य संबंधित खर्चों को कंपनी द्वारा 31.03.2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक वहन किया जाना जारी रहेगा। जैसा कि विभिन्न टैरिफ आदेशों के माध्यम से इसकी अनुमति दी गई थी। अतः सीटीयू के कार्यों से संबंधित व्यय कंपनी द्वारा वहन किया जा रहा है। कर्मचारी लागत, अन्य खर्चों और अन्य व्यापक आय पर प्रभाव के लिए क्रमशः टिप्पणी संख्या 37, 40 और 42 देखें।

65. Other Notes (Contd.)

ङ. हाल की घोषणाएं

31.03.2023 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए'') ने 01.04.2023 से लागू कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया है। कंपनी वित्तीय वर्ष 2023–24 में, जैसा लागू हो, संशोधनों का आकलन और कार्यान्वयन करेगी।

66. क) आंकड़ों को दो दशमलव तक करोड़ रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

ख) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव कंपनी सचिव	**जी. रविशंकर** निदेशक (वित्त)	**के. श्रीकांत** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफआरएनः 0000990एन	कृते **उमामाहेश्वर राव एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स** एफआरएनः 004453एस	कृते **बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफआरएनः 301011ई/ई300025	कृते **पीएसडी एंड एसोसिएट्स** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफआरएनः 004501सी
सीए आर बालासुब्रह्मण्यम साझेदार सदस्यता संख्या 080432	**सीए राकेश भानू अमर** साझेदार सदस्यता संख्या 228411	**सीए संजय सरकार** साझेदार सदस्यता संख्या 064305	**सीए सतीश चंद्र शर्मा** साझेदार सदस्यता संख्या 072846

दिनांकः 19 मई, 2023
स्थानः गुरूग्राम

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') के साथ के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), परिवर्तन इक्विटी में और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (इसके बाद ''स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित) का विवरण शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और देते हैं 31 मार्च 2023 को कंपनी के मामलों की स्थिति, लाभ और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उस पर समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकदी प्रवाह में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण है।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों (एसएएस) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही स्वतंत्रता आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत बनाया गया है, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संदर्भ में एक के रूप में संबोधित किया गया था।

संपर्ण, और उस पर अपनी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया था
1	**पारेषण आय से राजस्व की मान्यता** पारेषण आय का लेखा सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों के आधार पर किया जाता है। पारेषण परियोजनाओं के मामले में जहां अंतिम टैरिफ आदेशों को अधिसूचित किया जाना बाकी है, पूर्व के मामलों में सीईआरसी के टैरिफ विनियमों और आदेशों के अनुसार पारेषण आय का लेखा अनंतिम आधार पर किया जाता है। सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ आदेश जारी करने पर अंतर, यदि कोई हो, का हिसाब लगाया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, पारेषण आय में ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक प्रोद्भवन भी शामिल है, लेकिन अभी तक बिल नहीं किया गया है, अर्थात, बिल न किया गया राजस्व।	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल हैं सीईआरसी टैरिफ विनियमों, आदेशों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और कंपनी के आंतरिक परिपत्रों और बिजली के संचरण से राजस्व की पहचान और माप के संबंध में प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त करना। • पारेषण से राजस्व की पहचान और माप से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षण किया। • सीईआरसी टैरिफ रेगुलेशन, ऑर्डर, सर्कूलर, गाइडलाइंस और कंपनी के आंतरिक सर्कुलर के आधार पर ट्रांसमिशन रेवेन्यू का सत्यापन किया।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया था
	सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार किए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा और राजस्व की मान्यता के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध के कारण इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है। (टिप्पणी संख्या35(ख)(ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण देखें	• परीक्षण के आधार पर सत्यापित, हाल के मामलों में सीईआरसी के नियामक दिशानिर्देशों और आदेशों के अनुसार अनंतिम आधार पर मान्यता प्राप्त आय, जहां वाणिज्यिक की तारीख के आधार पर, उन परिसंपत्तियों के लिए जिनके अंतिम आदेश सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किए जाने बाकी हैं। क्षेत्रीय तकनीकी प्रमुखों द्वारा जारी प्रचालन (डीओसीओ) पत्र, और पूंजी लागत, जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है। निष्पादित उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर, विद्युत के पारेषण से राजस्व की पहचान और माप को पर्याप्त और उचित माना जाता है।
2	<u>**एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियां**</u> कंपनी ने भविष्य में देय कर के प्रति समायोजन की प्रत्याशा में एमएटी क्रेडिट पर विचार किया है। वर्ष और वर्ष के दौरान उसी के लिए आस्थगित कर संपत्ति बनाई। उक्त एमएटी क्रेडिट एंटाइटेलमेंट के अनुरूप, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों को बाद की अवधि में देय एक आस्थगित नियामक देयता को मान्यता दी गई है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए इस मामले के महत्व और इसकी भौतिकता और एमएटी क्रेडिट पात्रता की मान्यता के लिए भविष्य के कर योग्य लाभ का आकुलन करने में निर्णय की आवश्यकता है। (टिप्पणी संख्या 26 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण देखें)	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल हैं • एमएटी क्रेडिट की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना। • भविष्य के कर योग्य लाभ के संबंधित पूर्वानुमानों का आकुलन करते हुए, इन पूर्वानुमानों की तैयारी में अंतर्निहित विचारों/धारणाओं की तर्कसंगतता और निरंतरता का मूल्यांकन किया। निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, एमएटी क्रेडिट पात्रता और ग्राहकों के प्रति संबंधित नियामक आस्थगित देयता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति की पहचान और माप को पर्याप्त और उचित माना जाता है।
3	<u>**भूमि मुआवजे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का आकुलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।**</u> आकस्मिक देनदारियों का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी के आकस्मिक देनदारियों के आकलन को मामले के तथ्यों, उस पर कंपनी के फैसले, पिछले अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों से सलाह, जहां आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए हमने उपरोक्त क्षेत्र को मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में पहचाना। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 58 देखें)	हमने आकस्मिक देनदारियों के अनुमान और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है: • कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक विकास की समीक्षा करना। • सक्षम प्राधिकारियों से हाल के आदेशों की जांच करना और/या विभिन्न प्राधिकारियों, न्यायिक मंचों से प्राप्त संचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना। • चर्चा के माध्यम से कंपनी के तर्कों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्वाह। निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, आकस्मिक देनदारियों का अनुमान और प्रकटीकरण पर्याप्त और उचित माना जाता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट शामिल है। कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऊपर दी गई पहचान के अनुसार अन्य जानकारी इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी जानकारी के दौरान प्राप्त हुई है। हमारी लेखा परीक्षा के दौरान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

जब हम अनुलग्नकों सहित उन दस्तावेजों को पढ़ते हैं, यदि कोई हो, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उनमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हम शासन के आरोप वाले लोगों को मामले से अवगत्त कराएंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 345) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन सहित अन्य व्यापक आय, कंपनी (इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत भारतीय लेखा मानकों और अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह, संशोधन के रूप में।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री से मुक्त हैं गलत विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू कंपनी के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकुलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक चलने वाली चिंता से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करना और लेखांकन के आधार पर चलने वाली चिंता का उपयोग करना है। प्रचालन, या इसके अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हमः

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकुलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- अधिनियम की धारा 143(3)(10) में, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की

तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू चिंता के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करें; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करें।
- हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।
- हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार किए जा सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।
- शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क). हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

   ग) तुलन–पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए कैश फ्लो का विवरण खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के अनुरूप है;

   घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंडएएस का अनुपालन करते हैं। इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें गये;

   ङ) अधिसूचना संख्या के तहत दी गई छूट को देखते हुए। जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून 205, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 64) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं:

   च) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध। में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी रिपोर्ट पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

   छ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 205 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 97 के प्रावधान, सरकारी कंपनी होने के नाते इस पर लागू नहीं होते हैं। और

   ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

      i). कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है – स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 58 देखें।

      ii). कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर, लागू कानून या लेखा मानकों के तहत, भौतिक नुकसान, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया है।

      iii). कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

      iv). क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था (मध्यस्थ'') सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या कंपनी (अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी,

सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करें:

ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है (वित्त पोषण पार्टियों), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी (अंतिम'' लाभार्थी?) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं:

ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी सामग्री गलत विवरण है।

v). (क) पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, अधिनियम की धारा 23 के अनुसार लागू है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश (विशेष लाभांश सहित) अधिनियम की धारा 23 के अनुसार है।

(ग) जैसा कि वित्तीय विवरणों में टिप्पणी 59 (ख) में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार उस सीमा तक है जहां तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होती है।

vi) अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखाबही बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की विशेषता है, 01 अप्रैल 2023 से कंपनी पर लागू है, और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग, 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार, हम भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक ''2' में देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश'') के पैरा 3 और 4 में लागू सीमा तक, हम अनुबंध '3' में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

कृते **एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 000990एन

आर बालासुब्रमण्यम
साझेदार
सदस्यता संख्या 080432
यूडीआईएन: 23080432BGWPJV3448

कृते **उमामहेश्वर राव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 004453एस

राकेश भानु अमर
साझेदार
सदस्यता संख्या 228411
यूडीआईएन: 23228411BGXSZT8800

कृते **बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 301011ई/ई300025

संजय सरकार
साझेदार
सदस्यता संख्या 064305
यूडीआईएन: 23064305BGQJSO8703

कृते **पीएसडी एवं एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 004501सी

सतीश चंद्र शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या 072846
यूडीआईएन: 23072846BGYVZS7621

स्थान: गुरूग्राम
दिनांक: 19 मई 2023

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "1"

जैसा कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तारीख की 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट में बताया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (प) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च 2023 को कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधक–मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किए गए वित्तीय सूचना के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गनिर्देशन टिप्पणी में यथा–उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं, जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी परिसंपत्तियों के परिरक्षण, जालसाजी व चूकों का निवारण करने और पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, के तहत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने सहित इसकी कारोबार के समुचित और कुशल प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन में थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हम अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा लेखापरीक्षा संबंधी मार्गनिर्देशन और (''मार्गनिर्देशक टिप्पणी'') तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा संबंधी मानकों और कंपनी अधिनियम धारा 143(10) के तहत निर्धारित

माने गए लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार करते हैं, जहां तक ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं; जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हों और दोनों ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गनिर्देशक टिप्पणी में यह अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं तथा लेखापरीक्षा पूरी करते हैं ताकि इस सबंध में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या समेकित वित्तीय विवरणी के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और अनुरक्षण किया गया था और यह कि सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में समेकित भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों और उनकी प्रचालनीय प्रभावकारिता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को पूरा करना शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में की समझ, जोखिम का निर्धारण, जिसमें महत्वपूर्ण कमी मौजूद हो, और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता की जांच व मूल्यांकन शामिल है। इसमें चयनित प्रक्रिया, चाहे धोखाधाड़ी के कारण हो अथवा चूक के कारण हो, वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हम यह विश्वास करते हैं कि लेखापरीक्षा साक्ष्य, जो हमने प्राप्त किए हैं, और सहायक कम्पनियों एवं भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा ''अन्य मामले'' पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्टों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय सूचना पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय प्रणाली के लिए हमारी लेखापरीक्षा राय पर एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय सूचना और समान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे वित्तीय नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं

1. जो अभिलेखों के रख–रखाव से संबंधित हैं, जिनमें दिए गए समुचित ब्यौरों से कपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देनों और उनके प्रबंधन की सही और स्पष्ट जानकारी मिले;
2. जो उचित आश्वासन प्रदान करे कि लेन–देन को सामान्यतः: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किया गया है और यह कि कंपनी की प्राप्तियों तथा व्यय को कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकार से और कंपनी के निदेशकों के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है; तथा
3. जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा प्रबंधन की रोकथाम अथवा समय पर जानकारी के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान को जिनका वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं

समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाओं के कारण, जिनमें नियंत्रणों से हटकर अनुचित प्रबंधन अथवा मिलीभगत की संभावना शामिल है, चूक अथवा हेराफेरी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता न चलता हो। साथ ही, भावी अवधियों की समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन की परिकल्पना ऐसे जोखिम के अधीन होती है कि समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकती है अथवा यह कि नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुरूप परिणाम में त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं।

राय

हमारी राय में, नियंत्रक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित्त कंपनियां हैं, के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गनिर्देशन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालन में थे।

कृते **एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 000990एन

आर बालासुब्रमण्यम
साझेदार
सदस्यता संख्या 080432
यूडीआईएनः 23080432BGWPJV3448

कृते **बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 301011ई/ई300025

संजय सरकार
साझेदार
सदस्यता संख्या 064305
यूडीआईएनः 23064305BGQJSO8703

कृते **उमामहेश्वर राव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 004453एस

राकेश भानु अमर
साझेदार
सदस्यता संख्या 228411
यूडीआईएनः 23228411BGXSZT8800

कृते **पीएसडी एवं एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 004501सी

सतीश चंद्र शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या 072846
यूडीआईएनः 23072846BGYVZS7621

स्थानः गुरूग्राम
दिनांकः 19 मई 2023

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक "2"

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

S. No.	Directions	Auditors' Comments	Impact on financial statement
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास एक प्रणाली हैं? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए ईआरपी सिस्टम (एसएपी) है। हमारे सत्यापन के आधार पर, ईआरपी प्रणाली के अलावा कोई भी लेखा लेनदेन दर्ज/संसाधित नहीं किया जा रहा है।	कोई नहीं
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	हमारे सत्यापन और स्पष्टीकरण और हमें दी गई जानकारी के आधार पर, कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था।	कोई नहीं
3.	क्या केंद्र/राज्य या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया। इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमारे सत्यापन और स्पष्टीकरण और हमें दी गई जानकारी के आधार पर, केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का उचित हिसाब रखा गया और हमारे द्वारा कोई विचलन नहीं देखा गया।	कोई नहीं

कृते **एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 000990एन

आर बालासुब्रमण्यम
साझेदार
सदस्यता संख्या 080432
यूडीआईएन: 23080432BGWPJV3448

कृते **उमामहेश्वर राव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 004453एस

राकेश भानु अमर
साझेदार
सदस्यता संख्या 228411
यूडीआईएन: 23228411BGXSZT8800

कृते **बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 301011ई/ई300025

संजय सरकार
साझेदार
सदस्यता संख्या 064305
यूडीआईएन: 23064305BGQJSO8703

कृते **पीएसडी एवं एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 004501सी

सतीश चंद्र शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या 072846
यूडीआईएन: 23072846BGYVZS7621

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 19 मई 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "3"

जैसा कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कहा गया है, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि

(i) (क) अ) कंपनी ने आम तौर पर रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूरा विवरण दिखाया गया है, जिसमें इंड–एएस 116, पट्टों के तहत शामिल उपयोग के अधिकार के विवरण शामिल हैं।

ब) कंपनी ने आम तौर पर अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित है। इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल वित्तीय विवरणों में प्रकट अचल संपत्तियों के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और पंजीकृत बिक्री विलेख की जांच के आधार पर/हस्तांतरण विलेख/कनवेंस विलेख हमें प्रदान किया गया है, हम रिपोर्ट करते हैं कि, ऐसी अचल संपत्तियों के शीर्षक कंपनी का नाम तुलन–पत्र की तारीख में विलेख में रखे गए हैं, निम्नलिखित को छोड़करः

परिसंपत्ति का विवरण	सकल वहन राशि (रू करोड़ में)	के नाम पर स्वामित्व	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित किए जाने की अवधि – जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
पट्टे पर धारित भूमि					
पंडियाबिली	9.23	ओडिशा सरकार	नहीं	12–01–2018	कंपनी ओडिशा सरकार से पट्टा विलेख पंजीकृत कराने की प्रक्रिया में है। दस्तावेज़ उप–रजिस्ट्रार, जाटनी के पास जमा कर दिए गए हैं और पट्टा विलेख के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है।
राउरकेला	0.26	सेल–राउरकेला	नहीं	25–07–2020	ओडिशा सरकार, राउरकेला स्टील प्लांट और पावरग्रिड के बीच मूल त्रिपक्षीय उप पट्टा समझौता समाप्त हो गया है। इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है।
दुर्गापुर	21.65	सेल– दुर्गापुर	नहीं	01–05–2017	सेल के साथ मूल लीज समझौता समाप्त हो गया था और वह नवीनीकरण की प्रक्रिया में है।
मैथन	4º49	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	04–05–2019 और 24–04–2021	लीज के नवीनीकरण का अनुरोध डीएलएलआरओ–आसनसोल को प्रस्तुत कर दिया गया है। इस पर उत्तर की प्रतीक्षा है.
अलीपुरद्वार – माथाभांगा अर्थ इलेक्ट्रोकोड	0.30	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	17–03–2017	लीज समझौते को 23.11.21 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। लीज समझौते पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया चल रही है। शेष 1.16 हेक्टेयर भूमि के लिए राज्य कैबिनेट में अनुमोदन हेतु प्रक्रिया जारी है।

परिसंपत्ति का विवरण	सकल वहन राशि (रू करोड़ में)	के नाम पर स्वामित्व	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित किए जाने की अवधि – जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
जमशेदपुर	1.45	वन विभाग	नहीं	वित्तीय वर्ष 1992–93 से आगे	पावरग्रिड को आगे हस्तांतरण के लिए वन विभाग से भूमि हस्तांतरण के लिए मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है ।
अजमेर टाउनशिप	0.96	अजमेर जिला प्राधिकरण	नहीं	01–04–1999	संशोधित भूमि लागत पर ब्याज की मांग हेतु संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष याचिका के निस्तारण के कारण पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।
400/220 केवी एस/एस द्वारका	63.13	जीएनसीटीडी	नहीं	01–04–2018	प्रक्रियागत देरी के कारण पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।
400/220 केवी एस/एस तुगलकाबाद	35.52	जीएनसीटीडी	नहीं	01–04–2018	
400/220 केवी जीआईएस पूलिंग स्टेशन चंबा, गांव मोहाल राजेरा तहसील और जिला चंबा (हिमाचल प्रदेश)	12.36	हिमाचल प्रदेश सरकार	नहीं	19–10–2011	विषयगत भूमि हिमाचल प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड में सरकारी/वन भूमि है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, एफसीए 1980 के तहत गैर–वानिकी उद्देश्य के लिए हस्तांतरित वन भूमि को डायवर्जन के बाद भी "वन" के रूप में कानूनी दर्जा प्राप्त होगा।
एसएलटीएस–कारगिल सबस्टेशन (लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश)	0.00	पीडीडी कारगिल	नहीं	31.10.2019	भारत सरकार (एमओपी) ने श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम (एसएलटीएस) परियोजना को अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स (आईएसटीएस) घोषित किया है और इसे पावरग्रिड को हस्तांतरित कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (तत्कालीन) जम्मू और कश्मीर राज्य) में भूमि राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाती है। कानून के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश/राज्य सरकार अधिग्रहीत भूमि की मालिक बनी रहती है, और कंपनी को केवल विशिष्ट उपयोग के लिए कब्ज़ा दिया जाता है।
एसएलटीएस–द्रास सबस्टेशन (लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश)	0.00	पीडीडी कारगिल	नहीं	31.10.2019	
एसएलटीएस लेह सबस्टेशन (लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश)	0.00	पीडीडी लेह	नहीं	31.10.2019	
एसएलटीएस खालस्टी सबस्टेशन (यूटी लद्दाख)	0.00	पीडीडी लेह	नहीं	31.10.2019	
वागुरा 400/220 केवी सब–स्टेशन वागूरा, गांव वागुरा तहसील एवं जिला. बडगाम, कश्मीर	1.33	जम्मू–कश्मीर सरकार	नहीं	वित्तीय वर्ष 1993–94 से आगे	केंद्रशासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर में भूमि का अधिग्रहण राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत केंद्रशासित प्रदेश/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। कानून के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश/राज्य सरकार अधिग्रहित भूमि की मालिक बनी रहती है और कंपनी को केवल विशिष्ट उपयोग के लिए कब्जा दिया जाता है।
न्यू वानपोह 400/220 के.वी सब–स्टेशन न्यू वानपोह, गांव दमजान, तहसील दूरू, जिला अनंतनाग, कश्मीर	25.45	जम्मू–कश्मीर सरकार	नहीं	30–11–2010	

परिसंपत्ति का विवरण	सकल वहन राशि (रू करोड़ में)	के नाम पर स्वामित्व	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित किए जाने की अवधि – जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
किशनपुर टाउनशिप 800/400/220 के.वी सब–स्टेशन किशनपुर , गाँव खरता तहसील जिन्धा और जिला जम्मू (टाउनशिप भूमि)	0.06	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	नहीं	31–03–1995	केंद्रशासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर में भूमि का अधिग्रहण राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत केंद्रशासित प्रदेश/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। कानून के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश/राज्य सरकार अधिग्रहित भूमि की मालिक बनी रहती है और कंपनी को केवल विशिष्ट उपयोग के लिए कब्जा दिया जाता है।
किशनपुर– 800/400/220 के.वी सब–स्टेशन किशनपुर, ग्राम खरता तहसील जिन्धा एवं जिला. जम्मू	0.34	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	नहीं	31–03–1993	
नरवाल– लाईन कार्यालय नाउल	0.00	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	नहीं	वित्तीय वर्ष 1993–94 से आगे	
सांबा– सांबा एस/एस भूमि	11.60	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	नहीं	19–04–2012	
जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में टी एल भूमि	93.95	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	नहीं	वित्तीय वर्ष 1993–94 से आगे	
विशाखापत्तनम	0.00	रहत्रिया इस्पात निगम लिमिटेड	नहीं	23–03–2022	लीज समझौता समाप्त हो गया था और कंपनी लीज शर्तों पर बातचीत की प्रक्रिया में है
पूर्ण स्वामित्व भूमि					
टाउनशिप–सेक्टर 46, गुडगाँव	11.00	हरियाणा 'हरी विकास प्रधिकरण (एचएसवीपी)	नहीं	02–12–1998	जुर्माने की छूट के लिए कंपनी द्वारा एचएसवीपी को दिए गए अभ्यावेदन के परिणाम आने तक, स्वामित्व विलेख कंपनी के पक्ष में हस्तांतरण के लिए लंबित है।
बीरपाड़ा	0.00	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	01–11–1996	बीरपारा मौजा का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है और सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के बाद म्यूटेशन किया जाएगा।
मैथन	0.00	एकाधिक निजी मालिक	नहीं	01–04–1992	कंपनी जिला भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी (डीएलएलआरओ) के कार्यालय से शीर्षक विलेख पंजीकृत कराने की प्रक्रिया में है। शीर्षक विलेख के हस्तांतरण में प्रक्रियागत देरी हो रही है।
मैथन	0.02	सीएलडब्ल्यू–इंडियन रेलवे	नहीं	01–04–1992	पंजीकरण विलेख के निष्पादन के लिए सीएलडब्ल्यू (चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स) के साथ मामले का पालन किया जा रहा है। शीर्षक विलेख के हस्तांतरण में प्रक्रियागत देरी हो रही है।

परिसंपत्ति का विवरण	सकल वहन राशि (रू करोड़ में)	के नाम पर स्वामित्व	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित किए जाने की अवधि – जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
मैथन	0.32	एकाधिक निजी मालिक	नहीं	28–03–2018	जनजातीय बोर्ड से एनओसी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जबकि स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हस्तांतरित नहीं किया गया है।
अलीपुरद्वार – माथाभांगा अर्थ इलेक्ट्रोकोड	0.67	एकाधिक निजी मालिक	नहीं	31–12–2012	प्रक्रियागत देरी के कारण शीर्षक विलेख का स्थानांतरण लंबित है।
राजारहाट	23.23	एकाधिक निजी मालिक	नहीं	30–11–2014	
आइजोल	0.03	मिजोरम सरकार	नहीं	1991	
फरीदाबाद, एनआर–1, आरएचक्यू (टाउनशिप)	6.42	हरियाणा शहरी विकास प्रधिकरण (एचएसवीपी)	नहीं	01–04–1999	एचएसवीपी द्वारा मांगी गई वृद्धि और विस्तार शुल्क के खिलाफ उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में अपील का निपटारा होने तक, स्वामित्व विलेख कंपनी के पक्ष में स्थानांतरित होने के लिए लंबित है।
हिसार एस/एस	0.57	एनएचपीसी	नहीं	30–09–1991	कंपनी कई स्थानों पर स्थित भूमि के हस्तांतरण के लिए कई प्राधिकरणों के साथ काम कर रही है। प्रक्रियागत देरी के कारण शीर्षक विलेख का स्थानांतरण लंबित है।
रेखा कार्यालय बनीखेत, तहसील एवं जिला चंबा (एचपी)	0.00	हिमाचल प्रदेश सरकार	नहीं	28–02–1994	विषय भूमि एचपी सरकार के रिकॉर्ड में सरकारी/वन भूमि है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, एफसीए 1980 के तहत गैर वानिकी उद्देश्य के लिए हस्तांतरित वन भूमि को डायवर्जन के बाद भी "वन" के रूप में कानूनी दर्जा प्राप्त होगा ।
कुरनूल भूमि	16.52	आंध्र प्रदेश सरकार	नहीं	28–03–2023	भूमि का अधिग्रहण 28.03.2023 को किया गया है और कंपनी स्वामित्व विलेख को पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है।
हिरियुर 400/220 केवी सबस्टेशन	0.34	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	नहीं	01–02–2004	पार्सल के लिए केआईएडीबी द्वारा किए जाने वाले शीर्षक सुधार के लंबित होने के कारण, शीर्षक विलेख को अभी तक पावरग्रिड के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है।
येलाहंका 400/220 केवी सबस्टेशन	30.72	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल)	नहीं	23–03–2011	मेसर्स केपीटीसीएल के कार्यालय में प्रक्रियात्मक देरी के कारण शीर्षक विलेख का स्थानांतरण लंबित है।
सोमनहल्ली 400/220 केवी एसएस	0.34	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल)	नहीं	वित्तीय वर्ष 1992–93 से आगे	

परिसंपत्ति का विवरण	सकल वहन राशि (रू करोड़ में)	के नाम पर स्वामित्व	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित किए जाने की अवधि – जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
कोलार सिद्दलगट्टा एचवीडीसी एसएस	0.91	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	नहीं	01–04–2002	केआईएडीबी के कार्यालय में प्रक्रियात्मक देरी के कारण शीर्षक विलेख का स्थानांतरण लंबित है।
तुमकुर 765/400/220 केवी एसएस	42.29	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	नहीं	25–09–2013	
कुडुगी 765/400 केवी जीआईएस	8.83	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) और अन्य	नहीं	28–02–2014	
बिदादी 400/220 केवी सबस्टेशन	20.00	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	नहीं	23–03–2011	
पवागडा 400/220 केवी एसएस	0.26	निजी पक्षकार, श्रीमती संजीवम्मा पुत्री श्री वेंकटप्पा, एम. चपलेनशिप पुत्र वेंकटप्पा और अन्य	नहीं	30–06–2017	भूमि का कानूनी स्वामित्व स्थापित करने के कारण पंजीकरण और उत्परिवर्तन लंबित है और उक्त भूमि के लिए प्रतिफल का भुगतान भी किया जाना बाकी है।
पुगलुर एचवीडीसी एसएस	0.31	भूदान ट्रस्ट बोर्ड	नहीं	01–04–2017	कंपनी को भूदान ट्रस्ट बोर्ड द्वारा जमीन आवंटित की गयी है – भूदान ट्रस्ट बोर्ड की बैठकों और अन्य औपचारिकताओं में देरी के कारण कंपनी के नाम पर पंजीकरण लंबित है।
कोविलपट्टी 400/220 केवी जीआईएस	47.31	श्री रमेश और श्री आर राजन	नहीं	19–10–2011	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया है और एक पुरस्कार पारित किया गया है। फैसले से व्यथित दोनों पक्षों ने मुआवजे के फैसले के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास ने अभी तक मामले का फैसला नहीं किया है। इसलिए, शीर्षक विलेख को कंपनी के नाम पर स्थानांतरित किया जाना बाकी है।

परिसंपत्ति का विवरण	सकल वहन राशि (रू करोड़ में)	के नाम पर स्वामित्व	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित किए जाने की अवधि – जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
नया नवसारी एस.एस	21.44	गुजरात सरकार	नहीं	20–06–2022	तदर्थ भुगतान के आधार पर 20.06.2022 को भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और अंतिम मांग अभी भी प्रतीक्षित है। अंतिम मांग के निस्तारण के बाद स्वामित्व विलेख की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
भवन					
मुंबई में फ्लैट	2.96	एमएचएडीए	नहीं	02–01–2017	प्रक्रियागत देरी के कारण शीर्षक विलेख का हस्तांतरण लंबित है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(घ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, "बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंटरी को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हमारी राय में, सत्यापन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई सत्यापन की आवृत्ति, कवरेज और क्रियाविधि कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के संदर्भ में उचित है। भौतिक सत्यापन पर भौतिक मालसूची या बहि अभिलेखों के बीच प्रत्येक श्रेणी की मालसूची के लिए संचित रूप से 10 प्रतिशत या उससे अधिक की कोई भी महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गई।

(ख) कंपनी को वर्तमान संपत्ति की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी मंजूर की गई है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों के साथ दायर किए गए त्रैमासिक रिटर्न/स्टेटमेंट कंपनी के खाते की किताबों के साथ समझौते में हैं।

(iii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निवेश किया है, बैंक गारंटी प्रदान की है और सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों को वर्ष के दौरान अप्रतिभूत ऋण प्रदान किया है

(अ) वर्ष के दौरान कुल राशि, और ऐसे ऋणों के संबंध में तुलन–पत्र तिथि पर बकाया राशि या सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों को ऋण या गारंटी या सुरक्षा की प्रकृति में अग्रिम निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	सकल		प्रतिभूत ऋण		अप्रतिभूत ऋण	
		वर्ष के दौरान दी गई/प्रदान की गई कुल राशि	बकाया शेष 31.03.2023 तक	वर्ष के दौरान दी गई/प्रदान की गई कुल राशि	बकाया शेष 31.03.2023 तक	वर्ष के दौरान दी गई/प्रदान की गई कुल राशि	बकाया शेष 31.03.2023 तक
1	सहायक कंपनियां	234.46	475.43	-	-	3224.55	16689.51
2	संयुक्त उद्यम	-	-	-	-	-	18.40

(ब) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलावा अन्य पार्टियों को ऋण या अग्रिम या गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी और प्रदान किए गए सभी ऋण और गारंटी के नियम और शर्तें कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण के संबंध में चुकौती की अनुसूची मूलधन और ब्याज का भुगतान निर्धारित किया गया है, तथा कंपनी के एक संयुक्त उद्यम, जिसने ऋण के मूलधन की देय राशि और ब्याज का भुगतान नहीं किया है, को छोड़कर चुकौती या प्राप्तियां नियमित हैं, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार हैः

इकाई का नाम	बकाया की प्रकृति	अतिदेय राशि (रू करोड़ में)	देय तारीख	विलंब की सीमा	टिप्पणी
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	मूलधन	0.30 0.62 0.62	31/10/2022 30/09/2022 31/03/2023	1 दिन से 6 माह की सीमा में	अनुदत्त ऋण की मूलधन राशि 18.40 करोड़ रुपए है।
	ब्याज	3.34	30.09.2020 से	12 से 30 माह की सीमा में	

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, एनएचपीटीएल, एक संयुक्त उद्यम कंपनी, को दिए गए ऋण के संबंध में 0.92 करोड़ रुपये के मूलधन और 3.34 करोड़ रुपये के ब्याज की प्राप्ति 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय है। हमारी राय में, कंपनी ने उपरोक्त मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए उचित कदम उठाए हैं।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि दिए गए ऋण की प्रकृति का कोई भी ऋण या अग्रिम, जो वर्ष के दौरान बकाया हो गया हो, नवीनीकृत या बढ़ाया नहीं गया है या समान पार्टियों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए नया ऋण नहीं दिया गया है।

(च) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो या तो मांग पर चुकाया जा सकता है या किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना हो।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के तहत प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और किसी भी राशि को धारा 73 से 76 या किसी अन्य के प्रावधानों के अनुसार जमा नहीं माना गया है। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम तदनुसार, आदेश का पैरा 3(अ) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के तहत कंपनी के ट्रांसमिशन और दूरसंचार प्रचालन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक रूप से समीक्षा की है और हम कंपनी के हैं राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित रिकॉर्ड बनाए गए हैं। तथापि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से लागत अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सही हैं या पूर्ण।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आम तौर पर निर्विवाद रूप से प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेस और कंपनी पर लागू अन्य वैधानिक बकाया सहित उपयुक्त लेखकों के साथ वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है और यह कि कोई निर्विवाद नहीं है देय होने की तारीख से महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च 2023 तक बकाया वैधानिक बकाया। जैसा कि सूचित किया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उप–खंड (क) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक बकाया नहीं है, जो विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है। हालांकि, आयकर, बिक्री कर की निम्नलिखित विवादित मांगें सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, माल और सेवा कर और अन्य सांविधिक बकाया 31 मार्च, 2023 तक जमा नहीं किए गए हैं।

अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि* (रू करोड़ में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	4.95	वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए	टीएएन के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	8.52	वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए	सीआईटी (ए) आयकर

अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि* (रू करोड़ में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1.88	वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2017–18	संयुक्त आयुक्त
वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.05	वित्तीय वर्ष 2017–18	सहायक आयुक्त
माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	0.23	वित्तीय वर्ष 2017–18	आयुक्त (अपील)
छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976	प्रवेश कर	199.06	वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2017–18 तक	माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
वित्त अधिनियम, 1994	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) भुगतान पर रिवर्स चार्ज	21.51	वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2017–18	सेस्टैट, मुंबई
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1.54	वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए	माननीय पटना उच्च न्यायालय
जम्मू और कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962	बिक्री कर/वैट	6.47	वित्तीय वर्ष 1996–97 से वित्तीय वर्ष 2001–02 तक	माननीय जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, जम्मू
पंजाब स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000	प्रवेश कर	9.64	वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक	माननीय उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़
दिल्ली नगर निगम अधिनियम. 1957	संपत्ति कर	211.47	वित्तीय वर्ष 2004–05– से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक	माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	सेवा कर	0.03	वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2017–18	उपायुक्त सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जबलपुर
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	सेवा कर	17.28	16 अप्रैल–17 जून	अपीलीय न्यायाधिकरण अहमदाबाद
मप्र भू–राजस्व संहिता, 1959	विचलन कर	2.97	वित्तीय वर्ष 2004–05– से वित्तीय वर्ष 2017–18 तक	उच्च न्यायालय मप्र जबलपुर
दिल्ली नगर निगम अधिनियम. 1957	संपत्ति कर	94.76	वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2017–18 तक	माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली
	कुल	**580.36**		

*मांग राशि ब्याज सहित, विरोध के तहत भुगतान की गई राशि का शुद्ध।

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पण या प्रकट किए गए किसी भी लेनदेन को खाते की किताबों में दर्ज नहीं किया है। तद्नुसार आदेश के खंड 3(viii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(ix) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा ऐच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण के लिए आवेदन किया गया था और उद्देश्यों के लिए ऋण प्राप्त किया गया था।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पकालिक आधार पर उठाए गए किसी भी धन का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित संस्थाओं से धन लिया है:

ली गई निधि की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	वर्ष के दौरान वितरित/ गारंटी जारी या नवीनीकृत की गई राशि (रू करोड़ में)	वर्ष के दौरान चुकाई गई/ गारंटी की राशि कम की गई या चुकाई गई या नवीनीकृत की गई (रू करोड़ में)	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि (रू करोड़ में)	सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनी का नाम	संबंध	लेन–देन की प्रकृति जिसके लिए निधि का उपयोग किया गया
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	-	37.71	867.35	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	-	1.22	32.46	पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	-	0.03	0.89	पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	1.94	118.16	1337.64	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	5.04	98.18	1104.33	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	8.96	78.36	1273.25	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	37.46	60.56	981.68	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	0.84	12.18	463.34	पावर ग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	26.38	10.41	408.47	पावर ग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	-	14.34	386.62	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	28.59	10.08	284.91	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	1.21	17.2	450.98	पावर ग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	2.9	6.29	165.61	पावर ग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	4.92	-	254.84	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	86.64	-	193.44	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	1.3	1.55	165.05	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	47.15	1.22	132.23	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	-	11.9	381.37	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स

ली गई निधि की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	वर्ष के दौरान वितरित/ गारंटी जारी या नवीनीकृत की गई राशि (रू करोड़ में)	वर्ष के दौरान चुकाई गई/ गारंटी की राशि कम की गई या चुकाई गई या नवीनीकृत की गई (रू करोड़ में)	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि (रू करोड़ में)	सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनी का नाम	संबंध	लेन–देन की प्रकृति जिसके लिए निधि का उपयोग किया गया
सावधि ऋण	बैंक	8.57	1.1	40.73	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	2.05	13.11	355.99	पावर ग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	11.75	3.06	87.73	पावर ग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	8.43	-	57.45	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	125.15	-	208.92	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	13.15	-	181.34	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	91.34	-	200.46	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	58.81	-	64.01	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	205.1	4.5	200.6	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	6.98	-	10.93	पावरग्रिड रामगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती रामगढन्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	127.61	-	133.43	पावरग्रिड रामगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती रामगढन्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	13.54	-	67.25	पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती सीकर II अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	143.43	-	151.68	पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती सीकर II अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	132.9	-	156.8	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती बीकानेर–II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स

ली गई निधि की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	वर्ष के दौरान वितरित/ गारंटी जारी या नवीनीकृत की गई राशि (रू करोड़ में)	वर्ष के दौरान चुकाई गई/ गारंटी की राशि कम की गई या चुकाई गई या नवीनीकृत की गई (रू करोड़ में)	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि (रू करोड़ में)	सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनी का नाम	संबंध	लेन–देन की प्रकृति जिसके लिए निधि का उपयोग किया गया
सावधि ऋण	बैंक	370.72	-	391.21	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती बीकानेर–II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	0.01	2.15	284.67	पावर ग्रिड जवाहरपुर फ़िरोज़ाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	2.79	0.27	38.98	पावर ग्रिड जवाहरपुर फ़िरोज़ाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	102.94	-	102.94	पावर ग्रिड नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	81.57	-	81.57	पावर ग्रिड नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	119.66	-	119.66	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	310.29	-	310.29	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	7.07	-	7.07	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	7.86	-	7.86	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	172.25	-	172.25	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती खेतड़ी – नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	231.73	-	231.73	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती खेतड़ी – नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स

ली गई निधि की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	वर्ष के दौरान वितरित/ गारंटी जारी या नवीनीकृत की गई राशि (रू करोड़ में)	वर्ष के दौरान चुकाई गई/ गारंटी की राशि कम की गई या चुकाई गई या नवीनीकृत की गई (रू करोड़ में)	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि (रू करोड़ में)	सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनी का नाम	संबंध	लेन–देन की प्रकृति जिसके लिए निधि का उपयोग किया गया
बॉण्ड	बॉण्ड धारक	8.6	-	8.6	पावर ग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती फतेहगढ़) । भडला ट्रांसको लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	145.32	-	145.32	पावर ग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती फतेहगढ़) । भडला ट्रांसको लिमिटेड)	सहायक कंपनी	कैपेक्स
गारंटी	बैंक	-	2.23	-	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहयोगी कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	10.92	12.69	पावर ग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	16.44	-	पावर ग्रिड जवाहरपुर फ़िरोज़ाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	28.82	27.11	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	23.55	-	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	33.75	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	28.14	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	110.04	-	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	14.04	पावरग्रिड रामगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	25.63	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	34.65	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती बीकानेर–II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड)	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	10.5	पावर ग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती फतेहगढ़) । भडला ट्रांसको लिमिटेड)	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी

ली गई निधि की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	वर्ष के दौरान वितरित/गारंटी जारी या नवीनीकृत की गई राशि (रू करोड़ में)	वर्ष के दौरान चुकाई गई/गारंटी की राशि कम की गई या चुकाई गई या नवीनीकृत की गई (रू करोड़ में)	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि (रू करोड़ में)	सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनी का नाम	संबंध	लेन–देन की प्रकृति जिसके लिए निधि का उपयोग किया गया
गारंटी	बैंक	-	-	37.13	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	17.33	पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती सीकर II अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	6.84	-	6.84	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	15.33	-	15.33	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	31.01	-	31.01	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती खेतड़ी – नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	18.60	-	18.60	पावर ग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	18.00	-	18.00	पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	15.90	-	15.90	पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड)	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	30.00	-	30.00	खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	39.90	-	39.90	खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	24.00	-	24.00	खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	4.80	-	4.80	रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	9.00	-	9.00	धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी

ली गई निधि की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	वर्ष के दौरान वितरित/ गारंटी जारी या नवीनीकृत की गई राशि (रू करोड़ में)	वर्ष के दौरान चुकाई गई/ गारंटी की राशि कम की गई या चुकाई गई या नवीनीकृत की गई (रू करोड़ में)	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि (रू करोड़ में)	सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनी का नाम	संबंध	लेन–देन की प्रकृति जिसके लिए निधि का उपयोग किया गया
गारंटी	बैंक	16.28	-	16.28	भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	4.80	-	4.80	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड)।	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ग)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए खंड 3 (ग)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है और हमारे आधार पर वर्ष के दौरान देखा गया है कि कंपनी की बहियों और अभिलेखों की जांच, कंपनी पर या कंपनी द्वारा सामग्री धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं है।

(ख) ऊपर खंड (xi)(क) में यथाउल्लिखित जैसा वर्ष के दौरान पाया गया है, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (2) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत निर्दिष्ट फॉर्म एडीटी–4 में रिपोर्ट लागू नहीं है।

(ग) हमने वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है और लेखापरीक्षा करते समय हमें प्रदान किया गया है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है जैसा कि अधिनियम की धारा 406 के तहत निर्धारित है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) हमारी राय में संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन, जहां लागू हों, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और जैसा कि लागू भारतीय लेखाकरण मानकों में अपेक्षित है, विवरण का प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किया गया है।

(xiv) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है, जो वर्ष के दौरान कंपनी को जारी की गई है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर–नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(गअ) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xvi) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का प्रचालन नहीं किया है, इसलिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है, तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi)(ग) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(घ) हमारी राय में, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित है)। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xvii) कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष में और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvii) के प्रावधान लागू नहीं हैं

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल के बारे में हमारी जानकारी और प्रबंधन योजनाओं और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है तुलन–पत्र की तारीख पर जब और जब वे तुलन–पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन–पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को, जैसे ही वे देय होती हैं, कंपनी द्वारा उन्मोचित कर दिया जाएगा।

(xx) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार आवश्यक राशि व्यय की है। तदनुसार खंड 3(xx)(क) और 3(xx)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते **एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 000990एन

आर बालासुब्रमण्यम
साझेदार
सदस्यता संख्या 080432
यूडीआईएनः 23080432BGWPJV3448

कृते **उमामहेश्वर राव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 004453एस

राकेश भानु अमर
साझेदार
सदस्यता संख्या 228411
यूडीआईएनः 23228411BGXSZT8800

कृते **बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 301011ई/ई300025

संजय सरकार
साझेदार
सदस्यता संख्या 064305
यूडीआईएनः 23064305BGQJSO8703

कृते **पीएसडी एवं एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 004501सी

सतीश चंद्र शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या 072846
यूडीआईएनः 23072846BGYVZS7621

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 19 मई 2023

समेकित
वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार समेकित तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसम्पत्तियां			
गैर–चालू परिसम्पत्तियां			
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4	183,777.39	190,048.35
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	5	13,741.24	12,799.90
निवेश सम्पत्ति	6	-	-
अमूर्त परिसम्पत्तियां	7	1,659.60	1,724.49
विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	8	31.08	53.70
इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित – संयुक्त उद्यमों में निवेश	9A	1,714.65	1,861.21
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
निवेश	9	1,774.46	1,926.43
व्यापार प्राप्य	10A	733.18	-
ऋण	10	446.44	406.45
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	11	5,953.45	4,591.16
अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	12	5,561.25	4,977.66
		215,392.74	**218,389.35**
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पत्तियां	19A	-	245.00
		215,392.74	**218,634.35**
चालू परिसम्पत्तियां			
मालसूची	13	1,339.95	1,357.17
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
व्यापार प्राप्य	14	12,961.35	9,189.33
नकदी एवं नकदी समतुल्य	15	5,192.17	2,577.11
नकदी एवं नकदी समतुल्य से भिन्न, बैंक में शेष	16	2,192.41	2,471.07
ऋण	17	107.03	98.59
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	18	2,384.86	6,442.43
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	19	229.74	224.28
		24,407.51	**22,359.98**
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पत्तियां	19A	260.86	15.86
		24,668.37	**22,375.84**
विनियामक आस्थगन खाता शेष	20	10,234.44	9,933.24
कुल परिसम्पत्तियां		**250,295.55**	**250,943.43**
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	21	6,975.45	6,975.45
अन्य इक्विटी	22	76,039.06	69,271.68
		83,014.51	**76,247.13**
देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधारी	23	113,891.29	114,199.40
पट्टा देयताएं		62.17	27.58
अन्य गैर–चालू वित्तीय देयताएं	24	3,564.67	3,523.00

31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार समेकित तुलनपत्र (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रावधान	25	577.87	517.14
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	26	10,678.87	11,356.98
अन्य गैर–चालू देयताएं	27	200.36	242.89
		128,975.23	**129,866.99**
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधारी	28	12,703.61	20,465.87
पट्टा देयताएं		4.13	2.78
व्यापार संबंधी देय राशियां			
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	29	49.34	47.19
(ख) सूक्ष्म उद्यम एवं लघु उद्यमों से भिन्न क्रेडिटरों की कुल बकाया देयताएं	29	278.45	219.91
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	30	10,711.68	10,174.00
अन्य चालू देयताएं	31	3,326.10	3,228.45
प्रावधान	32	1,016.22	1,167.12
चालू कर देयताएं (निवल)	33	52.76	9.45
		28,142.29	**35,314.77**
आस्थगित राजस्व	34	10,163.52	9,514.54
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**250,295.55**	**250,943.43**

संलग्न टिप्पणियां (1 से 68) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव	**जी. रविशंकर**	**के. श्रीकांत**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी	**कृते उमामाहेश्वर राव एंड कंपनी**	**कृते बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी**	**कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000990एन	एफआरएन: 004453एस	एफआरएन: 301011ई/ई300025	एफआरएन: 004501सी
सीए आर बालासुब्रह्मण्यम	**सीए राकेश भानू अमर**	**सीए संजय सरकार**	**सीए सतीश चंद्र शर्मा**
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता संख्या 080432	सदस्यता संख्या 228411	सदस्यता संख्या 064305	सदस्यता संख्या 072846

दिनांक: 19 मई, 2023

स्थान: गुरूग्राम

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि लेखा का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनों से राजस्व	35	45,581.28	41,621.64
अन्य आय	36	1,024.36	1,076.26
कुल आय		**46,605.64**	**42,697.90**
व्यय			
कर्मचारी हितलाभ व्यय	37	2,508.53	2,243.89
वित्त लागत	38	9,633.94	8,036.22
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	39	13,333.38	12,871.66
अन्य व्यय	40	3,594.62	2,805.55
कुल व्यय		**29,070.47**	**25,957.32**
इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित – संयुक्त उद्यमों में निवेश के निवल लाभों के हिस्से से पहले लाभ असाधारण मदें, कर और विनियामक आस्थगन खाता शेष		17,535.17	16,740.58
इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित – संयुक्त उद्यमों में निवेश के निवल लाभों का हिस्सा		(82.12)	78.47
असाधारण मदें, कर और विनियामक आस्थगन खाता शेष		**17,453.05**	**16,819.05**
असाधारण मदें		-	(3,320.33)
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगन खाता शेष राशि		**17,453.05**	**20,139.38**
कर व्यय:			
वर्तमान कर – वर्तमान वर्ष		3,018.28	3,352.29
–– पूर्ववर्ती वर्ष		(73.76)	(38.46)
आस्थगित कर	26	(660.02)	(528.26)
		2,284.50	**2,785.57**
विनियामक आस्थगन लेखा शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ		**15,168.55**	**17,353.81**
विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल उत्तार–चढ़ाव – आय (व्यय) (निवल कर)	41	248.57	(529.74)
धारक कंपनी के स्वामियों को अवधि हेतु लाभ		**15,417.12**	**16,824.07**
अन्य व्यापक आय			
मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (निवल कर)	42	(106.69)	290.90
इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का हिस्सा		2.19	0.24
धारक कंपनी के स्वामियों को आरोप्य अवधि के लिए कुल व्यापक आय		**15,312.62**	**17,115.21**
विनियामक आस्थगन लेखा शेष में उत्तार–चढ़ाव सहित प्रति इक्विटी शेयर (सममूल्य रू10/–प्रत्येक):			

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि लेखा का विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल एवं न्यूनीकृत (रू.)	63	22.10	24.12
विनियामक आस्थागन लेखा शेष में उत्तार–चढ़ाव को छोड़कर प्रति इक्विटी शेयर आय (सममूल्य रू10/–प्रत्येक)			
मूल एवं न्यूनीकृत (रू.)	63	21.75	24.88

संलग्न टिप्पणियां (1 से 68) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव	**जी. रविशंकर**	**के. श्रीकांत**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी	**कृते उमामाहेश्वर राव एंड कंपनी**	**कृते बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी**	**कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000990एन	एफआरएनः 004453एस	एफआरएनः 301011ई/ ई300025	एफआरएनः 004501सी
सीए आर बालासुब्रह्मण्यम	**सीए राकेश भानू अमर**	**सीए संजय सरकार**	**सीए सतीश चंद्र शर्मा**
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता संख्या 080432	सदस्यता संख्या 228411	सदस्यता संख्या 064305	सदस्यता संख्या 072846

दिनांकः 19 मई, 2023

स्थानः गुरूग्राम

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन संबंधी समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल, 2022 को	**6,975.45**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
31 मार्च, 2023 को	**6,975.45**
1 अप्रैल, 2021 को	**5,231.59**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	1,743.86
31 मार्च, 2022 को	**6,975.45**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ in crore)

विवरण	प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष						अन्य व्यापक आय	योग
	पूंजीगत प्रा.नि.	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड शोधन प्रा. नि.	स्व बीमा प्रा. नि.	सामान्य प्रा. नि.	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय के जरिए इक्विटी लिखित	.
1 अप्रैल, 2022 को शेष	**9.88**	**7,834.43**	**5,532.80**	**874.86**	**50,430.26**	**4,097.36**	**492.09**	**69,271.68**
वर्ष हेतु लाभ						15,417.12		15,417.12
अन्य व्यापक आय						19.42	(123.92)	(104.50)
धारक कंपनी के स्वामियों को आरोप्य अवधि के लिए कुल व्यापक आय						**15,436.54**	**(123.92)**	**15,312.62**
वर्ष के दौरान समायोजन								
सामान्य प्रारक्षित निधि में अन्तरित					8,000.00	(8,000.00)		-
बॉण्ड शोधन प्रारक्षित निधि से अन्तरित			(1,364.63)			1,364.63		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि में अन्तरित				318.15		(318.15)		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि से अन्तरित				(104.55)	104.55	-		-
अन्तरिम लाभांश वित्त वर्ष 2021–22						(1,569.48)		(1,569.48)
अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2022–23						(6,975.45)		(6,975.45)
अन्य समायोजन						(3.75)	3.44	(0.31)
31 मार्च 2023 को शेष	**9.88**	**7,834.43**	**4,168.17**	**1,088.46**	**58,534.81**	**4,031.70**	**371.61**	**76,039.06**

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन संबंधी समेकित विवरण (जारी)

ख. अन्य इक्विटी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष						अन्य व्यापक आय	योग
	पूंजीगत प्रा.नि.	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड शोधन प्रा. नि.	स्व बीमा प्रा. नि.	सामान्य प्रा. नि.	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय के जरिए इक्विटी लिखित	.
1 अप्रैल, 2021 को शेष	**0.76**	**9,578.29**	**7,387.97**	**734.07**	**43,269.22**	**3,667.03**	**67.14**	**64,704.48**
वर्ष हेतु लाभ						16,824.07		16,824.07
अन्य व्यापक आय						(133.81)	424.95	291.14
धारक कंपनी के स्वामियों को आरोप्य अवधि के लिए कुल व्यापक आय						**16,690.26**	**424.95**	**17,115.21**
वर्ष के दौरान समायोजन								
संयुक्त उद्यम के रूप में एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड के पुनःस्थापन के लिए	9.12							9.12
सामान्य प्रारक्षित निधि में अन्तरित					7,000.00	(7,000.00)		-
बॉण्ड शोधन प्रारक्षित निधि से अन्तरित			(1,855.17)			1,855.17		-
बोनस इक्विटी शेयर के निर्गम के लिए प्रयुक्त				301.83		(301.83)		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि में अन्तरित				(161.04)	161.04	-		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि से अन्तरित		(1,743.86)						(1,743.86)
अन्तरिम लाभांश वित्त वर्ष 2020–21						(2,092.64)		(2,092.64)
अन्तरिम लाभांश वित्त वर्ष 2021–22						(8,719.32)		(8,719.32)
अन्य समायोजन						(1.31)		(1.31)
31 मार्च 2022 को शेष	**9.88**	**7,834.43**	**5,532.80**	**874.86**	**50,430.26**	**4,097.36**	**492.09**	**69,271.68**

संलग्न टिप्पणियां (1 से 68) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।
प्रारक्षित निधि व अधिशेष के प्रकार व लेन देन के लिये के टिप्पणी न. 22 देखें।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव
कंपनी सचिव

जी. रविशंकर
निदेशक (वित्त)

के. श्रीकांत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000990एन

सीए आर बालासुब्रह्मण्यम
साझेदार
सदस्यता संख्या 080432

कृते उमामाहेश्वर राव एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 004453एस

सीए राकेश भानू अमर
साझेदार
सदस्यता संख्या 228411

कृते बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 301011ई/ई300025

सीए संजय सरकार
साझेदार
सदस्यता संख्या 064305

कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 004501सी

सीए सतीश चंद्र शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या 072846

दिनांकः 19 मई, 2023
स्थानः गुरूग्राम

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ एवं (विनियामक आस्थागन लेखा शेष)	**17,453.05**	**20,139.38**
जोड़ें : विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल घट–बढ़ (कर निवल)	248.57	(529.74)
जोड़ें : विनियामक आस्थगन कर शेष में निवल घट–बढ़ पर कर	52.63	(112.15)
कर पूर्व निवल लाभ (विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल घट–बढ़ सहित	**17,754.25**	**19,497.49**
निम्न हेतु समायोजन :		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	13,333.38	12,871.66
सहायता अनुदानों से अंतरण	(315.33)	(300.26)
आस्थगित राजस्व–मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	(151.56)	(152.46)
प्रावधान	37.65	4.20
लाभ अथवा हानि के जरिए वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(27.90)	(16.44)
इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभों का हिस्सा	82.12	(78.47)
सहायक कंपनियों में निवेश की बिक्री पर लाभ	-	(3,554.88)
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान/बटटेखाते में डालने पर निवल हानि	22.09	28.41
आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसम्पत्ति	(159.19)	(42.69)
विदेशी मुद्रा घट–बढ़ से आस्थगित आय	1,116.10	191.07
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष	(301.20)	641.89
वित्त लागत	9,633.94	8,036.22
पुनरांकित प्रावधान	(29.93)	(13.13)
एफईआरवी हानि/ (लाभ)	-	(0.03)
म्यूचुअल फण्ड में निवेश की बिक्री पर लाभ	-	(15.95)
संयुक्त उद्यमों, पीजीइनविट आदि को जमाओं, बांड, ऋणों पर ब्याज आय	(220.11)	(243.09)
अधिभार आय	(181.98)	(375.30)
वित्तीय पट्टे से लाभ	(241.34)	(124.82)
लाभांश आय	(111.92)	(159.60)
	22,484.82	**16,696.33**
परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**40,239.07**	**36,193.82**
परिसम्पत्तियों एवं देयत्ताओं में परिवर्तन हेतु समायोजन:		
माल सूचियों में (वृद्धि)/कमी	14.13	13.51
व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	(4,377.79)	(566.79)
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	4,444.40	(4,965.76)
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	6.02	61.79
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(5.46)	(68.72)
देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	537.41	(824.95)
	618.71	**(6,350.92)**
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी	**40,857.78**	**29,842.90**
संदत्त प्रत्यक्ष कर	(2,853.04)	(3,719.38)
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी	**38,004.74**	**26,123.52**

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ख. निवेशकारी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा कार्यशील पूंजी (पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम सहित)	(6,902.57)	(7,966.22)
अनुदान की प्राप्ति	0.35	131.42
म्युचुअल फंड में निवेश	-	(1,470.00)
म्युचुअल फंड की बिक्री	-	1,485.95
सहायक/सहयोगी कम्पनियों के हस्तांतरण पर प्राप्त प्रतिफल (निवल)	-	3,130.64
संयुक्त उद्यम कंपनियों एवं अन्य में निवेश	(1.66)	(442.54)
संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम (चुकौती सहित)	-	5,022.78
वित्तीय पट्टे से प्राप्त राशियां	180.46	143.53
संयुक्त उद्यमों एवं पीजीइनविट आदि को जमाओं, बाण्डों एवं ऋणों पर प्राप्त ब्याज	206.19	238.06
प्राप्त अधिभार	201.85	251.19
संयुक्त उद्यम कंपनियों से प्राप्त लाभांश	77.76	68.38
अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	111.92	159.60
निवेशकारी कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह	**(6,125.70)**	**752.79**
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
उधारियों से प्राप्ति		
गैर–चालू	9,140.44	2,584.70
चालू	11,845.00	7,400.00
उधारियों की चुकौती		
गैर–चालू	(15,540.65)	(15,410.82)
पट्टा देयताओं की चुकौती (ब्याज सहित)	(16,445.00)	(3,900.00)
वित्तीय लागत का भुगतान	(8.86)	(8.18)
लाभांश का भुगतान	(9,709.98)	(8,820.68)
वित्तीय कार्यकलापों में निवल नकदी	(8,544.93)	(10,811.96)
घ. नकदी एवं नकदी सद्शों में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	**(29,263.98)**	**(28,966.94)**
घ. नकदी एवं नकदी सद्शों में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	2,615.06	(2,090.63)
ड. नकदी एवं नकदी समतुल्य (आरंभिक शेष) (बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत सहित)	2,577.11	4,667.74
च. नकदी एवं नकदी समतुल्य (अन्त शेष) (टिप्पणी सं.15 को देखें)	**5,192.17**	**2,577.11**

संलग्न टिप्पणियां (1 से 68) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

* इसमें नामोदिष्ट खाते में रखा गया रु 1048.54 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु 1341.75 करोड़) शामिल है, जो समूह के इस्तेमाल हेतु उपलब्ध नहीं है।

अतिरिक्त टिप्पणी

1. नकद एवं नकदी समतुल्य राशियों में चेक, ड्राफ्ट, हस्तगत स्टाम्प, बैंकों में शेष और तीन माह तक की मूल परिपक्वता के साथ जमा राशियां शामिल हैं।
2. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
3. कार्यकलापों से उत्पन्न देयताओं के लिए तुलनपत्र में आदि एवं अन्त शेषों के बीच लेखा मिलान।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय पट्टा उत्तरदायित्व	गैर–चालू उधारी	चालू उधारी
1 अप्रैल, 2022 को आरम्भिक शेष	30.36	132,147.04	5,300.00
वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह	(8.86)	(14,514.55)	(4,600.00)
निम्न के कारण गैर–नकदी परिवर्तनः			
– वित्तीय पट्टे के तहत समायोजन/अधिग्रहण	44.80		
– उधारियों पर ब्याज		8,285.51	
– विनिमय दर में परिवर्तन		2,929.84	
–– उचित मूल्य समायोजन		3.65	
31 मार्च, 2023 को अन्त शेष	**66.30**	**128,851.49**	**700.00**

(₹ करोड़ में)

Particulars	Finance lease obligations	Non-current borrowings	Current borrowings
1 अप्रैल, 2021 को आरम्भिक शेष	22.17	144,511.85	1,800.00
वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह	(8.18)	(20,998.44)	3,500.00
निम्न के कारण गैर–नकदी परिवर्तनः			
– वित्तीय पट्टे के तहत समायोजन/अधिग्रहण	16.37		
– उधारियों पर ब्याज		7,846.84	
– विनिमय दर में परिवर्तन		781.06	
–– उचित मूल्य समायोजन		5.73	
31 मार्च, 2022 को अन्त शेष	**30.36**	**132,147.04**	**5,300.00**

रुगैर–चालू उधारियों की चालू परिपक्वता और उन पर प्रोद्भूत ब्याज सहित

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव
कंपनी सचिव

जी. रविशंकर
निदेशक (वित्त)

के. श्रीकांत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000990एन

कृते उमामाहेश्वर राव एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 004453एस

कृते बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 301011ई/ई300025

कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 004501सी

सीए आर बालासुब्रह्मण्यम
साझेदार
सदस्यता संख्या 080432

सीए राकेश भानू अमर
साझेदार
सदस्यता संख्या 228411

सीए संजय सरकार
साझेदार
सदस्यता संख्या 064305

सीए सतीश चंद्र शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या 072846

दिनांकः 19 मई, 2023
स्थानः गुरूग्राम

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियां

1. कॉर्पोरेट एवं सामान्य सूचना

- पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") एक सार्वजनिक कम्पनी है, जो कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के तहत भारत में स्थापित एवं निगमित है और इसके शेयर भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय बी–9, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली, भारत में स्थित है और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय सौदामिनी, प्लॉट नं., 2, सेक्टर, 29, गुडगांव, हरियाणा में स्थित है।
- कम्पनी विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी (सीटीयू) के रूप में अधिसूचित है। यह मुख्य रूप से अन्तर–राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएम); दूरसंचार एवं परामर्शी सेवाओं की योजना बनाने, इसे लागू करने, प्रचालन तथा रखरखाव का कार्य करती है।
- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरण 19 मई, 2023 को निदेशक–मण्डल द्वारा जारी करने हेतु अनुमोदित किए गए थे।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

- वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश नीचे दिया है। यह लेखाकरण नीतियां प्रस्तुत सभी अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों में समान रूप से अपनायी गई हैं। समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों मे समूह के हित शामिल हैं।

2.1 तैयार करने का आधार

i) भारतीय लेखाकरण मानक का अनुपालन

समेकित वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133, कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 और कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित सीमा में) के संगत उपबंधों, कंपनी अधिनियम, 1956 और विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध, प्रत्येक मामले में अनुप्रयोज्य सीमा में तथा इसके बाद यथा–संशोधित रूप में अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (भा. ले. मा.) के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

ii) मूल्यांकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर और निम्नलिखित को छोड़कर, मूल लागत परिपाटी आधार पर तैयार किया गया है और उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है:

- उचित मूल्य पर मूल्यांकित कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं (वित्तीय लिखतों के संबंध में लेखाकरण नीति की टिप्पणी 2.14 को देखें);
- निर्धारित लाभ योजनाएं – उचित मूल्य पर मूल्यांकित योजना परिसंपत्तियां।

iii) कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी

समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए में (रुपए अथवा रू) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी है और सभी राशियों को निकटतम करोड़ में और उसके दो दशमलव में पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय अन्यथा उल्लिखित राशि के।

iv) अनुमानों का प्रयोग

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमान और पूर्वानुमान अपेक्षित हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व एवं खर्चों की उल्लिखित राशि को दर्शाते हैं। यद्यपि, ऐसे अनुमान और पूर्वानुमान समस्त उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए उचित एवं तर्कसंगत आधार पर किए जाते हैं, फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों एवं मूलाधार पूर्वानुमानों की सतत आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। लेखाकरण अनुमानों के संशोधन को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में अनुमान को संशोधित किया जाता है, यदि संशोधन केवल उस अवधि में अथवा संशोधन की अवधि में और भावी अवधि में किया जाता है, तो संशोधन चालू एवं भावी, दोनों वर्षों में किया जाता है, (महत्वपूर्ण लेखाकरण अनुमानों, पूर्वानुमानों एंव समायोजनों के लिए टिप्पणी–3 को देखें।)

v) चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण

समूह चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में प्राप्तियों एवं देयताओं को दर्शाता है।

परिसंपत्ति तब चालू होती है जब इसे:

- क्रियान्वित किए जाने की उम्मीद हो अथवा सामान्य प्रचालन चक्र में बेचे जाने अथवा उपभोग में लाये जाने की उम्मीद हो;
- मुख्य रूप से कारोबार करने के प्रयोजनार्थ रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर क्रियान्वित किए जाने की उम्मीद हो; अथवा
- नकदी एवं नकदी समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए देयता के निपटान हेतु विनियमित अथवा प्रयुक्त होने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

देयता तब चालू होती है, जब :

- सामान्य प्रचालन तरीके में इसे निपटाया जा सकता हो;

- इसे मुख्य रूप से कारोबार के प्रयोजनार्थ रखा गया हो;
- इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माह के भीतर निपटाया जाना निर्धारित हो; अथवा
- इसमें रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो।

अन्य सभी देयत्ताओं को गैर–चालू रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर चालू रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

समूह बारह माह की अवधि को इसकी रिपोर्टिंग चक्र के रूप में स्वीकार करती है।

2.2 समेकन और इक्विटी लेखांकन का सिद्धांत

सहायक कंपनियां

सहायक कंपनियाँ वे संस्थाएँ हैं जिन पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह किसी संस्था को तब नियंत्रित करता है जब समूह संस्था के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय प्रतिलाभ के संपर्क में आता है, या उसका अधिकार रखता है और संस्था की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की अपनी शक्ति के माध्यम से उन प्रतिलाभ को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। समूह को नियंत्रण हस्तांतरित होने की तिथि से सहायक कंपनियाँ पूरी तरह से समेकित हो जाती हैं। वे नियंत्रण समाप्त होने की तारीख से विघटित हो जाते हैं।

लेखांकन की अधिग्रहण विधि का उपयोग समूह द्वारा व्यवसाय संसर्ग के लेखांकन हेतु किया जाता है।

समूह सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण को परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय और व्यय की मदों को एक साथ शामिल करके समेकित करता है। अंतर–समूह लेनदेन, कंपनियों के बीच लेनदेन पर शेष राशि और अप्राप्त लाभ समाप्त हो जाते हैं। जब तक लेन–देन में हस्तांतरित संपत्ति की हानि का साक्ष्य नहीं होता, तब तक अवास्तविक घाटे को भी समाप्त कर दिया जाता है। समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो, सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों में बदलाव किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) 110 – 'समेकित वित्तीय विवरण' और भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) 28 – 'सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार तैयार किए गए हैं।

संयुक्त व्यवस्था

इंड एस 111 संयुक्त व्यवस्था के तहत, संयुक्त व्यवस्था में निवेश को संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकार और दायित्वों पर निर्भर करता है।

संयुक्त उपक्रम

संयुक्त उद्यमों में हित को शुरू में समेकित तुलनपत्र में लागत पर मान्य करने के बाद, इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है।

इक्विटी पद्धति

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेश को शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है और उसके बाद लाभ और हानि के विवरण में निवेशित कंपनी के अधिग्रहण के बाद के लाभ या हानि में समूह की हिस्सेदारी और निवेशिती कंपनी की अन्य व्यापक आय में समूह की हिस्सेदारी को मान्य करने के लिए अन्य व्यापक आय में समायोजित किया जाता है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में पहचाना जाता है।

जब इक्विटी पद्धति के तहत किए गए निवेश में समूह के घाटे का हिस्सा किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य सहित इकाई में उसके हित के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, तो समूह आगे के नुकसान को मान्य नहीं करता है, जब तक कि उसने संयुक्त उद्यम संस्थाओं की ओर से दायित्व वहन नहीं किया हो या भुगतान नहीं किया हो।

समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेनदेन पर अप्राप्त लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। जब तक लेन–देन में हस्तांतरित संपत्ति की हानि का साक्ष्य नहीं दिया जाता तब तक अवास्तविक घाटे को भी समाप्त कर दिया जाता है। जहां आवश्यक हो, इक्विटी में लेखांकित निवेशितियों की लेखांकन नीतियों को परिवर्तित किया जाता है।

स्वामित्व हितों में परिवर्तन

जब समूह नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण के नुकसान के कारण इक्विटी पद्धति के तहत निवेश को समेकित करना या उसका लेखांकन करना बंद कर देता है, तो संस्था में प्रतिधारित ब्याज लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि में परिवर्तन के साथ उसके उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। एक सहयोगी कंपनी या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रतिधारित ब्याज के बाद के लेखांकन के उद्देश्य से उचित मूल्य, प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है।

लेखांकन नीतियों में अंतर और उस पर प्रभावः

कुछ मदों के लिए समूह और संयुक्त उद्यम संस्थाओं ने अलग–अलग लेखांकन नीतियों का पालन किया है। हालाँकि, इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

2.3 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

भारतीय लेखाकरण मानक (1 अप्रैल, 2015) में अंतरण की तारीख को, समूह ने सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रख–रखाव मूल्य पर पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार विचार करने का विकल्प चुना था, जिसे भारतीय ले.मा. 101 ''भारतीय लेखाकरण मानक का प्रथम बार स्वीकरण'' के अनुसार लागत समझा जाता है।

आरंभिक स्वीकरण एवं मूल्यांकन

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को

आवश्यक स्थान एवं स्थिति में लाने तथा प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत तरीके में इसे प्रचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए पर प्रत्यक्ष रूप से व्यय कोई लागत शामिल है।

शुरूआती स्वीकरण के बाद सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यह्रास/आशोधन एवं संचित अनर्जक क्षति, यदि कोई हो, पर पूरा किया जाता है।

मौजूदा परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में प्राप्त सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय प्रयोग से हटाए गए/निष्कासित इसके तदनुरूपी प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों को अस्वीकार किया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित भाग अथवा पहले के निरीक्षण की लागत उपलब्ध न हो, तो सदृश नये भागों/निरीक्षण की अनुमानित लागत को उस लागत के संकेतन के रूप में प्रयोग किया जाता है जो लागत मौजूदा भाग/निरीक्षण संघटक की थी, जब मद को प्राप्त किया गया था अथवा इसका निरीक्षण किया गया था।

अधिकृत परिसंपत्तियों, निक्षेप कार्यों/लागत–जमा संविदा सहित लागत के मामले में, जहां ठकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी किया जाना है, वहां पूंजीकरण अंतिम निपटान वर्ष में आवश्यक समायोजनों के अधीन अस्थायी आधार पर किया जाता है।

एक से अधिक ट्रांसिशशन सिस्टम के लिए सामान्य परिसंपत्तियों एवं सिस्टमों को तकनीकी अनुमानों/निर्धारणों के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

ट्रांसमिशन सिस्टम परिसंपत्तियों को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार रूप में समझा जाता है और त्तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है। हालाँकि, सहायक कंपनियों के मामले में, ट्रांसमिशन सेवा करार (टीएसए) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ट्रांसमिशन सिस्टम परिसंपत्तियों को इच्छित उपयोग के लिए तैयार माना जाता है और तद्नुसार पूंजीकृत किया जाता है।

भूमि की लागत में, जहां कहीं भी भूमि का स्वामित्व लिया गया हो, अस्थायी जमा राशियां, क्षतिपूरण के संबंध में भुगतान/देयताएं, पुनर्वास एवं अन्य व्यय शामिल हैं।

भूमि को समतल करने, साफ करने तथा ढाल बराबर करने पर व्यय को संबंधित भवनों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

अतिरिक्त पुर्जे, जिनकी लागत रू 5,00,000/– और अधिक हो, आपात उपयोगी उपकरण और सर्विसिंग उपकरण, जो सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकरण मापदण्ड को पूरा करते हों, को पूंजीकृतत किया जाता है।

कुछ वस्तुओं की सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अधिग्रहण या निर्माण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कुछ वस्तुओं का अधिग्रहण या निर्माण, हालांकि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी विशेष मौजूदा वस्तु के भविष्य के आर्थिक लाभों को सीधे नहीं बढ़ा रहा है, कंपनी को अपनी अन्य परिसंपत्तियों से भविष्य के आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है। ऐसी वस्तुओं को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अनुवर्ती लागतें

अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्तियों की रखरखाव लागत में, जब भी यह संभव हो, कि उपगत लागत से प्राप्त हो रहे भावी आर्थिक लाभ, समूह को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मूल्यांकित किया जा सकता हो, वृद्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मद के भाग को बदलने की लागत को मद की रखरखाव लागत में स्वीकार किया जाता है, यदि यह संभव हो कि भाग के अन्तर्गत भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे और इसकी लागत को विश्वसनीय रूप से मूल्यांकित किया जा सकता है। बदले गए भाग की रखरखाव की रोजमर्रा की सर्विस लागतों को यथा–उपगत लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

अमान्यकरण

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मद को तब अमान्य किया जाता है जब उनके इस्तेमाल से अथवा निपटान करने पर कोई आगामी आर्थिक लाभ की उम्मीद न हो।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान अथवा निष्कासन पर उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि को निवल निपटान प्राप्तियों एवं सम्पत्ति की रखाव लागत्त के बीच अन्तर के रूप में निर्धारित किया जाता है और निपटान अथवा निष्कासन की तारीख को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

2.4 कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी)

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निर्माण के लिए उपगत सामग्री लागत, निर्माण व्यय एवं अन्य खर्चों को निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर पूंजीकरण की तारीख तक सीडब्ल्यूआईपी में दर्शाया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निर्माण हेतु निर्धारित कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं परियोजनाओं के व्यय की पहचान की जाती है और संबंधित परिसंपत्तियों के लागत हेतु एक व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है।

उपरोक्त नीति के अनुसार निर्माण हेतु आबंटित निर्माण के दौरान ब्याज एवं व्यय (निवल) को सीडब्ल्यूआईपी के तहत एक अलग मद के रूप में रखा जाता है और सीडब्ल्यूआईपी के अंत शेष के समानुपात में पूंजीकृत किए गए परिसंपत्तियों में संविभाजित किया जाता है।

निक्षेप कार्यों/संविदा सहित लागत को ठेकेदारों से प्राप्त विवरण अथवा पूरे किए गए कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

संविदाओं के मामले में मूल्य परिवर्तन/विनिमय दर परिवर्तन संबंधी अनिष्पादित देयता को संविदाओं के अनुसार अनुमानित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां और निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

भारतीय लेखाकरण मानक में (1 अप्रैल, 2015) पारगमन

की तारीख को समूह ने पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों के रखरखाव मूल्य पर विचार किया है, जो भारतीय लेखाकरण मानक 101 ''भारतीय लेखाकरण मानकों को पहली बार अपनाना'' के अनुसार मानित लागत है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लागत पर आरम्भिक स्वीकरण पर किया जाता है। आरंभिक स्वीकरण के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत घटा किसी संचित परिशोधन एवं संचित अपसामान्य क्षतियों से पूरा किया जाता है।

पहले से पूंजीकृत अमूर्त परिसंपत्तियों पर परवर्ती व्यय को तब पूंजीकृत किया जाता है, जब यह मौजूदा परिसंपत्ति में सन्निहित आगामी आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और उत्तरव्यापी रूप से परिशोधित होता है।

आन्तरिक इस्तेमाल हेतु प्राप्त साफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है) तथा इसके नतीजातन महत्त्वपूर्ण आगामी आर्थिक लाभों को तब अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है जब यह इस्तेमाल के लिए तैयार हो।

ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने के लिए मार्गाधिकार प्राप्त करने हेतु वनरोपण खर्चों को संबंधित ट्रांसिमशन लाइनों के पूंजीकरण की तारीख को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

शीर्ष अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण हेतु मान्य उपगत्त व्यय को तब तक ''निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्ति'' के रूप में माना जाता है जब तक ऐसी परिसंपत्तियां अपने अभिप्रेत इस्तेमाल के लिए तैयार न हों।

अनुसंधान संबंधी व्यय को व्यय के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है जब यह उपगत हो।

विकास संबंधी व्यय को आअमूर्त परिसंपत्ति के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा, यदि यह लेखाकरण मानक 38 ''अमूर्त परिसंपत्ति'' के अनुसार पात्रता मापदण्ड को पूरा करता हो अन्यथा इसे व्यय के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

अमूर्त परिसंपत्ति की मद को निपटान पर अमान्य किया जाता है अथवा तब अमान्य किया जाता है जब इसके इस्तेमाल अथवा निपटान से आगामी आर्थिक लाभ संभव न हो। अमूर्त परिसंपत्ति के अस्वीकरण से उत्पन्न अभिलाभों अथवा हानियों का मूल्यांकन निवल निपटान प्राप्तियों एवं परिसंपत्ति की रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में किया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में तब स्वीकार किया जाता है जब परिसंपत्ति आमान्य हो।

2.6 निवेश परिसम्पत्ति

भारतीय लेखाकरण मानक (1 अप्रैल, 2015) में अंतरण की तारीख को, समूह ने सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रख–रखाव मूल्य पर पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार विचार करने की सोची थी, जिसे भारतीय ले.मा. 101 ''भारतीय लेखाकरण मानक का प्रथम बार स्वीकरण'' के अनुसार लागत समझा जाता है।

निवेश परिसम्पत्ति में उस भूमि और अथवा भवन के भाग शामिल हैं, जिन्हें दीर्घ अवधि किराया मुनाफा के लिए और, अथवा मूल्य वृद्धि के लिए रखा जाता है।

निवेश सम्पत्तियों का मूल्यांकन शुरूआती तौर पर लागत पर किया जाता है जिसमें, लेनदेन लागत शामिल होता है। शुरूआती स्वीकरण के बाद, निवेश सम्पत्तियों को लागत घटा संचित मूल्यह्रास और संचित अपसामान्य क्षति, यदि कोई हो, से पूरा किया जाता है।

निवेश सम्पत्ति से अथवा इसें में हस्तान्तरण तभी किया जाता है जब प्रयोग में कोई बदलाव हो।

निवेश सम्पत्तियों को तब अमान्य किया जाता है, जब या तो उनका निपटान किया गया हो या फिर जब उन्हें इस्तेमाल से पूरी तरह से हटाया गया हो और उनके निपटाने से कोई आगामी आर्थिक लाभ संभव न हो। निवल निपटान प्राप्तियों एवं परिसंपत्तियों के रखरखाव लागत के बीच अन्तर को अमान्य अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में मान्य किया जाता है।

2.7 मूल्यह्रास / परिशोधन

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

ट्रांसमिशन कारोबार से संबंधित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली का पालन करते हुए टैरिफ की वूसली के प्रयोजनार्थ सीधी कटौती प्रणाली आधार पर उपलब्ध है और दूरसंचार, परामर्शी व्यवसाय और टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से अधिगृहीत सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली आधार पर उपलब्ध है, इसमें निम्नलिखित पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

01 अप्रैल, 2014 से पहले अधिकृत यूएलडीसी परिसंपत्तियों को 6.67: प्रति वर्ष की दर पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है। 01 अप्रैल, 2014 को अथवा इसके बाद अधिकृत्त ऐसी परिसंपत्तियों को टैरिफ की वसूली के प्रयोजनार्थ सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली का अनुपालन करते हुए सीधी कटौती प्रणाली आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रो–इलेकिट्रक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), नॉर्थ–ईस्टन इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसईईपीसीओ), 1 अप्रैल, 1992 संस्थानांतरित नेमवली लिगनाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी), 1 अप्रैल, 1993 से जम्मू एवं कश्मीर लाईन तथा 01 अगस्त, 1993 से टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) के सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मामले में मूल्यह्रास को सकल ब्लॉक के आधार पर, जैसा कि आवश्यक समायोजनों के साथ अन्तरणकर्त्ता के बहियों में इंगित है, प्रभारित किया जाता है, ताकि टैरिफ हेतु सीईआरसी की अधिसूचना में यथा–निर्धारित परिसंपत्तियों की कार्य अवधि को बनाए रखा जा सके।

निवेश सम्पत्ति के रूप में धारित भवनों पर मूल्यह्रास सीधी कटौती प्रणाली आधार पर उपलब्ध होता है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट है।

अतिरिक्त पुर्जा, आपात उपयोगी उपकरण और सर्विसिंग

उपकरण, जो पूंजीकृत हों, पर मूल्यह्रास उस तारीख से सीधी कटौती प्रणाली आधार पर उपलब्ध होता है, जिस तारीख को वे सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली के बाद पारेषण कारोबार की संबंधित परिसंपत्तियों के बाकी उपयोगी कार्यअवधि पर प्रयोग हेतु उपलब्ध होते हैं।

निम्नलिखित संपत्तियों, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि के आधार पर किया गया है।

विवरण	उपयोगी कार्यअवधि
क. कम्प्यूटर एवं बाह्य सामान	3 वर्ष
ख. सर्वर एवं नेटवर्क संघटक	5 वर्ष
ग. टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से अधिगृहीत सहायक कंपनियों की पीपीई	
भवन	35 वर्ष
पारेषण लाइन	35 वर्ष
सबस्टेशन उपकरण	35 वर्ष

उपरोक्त (क) और (ख) में दी गई परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य को शून्य रूप में समझा जाता है।

मोबाइल फोन खरीद वर्ष में प्रभारित होते हैं।

रु 5000/– अथवा कम की लागत के अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण वर्ष में पूर्णतः: मूल्यह्रासित किया जाता है।

जहां; अवमूल्यनीय सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत में विनिमय पर घट–बढ़, मूल्य समायोजन, शुल्कों अथवा सदृश कारकों में परिवर्तन के कारण दीर्घ अवधि मौद्रिक मदों में वृद्धि/कमी के कारण परिवर्तन किया गया हो, वहां, ऐसे परिसंपत्ति के अपरिशोधित शेष को उत्तरव्यापी रूप से सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा यथा–विनिर्दिष्ट दरों पर एवं कार्य प्रणाली पर मूल्यहसित किया जाता है, इसमें दूरसंचार एवं परामर्श कारोबार परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं, जहां अवशिष्ट अवधि को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची– पप में यथाविनिर्दिष्ट सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी कार्य अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

वर्ष के दौरान सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण में परिवर्धन/इसमें से कटौतियों पर मूल्यह्रास को उस तारीख से/उस तारीख तक समानुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है, जिस तारीख को परिसंपत्ति प्रयोग/निपटान हेतु उपलब्ध हो।

ट्रांसमिशन कारोबार से संबंधित परिसंपत्तियों से भिन्न परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन एवं विधियों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पुनरीक्षा की जाती है और जहां कहीं अपेक्षित हो, उत्तरव्यापी रूप से समायोजित किया जाता है।

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

उपयोग के अधिकार परिसम्पत्तियों का पट्टा प्रारंभ तिथि से पट्टा अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर पूरी तरह से ह्रास किया जाता है।

लीजहोल्ड भूमि को सीईआरसी टैरिफ रेगुलेशन में निर्दिष्ट दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार लीज अवधि या संबंधित संयंत्र के जीवन जो भी कम हो, पर पूरी तरह से परिशोधित्त किया जाता है। स्थायी पट्टे पर अधिग्रहित लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन नहीं किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत सॉफ्टवेयर की लागत को शून्य अपशिष्ट मूल्य के साथ कानूनी प्रयोगाधिकार अथवा 3 वर्ष, जो भी कम हो, पर परिशोधित किया जाता है।

टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से अधिगृहीत सहायक कंपनियों को छोड़कर, वनारोपण खर्चों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमन द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली के बाद संबंधित पारेषण परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की तारीख से पैंतीस वर्ष में परिशोधित किया जाता है।

टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से अधिगृहीत सहायक कंपनियों से संबंधित वनारोपण प्रभार अवशिष्ट मूल्य के साथ ऋजुरेखीय पद्धति का पालन करते हुए संबंधित ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की तारीख से पैंतीस वर्षों में परिशोधित किया जाता है।

दूरसंचार लाइसेंसों को उनके संबंधित उपयोगी कार्यअवधि पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर परिशोधित किया जाता है।

1200 केवी ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास पर व्यय को 10 वर्ष की अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान अमूर्त परिसम्पत्तियों में परिवर्धन/इसमें से कटौतियों पर परिशोधन को उस तारीख से/उस तारीख तक यथा–अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है, जिस तारीख को परिसंपत्ति प्रयोग/निपटान हेतु उपलब्ध हो।

अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन अवधि एवं परिशोधन विधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पुनरीक्षा की जाती और भारतीय लेखाकरण मानक–8 "लेखाकरण नीतियां, लेखाकरण अनुमानों एवं चूकों में परिवर्तन" के अनुसार लेखाकरण अनुमानों में परिवर्तन के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

2.8 उधारी लागत

सभी उधार लिए गए निधियों को (कार्यशील पूंजी के लिए अल्प अवधि निधियों को छोड़कर) विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उदिदष्ट किया जाता है। उधारी लागतों को (जिसमें बॉण्ड निर्गम व्यय, ब्याज, बाण्डों पर छूट, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क, गारंटी शुल्क, प्रबंधन शुल्क, आदि शामिल हैं) इस तरह उदिदष्ट निधियों के समानुपात में परियोजनाओं को आबंटित किया जाता है।

मान्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण से सीधे आबद्ध उधारी लागतों को (निधियों के अस्थायी रूप से नियोजन पर आय का निवल) ऐसी परिसंपत्तियों के लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है, जब तक परिसंपत्तियां अभिप्रेत इस्तेमाल के लिए तैयार न हों।

मान्य परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं, जो अपने अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं।

अन्य उधारी लागतों को लाभ व हानि विवरण में दिखाया गया है जिस अवधि में वे व्यय किये गये।

2.9 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कम्पनी की गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में यह निर्धारित करने के लिए पुनरीक्षा की जाती है कि भारतीय लेखाकरण मानक–36 ''परिसंपत्तियों की क्षति'' के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए क्षति का कोई संकेतन हो, तब परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि अनुमानित होती है।

परिसंपत्ति अथवा नकदी उत्पादक यूनिट की वसूलीयोग्य राशि इसके उचित मूल्य घटा निपटान लागत और इसके प्रचलित मूल्य से अधिक होती है। प्रचलित मूल्य के निर्धारण में, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह, पूर्व कर छूट दर का प्रयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य में छूट प्राप्त होता है जो राशि के समय मान और परिसंपत्ति के जोखिम विशेष के चालू बाजार निर्धारणों को दर्शाता है। अपसामान्य जांच के प्रयोजनार्थ परिसंपत्तियों को, जिनकी अलग–अलग रूप में जांच नहीं की जा सकती है, छोटे–छोटे परिसंपत्ति समूह में एक साथ समूहित किया जाता है, जो निरन्तर प्रयोग से नकदी अन्तर्प्रवाह उत्पन्न करते हैं, जो दूसरे परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्ति समूहों (नकदी उत्पादक यूनिट'' अथवा ''सीजीयू') के नकदी अन्तप्रवाहों में अत्यधिक स्वतंत्र हैं।

नकदी अन्तर्प्रवाह में अपसामान्य क्षतियों को तब मान्य किया जाता है, यदि परिसंपत्ति अथवा इसके सीजीयू की रखरखाव राशि इसकी अनुमानित वसूलनीय राशि से अधिक हो। अपसामान्य हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। सीजीयू के संबंध में स्वीकृत अपसामान्य हानियों को सीजीयू के परिसंपत्तियों की रखरखाव राशियों से कम किया जाता है।

पूर्व अवधियों में स्वीकृत अपसामान्य हानियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में इन संकेतनों के लिए निर्धारित किया जाता है कि हानि कम हुई है अथवा अधिक समय तक नहीं रहती है। अपसामान्य हानि को लौटाया जाता है, यदि वसूलनीय राशि के निर्धारण हेतु प्रयुक्त अनुमानों में बदलाव किया गया हो। अपसामान्य हानि को सिर्फ उसी सीमा में लौटाया जाता है जिस सीमा में परिसंपत्तियों की रखरखाव राशि उस रखरखाव राशि से, जिसे निर्धारित किया जाएगा, निवल मूल्यह्रास अथवा परिशोधन, यदि अपसामान्य हानि को मान्य नहीं किया गया था, अधिक न हो।

2.10 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में हस्तगत नकदी और बैंक में जमा राशि तथा मांगने पर बैंकों में रखी जमा राशियां, जिनकी परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तारीख से तीन माह अथवा कम है, जिन्हें सहजता से एक ज्ञात नकदी राशि में परिवर्तित किया जाता है और मूल्य में परिवर्तन के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अध्यधीन हो, शामिल हैं।

2.11 मालसूचियां

मालसूचियों को भारित औसत आधार पर निर्धारित निम्नतर लागत पर एवं निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

स्टील के स्क्रैप एवं कंडक्टर स्क्रैप को अनुमानित वसूलीयोग्य मूल्य अथवा अर्जित मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

अतिरिक्त पुर्जे, जो सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्य मापदण्ड को पूरा नहीं करते हैं, जिनकी लागत रु 5,00,000 से कम है, को मालसूचियों के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

प्रबंधन द्वारा यथा–निर्धारित अतिरिक्त सामग्री को अभिप्रेत प्रयोग के लिए रखा जाता है और मालसूची में शामिल किया जाता है।

अप्रचलित/अनुप्रयोज्य और अतिरिक्त सामानों एवं अतिरिक्त पुर्जों की मूल्य में कमी का पुनरीक्षा पर पता लगाया जाता है और उपलब्ध कराया जाता है।

2.12 पट्टे

पट्टा एक अनुबंध है जिसमें एक निश्चित अवधि के लिये किसी विशिष्ट परिसंपत्ति का प्रयोगाधिकार निहित होता है।

किसी भी अनुबंध में प्रयोगाधिकार का आकुलन करने के लिये समूह सुनिश्चत करता है कि : (i) निर्धारित परिसंपत्ति में प्रयोगाधिकार निहित है। (ii) पट्टे की अवधि के दौरान केता को काफी हद तक सभी आर्थिक लाभ निहित हैं। (iii) क्रेता को परिसंपत्ति का उपयोगाधिकार प्रत्यक्ष रूप से मिला है।

i) **पट्टादाता के रूप में**

पट्टे के शुरू होने की तारीख में, समूह उपयोग के अधिकार की संपत्ति (आरओयू) और सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए एक समान पट्टा दायित्व को पहचानता है, जिसमें वह एक पट्टेदार है, सिवाय बारह महीने या उससे कम की अवधि के पट्टे को छोड़कर (यानी अल्पकालिक पढे) और पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है। इन अल्पकालिक और पट्टों के लिए, जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है, समूह पट्टे की अवधि के दौरान सीधी–रेखा के आधार पर पढट्टे के भुगतान को मान्यता देती है।

कुछ लीज व्यवस्थाओं में लीज अवधि की समाप्ति से पहले लीज को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं। आरओयू की संपत्ति और लीज देनदारियों में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह यथोचित रूप से निश्चित है कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, बहाली दायित्वों के साथ या पट्टे की स्थापना तिथि से पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता के प्रारंभिक माप की राशि और प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन शामिल होती है।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है। समूह यह निर्धारित करने के लिए इंड एएस 36

लागू करता है कि क्या आरओयू परिसंपत्ति खराब है और 'गैर–वित्तीय संपत्तियों की हानि' पर लेखांकन नीति 2.9 में वर्णित किसी भी पहचान की गई हानि के लिए जिम्मेदार है।

लीज देयता को प्रारंभ में लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जो उस तिथि पर भुगतान नहीं किए जाते हैं।

लीज देयता पर ब्याज लागत को लाभ और हानि के विवरण में व्यय किया जाता है, जब तक कि ''उधार लागत' पर लेखांकन नीति 2.8 के अनुसार पूंजीकरण के लिए पात्र न हो।

लीज देयता और आरओयू परिसंपत्ति को वित्तीय विवरण ों में अलग से प्रस्तुत किया गया है और लीज भुगतानों को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii) **एक पट्टेदार के रूप में**

एक पट्टे को स्थापना तिथि पर वित्त पट्टे या एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अ) वित्त पट्टे

एक पट्टा जो एक परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित करता है, उसे वित्त के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

स्टेट सेक्टर यूनिफाइड लोड डिस्पैच सेंटर (यूएलडीसी)/फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन एसेट्स (एफओसी)/द्वि पक्षीय लाइन परिसंपत्तियां जो लाभार्थियों को लीज पर दी गई हैं, उन्हें फाइनेंस लीज माना जाता है। ऐसी पट्टे पर दी गई संपत्ति में शुद्ध निवेश को पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य के निचले स्तर पर प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है और बाद के वर्षों में वृद्धि के साथ न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य वर्तमान और गैर–वर्तमान अन्य वित्तीय के तहत लीज प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। जहां कहीं भी राज्य क्षेत्र यूएलडीसी के निर्माण के लिए सहायता अनुदान प्राप्त होता है, ऐसे अनुदान के निवल लीज की गणना की जाती है।

लीज के ब्याज तत्व को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार शुद्ध निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न के आधार पर लीज अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

पट्टे पर दी गई आस्तियों से संबंधित विदेशी मुद्रा ऋणों पर रोटो एफईआरवी को लीज प्राप्तियों की राशि में समायोजित किया जाता है और पट्टे की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। घटकों से एफईआरवी वसूली (सीईआरसी मानदंडों के अनुसार) ऐसी परिशोधन राशि के निवल मान्यता प्राप्त है।

ब) प्रचालनात्मक पट्टा

एक प्रचालनात्मक पट्टा एक वित्त पट्टे के अलावा एक पट्टा है। पट्टे जिसमें जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पट्टेदार द्वारा बरकरार रखा जाता है, को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टों के लिए, संपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और इसके आर्थिक जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है। परिचालन पट्टे से किराये की आय को व्यवस्था की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है।

2.13 कर्मचारी हितलाभ

2.13.1 निर्धारित अंशदान योजना

निर्धारित अंशदान योजना एक नियोजन उपरांत लाभ योजना है, जिसके तहत कम्पनी अलग ईकाइयों (निधि) को निश्चित अंशदान अदा करती है और इसमें और अंशदान अदा करने के लिए कानूनी अथवा रचनात्मक बाध्यता नहीं होगी, यदि निधि में चालू एवं पूर्व अवधियों में कर्मचारी सेवा से संबंधित सभी कर्मचारी लाभों को अदा करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां नहीं रखता हो। निर्धारित अंशदान योजनाओं में अंशदान की बाध्यता को उस अवधि में जिस अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई हों, लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

समूह की एक निर्धारित अंशदान पेंशन योजना है, जिसे एक अलग न्यास के जरिए नियंत्रित किया जाता है। समूह की बाध्यता ट्रस्ट में ऐसी सीमा में जो मूल वेतन और महंगाई भत्ता छटा भविष्य निधि के संबंध में अंशदान, उपदान, सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) अथवा कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के 30 प्रतिशत से अधिक न हो, अंशदान करना है। वर्ष हेतु निधि में किए गए अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित होता है।

2.12.2 निर्धारित लाभ योजना

निर्धारित लाभ योजना निर्धारित अंशदान योजना से भिन्न एक नियोजनबाद लाभ योजना है। उपदान, सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा सुविधा, सेवानिवृत्ति के बाद गृहनगर में व्यवस्थापन हेतु बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्ति पर दीर्घ सेवा पुरस्कार और भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज देयता की सीमा में भविष्य निधि योजना के संबंध में समूह की देयता निर्धारित लाभ योजनाओं के स्वरूप में हैं।

उपदान समूह द्वारा वित्तपोषित होता है और अलग न्यास द्वारा व्यवस्थित होता है। समूह की सेवानिवृत्तिबाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और पति/पत्नी को समूह के पैनलीकृत अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वे समूह द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अधीन बाह्यरोगी के रूप में भी उपचार का लाभ ले सकते हैं।

समूह पूर्वनिर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट भविष्य निधि में निर्धारित अंशदान अदा करती है, जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वर्ष हेतु निधि में अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ एवं हानि

विवरण में प्रभारित किया जाता है। समूह की बाध्यता ऐसे निर्धारित अंशदानों तक सीमित होती है और भारत सरकार (जीओआई) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सदस्यों को अंशदान पर ब्याज की न्यूनतम दर को सुनिश्चित करने के लिए सीमित होती है।

समूह के अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए गृहनगर में व्यवस्थापन हेतु खर्चों के संबंध में बैगेज भत्तों के भुगतान हेतु और अधिवर्षिता पर कम्पनी के सभी नियमित कर्मचारियों को दीर्घ सेवा पुरस्कार प्रदान करने के लिए योजना है। किसी अमान्य पिछली सेवा लागतों और किसी प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को कम किया जाता है। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित मुनाफे पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तारीख में, जो समूह की देयताओं के अनुसार लगभग परिपक्वता तारीख होती है और जो उसी करेंसी में मूल्यवर्गित होती है, जिसमें लाभों को अदा किए जाने की उम्मीद हो।

परिकलन को मान्य बीमांकन द्वारा प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट प्रणाली का प्रयोजन करते हुए वार्षिक रूप से पूरा किया जाता है। जब परिकलन के परिणाम समूह के हित में हों, तो मान्य परिसंपत्ति किन्हीं अमान्य पिछली सेवा लागतों और योजना के भावी अंशदानों में योजना कटौतियों से किसी भावी वापसियों के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है। आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होता है, यदि यह योजना के कार्यकाल के दौरान वसूलनीय हो अथवा प्लान देयताओं के निपटान पर वसूलनीय हो। किसी बीमांकन अभिलाभ अथवा हानि को उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, ओसीआई में मान्य किया जाता है।

जब योजना के लाभ संशोधित हों, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित संवर्धित लाभ के भाग को औसत अवधि पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर, जब तक कि लाभ निहित न हो, लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। इस सीमा में, कि लाभ तुरन्त प्राप्त हो, तो व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में तुरन्त स्वीकार किया जाता है।

2.13.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

समूह के छुट्टी नकदीकरण और कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना के तहत लाभ अन्य दीर्घ अवधि कर्मचारी हितलाभ को संघटित करते हैं।

छुदटी नकदीकरण के संबंध में समूह की निवल देयता भावी लाभ की राशि होती है, जिसे कर्मचारियों ने चालू अथवा पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के प्रतिफल में अर्जित की होती है; वह लाभ इसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूटप्राप्त होता है। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार मुनाफों पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तारीख में, जो परिपक्वता तारीखें होती हैं, समूह की देयताओं की अवधि के लगभग होती हैं। परिकलन को प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट प्रणाली का प्रयोग करते हुए पूरा किया जाता है। किसी भी बीमांकन अभिलाभ अथवा हानियों को उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होती हैं, लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

''समूह की कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना'' के अनुसार, जो वैकल्पिक है, कर्मचारी की मृत्यु होने पर अथवा स्थाई पूर्ण अशक्तता की स्थिति में, आश्रित(तों) अथवा कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, अंतिम भविष्य निधि और उपदान राशि को, जो ब्याजमुक्त होगी, जमा करने पर कर्मचारी की अधिवर्षिता की काल्पनिक तारीख तक कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर एक निश्चित राशि अदा की जाती है।

2.13.4 अल्पावधि लाभ

अल्प अवधि कर्मचारी हितलाभ देयताओं का मूल्यांकन अछूटप्राप्त आधार पर किया जाता है और व्यय किया जाता है, क्योंकि संबंधित सेवा उपलब्ध होती है।

देयता को निष्पादन संबंधित वेतन के तहत अदा किए जाने वाले प्रत्याशित राशि हेतु मान्य किया जाता है; यदि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि के भुगतान हेतु कोई वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक देयता समूह की हो और देयता को विश्वसनीय रूप से आंकलित किया जा सकता है।

2.14 वित्तीय लिखतें

वित्तीय लिखित कोई संविदा है जो एक कम्पनी की वित्तीय परिसंपत्ति को और दूसरी कम्पनी की वित्तीय देयता अथवा इक्विटी लिखत को बढ़ाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

वर्गीकरण

समूह अपने वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:

- परिशोधित लागत पर
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है:

- वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु कम्पनी के व्यावसायिक मॉडल और
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएं।

आरंभिक स्वीकरण एवं मूल्यांकन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में शुरू में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है, जिन्हें लाभ अथवा हानि, लेनदेन लागत, यदि कोई हो, के जरिए उचित मूल्य में रिकॉर्ड नहीं किया गया हो, जिन्हें वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में समझा जाता है। तथापि, ऐसे व्यापार प्राप्य, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक निहित नहीं होता है, को लेन–देन मूल्य पर मापा जाता है।

अनुवर्ती मूल्यांकन

परिशोधित लागत पर ऋण लिखतें: परिसंपत्तियों का, जिन्हें संविदात्मक नकदी प्रवाह को वसूली के लिए रखा गया हो, जहां वे नकदी प्रवाह को केवल मूल राशि एवं ब्याज के भुगतानों को दर्शाते हों, परिशोधित लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। ऋण निवेश पर अभिलाभ अथवा हानि, जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, को लाभ अथवा हानि में तब मान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति को

अमान्य अथवा अनर्जक माना गया हो। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए वित्त आय में शामिल किया जाता है।

अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखतः

संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने के लिए रखी गई संपत्तियां, जहां परिसंपत्तियों का नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है, को उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई)परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत (एफवीपीएल):

ऐसी परिसंपत्तियां जो परिशोधन लागत या एफवीओसीआई के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। एक ऋण साधन पर ब्याज आय और शुद्ध लाभ या हानि जिसे बाद में एफवीपीएल में मापा जाता है, को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है और अन्य आय के भीतर प्रस्तुत किया जाता है जिसमें यह उत्पन्न होता है।

इक्विटी निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 ''वित्तीय लिखतें'' कार्य क्षेत्र में सभी इक्विटी लिखतों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। कम्पनी आरंभिक स्वीकरण पर लिखत–दर–लिखत आधार पर अन्य व्यापक आय में (एफवीओसीआई) उचित मूल्य पर परवर्ती बदलाव को दशनि के लिए अविकल्पी विधि का चयन कर सकती है।

एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी लिखतों के लिए लिखत में सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को, जिसमें लाभांश शामिल नहीं है, ओसीआई में मान्य किया जाता है। इसमें निवेश बिक्री पर भी राशियों का ओसीआई से लाभ अथवा हानि में पुनर्निवेश नहीं होता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ अथवा हानि को हस्तान्तरित कर सकती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का आमान्यीकरण

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब

i) परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, या

ii) (क) समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है (या) वित्तीय परिसंपत्तियों के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकारों को बरकरार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक संविदात्मक दायित्व मानता है और

(ख) समूह ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है (या) समूह ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन संपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

वहन राशि और प्राप्त/प्राप्य राशि के बीच अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

व्यापार प्राप्यों के लिए समूह भा. ले. मा.–109 वित्तीय लिखत द्वारा अपेक्षित सरल तरीके का प्रयोग करता है, जिसमें प्राप्यों के शुरूआती स्वीकरण से स्वीकार किए जाने वाले पूर्णकालिक क्षतियां हो सकती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं जोखिम प्रकटनों पर संभावित हानि को स्वीकार करने के लिए समूह निर्धारित करता है कि क्या क्रेडिट जोखिम में शुरूआती स्वीकरण से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में विशेष रूप से वृद्धि हुई हो, तो 12 माह की संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को संभावित हानि हेतु उपलब्ध कराया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई हो, तो जीवनकालिक ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। यदि परवर्ती अवधि में लिखत की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि इसमें शुरूआती स्वीकरण से क्रेडिट में कोई विशेष वृद्धि लम्बे समय तक नहीं होती है, तब कम्पनी 12 माह के ईसीएल के आधार पर संभावित हानि छूट को वापस मान्य करती है।

वित्तीय देयताएं

समूह की वित्तीय देयताएं दूसरी कम्पनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्रदान करने का संविदात्मक दायित्व है अथवा ऐसी स्थितियों में दूसरी संस्था के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं की अदला बदली करने का दायित्व है, जो संभवतः समूह के लिए अनुकुल न हो।

समूह की वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधारियां, व्यापार तथा अन्य देयताएं शामिल हैं।

वर्गीकरण, आरंभिक स्वीकरण और मूल्यांकन

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य माइनस में मान्यता दी जाती है, वित्तीय देनदारियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की जाती है, लेनदेन की लागत जो सीधे वित्तीय देनदारियों के मुद्दे के लिए जिम्मेदार होती है।

अनुवर्ती मूल्यांकन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है और फीस या लागत जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है। आय (लिनदेन लागत का शुद्ध) और मोचन राशि के बीच किसी भी अंतर को ईआईआर का उपयोग करके उधार की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। जब देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है तो लाभ और हानि के विवरण में लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया गया है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यीकरण

वित्तीय देयता को तब अमान्य किया जाता है जब देयताओं के तहत बाध्यता पूरी हो जाती है अथवा निरस्त हो जाती है अथवा समाप्त हो जाती है। जब मौजूदा देयता को पर्याप्त रूप से भिन्न शर्तों पर अथवा मौजूदा देयता की शर्तें पर्याप्त रूप से आशोधित हों, एक उधारदाता से दूसरे उधारदाता में बदला जाता है, तो ऐसे विनिमय अथवा अशोधन को मूल देयता के अस्वीकरण और नई देयता के स्वीकरण के रूप में समझा जाता है। वित्तीय देयता, जो समाप्त हो गई है अथवा दूसरे पक्ष को हस्तान्तरित हो गई है, के रखरखाव राशि और प्रदत्त प्रतिफल, जिसमें हस्तान्तरित कोई गैर–नकदी परिसंपत्तियां अथवा स्वीकृत देयताएं शामिल हैं, के बीच अन्तर को अन्य आय अथवा वित्त लागत के रूप में लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

वित्तीय लिखतों का प्रतितुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रतितुलित किया जाता है और निवल राशि का तुलनपत्र में उल्लेख किया जाता है, यदि इसमें स्वीकृत राशियों के प्रतितुलन का वर्तमान में कोई प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार हो और परिसंपत्तियों को क्रियान्वित करने के और साथ ही देयताओं को निपटाने के निवल आधार पर निपटाने की धारणा हो।

2.15 विदेशी मुद्रा अन्तरण

(क) कार्यात्मक एवं प्रतिनिधिक मुद्रा

समूह के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित मदों का मूल्यांकन प्राथमिक आर्थिक परिवेश, जिसमें समूह का प्रचानल होता है, की मुद्रा (''कार्यात्मक मुद्रा'') का प्रयोग करते हुए किया जाता है। वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (रुपए अथवा रु) में पेश किया जाता है, जो समूह की कार्यात्मक एवं प्रदेय मुद्रा होती है।

(ख) लेनदेन एवं शेष राशियां

विदेशी मुद्रा में लेन–देनों को शुरू में लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को तुलनपत्र की तारीख को प्रभावी विनियमन दरों के संदर्भ में अन्तरित्त किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित गैर–मौद्रिक मदों का गैर–मौद्रिक पूर्व भुगतान परिसंपत्ति अथवा आस्थगित आय देयता की शुरूआती स्वीकरण की तारीख को अथवा वित्तीय विवरणों में संबंधित मद का स्वीकार करने की तारीख को, जो भी पहले हो, का प्रभावी दर पर उल्लेख किया जाता है।

विदेशी विनिमय लाभ एवं हानियों को (बकाया विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित ऋण से भिन्न) दूसरे लाभ/(हानि) के अन्तर्गत निवल आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

समूह ने 31 मार्च, 2016 को बकाया दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयताओं के अन्तरण से उत्पन्न विनियम अंतरों संबंधी लेखाकरण हेतु अपनाई गई नीति को जारी रखने के लिए भारतीय लेखाकरण मानक 101 में उपलब्ध छूट का लाभ लिया है।

31 मार्च, 2016 को बकाया विदेशी मुद्रा ऋणः

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण, कार्यशील पूंजी से संबंधित ऐसे विदेशी मुद्रा ऋणों के निपटान/अन्तरण पर उत्पन्न विदेशी मुद्रा दर भिन्नता (एफईआरवी) को संबंधित परिसंपत्तियों के रखरखाव लागत में समायोजित किया जाता है और 1 अप्रैल 2004 से, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरपी) के मानकों के अनुसार अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (डीओसीओ), जो भी बाद में हो, वास्तविक भुगतान आधार पर लाभार्थियों से वसूलीयोग्य/देय है। सीईआरसी मानकों के अनुसार वसूलीय अथवा देय सीमा में उपरोक्त एफईआरवी को निम्नानुसार हिसाब में लिया जाता है :

i) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के रखरखाव लागत हेतु समायोजित एफईआरवी वसूलीयोग्य/देय राशि को ''विदेशी मुद्रा घट–बढ़ खाते से आस्थगित आय व्यय'' के तदनुरूपी क्रेडिट/डेबिट के साथ ''आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति/देयता खाते'' के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

ii) ''विदेशी मुद्रा घट–बढ़ खाते से आस्थगित आय, व्यय'' को उसी समानुपात में आशोधित किया जाता है जिसमें मूल्यह्रास को ऐसे एफईआरवी पर प्रभारित किया जाता है।

iii) वर्ष–दर–वर्ष आधार पर सीईआरसी मानकों के अनुसार वसूलनीय/देय राशि को कारोबार प्राप्यों के तदनुरुपी डेबिट/क्रेडिट के साथ ''आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति/देयता खाते'' में समायोजित किया जाता है।

लाभ एवं हानि विवरण में से पहले प्रभावित और टैरिफ के प्रयोजनार्थ पूंजीगत लागत में सम्मिलित एफईआरवी को ''आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति/देयता खाते'' के प्रति समायोजित किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित दीर्घ अवधि मौद्रिक मदों (विदेशी मुद्रा ऋण से भिन्न) के निपटान/अन्तरण से उत्पन्न एफईआरवी को संबंधित परिसंपत्तियों के रखरखाव लागत में समायोजित किया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमन के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में लाभार्थियों से वसूलनीय/देय सीमा में विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट मौद्रिक मदों (गैर चालू ऋणों से भिन्न) के निपटान/अन्तरण से निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न एफईआरवी को विनियामक आस्थगन लेखा शेष राशि के रूप में हिसाब में लिया जाता है। ऐसी राशि पर स्वीकृत पारगमन शुल्कों को उपरोक्त खाते में समायोजित किया जाता है। अन्य विनिमय अन्तरों को उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न हुए हैं, आय अथवा व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

01 अप्रैल, 2016 को अथवा इसके बाद लिया गया विदेशी मुद्रा ऋणः

ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में समझी गई सीमा में विदेशी मुद्रा उधारी से उत्पन्न विनिमय अन्तरों को उधारी लागत के रूप में समझा जाता है। अन्य विनिमय अन्तरों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वसूलनीय सीमा में विनिमय अन्तर को लाभ एवं हानि विवरण के जरिए विनियामक आस्थगन लेखा शेष के रूप में मान्य किया जाता है।

(ग) विदेशी समूह कंपनियां

विदेशी प्रचालनों के परिणाम और वित्तीय स्थिति (जिनमें से किसी में भी उच्च मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था की मुद्रा नहीं है) जिनकी कार्यात्मक मुद्रा प्रस्तुति मुद्रा से भिन्न है, उन्हें प्रस्तुति मुद्रा में निम्नानुसार अंतरित किया गया है:

i) परिसंपत्तियों और देनदारियों को उस तुलनपत्र की तारीख पर समापन दर पर अंतरित किया जाता है।

ii) आय और व्यय को औसत विनिमय दरों पर अंतरित किया जाता है (जब तक कि यह लेनदेन की तारीख पर प्रचलित दरों के संचयी प्रभाव का उचित अनुमान न हो, जिस स्थिति में आय और व्यय लेनदेन की तिथि पर अंतरित होते हैं) और

iii) सभी विनिमय अंतरों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

2.16 आय कर

आय कर व्यय, चालू एवं आस्थगित कर के योग को दर्शाता है। कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है, जो इस सीमा को छोड़कर है कि यह सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में स्वीकृत मदों से संबंधित हो। इस मामले में कर को सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में भी मान्य किया जाता है।

चालू आय कर

वर्तमान कर अधिनियमित कर कानूनों के तहत वर्ष के लिए कराधेय लाभ पर आधारित है और उन देशों में रिपोर्टिंग अवधि पर लागू होता है जहां समूह कराधेय आय संचालित करता है और उत्पन्न करता है और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में कोई समायोजन होता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को समूह के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वहन राशियों और कराधेय लाभ की संगणना में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधारों के बीच अस्थायी अन्तरों पर मान्य किया जाता है और तुलन पत्र देयता विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अन्तरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के लिए इस सीमा में मान्य किया जाता है कि इसमें यह संभव हो कि आगामी कराधेय लाभ इस संबंध में उपलब्ध होंगे, जिनके संबंध में कटौती योग्य अस्थायी अन्तरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त क्रेडिटों को उपयोग में लाया जा सकता हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन लागत की प्रत्येक तुलपन पत्र तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और इस सीमा में कम किया जाता है कि संभावना कम हो कि पर्याप्त कराधेय लाभ उस संबंध में प्राप्य होंगे जिनके प्रति अस्थायी अन्तरों को उपयोग किया जा सकता हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन कर दर पर किया जाता है जिन्हें उस अवधि में लागू किया जा सकता है, जिस अवधि में देयता का कर दर के आधार पर और (कर कानून) निपटान किया जाता है अथवा परिसंपत्ति को क्रियान्वित किया जाता हो, जिसे तुलन पत्र की तारीख तक अधिनियमित किया गया हो अथवा मूल रूप में अधिनियमित किया गया हो।

आस्थगित कर देयताओं को सहायक कंपनियों में निवेश की वहन राशि और कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर के लिए मान्यता नहीं दी जाती है, जहां समूह अस्थायी अंतरों के रिवर्स के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अंतर निकट भविष्य में रिवर्स नहीं होंगे।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रतितुलित किया जाता है यदि इसमें चालू कर देयताओं को समायोजित करने का कानूनी प्रवन्ननीय अधिकार है और वे उसी कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों संबंधित हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है, जो भावी आयकर देयता के प्रति समायोजन की उपलब्धता के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभ देने की संभावना है। एमएटी को तुलन–पत्र में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति को मज़बूती से मापा जा सकता है और यह संभावना है कि संपत्ति से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ को महसूस किया जाएगा।

2.17 विनियामक आस्थगन खाता शेष

सीईआरसी विनियमनों के तहत स्वीकृत कुछ व्यय एवं आय के, जिसे भविष्य में लाभार्थियों द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाना हो/इनको दिया जाना हो, भारतीय लेखाकरण मानक 114, ''विनियामक आस्थगन लेखा'' के प्रावधानों के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में हिसाब में लिया जाता है। ऐसे व्यय एवं आय को सीईआरसी विनियमनों के तहत टैरिफ के भाग के रूप में वसूलनीय/देय सीमा में विनियामक आस्थगन परिसंपत्ति/देयताओं के रूप में समझा जाता है।

समूह निम्न के संबंध में तुलन पत्र में पृथक कार्य मदों को दर्शाता है:

क) सभी विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष राशियों के योग; और

ख) सभी विनियामक आस्थगन खाता क्रेडिट शेष राशियों के योग।

पृथक कार्य मद को सूचना अवधि हेतु सभी विनियामक आस्थगन खाता शेषों में निवल कार्य व्यापार हेतु लाभ एवं हानि विवरण के लाभ अथवा हानि भाग में दर्शाया जाता है।

विनियामक आस्थगन शेषों को उस वर्ष में समायोजित किया जाता है, जिस वर्ष में वह लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा इन्हें देय हो।

2.18 राजस्व

राजस्व का मूल्यांकन उस लेन–देन मूल्य के आधार पर किया जाता है, जिसके लिए ग्राहकों के साथ सम्पन्न संविदा में समूह की हकदारी प्रत्याशित है और इसमें तीसरे पक्षों की ओर से वसूली गई राशियां शामिल होती हैं। कम्पनी राजस्व को तब स्वीकार करती है जब यह उत्पाद अथवा सेवा के नियंत्रण को ग्राहक को अन्तरित्त करती है।

महत्वपूर्ण वित्तीय संघटक

जहां, ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं अथवा सेवाओं के अन्तरण एवं ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक हो, वहां समूह संविदा में महत्वपूर्ण वित्तीय संघटक के प्रभावों का मूल्यांकन करती है। परिणामतः समूह धनराशि के समयमान के प्रभावों हेतु लेन–देन मूल्यों में समंजस करती है।

2.18.1 प्रचालन से राजस्व

पारगमन

पारगमन आय को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। ट्रांसमिशन परियोजनाओं के मामले में जहां अंतिम टैरिफ आदेशों को अभी अधिसूचित किया जाना हो, वहां पारगमन आय को टैरिफ विनियमनों एवं सदृश मामलों में सीईआरसी के आदेशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। अन्तर, यदि कोई हो, को सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ आदेशों के प्रचालन पर हिसाब में लिया जाता है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में पारगमन आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष आधार पर उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। जैसा कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में पारेषण आय में ग्राहकों को दी गई सेवाओं के लिए प्रोद्भवन शामिल होता है, परन्तु यह बिलीकृत नहीं होता, अर्थात अबिलीकृत राजस्व। हालाँकि, सहायक कंपनियों के ट्रांसमिशन के मामले में ट्रांसमिशन शुल्क को अपनाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के तहत सीईआरसी द्वारा जारी आदेशों के आधार पर आय का लेखांकन किया जाता है।

जल्द भुगतान से लाभार्थियों को दी गयी प्रोत्साहन छूट को राजस्व राशि में काट दिया जाता है।

पारगमन सिस्टम प्रोत्साहन/विफलता को संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) द्वारा उपलब्धता के प्रमाणीकरण के आधार पर तथा सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। जहां आरपीसी का प्रमाणीकरण उपलब्ध नहीं हो, वहां, कम्पनी द्वारा उपलब्धता के अनुमान के अनुसार प्रोत्साहन/विफलता को अस्थायी आधार पर हिसाब में लिया जाता है तथा अन्तर, यदि कोई हो, को आरपीसी के प्रमाणीकरण पर हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम, (एएडी) जो ऋणों की चुकौती को सुगम बनाने के लिए ब्लॉक अवधि 2004–09 तक से संबंधित टैरिफ का मुख्य भाग है, को ट्रांसमिशन आय से कम किया गया था और आस्थगित आय के रूप में समझा गया था, जिसे बाद के वर्षों में ट्रांसमिशन आय में शामिल किया जाना है। एएडी के संबंध में बकाया आस्थगित आय को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें परिसंपत्ति को अधिकृत किया गया था, बारह वर्ष बाद वर्ष के दौरान टैरिफ में वसूली गई मूल्यहास की सीमा में ट्रांसमिशन आय के रूप में मया जाता है, जो खातों में प्रभारित मूल्यह्रास से कम होता है।

दूरसंचार सेवाएं

दूरसंचार सेवाओं, निष्क्रिय क्रेडिट के निवल से प्राप्त आय को ग्राहकों से हुए करारों/खरीद आदेशों की शर्तों के आधार पर मान्य किया जाता है। प्रयोगकर्त्ता को अलोप्य अधिकार (आईआरयू) प्रदान करने वाली दीर्घ अवधि संविदाओं के तहत अग्रिम में प्राप्त अपफ्रंट शुल्क को संविदा अवधि में राजस्व अनुमान के आधार पर राजस्व के रूप में मान्य किया जाता है।

परामर्शी सेवाएं

'लागत–जमा–परामर्शी संविदाओं' के संबंध में, जिसमें ग्राहक की ओर से निष्पादन शामिल है, राजस्व को रिपोर्टिंग तारीख में निष्पादित कार्य के समापन के स्तर के समानुपात में मान्य किया जाता है, जिसे इनपुट विधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

अन्य परामर्शी संविदाओं से प्राप्त आय को दी गई सेवाओं की प्रगति के तकनीकी मूल्यांकन पर हिसाब में लिया जाता है।

2.18.2 अन्य आय

ब्याज आय को तब मान्य किया जाता है जब प्रभावी ब्याज दर प्रणाली (ईआईआर) का प्रयोग करते हुए बकाया एवं अनुप्रयोज्य ब्याज दर राशि को हिसाब में लेते हुए समय अनुपात आधार पर मापीयता अथवा संग्रहयता के रूप में महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद न हो।

व्यापार प्राप्यों, परिसमाप्त क्षतियों, वारन्टी दावों और आपूर्तिकर्त्ताओं को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज से वसूलनीय अधिभार को तब मान्य किया जाता है; जब मापीयता और संग्रहायता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद न हो।

सीईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार लॉन्ग टर्म ओपन एक्सेस (एलटीओए) के लिए आवेदन शुल्क का लेखांकन प्राप्ति पर किया जाता है।

स्क्रैप, जो स्टील स्क्रैप एवं कंडक्टर स्क्रैप से भिन्न हो, को तभी हिसाब में लिया जाता है जब उसे बेचा जाता है।

लाभांश आय को तब मान्य किया जाता है जब भुगतान प्राप्ति के अधिकार को स्थापित किया जाता है।

लाभ की हानि हेतु बीमा दावों को स्वीकृति वर्ष में हिसाब में लिया जाता है। अन्य बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

किरायों एवं प्रचालन पट्टों से प्राप्त राजस्व को संगत करार की सार्थकता के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर मान्य किया जाता है।

2.19 सरकारी अनुदान

केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से परियोजनाओं, पारेषण प्रणालियों की बेहतरी तथा विशिष्ट मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में प्राप्त सहायता अनुदानों को शुरू में आस्थगित आय के रूप में समझा जाता है जब इसमें उचित आश्वासन किया गया हो कि उन्हें प्राप्त किया जाएगा और समूह अनुदान से जुड़े शर्तों का पालन करेगी। आस्थगित आय को और संबंधित परिसंपत्ति के उपयोगी कार्य अवधि पर उसी समानुपात में, जिसमें इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उपलब्ध हुआ है, लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुदान, जो उपगत व्ययों के संबंध में समूह की क्षतिपूर्ति

करता है, को उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिनमें संबंधित लागतें उपगत हुई हों और संबंधित व्यय में से कम किया जाता है।

2.20 लाभांश

शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्य किया जाता है जिसमें लाभांश को शेयरधारकों द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अदा किए गए किसी अन्तरिम लाभांश को निदेशक–मण्डल की मंजूरी पर मान्य किया जाता है। देय लाभांश, लाभांश वितरण पर तदनुरूपी कर को सीधे इक्विटी में मान्य किया जाता है।

2.21 प्रावधान और आकस्मिकताएं

क) प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब समूह के पास पिछले कार्य के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता (कानूनी अथवा रचनात्मक) हो, इसमें संभावना होती है कि आर्थिक लाभों को अंतःस्थापित करते हुए संसाधनों का बर्हिगमन बाध्यता के निपटान हेतु आवश्यक होगा और बाध्यता की राशि को तैयार किया जा सकेगा। यदि राशि के समयमान का प्रभाव महत्वपूर्ण हो, तो प्रावधानों में छूट दी जाती है। छूट में कमी को वित्त लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और वर्तमान उत्कृष्ट अनुमान को दर्शनि के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) आकस्मिकताएं

आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र तारीख पर इनकी समीक्षा की जाती है और चालू प्रबंधन अनुमान को लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं को तब प्रकट किया जाता है जब पिछले कार्यों से उत्पन्न कोई संभावित बाध्यता हो, जिसकी मौजूदगी को केवल एक अथवा अधिक अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति अथवा गैर उपस्थिति से निर्धारित किया जाएगा, न कि समूह के पूर्ण नियंत्रण में अथवा वर्तमान बाध्यता में, जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है, जहां दोनों में से यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बर्हिगमन निपटान हेतु आवश्यक होगा या फिर राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकेगा। आकस्मिक देयता संबंधी जानकारी को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां संभावित संपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ की आमद संभावित होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरणों में विकास उचित रूप से परिलक्षित होता है, इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है।

2.22 शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी

साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वर्धनात्मक लागतों को, जो सीधे नये शेयरों के निर्गम पर लागू होते हैं, प्राप्तियों से कर के निवल कटौती के रूप में इक्विटी में दर्शाया जाता है।

स्व–बीमा प्रारक्षित निधि को सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पट्टा प्राप्य के रूप में समझी गई सहित) के सकल ब्लॉक पर 0.12: प्रतिवर्ष की दर पर सृजित किया जाता है, जो अबीमाकृत जोखिमों से अगामी हानियों को कम करने के लिए चालू वर्ष के लाभ के विनियोजन द्वारा वर्ष की समाप्ति पर बीमा के अन्तर्गत आने वाले परिसंपत्तियों को छोड़कर और ए सी सब स्टेशन के टावरों एवं उपकरण को सुदृढ़ बनाने सहित टॉवरों एवं अन्य ट्रांसमिशन लाईन सामग्रियों के प्रापण द्वारा भविष्य में आकस्मिकताओं पर ध्यान देने के लिए किया जाता है। उपरोक्तानुसार सृजित प्राराक्षित निधि को ''अन्य इक्विटी'' के अन्तर्गत ''स्व बीमा प्रारक्षित निधि'' के रूप में दर्शाया जाता है।

2.23 पूर्व अवधि मुद्दे

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को दर्शाए गए पूर्व अवधि संबंधी तुलनात्मक राशियों का पुनः उल्लेख करते हुए जिसमें त्रुटि उत्पन्न हुई है, पूर्वप्रभावी प्रभाव से ठीक किया जाता है अथवा यदि त्रुटि, प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक अवधि से पहले उत्पन्न हो गई हो, तो वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण का पुनः उल्लेख करके ठीक किया जाता है।

2.24 प्रचालन खण्ड

समूह का निदेशक–मण्डल, भारतीय लेखाकरण मानक–108 ''प्रचालन खण्ड'' के संदर्भ में ''मुख्य प्रचालन निर्णायक'' अथवा ''सीओडीएम''' होता है। सीओडीएम संसाधन निर्धारण एवं निष्पादन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ अलग से अपने व्यावसायिक खण्डों के प्रचालन परिणामों को मॉनीटर करता है। खण्ड निष्पादन का मूल्यांकन लाभ अथवा हानि के आधार पर किया जाता है और सुसंगत रूप में वित्तीय विवरण ों में लाभ अथवा हानि में मूल्यांकित किया जाता है।

प्रचालन खण्डों की पहचान उत्पादों/सेवाओं के स्वरूप के आधार पर की गई है।

- खण्ड राजस्व में अन्तर–खण्ड लेन–देनों सहित्त खण्ड में सीधे अभिज्ञेय/निर्धार्य बिक्रियां और अन्य आय शामिल हैं।
- व्यय, जो सीधे खण्डों में अभिज्ञेय/निधार्य हों, को खण्ड परिणाम के निर्धारण हेतु समझा जाता है। व्यय, जो पूर्णतः समूह से संबंधित हो और खण्डों को आबंटन योग्य न हो, को अनिर्धार्य व्यय में शामिल किया जाता है।
- आय, जो पूर्णतः समूह से संबंधित हो और खण्डों हेतु निधार्य नहीं हो, को अनिर्धार्य आय में शामिल किया जाता है।

- खण्ड परिसंपत्तियों एवं देयताओं में वे परिसंपत्तियां एवं देयताएं शामिल हैं, जो संबंधित खण्डों में सीधे अभिज्ञेय हों। अनिर्धार्य आस्थतियां एवं देयताएं उन परिसंपत्तियों एवं देयताओं को दर्शातती करती हैं जो पूर्णतः कम्पनी से संबंधित हों और किसी खण्ड हेतु निधार्य नहीं हों।
- खण्ड पूंजी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अवधि के दौरान उपगत कुल लागत है।

2.25 प्रतिशेयर आय

प्रतिशेयर मूल आय को वर्ष हेतु शेयर धारकों को प्राप्य निवल लाभ अथवा हानि का प्रयोग करते हुए और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों के भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है।

प्रतिशेयर कम की गई आय को वर्ष हेतु शेयरधारकों को देय निवल लाभ तथा वर्ष के दौरान इक्विटी एवं संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है, सिवाय उनके, जिनके जहां परिणाम न्यूनीकृत रोधी होंगे।

अतिरिक्त रूप से, मूल एवं तनुकृत प्रतिशेयर अर्जनों को अर्जन राशियों का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है, जिसमें विनियामक आस्थगन लेखा शेष में घट–बढ़ शामिल नहीं हैं।

2.26 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण को भारतीय लेखाकरण मानक 7 ''नकदी प्रवाह विवरण'' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

2.27 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह) और बंद परिचालन

गैर–वर्तमान संपत्ति और निपटान समूहों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस शर्त को तभी पूरा माना जाता है जब संपत्ति (या निपटान समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूह) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों को उनकी अग्रणीत राशि और बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य से कम पर मापा जाता है और तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य पर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) के किसी प्रारंभिक या बाद के अवलेखन के लिए क्षति हानि की पहचान की जाती है। किसी परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की लागत घटाकर उचित मूल्य में किसी बाद की वृद्धि के लिए लाभ की पहचान की जाती है, लेकिन पहले से मान्यता प्राप्त किसी संचयी हानि से अधिक नहीं। एक गैर–वर्तमान संपत्ति (या निपटान समूह) की बिक्री की तारीख से पहले मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले लाभ या हानि को मान्यता रद्द करने की तारीख पर मान्यता प्राप्त है।

जब समूह एक बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध होता है जिसमें किसी सहायक कंपनी का नियंत्रण खो जाता है, तो उस सहायक कंपनी की सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जब ऊपर वर्णित मानदंड पूरे होते हैं, भले ही समूह बिक्री के बाद अपनी पूर्व सहायक कंपनी में गैर–नियंत्रित हित बरकरार रखे।

कोई बंद प्रचालन, समूह का एक घटक है जिसमें प्रचालन और नकदी प्रवाह शामिल होते हैं, जिन्हें बाकी कंपनी से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है, जिसे या तो निपटाया गया है, या बिक्री के लिए वर्गीकृत किया गया है, और

- व्यापार या प्रचालन के भौगोलिक क्षेत्र की एक अलग प्रमुख रेखा का प्रतिनिधित्व करता है;
- व्यापार की एक अलग प्रमुख लाइन या प्रचालन के भौगोलिक क्षेत्र को निपटाने के लिए एकुल समन्वित योजना का हिस्सा है; या
- पुनर्विक्रय की दृष्टि से विशेष रूप से अधिग्रहित सहायक कंपनी है।

बंद किए गए प्रचालन को जारी प्रचालन के परिणामों से बाहर रखा गया है और लाभ और हानि के विवरण में बंद किए गए प्रचालन से कर के बाद लाभ या हानि के रूप में एकुल राशि के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

2.28 व्यवसाय संसर्ग

व्यावसायिक संसर्ग का लेखांकन अधिग्रहण की तारीख के अनुसार अधिग्रहण लेखांकन पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, जो वह तारीख होती है जिस पर नियंत्रण समूह को हस्तांतरित किया जाता है। अधिग्रहण में हस्तांतरित प्रतिफल और अर्जित की गई निर्धार्य संपत्ति और ग्रहण की गई देयताओं को उनके अधिग्रहण की तारीख पर उचित मूल्यों पर मान्यता दी जाती है। प्रतिष्ठा को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जो अर्जित की गई शुद्ध निर्धार्य संपत्तियों और ग्रहण की गई देयताओं पर हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक होता है। जहां अर्जित शुद्ध निर्धार्य संपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक है, निवल संपत्तियों और आकस्मिक देयताओं के उचित मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद, अतिरिक्त को पूंजी प्रारक्षित निधि के रूप में मान्यता दी जाती है। अधिग्रहण संबंधी लागतें व्यय के अनुसार व्यय की जाती हैं।

3. महत्त्वपूर्ण अनुमान एवं मूल्यांकन

मेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु लेखाकरण अनुमानों का प्रयोग आवश्यक है, जो वास्तविक परिणामों से खासतौर पर भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन को भी समूह के लेखाकरण नीतियों को लागू करते समय मूल्यांकन को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।

यह टिप्पणी उन क्षेत्रों के अवलोकन की व्यवस्था प्रदान करता है जिनमें उच्च स्तर का मूल्यांकन अथवा जटिलता और वे मद्दे

शामिल है जिनकी अनुमानों और पूर्वानुमानों के कारण विशेष रूप से समायोजित किए जाने की अधिक संभावना है, जिनका मूल रूप से निर्धारित उन अनुमानों एवं पूर्वानुमानों से भिन्न होना प्रतीत होता है।

महत्वपूर्ण अनुमानों अथवा पूर्वानुमानों वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं:

राजस्व स्वीकरण:

पारेषण आय को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पारेषण परियोजनाओं के मामले में, जहां, अंतिम टैरिफ आदेशों को अभी अधिसूचित किया जाना हो, वहां पारेषण आय को टैरिफ विनियमनों और सदृश मामलों में सीईआरसी के अन्य आदेशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। अन्तर, यदि काई हो, को सीईआरसी द्वारा अंतिम आदेशों के प्रचालन पर ही हिसाब में लिया जाता है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में पारेषण आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष आधार पर उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

विनियामक आस्थगन शेष:

विनियामक आस्थगन शेष राशियों के स्वीकरण में महत्वपूर्ण मूल्यांकन शामिल है, जिनमें आगामी टैरिफ विनियमनों के बारे में मूल्यांकन शामिल हैं, क्योंकि ये भविष्य में टैरिफ के माध्यम से वसूलनीय/देय हेतु संभावित राशियों के अनुमान पर आधारित होते हैं।

निर्धारित लाभ बाध्यता का अनुमान

निर्धारित लाभ बाध्यता के अनुमान में कूछेक महत्त्वपूर्ण वास्तविक पूर्वानुमान शामिल हैं, जो टिप्पणी 65 में सूचीबद्ध हैं।

अनुमानों और मूल्यांकनों का आवधिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। वे एतिहासिक अनुभव एवं अन्य कारकों पर आधारित होते हैं, जिनमें, आगामी घटनाओं की प्रत्याशाएं शामिल हैं, जिनका समूह पर वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है और उन्हें परिस्थितियों में उचित होना माना जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयोगी कार्य अवधि

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि कई कारकों पर आधारित होती है; जिसमें अपक्षय का प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा एवं अन्य आर्थिक कारण (जैसे कि उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकीय अग्रिम) और परिसंपत्ति से प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रखरखाव व्यय के स्तर शामिल हैं।

समूह पारेषण कार्य परिसंपत्तियों से भिन्न उपयोगी संयंत्र एवं उपकरण की जो सीईआरसी विनियमों द्वारा अधिशासित हैं और पूर्वप्रभावी प्रभाव से, यदि उपयुक्त हो, समायोजित किया जाता है, प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में पुनरीक्षा की जाती है।

प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं के स्वीकरण में किए गए मूल्यांकन भारतीय लेखाकरण मानक 37 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां'' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा संभावित हानि के प्रकटन की संभाव्यता के संबंध में बेहतर मूल्यांकन अपेक्षित है। यदि अप्रत्याशित विकास के बाद परिस्थितियों बदल सकती हैं, तो यह संभावना बदल सकती है।

बिक्री के लिए धारित गई संपत्तियां

भारतीय ले.मा. 105– ''बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान संपत्ति और बंद प्रचालन' के तहत बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के लेखांकन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। प्रयोज्यता का आकुलन करने में, प्रबंधन ने तत्काल बिक्री के लिए संपत्ति की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय का प्रयोग किया है, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्ध ता और एक वर्ष के भीतर बिक्री की संभावना का निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से जारी रखने के बजाय मुख्य रूप से वसूल की जाएगी।

आय कर

अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान, वसूली की अपेक्षित राशि सहित वर्तमान और आस्थगित कर के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।

टिप्पणी 4 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित मूल्यह्रास					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
भूमि												
पूर्ण स्वामित्व	2,407.23	39.54	-	(4.53)	2,451.30	-	-	-	-	-	2,451.30	2,407.23
भवन												
क) सब–स्टेशन एवं कार्यालय	2,908.33	133.21	-	(2.40)	3,043.94	388.56	109.12	-	(1.55)	499.23	2,544.71	2,519.77
ख) नगर	776.98	81.14	-	(0.07)	858.19	173.04	34.75	-	-	207.79	650.40	603.94
अस्थायी निर्माण	1.38	0.62	-	-	2.00	1.38	0.62	-	-	2.00	-	-
सड़क एवं पुल	327.03	8.23	-	(0.02)	335.28	57.30	12.88	-	-	70.18	265.10	269.73
जल आपूर्ति जल निकासी एवं मल निकासी व्यवस्था	177.25	20.33	-	-	197.58	32.60	7.04	-	-	39.64	157.94	144.65
संयंत्र एवं उपकरण												
क) ट्रांसमिशन	155,094.80	2,166.08	10.98	(1,020.13)	158,270.03	43,431.12	7,901.45	4.24	(0.85)	51,329.18	106,940.85	111,663.68
ख) सब स्टेशन	92,813.17	3,134.81	116.60	(372.31)	96,203.69	24,250.72	5,118.99	91.03	(3.99)	29,282.67	66,921.02	68,562.45
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	1,727.62	200.66	-	8.46	1,919.82	469.75	107.25	-	(0.23)	577.23	1,342.59	1,257.87
घ) दूरसंचार	1,508.62	107.65	-	(5.70)	1,621.97	709.12	113.64	-	0.16	822.60	799.37	799.50
फर्नीचर फिक्सचर्स	191.33	16.15	2.46	0.05	204.97	61.97	29.08	1.06	0.05	89.94	115.03	129.36
वाहन	5.03	1.07	0.41	-	5.69	1.44	0.73	0.09	-	2.08	3.61	3.59
कार्यालय उपकरण	291.29	42.88	2.46	(0.59)	332.30	88.59	111.20	0.91	(0.16)	199.04	133.26	202.70
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एवं वर्ड प्रोसेसिंग मशीन	225.82	20.02	8.25	-	237.59	157.61	47.59	6.77	0.01	198.42	39.17	68.21
निर्माण और कर्मशाला के उपकरण	616.36	8.72	1.43	(0.29)	623.94	137.17	32.77	0.65	(0.08)	169.37	454.57	479.19
वैद्युत प्रतिष्ठापन	166.13	14.92	-	(0.32)	181.37	48.39	11.47	-	0.03	59.83	121.54	117.74
प्रयोगशाला उपकरण	91.53	1.20	0.01	0.26	92.46	27.04	4.01	0.01	0.04	31.00	61.46	64.49
कर्मशाला एवं परीक्षण के उपकरण	351.84	27.00	0.05	(1.49)	380.28	75.71	21.96	0.01	(0.26)	97.92	282.36	276.13
विविध परिसंपत्तियां/उपकरण	0.23	0.48	-	-	0.71	0.03	0.02	-	-	0.05	0.66	0.20
उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति												
क) आरओयू परिसंपत्ति – पट्टे पर धारित भूमि	565.86	15.80	0.10	14.74	566.82	91.09	17.80	0.01	0.88	108.00	458.82	474.77
ख) आरओयू परिसंपत्ति – भवन	13.15	2.45	1.89	-	13.71	8.45	2.38	1.87	-	8.96	4.75	4.70
ग) आरओयू परिसंपत्ति – संयंत्र एवं मशीनरी – दूरसंचार	0.22	23.33	-	-	23.55	0.03	0.37	-	-	0.40	23.15	0.19
घ) आरओयू परिसंपत्ति – वाहन	-	6.03	-	-	6.03	-	0.30	-	-	0.30	5.73	-
कुल	**260,261.20**	**6,072.32**	**144.64**	**(1,384.34)**	**267,573.22**	**70,211.11**	**13,685.42**	**106.65**	**(5.95)**	**83,795.83**	**183,777.39**	**190,050.09**
घटाएं –हटाई गई परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	1.74	-	-	1.74	-	-	-	-	-	-	-	1.74
कुल योग	**260,259.46**	**6,072.32**	**144.64**	**(1,386.08)**	**267,573.22**	**70,211.11**	**13,685.42**	**106.65**	**(5.95)**	**83,795.83**	**183,777.39**	**190,048.35**

टिप्पणी 4 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित मूल्यह्रास					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2022 को	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
भूमि												
पूर्ण स्वामित्व	2,385.58	26.44	-	4.79	2,407.23	-	-	-	-	-	2,407.23	2,385.58
भवन												
क) सब–स्टेशन एवं कार्यालय	2,288.40	588.44	-	(31.49)	2,908.33	287.26	97.29	0.09	(4.10)	388.56	2,519.77	2,001.14
ख) नगर	687.43	90.68	0.04	1.09	776.98	143.48	29.32	0.03	(0.27)	173.04	603.94	543.95
अस्थायी निर्माण	1.38	-	-	-	1.38	1.36	0.02	-	-	1.38	-	0.02
सड़क एवं पुल	263.87	63.83	-	0.67	327.03	44.84	12.46	-	-	57.30	269.73	219.03
जल आपूर्ति जल निकासी एवं मल निकासी व्यवस्था	120.56	56.68	-	(0.01)	177.25	26.43	6.18	0.01	-	32.60	144.65	94.13
संयंत्र एवं उपकरण												
क) ट्रांसमिशन	144,956.58	9,833.25	51.61	(356.58)	155,094.80	35,739.77	7,735.30	37.12	6.83	43,431.12	111,663.68	109,216.81
ख) सब स्टेशन	83,410.97	9,254.95	22.61	(169.86)	92,813.17	19,397.62	4,869.10	11.05	4.95	24,250.72	68,562.45	64,013.35
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	1,482.37	242.74	-	(2.51)	1,727.62	369.51	100.13	0.01	(0.12)	469.75	1,257.87	1,112.86
घ) दूरसंचार	1,305.38	204.15	-	0.91	1,508.62	595.89	113.80	-	0.57	709.12	799.50	709.49
फर्नीचर फिक्सचर्स	160.16	30.62	1.06	(1.61)	191.33	48.96	12.79	0.20	(0.42)	61.97	129.36	111.20
वाहन	3.40	1.78	0.15	-	5.03	1.28	0.29	0.13	-	1.44	3.59	2.12
कार्यालय उपकरण	246.60	46.94	1.99	0.26	291.29	71.18	18.15	0.78	(0.04)	88.59	202.70	175.42
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एवं वर्ड प्रोसेसिंग मशीन	243.59	17.96	35.66	0.07	225.82	138.52	51.72	32.58	0.05	157.61	68.21	105.07
निर्माण और कर्मशाला के उपकरण	599.87	18.21	1.46	0.26	616.36	104.33	33.32	0.30	0.18	137.17	479.19	495.54
वैद्युत प्रतिष्ठापन	154.57	10.81	0.01	(0.76)	166.13	39.54	8.81	-	(0.04)	48.39	117.74	115.03
प्रयोगशाला उपकरण	87.85	3.73	0.01	0.04	91.53	22.44	4.60	-	-	27.04	64.49	65.41
कर्मशाला एवं परीक्षण के उपकरण	325.97	27.33	0.22	1.24	351.84	57.28	18.37	0.07	(0.13)	75.71	276.13	268.69
विविध परिसंपत्तियां/उपकरण	0.46	0.23	-	0.46	0.23	0.08	0.03	0.01	0.07	0.03	0.20	0.38
उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति												
क) आरओयू परिसंपत्ति–पट्टे पर धारित भूमि	539.88	25.18	-	(0.80)	565.86	72.14	18.95	-	-	91.09	474.77	467.74
ख) आरओयू परिसंपत्ति–भवन	13.55	1.00	1.15	0.25	13.15	5.99	3.73	1.03	0.24	8.45	4.70	7.56
ग) आरओयू परिसंपत्ति–संयंत्र एवं मशीनरी–दूरसंचार	0.27	0.01	0.06	-	0.22	0.06	0.03	0.06	-	0.03	0.19	0.21
कुल	**239,278.69**	**20,544.96**	**116.03**	**(553.58)**	**260,261.20**	**57,167.96**	**13,134.39**	**83.47**	**7.77**	**70,211.11**	**190,050.09**	**182,110.73**
घटाएं–हटाई गई परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	1.74	-	-	-	1.74	-	-	-	-	-	1.74	1.74
कुल योग	**239,276.95**	**20,544.96**	**116.03**	**(553.58)**	**260,259.46**	**57,167.96**	**13,134.39**	**83.47**	**7.77**	**70,211.11**	**190,048.35**	**182,108.99**

टिप्पणी 4 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

अतिरिक्त टिप्पणी

क) समूह के पास 7,873 हेक्टेयर भूमि है (पूर्ववर्ती वर्ष 7,667 हेक्टेयर) जो रू 3,018.12 करोड़ की है (पूर्ववर्ती वर्ष रू 2,973.09 करोड़) जिसे 6,582 हेक्टेयर भूमि के पूर्ण स्वामित्व में वर्गीकृत किया गया है (पूर्ववर्ती वर्ष 6,416 हेक्टेयर), जो रू 2,451.30 करोड़ की है (पूर्ववर्ती वर्ष 2,407.23 करोड़) और पट्टायुक्त भूमि 1,291 हेक्टेयर है (पूर्ववर्ती वर्ष 1,251 हेक्टेयर), जो रू 566.82 करोड़ की है (पूर्ववर्ती वर्ष रू 565.86 करोड़), जो उपलब्ध प्रलेखन पर आधारित है।

ख) समूह द्वारा अर्जित पूर्ण स्वामित्व की भूमि में रू 198.93 हेक्टेयर (पूर्ववर्ती वर्ष रू 32.27 हेक्टेयर) शामिल है, जिसकी राशि की रू 48.01करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रू 9.13 करोड़) है। जिसके संबंध में समूह के पक्ष में हस्तान्तरण विलेख लंबित है।

ग) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित पारेषण प्रणाली को समूह द्वारा 1 अप्रैल, 1993 से नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचपीसी) से कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तथा आपसी रूप से सहमत शर्तों पर अपने अधिकार में लिया है।

घ) पट्टाधारी भूमि, जिसमें 1.26 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है (पूर्ववर्ती वर्ष 83.40 हेक्टेयर), जो रू 154.72 करोड़ की है (पूर्ववर्ती वर्ष रू 148.75 करोड़), जो कम्पनी द्वारा स्थायी पट्टा आधार पर ग्रहण की गयी थी अतः परिशोधित नहीं की गयी।

च) 5.63 हेक्टेयर भूमि (पूर्ववर्ती वर्ष 5.63 हेक्टेयर), जिसका मूल्य रू 0.04 करोड़ है (पूर्ववर्ती वर्ष रू 0.04 करोड़), जिसे स्वामित्व प्रदान किए बगैर प्रयोगाधिकार पर नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब्रोटरी प्रा. लि. को हस्तान्तरित किया गया है।

छ) भा.ले.मा. 116–''पट्टे' के अनुसार उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति पर प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी सं 51 देखें।

ज) समूह द्वारा सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की जानकारी के लिए टिप्पणी संख्या 23 देखें।

टिप्पणी 5 कार्यशील पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन	पट्टा प्राप्यों में अंतरित	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2023 को
भूमि						
भूमि का विकास	-	-	-	-	-	**-**
भवन						
क) सब–स्टेशन एवं कार्यालय	73.81	88.63	2.20	-	100.79	**59.45**
ख) नगर	77.91	55.55	9.53	-	56.11	**67.82**
अस्थायी निर्माण	-	0.29	-	-	0.29	**-**
सड़क एवं पुल	12.30	3.96	12.00	-	4.10	**0.16**
जल आपूर्ति निकासी एवं मल व्यवस्था	0.98	4.98	(1.29)	-	4.53	**2.72**
संयंत्र एवं उपकरण (संबद्ध सिविल कार्यों सहित)						
क) ट्रांसमिशन	3,526.34	2,757.18	2.30	597.17	1,847.33	**3,836.72**
ख) सब–स्टेशन	3,746.06	2,337.86	3.31	807.83	2,688.18	**2,584.60**
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	251.38	178.87	(3.35)	33.82	171.44	**228.34**
घ) दूरसंचार	61.34	86.22	-	-	94.01	**53.55**
फर्नीचर एवं फिक्सचर	-	0.32	-	0.29	0.03	**-**
अन्य कार्यालय उपकरण	1.02	0.03	-	-	0.03	**1.02**
वैद्युत प्रतिष्ठापन	2.62	9.99	0.01	-	10.71	**1.89**
निर्माण सामग्री (निवल प्रावधान)	3,452.65	4,868.10	2,953.56	-	-	**5,367.19**
आबंटन होने तक व्यय						
I) सर्वे, जांच, परामर्श सेवा एवं पर्यवेक्षण व्यय	3.43	1.10	-	-	2.83	**1.70**
II) विदेशी मुद्रा ऋणों संबंधी विनिमय में अन्तर	12.00	2.45	-	-	-	**14.45**
III) निर्माण अवधि के दौरान व्यय (निवल) (टिप्पणी 43)	1,580.32	743.60	62.22	172.62	567.45	**1,521.63**
	12,802.16	**11,139.13**	**3,040.49**	**1,611.73**	**5,547.83**	**13,741.24**
घटाएं : अप्रयोज्य परिसंपत्तियों संबंधी प्रावधान	2.26	-	2.26	-	-	**-**
कुल योग	**12,799.90**	**11,139.13**	**3,038.23**	**1,611.73**	**5,547.83**	**13,741.24**

टिप्पणी 5 कार्यशील पूंजी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन	पट्टा प्राप्यों में अंतरित	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2022 को
भूमि						
भूमि का विकास	7.13	-	7.13	-	-	**-**
भवन						
क) सब–स्टेशन एवं कार्यालय	75.00	480.54	(2.10)	-	483.83	**73.81**
ख) नगर	166.24	38.47	36.62	-	90.18	**77.91**
सड़क एवं पुल	28.86	0.48	12.35	-	4.69	**12.30**
जल आपूर्ति निकासी एवं मल व्यवस्था	4.12	0.74	1.02	-	2.86	**0.98**
संयंत्र एवं उपकरण (संबद्ध सिविल कार्यों सहित)						
क) ट्रांसमिशन	8,365.62	3,561.68	-	179.16	8,221.80	**3,526.34**
ख) सब–स्टेशन	8,241.22	3,973.33	(1.06)	-	8,469.55	**3,746.06**
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	254.86	218.80	-	44.48	177.80	**251.38**
घ) दूरसंचार	130.07	166.73	60.26	-	175.20	**61.34**
फर्नीचर एवं फिक्सचर	-	0.54	-	-	0.54	**-**
अन्य कार्यालय उपकरण	0.20	2.99	-	-	2.17	**1.02**
इलेक्ट्रिकुल संस्थापन	2.64	0.62	0.12	-	0.52	**2.62**
निर्माण सामान (निवल प्रावधान)	4,288.03	2,665.61	3,500.99	-	-	**3,452.65**
आबंटन होने तक व्यय						
I) सर्वे, जांच, परामर्श सेवा एवं पर्यवेक्षण व्यय	2.63	1.11	0.23	-	0.08	**3.43**
II) विदेशी मुद्रा ऋणों संबंधी विनिमय में अन्तर	36.46	34.50	-	-	58.96	**12.00**
III) निर्माण अवधि के दौरान व्यय (निवल) (टिप्पणी 43)	3,078.98	1,056.97	32.09	30.25	2,493.29	**1,580.32**
	24,682.06	**12,203.11**	**3,647.65**	**253.89**	**20,181.47**	**12,802.16**
घटाएं : अप्रयोज्य परिसंपत्तियों संबंधी प्रावधान	2.26	-	-	-	-	**2.26**
कुल योग	**24,679.80**	**12,203.11**	**3,647.65**	**253.89**	**20,181.47**	**12,799.90**

टिप्पणी 5 कार्यशील पूंजी (जारी)

(निर्माण सामग्री के ब्यौरे) (लागत पर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
निर्माण सामान		
टॉवर	**986.62**	745.55
कंडक्टर	**1,457.32**	890.94
अन्य लाइन सामग्रियां	**336.94**	264.89
सब स्टेशन उपकरण	**2,128.35**	1,162.14
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) उपकरण	**18.50**	151.28
एकीकृत्त लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**242.66**	144.88
दूरसंचार सामग्री	**176.87**	60.12
अन्य	**19.93**	32.85
योग	**5,367.19**	**3,452.65**
निर्माण सामान में शामिल है :		
i) मार्गस्थ सामग्री		
टॉवर	**78.18**	-
कंडक्टर	**128.78**	-
अन्य लाइन सामग्रियां	**46.72**	-
सब – स्टेशन उपकरण	**183.09**	20.49
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) उपकरण	**0.27**	-
एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**1.84**	0.44
दूरसंचार सामग्री	**90.66**	-
योग	**529.54**	**20.93**
ii) ठेकेदार के पास सामग्री		
टॉवर	**908.44**	745.55
कंडक्टर	**1,328.54**	890.94
अन्य लाइन सामग्रियां	**290.22**	264.89
सब–स्टेशन उपकरण	**1,945.26**	1,141.65
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) उपकरण	**18.23**	151.28
एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**240.82**	144.44
दूरसंचार सामग्री	**86.21**	60.12
अन्य	**19.93**	32.85
योग	**4,837.65**	**3,431.72**
कुल योग	**5,367.19**	**3,452.65**

अतिरिक्त टिप्पणी:

1. अधिकृत लाइनों के संबंध में रू 9.73 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रू 1.30 करोड़) की राशि की सामग्री ठेकेदारों के पास लेखासमाधान हेतु लंबित है तथापि, लेखा समाधान सतत आधार पर किया जाता है।
2. प्रगति में पूंजीगत कार्य के लम्बित होने की जानकारी के लिये (सीडब्ल्यूआईपी) संदर्भ टिप्पणी सं 66 (क) में देखें। ऐसी परियोजनाएँ जिनका पूरा होना अतिदेय है या मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है। सीडब्ल्यूआईपी समापन कार्यक्रम के लिए टिप्पणी संख्या 66 (ख) देखें।

टिप्पणी 6 निवेश सम्पत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023को	31 मार्च, 2023को	31 मार्च, 2022 को
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 202 को	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02
भवन	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-		-	-	0.01
योग	**0.03**	**-**	**-**	**0.03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.03**

अतिरिक्त टिप्पणी:

संपत्ति का उपयोग अब कंपनी के प्रशासनिक/व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और किराये या पूंजी वृद्धि के लिए नहीं रखा गया है। चूंकि भा.ले.मा. 40 ''निवेश संपत्ति' के अनुसार संपत्ति के उपयोग में परिवर्तन होता है, संपत्ति को पिछले वर्ष के दौरान निवेश संपत्ति से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरित करके मालिक के कब्जे वाली संपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

टिप्पणी 7 अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	79.47	8.87	0.02	-	88.32	68.90	7.50	0.02	-	76.38	11.94	10.57
मार्गाधिकार–वनरोपण व्यय	2,312.68	53.31	-	-	2,365.99	630.76	117.25	-	(0.01)	748.02	1,617.97	1,681.92
दूरसंचार लाइसेंस	2.80	5.30	-	-	8.10	0.69	0.38	-	-	1.07	7.03	2.11
1200 केवी टीएस का विकास	71.86	-	-	-	71.86	41.97	7.23	-	-	49.20	22.66	29.89
योग	**2,466.81**	**67.48**	**0.02**	**-**	**2,534.27**	**742.32**	**132.36**	**0.02**	**(0.01)**	**874.67**	**1,659.60**	**1,724.49**

* आंतरिक रूप से तैयार की गई अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2022 को	1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	68.01	6.37	-	(5.09)	79.47	57.43	6.38	-	(5.09)	68.90	10.57	10.58
मार्गाधिकार – वनरोपण व्यय	2,078.60	224.48	-	(9.60)	2,312.68	511.62	113.48	0.39	(6.05)	630.76	1,681.92	1,566.98
दूरसंचार लाइसेंस	2.80	-	-	-	2.80	0.55	0.14	-	-	0.69	2.11	2.25
1200 केवी टीएस का विकास	71.86	-	-	-	71.86	34.72	7.25	-	-	41.97	29.89	37.14
योग	**2,221.27**	**230.85**	**-**	**(14.69)**	**2,466.81**	**604.32**	**127.25**	**0.39**	**(11.14)**	**742.32**	**1,724.49**	**1,616.95**

* आंतरिक रूप से तैयार की गई अमूर्त परिसंपत्तियां

टिप्पणी 8 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2022	परिवर्धन	समायोजन	पट्टा प्राप्य में स्थानांतरित किया गया	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2023 को
मार्गाधिकार – वनरोपण व्यय	53.70	29.46	-	6.94	45.14	31.08
योग	**53.70**	**29.46**	**-**	**6.94**	**45.14**	**31.08**

विवरण	1 अप्रैल, 2021	परिवर्धन	समायोजन	पट्टा प्राप्य में स्थानांतरित किया गया	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2022 को
मार्गाधिकार – वनरोपण व्यय	157.99	45.59	0.10	-	149.78	53.70
योग	**157.99**	**45.59**	**0.10**	**-**	**149.78**	**53.70**

अतिरिक्त टिप्पणियाँ:

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की उम्र बढ़ने के लिए टिप्पणी संख्या 66 (ग) देखें और उन परियोजनाओं के लिए विकास पूर्णता अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति के लिए संख्या 66(घ) देखें जिनकी पूर्णता अतिदेय है या मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक है।

टिप्पणी 9क इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
इक्विटी लिखतों में निवेश (पूर्ण प्रदत्त)		
गैर उद्धृत		
ii) संयुक्त उद्यम कंपनियाँ		
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 23400000 (पिछले वर्ष 23400000) इक्विटी शेयर	35.41	34.32
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 70937620 (पिछले वर्ष 70937620) इक्विटी शेयर	84.35	80.18
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 120120000 (पिछले वर्ष 120120000) इक्विटी शेयर	161.28	144.99
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 229320000 (पिछले वर्ष 229320000) इक्विटी शेयर	474.12	477.91
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 106964000 (पिछले वर्ष 106964000) इक्विटी शेयर	139.74	128.81
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 304000000 (पिछले वर्ष 304000000) इक्विटी शेयर	-	14.24
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 12612473 (पिछला वर्ष 12612473) इक्विटी शेयर	34.09	32.99
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 463610000 (पिछला वर्ष 463610000) इक्विटी शेयर (नीचे टिप्पणी 3 देखें)	292.45	423.03
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 334127260 (पिछले वर्ष 322535036) इक्विटी शेयर	479.59	512.09
बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 2500 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.02	-
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड नेपीली रू100 प्रत्येक के 1170000 (पिछले वर्ष 1170000) इक्विटी शेयर	13.60	12.65
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड रू10 प्रत्येक के 4000000 (पिछले वर्ष 4000000) इक्विटी शेयर (नीचे टिप्पणी 2 देखें)	-	-
कुल	**1,714.65**	**1,861.21**

टिप्पणी 9क इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यमों में निवेश (जारी)

अतिरिक्त टिप्पणी:

1) निवेशों का मूल्यांकन लेखाकरण नीति 2.2 एवं 2.14 के अनुसार किया गया है।

2) पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने 01.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल) को बंद करने और अन्य जेवी पार्टनर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहमति लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 08.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में आरपीटीपीएल की कार्यवाही को बंद करने और आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए इस्पात मंत्रालय से दिनांक 11.07.2022 को अनुमोदन प्राप्त हुआ था। तथापि, इसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी, क्योंकि साइट सक्षमकारी कार्यों के संविदाकार ने दिनांक 17.12.2022 को मध्यस्थता का आह्वान करते हुए नोटिस सुपुर्द किया। सुलहकर्ता की नियुक्ति की गई है और सुलह की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3) कंपनी ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) में पिछले वर्ष के दौरान रू 407.49 करोड़ का निवेश किया है, जिससे उसकी हिस्सेदारी 5.71 प्रतिशत से बढ़कर 33.33 प्रतिशत हो गई है। ईईएसएल को संयुक्त उद्यम माना गया है। 01.09.2021 के रूप में संयुक्त नियंत्रण को अनुबंध दिनांक 01.09.2021 के माध्यम से बहाल कर दिया गया है।

टिप्पणी 9 निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
इक्विटी लिखतों में निवेश (पूर्ण प्रदत्त)		
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		
उद्धृत		
पीटीसी इंडिया लिमिटेड		
रू10 प्रत्येक के 12000006 (पिछला वर्ष 12000006) इक्विटी शेयर	102.06	98.69
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (पीजी इनविट) की इकाइयों में निवेश 136500100 (पिछले वर्ष 136500100) यूनिट	1,672.40	1,827.74
अन्य		
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (रू10/–) रू10 प्रत्येक का 1 (पिछले वर्ष 1) शेयर	0.00	0.00
कुल	**1,774.46**	**1,926.43**

अतिरिक्त टिप्पणी:

(₹ करोड़ में)

1)	क) उद्धृत निवेश की संचित राशि		
	लागत पर	1,367.04	1,377.00
	बाजार मूल्य	1,774.46	1,926.43
	ख) अनुद्धृत निवेश की संचित राशि	-	-

2) निवेशों का मूल्यांकन लेखाकरण नीति 2.2 एवं 2.14 के अनुसार किया गया है।

टिप्पणी 10क व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
व्यापार प्राप्य – अप्रतिभूत		
शोध्य समझे गए	733.18	-
कुल	**733.18**	**-**

अतिरिक्त टिप्पणी:

विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 को विद्युत मंत्रालय द्वारा 03 जून 2022 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें प्रावधान है कि वितरण लाइसेंस धारियों के विकल्प पर, उक्त अधिसूचना की तिथि तक विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएससी) सहित बकाया देय राशि उक्त नियमों में निर्धारित तरीके से अधिकतम 48 माह की अवधि तक पुनः निर्धारित की जाएगी और उन बकाया देय राशियों पर कोई एलपीएससी नहीं लिया जाएगा। उपरोक्त के अनुसरण में, कुछ वितरण लाइसेंसधारियों ने सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी के साथ अपनी बकाया देय राशि के पुनः निर्धारण का विकल्प चुना है। लागू भारतीय लेखाकरण मानकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी के बकाया हिस्से को व्यापार प्राप्य (गैर–चालू/चालू) के तहत उनके उचित मूल्य पर प्रस्तुत किया गया है। परिणामस्वरूप, रू165.16 करोड़ की उचित मूल्य अंतर राशि को अन्य व्यय (टिप्पणी संख्या 40 देखें) के रूप में लिया गया है और रू 83.06 करोड़ की राशि को अन्य आय (टिप्पणी संख्या 36 देखें) के रूप में लिया गया है।

टिप्पणी 10क व्यापार प्राप्य (जारी)

व्यापार प्राप्तियों की एजेईंग इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

विवरण		बिल नहीं भेजा गया	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023 तक									
शोध्य समझे गए	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	733.18	-	-	-	-	-	733.18
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल		**-**	**733.18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**733.18**
31.03.2022 तक									
शोध्य समझे गए	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी: 10 ऋण

(शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹ in crore)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
संबंधित पक्षों को ऋण*		
संयुक्त उद्यमों को ऋण– अप्रतिभूत		
शोध्य समझे गए	-	17.48
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	15.02	-
	15.02	**17.48**
घटाएं: हानि भत्ता**	15.02	-
	-	**17.48**
निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को ऋण		
प्रतिभूत#	-	-
अप्रतिभूत	-	0.03
	-	**0.03**
	-	**17.51**
कर्मचारियों को ऋण (उद्भूत ब्याज सहित)		
प्रतिभूत#	404.22	352.86
अप्रतिभूत	42.22	36.08
	446.44	**388.94**
कुल	**446.44**	**406.45**

अतिरिक्त टिप्पणी :

* संबंधित पक्षों को ऋण के ब्यौरे टिप्पणी 57 पर उपलब्ध हैं।

** क्षति के लिए भत्ते के समाधान हेतु टिप्पणी 63(vi) देखें।

निदेशकों, एमपी तथा कर्मचारियों को गृह–निर्माण ऋण एवं वाहन अग्रिम गृह सम्पत्तियों के बंधक अथवा वाहनों के रेहन के संबंध में प्रतिभूत होते हैं जिसके लिए ऐसे ऋण कम्पनी के नीतियों के अनुपालन में दिए गए हैं।

टिप्पणी 11 अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

(शोध्य समझे गए अप्रतिभूत, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टा प्राप्य	2,426.01	1,028.76
12 माह से अधिक की समय अवधि वाली बैंक जमा राशियांरु	39.90	74.83
भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से चालू बाण्डों के लिए वसूलनीयरुरु	3,487.50	3,487.50
अन्य	0.04	0.07
योग	**5,953.45**	**4,591.16**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

परामर्शी कार्य हेतु नामोदिष्ट खाते के संबंध में बैंक में जमा राशि।

वित्त वर्ष 2018–19 में, कम्पनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के पत्र सं. 7/1/2018–का.ज्ञा. दिनांक 21 जनवरी, 2019 के अनुसार पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्रतिभूत देयताओं को पूरा करने के लिए पावर सिस्टम डेवलमेंट फण्ड (पीएसडीएफ) की भारत सरकार की योजना हेतु अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) बढ़ाने के लिए रू 3487.50 करोड़ की राशि के लिए ''भारत सरकार के पूर्ण प्रचलित बाण्ड'' जारी किए। ऐसे बाण्डों पर मूल की चुकौती एवं ब्याज भुगतान को भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। बाण्ड निर्गम की आय में से रू 3487.50 करोड़ की राशि को सहायता अनुदान के रूप में स्वीकार किया गया है।

टिप्पणी 12 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(अप्रतिभूत शोध्य समझी गई जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पूंजी व्यय हेतु अग्रिम		
अप्रतिभूत		
क. बैंक गारण्टियों के संबंध में	906.56	317.19
ख. अन्य	73.21	127.71
संदिग्ध समझे गए अप्रतिभूत	1.19	1.19
	980.96	**446.09**
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान	1.19	1.19
	979.77	444.90
पूंजी व्यय से भिन्न अग्रिम		
प्रतिभूति जमा	17.68	25.53
आस्थगित कर्मचारी लागत	44.32	36.62
आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति	4,427.75	4,268.56
वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम अथवा मूल्य में प्राप्त किए जाने हेतु अग्रिम कर्मचारी		
कर्मचारी	-	0.01
सीमाशुल्क पत्तन न्यास एवं अन्य प्राधिकरणों में शेष	10.76	16.65
अग्रिम कर, स्रोत पर काटे गए कर एवं अन्य कर रु	44.05	148.57
अन्य*		
शोध्य समझे गए	36.92	36.82
संदिग्ध समझे गए	0.37	0.37
	37.29	**37.19**
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान	0.37	0.37
	36.92	36.82
	91.73	202.05
योग	**5,561.25**	**4,977.66**

अतिरिक्त टिप्पणी:

** अन्य में ग्राहकों एवं राज्य सरकारों से वसूलनीय राशि, बीमा दावे, आदि शामिल हैं।

निवल चालू कर देयताएं – टिप्पणी 33

टिप्पणी 13 माल-सूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(मूल्यांकन विधि के लिए टिप्पणी 2.11 देखें)		
संघटक, पुर्जे एवं अन्य अतिरिक्त पुर्जे	1,310.59	1,325.54
खुले औजार	26.98	26.94
खपत योग्य सामान	9.44	11.56
	1,347.01	**1,364.04**
घटांए : कमी/क्षतियों आदि हेतु प्रावधान	7.06	6.87
योग	**1,339.95**	**1,357.17**

टिप्पणी 14 व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
व्यापार प्राप्य अप्रतिभूत		
शोध्य समझे गए	12,956.04	9,181.85
अशोध्य समझे गए	296.93	300.77
	13,252.97	**9,482.62**
संबंधित पक्षों से प्राप्तियोग्य अप्रतिभूत		
शोध्य समझा गया	5.31	7.48
	13,258.28	**9,490.10**
घटाएं : हानि भत्ता	296.93	300.77
योग	**12,961.35**	**9,189.33**

अतिरिक्त टिप्पणी:

क) आईएनडी एएस 445 के अनुसार प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी सं 47 ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व और संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्तियों के विवरण के लिए टिप्पणी सं 57 देखें।

ख) व्यापार प्राप्तियों में 8,558.49 करोड़ (पिछले वर्ष 4,662.11 करोड़) की राशि के पारेषण खंड से संबंधित बिना बिल प्राप्तियां शामिल हैं, जिसमें से मार्च महीने के लिए पिछले तिमाहियों के बकाया बिलों सहित, वित्तीय वर्ष की राशि 7,094.28 करोड़ (पिछले वर्ष 3,156.56 करोड़) शामिल हैं। लाभार्थियों को बाद के वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने में बिल किया गया। व्यापार प्राप्य में डीआईसी को अंतरित की जाने वाली गैर–टैरिफ आय रू 2.44 करोड़ (पिछले वर्ष रू 35.25 करोड़) शामिल है, जिसे अबिलीकृत प्राप्य के सापेक्ष घटाया गया है क्योंकि इसे निवल आधार पर बिलीकृत किया जाएगा।

ग) कंपनी, बैंकों और लाभार्थियों के बीच व्यवस्था के आधार पर, लाभार्थियों के बिलों में छूट दी गई है। तद्नुसार, व्यापार प्राप्य राशि को 1,922.61 करोड़ (पिछले वर्ष 4,180.23 करोड़) की छूट वाले निवल बिलों का प्रकटीकरण किया गया है। विवरण के लिए टिप्पणी सं 60 देखें।

घ) व्यापार प्राप्तियों की एजेईंग इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

विवरण		बिल नहीं भेजा गया	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023 तक									
शोध्य समझे गए	विवादित	-	7.77	147.95	70.41	11.29	81.71	161.71	480.84
	अविवादित	8,621.36	2,787.59	707.23	261.09	74.66	19.80	8.78	12,480.51
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	विवादित	-	-	-	-	0.13	-	273.78	273.91
	अविवादित	-	-	0.07	0.40	6.13	0.25	16.17	23.02
कुल		**8,621.36**	**2,795.36**	**855.25**	**331.90**	**92.21**	**101.76**	**460.44**	**13,258.28**

टिप्पणी 10क व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण		बिल नहीं भेजा गया	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2022 तक									
शोध्य समझे गए	विवादित	-	118.99	564.30	108.41	119.26	66.55	78.60	1,056.11
	अविवादित	4,712.71	1,495.18	943.41	525.70	409.70	25.74	20.78	8,133.22
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	विवादित	-	-	-	-	-	0.58	277.76	278.34
	अविवादित	-	-	0.56	0.56	0.88	1.60	18.83	22.43
कुल		**4,712.71**	**1,614.17**	**1,508.27**	**634.67**	**529.84**	**94.47**	**395.97**	**9,490.10**

ङ) शून्य करोड़ (पिछले वर्ष 799.33 करोड़) की विवादित व्यापार प्राप्तियां सीईआरसी शेयरिंग विनियमों के अनुसार आईएसटीएस पूल से संबंधित नामित आईएसटीएस ग्राहक (डीआईसी) के लिए जिम्मेदार आईएसटीएस शुल्क के विवादित अनुपात से संबंधित हैं। विवाद के निपटारे पर, इन प्राप्तियों को या तो संबंधित डीआईसीएस से प्राप्त किया जाएगा या साझा विनियमों के अनुसार अन्य डीआईसीएस में पुनरू विभाजित किया जाएगा।

टिप्पणी 15 नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बैंकों में शेष		
– चालू खातों में	1,633.53	644.47
–– नामोदिष्ट खाते में (परामर्शी ग्राहकों एवं अन्य हेतु)	240.30	151.41
मियादी जमाओं में (8 माह से कम की परिपक्वता वाले)' हस्तगत ड्राफ्ट/चैक/मार्गस्थ प्रेषित राशियां	3,318.34	1,781.21
अन्य (स्टाम्प एवं पेशगी)	-	0.02
योग	**5,192.17**	**2,577.11**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* मियादी जमा में परामर्शी ग्राहकों एवं अन्यों के लिए रू 808.24 करोड़ (पूर्ववर्ती रू 1,190.34 करोड़)

टिप्पणी 16 नकदी एवं नकदी समतुल्य से भिन्न, बैंक में शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बैंक में निर्दिष्ट शेष*	29.91	28.64
मियादी जमा में, जिनमें 3 माह से अधिक परन्तु 12 माह तक की परिपक्वता हो (परामर्शी एवं अन्य सेवाओं के लिए) उपार्जित ब्याज सहित	2,162.50	2,442.43
योग	**2,192.41**	**2,471.07**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

*बैंक में निर्दिष्ट शेष में अप्रदत्त लाभांश शामिल है।

टिप्पणी 17 ऋण

शोध्य समझे गए जब तक अन्य उल्लेख न किया गया हो

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
संबंधित पक्षों को ऋण * उपार्जित ब्याज सहित		
संयुक्त उद्यमों को ऋण – अप्रतिभूत		
शोध्य समझे गए	-	4.26
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	6.72	-
	6.72	**4.26**

Note 17: Loans (Contd.)

(₹ in crore)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
घटाएं: हानि भत्ता**	6.72	-
	-	**4.26**
निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) को ऋण		
प्रतिभूत#	0.01	-
अप्रतिभूत शोध्य समझा गया	0.08	0.08
	0.09	**0.08**
	0.09	**4.34**
कर्मचारियों को ऋण (उपार्जित ब्याजसहित)		
प्रतिभूत#	60.63	53.22
अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया	46.31	41.03
	106.94	**94.25**
योग	**107.03**	**98.59**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* संबंधित पक्षों को ऋणों के ब्यौरे टिप्पणी सं. 57 में उपलब्ध हैं।

** क्षतिग्रस्तता के लिए भत्ते के समाधान हेतु टिप्पणी 63(अप) देखें।

निदेशकों, एमपी एवं कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण एवं वाहन अग्रिम गृह सम्पत्ति को बंधक रखने अथवा वाहनों के दृष्टिबंधन के संबंध में प्रतिभूत होते हैं, जिसके लिए ऐसे ऋण कम्पनी की नीतियों के अनुपालन में दिए जाते हैं।

टिप्पणी 18 अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

(अप्रतिभूत शोध्य समझी गई जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
पट्टे से प्राप्त योग्य राशियां	220.23	81.64
अनुबन्ध परिसंपत्तियां #	828.48	5,607.74
घटाएं: अनुबंध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	-	18.92
	828.48	**5,588.82**
भारत सरकार द्वारा पूर्णरूप से चालू बाण्डों के लिए वसूलनीय (उद्भूत ब्याज सहित)	36.22	36.22
संबंधित पक्षों को अग्रिम/प्राप्त योग्य राशियां ##	3.41	1.57
अन्य ###		
शोध्य समझा गया	1,296.52	734.18
संदिग्ध समझा गया	7.94	-
योग	**1,304.46**	**734.18**
संदिग्ध समझे गए	7.94	-
	1,296.52	**734.18**
योग	**2,384.86**	**6,442.43**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

अनुबंध संपत्ति में संबंधित पक्षों से रु 0.16 करोड़ (पिछले वर्ष रु 0.15 करोड़) शामिल हैं (टिप्पणी 57 देखें)। इंड–एएस 47 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' के अनुसार प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 46 देखें।

संबंधित पक्षों के अग्रिमों के ब्यौरे टिप्पणी 57 में उपलब्ध हैं।

अन्य, में शामिल हैं :–

Note18: Other Current Financial Assets (Contd.)

क) हक अन्तरण हेतु कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने तक तुगलगाबाद और द्वारका सब स्टेशन में 2427 हेक्टेयर भूमि के अन्तरण के संबंध में मै. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड से वसूलनीय रू 59.88 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रू 2.427) की राशि।

ख) ग्राहकों से वसूलनीय राशि, आवासीय एवं कार्यालय आवास हेतु अग्रिम किराया पीएफ न्यास एवं उपदान न्यास को अग्रिम, अन्य अग्रिम आदि।

टिप्पणी 19 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(अप्रतिभूत शोध्य समझी गई, जब तक अन्यथा उल्लेखित हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पूंजी व्यय से भिन्न अग्रिम		
वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिमों अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए		
ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	15.46	6.10
कर्मचारी	9.11	8.25
सीमाशुल्क पत्तन न्यास एवं अन्य प्राधिकरणों के पास शेष	28.63	34.24
वसूलीयोग्य दावे	18.83	15.24
	72.03	**63.83**
अन्य'		
शोध्य समझे गए	157.71	160.45
संदिग्ध समझे गए	0.01	0.55
	157.72	**161.00**
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.01	0.55
	157.71	**160.45**
योग	**229.74**	**224.28**

अतिरिक्त टिप्पणी :

*अन्य में सीएसआर कार्यकलापों हेतु दिए गए अग्रिम तथा इनपुट कर क्रेडिट– जीएसटी आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 19क बिक्री के लिये धारित के रूप में वर्गीक्रत परिसंपत्तियां और संबंधित देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	Current	Non-Current	Current	Non-Current
इक्विटी लिखत में निवेश (पूर्णतः संदत्त)				
सहयोगी कंपनियां				
पावरग्रिड कालाअंब ट्रांसमिशन लिमिटेड				
रू 10 प्रत्येक के 15860000 (पूर्ववर्ती वर्ष 15860000) इक्विटी शेयर	15.86	-	15.86	-
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड				
रू 10 प्रत्येक के 58996600 (पूर्ववर्ती वर्ष 58996600) इक्विटी शेयर	59.00	-	-	59.00
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड				
रू 10 प्रत्येक के 102258000 (पूर्ववर्ती वर्ष 102258000) इक्विटी शेयर	102.26	-	-	102.26
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड				
रू 10 प्रत्येक के 83746000 (पूर्ववर्ती वर्ष 83746000) इक्विटी शेयर	83.74	-	-	83.74
कुल	**260.86**	**-**	**15.86**	**245.00**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

अतिरिक्त ब्यौरों के लिए टिप्पणी संख्या 67(क) देखें।

टिप्पणी 20 विनियामक आस्थगन लेखा शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसंपत्तियां		
आस्थगित कर देयता हेतु आस्थगित परिसंपत्तियां'	7,831.48	8,614.91
विदेशी मुद्रा घट–बढ़	2,398.86	1,182.57
कर्मचारी हितलाभ व्यय हेतु	4.10	135.76
योग	**10,234.44**	**9,933.24**

अतिरिक्त टिप्पणी:

विनायमक आस्थगन लेखा शेष पर विस्तृत प्रकटन हेतु टिप्पणी सं. 52 देखें।

टिप्पणी 21 इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
इक्विटी शेयर पूंजी		
अनधिकृत		
रू 10/–प्रत्येक के सम मूल्य पर 10,00,00,00,000 (पूर्ववर्ती वर्ष 10,00,00,00,000) इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
रू 10/–प्रत्येक सम मूल्य पर पूर्ण रूप से प्रदत्त 6,97,54,52,864 (पूर्ववर्ती वर्ष 5,23,5,89,648) इक्विटी शेयर	**6,975.45**	**6,975.45**

अतिरिक्त टिप्पणी:

1) सूचना अवधि के शुरू में और अन्त में बकाया शेयर पूंजी की संख्या एवं राशि का मिलान।

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की सं	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की सं.	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष के शुरू में बकाया शेयर	6975452864	6,975.45	5231589648	5,231.59
वर्ष के दौरान परिवर्धन'	-	-	1743863216	1,743.86
वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**6975452864**	**6,975.45**	**6975452864**	**6,975.45**

* पिछले वर्ष के दौरान कम्पनी ने रू10/– प्रति शेयर अंकित मूल्य से 30 जुलाई 202 को प्रतिभूति प्रीमियम का इस्तेमाल करते हुए 74,38,63,26 इक्विटी शेयर पूर्ण रूप से प्रदत्त बोनस शेयर के रूप में रू 10/– प्रति शेयर के एक इक्विटी शेयर को तीन इक्विटी शेयर के अनुपात में जारी किये।

2. कम्पनी के पास केवल एक प्रकार का इक्विटी शेयर है, जिनका रू 10/– प्रति शेयर अंकित मूल्य है।

3. इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर यथा–घोषित लाभांशों को प्राप्त करने के लिए हकदार हैं और शेयरधारकों को बैठक में अपने शेयरधारण के अनुपात में मत देने का अधिकार है।

4. शेयरधारक, जिसके पास कम्पनी के 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर हैं।

विवरण	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022		% Change
	शेयरों की सं.	धारित%	शेयरों की सं.	धारित%	
भारत सरकार	3581163210	51.34	3581163210	51.34	-
भारतीय जीवन बीमा निगम	144218603	2.07	415775810	5.96	(3.89)

टिप्पणी 22 अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष		
पूंजीगत प्रारक्षित निधि	9.88	9.88
प्रतिभूति प्रीमियम	7,834.43	7,834.43
बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि	4,168.17	5,532.80
स्व–बीमा प्रारक्षित निधि	1,088.46	874.86
सामान्य प्रारक्षित निधि	58,534.81	50,430.26
प्रतिधारित आय	4,031.70	4,097.36
अन्य प्रारक्षित निधियां		
अन्य व्यापक आय प्रारक्षित निधि	371.61	492.09
योग	**76,039.06**	**69,271.68**

22.1 पूंजीगत प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के शुरू में शेष	9.88	0.76
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	9.12
वर्ष के दौरान कटौती	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**9.88**	**9.88**

पिछले वर्ष के दौरान परिवर्धन संयुक्त उद्म की बहाली के कारण है।

22.2 प्रतिभूति प्रीमियम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के शुरू में शेष	7,834.43	9,578.29
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	1,743.86
वर्ष के अंत में शेष	**7,834.43**	**7,834.43**

शेयरों के निर्गम पर प्रीमियम को प्रतिभूति प्रीमियम में दर्ज किया गया है और इसका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान पूर्ण संदत्त बोनस शेयर जारी करने के लिए किया गया है।

22.3 बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के शुरू में शेष	5,532.80	7,387.97
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	1,364.63	1,855.17
वर्ष के अंत में शेष	**4,168.17**	**5,532.80**

बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि का सृजन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार ऋण पत्रों के शोधन के प्रयोजनार्थ किया जाता है। कंपनी (शेयर पूजी और डिबेन्चर) नियम 2014 के अन्तर्गत 16.08.2019 से सूचीबद्ध कंपनी को बोनस शोधन प्रारक्षित निधी सृजन की आवश्यकता नहीं बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि का सृजन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार ऋण पत्रों के शोधन के प्रयोजनार्थ किया जाता है।

टिप्पणी 22 अन्य इक्विटी (जारी)

22.4 स्व–बीमा प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के शुरू में शेष	874.86	734.07
वर्ष के दौरान परिवर्धन	318.15	301.83
वर्ष के दौरान कटौती	104.55	161.04
वर्ष के अंत में शेष	**1,088.46**	**874.86**

स्व–बीमा प्रारक्षित निधि का सृजन 0.12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर (पूर्ववर्ती वर्ष में 0.12 प्रतिशत प्रति वर्ष) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पट्टा प्राप्य के रूप में समझे गए सहित) के सकल ब्लाक पर किया जाता है, जो आगामी क्षतियों को पूरा करने के लिए वर्ष के अंत में बीमा के अन्तर्गत नहीं आते हैं, जो अबीमाकृत जोखिमों से उत्पन्न हो सकते हैं, और टावरों के प्रापण तथा अन्य ट्रांसमिशन लाईन सामग्रियों के लिए होते हैं, जिसमें आगामी आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए एसी सब स्टेशन के टावरों एवं उपकरणों का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

22.5 सामान्य प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के शुरू में शेष	50,430.26	43,269.22
वर्ष के दौरान परिवर्धन	8,104.55	7,161.04
वर्ष के दौरान कटौती	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**58,534.81**	**50,430.26**

सामान्य प्रारक्षित निधि कम्पनी की प्रतिधारित आय है, जिसको कम्पनी के लाभों से अलग रखा जाता है। यह एक स्वतंत्र प्रारक्षित निधि है, जिसे किसी अज्ञात आगामी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए तथा शेयरधारकों का लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

22.6 प्रतिधारित आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के शुरू में शेष	4,097.36	3,667.03
जोड़े % परिवर्धन		
अवधि हेतु निवल लाभ	15,417.12	16,824.07
अधिशेष में सीधे स्वीकृत अन्य व्यापक आय की मदें		
– नियोजन उपरांत लाभ बाध्यताओं का पुर्नमूल्यांकन	19.42	(133.81)
बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि से हस्तान्तरण	1,364.63	1,855.17
घटाएं % विनियोजन		
सामान्य प्रारक्षित निधि	8,000.00	7,000.00
स्व–बीमा प्रारक्षित निधि	318.15	301.83
संदत्त अंतरिम लाभांश (टिप्पणी 59(ख) देखें)	6,975.45	8,719.32
अंतिम लाभांश (टिप्पणी 59(ख) को देखें)	1,569.48	2,092.64
अन्य समायोजन	3.75	1.31
वर्ष के अंत में शेष	**4,031.70**	**4,097.36**

22.7 अन्य व्यापक आय प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के शुरू में शेष	492.09	67.14
वर्ष के दौरान परिवर्धन	(120.48)	424.95
वर्ष के अंत में शेष	**371.61**	**492.09**

अन्य व्यापक आय प्रारक्षित निधि को दूसरे व्यापक आय के जरिए उचित रूप में मूल्यांकित वर्गीकृत इक्विटी लिखतों में गैर–चालू निवेशों के मूल्यांकन में वृद्धि/कमी से सृजित किया जाता है (एफवीओसीआई)।

टिप्पणी 23 उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
ए) बॉण्ड			
ए1) सुरक्षित (करयोग्य, प्रतिदेय, गैर–संचयी, असंपरिवर्तनीय)			
ए1.1 i)	प्रत्येक 10 लाख रुपये के बॉण्ड		
	LV निर्गम–7.55% दिनांक 21.09.2031 को सममूल्य पर प्रतिदेय	1,289.07	1,289.06
	LX निर्गम–7.20% दिनांक 09.08.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	3,201.72	3,201.69
	LIX निर्गम–7.30% दिनांक 19.06.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	3,245.47	3,245.45
	XXXIX निर्गम–9.40% दिनांक 29.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	1,801.34	1,801.34
	LVIII निर्गम–7.89% दिनांक 09.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	2,070.09	2,070.09
	XXXVIII निर्गम–9.25% दिनांक 09.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	859.93	859.93
	LVI निर्गम–7.36% दिनांक 18.10.2026 को सममूल्य पर प्रतिदेय	1,100.32	1,100.30
	LXII निर्गम–8.36% दिनांक 07.01.2025 से 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय	2,038.34	2,038.31
	XLII निर्गम–8.80% दिनांक 13.03.2023 को सममूल्य पर प्रतिदेय	-	1,999.08
	LVII निर्गम–7.20% दिनांक 21.12.2021 को सममूल्य पर प्रतिदेय	-	-
ii)	प्रत्येक रू30 लाख के बॉण्ड में प्रत्येक रू10 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 15.07.2021, 15.07.2026 और 15.07.2031 को 3 (तीन) समान किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LIV निर्गम–7.97% दिनांक 15.07.2021 से प्रतिदेय	2,113.43	2,113.41
iii)	प्रत्येक रू30 लाख के बॉण्ड में प्रत्येक रू10 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 23.12.2020, 23.12.2025 और 23.12.2030 को 3 (तीन) समान किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LII निर्गम–8.32% दिनांक 23.12.2020 से प्रतिदेय	952.93	952.91
iv)	प्रत्येक रू1.20 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, प्रत्येक को 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LIII निर्गम–8.13 % दिनांक 25.04.2020 से प्रतिदेय	3,224.54	3,582.07
v)	प्रत्येक रू 30 लाख के बॉण्ड में प्रत्येक रू 10 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 09.03.2020, 09.03.2025 और 09.03.2030 को 3 (तीन) समान किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLIX निर्गम–8.15% दिनांक 09.03.2020 से प्रतिदेय	874.36	874.36
vi)	प्रत्येक रू1.20 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू10 लाख के 4 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 23.01.2020, 23.01.2022, 23.01.2025 और 23.01.2030 को 4 (चार) समान किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLVIII निर्गम–8.20% दिनांक 23.01.2020 से प्रतिदेय	1,309.64	1,309.62
vii)	प्रत्येक रू1.20 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LI निर्गम–8.40% दिनांक 14.09.2019 से प्रतिदेय	2,091.51	2,352.94
viii)	प्रत्येक रू 30 लाख के बॉण्ड में रू 10 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 04.09.2019, 04.09.2024 और 04.09.2029 को 3 (तीन) समान किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLVI निर्गम–9.30% दिनांक 04.09.2019 से प्रतिदेय	3,062.77	3,062.76
ix)	प्रत्येक रू1.20 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	L निर्गम–8.40% दिनांक 27.05.2019 से प्रतिदेय	2,090.73	2,352.06
x)	प्रत्येक रू1.20 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		

टिप्पणी 23 उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
	XLVII निर्गम–8.93% दिनांक 20.10.2018 से प्रतिदेय	1,601.34	1,830.10
xi)	प्रत्येक रू30 लाख के बॉण्ड को 15.07.2018, 15.07.2023 और 15.07.2028 को 3 समान किश्तों में सममूल्य पर भुनाया जा सकेगा।		
	XLIV निर्गम–8.70% दिनांक 15.07.2018 से प्रतिदेय	2,807.80	2,807.78
xii)	प्रत्येक रू1.20 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLV निर्गम–9.65% दिनांक 28.02.2018 से प्रतिदेय	1,008.00	1,175.99
	XLIII निर्गम–7.93% दिनांक 20.05.2017 से प्रतिदेय	1,670.26	1,948.63
xiii)	प्रत्येक रू1.50 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू 12.50 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLI निर्गम–8.85% दिनांक 19.10.2016 से प्रतिदेय	1,231.45	1,477.73
xiv)	प्रत्येक रू1.50 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू10.00 लाख के 15 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 15 (पन्द्रह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XXXVI निर्गम– 9.35% दिनांक 29.08.2016 से प्रतिदेय	1,738.74	1,956.08
xv)	प्रत्येक रू1.50 करोड़ के बॉण्ड में प्रत्येक रू12.50 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XL निर्गम–9.30% दिनांक 28.06.2016 से प्रतिदेय	1,783.17	2,139.80
	XXXVII निर्गम–9.25% दिनांक 26.12.2015 से प्रतिदेय	681.17	851.46
	XXXV निर्गम–9.64% दिनांक 31.05.2015 से प्रतिदेय	705.05	881.31
	XXXIV निर्गम–8.84% दिनांक 21.10.2014 से प्रतिदेय	906.08	1,208.10
	XXXIII निर्गम–8.64% दिनांक 08.07.2014 से प्रतिदेय	765.50	1,020.66
	XXXII निर्गम–8.84% दिनांक 29.03.2014 से प्रतिदेय	172.62	258.93
	XXXI निर्गम–8.90% दिनांक 25.02.2014 से प्रतिदेय	344.16	516.24
	XXX निर्गम–8.80% दिनांक 29.09.2013 से प्रतिदेय	405.99	608.99
	XXIX निर्गम–9.20% दिनांक 12.03.2013 से प्रतिदेय	108.67	217.34
	XXVIII निर्गम–9.33% दिनांक 15.12.2012 से प्रतिदेय	205.47	410.94
	XXVII निर्गम– 9.47% दिनांक 31.03.2012 से प्रतिदेय	-	58.76
	XVI निर्गम–9.30% दिनांक 07.03.2012 से प्रतिदेय	-	83.78
	XV निर्गम–10.10% दिनांक 12.06.2011 से प्रतिदेय	-	95.95
		47,461.66	**53,753.95**
ए2) अप्रतिभूत			
ए2.1 प्रतिदेय घरेलू बॉण्ड			
i)	प्रत्येक 10 लाख रुपये के बॉण्ड		
	LXVIII निर्गम–6.28% दिनांक 11.04.2031 को सममूल्य पर प्रतिदेय	520.54	520.54
	LXVI निर्गम–7.38% दिनांक 12.04.2030 को सममूल्य पर प्रतिदेय	508.20	508.18
ii)	प्रत्येक रू50 लाख के बॉण्ड में रू10.00 लाख के 5 एसटीआरपीपी शामिल हैं जो 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में भुनाए जा सकते हैं।		
	XLI निर्गम–7.74% दिनांक 12.12.2028 को प्रतिदेय	3,069.80	3,069.79
iii)	प्रत्येक रू 10 लाख के बॉण्ड		
	LXIX निर्गम–6.05% दिनांक 25.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	530.49	530.49
	LXVII निर्गम–6.85% दिनांक 15.04.2025 को सममूल्य पर प्रतिदेय	2,984.33	2,984.28
iv)	रू10 लाख के प्रत्येक बॉण्ड में रू3.00 लाख, रू 3.00 लाख और रू 4.00 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 25.10.2024, 25.10.2029 और 25.10.2034 को 3 (तीन) किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LXIV निर्गम–7.49% दिनांक 25.10.2024 से प्रतिदेय	2,601.52	2,601.50

टिप्पणी 23 उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
v)	रू 30 लाख के प्रत्येक बॉण्ड में रू 10.00 लाख के 03 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 15.07.2024, 15.07.2029 और 15.07.2034 को 03 (तीन) समान किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LXIII निर्गम–7.34% दिनांक 15.07.2024 से प्रतिदेय	1,893.94	1,893.92
vi)	रू1 लाख के बॉण्ड जिन्हें 40 समान त्रैमासिक किश्तों में भुनाया जा सकता है रु		
	LXXI निर्गम–7.52% दिनांक 17.08.2023 से प्रतिदेय	868.56	-
	LXXII निर्गम–7.56% दिनांक 17.08.2023 से प्रतिदेय	425.07	-
	LXX निर्गम–7.40% दिनांक 17.05.2023 से प्रतिदेय	2,138.38	-
vii)	प्रत्येक 10 लाख रुपये के बॉण्ड		
	LXV निर्गम–6.35% दिनांक 14.04.2023 को सममूल्य पर प्रतिदेय	202.89	202.85
ए2.2 प्रतिदेय विदेशी मुद्रा बॉण्ड			
	3.875**%** विदेशी मुद्रा बॉण्ड जो 17.01.2023 को सममूल्य पर भुनाए जाएंगे।	-	3,843.81
		15,743.72	**16,155.36**
	कुल (क)	**63,205.38**	**69,909.31**
ख) सावधि ऋण			
बैंकों से			
प्रतिभूत			
	विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	24,964.95	24,778.09
	अन्य विदेशी मुद्रा ऋण	7,037.27	7,024.30
	रुपया ऋण	7,821.01	9,275.02
		39,823.23	**41,077.41**
अप्रतिभूत			
	विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	3,127.73	3,386.96
	अन्य विदेशी मुद्रा ऋण	2,575.72	2,832.34
	रुपया ऋण	20,119.43	14,941.02
		25,822.88	**21,160.32**
	कुल (ख)	**65,646.11**	**62,237.73**
	कुल (क से ख)	**128,851.49**	**132,147.04**
	घटाएं**%** गैर चालू उधार की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 28देखें)	12,003.61	15,165.87
	घटाएं**%** उपार्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं (टिप्पणी 30देखें)	2,956.59	2,781.77
	कुल	**113,891.29**	**114,199.40**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

रु वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी तीन सहायक कंपनियों नामतः पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड और पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड से अपने नकदी प्रवाह को प्रतिभूत किया है और नई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अनुसरण में अपने पूंजीगत व्यय को आंशिक रूप से वित्तपोषित करने के लिए तीन किश्तों में कुल रू 3,412 करोड़ जुटाए।

चुकौती एवं ब्याज दर के संबंध में ब्यौरे

1. प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत) : जिनमें दैनिक एलआईबीओआर से जुड़ी ब्याज की अस्थायी दर शामिल है। इन ऋणों को 3 से 5 वर्ष की बिलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार सार अर्ध वार्षिक किश्त में चुकाया जाता है। सिवाय, रू 408.08 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रू 376.13 करोड़) के एक ऋण थे, जिसपर 0.25ः की प्रतिवर्ष निर्धारित ब्याज दर है।
2. प्रतिभूत अन्य विदेशी मुद्रा ऋण, जिसमें 6 एम (एलआईबीओआर/ईयूआरओईबीओआर/एसटीआईबीओआर) से जुड़ी ब्याज की अस्थायी दर शामिल है। इन ऋणों को 3 से 5 वर्ष की बिलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किश्त चुकाया जाता है।
3. बैंकों से ग्रतिभूत रुपया, जिसमें 3 एमएससीएलआर से जुड़े ब्याज की अस्थायी दर शामिल है। ये ऋण 5 वर्ष की विलंबन अवधि के बाद शुरू होने वाले संबंधित ऋण करारों की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किश्तों में चुकाया जाता है।
4. अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभती जिसमें .63 प्रतिवर्ष से 2.30 प्रतिवर्ष की सीमा में स्थायी ब्याज दर है। इन ऋणों

टिप्पणी 23 उधारियाँ

को संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार किस्त में चुकाया जाता हैं।

5. अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण, जिसमें 6एम एसटीआईबीओआर/ईयुआरबीओआर से जुड़ी अस्थायी ब्याज दर शामिल हैं। ये ऋण विलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अधधे वार्षिक वित्त में चुकाए जाते हैं।
6. बैंक से अप्रतिभूत रुपए में ऋण, जिसमें 3 एम टोना से जुड़ी अस्थायी ब्याज दर शामिल है। ऋण करार की शर्तों के अनुसार यह ऋण पांच सामान्य वार्षिक किश्तों में चुकाए जाते हैं।
7. बैंक से अप्रतिभूत रुपए में ऋण 3 एमसीएलआर या रेपो दर से सबन्धित फ्लोटिंग ब्याज दर हैं। ये ऋण विलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक वित्त में चुकाए जाते हैं।
8. ये ऋण समझौतों के अंत में ऋणों की चुनौती अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।
9. कंपनी ने बैंकों और वित्तीय सस्थानों से उस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उधार लिया है जिसके लिए इसे तुलन–पत्र की तारीख में लिया गया था।

प्रतिभूतियों के ब्यौरे

1. स्वदेशी बाण्ड, जिला वलसाड़ गुजरात में मौजे अम्भेटी तालुका कापराडा में स्थित अचल सम्पत्ति पर समरूप रैंकिंग में पंजीकृत बाण्ड ट्रस्ट डीड के रूप में प्रतिभूत है और कम्पनी की परिसंपत्तियों पर अस्थायी प्रभार पर प्रतिभूत हैं।
2. प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत), ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में परिसंपत्तियों पर सृजित धारणाधिकार में समरूप ब्याज द्वारा प्रतिभूत हैं।
3. प्रतिभूत अन्य विदेशी ऋण और रुपया ऋण निम्न के संबंध में प्रतिभूत होते हैं :–
   i) कम्पनी की परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार, सिवाय निवेशों भूमि एवं भवन, सड़क एवं पुलों, जल आपूर्ति, जल निकासी एवं मल निकासी तथा चालू परिसंपत्तियों के।
   ii) कम्पनी की परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार, सिवाय निवेश एवं चालू परिसंपत्तियों के अथवा,
   iii) संबंधित ऋण करारों की शर्तों के अनुसार की अचल सम्पत्तियों पर अस्थायी प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

टिप्पणी 24 अन्य गैर-चालू विळीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा/प्रतिधारण राशि	70.24	19.80
भारत सरकार की पूर्ण प्रचालनरत बाण्ड*	3,487.50	3,487.50
पूंजीगत व्यय हेतु देयताएं	6.93	15.70
कुल	**3,564.67**	**3,523.00**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी सं. 50 में दिया गया है।

* भारत सरकार के पूर्ण प्रचालनरत बाण्ड जिन्हें 14.02.2029 को समूल्य पर विमोच्य 8.24% की दर पर जारी किया गया। अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी सं. 11 को देखें।

टिप्पणी 25/प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कर्मचारी हितलाभ		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	517.14	462.02
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	60.73	55.12
अन्त शेष	**577.87**	**517.14**

अतिरिक्त टिप्पणी:

छुट्टी नकदीकरण, व्यवस्थापन भत्ते, और दीर्घ सेवा प्रतिफल एवं अन्य लाभों के प्रयोजनार्थ प्रावधान सृजित किया गया है। कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान से संबंधित विस्तृत प्रकटन, टिप्पणी 65 में दिए गए हैं।

टिप्पणी 26 आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क. आस्थगित कर देयता		
अर्जित मूल्यह्रास एवं कर मूल्यह्रास में अन्तर	27,361.80	26,144.82
वित्त पट्टा परिसंपत्तियां	130.60	91.48
अन्य	199.84	207.61
आस्थगित कर देयता (क)	**27,692.24**	**26,443.91**
ख. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां		
निर्माण अवधि के दौरान आय	18.87	18.26
भुगतान आधार पर स्वीकार्य प्रावधान	554.54	591.26
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	246.96	299.92
अप्रयुक्त कर हानि	665.22	765.84
मैट क्रेडिट हकदारिता	15,265.10	13,268.89
अन्य	262.68	142.76
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ख)	**17,013.37**	**15,086.93**
आस्थगित कर देयता (निवल) (क–ख)	**10,678.87**	**11,356.98**

अतिरिक्त टिप्पणी:

आस्थगित कर देयता में घट–बढ़

(₹ करोड़ में)

विवरण	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	वित्त पट्टा परिसंपत्ति	अन्य	योग
1 अप्रैल, 2021 को	**23,007.06**	**72.47**	**23.42**	**23,102.95**
लाभ अथवा हानि में प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)	3,149.40	19.01	130.29	3,298.70
अन्य व्यापक आय में प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)			53.90	53.90
अन्य समायोजन	(11.64)			(11.64)
31 मार्च, 2022 को	**26,144.82**	**91.48**	**207.61**	**26,443.91**
लाभ अथवा हानि में प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)	1,216.98	39.12	10.32	1,266.42
अन्य व्यापक आय में प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)			(18.09)	(18.09)
31 मार्च, 2023 को	**27,361.80**	**130.60**	**199.84**	**27,692.24**

आस्थगित कर परिसंपत्ति में घट–बढ़

(₹ करोड़ में)

विवरण	सम्पति संयंत्र उपकरण निर्माण के दौरान आया	भुगतान आधार पर अनुमत्य प्रावधान व्यय	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	एमएटी क्रेडिट	अन्य	योग
1 अप्रैल, 2021 को	**17.95**	**514.70**	**353.20**	**9,969.02**	**411.46**	**11,266.33**
लाभ अथवा हानि में प्रभारित/ (क्रेडिट किया गया)	0.31	76.56	(53.28)	3,303.81	499.56	3,826.96
अन्य समायोजन				(3.94)	(2.42)	(6.36)
31 मार्च, 2022 को	**18.26**	**591.26**	**299.92**	**13,268.89**	**908.60**	**15,086.93**
लाभ अथवा हानि में प्रभारित/ (क्रेडिट किया गया)	0.61	(36.72)	(52.96)	1,996.21	19.30	1,926.44
31 मार्च, 2023 को	**18.87**	**554.54**	**246.96**	**15,265.10**	**927.90**	**17,013.37**

टिप्पणी 26 आस्थगित कर देयताएं (निवल) (जारी)

लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के विवरण में मान्यता प्राप्त

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर देयता में वृद्धि/(कमी)	1,266.42	3,298.70
आस्थगित कर परिसंपत्ति में कमी/(वृद्धि)	(1,926.44)	(3,826.96)
लाभ अथवा हानि में प्रभारित/(क्रेडिट की गई) राशि	**(660.02)**	**(528.26)**
आस्थगन कर परिसंपत्ति में वृद्धि/(कमी)	(18.09)	53.90
अन्य व्यापक आय प्रभारित/(क्रेडिट की गई) राशि	**(18.09)**	**53.90**

क. प्रबंधन की राय में यह संभव है कि भावी आर्थिक लाभ मैट क्रेडिट को स्वीकार करके भावी आय कर देयता के प्रति छूट की उपलब्धता के रूप में समूह को निम्नानुसार प्राप्त होंगे :

भावी कराधेय लाभों को (क) 31 मार्च, 2017 तक शुरू किए गए परियोजनाओं के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–आईए के तहत कर राहत के संबंध में समायोजित किया जाएगा (ख) भविष्य में शुरू किए जाने वाले परिसंपत्तियों पर शुरूआती मूल्यह्रास (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के तहत नियमित आय कर मूल्यह्रास के संबंध में समायोजित किया जाएगा और इसके बाद कर राशि को रु 1,986.21 करोड़ (पिछले वर्ष रु 3,303.81 करोड़), की सीमा में मैट क्रेडिट के प्रति छूट प्राप्त होती। अतः इसे वर्ष के दौरान आस्थगित्त कर परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है।

ख. भविष्य में समूह को प्राप्त मैट क्रेडिट परन्तु बाहियों में स्वीकार नहीं किया गया:

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को	समाप्ति तारीख	31 मार्च, 2022 को	समाप्ति तारीख
2015-16	1,421.20	31.03.2026	1,421.20	31.03.2026
2014-15	1,281.23	31.03.2025	1,281.23	31.03.2025
2013-14	1,085.14	31.03.2024	1,085.14	31.03.2024
2012-13	-	31.03.2023	1,071.31	31.03.2023

टिप्पणी 27 अन्य गैर-चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ग्राहकों से अग्रिम (परामर्शी/दूरसंचार सेवाएं)$	194.15	238.08
अन्य	6.21	4.81
योग	**200.36**	**242.89**

अतिरिक्त टिप्पणी :

$ भा.ले.मा. 115 के तहत "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार प्रकटन हेतु टिप्पणी 47 को देखें।

टिप्पणी 28 उधारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
दीर्घावधि उधारियों की वर्तमान परिपक्वता		
प्रतिभूत		
बांड	5,191.48	6,090.23
रुपया सावधि ऋण	1,454.00	1,454.00
विदेशी मुद्रा ऋण	2,856.77	2,585.90
	9,502.25	**10,130.13**
अप्रतिभूत		
बांड	508.90	3,813.41
रुपया सावधि ऋण	1,300.00	550.00
विदेशी मुद्रा ऋण	692.46	672.33
	2,501.36	**5,035.74**

टिप्पणी 28 उधारी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	12,003.61	15,165.87
अल्प अवधि – अप्रतिभूत		
बैंकों से	700.00	5,300.00
योग	**12,703.61**	**20,465.87**

अतिरिक्त टिप्पणी:

1. वाणिज्यिक पेपर/अल्प अवधि ऋण 4.45% से 6.70% (पिछले वर्ष के 3.75% से 3.95% तक) की सीमा में ब्याज दर के हैं तथा निकासी की तारीख से 90 दिन (पिछले वर्ष में 90 दिन से 180 दिन) के भीतर चुकौती योग्य होते हैं।
2. वर्ष की समाप्ति पर ऋणों की चुकौती में अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नही हुई है।

टिप्पणी 29 व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सामान एवं सेवा हेतु		
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	49.34	47.19
(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों से भिन्न क्रेडिटरों की कुल बकाया देयताएं'	278.45	219.91
योग	**327.79**	**267.10**

अतिरिक्त टिप्पणी:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के खण्ड I और ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी सं. 50 में दिया गया है।

* व्यापार देयताओं में संबंधित पक्षों से रु 1.15 करोड़ (पिछला वर्ष रु शून्य करोड़) शामिल है। (टिप्पणी 57 देखें)

व्यापार देय की एजेईंग इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल नहीं भेजा गया	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
31 मार्च, 2023 को						
एमएसएमई						
विवादित	-	-	-	-	-	-
अविवादित	33.37	15.97	-	-	-	49.34
कुल	**33.37**	**15.97**	**-**	**-**	**-**	**49.34**
अन्य						
विवादित	-	-	-	-	-	-
अविवादित	142.95	125.48	8.77	0.63	0.62	278.45
कुल	**142.95**	**125.48**	**8.77**	**0.63**	**0.62**	**278.45**
कुल व्यापार देयताएं	**176.32**	**141.45**	**8.77**	**0.63**	**0.62**	**327.79**
31 मार्च, 2022 को						
एमएसएमई						
विवादित	-	-	-	-	-	-
अविवादित	12.65	34.54	-	-	-	47.19
कुल	**12.65**	**34.54**	**-**	**-**	**-**	**47.19**
अन्य						
विवादित	-	-	-	-	-	-
अविवादित	85.79	127.20	3.31	1.19	2.42	219.91
कुल	**85.79**	**127.20**	**3.31**	**1.19**	**2.42**	**219.91**
कुल व्यापार देयताएं	**98.44**	**161.74**	**3.31**	**1.19**	**2.42**	**267.10**

टिप्पणी 30 अन्य चालू वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ब्याज उपार्जित लेकिन उधार लेने पर देय नहीं:		
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	473.70	86.13
प्रतिभूत/अप्रतिभूत विमोच्य बाण्डों	2,482.89	2,695.64
	2,956.59	**2,781.77**
ब्याज उपार्जित लेकिन भारत सरकार के पूर्णतः प्रदत्त बांडों से देय नहीं है	**36.22**	**36.22**
अन्य		
पूंजीगत व्यय हेतु देय राशियां	1,117.48	980.79
कर्मचारी से संबंधित देयताएं	141.87	51.29
अदावेकित लाभांश एवं एफपीओ'	29.91	28.64
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा राशियां/प्रतिधारण राशि	3,150.17	3,627.07
संबंधित पक्ष''	2.36	2.56
अन्यरु	3,277.08	2,665.66
	7,718.87	**7,356.01**
योग	**10,711.68**	**10,174.00**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी सं. 49 में दिया गया है।

* निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को भुगतान हेतु, कोई राशि देय नहीं है।

** संबंधित पक्षों के राशि के ब्यौरे टिप्पणी 55 में उपलब्ध हैं।

\# अन्य में दीर्घावधि पहुंच (एलटीए), अल्पावधि खुली पहुंच (एसटीओए), आईएसटीएस, लाइसेंस रिकवरी, मूल्य उतार–चढ़ाव आदि के सापेक्ष भुगतान के लिए देयता शामिल है।

टिप्पणी 31 अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ग्राहकों से अग्रिम*	2,894.61	3,022.10
ग्राहकों से अग्रिम – संबंधित पक्ष#	106.85	82.20
सांविधिक देय	324.64	124.15
योग	**3,326.10**	**3,228.45**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* भारतीय ले.मा. 115 ''ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व'' के अनुसार प्रकटन हेतु टिप्पणी 47 को देखें।

\# संबंधित पक्ष को देय राशि के ब्यौरे टिप्पणी 57 में उपलब्ध हैं।

टिप्पणी 32. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क) कर्मचारी हितलाभ		
i) निष्पादन से संबंधित वेतन/विशेष प्रोत्साहन		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	438.74	509.83
वर्ष के दौरान परिवर्धन	427.76	438.74
वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित निधि	438.74	509.83
अन्त शेष	**427.76**	**438.74**

टिप्पणी 10क व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ii) अन्य कर्मचारी लाभ		
(छुट्टी नकदीकरण, व्यवस्थापन भत्ता और दीर्घ सेवा पुरस्कार आदि)		
पिछले तुलपन पत्र के अनुसार	251.86	67.66
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	(147.00)	184.20
अन्त शेष	**104.86**	**251.86**
योग (क)	**532.62**	**690.60**
ख) अन्य		
i) निष्क्रिय सेवा क्रेडिट–टेलीकॉम		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3.25	8.86
वर्ष के दौरान परिवर्धन	8.59	3.42
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	10.52	9.03
अंत शेष	**1.32**	**3.25**
ii) अन्य प्रावधान		
पिछले तुलपन पत्र के अनुसार	473.27	258.77
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	9.01	214.50
अंत शेष	**482.28**	**473.27**
योग (ख)	**483.60**	**476.52**
कुल योग (क+ख)	**1,016.22**	**1,167.12**

अतिरिक्त टिप्पणियां :

अ. कर्मचारी हितलाभ

1. निष्पादन से संबंधित वेतन/विशेष प्रोत्साहन

   कार्यपालकों एवं गैर–कार्यपालकों को निष्पादन से संबंधित वेतन हेतु प्रावधान सृजित किया गया है।

2. अन्य कर्मचारी हितलाभ

   छुट्टी नकदीकरण, व्यवस्थापन भत्ता, दीर्घ सेवा प्रतिफल और पावर ग्रिड कर्मचारी परिवार पुनर्वास योजना को पूरा करने के प्रयोजनार्थ प्रावधान सृजित किया गया है कर्मचारी हितलाभ दायित्वों से संबंधित विस्तृत प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 65 देखें।

ब. अन्य

1. डाउनटाइम सर्विस क्रेडिट – दूरसंचार

   प्रावधान उस मामले में सृजित किया जाता है जब वास्तविक अकार्यरत समय अनुमत्य सेवा स्तर करार से अधिक हो, ऐसे मामलों में आवश्यक क्रेडिट को मांग पर ग्राहक को दिया जाता है।

   तथापि, किसी मामले में, अकार्य सेवा का ग्राहक द्वारा दावा नहीं किया जाता है, तब ऐसे मामलों में अकार्य समय के संबंध में आवश्यक प्रावधान, नेशनल टेलीकॉम कंट्रोल सेंटर (एनटीसीसी) से प्राप्त लिंक उपलब्धता रिपोर्टों के अनुसार ग्राहकों को दिए गए लिंकों को गैर–प्रचालन अवधि हेतु लेखा बहियों में किया जाता है। अकार्य समय क्रेडिट का परिकलन विभिन्न ग्राहकों द्वारा हस्ताक्षरित एसएलए के आधार पर होता है।

2. अन्य प्रावधान :

   इसमें रू 174.36 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रू 165.24 करोड़) के प्रवेश कर का प्रावधान शामिल है, जो कम्पनी द्वारा विवादित राजस्व प्राधिकरणों द्वारा उठाया गया है और न्यायालय में लंबित है, रू 9.74 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष 8.24) की राशि को न्यायालय के आदेश पर अदा कर दिया गया है तथा टिप्पणी 19 में ''सीमाशुल्क पत्र ट्रस्ट एवं अन्य प्राधिकरणों में शेष'' रूप में दर्शाया गया है।

   इसमें रू0.00 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रू0.46 करोड़) का प्रावधान शामिल है जो व्यवसायिक कर विभाग, तेलंगाना द्वारा उठाई गयी मांग के अनुसार वैधानिक फार्म और अन्य प्रमाण रहित है और जिसकी वजह से अन्तर्राजीय बिक्री के लिये ''सी' फार्म सुरक्षा शामिल नहीं है।

टिप्पणी 33 चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कराधान (कर पर ब्याज सहित)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	8,257.62	9,169.89
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,000.80	3,173.29
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	8,188.94	4,085.56
योग	**3,069.48**	**8,257.62**
अग्रिम कर एवं टीडीएस के संबंध में निवल छूट	3,016.72	8,248.17
अन्त शेष	**52.76**	**9.45**

टिप्पणी 34 आस्थगित राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम	706.73	858.29
सहायता अनुदान (अतिरिक्त टिप्पणी देखें)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,647.89	3,926.11
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1.70	22.04
वर्ष के दौरान समायोजन	317.26	300.26
अन्त शेष	**3,332.33**	**3,647.89**
विदेशी मुद्रा घट–बढ़ से आस्थगित आय (निवल)	6,124.46	5,008.36
योग	**10,163.52**	**9,514.54**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

1. विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के तहत पावर सिस्टम डेवलपमेंट फण्ड (पीएसडीएफ) से ईआर (ईआरएसएस–XI) और एसआर (एसआर–XXI में प्रणाली सुदृढ़ीकरण) में स्टेटकॉम लगाने के लिए रू 2.40 करोड़ का सहायता अनुदान (पूर्ववर्ती वर्ष 0.00 करोड़) प्राप्त किया गया था। प्राप्त अनुदान के अलावा, रू 0.01 करोड़ का ब्याज (पूर्ववर्ती वर्ष रु 0.02 करोड़) अनुदान में क्रेडिट किया गया था। परियोजना में लागत बचत के कारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 6.59 करोड़ की राशि भारत सरकार (जीओआई) के विद्युत मंत्रालय (एमओपी) को वापिस चुकानी होगी। तद्नुसार, उक्त राशि को अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं के तहत देय के रूप में प्रदर्शित किया गया है।
2. ब्याज सहित 0.34 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष 0.41 करोड़) का सहायता अनुदान की मान्यता यूनिफाइड रियल टाइम डायनेमिक स्टेट मेजरमेंट (यूआरटीडीएसएम) की स्थापना के लिए (एमओपी) भारत सरकार के तहत पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) की सहायता से प्रदान की गई।
3. ब्याज सहित रू 0.00 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष 27.59 करोड़) का सहायता अनुदान आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में अल्ट्रामेगा सोलर पार्कों से जुड़े ट्रांसमिशन सिस्टम को लगाने के लिए प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एमएनआरई) से प्राप्त किया गया था।
4. रू 0.01 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष 0.02 करोड़) की सहायता अनुदान नई एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय से सरकारी क्षेत्र हेतु उपलब्धि संबंद्ध/प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पावर ग्रिड की विभिन्न भवनों में सौर रूफ टॉप प्लांट लगाने के लिए मान्यता दी गई है।
5. 0.00 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष 2.99 करोड़) का सहायता अनुदान आन्श्र प्रदेश, केरल और और राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएमकुसुस) के जागरुकता गतिविधियों के निर्माण के लिए नई एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा सहायता प्रदान की गईं। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 1.06 करोड़ की राशि भारत सरकार (जीओआई) के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को वापिस चुकानी होगी और अन्य चालू वित्तीय देयताओं में प्रदर्शित की गई है।

टिप्पणी 35 प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
सेवाओं की बिक्री		
ट्रांसमिशन व्यवसाय		
ट्रांसमिशन प्रभार	42,689.01	39,387.17
जोड़े : मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम से स्वीकृत राजस्व	151.56	152.46
	42,840.57	**39,539.63**
अन्य प्रचालन राजस्व		
विभेदी अस्थायी एवं अंतिम टैरिफ पर ब्याज	1,161.34	480.78
पट्टा कार्यों से आय	99.39	50.61
आस्थगित राजस्व से मान्य–सहायता अनुदान	315.33	300.26
	1,576.06	**831.65**
	44,416.63	**40,371.28**
दूरसंचार व्यवसाय	728.79	580.15
परामर्शी परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण	435.86	670.21
योग	**45,581.28**	**41,621.64**

अतिरिक्त टिप्पणी:

क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 07.03.2021 के आदेश के तहत ब्लॉक अवधि 2019–24 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण हेतु ''सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमन 2019'' को अधिसूचित किया है।

ख) कम्पनी ने निम्नानुसार वर्ष के दौरान ट्रांसमिशन आय को स्वीकार किया है:

i). 2019–24 तक की ब्लाक अवधि के लिए सीईआरसी द्वारा जारी अंतिम टैरिफ आदेश के अनुसार रु 35,516.95 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु 20.433.83 करोड़); और

ii). ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के संबंध में रु 5,233.61 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु 17,512 करोड़), जिसके संबंध में अंतिम टैरिफ आदेश सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार तथा सदृश मामलों में अन्य आदेशों के अनुसार अभी जारी किए जाने बाकी थे और जिसमें से कंपनी ने रु 4,855.53 करोड़ (पिछला वर्ष 15,718.13 करोड़) के लिए याचिकाएं दायर की हैं।

x) सीइआरसी द्वारा जारी अंतिम आदेश के परिणामस्वरूप, पारेषण आय में पिछले वर्षों से संबंधित 1,597.30 करोड़ ''वृद्धि'' (पिछले वर्ष 628.80 करोड़ ''वृद्धि'') शामिल है।

घ) कंपनी के दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय करने के लिए कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन पर प्रकटीकरण के लिए संदर्भ टिप्पणी संख्या 67 देखें।

ङ) आईएनडी एएस 115 के अनुसार प्रकटीकरण के लिए ''ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व'' संदर्भ टिप्पणी संख्या 47 देखें।

टिप्पणी 36. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्नलिखित से ब्याज आय:		
भारतीय बैंक	112.34	172.21
संयुक्त उद्यमों (जेवी) को ऋण	0.07	2.36
पीजी इनविट में निवेश	107.70	68.52
अन्य*	30.98	36.99
	251.09	**280.08**
ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से ब्याज	27.68	28.06
वित्तीय परिसंपत्तियों पर छूट की अनवाइंडिंग	83.06	-

टिप्पणी 10क व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	361.83	**308.14**
निम्नलिखित से लाभांश आय		
सहयोगी	58.82	116.75
पीजी इनविट में निवेश	46.14	33.85
अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर निर्दिष्ट इक्विटी निवेश	6.96	9.00
	111.92	**159.60**
अन्य		
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर लाभ	5.98	0.02
म्यूचुअल फंड में निवेश की बिक्री पर लाभ	-	15.95
वित्त पट्टे से वित्त आय	150.80	73.12
अधिभार	181.98	375.30
एफईआरवी अभिलाभ	-	0.03
पुनरांकित प्रावधान	29.93	13.13
वित्तीय देयता/निवेश के शुरूआती स्वीकरण पर उचित मूल्य लाभ	43.32	21.37
विविध आय''	174.14	148.11
	586.15	**647.03**
	1,059.90	**1,114.77**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में हस्तान्तरित (निवल) – टिप्पणी 43	35.54	38.51
योग	**1,024.36**	**1,076.26**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* अन्य में कर्मचारी ऋणों पर ब्याज एवं कर्मचारी ऋण पर वित्त लागत की अनवाइंडिंग आदि शामिल है।

** विविध आय में स्क्रैप की बिक्री, बीमा, दावा वसूली, यूआई प्रभार आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 37 कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन, मजदूरियां, भत्ते और लाभ	2,150.47	2,095.32
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	341.92	269.92
कर्मचारी कल्याण व्यय (आस्थगित कर्मचारी लागत सहित)	275.08	271.81
	2,767.47	**2,637.05**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (निवल) – टिप्पणी 43	249.04	383.65
सीएसआर व्ययों में स्थानान्तरित – टिप्पणी–40	9.90	9.51
योग	**2,508.53**	**2,243.89**

अतिरिक्त टिप्पणी:

क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारश्रमिक हेतु टिप्पणी 57 को देखें।

ख) कर्मचारी हितलाभ दायित्वों के विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 65 देखें।

टिप्पणी 38 वित्त लागतें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज एवं वित्त प्रभार		
भारतीय बैंक एवं वित्तीय संस्थान	1,997.81	1,722.20
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	1,221.96	396.36
प्रतिभूति/अप्रतिभूति विमोच्य बाण्ड	5,044.89	5,569.52
विदेशी मुद्रा बाण्ड	136.55	158.76
वित्तीय देयताओं पर छूट को कम करना	57.36	54.78
ब्याज – अन्य	0.29	4.83
पट्टा देयताओं पर ब्याज	4.81	3.88
	8,463.67	**7,910.33**
अन्य वित्त प्रभार		
वचनबद्धता प्रभार	-	0.03
गारण्टी शुल्क	337.66	354.83
अन्य*	16.24	23.09
	353.90	**377.95**
उधारी लागत के समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अन्तर	1,072.04	212.65
	1,425.94	**590.60**
योग	**9,889.61**	**8,500.93**
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय हेतु अंतरित (निवल) – टिप्पणी 43	255.67	464.71
योग	**9,633.94**	**8,036.22**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* अन्य में एजेंसी शुल्क, न्यासी शुल्क, अग्रिम मोर्चे के शुल्क, भूमि, वृक्ष एवं फसल क्षतिपूरण पर ब्याज आदि शामिल है।

टिप्पणी 39 मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	13,664.57	13,111.68
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	132.36	127.25
आरओयू की संपत्ति पर मूल्यह्रास	20.85	22.71
	13,817.78	**13,261.64**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (निवल) टिप्पणी 43	11.49	13.08
	13,806.29	**13,248.56**
घटाएं : एफईआरवी समायोजन के कारण परिशोधित मूल्यह्रास	472.91	376.90
लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित	**13,333.38**	**12,871.66**

टिप्पणी 40 अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
मरम्मत और अनुरक्षण		
भवन	103.46	109.64
संयंत्र और मशीनरी		
सब–स्टेशन	450.56	456.32
ट्रांसमिशन लाईन	153.73	167.07
दूरसंचार उपकरण	59.37	52.55
अन्य	53.44	45.03
	717.10	**720.97**
प्रणाली और बाजार प्रचालन प्रभार	92.14	103.14
विद्युत प्रभार	306.39	294.37
घटाएं : ठेकेदारों से वसूली	0.44	0.89
	305.95	**293.48**
डीजल जेनरेटिंग सेटों के व्यय	5.72	4.91
उपभुक्त सामान	4.61	5.26
जल प्रभार शुल्क	5.33	4.34
मार्गाधिकार व्यय–दूरसंचार	84.65	68.73
पेट्रोलिंग व्यय–दूरसंचार	2.01	2.27
अंतिम चरण की कनेक्टिविटी –दूरसंचार	9.36	7.26
प्रशिक्षण और आवेदन करने के लिए व्यय	40.51	20.03
घटाएं : प्रशिक्षण और आवेदन करने के लिए शुल्क	0.36	0.94
	40.15	**19.09**
कानूनी व्यय	21.75	18.68
व्यावसायिक व्यय	169.14	70.27
परामर्शदायी व्यय	82.43	76.78
संचार व्यय	22.75	24.30
अन्तरदेशीय वाहन भाड़ा व्यय	138.45	111.64
विदेश यात्रा	7.05	3.46
	145.50	**115.10**
निविदा व्यय	1.16	2.23
घटाएं : निविदाओं की बिक्री	0.87	1.14
	0.29	**1.09**
सांविधिक लेखा–परीक्षकों को भुगतान		
लेखा–परीक्षा शुल्क	1.97	1.82
कर लेखा–परीक्षा शुल्क	0.52	0.45
अन्य क्षमत्ता में	1.34	1.29
फुटकर व्यय	0.66	0.28
	4.49	**3.84**
विज्ञापन और प्रचार	17.24	9.11
मुद्रण और लेखन सामग्री	4.95	4.74
पुस्तकें, पत्रिकाएं और जनरल	2.55	1.20
ईडीपी किराया और अन्य व्यय	14.68	11.76
मनोरंजन संबंधी व्यय	4.52	4.13
ब्रोकरेज और कमीशन	2.01	1.85
लागत लेखा–परीक्षा और वास्तविक सत्यापन शुल्क	1.30	1.30
किराया#	33.55	35.07

टिप्पणी 10क व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
सीईआरसी याचिका और अन्य प्रभार	91.58	89.57
विविध व्यय	171.81	88.96
बागवानी व्यय	41.75	39.08
सुरक्षा व्यय	341.06	313.91
वाहन को किराए पर लेना	152.27	138.81
बीमा व्यय	142.96	138.23
दरें और कर	48.23	51.10
डीओटी का लाइसेंस शुल्क	64.24	54.11
बैंडविड्थ प्रभार डार्क फाईबर पट्टा व्यय (दूरसंचार)	34.32	22.84
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	327.09	273.91
मार्गस्थ निवास व्यय	41.05	38.32
घटाएं : मार्गस्थ निवास से आय	1.76	1.25
	39.29	**37.07**
विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन	293.14	6.72
वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्यांकन हानि	165.16	-
निम्नलिखित हेतु प्रावधान		
संदिग्ध ऋण, अग्रिम, ऋण, दावे आदि	5.31	4.20
सामग्रियों का अप्रचलित होना	3.09	-
अन्य**	29.25	-
	37.65	**4.20**
	3,848.18	**2,976.82**
घटाएं : निर्माण के दौरान आय में स्थानान्तरित (निवल)—टिप्पणी 43	281.63	199.70
	3,566.55	**2,777.12**
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान/बट्टे खाते डालने पर हानि	28.07	28.43
योग	**3,594.62**	**2,805.55**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* इसमें टिप्पणी सं. 37 – ''कर्मचारी हितलाभ व्यय'' से स्थानान्तरित रू 9.90 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष 9.51) की राशि शामिल है।

अल्पकालिक पट्टा व्यय के लिए टिप्पणी संख्या 51 देखें।

** इसमें नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) को ऋण के लिए रू 21.74 करोड़ की क्षतिग्रस्तता हानि शामिल है।

टिप्पणी 41 विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल घट-बढ़-आय/(व्यय) (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
आस्थगित कर देयता हेतु आस्थगित परिसंपत्ति	(783.43)	(736.52)
विदेशी मुद्रा घट–बढ़	1,216.29	93.03
कर्मचारी हितलाभ और अन्य व्यय	(131.66)	1.60
	301.20	**(641.89)**
विनियामक आस्थगन लेखा शेषों मे निवल घट–बढ़ पर कर	52.63	(112.15)
योग	**248.57**	**(529.74)**

अतिरिक्त टिप्पणी:

विनियामक आस्थगन लेखा शेषों के संबंध में विस्तृत प्रकटन हेतु टिप्पणी सं. 52 को देखें।

टिप्पणी 42 अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
इक्विटी में निवेश के मूल्यांकन पर अभिलाभ/(हानि)	(142.01)	478.85
बीमाकन मूल्यांकन हेतु प्रावधान	39.57	(196.78)
	(102.44)	**282.07**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय हेतु आस्थगित (निवल) – टिप्पणी–43	18.69	(34.34)
	(121.13)	**316.41**
घटाएं : मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि के पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
वर्तमान कर	3.65	(28.39)
आस्थगित कर	(18.09)	53.90
	(14.44)	**25.51**
मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)	**(106.69)**	**290.90**

टिप्पणी 43 निर्माण के दौरान व्यय (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
क. कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ		
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	207.05	319.75
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	29.40	43.07
कल्याण व्यय	12.59	20.83
योग (क)	**249.04**	**383.65**
ख. अन्य व्यय		
मरम्मत और अनुरक्षण	0.31	1.11
विद्युत प्रभार (ठेकेदारों) से वसूली का निवल)	3.87	3.88
डीजल जेनरेटिंग सेटों पर व्यय	0.09	0.06
जल प्रभार	0.10	0.08
कानूनी व्यय	1.70	3.62
व्यावसायिक व्यय	136.26	42.61
परामर्शदायी व्यय	77.40	75.90
संचार व्यय	1.29	2.58
यात्रा और वाहन यात्रा व्यय (विदेश यात्रा सहित)	16.78	19.52
निविदा व्यय	1.38	1.08
घटाएं : निविदाओं की बिक्री	0.85	1.06
	0.53	**0.02**
विज्ञापन और प्रचार	0.47	0.07
मुद्रण और लेखन सामग्री	0.15	0.16
ईडीपी किराया और अन्य व्यय	0.02	0.06
मनोरंजन संबंधी व्यय	0.02	0.03
ब्रोकरेज और कमीशन	0.01	0.01

टिप्पणी 43 निर्माण के दौरान व्यय (निवल) (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
किराया	0.67	0.76
विविध व्यय	21.39	12.68
सुरक्षा व्यय	7.58	12.80
वाहनों को किराए पर लेना	7.36	9.67
बीमा	0.06	-
दरें और कर	4.37	12.64
बैंडविड्थ प्रभार डार्क फाईबर पट्टा व्यय (दूरसंचार)	0.39	0.38
मार्गस्थ निवास व्यय	0.81	1.08
घटाएं : मार्गस्थ निवास से आय	-	0.02
	0.81	**1.06**
योग (ख)	**281.63**	**199.70**
ग. मूल्यह्रास/परिशोधन	**11.49**	**13.08**
योग (ग)	**11.49**	**13.08**
घ. वित्त लागत		
क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज एवं वित्त प्रभार		
भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थान	72.79	21.86
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	2.46	16.82
प्रतिभूत/अप्रतिभूत विमोच्य बांड	62.18	107.78
विदेशी मुद्रा बांड	-	0.84
अन्य	116.45	272.75
	253.88	**420.05**
ख) अन्य वित्त व्यय		
गारंटी शुल्क	0.36	11.12
अन्य	0.07	0.13
	0.43	**11.25**
ग) उधारी लागत में एफईआरवी समायोजन	1.36	33.41
योग (घ)	**255.67**	**464.71**
ङ. घटाएं: अन्य आय		
निम्न से ब्याज		
ठेकेदार	19.16	27.16
अन्य	0.08	0.93
	19.24	**28.09**
विविध आय	16.30	10.42
योग (ङ.)	**35.54**	**38.51**
च. घटाएं: अन्य व्यापक आय		
अन्य व्यापक आय	18.69	(34.34)
योग (च)	**18.69**	**(34.34)**
कुल योग (क+ख+ग+घ–ङ.–च)	**743.60**	**1,056.97**

44. अन्य संस्थाओं में हित

1. सहायक कंपनियां

31.03.2023 को समूह की सहायक कंपनियाँ नीचे दी गई हैं। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, उनके पास धारित शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर शामिल हैं जो सीधे समूह द्वारा धारित किए गए हैं, और स्वामित्व हित का अनुपात समूह द्वारा रखे गए मतदान अधिकारों के बराबर है:

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात		मूल गतिविधियां
		31.03.2022 तक	31.03.2022 तक	
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड*	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड उंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड साउदर्न इन्टरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड वाराणसी ट्रॉसमिशन लिमिटेड	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड भिन्डगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड अजमेरफागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती रामगढ़ट्रांसमिशन लिमिटेड)	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती जेपी पॉवरग्रिड लिमिटेड)	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती बीकानेर II ट्रांसको लिमिटेड)	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड)	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पॉवरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती फतेहगढ भादला ट्रांसको लिमिटेड)	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती सीकर II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड)	India	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड टेलीसर्विसिज लिमिटेड	India	100%	100%	दूरसंचार
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	India	100%	100%	ऊर्जा प्रबंधन
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती खेतड़ी–नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड)[1]	India	100%	एनए	ट्रांसमिशन

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात		मूल गतिविधियां
		31.03.2022 तक	31.03.2022 तक	
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड)[2]	India	100%	एनए	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड)[3]	India	100%	एनए	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड)[4]	India	100%	एनए	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड)[5]	India	100%	एनए	ट्रांसमिशन
खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड[5]	India	100%	एनए	ट्रांसमिशन
खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड[5]	India	100%	एनए	ट्रांसमिशन
खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड[5]	India	100%	एनए	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड)[5]	India	100%	एनए	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड)[5]	India	100%	एनए	ट्रांसमिशन
रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड[6]	India	100%	एनए	ट्रांसमिशन
धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड[6]	India	100%	एनए	ट्रांसमिशन
भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड[6]	India	100%	एनए	ट्रांसमिशन

* कंपनी का गठन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) पर आवंटित वेमागिरी ट्रांसमिशन प्रणाली के निष्पादन के लिए एसपीवी के रूप में किया गया था। सीईआरसी ने दिनांक 09.05.2013 और 27.09.2013 के आदेश के तहत अन्य बातों के अलावा कहा कि वेमागिरी ट्रांसमिशन प्रणाली को उसके वर्तमान स्वरूप में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। इस परिदृश्य में, कंपनी कोई भी आगे की गतिविधि करने में असमर्थ है और एक प्रगतिशील संस्था का विषय नहीं रह गई है।

[1]11.05.2022 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से 100: इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

[2]30.05.2022 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से 100: इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

[3]24.08.2022 को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

[4]10.10.2022 को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

[5] 21.03.2023 को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

[6]28.03.2023 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से 100: इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

i) सभी सहायक कंपनियाँ असूचीबद्ध संस्थाएँ हैं।

ii) पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड को छोड़कर समेकन के लिए उपयोग किए गए वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया जाता है।

iii) समूह ने पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू2.00 करोड़ (पिछले वर्ष रू3.90 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

iv) समूह ने पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू9.00 करोड़ (पिछले वर्ष रू88.37 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

v) समूह ने पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू0.00 करोड़ (पिछले वर्ष रू19.70 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

vi) समूह ने पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड में रू1.56 करोड़ (पिछले वर्ष रू17.95 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

vii) समूह ने पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू0.00 करोड़ (पिछले वर्ष रू12.40 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

viii) समूह ने पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड में रू0.00 करोड़ (पिछले वर्ष रू36.85 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

ix½ समूह ने पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू52.00 करोड़ (पिछले वर्ष रू82.29 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

x) समूह ने पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू21.80 करोड़ (पिछले वर्ष रू40.10 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xi) समूह ने पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू0.00 करोड़ (पिछले वर्ष रू3.00 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xii) समूह ने पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू0.00 करोड़ (पिछले वर्ष रू27.59 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xiii) समूह ने पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू33.10 करोड़ (पिछले वर्ष रू87.48 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xiv) समूह ने पावरग्रिड मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू65.42 करोड़ (पिछले वर्ष रू97.70 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xv) समूह ने पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू23.90 करोड़ (पिछले वर्ष रू1.05 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xvi) समूह ने पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड में रू77.79 करोड़ (पिछले वर्ष रू22.20 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xvii) समूह ने पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू32.65 करोड़ (पिछले वर्ष रू47.35 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xviii) समूह ने पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू11.90 करोड़ (पिछले वर्ष रू20.31 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xix) समूह ने पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू15.60 करोड़ (पिछले वर्ष रू62.35 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xx) समूह ने पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड में रू0.00 करोड़ (पिछले वर्ष रू9.00 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xxi) समूह ने पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड में रू10.00 करोड़ (पिछले वर्ष रू0.00 करोड़) का और निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xxii) वर्ष के दौरान समूह ने पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (तत्कालीन खेतड़ी–नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड) में रू0.01 करोड़ (पिछले वर्ष रू0.00 करोड़) का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 11.05.2022 को शेयर खरीद समझौते के माध्यम से कंपनी को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से ले लिया गया था, हस्तांतरण के बाद पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxiii) वर्ष के दौरान समूह ने पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (तत्कालीन मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड) में रू0.01 करोड़ (पिछले वर्ष रू0.00 करोड़) का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए शेयर खरीद समझौते दिनांक 30.05.2022 के माध्यम से कंपनी को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से ले लिया गया था, हस्तांतरण के बाद पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxiv) वर्ष के दौरान समूह ने पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्व में नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड) में रू0.05 करोड़ (पिछले वर्ष रू0.00 करोड़) का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 24.08.2022 को शेयर खरीद समझौते के माध्यम से कंपनी को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से ले लिया गया था, हस्तांतरण के बाद पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxv) वर्ष के दौरान समूह ने पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड) में रू0.05 करोड़ (पिछले वर्ष रू0.00 करोड़) का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी को शेयर खरीद समझौते दिनांक 10.10.2022 के माध्यम से आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से लिया गया था, हस्तांतरण के बाद पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxvi) वर्ष के दौरान समूह ने ईआरडब्लूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू0.05 करोड़ (पिछले वर्ष रू0.00 करोड़) का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 21.03.2023 को शेयर खरीद समझौते के माध्यम से कंपनी को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से ले लिया गया था, हस्तांतरण के बाद ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxvii) वर्ष के दौरान समूह ने खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू0.05 करोड़ (पिछले वर्ष रू0.00 करोड़) का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 21.03.2023 को शेयर खरीद समझौते के माध्यम से कंपनी को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से ले लिया गया था, हस्तांतरण के बाद खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxviii) वर्ष के दौरान समूह ने खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू0.05 करोड़ (पिछले वर्ष रू0.00 करोड़) का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 21.03.2023 को शेयर खरीद समझौते के माध्यम से कंपनी को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से ले लिया गया था, हस्तांतरण के बाद खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxix) वर्ष के दौरान समूह ने खावड़ा Ø–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू0.05 करोड़ (पिछले वर्ष रू0.00 करोड़) का निवेश किया है जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 21.03.2023 को शेयर खरीद समझौते के माध्यम से कंपनी को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से ले लिया गया था, हस्तांतरण के बाद खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxx) वर्ष के दौरान समूह ने केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू0.05 करोड़ (पिछले वर्ष रू0.00 करोड़) का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 21.03.2023 को शेयर खरीद समझौते के माध्यम से कंपनी को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से ले लिया गया था, हस्तांतरण के बाद केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxxi) वर्ष के दौरान समूह ने केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू0.05 करोड़ (पिछले वर्ष रू0.00 करोड़) का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 21.03.2023 को शेयर खरीद समझौते के माध्यम से कंपनी को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से ले लिया गया था, हस्तांतरण के बाद केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxxii) वर्ष के दौरान समूह ने रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू0.01 करोड़ (पिछले वर्ष रू0.00 करोड़) का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए शेयर खरीद समझौते दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से लिया गया था, स्थानांतरण के बाद रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxxiii) वर्ष के दौरान समूह ने धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू0.01 करोड़ (पिछले वर्ष रू0.00 करोड़) का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए शेयर खरीद समझौते दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से लिया गया था, हस्तांतरण के बाद धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxxiv) वर्ष के दौरान समूह ने भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड में रू0.01 करोड़ (पिछले वर्ष रू0.00 करोड़) का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए शेयर खरीद समझौते दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से कंपनी को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से ले लिया गया था, हस्तांतरण के बाद भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

2. संयुक्त उपक्रम

31.03.2023 तक समूह के संयुक्त उद्यम नीचे दिए गए हैं, जो प्रबंधन की राय में, समूह के लिए महत्वपूर्ण हैं। नीचे सूचीबद्ध संस्थाओं के पास धारित शेयर पूंजी में पूरी तरह से इक्विटी शेयर शामिल हैं, जो सीधे स्वामित्व हित द्वारा धारित हैं जो कि मतदान के अधिकारों के अनुपात के बराबर हैं:

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/निगमन का देश	शेयरधारित का अनुपात (%)		वहन राशि		गतिविधि की प्रकृति
		31.03.2022 तक	31.03.2021 तक	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक	
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	49%	49%	474.12	477.91	भूटान में ताला एचईपी से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली – अगस्त 06 से सफल संचालन के तहत
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	भारत	26%	26%	35.41	34.32	सूरत में 1100 मेगावाट की सुजेन उत्पादन परियोजना से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली – मार्च 2011 में धीरे–धीरे चालू की गई
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26%	26%	84.35	80.18	पारबती–II (800 मेगावाट) और कोल्डम (800 मेगावाट) एचईपी से जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनें। – नवंबर 2015 में उत्तरोत्तर चालू किया गया
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड[1]	भारत	30.92%	30.92%	161.28	144.99	सिक्किम में 1200 मेगावाट तीस्ता–III एचईपी से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26%	26%	139.74	128.81	त्रिपुरा के पल्लाटाना में 726.6 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली। – फरवरी 2015 में उत्तरोत्तर चालू किया गया
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	20%	20%	-	14.24	उच्च शक्ति शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुविधा बनाना
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	भारत	50%	50%	479.59	512.09	बिहार राज्य में अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की स्थापना
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड[2]	भारत	33.33%	33.33%	292.45	423.03	ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं।
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड[3]	भारत	26%	26%	34.09	32.99	मुजफ्फरपुर से सुरसंड तक भारत–नेपाल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से की स्थापना
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड[4]	भारत	50%	50%	-	-	ट्रांसमिशन लाइन टावर पार्ट्स प्लांट के निर्माण की स्थापना
भुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	50%	NA	0.02	NA	नई बुटवल–गोरखपुर 400 केवी डबल सर्किट (क्वाड मूस) क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से का कार्यान्वयन
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	नेपाल	26%	26%	13.60	12.65	ढलकेबार से भिट्टामोड़ तक भारत–नेपाल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के नेपाल भाग की स्थापना

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

[1] पावरग्रिड और तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और शेयरहोल्डिंग समझौते के अनुसार क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत इक्विटी रखते हैं। तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त इक्विटी के आह्वान पर, पावरग्रिड ने अपने हिस्से का योगदान दिया, जबकि अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार ने अभी तक अपने हिस्से का योगदान नहीं दिया है। नतीजतन, पावरग्रिड की हिस्सेदारी बढ़कर 30.92 प्रतिशत हो गई. जबकि शेयरहोल्डिंग समझौते में 26 प्रतिशत प्रदान किया गया था।

[2] कंपनी ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) में वर्ष के दौरान रू407.49 करोड़ का निवेश किया है, जिससे उसकी हिस्सेदारी 5.71 प्रतिशत से बढ़कर 33.33 प्रतिशत हो गई है। ईईएसएल को संयुक्त उद्यम के रूप में माना गया है। 01.09.2021 संयुक्त नियंत्रण होने के कारण अनुबंध दिनांक 01.09.2021 के तहत बहाल कर दिया गया है।

[3] कंपनी के निदेशक मंडल ने 01 मई 2022 को हुई अपनी बैठक में क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी का संयुक्त उद्यम) में आईएल एंड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा धारित 77,30,225 इक्विटी शेयर की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वर्तमान में प्रस्ताव एनसीएलएटी में समीक्षाधीन है।

[4] पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने 01.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल) को बंद करने और अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहमति लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 08.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में आरपीटीपीएल कार्यवाही को बंद करने और आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। आरपीटीपीएल को बंद करने की मंजूरी इस्पात मंत्रालय से 11.07.2022 को प्राप्त हुई थी। हालाँकि, बंद करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी, क्योंकि साइट सक्षमकर्ता कार्यों के संविदाकार ने मध्यस्थता के आह्वान के लिए दिनांक 17–12–2022 को नोटिस दिया है। सुलहकर्ता नियुक्त कर दिया गया है और सुलह की कार्यवाही प्रगति पर है।

[5] न्यू भुटवल–गोरखपुर 400 केवी डबल सर्किट (क्वाड मूस) क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से के कार्यान्वयन के लिए 50:50 की इक्विटी भागीदारी के साथ कंपनी और नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में 31.08.2022 को निगमित किया गया।

क) सभी संयुक्त उद्यम कंपनियां असूचीबद्ध संस्थाएं हैं।

ख) पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड और नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को छोड़कर समेकन के लिए उपयोग किए जाने वाले वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

ग) समूह ने बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड में रू11.59 करोड़ (पिछले वर्ष रू32.24 करोड़) का और निवेश किया है, जो एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें 50% हिस्सा समूह के पास है और शेष 50% हिस्सा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के पास है।

घ) समूह ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड में रू शून्य (पिछले वर्ष रू407.49 करोड़) का और निवेश किया है, जो एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें 33.33% हिस्सा समूह के पास है और शेष 66.67% हिस्सा एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के पास है।

ङ) समूह ने वर्ष के दौरान रू0.03 करोड़ का निवेश किया है क्योंकि इसे 31.08.2022 को कंपनी और नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के बीच नई बुटवल–गोरखपुर 400 केवी डबल सर्किट (क्वाड मूस) क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से के कार्यान्वयन के लिए 50:50 की इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था।

संयुक्त उद्यम के संबंध में प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
समूह का हिस्सा		
प्रतिबद्धता	117.56	7.98
आकस्मिक देयताएं	211.27	50.58
कुल प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं	**328.83**	**58.56**

संयुक्त उद्यमों के लिए सारांशित वित्तीय जानकारी:

नीचे दी गई तालिका इन संयुक्त उद्यमों के लिए सारांशित वित्तीय जानकारी प्रदान करती है जो समूह के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रकट की गई जानकारी संबंधित संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशि को दर्शाती है

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

सारांशित तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड		पारबती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
चालू परिसंपत्तियां								
नकदी और नकदी समतुल्य	0.27	3.80	1.42	0.52	21.76	25.72	13.54	9.05
कुल परिसंपत्तियां	169.45	156.93	31.51	26.78	140.10	181.32	113.19	58.08
कुल चालू परिसंपत्तियां	**169.72**	**160.73**	**32.93**	**27.30**	**161.86**	**207.04**	**126.73**	**67.13**
कुल गैर–चालू परिसंपत्तियां	**833.08**	**847.80**	**113.20**	**123.83**	**547.52**	**594.17**	**1,283.70**	**1,381.35**
चालू देयताएं								
वित्तीय देयताएं	12.27	11.46	4.39	13.01	153.99	204.19	108.27	114.22
अन्य देयताएं	13.62	12.79	3.08	3.59	0.15	0.18	43.84	43.90
कुल चालू देयताएं	**25.89**	**24.25**	**7.47**	**16.60**	**154.14**	**204.37**	**152.11**	**158.12**
गैर–चालू देयताएं								
वित्तीय देयताएं	7.47	7.14	-	-	230.75	288.46	684.61	788.97
अन्य देयताएं	1.85	1.82	2.46	2.54	0.07	-	52.12	32.46
कुल गैर–चालू देयताएं	**9.32**	**8.96**	**2.46**	**2.54**	**230.82**	**288.46**	**736.73**	**821.43**
निवल परिसंपत्ति	**967.59**	**975.32**	**136.20**	**131.99**	**324.42**	**308.38**	**521.59**	**468.93**

(₹ करोड़ में)

विवरण	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड		बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड		एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
चालू परिसंपत्तियां								
नकदी और नकदी समतुल्य	28.49	43.83	7.67	2.58	235.64	129.89	521.29	724.05
कुल परिसंपत्तियां	144.64	164.54	3.41	3.16	514.78	681.36	4,781.31	4,713.42
कुल चालू परिसंपत्तियां	**173.13**	**208.37**	**11.08**	**5.74**	**750.42**	**811.25**	**5,302.60**	**5,437.47**
कुल गैर–चालू परिसंपत्तियां	**1,232.01**	**1,407.57**	**225.13**	**328.61**	**2,809.22**	**2,770.37**	**5,106.99**	**4,694.25**
चालू देयताएं								
वित्तीय देयताएं	105.88	226.11	97.67	71.61	209.07	178.85	4,852.23	4,047.24
अन्य देयताएं	4.86	6.09	6.23	3.68	162.81	140.45	189.16	206.40
कुल चालू देयताएं	**110.74**	**232.20**	**103.90**	**75.29**	**371.88**	**319.30**	**5,041.39**	**4,253.64**
गैर–चालू देयताएं								
वित्तीय देयताएं	693.80	791.25	172.03	187.05	2,056.15	2,063.97	4,436.81	4,595.02
अन्य देयताएं	63.15	97.08	0.38	0.80	172.43	174.18	53.94	13.83
कुल गैर–चालू देयताएं	**756.95**	**888.33**	**172.41**	**187.85**	**2,228.58**	**2,238.15**	**4,490.75**	**4,608.85**
निवल परिसंपत्ति	**537.45**	**495.41**	**(40.10)**	**71.21**	**959.18**	**1,024.17**	**877.45**	**1,269.23**

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	क्रास बार्डर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड		बुटवल–गोरखपुर क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
चालू परिसंपत्तियां								
नकदी और नकदी समतुल्य	34.92	26.17	0.11	0.11	0.05	-	0.40	0.52
कुल परिसंपत्तियां	37.80	39.85	-	-	-	-	52.73	48.63
कुल चालू परिसंपत्तियां	**72.72**	**66.02**	**0.11**	**0.11**	**0.05**	**-**	**53.13**	**49.15**
कुल गैर–चालू परिसंपत्तियां	**178.99**	**191.81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64.76**	**69.71**
चालू देयताएं								
वित्तीय देयताएं	14.99	15.29	1.48	1.48	0.01	-	3.41	3.90
अन्य देयताएं	9.59	2.50	0.01	0.01	-	-	4.26	3.34
कुल चालू देयताएं	**24.58**	**17.79**	**1.49**	**1.49**	**0.01**	**-**	**7.67**	**7.24**
गैर–चालू देयताएं								
वित्तीय देयताएं	95.97	108.76	-	-	-	-	57.93	62.97
अन्य देयताएं	0.06	4.38	-	-	-	-	-	-
कुल गैर–चालू देयताएं	**96.03**	**113.14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57.93**	**62.97**
निवल परिसंपत्ति	**131.10**	**126.90**	**(1.38)**	**(1.38)**	**0.04**	**-**	**52.29**	**48.65**

वहन राशियों का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड		पारबती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
आरम्भिक निवल परिसंपत्तियां	975.32	958.43	131.99	133.33	308.38	333.06	468.93	452.83
संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit for the year	81.08	91.39	21.23	18.46	43.18	13.51	51.67	16.14
अन्य व्यापक आय	0.11	0.38	0.08	-	0.07	0.01	(0.04)	0.02
प्रदत्त लाभांश	88.92	74.88	17.10	19.80	27.28	38.20	-	-
अन्य समायोजन	-	-	-	-	0.07	-	1.03	(0.06)
अंत में निवल परिसंपत्तियां	**967.59**	**975.32**	**136.20**	**131.99**	**324.42**	**308.38**	**521.59**	**468.93**
समूह के हिस्सा – प्रतिशत में	49%	49%	26%	26%	26%	26%	30.92%	30.92%
समूह का हिस्सा – रुपए में	474.12	477.91	35.41	34.32	84.35	80.18	161.28	144.99
वहन राशि	**474.12**	**477.91**	**35.41**	**34.32**	**84.35**	**80.18**	**161.28**	**144.99**

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड		बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड		एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
आरम्भिक निवल परिसंपत्तियां	495.41	479.31	71.21	91.08	1,024.17	862.58	1,269.23	1,010.85
संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा निवेश	-	-	-	-	23.18	64.48	-	407.49
वर्ष के लिए लाभ	88.62	69.57	(111.29)	(20.02)	(88.17)	143.96	(329.43)	(149.23)
अन्य व्यापक आय	(0.21)	0.01	-	-	-	-	6.48	0.12
प्रदत्त लाभांश	69.94	53.48	-	-	-	-	-	-
अन्य समायोजन	23.57	-	(0.02)	0.15	-	(46.85)	(68.83)	-
अंत में निवल परिसंपत्तियां	**537.45**	**495.41**	**(40.10)**	**71.21**	**959.18**	**1,024.17**	**877.45**	**1,269.23**
समूह के हिस्सा – प्रतिशत में	26%	26%	20%	20%	50%	50%	33.33%	33%
समूह का हिस्सा – रुपए में	139.74	128.81	-	14.24	479.59	512.09	292.45	423.03
वहन राशि	**139.74**	**128.81**	**-**	**14.24**	**479.59**	**512.09**	**292.45**	**423.03**

(₹ करोड़ में)

विवरण	क्रास बार्डर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड		बुटवल–गोरखपुर क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
आरम्भिक निवल परिसंपत्तियां	126.90	115.25	(1.38)	(1.38)	-	-	48.65	45.49
संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा निवेश	-	-	-	-	0.05	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	16.33	17.26	-	(0.01)	(0.01)	-	8.70	8.29
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभांश	12.13	5.33	-	-	-	-	5.06	5.06
अन्य समायोजन	-	(0.28)	-	0.01	-	-	-	(0.07)
अंत में निवल परिसंपत्तियां	**131.10**	**126.90**	**(1.38)**	**(1.38)**	**0.04**	**-**	**52.29**	**48.65**
समूह के हिस्सा – प्रतिशत में	26%	26%	50%	50%	50%	50%	26%	26%
समूह का हिस्सा – रुपए में	34.09	32.99	-	-	0.02	-	13.60	12.65
वहन राशि	**34.09**	**32.99**	**-**	**-**	**0.02**	**-**	**13.60**	**12.65**

लाभ एवं हानि का सारांशित विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड		पारबती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
प्रचालनों से राजस्व	128.61	138.70	39.11	38.91	138.51	107.12	250.86	238.67
अन्य आय	10.22	5.46	1.28	1.94	4.35	7.19	3.25	2.44
कुल आय	**138.83**	**144.16**	**40.39**	**40.85**	**142.86**	**114.31**	**254.11**	**241.11**

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड		पारबती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
कर्मचारी हितलाभ व्यय	9.69	9.46	1.45	1.88	3.18	3.16	7.49	7.93
वित्त लागतें	0.77	0.82	0.15	1.05	28.75	38.37	63.14	126.93
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	0.68	0.68	16.45	16.45	49.50	49.43	88.55	88.48
अन्य व्यय	10.30	6.93	3.08	2.91	9.32	7.19	8.88	10.59
कुल व्यय	**21.44**	**17.89**	**21.13**	**22.29**	**90.75**	**98.15**	**168.06**	**233.93**
कर व्यय	36.31	34.88	(1.97)	0.10	8.93	2.65	34.38	(8.96)
वर्ष के लिए लाभ	81.08	91.39	21.23	18.46	43.18	13.51	51.67	16.14
अन्य व्यापक आय	0.11	0.38	0.08	-	0.07	0.01	(0.04)	0.02
कुल व्यापक आय	**81.19**	**91.77**	**21.31**	**18.46**	**43.25**	**13.52**	**51.63**	**16.16**
प्राप्त लाभांश	43.57	36.69	4.45	5.15	7.09	9.93	-	-

(₹ करोड़ में)

विवरण	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड		बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड		एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
प्रचालनों से राजस्व	278.66	309.24	20.06	14.65	174.62	452.62	2,373.39	938.76
अन्य आय	26.32	11.52	0.12	0.38	77.68	65.92	73.47	23.76
कुल आय	**304.98**	**320.76**	**20.18**	**15.03**	**252.30**	**518.54**	**2,446.86**	**962.52**
Purchase of Stock in Trade	-	-	-	-	-	-	643.81	129.52
कर्मचारी हितलाभ व्यय	8.65	6.99	2.06	1.96	19.98	14.95	183.73	35.96
वित्त लागतें	64.62	59.92	20.96	19.18	158.50	175.85	462.88	237.10
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	118.15	117.38	8.61	8.51	127.40	105.38	756.06	408.91
अन्य व्यय	13.06	12.77	99.84	5.40	36.34	29.03	790.65	355.40
कुल व्यय	**204.48**	**197.06**	**131.47**	**35.05**	**342.22**	**325.21**	**2,837.13**	**1,166.89**
कर व्यय	11.88	54.13	-	-	(1.75)	49.37	(58.53)	(55.14)
वर्ष के लिए लाभ	88.62	69.57	(111.29)	(20.02)	(88.17)	143.96	(331.74)	(149.23)
अन्य व्यापक आय	(0.21)	0.01	-	-	-	-	7.42	0.12
कुल व्यापक आय	**88.41**	**69.58**	**(111.29)**	**(20.02)**	**(88.17)**	**143.96**	**(324.32)**	**(149.11)**
प्राप्त लाभांश	18.18	13.90	-	-	-	-	-	-

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	क्रास बार्डर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड		बुटवल–गोरखपुर क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
प्रचालनों से राजस्व	7.42	7.23	-	-	-	-	16.21	16.46
अन्य आय	25.53	27.25	-	-	-	-	4.53	3.70
कुल आय	**32.95**	**34.48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.74**	**20.16**
कर्मचारी हितलाभ व्यय	1.99	1.34	-	-	-	-	0.79	0.74
वित्त लागतें	11.31	12.37	-	-	-	-	3.44	3.64
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	0.02	0.02	-	-	-	-	5.19	5.20
अन्य व्यय	3.30	3.49	-	0.01	0.01	-	1.88	1.68
कुल व्यय	**16.62**	**17.22**	**-**	**0.01**	**0.01**	**-**	**11.30**	**11.26**
कर व्यय	-	-	-	-	-	-	0.74	0.61
वर्ष के लिए लाभ	16.33	17.26	-	(0.01)	(0.01)	-	8.70	8.29
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	**16.33**	**17.26**	**-**	**(0.01)**	**(0.01)**	**-**	**8.70**	**8.29**
प्राप्त लाभांश	3.15	1.39	-	-	-	-	1.32	1.32

45. वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया गया अनुसंधान व्यय रु 28.61 करोड़ (पिछला वर्ष रु 2.85 करोड़) है।

46. अ) व्यापारिक प्राप्यों की अधिशेष राशि और परिसम्पत्तियों के अंतर्गत दर्शाई गई वसूलनीय राशि तथा देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई व्यापारिक और अन्य देय राशि में ऐसी अधिशेष राशि शामिल है, जो पुष्टिकरण लेखा समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। तथापि, लेखा समाधान सतत आधार पर किया जाता है। प्रबंधन की राय में, खातों की पुस्तकों में किसी भी भौतिक समायोजन की उम्मीद नहीं है।

ब) प्रबंधन की राय में, सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर गैर–वर्तमान से भिन्न किसी भी परिसम्पत्तियों का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा, जिन पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

47. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण – ''ग्राहकों के साथ संविदां से राजस्व''

क) मील के पत्थर आधारित अनुबंधों (परामर्श अनुबंध) के लिए, असंतुष्ट प्रदर्शन दायित्व निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
असंतुष्ट (या आंआंशिक रूप से संतुष्ट) प्रदर्शन दायित्व से संबंधित लेनदेन मूल्य	1,023.65	1,519.30
इन प्रदर्शन दायित्वों के कितने समय भीतर संतुष्ट होने की उम्मीद है	3 वर्ष	3 वर्ष

47. Disclosure as per Ind AS 115 - "Revenue from Contracts with Customers" (Contd.)

ख) वर्ष के दौरान संविदा परिसम्पत्तियों में उतार–चढ़ाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
शुरुआत में शेष	5,607.74	2,180.59
जोड़ें: अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	1,831.98	8,301.35
घटाएं: अवधि के दौरान व्यापार प्राप्तियों में इनवॉइस्ड/अंतरित	6,592.32	4,874.20
घटाएं: अवधि के दौरान निवेश/वापसी	18.92	-
अंत में शेष	**828.48**	**5,607.74**

ग) वर्ष के दौरान अनुबंध दायित्व में उतार–चढ़ाव इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभ में शेष	1,022.73	1,035.14
जोड़े: अवधि के दौरान अग्रिम बिलिंग	537.39	865.78
घटाएं: अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व		
क. अवधि की शुरुवात में अनुबंध दायित्व से	405.47	691.95
ख. अवधि के दौरान मान्यताप्राप्त अनुबंध दायित्व से	68.47	186.42
जोड़ें: रुपांतरण लाभ/हानि	0.40	0.18
अंत में शेष	**1,086.58**	**1,022.73**

घ. प्रतिष्ठान अपने पिछले अनुभवों के रिफंड या राजस्व की मात्रा में महत्वपूर्ण उलटफेर पर विचार करते हुए अपेक्षित मूल्य पद्धति के आधार पर लेनदेन मूल्य निर्धारित करता है। महत्वपूर्ण वित्तीय घटक का आकलन करने में, प्रबंधन प्रतिफल की प्रतिनियुक्ति दर के आधार पर अंतर्निहित लेनदेन मूल्य में वित्तपोषण तत्व पर विचार करता है। लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व की तुलना में अनुबंधित मूल्य का समाधान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संविदागत मूल्य	43,464.45	40,280.46
जोड़ें/(घटाएं) – ग्राहक को दी जाने वाली छूट/छूट	(220.77)	(171.55)
जोड़ें/(घटाएं) – प्रदर्शन बोनस	544.45	447.97
जोड़ें/(घटाएं) – महत्वपूर्ण वित्तीय घटक के लिए समायोजन	65.53	80.65
जोड़ें/(घटाएं) – अन्य समायोजन	1,727.62	984.11
लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व	**45,581.28**	**41,621.64**

48. (i) : 1,589.78 करोड़ की एफईआरवी हानि (पिछले वर्ष रू 568.13 करोड़ की एफईआरवी हानि) को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्रगति में पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी/अमूर्ति परिसंपत्ति/लीज प्राप्य) की संबंधित अग्रेणीत राशि में समायोजित किया गया है।

(ii) : 293.14 करोड़ की एफईआरवी हानि (पिछले वर्ष रू 6.69 करोड़ की एफईआरवी हानि) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

49. वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत रू 255.67 करोड़ (पिछले वर्ष रू 464.71 करोड़) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) की संबंधित वहन राशि में भा.ले.मा. 23 उधार लागत के अनुसार है।

50. समूह के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कुछ आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत हैं। जानकारी कंपनी अधिनियम 2013 और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अन्य	व्यापार देय		अन्य	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	मूल राशि और उस पर देय ब्याज प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न किया गया हो:				
	मूलधन	49.34	47.19	23.43	5.66
	ब्याज	-	-	-	-
2	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 46 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	-	-	-	-
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगत्तान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से अधिक) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-	-	-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	-	-	-	-
5	आगे के वर्षों में भी शेष देय और देय ब्याज की राशि, जब तक कि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में छूट के उद्देश्य के लिए उपरोक्त के रूप में ब्याज देय राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की जाती है।	-	-	-	-

51. भा.ले.मा. 116 ''पट्टे'' के अनुसार प्रकटीकरण

क) एक पट्टेदार के रूप में – वित्त पट्टे:

समूह ने वित्तीय पट्टों के रूप में राज्य क्षेत्र की यूएलडीसी परिसंपत्तियों और द्विपक्षीय परिसंपत्तियों के लिए व्यवस्थाओं का वर्गीकरण और लेखाकरण किया है। राज्य क्षेत्र के यूएलडीसी के लिए समझौते 5 साल की अवधि के लिए हैं और लाभार्थी के साथ द्विपक्षीय लाइन परिसंपत्तियां सीईआरसी विनियमों में निर्दिष्ट अवधि के लिए हैं:

अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में राज्य क्षेत्र के यूएलडीसी और द्विपक्षीय लाइन परिसंपत्तियों के संबंध में समूह द्वारा घटकों के साथ किए गए वित्त पट्टा लेनदेन पर प्राप्य भविष्य के लीज रेंटल के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली लीज प्राप्तियां शामिल हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित भा.ले.मा. 116 ''पट्टे'' की प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निम्नानुसार दिया गया है।

(i) वित्तीय वर्ष के अंत में पट्टे में सकल निवेश, अनर्जित वित्त आय और न्यूनतम पट्टा भुगतान प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य का विवरण नीचे

51. भा.ले.मा. 116 ''पट्टे'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
पट्टे में सकल निवेश	7,038.53	2,779.60
अनअर्जित वित्त आय	4,559.60	1,788.84
न्यूनतम पट्टे भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	2,478.93	990.76

(i) ऐसे पट्टों की संविदात्मक परिपक्वता का मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पट्टे में सकल निवेश		एमएलपीएस का वर्तमान मूल्य	
	31.03.2023 को	31.03.2022 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
एक वर्ष से अधिक नहीं	399.91	182.67	118.47	63.14
एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष से अधिक नहीं	399.92	190.58	121.94	65.22
दो वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से अधिक नहीं	397.44	190.35	120.81	67.55
तीन वर्ष से अधिक और चार वर्ष से अधिक नहीं	388.42	190.11	122.10	70.14
चार वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से अधिक नहीं	376.65	189.87	120.59	73.02
पांच वर्ष से अधिक	5,076.19	1,836.02	1,875.02	651.69
कुल	**7,038.53**	**2,779.60**	**2,478.93**	**990.76**

iii) रू167.31 करोड़ (पिछले वर्ष रू119.64 करोड़) की राशि के ऋणों पर अविमुक्त देनदारियों और अपरिशोधित एफईआरवी तथा ग्राहकों को अनुमत क्रेडिट अवधि के कारण खातों और टैरिफ रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष के अंत में शेष पट्टा प्राप्य में अंतर है। ऐसी देयताओं के उन्मोचन पर ही चुकाई न गई देयताएं परियोजना लागत का हिस्सा बन जाती हैं और वास्तविक भुगतान के आधार पर टैरिफ के हिस्से के रूप में एफईआरवी वसूलने की अनुमति होती है।

ख) एक पट्टेदार के रूप में:

समूह ने विभिन्न अवधियों के लिए डार्क फाइबर, कोलोकेशन और रिपीटर शेल्टर स्पेस और कार्यालय भवन आदि जैसी परिसंपत्तियों को पट्टे पर लिया है, जिनका मूल्यांकन और लेखा भा.ले.मा. 116–''पट्टे'' की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है और उक्त भा.ले.मा. के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं::–

i. उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां

वर्ष के लिए संपत्ति के उपयोग के अधिकार पर परिवर्धन, समाप्ति/निपटान और मूल्यह्रास शुल्क और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के देनदारियों के वर्ग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में उसी की वहन राशि का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 4 में एक अलग लाइन आइटम के रूप में किया गया है।

ii. पट्टा देयताएं:

वर्ष के लिए पट्टा देनदारियों पर ब्याज व्यय टिप्पणी संख्या 38 के तहत दिखाषा गया है और पट्दों के लिए कुल नकद बहिर्वाह का प्रकटीकरण वित्तीय गतिविधियों के तहत नकदी प्रवाह के विवरण में में अलग लाइन आइटम के रूप में किया गया है और पट्टा देनदारियों के परिपक्व विश्लेषण के रूप में टिप्पणी संख्या 63 देखें:–

iii. लघुअवधि के पट्टे:

समूह ने वित्तीय वर्ष के दौरान, अल्पकालिक पट्टों के संबंध में रू 31.53 करोड़ (पिछले वर्ष 32.90 करोड़) की राशि वहन की है।

समूह अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्ध थी और वित्तीय वर्ष के अंत में इस तरह के पट्टों की कुल प्रतिबद्धता रू 4.45 करोड़ (पिछले वर्ष रू 7.09 करोड़) थी।

52. विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित प्रकटीकरणः

i) दर विनियमित गतिविधियों की प्रकृतिः

समूह मुख्य रूप से बिजली के संचरण के व्यवसाय में लगी हुई है। बिजली के संचरण के लिए टैरिफ टैरिफ नियमों के माध्यम से आरसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। टैरिफ सीईआरसी द्वारा भर्ती पूंजी लागत पर आधारित है और ट्रांसमिशन शुल्क वसूली के लिए प्रदान करता है, जिसमें इक्विटी पर वापसी, ऋण पूंजी पर ब्याज, मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन रखरखाव खर्चों पर ब्याज शामिल है।

ii) मान्यता और मापन

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान/रुपांतरण के लिए निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली (गैर–वर्तमान ऋणों के अलावा) विदेशी मुद्रा में विनियामक टैरिफ विनियमों के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में लाभार्थियों को वसूली योग्य/देय सीमा के रूप में विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि के अनुसार 01.04.2016 को या उसके बाद खींची गई लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में, ओवरलाइन सीईआरसी टैरिफ नियमों के अनुसार पुनर्प्राप्त करने योग्य अंतर के अंतर को विनियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में मान्यता दी जाती है। समूह को उम्मीद है कि परिसंपत्ति के जीवन पर टैरिफ के मूल्यह्रास घटक के माध्यम से इन राशियों को पुनप्राप्त करने की उम्मीद है या ऋण के पुनर्भुगतान पर परिवर्तन दर भिन्नता है।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित ब्लॉक अवधि 2019–2024 के लिए टैरिफ मानदंड वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी कर दर के आधार पर पारेषण पर वर्ष के दौरान भुगतान किए गए वास्तविक कर के विरुद्ध आधार पर इक्विटी पर प्रतिलाभ के सकल योग के लिए प्रावधान करते हैं। तदनुसार, पारेषण आय पर 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रदान किए गए आस्थगित कर को आस्थगित कर देयता के विरुद्ध आस्थगित संपत्ति वर्ष के रूप में लेखाबद्ध किया जाता हैं। वर्ष के लिए कर देयता के विरुद्ध आस्थगित्त संपत्तियां भविष्य के वर्षो (कर अवकाश अवधि सहित) में उलट दी जाएंगी जब संबंधित आस्थगित कर देयता वर्तमान कर का एक भाग है।

चालू वर्ष के दौरान, सीईआरसी ने दिनांक 26.12.2022 के आदेश के तहत वेतन संशोधन (2017) के कारण रू134.16 करोड़ की राशि के दावे को अस्वीकार कर दिया है, जिसे विनियामक आस्थगन खाता शेष के रूप में दर्ज किया गया था। तदनुसार, कंपनी ने विनियामक आस्थगन खाता शेष दृ आय/(व्यय) (कर निवल) में निवल संचलन शीर्ष के तहत चालू वर्ष में लाभार्थियों से वसूली योग्य के रूप में दर्शाई गई राशि को रिवर्स कर दिया है। दिनांक 26.12.2022 के आदेश के विरूद्ध माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष वर्ष 2023 की अपील संख्या 236 दायर की गई है। माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया है।

अन्य खर्चों के कारण रु 4.10 करोड़ की संचयी राशि (पिछले वर्ष की संचयी राशि रु 1.60 करोड़) वसूलीयोग्य है जो कि पूंजीकृत नहीं की गई है लेकिन सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में अनुमत है और इसे विनियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में लेखांकित किया गया था। विनियामक आस्थगन खाते की शेष राशि बिना छूट के आधार पर है।

iii) भविष्य की वसूली/विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि के प्रत्यावर्तन से जुड़े जोखिम

क) विनियमों में परिवर्तन के कारण नियामक जोखिम।

ख) मुद्रा या अन्य बाजार जोखिम सहित अन्य जोखिम, यदि कोई हो।

31.03.2024 को समाप्त होने वाली वर्तमान टैरिफ अवधि के बाद टैरिफ विनियमों में कोई भी परिवर्तन नियामक आस्थगित खाता शेष की वसूली पर प्रभाव डाल सकता है।

भावी अवधि में लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली पुस्तकों में मान्यता प्राप्त नियामक आस्थगित खाता शेष (परिसंपत्ति) इस प्रकार हैंः–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क. आरम्भ में शेष	**9,933.24**	**10,575.13**
ख. वर्ष के दौरान योग/कटौती	418.17	(566.48)
ग. वर्ष के दौरान एकत्रित/वापस की गई राशि	116.97	75.41
घ. लाभ के विवरण में मान्यता प्राप्त विनियमित आय/(व्यय) और हानि (ख – ग)	301.20	(641.89)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
ङ. अंतशेष (क + घ)	**10,234.44**	**9,933.24**
च. के बयान में मान्य विनियमित आय, (व्यय) पर कर लाभ और हानि	52.63	(112.15)

53. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण

क. ऋणों की प्रकृति में ऋण और अग्रिम

1. संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	बकाया शेष		अधिकतम बकाया राशि	
	31.03.2023 को	31.03.2022 को	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संयुक्त उद्यम				
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्णतः प्रावधानगत)	18.40	18.40	18.40	18.40
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	29.29
कुल	**18.40**	**18.40**	**18.40**	**47.69**

2. ऐसी फर्म/कंपनियां, जिनमें निदेशकों के हित हैं : शून्य

ख. पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों में ऋणी द्वारा निवेश (जैसा कि विस्तार में दिया गया हैं) : शून्य

54. कार्पोरेशन सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय

डीपीई दिशानिर्देश संख्या फा. संख्या 15(13)/2013–डीपीई (जीएम) के साथ पठित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली 2014 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार समूह को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान समूह द्वारा उपार्जित औसत निवल लाभ के न्यूनतम दो प्रतिशत भाग का उपयोग, सामाजिक दायित्वों को निभाने में करना अपेक्षित है। तद्नुसार, समूह ने सीएसआर गतिविधियों पर रु 327.09 करोड़ (पिछला वर्ष रु 273.91 करोड़) का व्यय किया है:

55. कंपनी अधिनियम की अनुसूची III के तहत यथा-अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं				लाभ अथवा हानि में हिस्सा				अन्य व्यापक आय में हिस्सा				कुल व्यापक आय में हिस्सा			
	31.03.2023 को		31.03.2022 को		31.03.2023 को		31.03.2022 को		31.03.2023 को		31.03.2022 को		31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
धारक कंपनी																
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	92.57%	76,842.79	92.65%	70,640.37	95.10%	14,663.05	96.99%	16,318.33	102.11%	(106.70)	99.93%	290.93	95.05%	14,556.35	97.04%	16,609.26
सहायक कंपनी																
भारतीय																
पॉवरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	(0.02%)	(19.43)	(0.03%)	(19.42)	0.00%	(0.02)	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.02)	0.00%	(0.01)
पॉवरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.59%	488.66	0.35%	264.27	1.44%	222.39	0.04%	7.50	0.00%	-	0.00%	-	1.45%	222.39	0.04%	7.50
पॉवरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0.13%	21.12	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.12%	21.12
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.03%	28.58	0.03%	25.03	0.10%	14.83	0.10%	16.77	0.00%	-	0.00%	-	0.10%	14.83	0.10%	16.77
पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0.02%	3.48	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.02%	3.48
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0.08%	13.03	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.08%	13.03
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0.11%	18.85	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.11%	18.85
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0.11%	17.89	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.10%	17.89
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.90%	751.27	0.84%	639.80	0.84%	129.91	(0.22%)	(37.51)	0.00%	-	0.00%	-	0.85%	129.91	(0.22%)	(37.51)
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.85%	706.53	0.91%	692.24	1.45%	223.55	1.14%	191.62	0.00%	-	0.00%	-	1.46%	223.55	1.12%	191.62

55. कंपनी अधिनियम की अनुसूची III के तहत यथा-अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं				लाभ अथवा हानि में हिस्सा				अन्य व्यापक आय में हिस्सा				कुल व्यापक आय में हिस्सा			
	31.03.2023 को		31.03.2022 को		31.03.2023 को		31.03.2022 को		31.03.2023 को		31.03.2022 को		31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.30%	245.02	0.33%	254.51	0.27%	41.11	0.23%	38.09	0.00%	-	0.00%	-	0.27%	41.11	0.22%	38.09
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.24%	195.84	0.26%	195.01	0.19%	29.15	0.12%	20.16	0.00%	-	0.00%	-	0.19%	29.15	0.12%	20.16
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.15%	120.57	0.13%	101.60	0.12%	18.97	0.10%	17.12	0.00%	-	0.00%	-	0.12%	18.97	0.10%	17.12
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.25%	206.88	0.27%	203.83	0.17%	26.84	0.04%	5.96	0.00%	-	0.00%	-	0.18%	26.84	0.03%	5.96
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.28%	234.28	0.24%	179.97	0.01%	2.31	0.00%	(0.03)	0.00%	-	0.00%	-	0.02%	2.31	0.00%	(0.03)
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.14%	118.31	0.12%	89.44	0.06%	9.18	0.00%	(0.07)	0.00%	-	0.00%	-	0.06%	9.18	0.00%	(0.07)
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.14%	118.57	0.15%	115.57	0.07%	10.25	0.01%	0.91	0.00%	-	0.00%	-	0.07%	10.25	0.01%	0.91
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.18%	145.70	0.19%	143.26	0.08%	12.87	0.01%	2.26	0.00%	-	0.00%	-	0.08%	12.87	0.01%	2.26
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.18%	147.95	0.14%	108.06	0.04%	6.79	0.00%	(0.06)	0.00%	-	0.00%	-	0.04%	6.79	0.00%	(0.06)
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.23%	194.94	0.17%	129.69	0.00%	(0.17)	0.00%	(0.02)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.17)	0.00%	(0.02)
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.03%	26.16	0.05%	40.05	0.33%	51.11	0.24%	40.03	0.00%	-	0.00%	-	0.33%	51.11	0.23%	40.03
पावरग्रिड रामगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.03%	24.47	0.00%	0.58	0.00%	(0.01)	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.01)	0.00%	(0.01)
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.51%	427.00	0.55%	422.30	0.32%	49.69	0.30%	51.28	(0.01%)	0.01	(0.01%)	(0.03)	0.32%	49.70	0.30%	51.25
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.12%	99.68	0.03%	22.19	0.00%	(0.30)	0.00%	(0.02)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.30)	0.00%	(0.02)

55. कंपनी अधिनियम की अनुसूची III के तहत यथा-अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं				लाभ अथवा हानि में हिस्सा				अन्य व्यापक आय में हिस्सा				कुल व्यापक आय में हिस्सा			
	31.03.2023 को		31.03.2022 को		31.03.2023 को		31.03.2022 को		31.03.2023 को		31.03.2022 को		31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.10%	79.40	0.06%	46.88	0.00%	(0.13)	0.00%	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.13)	0.00%	0.12
पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.04%	31.55	0.03%	19.74	0.00%	(0.09)	0.00%	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.09)	0.00%	0.15
पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.09%	77.21	0.08%	62.34	0.00%	(0.73)	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.73)	0.00%	(0.01)
पॉवरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	0.01%	8.62	0.01%	8.68	0.00%	(0.06)	0.00%	(0.32)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.06)	0.00%	(0.32)
पॉवरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	0.00%	0.66	0.00%	(0.07)	(0.06%)	(9.27)	0.00%	(0.07)	0.00%	-	0.00%	-	(0.06%)	(9.27)	0.00%	(0.07)
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	(0.37)	एनए	एनए	0.00%	(0.38)	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	(0.38)	एनए	एनए
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	(0.76)	एनए	एनए	0.00%	(0.77)	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	(0.01%)	(0.77)	एनए	एनए
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.00%	(0.17)	एनए	एनए	0.00%	(0.22)	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	(0.22)	एनए	एनए
पॉवरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	(0.38)	एनए	एनए	0.00%	(0.12)	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	(0.12)	एनए	एनए
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए
खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए
खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए
खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.00%	0.05	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए
रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.01	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए

55. कंपनी अधिनियम की अनुसूची III के तहत यथा-अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं				लाभ अथवा हानि में हिस्सा				अन्य व्यापक आय में हिस्सा				कुल व्यापक आय में हिस्सा			
	31.03.2023 को		31.03.2022 को		31.03.2023 को		31.03.2022 को		31.03.2023 को		31.03.2022 को		31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.01	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए
भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.01	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए
संयुक्त उपक्रम																
भारतीय																
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.57%	474.12	0.63%	477.91	0.26%	39.73	0.27%	44.78	(0.05%)	0.05	0.07%	0.19	0.26%	39.78	0.26%	44.97
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	0.04%	35.41	0.05%	34.32	0.04%	5.52	0.03%	4.80	(0.02%)	0.02	0.00%	-	0.04%	5.54	0.03%	4.80
पारबती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.10%	84.35	0.11%	80.18	0.07%	11.24	0.02%	3.51	(0.02%)	0.02	0.00%	-	0.07%	11.26	0.02%	3.51
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.19%	161.28	0.19%	144.99	0.11%	16.30	0.03%	4.96	0.01%	(0.01)	0.00%	0.01	0.11%	16.29	0.03%	4.97
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.17%	139.74	0.17%	128.81	0.19%	29.16	0.11%	18.09	0.05%	(0.05)	0.00%	-	0.19%	29.11	0.11%	18.09
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	0.00%	-	0.02%	14.24	(0.09%)	(14.24)	(0.03%)	(3.98)	0.00%	-	0.00%	-	(0.09%)	(14.24)	(0.02%)	(3.98)
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	0.58%	479.59	0.67%	512.09	(0.29%)	(44.09)	0.29%	48.56	0.00%	-	0.00%	-	(0.29%)	(44.09)	0.28%	48.56
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.35%	292.45	0.55%	423.03	(0.86%)	(132.74)	(0.31%)	(49.74)	(2.07%)	2.16	0.01%	0.04	(0.85%)	(130.58)	(0.28%)	(49.70)
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.04%	34.09	0.04%	32.99	0.03%	4.25	0.03%	4.41	0.00%	-	0.00%	-	0.03%	4.25	0.03%	4.41
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.02	एनए	एनए	0.00%	(0.01)	एनए	एनए	0.00%	-	एनए	एनए	0.00%	(0.01)	एनए	एनए
विदेशी																
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	0.02%	13.60	0.01%	12.65	0.01%	2.27	0.01%	2.14	0.00%	-	0.00%	-	0.01%	2.27	0.01%	2.14
कुल	**100.00%**	**83,014.51**	**100.00%**	**76,247.13**	**100.00%**	**15,417.12**	**100.00%**	**16,824.07**	**100.00%**	**(104.50)**	**100.00%**	**291.14**	**100.00%**	**15,312.62**	**100.00%**	**17,115.21**

56. उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

श्रेणीगत वित्तीय लिखतें	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	एफवीआसीआई	परिशोधित लागत	एफवीआसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश				
इक्विटी लिखतें				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (रू. 100 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	102.06		98.69	
पावरग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंन्ट ट्रस्ट (136500100 शेयर)	1,672.40		1,827.74	
व्यापार प्राप्य		13,694.53		9,189.33
ऋण		553.47		505.04
नकदी एवं नकदी समतुल्य		5,192.17		2,577.11
बैंक में शेष		2,232.31		2,545.90
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां				
चालू		2,384.86		6,442.43
गैर–चालू		5,913.55		4,516.33
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,774.46**	**29,970.89**	**1,926.43**	**25,776.14**
वित्तीय देयताएं				
उधारी		1,29,551.49		1,37,447.04
व्यापार देय		327.79		267.10
अन्य वित्तीय देयताएं				
चालू		7,755.09		7,392.23
गैर–चालू		3,564.67		3,523.00
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**1,41,199.04**	**-**	**1,48,629.37**

यह भाग वित्तीय लिखतों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए अनुमानों एवं पूर्वानुमानों को स्पष्ट करता है, जो परिशोधित लागत पर मूल्यांकित हैं और जिसके संबंध में उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त इनपुटों की विश्वसनीयता के बारे में संकेतन प्रदान करने के लिए समूह ने अपने वित्तीय लिखतों को लेखाकरण मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण सारणी के नीचे दिया गया है।

वित्तीय लिखत, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	योग
31 मार्च, 2023 को				
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश				
इक्विटी लिखत				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (रू. 110 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	102.06	-	-	102.06
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (136500100 यूनिट)	1,672.40	-	-	1,672.40
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,774.46**	**-**	**-**	**1,774.46**

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	योग
31 मार्च, 2022 को				
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश				
इक्विटी लिखत				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (रू. 110 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	98.69	-	-	98.69
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (136500100 यूनिट)	1,827.74	-	-	1,827.74
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,926.43**	**-**	**-**	**1,926.43**

56. उचित मूल्य मापन

इक्विटी लिखतों में ये निवेश व्यापार के लिए नहीं रखे जाते हैं। इसके बजाय, ये मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक उद्देश्य के लिए रखे जाते हैं। भा.ले.मा. 109 को अपनाने के बाद, कंपनी ने इक्विटी लिखतों में इन निवेशों को एफवीटीओसीआई के रूप में अभिहित करने का विकल्प चुना है क्योंकि कंपनी का मानना है कि यह लाभ या हानि में तत्काल उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने की तुलना में मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक निवेशों के लिए अधिक सार्थक प्रस्तुति उपदर्शित करता है।

वित्तीय लिखत, जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

(₹ in crore)

विवरण	स्तर	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
		वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
ऋण					
संयुक्त उद्यमों को ऋण	2	-	-	21.74	18.27
कर्मचारियों को ऋण	2	553.47	467.33	483.30	448.43
गैर–चालू व्यापार प्राप्य	2	733.18	640.72	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**1,286.65**	**1,108.05**	**505.04**	**466.70**
वित्तीय देयताएं					
उधारी	2	1,29,551.49	1,30,177.14	1,37,447.04	1,41,617.91
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा/प्रतिधारण राशि	2	3,600.89	3,741.03	3,559.22	3,844.04
कुल वित्तीय देनदारियाँ		**1,33,152.38**	**1,33,918.17**	**1,41,006.26**	**1,45,461.95**

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, नकद और समकक्ष और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियों की वहन राशि अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान मानी जाती है। वित्त पट्टा प्राप्य के लिए अग्रणी मूल्य का अनूमान लगाता है। क्योकि इनका समय–समय पर मूल्यांकन ग्राहक की केडिट योग्यत्ता के आधार पर किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अनुमानित नुकसान के लिए भत्ता दर्ज किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहन राशि उचित मूल्यों के बराबर होती है।

स्तर 1: स्तर 1 क्रम में, उधृत मूल्यों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकित वित्तीय लिखतें शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी बॉण्ड शामिल है, जो शेयर बाजार में सक्रिय हैं, इन्हें सूचना अवधि के अनुसार अंतिम मूल्य का प्रयोजन करते हुए मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य, जो क्रियाशील बाजार में सक्रिय नहीं है (उदाहरणार्थ, लेन–देन वाले बाण्ड) को मूल्यांकन तकनीकियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है जो उल्लेखनीय बाजार डेटा के प्रयोग को बढ़ाता है और विशिष्ट अनुमानों पर कम से कम निर्भर रहता है। यदि लिखत के उचित मूल्य हेतु अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय हो, तो लिखत को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय बाजार डेटा पर आधारित न हों, तो लिखत को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में सम्मिलित असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, आकस्मिक प्रतिफलों तथा क्षतिपूरण परिसंपत्ति का मामला है।

वर्ष के दौरान स्तर 1 और 2 के बीच कोई अन्तरण नहीं है। समूह की नीति सूचना अवधि के अन्त में उचित मूल्य अनुक्रम स्तरों में अन्तरणों को मान्य करना और इस अनुक्रम में से अन्तरणों को मान्य करना है।

वित्तीय लिखत जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है:

उचित मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकी

वित्तीय लिखतों के मूल्य के लिए प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकियों में निम्न शामिल हैं:

- उद्धृत बाजार मूल्यों का प्रयोग अथवा डीलर सदृश लिखतों के लिए उद्धृत करता है;
- शेष वित्तीय लिखतों को उचित्त मूल्य को छूट प्राप्त नकदी प्रवाह विश्लेषण का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है।

पीटीसी इंडिया लिमिटेड और पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की यूनिट के इक्विटी लिखतों, जिन्हें स्तर 1 उचित मूल्य अनुक्रम में शामिल किया जाता है, को छोड़कर, सभी परिणामी उचित मूल्य अनुमान स्तर 2 में सम्मिलित किए जाते हैं।

वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया है।

57. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरणः

(क) संयुक्त उद्यम

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	49%	49%
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	भारत	26%	26%
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26%	26%
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड[1]	भारत	30.92%	30.92%
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26%	26%
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	20%	20%
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	भारत	50%	50%
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड[2]	भारत	33.33%	33.33%
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड[3]	भारत	26%	26%
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड[4]	भारत	50%	50%
भुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	50%	NA
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	नेपाल	26%	26%

[1]पावरग्रिड और तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और शेयरहोल्डिंग समझौते के अनुसार क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत इक्विटी रखते हैं। तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त इक्विटी के आह्वान पर, पावरग्रिड ने अपने हिस्से का योगदान दिया, जबकि अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार ने अभी तक अपने हिस्से का योगदान नहीं दिया है। नतीजतन, पावरग्रिड की हिस्सेदारी बढ़कर 30.92 प्रतिशत हो गई. जबकि शेयरहोल्डिंग समझौते में 26 प्रतिशत प्रदान किया गया था।

[2]कंपनी ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) में वर्ष के दौरान रू407.49 करोड़ का निवेश किया है, जिससे उसकी हिस्सेदारी 5.71 प्रतिशत से बढ़कर 33.33 प्रतिशत हो गई है। ईईएसएल को संयुक्त उद्यम के रूप में माना गया है। 01.09.2021 संयुक्त नियंत्रण होने के कारण अनुबंध दिनांक 01.09.2021 के तहत बहाल कर दिया गया है।

[3]कंपनी के निदेशक मंडल ने 01 मई 2022 को हुई अपनी बैठक में क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी का संयुक्त उद्यम) में आईएल एंड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा धारित 77,30,225 इक्विटी शेयर की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वर्तमान में प्रस्ताव एनसीएलएटी में समीक्षाधीन है।

[4]पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने 01.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल को बंद करने और अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहमति लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 08.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में आरपीटीपीएल कार्यवाही को बंद करने और आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। आरपीटीपीएल को बंद करने की मंजूरी इस्पात मंत्रालय से 11.07.2022 को प्राप्त हुई थी। हालाँकि, बंद करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी, क्योंकि साइट सक्षमकर्ता कार्यों के संविदाकार ने मध्यस्थता के आह्वान के लिए दिनांक 17–12–2022 को नोटिस दिया है। सुलहकर्ता नियुक्त कर दिया गया है और सुलह की कार्यवाही प्रगति पर है।

[5]न्यू भुटवल–गोरखपुर 400 केवी डबल सर्किट (क्वाड मूस) क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से के कार्यान्वयन के लिए 50:50 की इक्विटी भागीदारी के साथ कंपनी और नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में 31.08.2022 को निगमित किया गया।

संयुक्त उद्यम कंपनियों की सहायक कंपनियाँ

अ) ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड'

ब) ईईएसएल एनर्जी सॉल्यूशंस एलएलसी'

स) कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड

*भारत के बाहर निगमित

57. इंड एएस 24–''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरणः

(ख) सहयोगी कंपनी

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड[1]	भारत	एनए	0%
पावरग्रिड कालाअंब ट्रांसमिशन लिमिटेड[2]	भारत	26%	26%
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड[2]	भारत	26%	26%
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड[2]	भारत	26%	26%
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड[2]	भारत	26%	26%

[1]13.05.2021 से 26 प्रतिशत की होल्डिंग के साथ सहयोगी कंपनी और 31.03.2022 (12.05.2021 तक सहायक) को पीजीइनविट को हस्तांतरित और टिप्पणी 19क बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत संपत्ति' देखें।

[2]13.05.2021 से सहयोगी कंपनी (12.05.2021 तक सहायक कंपनी) और टिप्पणी 19क बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत संपत्ति देखें।

(ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

नाम	पदनाम
श्री के. श्रीकान्त	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और 01.06.2022 से 12.08.2022 तक निदेशक (प्रचालन) का अतिरिक्त प्रभार तथा 01.08.2022 से 21.09.2022 तक निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार
सुश्री सीमा गुप्ता	31–05–2022 तक निदेशक (प्रचालन)
श्री विनोद कुमार सिंह	निदेशक (कार्मिक)
श्री एम.ताज मुकर्रम	निदेशक (वित्त) और 31.07.2022 तक सीएफओ
श्री अभय चौधरी	निदेशक (परियोजना)
श्री आर के त्यागी	12–08–2022 से निदेशक (प्रचालन)
श्री जी रविशंकर	21.09.2022 से निदेशक (वित्त) और 26.09.2022 से सीएफओ

स्वतंत्र निदेशक

नाम	पदनाम
श्री एमएन वेंकटेशन	10.07.2022 तक स्वतंत्र निदेशक
श्री ऑकारप्पा केएन	स्वतंत्र निदेशक
श्री चेतन बंसीलाल कंकारिया	स्वतंत्र निदेशक
श्री राम नरेश तिवारी	स्वतंत्र निदेशक

सरकारी नामित निदेशक व अन्य केएमपी

नाम	पदनाम
श्री दिलीप निगम	04.01.2022 से 30.04.2022 तक सरकारी नामिती निदेशक तथा 06.06.2022 से पुनर्नियुक्त
श्री घनश्याम प्रसाद	21.12.2021 से 14.07.2022 तक सरकारी नामिती निदेशक
श्री मोहम्मद अफजल	11.10.2022 से सरकारी नामिती निदेशक
श्री माधव राजेन्द्रन रघुराज	05.08.2022 से 11.10.2022 तक सरकारी नामिती निदेशक
श्री प्रमोद कुमार	08.08.2022 से 26.09.2022 तक सीएफओ
श्रीमती मृणाल श्रीवास्तव	कम्पनी सचिव

57. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण:

(घ) संबंधित पक्षों की सूची

कम्पनी का नाम	कार्यस्थान/निगमन देश	संबंध का स्वरूप
पावरग्रिड एम्प्लोईज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की नियोजन उपरांत लाभ योजना
पावरग्रिड एम्प्लोईज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन बेनिफिट (पेंशन) स्कीम ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की नियोजन उपरांत लाभ योजना
पावरग्रिड एम्प्लोईज ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की नियोजन उपरांत लाभ योजना
पावरग्रिड एम्प्लोईज पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की सेवानिवृत्ति लाभ योजना
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट	भारत	प्रायोजक

(ड.) सरकार से संबंधित कम्पनियां

कम्पनी, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियंत्रित है, जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है, जो भारत सरकार की जारी एवं प्रदत्त 55.37% इक्विटी शेयर जमा पूंजी हैं (पूर्ववर्ती वर्ष 56.91%)।

कम्पनी का दूसरी कम्पनियों के साथ पूंजीगत उपकरण, अतिरिक्त पुर्जे एवं सेवाओं के प्रापण हेतु भारत सरकार द्वारा नियंत्रित व्यापार लेनदेन है। इन कम्पनियों के साथ लेन-देन खुली निविदाओं के प्रति पारदर्शी मूल्य खोज प्रक्रिया के जरिए आर्म्स लेंथ आधार पर बाजार शर्तों पर किए जाते हैं, जो अत्यावश्यकता, सुसंगता अथवा अन्य कारणों से स्वामित्व मदों/एकता निविदा आधार पर मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) से अतिरिक्त पुर्जों/सेवाओं के कुछ मामलों को कर है। ऐसे एकता निविदा प्रापण उन्हीं/सदृश मदों के उपलब्ध मूल्य डेटा के संबंध में मूल्य मानक के साथ वार्ता प्रक्रिया के जरिए भी किया जाता है।

उपरोक्त लेन-देन समान्य दिन-प्रतिदिन के कार्य प्रचालन की प्रक्रिया में है और आकार को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण होना नहीं समझा जाता है, जो या तो व्यक्तिगत रूप से होता है या फिर सामूहिक रूप से।

(च) संबंधित पक्षों के साथ बकाया राशि

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित शेष राशि बकाया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
प्राप्य राशियां		
संयुक्त उद्यमों को ऋण		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्रा लिमिटेड (पूर्णतः प्रावधानगत)	18.40	18.40
कुल	**18.40**	**18.40**
संयुक्त उद्यमों को ऋण से ब्याज		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्रा लिमिटेड (पूर्णतः प्रावधानगत)	3.34	3.34
कुल	**3.34**	**3.34**
मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों को ऋण	**0.09**	**0.11**
अन्य प्राप्य		
संयुक्त उद्यम		
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.11	0.13
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	0.25	0.17
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.39	0.38
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.86	6.55
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.32	-

57. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरणः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	0.01	0.01
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	0.15	0.01
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	2.82	1.12
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	1.08	0.02
भुटवल-गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
कुल	**8.00**	**8.39**
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.16	0.15
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.09	0.09
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.33	0.28
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.30	0.29
कुल	**0.88**	**0.81**
अन्य प्राप्य	**8.88**	**9.20**
अग्रिम/देय राशि		
संयुक्त उद्यम		
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.04
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	55.37	55.93
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	7.18	14.93
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड	33.01	-
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	2.34	2.56
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	11.26	11.26
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.01
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.03
संयुक्त उद्यमों की सहायक कंपनी		
कंवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	1.15	-
संबंधित पक्ष को कुल देय	**110.36**	**84.76**
अन्य संबंधित पक्ष		
कर्मचारी हितलाभ ट्रस्ट में बकाया शेष		
पावरग्रिड एम्प्लोईज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट	27.26	0.21
पावरग्रिड एम्प्लोईज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन बेनिफिट (पेंशन) स्कीम ट्रस्ट	0.57	0.07
पावरग्रिड एम्प्लोईज ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	(12.02)	12.70
पावरग्रिड एम्प्लोईज पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट	12.03	(0.58)
कुल	**27.84**	**12.40**

संबंधित पक्ष की ओर से दी गयी गारण्टी के लिये टिप्पणी 60 देखें

57. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण:

(छ) संबंधित पक्ष से लेन देन

संबंधित पक्ष से निम्न लेन देन हुए:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी द्वारा दी गयी सेवाएं		
परामर्श आय		
संयुक्त उद्यम		
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	0.71	0.69
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.10	0.53
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.73	1.25
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	1.06	1.03
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	1.55	1.88
कुल	**5.15**	**5.38**
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	3.15
पावरग्रिड कलाअंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.58	4.66
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.01	2.67
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.14	7.89
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	8.99	7.75
कुल	**25.72**	**26.12**
परामर्श आय	**30.87**	**31.50**
ब्याज आय		
संयुक्त उद्यम		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	0.07	1.96
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.40
कुल	**0.07**	**2.36**
अन्य संबंधित पक्ष	-	-
पावरग्रिड इंफास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट	107.70	68.52
कुल	**107.70**	**68.52**
ब्याज आय	**107.77**	**70.88**
प्राप्त लाभांश		
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	35.34
पावरग्रिड कलाअंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.66	8.25
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	11.21	18.05
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	21.27	26.89
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.68	28.22
कुल	**58.82**	**116.75**
अन्य संबंधित पक्ष		
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट	46.14	33.85
कुल	**46.14**	**33.85**
प्राप्त लाभांश	**104.96**	**150.60**

57. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य आय		
संयुक्त उद्यम		
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.16	-
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	0.21	0.09
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	1.35	1.97
अन्य आय	**1.72**	**2.06**
अन्य व्यय		
संयुक्त उद्यम:		
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.93	1.24
संयुक्त उद्यमों की सहायक कंपनी:		
कंवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	1.22	-
कुल	**2.15**	**1.24**
वर्ष के दौरान निवेश		
संयुक्त उद्यम		
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	11.59	32.24
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	-	407.49
भुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.03	-
कुल	**11.62**	**439.73**
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण	**0.31**	**0.09**
वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण चुकौती		
संयुक्त उद्यम		
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	29.29
कुल	**-**	**29.29**
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	783.99
पावरग्रिड कलाअंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	186.00
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	1,183.00
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	1,540.00
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	1,300.50
कुल	**-**	**4,993.49**
वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण चुकौती	**-**	**5,022.78**
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा ऋण चुकौती	**0.33**	**0.12**
व्यय की प्रतिपूर्ति (माल/सेवाएं)		
संयुक्त उद्यम		
भुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
कुल	**0.01**	**-**
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.11	-
कुल	**0.11**	**-**

57. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य संबंधित पक्ष		
वर्ष के दौरान अंशदान		
पावरग्रिड एम्प्लोईज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट	122.90	117.07
पावरग्रिड एम्प्लोईज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन बेनिफिट (पेंशन) स्कीम ट्रस्ट	91.25	100.77
पावरग्रिड एम्प्लोईज ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	(14.85)	37.86
पावरग्रिड एम्प्लोईज पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट	(8.25)	35.54
कुल	**191.05**	**291.24**
पावरग्रिड इंफास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ लेन देन		
निवेश के अंतरण के लिये प्राप्त यूनिट	-	1,365.00
ऋण घटक का संवितरण	9.96	-
बिक्री की पेशकश सहित निवेश के अंतरण से प्राप्त राशि	-	3,370.95
कुल	**9.96**	**4,735.95**
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के लिये वसूली		
संयुक्त उद्यम		
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	0.04	-
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	3.03	0.89
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.65	0.79
नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.99	0.25
क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.99	0.67
कुल	**5.70**	**2.60**

नियम और शर्तें

प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को ऋण उन्हीं नियमों और शर्तों पर हैं जो अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

अन्य सभी लेनदेन सामान्य वाणिज्यिक नियमों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किए गए थे। सभी बकाया राशि अप्रतिभूत हैं और नकद में चुकाने योग्य हैं।

सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों को ऋण स्वीकृत नियमों और शर्तों के अनुसार 6.35: से 10.00: पर दिया जाता है।

(ज) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	5.67	5.12
रोजगार के बाद के लाभ	0.84	0.15
दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.49	0.64
कुल	**7.00**	**5.91**
बैठक शुल्क	0.44	0.44

उपरोक्त पारिश्रमिक के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को 2000/– रु प्रतिमाह के भुगतान पर स्टाफ कार (निजी यात्रा सहित) का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। जैसा कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(23)/11–डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल–वी/13 दिनांक 21/01/2013 में निहित है।

58. प्रचालन खंड

क) व्यापार खंड

निदेशक मंडल समूह का मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) है जो संसाधन आवंटन और प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यावसायिक क्षेत्रों के परिचालन परिणामों की अलग से निगरानी करता है। प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर रिपोर्ट करने योग्य तीन खंडों की पहचान की गई है।

- **पारेषण सेवाएं**— समूह का प्रमुख व्यवसाय भारत के विभिन्न राज्यों में थोक बिजली का संचरण है।
- **दूरसंचार सेवाएं**— कंपनी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क पर रखे ऑप्टिकुल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) में उपलब्ध अतिरिक्त ऑप्टिकुल फाइबर का उपयोग करती है। यह पॉइंट टू पॉइंट बैंडविड्थ लीजिंग व्यवसाय में एक तटस्थ वाहक के रूप में कार्य करता है। संदर्भ टिप्पणी सं 67 कंपनी के दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय करने के लिए कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन पर प्रकटीकरण के लिए।
- **परामर्शी सेवाएं**— योजना सहित ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और टेलीकॉम सेक्टर में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराती है।

ख) समूह का प्रचालन मुख्य रूप से देश के भीतर किया जाता है और इसलिए कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खंड नहीं है।

ग) प्रमुख ग्राहक के बारे में जानकारीः किसी एक ग्राहक से प्राप्त राजस्व समूह के कुल के 10ः के बराबर या उससे अधिक नहीं है।

घ) खंड राजस्व और व्यय

सेगमेंट से सीधे तौर पर जुड़े राजस्व को सेगमेंट रेवेन्यू माना जाता है। खंडों के लिए सीधे जिम्मेदार व्यय और उचित आधार पर आवंटित सामान्य व्यय को खंड व्यय के रूप में माना जाता है।

भारत में बाहरी ग्राहक से राजस्व 46,093.85 करोड़ (पिछले वर्ष 42,211.13 करोड़) और भारत के बाहर रु 57.28 करोड़ (पिछले वर्ष रु 47.12 करोड़) है।

ङ) खंड संपत्ति और देयताएं

खंड की संपत्ति में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, वर्तमान संपत्ति और ऋण और अग्रिम सहित सभी परिचालन संपत्तियां शामिल हैं। निर्माण, कार्य–प्रगति, निर्माण भंडार और अग्रिम और निवेश असंबद्ध संपत्तियों में शामिल हैं। खंड देनदारियों में परिचालन देनदारियां और प्रावधान शामिल हैं।

58. प्रचालन खंड (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	पारेषण सेवाएं		परामर्शी सेवाएं		दूरसंचार सेवाएं		विलोपन		योग	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
राजस्वः										
प्रचालनों से राजस्व (आबंटन) योग्य अन्य आय सहित)	44,965.81	40,976.38	446.48	682.28	738.84	599.59	-	-	46,151.13	42,258.25
अंतर खंड राजस्व	-	-	90.14	98.39	74.90	69.27	(165.04)	(167.66)	-	-
प्रचालनों से निवल राजस्व	**44,965.81**	**40,976.38**	**536.62**	**780.67**	**813.74**	**668.86**	**(165.04)**	**(167.66)**	**46,151.13**	**42,258.25**
खंड परिणाम	26,618.13	23,120.26	84.26	351.47	313.41	223.53			27,015.80	23,695.26
असाधारण वस्तु										3,320.33
अनाबंटित ब्याज और अन्य आय									454.51	439.65
अनाबंटित वित्त लागत									9,633.94	8,036.22
कर पूर्व लाभ (विनियामक आस्थगन लेखा शेषों में घट–बढ़ सहित)									17,836.37	19,419.02
घटाएंः इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ का हिस्सा									(82.12)	78.47
कर–पूर्व लाभ									**17,754.25**	**19,497.49**
करों के लिए प्रावधान									2,337.13	2,673.42
कर–पश्चात लाभ									**15,417.12**	**16,824.07**
अन्य सूचना										
खंड परिसम्पत्तियां	2,25,499.48	2,27,077.55	1,633.71	1,899.37	1,092.53	925.48			2,28,225.72	2,29,902.40
अनाबंटित परिसम्पत्तियां									21,808.97	20,780.17
Assets Classified as Held for Sale									260.86	260.86
कुल परिसम्पत्तियां									**2,50,295.55**	**2,50,943.43**
खंड देयताएं	15,733.66	14,295.14	2,728.17	2,743.96	637.64	648.01			19,099.47	17,687.11
अनाबंटित अन्य देयताएं (ऋण सहित)									1,48,181.57	1,57,009.19
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति के साथ प्रत्यक्षतः संबद्ध देयताएं									-	-
कुल देयताएं									**1,67,281.04**	**1,74,696.30**
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	13,226.37	12,762.38	6.09	5.75	100.92	103.53			13,333.38	12,871.66
मूल्यह्रास से भिन्न गैर–नकदी व्यय	63.45	26.51	2.21	4.02	0.06	2.10			65.72	32.63
पूंजीगत व्यय	7,247.76	13,952.47	2.78	3.73	130.67	199.00			7,381.21	14,155.20

59. पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
पूंजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाली और लेखांकित न की गई शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (निवल अग्रिम)	20,384.31	7,251.68
संयुक्त उद्यम संस्थाओं में और निवेश/ऋण के प्रति समूह की प्रतिबद्धता	712.80	116.69
समूह की अन्य संस्थाओं में निवेश के प्रति समूह की प्रतिबद्धता	-	452.05

60. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

(क) आकस्मिक देयताएं

1. समूह के खिलाफ दावों के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:

(1) पूंजीगत कार्य

हमारी परियोजनाओं में उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना और कार्यों के निष्पादन के लिए कुछ ठेकेदारों ने समूह पर अनुबंध मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, काम की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजा, निष्क्रिय शुल्क आदि की मांग की है। समूह द्वारा इन दावों का संबंधित अनुबंधों के प्रावधानों के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं होने के कारण विरोध किया जा रहा है।

समूह इन दावों के निपटान के लिए अनुबंध में उपलब्ध विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों का अनुसरण कर रही है। ऐसे मामलों में रू 2945.71 करोड़ (पिछले वर्ष रू 2,780.93 करोड़) की आकस्मिक देयता का अनुमान लगाया गया है।

(2) भूमि मुआवजे के मामले

परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत भूमि के संबंध में, भूमि हारने वालों ने विभिन्न प्राधिकरणॉध्अदालतों के समक्ष उच्च मुआवजे का दावा किया है जिनका निपटान किया जाना बाकी है। ऐसे मामलों में, रू 2,862.48 करोड़ (पिछले वर्ष रू 1,978.49 करोड़) की आकस्मिक देयता की गई है।

(3) अन्य दावे

भवन अनुज्ञा शुल्क के संबंध में विभिन्न राज्य/केंद्र सरकार के विभागों/प्राधिकारियों द्वारा किए गए दावों के संबंध में, कृषि भूमि को गैर–कृषि उपयोग में बदलने पर जुर्माना। नाला कर, जल रॉयल्टी आदि और अन्य द्वारा, आकस्मिक देयता रू 6.71 करोड़ (पिछले वर्ष रू 5.81 करोड़) का अनुमान लगाया गया है।

(4) विवादित आयकर, बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/नगरपालिका कर मामले

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष रू 452.99 करोड़ (पिछले वर्ष रू 478.21 करोड़) के विवादित आयकर/बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/नगरपालिका कर मामलों का विरोध किया जा रहा है। इनमें से कई मामलों को समूह के पक्ष में निपटाया गया है लेकिन संबंधित विभागों द्वारा उच्च अधिकारियों के समक्ष विवादित हैं। रू 210.34 करोड़ (पिछले वर्ष रू 201.22 करोड़) के कुल दावे के प्रति, रू 174.64 करोड़ (पिछले वर्ष रू 165.62 करोड़) का प्रावधान किया गया है और रू 35.70 करोड़ (पिछले वर्ष रू 35.70 करोड़) के जुर्मने को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है क्योंकि यह जानबूझकर नहीं है डिफॉल्ट और प्रबंधन की राय में, वही है।

(5) अन्य

क) व्यापार प्राप्य राशि के विरुद्ध बैंकों के पास भुनाए गए बिलों के संबंध में आकस्मिक देयता राशि 1,528.11 करोड़ (पिछले वर्ष रू 3,720. 37 करोड़) है। इस संबंध में बैंकों से कंपनी पर किसी भी दावे के मामले में, अधिभार के साथ लाभार्थियों से पूरी राशि की वसूली की जाएगी।

ख) अन्य आकस्मिक देनदारियां रू 967.32 करोड़ (पिछले वर्ष रू 711.04 करोड़) हैं, जिसमें मध्यस्थता मामलों/आरओडब्ल्यू मामलों से संबंधित रू 563.25 करोड़ (पिछले वर्ष रू 394.14 करोड़) का दावा शामिल है।

ग) कुछ लाभार्थियों ने सीईआरसी के टैरिफ आदेशों के खिलाफ अपील दायर की है। इस संबंध में आकस्मिक देयता की राशि निश्चित नहीं है।

घ) पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट (टीएसए) के तहत संयुक्त उद्यम कंपनी (पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) टीएसए के अनुसार निर्धारित एक खरीद मूल्य पर समूह को खरीदने का दायित्व है यदि संयुक्त उद्यम कंपनी (पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) टीएसए के तहत निर्धारित पावरग्रिड इवेंट ऑफ डेट या फोर्स मेज्योर इवेंट पर टर्मिनेशन नोटिस देती है, तो मुझे ऐसा दायित्व मिलता है। इस खाते पर किसी आकस्मिक देयता पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

2. .सहयोगी कंपनियों की ओर से कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटियों का विवरण, जिन्हें टैरिफ आधारित बोली–प्रक्रिया के तहत प्रदान किए गए कार्य के प्रदर्शन के लिए दिए गए व्यवसाय को करने के लिए लिया गया था, निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

सहयोगी कंपनी का नाम	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	2.23

60. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां (जारी)

ख. आकस्मिक संपत्ति

कंपनी के कुछ ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए टैरिफ का निर्धारण करते समय, सीईआरसी ने कंपनी द्वारा किए गए कुछ पूंजीगत व्यय को अस्वीकार कर दिया है। इस तरह के मुद्दों से व्यथित कंपनी ने सीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेशों के खिलाफ बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल)/माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। पिछले अनुभव के आधार पर, कंपनी का मानना है कि अनुकुल परिणाम की संभावना है। हालाँकि, इसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान लगाना अव्यावहारिक है क्योंकि इसकी प्राप्ति निर्णय के परिणाम पर निर्भर है।

समूह ने 16/12/2016 को पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड की अधिग्रहण लागत रू18.28 करोड़ के साथ–साथ अधिग्रहण की तारीख से किए गए अतिरिक्त व्यय और प्रतिपूर्ति की तारीख तक ब्याज और वहन लागत के लिए एपीटीईएल में अपील दायर की है। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा व्यापक सुनवाई की गई और माननीय न्यायाधिकरण ने दिनांक 12.02.2020 के आदेश के माध्यम से सभी पक्षों को लिखित प्रस्तुतीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया है। विवाद में शामिल सभी पक्षों ने एपीटीईएल को लिखित प्रस्तुतीकरण दायर किए हैं। समूह का मानना है कि अनुकूल परिणाम संभावित है। चूँकि ऐसे मामलों पर निर्णयों का कोई पूर्ववृत्त नहीं है, इसलिए इसके सटीक वित्तीय प्रभाव का अनुमान लगाना अव्यावहारिक है।

61. पूंजी प्रबंधन

क) जोखिम प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय समूह के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना;
- एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना:
- पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखना।

समूह के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, इक्विटी पूंजी में समूह के इक्विटी धारकों के कारण जारी इक्विटी पूंजी, प्रतिभूति प्रीमियम खाता और अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। समूह अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों, नियामक ढांचे और उधारदाताओं के साथ वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं में बदलाव के आलोक में समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, समूह शेयरधारकों को लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, नई परियोजनाओं में निवेश को विनियमित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है। समूह ऋण–इक्विटी अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करती है, जो कि कुल निवल मूल्य के लिए दीर्घकालिक ऋण का अनुपात है। नीति ऋण–इक्विटी अनुपात रखने की है जिसमें ऋण नियोजित कुल पूंजी का 75 प्रतिशत से कम है (अर्थात ऋण से इक्विटी अनुपात 75:25 से कम)। समूह में लंबी अवधि के ऋण, ब्याज वाले ऋण और उधार और दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता शामिल हैं।

समूह का ऋण–इक्विटी अनुपात इस प्रकार था:

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
कुल उधार (करोड़ में)	1,26,594.90	1,34,665.27
इक्विटी (करोड़ में)	83,014.51	76,247.13
ऋण इक्विटी अनुपात	1.52	1.77

प्रमुख उधार सुविधाओं की शर्तों के तहत, समूह को वित्तीय प्रसंविदाओं का पालन करना आवश्यक है। वित्तीय वाचाओं को पूरा करने में उल्लंघन करने से ऋणदाताओं को तुरंत ऋण और उधार लेने की अनुमति मिल जाएगी। वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में किसी भी ब्याज–असर वाले ऋण और उधार की वित्तीय वाचाओं में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। 31.03.2023 और 31.03.2022 को समाप्त हुए वर्षों के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया हैं।

ख) लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ईक्वटी शेयर		
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त शेयर पर रू 2.25 (31.03.2021 – रू 3.00) का अंतिम लाभांश प्रति	1,569.48	2,092.64
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त शेयर पर रू 10.00 (31.03.2022 – रू 12.50) का अंतरिम लाभांश प्रति	6,975.45	8,719.32

61. पूंजी प्रबंधन (जारी)

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश को मान्यता नहीं दी गई:

उपरोक्त लाभांश के अलावा, निदेशक मंडल ने 19 मई 2023 को प्रति पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर के लिए रू 4.75 के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

62. प्रति शेयर आय

(₹ करोड़ में)

(क) समूह के इक्विटी धारकों को अंकित प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन सहित	22.10	24.12
विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन को छोड़कर	21.75	24.88
समूह के इक्विटी धारकों को प्रति शेयर कुल मूल और तनुकृत आय	**22.10**	**24.12**

(₹ करोड़ में)

(ख) आय की गणना में अंश के रूप में उपयोग की जाने वाली आय प्रति शेयर का समाधान	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को होने वाली विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन सहित कंपनी के इक्विटी धारकों को अंकित आय	15,417.12	16,824.07
कंपनी के इक्विटी धारकों को होने वाली विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन सहित कंपनी के इक्विटी धारकों को अंकित आय	15,168.55	17,353.81
कंपनी के इक्विटी धारकों को अंकित कुल आय	**15,417.12**	**16,824.07**

(ग) हर के रूप में इस्तेमाल किए गए शेयरों की भारित औसत संख्या	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल आय की गणना में हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित्त औसत संख्या	6975452864	6975452864
प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के लिए समायोजन	-	-
प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के लिये हर के रूप में उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की कुल भारित औसत संख्या	**6975452864**	**6975452864**

63. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में भारतीय रुपये या विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्ग के ऋण और उधार, व्यापार देय और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य समूह के पूंजी निवेश और प्रचालन का वित्तपोषण करना है।

समूह की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो इसके प्रचालन से उत्पन्न होते हैं।

समूह की गतिविधियां इसे निम्नलिखित वित्तीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं, अर्थात्

(क) क्रेडिट जोखिम

(ख) चलनिधि जोखिम

(ग) बाजार जोखिम

यह टिप्पणी इन जोखिमों को मापने और प्रबंधित करने के लिए समूह के जोखिम, उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है।

जोखिम प्रबंधन ढांचा

धारक कंपनी में निदेशक (परियोजना) की अध्यक्षता में एक विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति है, जिसमें निदेशक (प्रचालन), निदेशक (वित्त) और एक स्वतंत्र निदेशक सदस्य हैं। उद्यम द्वारा सामना की जाने वाली अनिश्चितताओं के मूल्यांकन और प्रबंधन के उद्देश्य से, उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू किया गया है। यह ढांचा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक संरचित, जुसंगत और सतत प्रक्रिया है। इस ढांचे के अनुसार, विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं/जोखिमों की निगरानी और नियंत्रण किया जाता है। समिति अंतराल पर बैठक करती है और केपीआई की समीक्षा करती है और लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड अद्यतन प्रदान करती है।

63. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

समूह द्वारा वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन का सारांश नीचे दिया गया है:

(अ) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जो प्रतिपक्ष वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा, जिससे वित्तीय नुकसान हो सकता है। समूह व्यापार प्राप्य और ऋण और अग्रिमों के कारण अपनी परिचालन गतिविधियों से और बैंकों और वित्तीय रस्थानों के पास जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और अन्य वित्तीय साधनों के कारण अपनी वित्तीय गतिविधियों से ऋण जोखिम के संपर्क में है।

एक वित्तीय परिसंपत्ति पर एक डिफॉल्ट तब होता है जब प्रतिपक्ष देय होने के 3 साल के भीतर संविदात्मक भुगतान करने में विफल रहता है। डिफॉल्ट की यह परिभाषा उस कारोबारी माहौल को देखते हुए निर्धारित की जाती है जिसमें समूह संचालित होता है और अन्य मैक्रो–इकोनॉमिक कारक होते हैं।

जब वसूली की कोई उचित अपेक्षा नहीं होती है, जैसे देनदार दिवालिया घोषित कर देता है या समूह के साथ पुनर्भुगतान योजना में शामिल होने में विफल रहता है, तो संपत्तियां बट्टे खाते में डाल दी जाती हैं। जहां ऋण या प्राप्य को बट्ढे खाते में डाल दिया गया है, समूह प्राप्य बकाया की वसूली के प्रयास के लिए प्रवर्तन गतिविधि में संलग्न है। जहां ऐसी वसूली की जाती है, उन्हें लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

(i) व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्ति

समूह मुख्य रूप से अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सेवा ग्राहकों (डीआईसी) को ट्रांसमिशन सुविधाएं प्रदान करता है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली राज्य उपयोगिताएं शामिल हैं और मुख्य राजस्व ट्रांसमिशन शुल्क से है। सीईआरसी (अंतर–राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों का बंटवारा) विनियम, 2020 (सीईआरसी सांझाकरण विनियम), पारेषण प्रभारों के लिए मासिक बिलों के लिए नियत तारीख के भीतर भुगतान की अनुमति देता है, अर्थात, बिल की प्रस्तुति की तारीख से 45 दिनों के भीतर और अधिभार की वसूली 45 दिनों से अधिक विलंबित भुगतान। हालांकि, समूह के नकदी प्रवाह में सुधार के लिए, 45 दिनों के भीतर किए गए शुगतान के लिए एक श्रेणीबद्ध छूट प्रदान की है। यदि कोई डीआईसी देय तिथि तक बिल या उसके हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) डीआईसी द्वारा प्रदान किए गए लेटर ऑफ क्रेडिट को भुना सकती है और बिल की राशि या उसके हिस्से की राशि, जो अतिदेय है, और विलंबित भुगतान अधिभार, यदि लागू हो, का उपयोग कर सकती है।

कंपनी के पास त्रिपक्षीय समझौतों (टीपीए) द्वारा समर्थित साख पत्र (एलसी) के रूप में एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है। भारत सरकार द्वारा 2001–02 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों की बकाया राशि की एकमुश्त निपटान योजना जारी करने के बाद भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अलग–अलग राज्य सरकारों के बीच टीपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे। टीपीए यह भी प्रदान करता है कि यदि किसी राज्य उपयोगिता द्वारा वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक होती है, तो बकाया राशि राज्य के आरबीआई खाते से काट ली जा सकती है और संबंधित सीपीएसयू को भुगतान किया जा सकता है।

सीईआरसी साझाकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, यदि त्रिपक्षीय समझौता मौजूद है, तो साख पत्र एक वर्ष के पहले बिल की औसत राशि के 1.05 (एक दशमलव शून्य पांच) के बराबर राशि के लिए होगा; बशर्ते कि जहां ऐसा त्रिपक्षीय समझौता मौजूद नहीं है, डीआईसी एक वर्ष के पहले बिल की औसत राशि 2.10 (दो दशमलव एक गुना) के बराबर राशि के लिए साख पत्र खोलेगा।

साख–पत्र के नकदीकरण के अलावा, बकाया देय राशि का भुगतान न करने पर, सीटीयू के पास विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विद्युत (एलपीएस और संबंधित मामले) नियम, 2022 के अनुसार चूककर्ता इकाई पर बिजली आपूर्ति को विनियमित करने या शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस से इनकार करने की शक्ति है।

व्यापार प्राप्तियों में रू 13,606.22 करोड़ करोड़ (पिछले वर्ष रू 9,179.23 करोड़) की पारेषण सेवाओं से संबंधित प्राप्य राशियाँ, रु 134.47 करोड़ की परामर्श सेवाओं से संबंधित प्राप्य राशियाँ (पिछले वर्ष रू 131.07 करोड़) और दूरसंचार व्यवसाय से संबंधित प्राप्तियाँ रू 250.77 करोड़ (पिछले वर्ष रू 179.80 करोड़) शामिल हैं।

अनुबंध परिसंपत्तियां सुख्य रूप से पूर्ण किए गए कार्य के लिए समूह के विचार के अधिकार से संबंधित हैं, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि पर बिल नहीं किया गया है इसमें समान प्रकार के अनुबंधों के लिए व्यापार प्राप्तियों के समान जोखिम विशेषताएं हैं।

(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों को छोड़कर)

- **नकद और नकदी के समतुल्य**

  समूह के पास रू 1,873.83 करोड़ (पिछले वर्ष रू 795.90 करोड़) के नकद और नकद समकक्ष थे। नकद और नकद समकक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उच्च श्रेणी के निजी क्षेत्र के बैंकों के पास हैं और उनमें कोई महत्त्वपूर्ण ऋण जोखिम नहीं है।

- **बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास जमा**

  समूह के पास बैंकों और वित्तीय संस्थानों में रू 5,550.65 करोड़ (पिछले वर्ष रू 4,327.11 करोड़) की जमा राशि थी। सावधि जमा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास रखे जाते हैं और उनमें ऋण जोखिम नगण्य होता है।

- **ऋण**

  समूह ने कर्मचारियों, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों, भारत सरकार और अन्य पार्टियों को ऋण दिया है। कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण और वाहन अग्रिम घर की संपत्तियों के बंधक या वाहनों के दृष्टिबंधक के खिलाफ प्रतिभूत हैं, जिसके लिए ऐसे ऋण समूह की नीतियों के अनुरूप दिए गए हैं। समूह कंपनियों को प्रदान किए गए ऋण टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग और सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परियोजनाओं के लिए हैं। इन ऋणों के संबंध में चूक का जोखिम नगण्य माना जाता है।

63. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

(iii) ऋण जोखिम का जोखिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता 12 माह के अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर–वर्तमान ऋण	461.46	406.45
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	5,913.55	4,516.33
नकद और नकदी के समतुल्य	1,873.83	795.90
बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा राशि	5,550.65	4,327.11
वर्तमान ऋण	113.75	98.59
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्ति	1,564.32	853.61
कुल	**15,477.56**	**10,997.99**
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता लाइफ टाइम अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्तियां	13,991.46	9,490.10
अनुबंध परिसंपत्ति	828.48	5,607.74

(iv) अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

(अ) **वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों का उपयोग कर हानि भत्ता मापा जाता है** समूह के पास ऐसी संपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम है। प्रारंभिक मान्यता पर, वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों को छोड़कर) को नगण्य क्रेडिट जोखिम माना जाता है और प्रारंभिक मान्यता से जोखिम में वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए, इस टिप्पणी में यथाविनिर्दिष्ट को छोड़कर, हानि के लिए कोई हानि भत्ता मान्यता नहीं दी गई है।

(ब) **वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए हानि भत्ता को आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है** टेलीकॉम और कंसल्टेंसी से व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में, ग्राहक ऋण जोखिम को बकाया प्राप्तियों की नियमित निगरानी और वसूली के लिए उपभोक्ता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

ट्रांसमिशन खंड के संबंध में, समूह के पास ग्राहक हैं जिनमें से अधिकांश राज्य सरकार की उपयोगिताओं के साथ दायित्वों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं और इसलिए डिफॉल्ट का जोखिम नगण्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि भुगतान सुरक्षा तंत्र और ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार के आधार पर, बकाया राशि जो देय तिथि से 30 दिन पहले है, अभी भी पूर्ण रूप से संग्रहणीय है।

उपरोक्त कारकों और प्रचलित विनियमों को ध्यान में रखते हुए, व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों में प्रारंभिक मान्यता पर और उसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक नगण्य क्रेडिट जोखिम बना रहता है।

(अ) व्यापार प्राप्य का एजेईंग विश्लेषण

व्यापार प्राप्तियों का एजेईंग विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

एजेईंग	बिल न किया गया	देय नहीं	देय से 0–30 दिन पहले	31–60 दिन पहले बकाया	61–90 दिन पहले बकाया	91–120 दिन पहले बकाया	देय से 120 दिन पहले	कुल
31.03.2023 को सकल वहन राशि	8,621.36	3,528.54	434.12	214.86	47.48	67.10	1,078.00	13,991.46
31.03.2022 को सकल वहन राशि	4,712.71	1,614.17	561.39	313.23	212.43	179.94	1,896.23	9,490.10

63. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

(vi) क्षतिग्रस्तता हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि के लिए भत्ते में परिवर्तन निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

विवरण	व्यापार प्राप्तियां	निवेश	अग्रिम	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	कुल
01.04.2021 तक शेष राशि	**300.44**	**18.92**	**-**	**-**	**319.36**
मान्य की गई क्षतिग्रस्तता हानि/(रिवर्स्ड)	0.33	-	-	-	0.33
प्रतिलेखित राशि	-	-	-	-	-
31.03.2022 तक शेष राशि	**300.77**	**18.92**	**-**	**-**	**319.69**
मान्य की गई क्षतिग्रस्तता हनि/(रिवर्स्ड)	(3.84)	-	21.74	7.94	25.84
प्रतिलेखित राशि		18.92			18.92
31.03.2023 को शेष	**296.93**	**-**	**21.74**	**7.94**	**326.61**

वर्ष के दौरान, नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ऋण की क्षतिग्रस्तता हेतु रु 21.74 करोड़ की राशि के क्षतिग्रस्तता भत्ते का प्रावधान किया गया है। ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, समूह का मानना है कि उपरोक्त के अलावा, किसी भी अन्य संपत्ति के संबंध में कोई हानि भत्ता आवश्यक नहीं है क्योंकि राशि नगण्य है।

(ब) चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता है। समूह चलनिधि योजना उपकरण का उपयोग करके धन की कमी के अपने जोखिम की निगरानी करता है। समूह के पास वाणिज्यिक पत्र, बैंक ऋण, बांड और बाहरी वाणिज्यिक उधार जैसे वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों तक पहुंच है और प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण में लचीलापन बरकरार रखता है।

प्रबंधन समूह की चलनिधि स्थिति के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है जिसमें अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नीचे की ओर आहरित उधार लेने की सुविधाएं और नकदी और नकद समकक्ष शामिल हैं।

समूह कार्यशील पूंजी प्रदान करने और पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए चलनिधि के आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों पर निर्भर करता है।

(i) वित्तीय व्यवस्था

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह के पास निम्नलिखित आहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1 वर्ष के भीतर समाप्त हो रहा है (बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाएं)	9,131.01	6,332.01
एक वर्ष से अधिक में समाप्त होने वाले (बैंक ऋण)	-	4,080.44

बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधाएं किसी भी समय आहरित्त की जा सकती हैं और बिना किसी सूचना के बैंक द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। संतोषजनक क्रेडिट रेटिंग की निरंतरता के अधीन, बैंक ऋण सुविधाएं किसी भी समय ली जा सकती हैं और शेष उपलब्धता अवधि 1 से 5 वर्ष (पिछले वर्ष 1 से 5 वर्ष) तक हो सकती है।

(ii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका सभी गैर–व्युत्पनन वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में समूह की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती है, तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक अघोषित नकदी प्रवाह है।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	एक वर्ष के भीतर	1–5 वर्ष के भीतर	5 वर्ष से अधिक	dqy
31.03.2023 को				
उधार (ब्याज बहिर्वाह सहित)	21,406.98	88,030.93	60,352.50	1,69,790.41
व्यापार देय	327.79			327.79
<u>अन्य वित्तीय देनदारियां</u>				
पट्टा देनदारियां	8.21	28.26	129.14	165.61

63. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	एक वर्ष के भीतर	1–5 वर्ष के भीतर	5 वर्ष से अधिक	dqy
अन्य	8,011.12	1,228.45	3,788.04	13,027.61
कुल	**29,754.10**	**89,287.64**	**64,269.68**	**1,83,311.42**
31.03.2022 को				
उधार (ब्याज बहिर्वाह सहित)	27,753.48	76,736.57	66,168.89	1,70,658.94
व्यापार देनदारियां	267.10			267.10
अन्य वित्तीय देनदारियां				
पट्टा देनदारियां	2.79	10.42	29.21	42.42
अन्य	7,643.38	1,173.60	4,074.89	12,891.87
कुल	**35,666.75**	**77,920.59**	**70,272.99**	**1,83,860.33**

(ग) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में बाजार में बदलाव के कारण उत्तार–चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं:

(1) मुद्रा जोखिम

(2) ब्याज दर जोखिम

(3) अन्य मूल्य जोखिम, जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम।

(1) मुद्रा जोखिम

समूह मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के ऋणों और उधारों और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के संबंध में मुद्रा जोखिम के संपर्क में है, जिसका खरीद प्रतिफल विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित है। ट्रांसमिशन टैरिफ सीईआरसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्लॉक 209–24 के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, समूह विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज के संबंध में विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज कर सकता है और ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए अर्जित विदेशी ऋण की अदायगी, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अपने विवेक से कर सकता है और लागत की

वसूली कर सकता है। प्रासंगिक वर्ष में मानक विदेशी ऋण के अनुरूप विदेशी विनिमय दर भिन्नता की हेजिंग की।

यदि विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की हेजिंग नहीं की जाती है, तो संबंधित वर्ष में मानक विदेशी मुद्रा ऋण के अनुरूप ब्याज भुगतान और ऋण चुकौती के लिए अतिरिक्त रुपये की देनदारी ट्रांसमिशन टैरिफ के हिस्से के रूप में वसूल करने की अनुमति है, बशर्ते यह उत्पादन के लिए जिम्मेदार न हो समूह या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या उसके आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, समूह द्वारा विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए कोई हेजिंग नहीं की गई है। पूंजीगत निवेश के लिए खरीदे गए सामान और सेवाओं के संबंध में, विनिमय दर भिन्नता ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए परियोजना लागत का हिस्सा है। परिचालन गतिविधियों के लिए खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में मुद्रा जोखिम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह के विदेशी मुद्रा जोखिम को डेरिवेटिव इंस्ट्रमेंट या अन्यथा द्वारा हेज नहीं किया गया जोखिम निम्नानुसार है:

विवरण	विदेशी मुद्रा में राशि (करोड़ में)			राशि (करोड़ में)	
	मुद्रा	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
उधारी	यूएसडी	361.60	443.34	29,918.78	33,840.14
	यूरो	53.68	60.86	4,877.90	5,219.35
	एसईके	125.20	150.35	1,004.10	1,246.40
	जेपीवाई	2,272.71	2,290.89	1,423.40	1,438.68
एजेंसी शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क और अन्य शुल्क सहित अर्जित ब्याज लेकिन उस पर देय नहीं है	यूएसडी	5.16	1.30	426.94	99.23
	यूरो	0.35	0.16	31.80	13.72
	एसईके	1.43	0.39	11.47	3.23
	जेपीवाई	5.32	0.23	3.33	0.14
व्यापार देय, जमा और प्रतिधारण राशि	यूएसडी	4.19	4.36	346.68	332.80
	यूरो	1.04	3.07	94.50	263.28
	एसई के	4.53	11.49	36.33	95.25
	सीएचएफ	-	0.04	-	3.33

63. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

विवरण	विदेशी मुद्रा में राशि (करोड़ में)			राशि (करोड़ में)	
	मुद्रा	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
व्यापार प्राप्य और बैंक बैलेंस	जीबीपी	1.14	1.54	117.65	154.99
	जेपीवाई	11.57	76.79	7.25	48.22
	यूएसडी	0.05	0.07	4.08	5.27
	एनपीआर	18.92	5.87	11.83	3.67
	यूरो	0.01	-	0.88	-
निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की राशि	यूएसडी	0.96	0.43	79.43	32.82
	यूरो	0.64	0.76	58.16	65.18
	एसईके	-	0.57	-	4.73
	जीबीपी	0.62	0.78	63.98	78.50

संवेदनशीलता का विश्लेषण

चूंकि यूएसडी, यूरो, जेपीवाई और अन्य मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये के मजबूत होने या कमजोर होने का लाभ और हानि के बयान पर प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा; इसलिए, मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

समूह मुख्य रूप से फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ लंबी अवधि के उधारों से उत्पन्न होने वाले ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है। समूह ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है क्योंकि फ्लोटिंग रेट उधार से जुड़े नकदी प्रवाह में ब्याज दरों में बदलाव के साथ उतार–चढ़ाव होगा। समूह फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट के मिश्रण वाले डेट पोर्टफोलियो को बनाए रखते हुए ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, समूह के परिवर्तनीय ब्याज दर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफाइल इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ दीर्घकालिक ऋण		
–घरेलू	27,940.45	24,216.04
–विदेशी	33,708.81	34,186.14
उप योग	**61,649.26**	**58,402.18**
ब्याज की निश्चित दर के साथ दीर्घकालिक ऋण		
–घरेलू	60,722.49	63,400.26
–विदेशी	3,523.15	7,562.83
उप योग	**64,245.64**	**70,963.09**
कुल दीर्घकालिक ऋण	**1,25,894.90**	**1,29,365.27**
कुल दीर्घावधि ऋण के लिए अस्थायी ब्याज दर ऋण का प्रतिशत	**48.97%**	**45.15%**

ब्याज दर जोखिम के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

सीईआरसी विनियमों के अनुसार, निर्माण के दौरान ऋण पर ब्याज टैरिफ के उद्देश्य के लिए परियोजना लागत का हिस्सा बनता है और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद, ऋण पर ब्याज भारित औसत दर लागू करके वर्ष के मानक औसत ऋण पर गणना की गई टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य है।

तदनुसार, समूह के ब्याज दर जोखिम को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है; इसलिए जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(iii) अन्य मूल्य जोखिम

इक्विटी प्रतिभूतियों में समूह का जोखिम मूल्य जोखिम समूह द्वारा धारित और ओसीआईएल के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में तुलन–पत्र में वर्गीकृत निवेशों से उत्पन्न होता है।

इक्विटी निवेश के परिमाण को ध्यान में रखते हुए, कोई महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है।

64. आयकर व्यय

यह टिप्पणी समूह के आयकर व्यय का विश्लेषण प्रदान करता है और गैर–निर्धारण योग्य और यह बताता है कि गैर–कटौती योग्य वस्तुओं से कर व्यय कैसे प्रभावित होता है। यह समूह की कर स्थिति के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों की भी व्याख्या करता है।

(अ) आयकर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	3,018.28	3,352.29
पूर्व अवधियों के वर्तमान कर के लिए समायोजन	(73.76)	(38.46)
विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित (क)	52.63	(112.15)
कुल वर्तमान कर व्यय (ख)	**2,997.15**	**3,201.68**
आस्थगित कर व्यय		
इस वर्ष आस्थगित कर संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त अस्थायी अंतर और पहले से गैर–मान्यता प्राप्त कर क्रेडिट की उत्पत्ति और उत्क्रमण	(660.02)	(528.26)
कुल आस्थगित कर व्यय/लाभ (ग)	**(660.02)**	**(528.26)**
आयकर व्यय (ख+ग–क)	**2,284.50**	**2,785.57**
नियामक आस्थगित्त खाता शेष से संबंधित	**52.63**	**(112.15)**
नियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन पर कर सहित कुल कर व्यय	**2,337.13**	**2,673.42**

(ख) नियामक आस्थगित खाता शेष में मान्य आयकर:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित संपत्ति	(783.43)	(736.52)
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव	1,216.29	93.03
कर्मचारी हितलाभ और अन्य व्यय	(131.66)	1.60
कर से पहले कुल विनियामक आस्थगित खाता योग – आय/(व्यय)	**301.20**	**(641.89)**
नियामक आस्थगित खाता शेष पर वर्तमान कर	52.63	(112.15)
नियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन–आय/(व्यय) (निवल कर)	**248.57**	**(529.74)**

(ग) अन्य व्यापक आय में मान्य आयकर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निवल कर	कर पूर्व	कर व्यय/(लाभ)	निवल कर	कर–पूर्व	कर व्यय/(लाभ)
इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्यांकन पर निवल लाभ/(हानि)	(142.01)	(18.09)	**(123.92)**	478.85	53.90	**424.95**
परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक हानि	39.57	6.91	**32.66**	(196.78)	(34.39)	**(162.39)**
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय को हस्तांतरित निवल)	18.69	3.26	**15.43**	(34.34)	(6.00)	**(28.34)**
अन्य व्यापक आय (निवल कर)	**(121.13)**	**(14.44)**	**(106.69)**	**316.41**	**25.51**	**290.90**

64. आयकर व्यय (जारी)

(घ) भारत की कर दर से गुणित कर व्यय और लेखांकन लाभः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
नियामक में आवाजाही सहित आयकर व्यय पूर्व लाभ आस्थगित खाता शेष	17,754.25	19,497.49
कंपनी की घरेलू कर दर पर कर	6,393.88	7,016.03
कर प्रभावः		
गैर–कटौती योग्य कर मदें	(286.94)	(3,244.07)
कर मुक्त आय	(4,785.64)	(3,651.51)
पिछले वर्षों की कर देयता	(73.76)	(38.46)
अशोषित कर हानि	(186.73)	(67.37)
आस्थगित कर व्यय/आय	(660.02)	(528.26)
न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन	1,936.34	3,187.06
आयकर व्यय	**2,337.13**	**2,673.42**

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022			31 मार्च 2021		
	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल
छुट्टी दायित्व	82.54	521.44	**603.98**	69.60	462.47	**532.07**
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)	45.02	660.46	**705.48**	28.08	630.60	**658.68**
अन्य कर्मचारी हितलाभ/दीर्घ सेवा पुरस्कार	1.66	21.55	**23.21**	1.60	20.43	**22.03**
ग्रेच्युटी (उपदान)	72.31	451.17	**523.48**	81.08	482.90	**563.98**
अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)	2.25	19.12	**21.37**	2.59	20.50	**23.09**
कुल कर्मचारी हितलाभ दायित्व	**203.78**	**1673.74**	**1877.52**	**182.95**	**1616.90**	**1799.85**

(1) दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

क. छुट्टी दायित्व

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (मुआवजा अनुपस्थिति सहित) और अर्ध–वेतन अवकाश प्रदान करती है जो क्रमशः 30 दिनों और 20 दिनों में सालाना अर्जित होता है। सेवा में रहते हुए अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। अर्ध वेतन अवकाश (एचपीएल) केवल 55 वर्ष की आयु से अधिक से अधिक 300 दिनों (एचपीएल) तक अलग होने पर ही भुनाया जा सकता है। तथापि, अवकाश की कुल संख्या जिसे अधिवर्षिता पर भुनाया जा सकता है, 300 दिनों तक सीमित होगी और अर्ध वेतन अवकाश का कोई रूपान्तरण अनुमत नहीं होगा। इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

ख. अन्य कर्मचारी हितलाभ–पावरग्रिड कर्मचारी परिवार पुनर्वास योजना

कंपनी ने 24.06.2007 को पावरग्रिड कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य एक कर्मचारी को उसकी स्थायी पूर्ण अक्षमता के मामले में और सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में उसके परिवार को मौद्रिक सहायता और सहायता प्रदान करना है। लाभार्थी कर्मचारी के अंतिम आहरित एक महीने के वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक भुगतान का हकदार होगा बशर्ते लाभार्थी कंपनी के पास पीएफ (वीपीएफ को छोड़कर) शेष, राशि और समूह बीमा (ईओएल) राशि के बराबर राशि जमा करे। ऐसा मासिक भुगतान उस सामान्य काल्पनिक तिथि तक जारी पे अेचयटी। दिन संबंधित कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली होती यदि कर्मचारी कंपनी की सेवा में बना रहता। यह योजना पावरग्रिड कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना के लिए वैकल्पिक प्रावधान है, जिसकी राशि रू 2.55 करोड़ रुपये है। (पिछले वर्ष रू 5.96 करोड़) वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

(ii) रोजगार उपरांत दायित्व (परिभाषित कर्मचारी हितलाभ/अंशदान योजनाएँ)

क. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पति या पत्नी को सूचीबद्ध अस्पतालों में कंपनी द्वारा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं,

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

जो उनके द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन है। उसी के लिए देयता को तुलन–पत्र की तारीख पर वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार ह् मान्यता दी जाती है। यह योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और 01 मई 2018 को गठित एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित जाती है।

ख. अन्य कर्मचारी हितलाभ–दीर्घ सेवा पुरस्कार

यह लाभ कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों (निदेशकों और सीएमडी को छोड़कर) पर लागू होता है, जो कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यह योजना वित्तपोषित नहीं है और इसके लिए दायित्व की पहचान तुलन–पत्र की तारीख पर वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग. उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, 15 दिनों के वेतन (15/26 ’ अंतिम आहरित मूल वेतन प्लस, महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार है। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अधिवर्षिता, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, निःशक्तता या मृत्यु पर अधिकतम 20 लाख तक। यह योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। उसी के लिए देयता को तुलन–पत्र की तारीख पर वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी ने 20 लाख की सीमा को ध्यान में रखते हुए ग्रेच्युटी लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन किया है।

घ. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)/सामान भत्ता

कंपनी के पास भारत में कहीं भी सेवानिवृत्ति के समय और सेवानिवृत्त त्त कर्मचारियों के आश्रितों के लिए निपटान के लिए एक योजना है। यह योजना निधिरहित है और इसके लिए देयता को तुलन पत्र की पर वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है।

ङ. भविष्य निधि

कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि में फॉक्स अंशदान का भुगतान करती है, जो धन को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। परिवार पेंशन योजना में योगदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकरणों को किया जाता है। वर्ष के लिए फंड और ईपीएस योजना में योगदान रू 135.08 करोड़ (पिछले वर्ष रू 130.81 करोड़) को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है। कंपनी का दायित्व, ऐसे निश्चित योगदान तक सीमित है और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों के लिए योगदान पर न्यूनतम ब्याज दर सुनिश्चित करना है। एक्चुअरी की अंतिम वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष ओसीआई में रू171.06 करोड़ का प्रावधान शामिल किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा गारंटीकृत वैधानिक ब्याज दर को पूरा करने के लिए भविष्य निधि ट्रस्ट को रू 161.59 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है, और शेष प्रावधान राशि रू 9.47 करोड़ वर्ष के दौरान प्रतिलेखित की गई है। इसके अलावा, एक्चुअरी की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, कुल ब्याज आय और संचयी अधिशेष सांविधिक ब्याज भुगतान आवश्यकता से अधिक है। अतः कोई अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया। चूंकि कंपनी का पीएफ कॉर्पस पर शर्तरहित अधिकार नहीं है, इसलिए तुलन–पत्र में अधिशेष को मान्यता नहीं दी गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023			31 मार्च 2022		
	वर्तमान	गैर–वर्तमान	कुल	वर्तमान	गैर–वर्तमान	कुल
भविष्य निधि (पीएफ)	669.65	2757.41	3427.06	694.61	2640.38	3334.99

(₹ in crore)

विवरण	भविष्य निधि		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	शुद्ध राशि
1 अप्रैल 2022	**3334.99**	**3163.93**	**171.06**
सेवा लागत	123.12	-	123.12
ब्याज व्यय (आय)	262.45	265.01	(2.56)
कुल	**385.57**	**265.01**	**120.56**
पुनःमाप			
ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर, योजना परिसंपत्ति पर प्रतिफल	-	-	-
जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	176.48	(176.48)
अनुभव (लाभ)/हानि	(6.06)	-	(6.06)

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	शुद्ध राशि
कुल	**(6.06)**	**176.48**	**(182.54)**
कर्मचारी योगदान	191.71	191.71	-
नियोक्ता का योगदान	-	123.12	(123.12)
लाभ भुगतान	(479.15)	(479.15)	-
31 मार्च 2023	**3427.06**	**3441.10**	**(14.04)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	शुद्ध राशि
1 अप्रैल 2021	**3260.32**	**3301.89**	**(41.57)**
सेवा लागत	118.36	-	118.36
ब्याज व्यय (आय)	251.83	87.97	163.86
कुल	**370.19**	**87.97**	**282.22**
पुनःमाप			
ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर, योजना परिसंपत्ति पर प्रतिफल	-	-	-
जन सांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन से लाभ, हानि	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से लाभ, हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	48.77	-	48.77
कुल	**48.77**	**-**	**48.77**
कर्मचारी योगदान	196.46	196.46	-
नियोक्ता का योगदान	-	118.36	(118.36)
लाभ भुगतान	(540.75)	(540.75)	-
31 मार्च 2022	**3334.99**	**3163.93**	**171.06**

ऊपर बताई गई शुद्ध देयता भविष्य निधि से संबंधित है जो इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वित्त पोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3427.06	3334.99
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	3441.10	3163.93
वित्त पोषित योजना का घाटा/(अधिशेष)	**(14.04)**	**171.06**

भविष्य निधि का संवेदनशीलता विश्लेषण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि
छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	-
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3427.06
–0.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(0.43)
–0.5 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	0.46

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

योजनागत परिसंपत्ति (पीएफ) की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023				31 मार्च 2022			
	उद्धृत	गैर उद्धृत	कुल	प्रतिशत में	उद्धृत	गैर उद्धृत	कुल	प्रतिशत में
इक्विटी लिखत (इटीएफ)	130.83	-	**130.83**	3.80%	102.83	-	**102.83**	3.25%
ऋण लिखत								
सरकारी/राज्य बांड	1898.27	-	**1898.27**	55.16%	1831.84	-	**1831.84**	57.90%
पीएसयू और निजी बांड	1284.61	-	**1284.61**	37.33%	1120.02	-	**1120.02**	35.40%
बैंक में जमा राशि	26.66	-	**26.66**	0.78%	73.80	-	**73.80**	2.33%
अन्य प्राप्य	100.73	-	**100.73**	2.93%	35.44	-	**35.44**	1.12%
कुल	**3441.10**	**-**	**3441.10**		**3163.93**	**-**	**3163.93**	

31 मार्च 2023 को कंपनी के स्वयं के हस्तांतरणीय वित्तीय साधनों का उचित मूल्य योजना संपत्ति के रूप में रु 33.45 करोड़ है (31 मार्च, 2022 को रु 54.03 करोड़)।

भविष्य निधि का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष के बीच	2–5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2023	**669.65**	**307.98**	**530.94**	**1918.49**	**3427.06**
31 मार्च 2022	694.61	297.11	616.26	1727.01	3334.99

च. पेंशन

कंपनी में कर्मचारी निर्धारित पेंशन योगदान स्कीम और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम क्रियाशील हैं, कंपनी के योगदान का भुगतान कर्मचारी निर्धारित पेंशन योगदान के लिए पृथक ट्रस्ट को किया जाता है। वर्ष के लिए भुगतान/देय योगदान की राशि रू 183.09 करोड़ (पिछले वर्ष रू 115.31 करोड़) को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया गया है।

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

विभिन्न कर्मचारी हितलाभ दायित्वों की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी			ओडीआरबी			छुट्टियां			पीआरएमएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का मूल्य	शुद्ध राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का मूल्य	शुद्ध राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का मूल्य	शुद्ध राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का मूल्य	शुद्ध राशि
01 अप्रैल 2022	**563.98**	**553.52**	**10.46**	**23.09**	**-**	**23.09**	**532.07**	**-**	**532.07**	**658.68**	**658.78**	**(0.10)**
सेवा लागत	23.28	-	23.28	1.33	-	1.33	87.61	-	87.61	20.75	-	20.75
ब्याज व्यय (आय)	39.47	39.55	(0.08)	1.61	-	1.61	37.25	-	37.25	46.11	46.07	0.04
कर्मचारी योगदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05	(1.05)
बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	53.05	-	53.05	-	-	-
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**62.75**	**39.55**	**23.20**	**2.94**	**-**	**2.94**	**177.91**	**-**	**177.91**	**66.86**	**47.12**	**19.74**
पुनःमाप												
ब्याज व्यय/आय में शामिल राशि को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्रतिफल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय परिवर्तन से (लाभ)/ /हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में बदलाव से (लाभ)/हानि	(18.78)	-	(18.78)	(0.86)	-	(0.86)	-	-	-	(32.35)	-	(32.35)
अनुभव (लाभ)/हानि	(5.64)	13.63	(19.27)	(3.63)	-	(3.63)	(0.01)	-	(0.01)	53.84	7.88	45.96
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(24.42)**	**13.63**	**(38.05)**	**(4.49)**	**-**	**(4.49)**	**(0.01)**	**-**	**(0.01)**	**21.49**	**7.88**	**13.61**
कर्मचारी योगदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नियोक्ता योगदान	-	11.50	(11.50)	-	-	-	-	-	-	-	(0.66)	0.66
लाभ भुगतान	(78.83)	(78.83)	-	(0.17)	-	(0.17)	(105.99)	-	(105.99)	(41.55)	(20.28)	(21.27)
31 मार्च 2023	**523.48**	**539.37**	**(15.89)**	**21.37**	**-**	**21.37**	**603.98**	**-**	**603.98**	**705.48**	**692.84**	**12.64**

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी			ओडीआरबी			छुट्टियां			पीआरएमएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का मूल्य	शुद्ध राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का मूल्य	शुद्ध राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का मूल्य	शुद्ध राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का मूल्य	शुद्ध राशि
01 अप्रैल 2021	**591.75**	**592.76**	**(1.01)**	**23.47**	**-**	**23.47**	**468.06**	**-**	**468.06**	**602.20**	**601.13**	**1.07**
सेवा लागत	24.04	-	24.04	1.40	-	1.40	65.64	-	65.64	19.47	-	19.47
ब्याज व्यय (आय)	39.94	40.00	(0.06)	1.58	-	1.58	31.60	-	31.60	40.65	40.58	0.07
कर्मचारी योगदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.55	(1.55)
बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	56.34	-	56.34	-	-	-
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**63.98**	**40.00**	**23.98**	**2.98**	**-**	**2.98**	**153.58**	**-**	**153.58**	**60.12**	**42.13**	**17.99**
पुनःमाप												
ब्याज व्यय/आय में शामिल राशि को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्रतिफल	-	0.01	(0.01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में बदलाव से (लाभ)/हानि	(12.06)	-	(12.06)	(0.55)	-	(0.55)	-	-	-	(22.09)	-	(22.09)
अनुभव (लाभ)/हानि	(6.71)	(32.71)	26.00	(2.80)	-	(2.80)	0.01	-	0.01	52.49	13.79	38.70
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(18.77)**	**(32.70)**	**13.93**	**(3.35)**	**-**	**(3.35)**	**0.01**	**-**	**0.01**	**30.40**	**13.79**	**16.61**
कर्मचारी योगदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नियोक्ता योगदान	-	26.44	(26.44)	-	-	-	-	-	-	-	35.77	(35.77)
लाभ भुगतान	(72.98)	(72.98)	-	(0.01)	-	(0.01)	(89.58)	-	(89.58)	(34.04)	(34.04)	-
31 मार्च 2022	**563.98**	**553.52**	**10.46**	**23.09**	**-**	**23.09**	**532.07**	**-**	**532.07**	**658.68**	**658.78**	**(0.10)**

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

ऊपर बताए गए निवल वित्त पोषित और अवित्तपोषित योजनाओं से संबंधित हैं, जो इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी		ओडीआरबी		छुट्टियां		पीआरएमएफ	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वित्त पोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	523.48	563.98	-	-	-	-	705.48	658.68
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	539.37	553.52	-	-	-	-	692.84	658.78
वित्त पोषित योजना का घाटा/**(अधिशेष)**	**(15.89)**	**10.46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.64**	**(0.10)**
अवित्तपोषित योजनाएं	-	-	21.37	23.09	603.98	532.07	-	-

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ग्रेच्युटी ट्रस्ट में कंपनी को रू 31.68 करोड योगदान की उम्मीद है।

(iii) रोजगार उपरांत लाभों के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं:

आर्थिक धारणा

विवरण	ग्रेच्युटी, ओडीआरबी, पेंशन, पीआरएमएफ, पीएफ	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
छूट की दर	7.40%	7.00%
वेतन वृद्धि दर (पीएफ को छोड़कर)	6.50%	6.50%

छूट की दर आम तौर पर सरकार पर उपलब्ध बाजार की पैदावार पर आधारित होती है। देनदारियों से मेल खाने वाली अवधि के लिए लाभ भुगतान की मुद्रा के लिए प्रासंगिक लेखांकन तिथि पर बांड, वेतन वृद्धि दर वेतन वृद्धि के रूप में कंपनियों का दीर्घकालिक सबसे अच्छा अनुमान है और मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, व्यवसाय योजना, मानव संसाधन नीति और अन्य प्रासंगिक को ध्यान में रखता है।

जनसांख्यिकीय धारणाएं

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
सेवानिवृत्ति	60	60
विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)
आयु		
	निकासी दर प्रतिशत	निकासी दर प्रतिशत
30 वर्ष तक	3	3
31 से 44 वर्ष तक	2	2
44 वर्ष से अधिक	1	1

नमूना उम्र के लिए मृत्यु दर

आयु	मृत्युदर	आयु	मृत्युदर	आयु	मृत्युदर
15	0.000698	45	0.002579	75	0.038221
20	0.000924	50	0.004436	80	0.061985
25	0.000931	55	0.007513	85	0.100979
30	0.000977	60	0.011162	90	0.163507
35	0.001202	65	0.015932	95	0.259706
40	0.00168	70	0.024058	100	0.397733

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

(iv) निश्चित हितलाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रैच्युटी	ओडीआरबी	अवकाश	पीआरएमएफ
क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	523.48	21.37	603.98	705.48
– 0.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(21.77)	(0.98)	(27.79)	(40.43)
– 0.5 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	23.75	1.06	30.11	41.86
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	523.48	21.37	603.98	705.48
0.5 प्रतिशत की बढत के कारण प्रभाव	6.89	1.05	30.29	42.37
0.5 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	(7.57)	(0.98)	(27.97)	(39.92)

हालांकि विश्लेषण योजना के तहत अपेक्षित नकदी प्रवाह के पूर्ण वितरण का हिसाब नहीं लेता है, यह दिखाए गए अनुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान प्रदान करता है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसे तरीके के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को एक्सट्रापोलेशन करता है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में होगा क्योंकि कुछ मान्यताओं को सहसंबद्ध किया जा सकता है। संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में धारणाओं की विधि और प्रकार में पिछले वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(अ) योजनागत संपत्ति (ग्रेच्युटी) की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022				31 मार्च 2021			
	उद्धृत	उद्धृत नहीं किया गया	कुल	प्रतिशत	उद्धृत	उद्धृत नहीं किया गया	कुल	प्रतिशत
इक्विटी लिखत (ईटीएफ)	8.34	-	8.34	1.55%	4.98	-	4.98	0.90%
ऋण लिखत								
सरकार/राज्य बांड	340.35	-	340.35	63.13%	326.56	-	326.56	59.02%
पीएसयू और निजी बांड	177.97	-	177.97	33.01%	197.95	-	197.95	35.78%
बैंक में जमा/अन्य प्राप्य राशियां	12.46	-	12.46	2.31%	23.80	-	23.80	4.30%
कुल*	**539.12**	**-**	**539.12**		**553.29**	**-**	**553.29**	

* बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उचित मूल्यांकन रु 539.12 करोड़ है (पिछले वर्ष रु 553.29 करोड़)।

31 मार्च, 2023 को योजनागत परिसंपत्तियों के रूप में धारित कंपनी के स्वयं के हस्तांतरणीय वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य रु 30.45 करोड़ (31 मार्च, 2022 को रु 43.38 करोड़ है।

(अप) योजनागत परिसंपत्तियों (पीआरएमएफ) की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2023				31 मार्च 2022			
विवरण	उद्धृत	गैर–उद्धृत	कुल	प्रतिशत में	उद्धृत	गैर–उद्धृत	कुल	प्रतिशत में
इक्विटी लिखत (ईटीएफ)	3.60	-	3.60	0.52%	-	-	-	-
ऋण लिखत								
सरकार/राज्य बांड	367.12	-	367.12	52.99%	344.06	-	344.06	52.23%
पीएसयू और निजी बांड	307.16	-	307.16	44.33%	298.85	-	298.85	45.36%
बैंक में जमा/अन्य प्राप्य राशियां	14.96	-	14.96	2.16%	15.87	-	15.87	2.41%
कुल	**692.84**	**-**	**692.84**		**658.78**	**-**	**658.78**	

#बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उचित मूल्यांकन रु 692.84 करोड़ है (पिछले वर्ष रु 658.78 करोड़)।

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

(vii) जोखिम संसर्ग का विवरण

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है जो प्रकृति में गतिशील होती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसा कि कंपनी विभिन्न जोखिमों के संपर्क में रहती है:

क) वेतन वृद्धि (पीएफ को छोड़कर) – वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देयता बढ़ जाएगी। वेतन वृद्धि दर अनुमानों में वृद्धि भविष्य के मूल्यांकन में भी देयता में वृद्धि होगी।

ख) निवेश जोखिम–यदि योजना को वित्त पोषित किया जाता है तो संपत्ति देनदारियां मेल नहीं खाती हैं और छूट से कम संपत्ति पर वास्तविक निवेश रिटर्न अंतिम मूल्यांकन तिथि पर ग्रहण की गई दर देयता को प्रभावित कर सकती है

ग) डिस्काउंट रेट– बाद के वैल्यूएशन में डिस्काउंट रेट में कमी से प्लान की देनदारी बढ़ सकती है।

घ) मृत्यु दर और विकलांगता – वास्तविक मृत्यु और विकलांगता के मामले जो मूल्यांकन में अनुमान से कम या अधिक साबित होते हैं, देनदारियां प्रभावित कर सकते हैं।

ङ) निकासी – वास्तविक निकासी जो अनुमानित निकासी से अधिक या कम साबित होती है और बाद के मूल्यांकन पर निकासी दरों में परिवर्तन योजना की देयता को प्रभावित कर सकता है।

(viii) परिभाषित लाभ देयता और कर्मचारी योगदान

परिभाषित लाभ दायित्वों की भारित औसत अवधि 39.48 वर्ष (पिछले वर्ष 39.61 वर्ष) है। बिना छूट वाली पेंशन, ग्रेच्युटी, अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ और रोजगार के बाद के चिकित्सा लाभों का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष के बीच	2–5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2023					
परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी)	72.31	58.49	100.05	292.63	523.48
सेवापरांत चिकित्सा लाभ	45.02	48.73	161.23	450.50	705.48
ओडीआरबी	2.25	2.16	4.05	12.91	21.37
अन्य कर्मचारी हितलाभ (एलएसए)	1.66	1.44	2.99	17.22	23.31
कुल	**121.24**	**110.82**	**268.32**	**773.26**	**1273.64**
31 मार्च 2022					
परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी)	81.08	63.44	125.24	294.22	563.98
सेवोपरांत चिकित्सा लाभ	28.08	35.84	140.27	454.49	658.68
ओडीआरबी	2.59	2.18	4.58	13.74	23.09
अन्य कर्मचारी हितलाभ (एलएसए)	1.60	1.14	2.50	16.79	22.03
कुल	**113.35**	**102.60**	**272.59**	**779.24**	**1267.78**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना

क) प्रगति में पूंजीगत कार्य की एजेईंग इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

Particulars	<1 Year	1-2 Years	2-3 Years	>3 Years	Total
31.03.2023 तक					
प्रगति पर परियोजना	8,316.68	3,335.36	646.91	1,442.29	13,741.24
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**8,316.68**	**3,335.36**	**646.91**	**1,442.29**	**13,741.24**
31.03.2022 तक					
प्रगति पर परियोजनाएं	7,375.13	2,628.92	1,219.06	1,579.05	12,802.16
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**7,375.13**	**2,628.92**	**1,219.06**	**1,579.05**	**12,802.16**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(ख) पूंजी–कार्य–प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के लिए, जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी लागत से अधिक हो गया है, पूर्णता अनुसूची की तुलना इस प्रकार है:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	भादला, राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्कों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली	21.11	-	-	-	**21.11**
प्रगति पर परियोजना	चरण–II–भाग–एफ1 के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1जीडब्ल्यू) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली को मजबूत करना	96.63	-	-	-	**96.63**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVI से संबद्ध लाइन बे	25.06	-	-	-	**25.06**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XL (एनआरएसएस–XL)	49.70	-	-	-	**49.70**
प्रगति पर परियोजना	नियंत्रित करने की योजना (चरण–II)	10.94	-	-	-	**10.94**
प्रगति पर परियोजना	फतेहगढ़– II और भादला– II में आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	85.79	-	-	-	**85.79**
प्रगति पर परियोजना	सहारनपुर (पीजी) में 2–220 केवी लाइन बे	2.73	-	-	-	**2.73**
प्रगति पर परियोजना	चरण II–भाग–ए1 के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना	50.60	-	-	-	**50.60**
प्रगति पर परियोजना	चरण II – भाग बी1 के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना	787.76	-	-	-	**787.76**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र में अतिरिक्त आईसीटी का प्रावधान	0.20	-	-	-	**0.20**
प्रगति पर परियोजना	भादला– II सब–स्टेशन पर 1x80 एमवीएआर 765 केवी स्पेयर रिएक्टर का कार्यान्वयन	1.54	-	-	-	**1.54**
प्रगति पर परियोजना	भिवानी (पीजी) में 400 केवी लाइन बे का प्रावधान	18.98	-	-	-	**18.98**
प्रगति पर परियोजना	फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना के अंतर्गत उत्तरी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना (अतिरिक्त आवश्यकता)	14.36	-	-	-	**14.36**
प्रगति पर परियोजना	500 एमवीएआर थाइरिस्टर का कार्यान्वयन नियंत्रित	129.75	-	-	-	**129.75**
प्रगति पर परियोजना	कुरूक्षेत्र 400 केवी बस में रिएक्टर	20.07	-	-	-	**20.07**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XLI (एनआरएसएस–XLI)	10.06	-	-	-	**10.06**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XLII (एनआरएसएस–XLII)	10.26	-	-	-	**10.26**
प्रगति पर परियोजना	1–220 केवी बे पर 220 केवी करियन– चमेरा पूल लाइन के दूसरे सर्किट स्ट्रिंग के लिए चमेरा पूलिंग प्वाइंट	44.29	-	-	-	**44.29**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVII (एनआरएसएस–XXXVII)	-	28.24	-	-	**28.24**
प्रगति पर परियोजना	सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVIII (एनआरएसएस–XXXVIII) से जुड़े आईसीटी और बे	274.21	-	-	-	**274.21**
प्रगति पर परियोजना	वाराणसी (पीजी) सब–स्टेशन पर 2–400 केवी हाइब्रिड/जीआईएस लाइन बे का निर्माण	34.93	-	-	-	**34.93**
प्रगति पर परियोजना	शाजानपुर (पीजी) 400/220 केवी सब–स्टेशन पर 220 केवी बे का कार्यान्वयन	2.12	-	-	-	**2.12**
प्रगति पर परियोजना	सिस्टम सुदृढ़ीकरण के तहत सोहावल (पीजी) में 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी संवर्द्धन (तीसरा)	22.74	-	-	-	**22.74**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्व –उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर–I परियोजना	1,498.19	-	-	-	**1,498.19**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–V से जुड़े पावरग्रिड कार्य	68.33	-	-	-	**68.33**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–एक्स (एनईआरएसएस–एक्स)	46.69	-	-	-	**46.69**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– XII (एनईआरएसएस–XII)	407.91	-	-	-	**407.91**
प्रगति पर परियोजना	पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XIV (एनईआरएसएस–XIV)	50.39	-	-	-	**50.39**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–II, भाग–बी (एनईआरएसएस–II–बी) से जुड़े पावरग्रिड कार्य	87.48	-	-	-	**87.48**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–III (एनईआरएसएस–III)	54.26	-	-	-	**54.26**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–VI से जुड़े पावरग्रिड कार्य	24.19	-	-	-	**24.19**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर एवं रिएक्टर का प्रावधान	27.55	-	-	-	**27.55**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर– पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XI (एनईआरएसएस–XI)	40.17	-	-	-	**40.17**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XIII (एनईआरएसएस–XIII)	51.16	-	-	-	**51.16**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में वाइड बैंड संचार विस्तार योजना के अंतर्गत फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	36.73	-	-	-	**36.73**
प्रगति पर परियोजना	स्थापना के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत फाइबर ऑप्टिक संचार योजना (एडिशनल)	23.01	-	-	-	**23.01**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पुराने आरटीयू का प्रतिस्थापन	2.18	-	-	-	**2.18**
प्रगति पर परियोजना	वीसैट आधारित संचार प्रणाली	0.21	-	-	-	**0.21**
प्रगति पर परियोजना	एनटीपीसी की उत्तरी करनपुरा (3x660 मेगावाट) उत्पादन परियोजना के लिए तत्काल निकासी से जुड़े पावरग्रिड कार्य	45.99	-	-	-	**45.99**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना –XXVI (ERES-XXVI)	1.68	-	-	-	**1.68**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र के एसएलडीसी (बीएसपीटीसीएल औरडीवीसी) में एससीएडीए/ईएमएस प्रणाली के विस्तार/उन्नयन के तहत संचार प्रणाली की स्थापना	17.17	-	-	-	**17.17**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना के तहत संचार प्रणाली (अतिरिक्त आवश्यकता)	38.29	-	-	-	**38.29**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XVII (भाग–बीबी) [ईआरएसएस–XVII (भाग–बीबी)]	50.06	-	-	-	**50.06**
प्रगति पर परियोजना	पावरग्रिड भूटान में नए एचईपी से बिजली हस्तांतरण के लिए भारतीय प्रणाली में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने से जुड़ा काम करता है	30.02	-	-	-	**30.02**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XXII	26.69	-	-	-	**26.69**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना की स्थापना	9.87	-	-	-	**9.87**
प्रगति पर परियोजना	वाइडबैंड संचार नेटवर्क के विस्तार के तहत पूर्वी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली	6.44	-	-	-	**6.44**
प्रगति पर परियोजना	चरण– I एकीकृत वास्तविक समय गतिशील राज्य मापन (यूआरटीडीएसएम)	3.31	-	-	-	**3.31**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–V	467.64	-	-	-	**467.64**
प्रगति पर परियोजना	मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से संबद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम	116.12	-	-	-	**116.12**
प्रगति पर परियोजना	रायगढ़ (तनमार) पूल में एकत्रित उत्पादन परियोजनाओं से बिजली निकासी के लिए अतिरिक्त प्रणाली	83.26	-	-	-	**83.26**
प्रगति पर परियोजना	ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करना – कोल्हापुर (पीजी–कोल्हापुर 400 केवी डी/सी लाइन का पुनर्निर्माण	34.21	-	-	-	**34.21**
प्रगति पर परियोजना	अतिरिक्त 400केवी से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	23.39	-	-	-	**23.39**
प्रगति पर परियोजना	मास्टर कम्युनिकेशन प्लान के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	0.75	-	-	-	**0.75**
प्रगति पर परियोजना	पावरग्रिड खरगोन टीपीएस से जुड़े पश्चिम रेलवे में पारेषण प्रणाली को मजबूत करने से संबंधित कार्य करता है	103.53	-	-	-	**103.53**
प्रगति पर परियोजना	आरई परियोजनाओं के इंटरकनेक्शन के लिए पावरग्रिड सबस्टेशनों पर विस्तार कार्य	5.53	-	-	-	**5.53**
प्रगति पर परियोजना	मेसर्स एसबीईएसएस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 325 मेगावाट पवन परियोजना के लिए कनेक्टिविटी और एलटीए	5.51	-	-	-	**5.51**
प्रगति पर परियोजना	इंदौर सब–स्टेशन पर फॉल्ट स्तर को नियंत्रित करने की योजना	0.02	-	-	-	**0.02**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना (अतिरिक्त आवश्यकता)	11.28	-	-	-	**11.28**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना	11.78	-	-	-	**11.78**
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में सिस्टम सुदृढ़ीकरण– XXV	38.87	-	-	-	**38.87**
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में परिवर्तन क्षमता का विस्तार	44.11	-	-	-	**44.11**
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना	39.23	-	-	-	**39.23**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगलुर, तमिलनाडु)–उत्तरी त्रिचूर (केरल) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक – योजनारु2: पुगलुर छोर पर एसी सिस्टम को मजबूत करना	39.16	-	-	-	**39.16**
प्रगति पर परियोजना	नेवेली, तमिलनाडु में 2X500 मेगावाट नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड टीएस–1 (रिप्लेसमेंट) (एनएनटीपीएस) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	40.55	-	-	-	**40.55**
प्रगति पर परियोजना	तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन पवन ऊर्जा क्षेत्र (तमिलनाडु) में आरई की निकासी 500 मेगावाट	33.10	-	-	-	**33.10**
प्रगति पर परियोजना	मौजूदा हिरियुर और कोच्चि उप–स्टेशनों पर परिवर्तन क्षमता का विस्तार	34.59	-	-	-	**34.59**
प्रगति पर परियोजना	तूतीकोरिन–II जीआईएस पीएस में 230 केवी बे के 1 नंबर का कार्यान्वयन	4.65	-	-	-	**4.65**
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र के उप–स्टेशनों और उत्पादन स्टेशनों के लिए फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली	0.83	-	-	-	**0.83**
प्रगति पर परियोजना	ओपीजीडब्ल्यू परियोजना (1517 किमी)–दूरसंचार	1.99	-	-	-	**1.99**
प्रगति पर परियोजना	पीकेजी– यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, आई–1, आई–2 और आई–3–टेलीकॉम	30.00	-	-	-	**30.00**
प्रगति पर परियोजना	पीकेजी–एम– 1,एम –2 और एम–3–टेलीकॉम	13.82	-	-	-	**13.82**
प्रगति पर परियोजना	पैकेज–जेड–टेलीकॉम	0.69	-	-	-	**0.69**
प्रगति पर परियोजना	एनटीएएमसी–टेलीकॉम के लिए नेटवर्क	7.19	-	-	-	**7.19**
प्रगति पर परियोजना	आरटीएम 765 केवी स्पेयर रिएक्टर	7.03	-	-	-	**7.03**
प्रगति पर परियोजना	एनजीआर को बायपास करने के लिए आरटीएम योजना	0.99	-	-	-	**0.99**
प्रगति पर परियोजना	चरण II भाग ए के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना	258.40	-	-	-	**258.40**
प्रगति पर परियोजना	चरण II – भाग सी के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना	938.41	-	-	-	**938.41**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	चरण II – भाग बी के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करना	514.33	-	-	-	**514.33**
प्रगति पर परियोजना	चरण II – भाग एफ के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना	1,268.88	-	-	-	**1,268.88**
प्रगति पर परियोजना	राजस्थान चरण–II भाग–डी	941.41	-	-	-	**941.41**
प्रगति पर परियोजना	संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों के साथ मेरठ में 765/400/220 केवी जीआईएस सबस्टेशन और सिंभावली में 400/220/132 केवी जीआईएस सबस्टेशन का निर्माण	997.86	-	-	-	**997.86**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

Particulars	Project	<1 Year	1-2 Years	2-3 Years	>3 Years	Total
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्व –उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर–I परियोजना	1,007.06	-	-	-	**1,007.06**
प्रगति पर परियोजना	टेहरी पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) से संबद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम	180.93	-	-	-	**180.93**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–V	450.52	-	-	-	**450.52**
प्रगति पर परियोजना	मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से संबद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम	-	108.96	-	-	**108.96**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–V (ईआरएसएस–V)	26.61	-	-	-	**26.61**
प्रगति पर परियोजना	मास्टर कम्युनिकेशन प्लान के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	0.74	-	-	-	**0.74**
प्रगति पर परियोजना	चरण–I एकीकृत वास्तविक समय गतिशील राज्य मापन (यूआरटीडीएसएम)	2.71	-	-	-	**2.71**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–ग्ग्ग्ट (एनआरएसएस–XXXV)	93.93	-	-	-	**93.93**
प्रगति पर परियोजना	वाइडबैंड संचार नेटवर्क के विस्तार के तहत पूर्वी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली	6.05	-	-	-	**6.05**
प्रगति पर परियोजना	रेशा दक्षिणी क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र के उप–स्टेशनों और उत्पादन स्टेशनों के लिए ऑप्टिक संचार प्रणाली	0.80	-	-	-	**0.80**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XII (ईआरएसएस–XII)	22.31	-	-	-	**22.31**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–II, भाग–बी (एनईआरएसएस–II–बी) से जुड़े पावरग्रिड कार्य	83.27	-	-	-	**83.27**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–III (एनईआरएसएस–III)	53.05	-	-	-	**53.05**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

Particulars	Project	<1 Year	1-2 Years	2-3 Years	>3 Years	Total
प्रगति पर परियोजना	12वीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 400/220केवी सब स्टेशनों का निर्माण (भाग–एए)	260.91	-	-	-	**260.91**
प्रगति पर परियोजना	फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना के अंतर्गत उत्तरी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना (अतिरिक्त आवश्यकता)	72.56	-	-	-	**72.56**
प्रगति पर परियोजना	मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क (750 मेगावाट) के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	12.53	-	-	-	**12.53**
प्रगति पर परियोजना	आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम –भाग बी (चरण–II)	50.93	-	-	-	**50.93**
प्रगति पर परियोजना	220/66 केवी, 2x160एमवीए जीजीआईएस की स्थापना, साथ ही चंडीगढ़ जीआईएस से 400/220 केवी पंचकुला (पीजी) सबस्टेशन तक 220 केवी डी/सी लाइन की स्थापना।	302.64	-	-	-	**302.64**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XVII (भाग–बीबी) ख्ईआरएसएस–XVII (भाग–बीबी),	43.82	-	-	-	**43.82**
प्रगति पर परियोजना	सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVII (एनआरएसएस–XXXVII)	344.64	-	-	-	**344.64**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVIII (एनआरएसएस–XXXVIII) से जुड़े आईसीटी और बे	262.59	-	-	-	**262.59**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVI से संबद्ध लाइन बे	23.03	-	-	-	**23.03**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में वाइड बैंड संचार विस्तार योजना के अंतर्गत फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	34.86	-	-	-	**34.86**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना (अतिरिक्त आवश्यकता)	9.85	-	-	-	**9.85**
प्रगति पर परियोजना	पावरग्रिड भूटान में नए एचईपी से बिजली हस्तांतरण के लिए भारतीय प्रणाली में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने से जुड़ा काम करता है	54.50	-	-	-	**54.50**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र के एसएलडीसी (बीएसपीटीसीएल औरडीवीसी) में एससीएडीए/ईएमएस प्रणाली के विस्तार/उन्नयन के तहत संचार प्रणाली की स्थापना	15.86	-	-	-	**15.86**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगलुर, तमिलनाडु)–उत्तरी त्रिचूर (केरल) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक – योजना#2: पुगलुर छोर पर एसी सिस्टम को मजबूत करना	-	17.79	-	-	**17.79**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–VI से जुड़े पावरग्रिड कार्य	18.43	-	-	-	**18.43**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–V से जुड़े पावरग्रिड कार्य	66.36	-	-	-	**66.36**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

Particulars	Project	<1 Year	1-2 Years	2-3 Years	>3 Years	Total
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र यानी वरोरा –वारंगल और चिलकलुरिपेटा –हैदराबाद–कुरनूल 765केवी लिंक में आयात के लिए अतिरिक्त अंतर–क्षेत्रीय एसी लिंक से जुड़े उप–स्टेशन कार्य	159.27	-	-	-	**159.27**
प्रगति पर परियोजना	भिवानी (पीजी) में 400 केवी लाइन बे का प्रावधान	18.17	-	-	-	**18.17**
प्रगति पर परियोजना	नेवेली, तमिलनाडु में 2x500 मेगावाट नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड टीएस–1 (रिप्लेसमेंट)(एनएनटीपीएस) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	39.07	-	-	-	**39.07**
प्रगति पर परियोजना	पावरग्रिड खरगोन टीपीएस से जुड़े पश्चिम रेलवे में ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण से जुड़ा काम करता है	99.32	-	-	-	**99.32**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी करनपुरा (3x660 मेगावाट) उत्पादन परियोजना के लिए तत्काल निकासी से जुड़े पावरग्रिड कार्य	40.63	-	-	-	**40.63**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XVIII (ईआरएसएस–XVIII)	10.45	-	-	-	**10.45**
प्रगति पर परियोजना	गुजरात के बनासकांठा (राधानेस्दा) में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क (700 मेगावाट) के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	153.01	-	-	-	**153.01**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना के तहत संचार प्रणाली (अतिरिक्त आवश्यकता)	34.51	-	-	-	**34.51**
प्रगति पर परियोजना	गोवा को अतिरिक्त 400केवी फ़ीड से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	21.78	-	-	-	**21.78**
प्रगति पर परियोजना	रायगढ़ (तमनार) पूल में एकत्रित उत्पादन परियोजनाओं से बिजली निकासी के लिए अतिरिक्त प्रणाली	78.41	-	-	-	**78.41**
प्रगति पर परियोजना	स्थापना के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत फाइबर ऑप्टिक संचार योजना (एडिशनल)	15.78	-	-	-	**15.78**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना की स्थापना	9.32	-	-	-	**9.32**
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना	101.59	-	-	-	**101.59**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना	53.28	-	-	-	**53.28**
प्रगति पर परियोजना	बहरामपुर (पावरग्रिड) –भेरामारा (बांग्लादेश) दूसरी400केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन (भारतीय भाग)	170.35	-	-	-	**170.35**
प्रगति पर परियोजना	बनासकांठा (राधानेस्दा, गुजरात में अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क (700 मेगावाट) के लिए पूरक ट्रांसमिशन प्रणाली	164.81	-	-	-	**164.81**
प्रगति पर परियोजना	वर्धा सबस्टेशन पर दोष स्तर को नियंत्रित करने की योजना	46.01	-	-	-	**46.01**
प्रगति पर परियोजना	500 एमवीएआर थाइरिस्टर नियंत्रित रिएक्टर का कार्यान्वयन	92.80	-	-	-	**92.80**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना	66.72	-	-	-	**66.72**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

Particulars	Project	<1 Year	1-2 Years	2-3 Years	>3 Years	Total
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XL (एनआरएसएस–XL)	79.72	-	-	-	**79.72**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XLI (एनआरएसएस–XLI)	17.89	-	-	-	**17.89**
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में सिस्टम सुदृढ़ीकरण– XXV	36.15	-	-	-	**36.15**
प्रगति पर परियोजना	आरई परियोजनाओं के इंटरकनेक्शन के लिए पावरग्रिड सबस्टेशनों पर विस्तार कार्य	5.46	-	-	-	**5.46**
प्रगति पर परियोजना	राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली	203.28	-	-	-	**203.28**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण –XLII (एनआरएसएस–XLII)	8.31	-	-	-	**8.31**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र में फाल्ट लेवर को नियंत्रित करने की योजना (चरण–II)	65.65	-	-	-	**65.65**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XXII	22.04	-	-	-	**22.04**
प्रगति पर परियोजना	फतेहगढ़– II और भादला– II में आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	248.06	-	-	-	**248.06**
प्रगति पर परियोजना	तिरुवलम एस/एस पर उच्च शॉर्ट सर्किट करंट स्तर को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	74.74	-	-	-	**74.74**
प्रगति पर परियोजना	वाराणसी (पीजल) सबस्टेशन पर 2–400केवी हाइब्रिड/जीआईएस लाइन बे का निर्माण	34.21	-	-	-	**34.21**
प्रगति पर परियोजना	सहारनपुर (पीजी) में 2–220 केवी लाइन बे	2.63	-	-	-	**2.63**
प्रगति पर परियोजना	चरण II–भाग–ए1 के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना	10.98	-	-	-	**10.98**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना –एक्स (एनईआरएसएस–X)	16.10	-	-	-	**16.10**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XXIII	182.99	-	-	-	**182.99**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–ग्प्ट (एनईआरएसएस–XIV)	31.56	-	-	-	**31.56**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XI (एनईआरएसएस–XI)	8.23	-	-	-	**8.23**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXIV (ईआरएसएस–XXIV)	1.89	-	-	-	**1.89**
प्रगति पर परियोजना	भादला, राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्कों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली	92.95	-	-	-	**92.95**
प्रगति पर परियोजना	गुजरात में भुज–II (2000मेगावाट) में आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	1,027.88	-	-	-	**1,027.88**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

Particulars	Project	<1 Year	1-2 Years	2-3 Years	>3 Years	Total
प्रगति पर परियोजना	ईआरएसएस XVIII–400 केवी डी/सी जीरत सुभाषग्राम टीएल	381.80				**381.80**
प्रगति पर परियोजना	400केवी ट्रांसमिशन लाइन के साथ 765/400/220 केवी जीआईएस सबस्टेशन रामपुर और 400/220/132 केवी जीआईएस सबस्टेशन संभल का निर्माण	592.11				**592.11**

(ग) विकासाधीन अमूर्त संपत्ति की उम्र इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023 को					
प्रगति पर परियोजनाएं	0.18	24.66	-	6.24	**31.08**
अस्थाई रूप से निलम्बित परियोजनाएं	-	-	-	-	**-**
कुल	**0.18**	**24.66**	**-**	**6.24**	**31.08**
31.03.2022 को					
प्रगति पर परियोजनाएं	32.23	15.20	0.03	6.24	**53.70**
अस्थाई रूप से निलम्बित परियोजनाएं	-	-	-	-	**-**
कुल	**32.23**	**15.20**	**0.03**	**6.24**	**53.70**

(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए, जिनकी पूर्णता अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है, विकास पूर्णता अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति इस प्रकार है:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

Particulars	Project	<1 Year	1-2 Years	2-3 Years	>3 Years	dqy
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्व – उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर – I परियोजना	24.66	-	-	-	**24.66**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना – V	6.24	-	-	-	**6.24**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

Particulars	Project	<1 Year	1-2 Years	2-3 Years	>3 Years	Total
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना – V	6.24	-	-	-	**6.24**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्व – उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर – I परियोजना	24.66	-	-	-	**24.66**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XXIII	0.63	-	-	-	**0.63**
प्रगति पर परियोजना	गुजरात में भुज–II (2000मेगावाट) में आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	15.23	-	-	-	**15.23**

(ङ) वित्तीय वर्ष के अंत तक बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 988 (संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(च) कंपनी को बैंकों के संघ द्वारा वर्तमान के मुकाबले प्रतिभूत रू 7,200 करोड़ (पिछले वर्ष रू5,700 करोड़) की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई थी। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा चालू परिसंपत्तियों का त्रैमासिक रिटर्न दाखिल किया गया है और खातों की पुस्तकों के साथ समझौता किया गया है।

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

(छ) वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा समूह को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया था।

(झ) बंद कंपनियों के साथ संबंध:

(₹ करोड़ में)

बंद की गई कंपनी	बंद की गई कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	31.03.2023 को बकाया शेष	31.03.2022 को बकाया शेष	बंद की गई कंपनी के साथ संबंध
ऐस कंसल्टेंट्स प्रा. लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
अंकिता एंटरप्राइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
बाउर इंस्ट्रूमेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	NA	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
ब्यूटेक्स एडवरटाइजिंग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.03	0.03	संबंधित पक्षकार नहीं है
ब्रेनटेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.01	संबंधित पक्षकार नहीं है
साइबरियन इन्फोमेर्शियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
दास एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
डेलीजेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.01	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
एरिक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
फॉर्च्यून मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
हिंदुस्तान विद्युत उत्पाद लिमिटेड	देय	NA	0.01	संबंधित पक्षकार नहीं है
एचवीएसी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
इंपीरियल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	NA	0.21	संबंधित पक्षकार नहीं है
जेके पेपर सैक्स प्रा. लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
जय अम्बे ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	देय	NA	0.01	संबंधित पक्षकार नहीं है
जेसन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
मैट्रिक्स टेलीकॉम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
मित्सु सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
मॉडर्न ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
मोनार्क इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
ओम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
ओम सर्विसेज एंड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
ओरिएंट कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
क्वालिटी रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
राज केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
राणा एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
शर्मा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
सिद्धराम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.04	0.04	संबंधित पक्षकार नहीं है
सिग्मा सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.01	0.01	संबंधित पक्षकार नहीं है
सिनर्जी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.16	0.16	संबंधित पक्षकार नहीं है
टेकसोल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	देय	NA	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
टीजीएन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
यूनाइटेड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
विसाग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
विशाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.22	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
युमिको ग्लोबल इंफ्रा टेक प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.11	0.10	संबंधित पक्षकार नहीं है
आर्कटोस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.08	0.08	संबंधित पक्षकार नहीं है

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

बंद की गई कंपनी	बंद की गई कंपनी के साथ लेन–देन की प्रकृति	31.03.2023 को बकाया शेष	31.03.2022 को बकाया शेष	बंद की गई कंपनी के साथ संबंध
बीमन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.04	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
एक्सपेडिटिव इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.08	0.11	संबंधित पक्षकार नहीं है
ग्लेन सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.03	0.03	संबंधित पक्षकार नहीं है
रूफर्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.02	0.02	संबंधित पक्षकार नहीं है
शुभ्रा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.04	0.04	संबंधित पक्षकार नहीं है
वैशाली कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
विस्कोम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.02	0.02	संबंधित पक्षकार नहीं है
यश टेक्नो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.06	0.06	संबंधित पक्षकार नहीं है
अंजल इम्पेक्स प्रा. लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
सेंचुरी मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.01	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
इसाइरिस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
जेवी ए एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	NA	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
जेबी एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
कोठारी इंटरग्रुप लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
यूनिकॉन फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.02	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
वैशाख शेयर्स लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
विटालिंक वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
जेनिथ इंश्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	NA	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है

(ज) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान वैधानिक अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास दोष या दोषारोपण की संतुष्टि दर्ज की है।

(झ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

(ञ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान बिचौलियों के माध्यम से प्राप्त/उन्नत या ऋण या निवेशित धन (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि) नहीं लिया है।

(ट) कंपनी का कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं किया गया था और जिसे सरेंडर कर दिया गया हो या आयकर अधिनियम, 96। के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में प्रकट किया गया।

(ठ) समूह ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

67. अन्य टिप्पणियां

क. असाधारण मदें

अ) पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ('पीजीइनविट/ट्रस्ट') के माध्यम से अपनी पांच (05) सहायक कंपनियों का मुद्रीकरण किया है। उपरोक्त पांच एसपीवी में 74: शेयर मई 2021 में पीजीआईएनवीआईटी को हस्तांतरित कर दिए गए थे और पीवीटीएल के शेष 26: शेयर मार्च 2022 में हस्तांतरित कर दिए गए थे। शेष एसपीवी का शेष 26: ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट (टीएसए) के अनुरूप स्थानांतरित किया जाएगा और इसे "बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उक्त लेनदेन पर लाभ (संबंधित व्यय का निवल) पिछले वर्ष में "असाधारण मदों" के तहत प्रकट किया गया है।

ब) 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए पिछले वर्ष में, समूह की एक यूनिट ने अप्रत्याशित घटना और कानून में परिवर्तन की घटनाओं के कारण ट्रांसमिशन शुल्क में वृद्धि के लिए सीईआरसी के पास एक याचिका दायर की थी। सीईआरसी ने कानून में परिवर्तन की घटनाओं के कारण ट्रांसमिशन शुल्क में आंशिक वृद्धि की अनुमति दी है और समय विस्तार से इनकार कर दिया है। समूह यूनिट ने सीईआरसी के उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में अपील दायर की है। मामला न्यायनिर्णयाधीन है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2021–22 में समूह द्वारा समय की अधिकता के लिए एलडी के लिए रू 234.55 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था, जिससे वर्ष के लिए लाभ में कमी आई। इसका प्रकटीकरण पिछले वर्ष के लाभ और हानि विवरण में "असाधारण मदों" के तहत किया गया है। समूह यूनिट ने पहले जारी की गई बैंक गारंटी के बदले में 28.03.2023 को एलटीटीसी के पास रू110.04 करोड़ की राशि जमा की है।

ख. कंपनी के दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय करने के लिए पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का समावेश

एक कंपनी 'पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड' को दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय शुरू करने के उद्देश्य से कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 25.11.2021 को निगमित किया गया था। सीईआरसी ने 17 मई 2023 के आदेश के तहत पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से मौजूदा दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय शुरू करने की मंजूरी दे दी। कंपनी उक्त व्यवसाय के हस्तांतरण के लिए कार्यप्रणाली/लेनदेन योजना का मूल्यांकन कर रही है, जिसमें संपत्ति और देनदारियों की पहचान शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

उपरोक्त महत्वपूर्ण गतिविधियां पूरी होने तक कंपनी दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय का प्रचालन जारी रखेगी। चूंकि उक्त व्यवसाय अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे ''बिक्री के लिए धारित निपटान समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

ग. हाल की घोषणाएं

31.03.2023 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए'') ने 01.04.2023 से लागू कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया है। कंपनी वित्तीय वर्ष 2023–24 में, जैसा लागू हो, डिवीजन II में संशोधनों का आकलन और कार्यान्वयन करेगी।

68. क) आंकड़ों को दो दशमलव तक करोड़ रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

ख) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव	जी. रविशंकर	के. श्रीकांत
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी**	कृते **उमामाहेश्वर राव एंड कंपनी**	कृते **बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी**	कृते **पीएसडी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	**चार्टर्ड एकाउंटेंट्स**	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 0000990एन	एफआरएन: 004453एस	एफआरएन: 301011ई/ई300025	एफआरएन: 004501सी
सीए आर बालासुब्रह्मण्यम	**सीए राकेश भानू अमर**	**सीए संजय सरकार**	**सीए सतीश चंद्र शर्मा**
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता संख्या 080432	सदस्यता संख्या 228411	सदस्यता संख्या 064305	सदस्यता संख्या 072846

दिनांक: 19 मई, 2023
स्थान: गुरूग्राम

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसमें आगे ''धारक कंपनी'' कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को इसमें आगे एक साथ ''समूह'' कहा गया है) और इसके संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक समेकित तुलन–पत्र, समेकित लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (इसके बाद ''समेकित वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित) का विवरण शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और देते हैं 31 मार्च 2023 को समूह और इसके सहायक उद्यमों के मामलों की समेकित स्थिति, समेकित लाभ और कुल व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उस पर समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों (एसएएस) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही स्वतंत्रता आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत बनाया गया है, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संदर्भ में एक के रूप में संबोधित किया गया था, और उस पर अपनी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। नीचे प्रत्येक मामले के लिए, उस संदर्भ में हमारे ऑडिट में मामले को कैसे संबोधित किया गया था इसका विवरण प्रदान किया गया है। भौतिकता सहित 'किसी अन्य ऑडिटर के काम का उपयोग' पर लेखापरीक्षा करने संबंधी मानक (एसए 600) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, नीचे दिए गए मुख्य लेखापरीक्षा मामलों को धारक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से पुनः प्रस्तुत किया गया है।

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया था
1	**पारेषण आय से राजस्व की मान्यता** पारेषण आय का लेखा सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों के आधार पर किया जाता है। पारेषण परियोजनाओं के मामले में जहां अंतिम टैरिफ आदेशों को अधिसूचित किया जाना बाकी है, पूर्व के मामलों में सीईआरसी के टैरिफ विनियमों और आदेशों के अनुसार पारेषण आय का लेखा अनंतिम आधार पर किया जाता है। सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ आदेश जारी करने पर अंतर, यदि कोई हो, का हिसाब लगाया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, पारेषण आय में ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक प्रोद्भवन भी शामिल है, लेकिन अभी तक बिल नहीं किया गया है, अर्थात, बिल न किया गया राजस्व। सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार किए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा और राजस्व की मान्यता के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध के कारण इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है। (टिप्पणी संख्या35(ख)(पप) समेकित वित्तीय विवरण देखें	**हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल हैं** सीईआरसी टैरिफ विनियमों, आदेशों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और कंपनी के आंतरिक परिपत्रों और बिजली के संचरण से राजस्व की पहचान और माप के संबंध में प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त करना। • पारेषण से राजस्व की पहचान और माप से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षण किया। • सीईआरसी टैरिफ रेगुलेशन, ऑर्डर, सर्कूलर, गाइडलाइंस और कंपनी के आंतरिक सर्कुलर के आधार पर ट्रांसमिशन रेवेन्यू का सत्यापन किया। • परीक्षण के आधार पर सत्यापित, हाल के मामलों में सीईआरसी के नियामक दिशानिर्देशों और आदेशों के अनुसार अनंतिम आधार पर मान्यता प्राप्त आय, जहां वाणिज्यिक की तारीख के आधार पर, उन परिसंपत्तियों के लिए जिनके अंतिम आदेश सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किए जाने बाकी हैं। क्षेत्रीय तकनीकी प्रमुखों द्वारा जारी प्रचालन (डीओसीओ) पत्र, और पूंजी लागत, जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है। निष्पादित उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर, विद्युत के पारेषण से राजस्व की पहचान और माप को पर्याप्त और उचित माना जाता है।
2	**एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियां** कंपनी ने भविष्य में देय कर के प्रति समायोजन की प्रत्याशा में एमएटी क्रेडिट पर विचार किया है। वर्ष और वर्ष के दौरान उसी के लिए आस्थगित कर संपत्ति बनाई। उक्त एमएटी क्रेडिट एंटाइटेलमेंट के अनुरूप, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों को बाद की अवधि में देय एक आस्थगित नियामक देयता को मान्यता दी गई है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए इस मामले के महत्व और इसकी भौतिकता और एमएटी क्रेडिट पात्रता की मान्यता के लिए भविष्य के कर योग्य लाभ का आकुलन करने में निर्णय की आवश्यकता है। (टिप्पणी संख्या26 समेकित वित्तीय विवरण देखें)	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल हैं • एमएटी क्रेडिट की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना। • भविष्य के कर योग्य लाभ के संबंधित पूर्वानुमानों का आकलन करते हुए, इन पूर्वानुमानों की तैयारी में अंतर्निहित विचारों/धारणाओं की तर्कसंगतता और निरंतरता का मूल्यांकन किया। • निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, एमएटी क्रेडिट पात्रता और ग्राहकों के प्रति संबंधित नियामक आस्थगित देयता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति की पहचान और माप को पर्याप्त और उचित माना जाता है।
3	भूमि मुआवजे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का आकुलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। आकस्मिक देनदारियों का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी के आकस्मिक देनदारियों के आकुलन को मामले के तथ्यों, उस पर कंपनी के फैसले, पिछले अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों से सलाह, जहां आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए हमने उपरोक्त क्षेत्र को मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में पहचाना। समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 60 देखें)	हमने आकस्मिक देनदारियों के अनुमान और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है: • कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक विकास की समीक्षा करना। • सक्षम प्राधिकारियों से हाल के आदेशों की जांच करना और,8 या विभिन्न प्राधिकारियों, न्यायिक मंचों से प्राप्त संचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना। • चर्चा के माध्यम से कंपनी के तर्कों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्वाह। निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, आकस्मिक देनदारियों का अनुमान और प्रकटीकरण पर्याप्त और उचित माना जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

धारक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट शामिल है। कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऊपर दी गई पहचान के अनुसार अन्य जानकारी इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी जानकारी के दौरान प्राप्त हुई है। हमारी लेखा परीक्षा के दौरान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

जब हम अनुलग्नकों सहित उन दस्तावेजों को पढ़ते हैं, यदि कोई हो, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उनमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हम शासन के आरोप वाले लोगों को मामले से अवगत्त कराएंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारक कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की अपेक्षाओं के संदर्भ में इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य विस्तृत आय सहित समेकित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

समूह और इसके संयुक्त उद्यमों में शामिल कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल, समूह की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रणों, जिन्हें धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया है, के लिए जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समूह और इसके संयुक्त उद्यमों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, कार्यरत कंपनी के रूप में समूह के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन समूह को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

समूह की वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख भी, समूह और इसके संयुक्त उद्यमों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारें में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधडी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमे हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमनेः

- समेकित वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरातन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(प) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या समूह में शामिल कंपनियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।

- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो समूह के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में समूह और इसके सहायक उद्यमों की क्षमता पर एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरण ों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में संशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां समूह और सहायक उद्यमों को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह और सहायक उद्यमों के भीतर संस्थाओं या व्यापार गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई ऐसी संस्थाओं, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण करने और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अन्य संस्थाओं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (प) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करें; और (पप) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करें।

हम उन्हें, जिन्हें धारक कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई ऐसी संस्था, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, के सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षा उपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरण ों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य मामले

क) हमने निम्नलिखित सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2023 को कुल परिसंपत्ति और निवल परिसंपत्ति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व और निवल नकदी प्रवाह के लिए नीचे दिए गए ब्यौरे उस सीमा तक दर्शाए गए हैं, जहां तक वे समेकित वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित किए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सहायक कंपनियों का नाम	कुल परिसंपत्ति	निवल परिसंपत्ति	कुल राजस्व	निवल नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह)
1	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	(19.43)	-	-
2	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,356.50	488.66	365.08	(1.18)
3	पावरग्रिड साउदर्न इन्टरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	3,557.59	751.27	481.05	(21.76)
4	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	65.04	28.58	28.75	0.54
5	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	3,358.01	706.53	589.62	14.79
6	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,219.92	245.02	177.51	(2.10)
7	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	967.71	195.84	122.11	(3.48)
8	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	515.95	120.57	59.16	(8.64)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सहायक कंपनियों का नाम	कुल परिसंपत्ति	निवल परिसंपत्ति	कुल राजस्व	निवल नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह)
9	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,003.06	206.88	130.84	(1.38)
10	पावरग्रिड भिन्डगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,186.31	234.28	66.11	0.47
11	पावरग्रिड अजमेरफागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	575.25	118.31	32.77	1.06
12	पावरग्रिड फतेहगढ़ दरांसमिशन लिमिटेड	585.85	118.57	66.16	(1.83)
13	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	675.30	145.70	77.72	0.01
14	पावरग्रिड मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	807.59	147.95	21.09	(0.11)
15	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,070.46	194.94	0.05	0.05
16	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती रामगढ़ट्रांसमिशन लिमिटेड)	2,464.64	26.16	71.63	943.09
17	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती जेपी पॉवरग्रिड लिमिटेड)	281.47	24.47	0.01	0.04
18	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती बीकानेर II ट्रांसको लिमिटेड)	446.60	427.00	134.77	5.76
19	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड)	1,284.00	99.68	0.02	0.01
20	पॉवरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती फतेहगढ भादला ट्रांसको लिमिटेड)	1,007.93	79.40	0.02	(0.15)
21	पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती सीकर II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड)	541.73	31.55	-	0.07
22	पावरग्रिड टेलीसर्विसिज लिमिटेड	8.97	8.62	0.19	0.11
23	पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	52.74	0.66	0.03	0.05
24	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती खेतड़ी–नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड)[1]	565.21	(0.37)	-	0.41
25	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड)[2]	548.16	(0.76)	0.05	0.09
26	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड)[3]	288.11	(0.17)	-	0.05
27	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड)[4]	14.86	(0.38)	-	0.14
28	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड)[5]	6.90	0.05	-	0.03
29	खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड[5]	54.22	0.05	-	0.02
30	खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड[5]	77.34	0.05	-	0.02
31	खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड[5]	156.93	0.05	-	0.01
32	पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड)[5]	38.19	0.05	-	0.01
33	पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड)[5]	12.77	0.05	-	0.01
34	रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड[6]	7.41	0.01	-	0.01
35	धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड[6]	6.87	0.01	-	0.01
36	भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड[6]	104.04	0.01	-	-
	कुल	**24913.63**	**4379.86**	**2424.74**	**926.23**

[1]11.05.2022 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से 100: इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

[2]30.05.2022 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से 100: इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

[3]24.08.2022 को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से 100: इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

[4]10.10.2022 को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

[5] 21.03.2023 को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

[6]28.03.2023 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से 100: इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि (अन्य व्यापक आय सहित) समूह का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि निम्नलिखित संयुक्त उद्यमों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है।

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निवल लाभ/(हानि (अन्य व्यापक आय सहित) में समूह का हिस्सा
1	पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	39.78
2	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	29.15
	कुल	**68.93**

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा 18 मई 2023 तक हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह संबंधित है इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और खुलासे, और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, पूरी तरह से भौतिकता सहित 'किसी अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करने' पर लेखापरीक्षा मानक (एसए 600) की आवश्यकता पर विचार करने के बाद अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

ख) हमने निम्नलिखित सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2023 को कुल परिसंपत्ति और निवल परिसंपत्ति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व और निवल नकदी प्रवाह को उस सीमा तक नीचे दिए गए ब्यौरें में दर्शाया गया है, जहां तक वे समेकित वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित किए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सहायक कंपनियों का नाम	कुल परिसंपत्ति	निवल परिसंपत्ति	कुल राजस्व	निवल नकदी अंतर्वाह/ (बहिर्वाह)
1	पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	946.04	77.21	0.03	0.02
	कुल	**946.04**	**77.21**	**0.03**	**0.02**

समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि (अन्य व्यापक आय सहित) समूह का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि निम्नलिखित संयुक्त उद्यमों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है।

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निवल लाभ/(हानि (अन्य व्यापक आय सहित) में समूह का हिस्सा
1	टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	5.57
2	पारबती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	11.26
3	तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	16.35
4	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	(14.24)
5	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	(43.95)
6	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड1	(130.43)
7	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	4.32
8	बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड2	(0.01)
9	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड3	-
10	पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड4	2.27
	कुल	**(148.86)**

[1]संयुक्त उद्यम की सहायक कंपनियाँ शामिल हैं

[2]31.08.2022 से संयुक्त उद्यम।

[3]धारक कंपनी के निदेशक मंडल ने संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

[4]भारत के बाहर स्थित।

संयुक्त उद्यमों के ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी अलेखापरीक्षित हैं और धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट जहां तक उपरोक्त संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी पर आधारित है। उपरोक्त संयुक्त उद्यमों में से एक भारत के बाहर स्थित है जिसके संबंध में धारक कंपनी के प्रबंधन ने हमें भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार वित्तीय विवरण प्रदान किए हैं। हमारी राय में और धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अन्य मामलों के पैरा में यथाउल्लिखित सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने के बाद, हम, यथालागू सीमा तक, यह रिपोर्ट करते हैं किः–

   (क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

   (ख) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित की गई संगत खाता–बहियों के अनुरूप हैं।

   (घ) हमारी राय में उक्त समेकित वित्तीय विवरण, यथासंशोधित, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार है।

   (ड.) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नही होते हैं। इसके अलावा, भारत में निगमित 2 (दो) संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, 31 मार्च 2023 तक भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों के किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

   (च) धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया **अनुलग्नक ''क''** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें। हमारी रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणओं के संदर्भ में समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता पर एक अपरिवर्तित राय अभिव्यक्त की गई है।

   (छ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 समूह पर लागू नही होते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में निगमित 2 (दो) संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रबंधकीय पारिश्रमिक उनके निदेशकों को अधिनियम की अनुसूची ट की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान/प्रदान किया गया है।

   (ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014, यथासंशोधित, के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और 'अन्य मामलों' के पैरा में यथाउल्लिखित सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य वित्तीय जानकारी के आधार परः

      i) समेकित वित्तीय विवरणों में समूह (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 60 देखें) और संयुक्त उद्यम कंपनियों (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 44.2 देखें) की समेकित वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया गया है।

      ii) समेकित वित्तीय विवरणों में व्युत्पन्न अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर, लागू कानून या भारतीय लेखांकन मानकों के तहत, भौतिक नुकसान, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया गया है।

      iii) समूह और भारत में निगमित इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

iv) क) समूह और भारत में निगमित इसके संयुक्त उद्यमों, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के संबंधित प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यमों के अन्य लेखा परीक्षकों को निरूपित किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी से धारक कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यमों द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था (मध्यस्थ'') सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यमों (अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करें:

ख) समूह और भारत में निगमित इसके संयुक्त उद्यमों, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के संबंधित प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यमों के अन्य लेखा परीक्षकों को निरूपित किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यमों द्वारा विदेशी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है (वित्त पोषण पार्टियों), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि धारक कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी (अंतिम'' लाभार्थी?) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं:

ग) हमारे द्वारा और सहायक कंपनियों एवं भारत में निगमित संयुक्त उद्यम कंपनियों, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (प) और (पप) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी सामग्री गलत विवरण है।

v) (क) पिछले वर्ष और वर्ष के लिए अंतिम प्रस्तावित लाभांश और धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों और भारत में निगमित इसके संयुक्त उद्यमों द्वारा वर्ष के दौरान घोषित या भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

vi) अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखाबही बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की विशेषता है, 01 अप्रैल 2023 से कंपनी और भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों पर लागू है, और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग, 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 (xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामलों, जिन्हें लेखा परीक्षक कि रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, के संबंध में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान किए गए धारक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के घटक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर, जिस पर सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू होती है, और संबंधित घटक लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी सीएआरओ रिपोर्ट में आक्षेप या प्रतिकूल टिप्पणियों के मामलों की पहचान के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि उन कंपनियों के संबंध में जहां लेखा परीक्षा पूरी हो चुकी है अधिनियम की धारा 143 के तहत, ऐसी कंपनियों के लेखा परीक्षकों ने कोई आक्षेप या प्रतिकूल टिप्पणी की सूचना नहीं दी है। धारक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण ाें में शामिल निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में, जिनका अधिनियम की धारा 143 के तहत लेखा परीक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन संस्थाओं के संबंध में लागू सीएआरओ रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और परिणामस्वरूप इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार हमें प्रदान नहीं की गई है:

क्रम सं.	कंपनी का नाम	सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम
1.	पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी
2.	टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
3.	पारबती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
4.	तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
5.	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
6.	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम

क्रम सं.	कंपनी का नाम	सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम
7.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
8.	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
9.	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
10.	बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
11.	पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम

कृते **एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 000990एन

आर बालासुब्रमण्यम
साझेदार
सदस्यता संख्या 080432
यूडीआईएनः 23080432BGWPJV1801

कृते **उमामहेश्वर राव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 004453एस

राकेश भानु अमर
साझेदार
सदस्यता संख्या 228411
यूडीआईएनः 23228411BGXSZT3523

कृते **बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 301011ई/ई300025

संजय सरकार
साझेदार
सदस्यता संख्या 064305
यूडीआईएनः 23064305BGQJSP2181

कृते **पीएसडी एवं एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 004501सी

सतीश चंद्र शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या 072846
यूडीआईएनः 23072846BGYVZU9322

स्थानः गुरूग्राम
दिनांकः 19 मई 2023

अनुलग्नक ''1''

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समदिनांकित रिपोर्ट के साथ संलग्न

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ, हमने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके बाद "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ "समूह" कहा गया है) और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियां, जो 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में निगमित कंपनियां हैं, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां है, का संबंधित निदेशक मंडल, अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख– रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चत करना शामिल हैं। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्ट पर समूह और भारत में निगमित इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में मानित रूप से निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी (द गाइडंस टिप्पणी) के अनुसरण में की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल हैं। हमारे समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य और भारत में निगमित अन्य सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किया गया उनकी रिपोर्ट के 'अन्य मामले' पैराग्राफ में संदर्भित लेखा परीक्षा साक्ष्य, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है ।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वनीय तथा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्रासन देती है। किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (प) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (पप) उचित आश्वासन दिया जाए कि समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (पपप) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना शामिल हैं, के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा के कारण, गलतबयानी, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा,

भावी अवधि हेतु समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, में सभी महत्वपूर्ण संबंधों में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट मानदंड पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर 31 मार्च, 2022 को प्रभावी तरीके से लागू हैं।

अन्य मामले

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तकि भारत में निगमित 36 (छत्तीस) सहायक कंपनियों और 2 (दो) संयुक्त उद्यम कंपनियों का संबंध है, ऐसी कंपनियों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह भारत में निगमित तीन सहायक और सात संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी की अलेखापरीक्षित है और समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि इन समेकित वित्तीय विवरणों में पूर्वोक्त सहायक और संयुक्त उद्यमों के संबंध में निवल लाभ/हानि (अन्य व्यापक आय सहित) में समूह का हिस्सा और प्रकटीकरण, समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट संशोधित नहीं की गई है।

कृते **एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 000990एन

आर बालासुब्रमण्यम
साझेदार
सदस्यता संख्या 080432
यूडीआईएनः 23080432BGWPJV1801

कृते **उमामहेश्वर राव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 004453एस

राकेश भानु अमर
साझेदार
सदस्यता संख्या 228411
यूडीआईएनः 23228411BGXSZT3523

कृते **बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 301011ई/ई300025

संजय सरकार
साझेदार
सदस्यता संख्या 064305
यूडीआईएनः 23064305BGQJSP2181

कृते **पीएसडी एवं एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 004501सी

सतीश चंद्र शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या 072846
यूडीआईएनः 23072846BGYVZU9322

स्थानः गुरूग्राम
दिनांकः 19 मई 2023

एक राष्ट्र

एक ग्रिड

एक आवृत्ति

पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
भारत सरकार का एक उद्यम

पंजीकृत कार्यालय: बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110 016, भारत
कॉरपोरेट कार्यालय: "सौदामिनी", प्लॉट नंबर–2, सेक्टर–29, गुरुग्राम–122 001 (हरियाणा), भारत
सीआईएन: L40101DL1989GOI038121 I www.powergrid.in

एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक आवृत्ति

Designed & Printed by : Lalit Advertising